द्वादश माला, खंड 2, अंक 4

1 जून, 1998

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 1 जून, 1998/11 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
1	7	टेलीफने कनेक्शन	टेलीफोन कनेक्शन
69	17	(ख) और (घ)	(ख) से (घ)
109	9	उपर्युक्त भाग (छ)	उपर्युक्त भाग (घ)
142	15	(क)	(घ)
177	9	सुषमा स्वराज	श्रीमती सुषमा स्वराज
185	नीचे से 8	अन्य जिलों	अन्य जिलों
187	11	विभागत्तर ऐजटो	विभागेतर एजेंटों
375	नीचे से 16	में	मैं

विषय–सूची

[द्वादश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 4, सोमवार, 1 जून, 1998/11 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 63 और 66	1—28
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 64, 65 और 67 से 80	28—51
अतारांकित प्रश्न संख्या 643 से 872	51—274
इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक पर हमले के बारे में	275—276
श्री शरद पवार	275
श्रीमती वसुन्धरा राजे	275—276
सभा पटल पर रखे गए पत्र	276—282
सभा की बैठक के बारे में घोषणा	282
समितियों का निर्वाचन	282—283
कार्यमंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	283
प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक—*पुरःस्थापित*	284
नियम 377 के अधीन मामले	284—289
(एक) मध्य प्रदेश और राजस्थान के अफीम उत्पादकों की फसलों को ओलावृष्टि के कारण हुई हानि के लिए उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिए जाने और उनके लाइसेंसों के नवीकरण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	284—285
(दो) मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश में छः कम्प्यूटर आरक्षण काउंटर खोले जाने की आवश्यकता	
श्री अमर पाल सिंह	285
(तीन) मध्य प्रदेश के बिलासपुर सहित सभी जिलों में उन लोगों को, जिनकी फसलें भारी वर्षा और ओलों के कारण प्रभावित हुई हैं, राहत प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।	
श्री पुन्नू लाल मोहले	285
(चार) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और ऊना जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश चन्देल	285—286
(पांच) नाभिकीय विस्फोटों के दुष्परिणामों पर निगरानी रखने के लिए विशेषज्ञों का दल भेजकर पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाने और जैसलमेर जिले में पोखरण के लोगों को विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता	
कर्नल सोना राम चौधरी	286—287

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कालम

(छः) 23-29 अक्तूबर, 1996 के दौरान हड़ताल में भाग लेने वाले विभागेत्तर एजेंटों की शिकायतें दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री एस॰ अजय कुमार 287

(सात) बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मशरख या बनियापुर में बिजलीघर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह . . . . 287—288

(आठ) एस॰सी॰सी॰एल॰ की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से ब्याज के बकाया 663 करोड़ रुपये माफ किए जाने की आवश्यकता

श्री के॰ येरननायडू 288

(नौ) मुम्बई, महाराष्ट्र स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर झोपड़-पटटी वासियों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने संबंधी महाराष्ट्र राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुकर सरपोतदार . . . . 288—289

(दस) केरल के कोल्लम जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन 289

(ग्यारह) नारियल का समर्थन मूल्य 5,000 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किए जाने और किसानों से खोपरा खरीदने के लिए "नेफेड" और अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी॰ शंकरन 289

नियम 193 के अधीन चर्चा

किसानों को उनके कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्यों का भुगतान न किए जाने के कारण देश के विभिन्न भागों में उनके द्वारा की गई आत्महत्या की घटनाएं . . . . 305—354

श्री विलास मुत्तेमवार . . . . 306—312

श्री अमर पाल सिंह 312—315

श्री बलराम जाखड़ . . . . 315—327

श्री वारकला राधाकृष्णन . . . . 327—333

श्री मधुकर सरपोतदार . . . . 334—344

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह . . . . 344—348

श्री राजवीर सिंह . . . . 348—352

श्री नादेन्दला भास्कर राव . . . . 353—354

टेलीफोन तथा गैस कनेक्शन आवंटित किए जाने के बारे में घोषणा 355

बजट (सामान्य)-1998-99—*प्रस्तुत* . . . . 355—396

श्री यशवंत सिन्हा . . . . 355—396

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1998—*पुरःस्थापित* 396

लोक सभा

सोमवार, 1 जून, 1998/11 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

टेलीफने कनेक्शन

\+

*61. **श्री डी॰एस॰ अहिरे :**

श्री विजय कुमार "विजय" :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1998 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा-सूची में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज थे;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन आवंटित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र आवंटित करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) 30.4.1998 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान देश में 29 लाख नए टेलीफाने कनेक्शनों के लक्ष्य की तुलना में 32.59 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए। यह संख्या, वर्ष 1996-97 (25.64 लाख लाइनें) के दौरान प्रदान किए गए कनेक्शनों की संख्या से 27 प्रतिशत अधिक है। नौवी पंचवर्षीय योजना में, वर्ष 1998-99 के लिए 33 लाख नए टेलीफोन कनेक्शनों का प्रस्ताव किया गया था जिसे वार्षिक योजना 1998-99 में संशोधित करके 36 लाख कर दिया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही नहीं बल्कि इससे भी अधिक कनेक्शन प्रदान करने के सभी प्रयास किए जाएंगे।

विवरण-I

30.4.1998 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या

क्र॰सं॰	राज्य	प्रतीक्षा-सूची
1.	आंध्र प्रदेश	219569
2.	असम	23189
3.	बिहार	65326
4.	गुजरात (दादर, दीव, दमण तथा नगर हवेली)	243522
5.	हरियाणा	100183
6.	हिमाचल प्रदेश	44484
7.	जम्मू-कश्मीर	30975
8.	कर्नाटक	123316
9.	केरल (संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप सहित)	682779
10.	मध्य प्रदेश	42193
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	207919
12.	उत्तर पूर्व (अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा)	11350
13.	उड़ीसा	24577
14.	पंजाब (संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ सहित)	202315
15.	राजस्थान	147293
16.	तमिलनाडु (संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी सहित)	329212
17.	उत्तर प्रदेश	153812
18.	पश्चिमी बंगाल (सिक्कम, अंडमान तथा निकोबार सहित)	148303
19.	दिल्ली	2251
	जोड़	2802568

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की राज्यवार संख्या

क्र॰सं॰	राज्य	आवंटित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या		
		1995-96	1996-97	1997-98
1.	आंध्र प्रदेश	150021	153606	216487
2.	असम	20295	18003	36477
3.	बिहार	33115	52368	66294
4.	गुजरात (दादर, दीव, दमन और नगर ह वेली सहित)	134832	163053	213824
5.	हरियाणा	52486	60800	73081
6.	हिमाचल प्रदेश	30212	31452	40176
7.	जम्मू तथा कश्मीर	5988	15945	20819
8.	कर्नाटक	139694	189608	254378
9.	केरल (लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र सहित)	154033	172775	230010
10.	मध्य प्रदेश	81275	75541	102692
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	418131	458260	501441
12.	पूर्वोत्तर (अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित)	16433	18056	23030
13.	उड़ीसा	31014	32505	67178
14.	पंजाब (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सहित)	143569	153560	165969
15.	राजस्थान	100672	113518	147632
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित)	207452	290082	364546
17.	उत्तर प्रदेश	151336	216912	313918
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम और अंडमान-निकोबार सहित)	112463	145052	240152
19.	दिल्ली	200070	203160	180941
	जोड़ :	2183091	2564256	3259045

[अनुवाद]

श्री डी॰एस॰ अहिरे : अध्यक्ष महोदय, दी गई जानकारी से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार नये कनेक्शन देने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए लोग वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, यह एक व्यापक सूची है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के कनेक्शन और छोटे शहरों के कनेक्शन भी शामिल हैं। यह केवल महानगरों की सूची नहीं है। यह राज्यवार, सर्किल-वार एक व्यापक सूची है। इस सूची में ऐसे टेलीफोन कनेक्शन शामिल हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में अपेक्षित हैं।

श्री डी॰एस॰ अहिरे : महाराष्ट्र मे मेरे निर्वाचन क्षेत्र, धुले में प्रतीक्षा सूची नवम्बर, 1996 से लंबित पड़ी है। जिन लोगों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं, उन्हें अभी तक टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। क्या माननीय मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करेंगी?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दे दिया गया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : प्रतीक्षा सूची में 10 माह से लेकर ढाई वर्ष तक लग सकते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है कि कुछ टेलीफोन कनेक्शन होने चाहिए जिसके लिए वह पिछले दो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन दिये जायें जहां पिछले कई वर्षों से टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची चल रही है।

श्री सुधीर गिरि : महोदय अनुबंध-दो में दिये गये उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 1995-96 से लेकर 1997-98 तक की अवधि के दौरान लगभग 80,06,392 कनेक्शन दिये गए। इनमें से काफी अधिक कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में दिये गये हैं। पिछली सरकार द्वारा किए गये वायदे के अनुसार प्रत्येक गांव में टेलीफोन कनेक्शन दिए गये हैं। लेकिन घटिया क्वालिटी के उपकरणों के कारण वे कनेक्शन बेकार हो गये हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि

क्या उन आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी जिन्होंने घटिया स्तर के उपकरणों की आपूर्ति की थी और क्या गांव में लगे उन टेलीफोनों को उचित समय पर ठीक कर दिया जायेगा?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मैं घटिया स्तर के उपकरणों की शिकायतों की जांच करूंगी और हम सुधारात्मक और उपचारात्मक उपाय करेंगे।

श्री पी॰एस॰ गढ़वी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में यह बताया है कि 30.4.98 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं। गुजरात के मामले में 2,43,522 लोग प्रतीक्षा सूची में हैं। मेरा कच्छ जिला देश में तीसरा सबसे बड़ा जिला है जोकि पाकिस्तान की सीमा के पास है। इस परमाणु विस्फोट के बाद मेरे जिले पर युद्ध का खतरा हमेशा बना हुआ है। यद्यपि मेरे जिले में सेना कार्मिक और सुरक्षाकर्मी काफी अधिक संख्या में हैं तथापि वहां टेलीफोन सुविधा की कमी है जोकि लगभग 30 प्रतिशत है। जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि उनके पास न तो सामग्री है और न ही कार्मिक। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह परमाणु विस्फोट के परिप्रेक्ष्य में इस जिले के लिए विशेष रूप से कुछ करेंगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : भविष्य में माननीय मंत्री जी को हमारी ओर से यह उत्तर कभी नहीं मिलेगा कि हमारे पास कोई सामग्री नहीं है अथवा हमारे पास कोई उपकरण नहीं हैं।

माननीय सदस्य यह बात संचार मंत्री के ध्यान में लाये हैं और संचार मंत्री के रूप में मैं यह कह रही हूं कि उनके जिले को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : क्या मंत्री महोदया यह बतायेंगी कि सिर्फ कनेक्शन दे देना ही जरूरी है या उसे चलाना भी जरूरी है? मैंने देखा है कि गांवों की बात तो छोड़िये, छोटी-छोटी नई मंडियों के टेलीफोन एक्सचेंज भी काम नहीं कर रहे हैं। क्या आप उनके सुधार की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय सदस्य ने बहुत ही वाजिब प्रश्न उठाया है और यह मेरी चिन्ता भी है कि केवल कागज से वेटिंग लिस्ट डिलीट कर देना और वहां जाकर इन्स्टूमैंट लगाकर कह देना कि टेलीफोन लग गया, कई बार तो केवल ओ॰बी॰ निकालकर ही वेटिंग लिस्ट में से नाम डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन ओ॰बी॰ निकले, उसके बाद इन्स्टूमैंट लगे और वह चले, जब तक इन्स्टूमैंट वर्किंग कंडीशन में नहीं होता, हम नहीं मानेंगे कि वह टेलीफोन चल रहा है। मैं इसके लिए विशेष प्रयास कर रही हूं। जाखड़ जी को इसका आश्वासन देना चाहूंगी।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 1996 की वेटिंग लिस्ट चल रही है। उसके बाद भी जिनको ओ॰बी॰ इशू हो गयी, मैं बूंदी, कोटा डिस्ट्रिक्ट की बात कहना चाहूंगा, कोटा मेरी पार्लियामेंट्र कांस्टीट्एंसी है, उसमें ओ॰बी॰ इशू होने के बाद भी कनैक्शन नहीं लग रहे हैं। कोटा जिले के इटावा, नैनवा, सौसवाली, सांग्रोल और सुल्तानपुर में दो-दो महीने तक टेलीफोन सेवाएं डिस्टर्ब रहती हैं, हम बात नहीं कर पाते। ऐसे एरियाज को आप टेलीफोन तो देते हैं लेकिन उनकी सर्विस को बैटर करने के लिए कुछ नहीं किया जाता। जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वे लिखित में नहीं वैसे ही कहते हैं कि उनके पास इंस्ट्रूमैंट नहीं है। क्या आप उन एरियाज को प्रॉयरिटीज देंगी और जहां इन्स्टूमैंट नहीं हैं, उनकी पूर्ति के लिए यथासंभव शीघ्र प्रयास करेंगी ताकि दो-दो तीन-तीन महीने से जो टेलीफोन कनेक्शन डैड पड़े रहते हैं, उनको ठीक किया जा सके।

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब मैंने अभी जाखड़ जी के सप्लीमैंट्री प्रश्न के उत्तर में दिया है। हालांकि उन्होंने ओ॰बी॰ प्रश्न नहीं उठाया था, तो भी मैंने स्वयं यह प्रश्न उठाकर कि केवल इंस्ट्रूमैंट लगा दिया, वह चल नहीं रहा है, यही शिकायत नहीं है। यह भी शिकायत है कि ओ॰बी॰ क्लीयर हो गई, ओ॰बी॰ यहां से निकाल दी और हमारे यहां वेटिंग लिस्ट में से नाम डिलीट कर दिया गया। लेकिन मुझे मालूम है कि लोग ओ॰बी॰ के कागज लेकर घूम रहे हैं और अभी तक इंस्ट्रूमैंट नहीं लगी। आपका कहना ठीक है कि राजस्थान में 1996 की वेटिंग लिस्ट चल रही है। देश में और भी ऐसे राज्य हैं जहां अभी सवा दो साल या ढाई साल की भी वेटिंग लिस्ट चल रही है।

मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं कि केवल ओ॰बी॰ के अगेन्सट टेलीफोन लगेंगे ही नहीं, बल्कि लगे हुए टेलीफोन चलेंगे और मैंने यह कहा कि अब अधिकारी आपको यह जवाब नहीं देंगे कि हमारे पास इंस्ट्रूमैंट नहीं है। विशेष तौर पर हम इस बात की चिन्ता कर रहे हैं कि जो टेलीफोन लगें, वे सही ढंग से काम भी करें।

[अनुवाद]

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन : अध्यक्ष महोदय, केरल में 6,82,779 लोग प्रतीक्षा सूची में हैं। प्रेस में एक सरकारी वक्तव्य दिया गया है कि वर्ष 1998 के अंत तक उन सभी लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जायेंगे जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है अथवा नहीं।

ग्रामीण एक्सचेंज और शहरी एक्सचेंज का वर्गीकरण किया गया है। ग्रामीण एक्सचेंज और शहरी एक्सचेंज में कई विसंगतियां हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण एक्सचेंज और शहरी एक्सचेंज का निर्धारण करने का मानदंड क्या है? क्या इन विसंगतियों को दूर किया जायेगा?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि केरल में प्रतीक्षा सूची काफी लंबी है। इसमें लगभग 6 लाख अथवा इससे भी अधिक लोग हैं। लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि केरल में टेली डेनसिटी बहुत अधिक हैं। टेली डेनसिटी क्या है? यह प्रत्येक 100 निवासियों को दिया गया टेलीफोन कनेक्शन है। देश में औसत टेली डेनसिटी 1.84 है जबकि केरल में यह 3.38 है। इसका अर्थ यह है कि अच्छी अर्थव्यवस्था का उदाहरण देते हुए केरल में इसकी मांग काफी अधिक है जबकि टेली डेनसिटी काफी ज्यादा है। मैं अपने

माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि सर्किलवार भी इस बार केरल में यह सर्वाधिक है। हमने वर्ष 1998-99 के लिए 3,25000 टेलीफोन कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है।

इसलिए समाचार पत्र की यह खबर सही नहीं है कि 1998 के अंत तक संपूर्ण सूची को समाप्त कर दिया जायेगा और केरल में 3,25,000 टेलीफोन कनेक्शन दिए जाएंगे।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन : महोदया, ग्रामीण एक्सचेंज की क्या स्थिति है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष जी, इस सूची में जो 1997-98 में टेलीफोन दिए गए हैं, मैं मंत्री जी का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं कि विशेषरूप से जम्मू-कश्मीर के अन्दर 20,819 टेलीफोन कनैक्शन दिये गये हैं और नोर्थ ईस्ट के अन्दर भी 23,000 के करीब टेलीफोन कनैक्शन दिये गये हैं। ये दोनों प्रदेश ऐसे हैं कि जो पूरी तरह से इंसरजेंसी से ग्रस्त हैं। यहां तक हुआ है कि पर्णकोट के अन्दर जब 26 लोगों को उग्रवादियों ने मार दिया था तो उसके तीसरे दिन सरकार को खबर मिली के वे मारे जा चुके हैं। इसी तरह से हमारा बोर्डर का इलाका है, बहुत सारे क्षेत्र हैं कि जहां किसी तरह का कोई एक दूसरे को सूचना देने का साधन ही नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं, उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इन प्रदेशों की तरफ, यहां संचार का और कोई साधन ही नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर कोई प्रायरटी तय करेंगे ताकि लोगों को कम से कम कम्युनिकेशन सुविधा सम्भव हो सके?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, जहां तक टेलीफोन नम्बर दिये जाने का सम्बन्ध है, वह डिमाण्ड पर आधारित होता है, लेकिन जो चिन्ता चमन लाल जी ने व्यक्त की है, माननीय सदस्य की इस चिन्ता से मुझे लगता है कि सारा सदन सहमत होगा। जहां तक इंसरजेंसी और मिलिटेंसीग्रस्त इलाकों का सवाल है, वहां बाकी साधन कट जाते है। तो केवल एक संचार साधन टेलीफोन का रहता है। ऐसे क्षेत्रों को विशेष तवज्जह देकर हम आपके यहां और नोर्थ ईस्ट में टेलीफोन सुविधा को सुधारेंगे और ज्यादा संचार सुविधाएं प्रदान करेंगे, इसका आश्वासन मैं आपके माध्यम से सदन को देना चाहती हूं।

[अनुवाद]

श्री ए॰सी॰ जोस : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि केरल में छः लाख से अधिक टेलीफोन प्रतीक्षा सूची में हैं और इस वर्ष केवल तीन लाख कनेक्शन दिए जायेंगे। महोदय, वर्तमान प्रणाली काफी पुरानी है क्योंकि विभाग प्रतीक्षा सूची के आधार पर सुनियोजित विकास करता है। मेरा सुझाव यह है कि माननीय मंत्री जी अपने विभाग को अनुदेश दे सकती हैं ताकि अनुमानों के आधार पर विकास किया जा सके। जहां कहीं भी आवश्यक हो, यह पूर्णतः प्रतीक्षा सूची पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति ने टेलीफोन कनैक्शन के लिए अपना नाम दर्ज कराया था, उसे संभवतः तीन से चार वर्ष अथवा इससे भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री ए॰सी॰ जोस, कृपया आप अपने अनुपूरक प्रश्न पर आयें।

श्री ए॰सी॰ जोस : मेरा प्रश्न यह है कि क्या विभाग प्रत्येक क्षेत्र का विस्तार और विकास उस क्षेत्र की आवश्यकता के वैज्ञानिक अनुमान के आधार पर करेगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं माननीय सदस्य जी को यह बताना चाहूंगी कि आयोजना प्रतीक्षा सूची के आधार पर नहीं की जाती, आयोजना की जाती है अनुमान के आधार पर। हमने केरल में विस्तार कार्यक्रम शुरू किया है। हम केरल में सभी उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर रहे हैं। यहां तक कि हम 'बिल' (डब्ल्यू आई एल एल) योजना का भी प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए केरल में एक प्रायोगिक परियोजना भी स्वीकृत की गई है। माननीय सदस्य को हम यह विश्वास दिलाते हैं कि हम केवल मांग के आधार पर ऐसा नहीं कर रहे हैं अपितु हम वास्तव में अनुमानों के आधार पर ऐसा कर रहे हैं।

सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं

*62. **श्री वी॰वी॰ राघवन :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने यह पता लगाया था कि दूरसंचार विभाग द्वारा चार महानगरों, दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं के संचालन हेतु आठ गैर-सरकारी कम्पनियों को लाइसेंस देते समय चूक करने के फलस्वरूप 837 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) दूरसंचार विभाग को, जनवरी, 1998 में एक संशोधित ड्राफ्ट आडिट पैरा प्राप्त हुआ था जिसमें चार महानगरों के निजी प्रचालकों को स्वीकृत लाइसेंसों के लिए लाइसेंस शुल्क के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण 467.36 करोड़ रु॰ के कल्पित घाटे के एक मामले का पता चला है।

(ख) संशोधित ड्राफ्ट आडिट पैरा का सारांश संलग्न विवरण के पैरा-1 में दिया गया है। पैरा-2 में 1992 की प्रक्षिप्त मांग के आधार पर लाइसेंस शुल्क निर्धारण किए जाने के कारण तथा उस समय लागू कॉल प्रभारों को दर्शाया गया है। यह मामाला अभी भी आडिट के विचाराधीन है।

विवरण

1. जनवरी, 1998 में प्राप्त संशोधित ड्राफ्ट आडिट पैरा

"अन्ड्यू बेनीफिट ऑफ रुपीज 467.36 करोर्स टु मैट्रो सेल्यूलर आपरेटर्स" शीर्षक के तहत ड्राफ्ट आडिट पैरा में महानिदेशक (लेखा परीक्षा) के तर्क का सारांश निम्नवत् है :

दूरसंचार विभाग ने चार महानगरों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन की मांगों का यथार्थ अनुमान नहीं लगाया तथा प्रथम तीन वर्षों के लिए, एक बोलीदाता द्वारा काफी कम आंकी गई मांग के आधार पर एकमुश्त वार्षिक लाइसेंस शुल्क निर्धारित कर दिया। इस विभाग ने लाइसेंस करार में उन उपर्युक्त प्रावधानों को भी शामिल नहीं किया जिनसे प्रथम तीन वर्षों के दौरान, अनुमान से अधिक मांग होने की दशा में अधिक लाइसेंस शुल्क वसूलने की बात कही गई थी। इसके फलस्वरूप चार महानगरों के सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन प्रचालकों को लाइसेंस शुल्क के निर्धारण में अनुचित रूप से 354.47 करोड़ रु॰ से भी अधिक का लाभ हुआ। दूरसंचार विभाग ने यूनिट कॉल दर को बढ़ाकर किन्तु एक मुश्त लाइसेंस शुल्क में वृद्धि न करके निजो प्रचालकों को भी 112.89 करोड़ रु॰ का लाभ पहुंचाया।"

2. उपर्युक्त पैरा (1) में महानिदेशक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिए गए तर्क, दूरसंचार विभाग को निम्न कारणवश स्वीकार्य नहीं हैं;

(1) जी॰एस॰एम॰ मानको पर आधारित 90 के दशक के प्रारंभ में चार महानगरों में प्रदान की जाने वाली सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा, यहां तक कि विश्वस्तरीय मानकों पर आधारित एक नई सेवा थी। ऐतिहासिक आंकड़ों का ऐसा कोई आधार नहीं था जिसके अनुसार सही-सही मांग का अनुमान लगाया जा सके। अधिक से अधिक ग्राहकों की संख्या तथा उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले परियात अर्थात् एयर टाइम का मोटे तौर पर अनुमान लगाकर लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया जा सकता था। सरकार की यह रुचि थी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं घरेलू बाजार में सेल्यूलर फोन के व्यापार में पूंजी निवेश के लिए दूरसंचार क्षेत्र का उदारीकरण किया जाए। अतः दूरसंचार विभाग के पास इतना समय नहीं था कि वह सही मांग, उसकी विकास दर, परियात को मात्रा आदि का सही-सही पता लगाने के लिए बाजार अनुसंधान का कार्य निष्पादित कर सके तथा सही शुल्क का निर्धारण कर सके क्योंकि इसमें काफी समय लगता है। इस प्रकार की स्थिति में कुछ गलतियां अपरिहार्य होती हैं तथा इसे सामान्य व्यापारिक जोखिम माना जाना चाहिए।

(2) सरकार का उद्देश्य इस नए व्यापार को बढ़ाना था, जिसे विदेशी निवेश की दृष्टि से बहुत आकर्षक समझा गया था। आरंभिक वर्षों में बहुत अधिक लाइसेंस शुल्क निश्चित करने से बाजार मांग में रूकावट उत्पन्न हो सकती थी जिससे ट्रैफिक वॉल्यूम की दृष्टि से राजस्व की हानि होती। सेल्यूलर बाजार की कीमतों में बहुत लचीलापन है। इसलिए पहले तीन वर्षों के दौरान पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए पूर्वनिर्धारित निश्चित राशि प्रभार के रूप में ली गई थी। तथापि, शेष सात वर्षों के लिए उपभोक्ताओं की वास्तविक संख्या के आधार पर लाइसेंस शुल्क का परिकलन किया जाना है। पहले तीन वर्षों के लिए पूर्व निर्धारित निश्चित राशि प्रभार के रूप में लिए जाने का एक अन्य कारण देश में उभरते हुए इस नए बाजार के बारे में निवेशकों के दिमाग में उत्पन्न अनिश्चितता को हटाना था। बाजार में पर्याप्त स्थिरता आने के बाद जिसकी अवधि तीन वर्ष होने का अनुमान लगाया गया था। लाइसेंस शुल्क उपभोक्ताओं को वास्तविक संख्या पर आधारित होगा।

(3) 467.36 करोड़ रुपए की अनुमानित हानि पूर्णतः कल्पित है। यदि कम लाइसेंस शुल्क की बात को मान लें तो चूंकि सेल्यूलर बाजार की कीमतों में बहुत लचीलापन है, इसलिए निःसंदेह कम लाइसेंस शुल्क का परिणाम यह हुआ कि निजी प्रचालकों ने ग्राहकों को वाजिब सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव किया जिससे सेल्यूलर सेवा की मांग तथा उसके इस्तेमाल में अत्यधिक वृद्धि हुई। सामान्यतः संचालित अधिकांश परियात दूरसंचार विभाग के दूरसंचार नेटवर्क से होकर गुजरता है। सेल्यूलर नेटवर्क तथा दूरसंचार विभाग के बीच इस अतिरिक्त परियात से दूरसंचार विभाग को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा क्योंकि निजी प्रचालकों को दूरसंचार विभाग के नेटवर्क में की जाने वाली कालों के लिए उसे भुगतान करना होता है। यदि इस अतिरिक्त राजस्व को शामिल कर लिया जाए तो काल्पनिक घाटे जैसी कोई बात ही नहीं होगी। अन्य सर्किलों में अनुभव से यह पता चला है कि अधिक लाइसेंस शुल्क रखने से निश्चित रूप से बाजार में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है जिससे ग्राहक कम हो जाते हैं। कम परियात का अर्थ है निजी प्रचालकों तथा दूरसंचार विभाग दोनों के लिए कम राजस्व-अर्जन जिससे दूरसंचार उद्योग पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

श्री वी॰वी॰ राघवन : इसके साथ संलग्न उत्तर और स्पष्टीकरण नोट एक स्पष्ट उदाहरण है कि दूरसंचार विभाग ने चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को कैसे पुरस्कार देने का प्रयत्न किया। लाइसेंस शुल्क को उपभोक्ताओं की वास्तविक संख्या से जोड़ा जाना चाहिए। यही नवीनतम तरीका है। दूरसंचार विभाग का उन पर नियंत्रण है। किंतु दूरसंचार विभाग ने वह नहीं किया। इसके बजाए उन्होंने उपभोक्ताओं की अनुमानित संख्या पर लाइसेंस शुल्क तय कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक संख्या दूरसंचार विभाग के अनुमानों की तुलना में पांच गुणा हो गयी।

पुनः कंपनियों ने सब्सक्रिपशन शुल्क में दस सैकण्ड के लिए 1.10 रुपये से 1.40 रुपये तक अर्थात् 27 प्रतिशत की वृद्धि कर दी, किंतु लाइसेंस शुल्क में उसके अनुरूप प्रावधान नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइए।

श्री वी॰वी॰ राघवन : महोदय, यह प्रश्न का एक भाग है। इसी के अनुसार लाइसेंस शुल्क में भी वृद्धि की जानी चाहिए। यहां दूरसंचार विभाग के अधिकारियों की चूक है। क्या माननीय मंत्री महोदय व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करेंगे कि वास्तव में इस चूक के लिए

कौन जिम्मेदार है? डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी यहां बैठे हुए हैं। वह जानते हैं कि वे (अधिकारीगण) लेखा परीक्षा की आपत्तियों की गंभीरता से जांच नहीं करते वे लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की जांच की भी परवाह नहीं करते। डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी से पूछिए क्योंकि दूरसंचार विभाग के ऐसे उदाहरण उनके पास बहुत हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य श्री राघवन को बताना चाहूंगी कि वे आश्वस्त हो जाएं कि हम यहां किसी भी डी॰ओ॰टी॰ के अधिकारी को बचाने के लिए उत्तर नहीं दे रहे हैं। जहां तक लाइसेंस फी का सवाल है, मैं आपके माध्यम से सदन को बता दूं कि जब लाइसेंस फी तय करने का सवाल आया, तब हिन्दुस्तान में सेलुलर फोन पहली बार आ रहा था, इसलिए यह सोचा गया कि पता नहीं सेलुलर फोन की डिमांड आएगी या नहीं आएगी। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते हैं, सेलुलर लाना चाहते हैं तो दस साल की लाइसेंस फी तय करते हुए ऐसा करें कि पहले तीन सालों में कुछ फिक्स कर दें और अगले तीन सालों के बाद उसको कस्टमर नम्बर से जोड़ दें। शुरू में फिक्स लाइसेंस फी पर सेलुलर आपरेटर आ जाएंगे और बाजार में डिमांड क्रिएट हो जाएगी, फिर तीन साल के बाद प्रति कस्टमर पांच या छः हजार रुपये जो भी विभाग तय करेगा, उसके हिसाब से लाइसेंस फी ले ली जाएगी। शुरू के तीन सालों में कुछ कम लाइसेंस फी रखकर एक नई डिमांड क्रिएट करने की दृष्टि से सेलुलर का अट्रेक्शन देश में लाने की दृष्टि से यह फैसला किया गया। उस पर आडिट पैरा बना है। मैं राघवन जी से कहना चाहूंगी आडिट पैरा की तरफ कोई इनडिफरेंट एटीट्यूट विभाग नहीं ले सकता और लेता है तो बहुत गलत है।

लेकिन अपनी ओर से मैं आश्वासन देना चाहूंगी कि वह पैरा अभी ड्राफ्ट ऑडिट पैरा है। ड्राफ्ट ऑडिट पैरा के बारे में जो बातें मैंने यहां कही हैं, वे हमने सी॰ए॰जी॰ को लिखकर भी भेजी हैं। अभी तक वहां से जवाब नहीं आया है। हमें लगता था कि अगर डिपार्टमेंट की बात सी॰ए॰जी॰ मानेंगे तो ऑडिट पैरा ड्रॉप हो जायेगा और अगर ऑडिट पैरा ड्रॉप नहीं होगा तो इसमें जिसकी भी जिम्मेदारी बनेगी, वह जिम्मेदारी बाकायदा तय की जायगी। उसके ऊपर कार्रवाई होगी लेकिन वह ऑडिट पैरा अभी नहीं बना है, अभी सिर्फ ड्राफ्ट ऑडिट पैरा है और जो बातें हमने यहां कही हैं, वही चीजें हमने पत्र में लिखकर सी॰ए॰जी॰ को भेजी हैं।

[अनुवाद]

श्री वी॰वी॰ राघवन : महोदय मुझे बहुत खुशी है कि दूरसंचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार श्रीमती सुषमा स्वराज के पास है। मेरा अनुरोध है कि कृपया इस विभाग को अधिक समय दें। भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण और दूरसंचार विभाग के बीच में अप्रिय संघर्ष है। यह बहुत अंवाछित रूप ले चुका है। संघर्ष जारी है। कृपया हस्तक्षेप करें और यथाशीघ्र इस संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास करें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, पहले तो मैं बता दूं कि माननीय सदस्य यह चिंता न करें कि आई॰ एण्ड बी॰ के रहते हुए मेरा ध्यान टेलीकम्युनिकेशन पर नहीं है। आप जो पूछेंगे, उसका जवाब आपको मिलेगा। आपने टी॰आर॰ए॰आई॰ के बारे में कहा, हालांकि यह सवाल उससे बिल्कुल संबंधित नहीं है लेकिन उनकी शंका का समाधान करने के लिए कि वाकई टेलीकम्युनिकेशन की पकड़ मुझे है, मैं जवाब दे सकती हूं तथा मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई टसल टी॰आर॰ए॰आई और डी॰ओ॰टी के बीच नहीं है। टी॰आर॰ए॰आई॰ और डी॰ओ॰टी॰ के बीच में इंटरप्रिटेशन पर बहस चल रही है कि क्या गवर्नमेंट एज ए लाइसेंसर टी॰आर॰ए॰आई॰ के नीचे है या गवर्नमेंट ओनली एज ए सर्विस प्रोवाइडेड टी॰आर॰ए॰आई॰ के नीचे हैं? इस इंटरप्रिटेशन के मसले पर हम लोग हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट में सुनवाई खत्म हो चुकी है तथा जजमेंट रिजर्व्ड है। चूंकि इसकी इंटरप्रिटेशन गवर्नमेंट और टी॰आर॰ए॰आई आपस में तय नहीं कर सकते। लाइसेंसर भी उनके नीचे है। कोर्ट जजमेंट लिख चुकी है और इसलिए आउट ऑफ दि कोर्ट सैटिलमेंट इंटरवेंशन से भी नहीं हो सकता। इसलिए वह इंटरप्रिटेशन हाईकोर्ट दे, हमने यह मसला हाईकोर्ट में दिया है। दूसरा कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ व्याख्या का झगड़ा है। इंटरप्रिटेशन जिस दिन हाइकोर्ट से आ जाएगी, उस दिन वह झगड़ा समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल यह चिंता मत करिए कि आई॰ एण्ड बी॰ के रहते हुए टेलीकम्युनिकेशन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय संशोधित प्रारूप लेखा परीक्षा पैरा में "बोली दाताओं में से एक के द्वारा मांग को नितांत कम करके आंके जाने" का उल्लेख है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

समझौते में एक प्रावधान है कि पहले तीन वर्षों में शुल्क बढ़ाया नहीं जा सकता। प्रारूप लेखा परीक्षा पैरा कहता है : "यदि प्रथम तीन वर्षों के लिए वास्तविक मांग अनुमानों से अधिक थी, तो यह उच्च लाइसेंस शुल्क लगाने के लिए लाइसेंस समझौतों में उपयुक्त प्रावधानों को सम्मिलित करने में भी असफल रहा। इसके कारण दूरसंचार विभाग को भारी घाटा हुआ।"

मैं माननीय मंत्री जी से इन दो पहलुओं की जांच करने का अनुरोध करना चाहता हूं। इस प्रारूप लेखा परीक्षा पैरा के आधार पर विभाग जिम्मेदारी तय कर सकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, जो बात माननीय सदस्य ने उठाई है, यह वही है जो ड्राफ्ट ऑडिट पैरा में लिखी गई है। कोई नई बात उन्होंने नहीं उठाई है और उसी का जवाब शुरू में मैंने दिया है। शुरू में यह पता नहीं था कि डिमाण्ड कितनी होगी, यह जरूर है कि जो डिमाण्ड उस समय सोची गई, उसके एकॉर्डिंगली डिमाण्ड बहुत

ज्यादा बढ़ गई, इसलिए आज आप ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि अंडर प्रोजेक्टेड चीज आपने रखी, आपने अंडर एस्टीमेट किया। निश्चित तौर पर बाद में ऐसा लगा कि अंडर एस्टीमेट किया गया लेकिन जहां तक बढ़ाने का सवाल है, तीन साल के बाद फीस बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। दस साल की लाइसेंस फी हम तय कर रहे थे, तीन साल की नहीं तय कर रहे थे। तीन साल के अंदर हमने बढ़ाने का प्रावधान नहीं रखा। जब दस साल की लाइसेंस फी हम तय कर रहे थे जिसमें यह प्रावधान रखा कि तीन साल तक डिमाण्ड एस्टैब्लाइज कर जाएगी, इसलिए तीन साल के बाद हम उसे कस्टमर से जोड़ देंगे, तीन साल के बीच में नहीं रखा, उसी के लिए तो पैरा बना और जो जवाब हमने यहां दिया है, वही जवाब हमने उन्हें लिखकर भेजा हुआ है। उनका उत्तर आने दीजिए, लायबिलिटी तो तभी फिक्स होगी, जिम्मेदारी तभी फिक्स होगी जब पैरा बनेगा। अभी ड्राफ्ट पैरा बना है। अभी सी॰ए॰जी॰ ने ऑडिट पैरा नहीं बनाया है। हमारा जो जवाब है, अगर उससे सी॰ए॰जी॰ संतुष्ट होंगे तो पैरा ड्रॉप कर देंगे। नहीं तो पैरा बनायेंगे और उसके बाद रिसपांसिबिलिटी फिक्स करने की बात आएगी। आज अभी कोई अपोर्च्यून मोमेंट रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने का नहीं है।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो सालों में देश में बड़े पैमाने पर सैल्युलर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जहां तक टैलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और सरकार का सवाल है, उन्हें इसकी फीस दी जाती है। विदेशी कंपनियां या देशी कंपनियां सेल्युलर होल्डर्स को जो सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, वे चार्ज ज्यादा लेती हैं और यह कभी-कभी प्रति मिनट 8 रुपए या 16 रुपए तक लिया जाता है। दो कंपनियों ने सरकार को लाइसेंस फीस देकर अलग-अलग महानगरों में अपना काम शुरू किया है। मैं जानना चाहता हूं, क्या उन्हें आवश्यक इक्विपमेंट्स उन महानगरों में मिले हैं या नहीं?

[अनुवाद]

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन्होंने विभिन्न नगरों और महानगरों में पहले ही आवश्यक उपस्कर स्थापित कर दिए हैं, ताकि सेल्युलर फोन उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि ऐसी कंपनियां सेल्युलर फोन उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने में असफल रहती हैं, तो क्या सरकार या विभाग का उन कंपनियों पर नियंत्रण है। यदि सरकार का ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है, तो सेल्युलर फोन उपभोक्ताओं को जो बहुत ज्यादा शुल्क देते हैं, भारी हानि उठानी पड़ेगी। मैं भी अहमदाबाद में रहने और सेल्युलर फोन रखने वाले उपभोक्ताओं में से एक हूं। मेरा आवासीय क्षेत्र कस्बे अथवा केन्द्रीय क्षेत्र से मुश्किल से तीन किलोमीटर है, किंतु मुझे बेहतर सुविधा नहीं मिल रही है।

अतः मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या विभाग का उन कंपनियों पर कोई नियंत्रण है जिन्होंने उपस्करों का समुचित प्रतिस्थापन नहीं किया है अथवा बेहतर सेवा नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो सवाल उठाए हैं— एक, हायर चार्जिंग के बारे में और दूसरा— सर्विस के बारे में। उसके साथ उन्होंने पूछा है- क्या इन पर सरकार का कन्ट्रोल है या नहीं। जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है, इसमें कैपिंग की बात है कि आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई उससे कम चार्ज करना चाहता है, तो कर सकता है। जहां तक सरकार के कन्ट्रोल का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं, मार्किट में कम्पिटीशन होता है और मार्किट फोर्स तय करती है कि कौन सर्विस प्रोवाइडर रहेगा या नहीं रहेगा। सरकार का कन्ट्रोल तय नहीं करता है। इसके लिए हर सर्किल में दो-दो लोग हैं, आपसी प्रतियोगिता चल रही है और अगर कस्टमर सर्विस से संतुष्ट होगा, तो सेल्युलर रखेगा, वरना वापिस कर देगा तथा दूसरे से संतुष्ट रहेगा, तो उससे करेगा। यह सही है कि इस तरह की शिकायतें आती हैं, उसके ऊपर सरकार जरूर ध्यान देती है। प्राइवेटाइजेशन में कन्ट्रोल नहीं होता है, कम्पिटीशन तय करता है कि कौन सर्विस प्रोवाइडर रहेगा या नहीं रहेगा।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : पहले मैं लेखा परीक्षा और सरकार के प्रारूप उत्तर की चर्चा करता हूं। यहां दो मुख्य मुद्दे हैं। पहला कम शुल्क है, जो बोली दाताओं में से एक के द्वारा तय किया गया था। यह बहुत ही गंभीर आरोप है। लेखा परीक्षा को पूर्ण करवाने से पहले सरकार को जांच करनी चाहिए कि क्या एक विशेष बोलीदाता ने मांग को कम करके उठाया था। यही लेखा परीक्षा में पहला आरोप है।

दूसरा आरोप यह है कि जब कालों की दर में वृद्धि की गई थी, तब सेल्युलर फोन देने वालों ने अत्यंत अधिक राजस्व प्राप्त किया था। उस समय भी लाइसेंस शुल्क बदलने का कोई प्रश्न नहीं था। सरकार को गंभीरता से इसकी जांच करनी चाहिए।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अथवा अन्य किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को सेल्युलर फोन के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देंगे। तत्काल, उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जाती है किंतु महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड इसमें प्रवेश करना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसकी अनुमति देना चाहती है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दे दूं कि एमटीएनएल सैल्युलर फोन में एन्टर करेगा या नहीं। यह मामला पहले ही कोर्ट में है। टी॰आर॰ए॰आई वाला सवाल इसी से संबधित है और कोर्ट का जजमेंट अवेटेड है। आर्ग्युमेंट तथा सुनवाई हो चुकी है एमटीएनएल सेल्युलर फोन के क्षेत्र में एन्टर करना चाहता है। इस पर रोक लगी थी और यह मामला कोर्ट में है। जजमेंट आने के बाद मामला तय हो जाएगा। यह मामला सी॰एंड॰ए॰जी॰ के पास

भी जोरेगौर है। बीडर्स का सवाल भी आया था और प्रोजैक्शन दिया गया था कि केवल 4000 ही लोग सेल्युलर लेंगे।

उस चीज को सामने रख कर, डिमांड मान कर यह कर लिया गया। जो बाकी टेंडर्स हैं, उनमें भी दिखवाया जा रहा है कि बाकी लोगों ने कितनी-कितनी डिमांड की थी। इस बात का जवाब कब आएगा कि एक ही बिडर ने इनफ्लुएंस किया था जो बाकी टेंडर्स थे उनकी क्या स्थिति थी, क्योंकि लगभग सौ टेंडर्स हैं इसलिए हम इसका जवाब देने के लिए दिखवा रहे हैं कि उन सौ टेंडर्स में भी प्रोजेक्शन क्या थी, लगभग बराबर थी या ज्यादा थी, तब इस बात का जवाब आ सकेगा।

[अनुवाद]

श्री पी॰सी॰ थामस : माननीय मंत्री जी का लम्बा उत्तर पर्याप्त है, किंतु हम पाते हैं कि 467.36 करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा पूरी तरह काल्पनिक है। मैं कहूंगा कि यह बहुत गंभीर पहलू है, जिसमें अन्य निजी कंपनियों के साथ कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी सम्मिलित थीं। इस मामले में निधियों के गबन का कम से कम एक प्रयास किया गया है। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि सत्ता पक्ष जो उस तरफ था, वे इस मामले पर ही इस सत्र का लगभग एक माह खराब कर दिया था, जहां बड़े आदमी अथवा अत्यंत प्रभावी व्यक्ति जो अब दुर्भाग्य से सरकार के अति निकट है- गंभीर अपराधों में सम्मिलित थे।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना पूरक प्रश्न रखें।

श्री पी॰सी॰ थामस : उनके विरुद्ध आरोप दाखिल किया जाना है और आगे पूछताछ की जानी है। मैं समझता हूं जब यह मामला है और दूरसंचार के पास निधियों की कमी है : जैसा कि आपने अपने पूर्व उत्तर में कहा है, आप जहां तक दूरसंचार विभाग का संबंध है, वह मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि 467.36 करोड़ रुपये का गबन अथवा विकाल लेना अथवा गलत गणना को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या इस विशेष मामले में सरकार दूरसंचार विभाग से संबंधित मामलों में निधियों के गबन के सारे प्रश्नों की जांच और उस एक मामले में भी जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, मामले में समुचित पूछताछ के लिए संसदीय समिति की नियुक्ति करेगी, ताकि सच्चाई का पता लग सके, दोषियों को सजा मिल सके और लोगों को समुचित सेवा प्रदान की जा सके।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह एश्योर कर दूं कि हम इस केस को लाइटली नहीं ले रहे हैं बल्कि उतनी ही सीरियसनेस से ले रहे हैं जितनी सीरियसनेस से आपने सवाल पूछा। दूसरी बात यह है कि जिस गबन का आपने जिक्र किया है वह केस ऑलरेडी कोर्ट में है, सब-ज्यूडिस है, उसके ऊपर मैं किसी तरह का कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगी। तीसरी बात जो आपने कही है, यह नोशनल शब्द हमने जानबूझ कर लगाया है, क्योंकि आज टोटल कस्टमर्स जितने हैं उनको 5000 से गुणा करके निकाला, 467 करोड़ का लॉस है, जबकि चीजें और भी बहुत हैं जो एकाउंट फॉर की जानी चाहिए। जैसे एयर टाइम चार्जेज कितने हैं। उस समय यह देख कर तय नहीं कर सकते हैं 4000 के बदले 22 हजार लोग सेल्युलर लेंगे। यह फेक्ट हुआ कि 22,000 ने लिए, लेकिन उस समय यह सोच कर कि पता नहीं एट्रेक्टिव लगेगी या नहीं लगेगी, नया बाजार है, इन चीजों को सोचकर जो डिमांड मांगी गई वह निश्चित तौर पर अंडर डिमांड निकली, इसीलिए हमने "नोशनल" शब्द का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी वह मामला सी॰ए॰जी॰ के नीचे है, जो कांस्टीट्यूशनल ऑथोरिटी है इसलिए मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं दिखाई देती कि इस पर कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की जरूरत है। सी॰ए॰जी॰ से आखिरी जवाब आने दीजिए, उसके बाद इस पर कार्यवाही होगी।

जनजातीय क्षेत्रों में विकास गतिविधियां

*63. **श्री राम टहल चौधरी :**

डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को लागू किए जाने के कारण जनजातीय क्षेत्रों में विकास गतिविधियां ठप्प की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/ किए जाने का विचार है?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सीधे हां और न में प्रश्न का जवाब दिया है, जबकि प्रश्न यह था कि क्या यह सच है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को लागू किए जाने के कारण जनजातीय क्षेत्रों में विकास की गतिविधियां ठप्प की जा रही हैं। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है। इन्होंने सीधे जवाब दिया है-, जी, नहीं और प्रश्न नहीं उठता।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा और उनको बताना भी चाहूंगा कि पर्यावरण को संतुलित और संरक्षित रखने के लिए जो इस देश में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 बना है उसमें वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण का प्रावधान है। लेकिन इस अधिनियम के विपरीत उलटा काम होता

गया है। वनों के माफिया और अधिकारियों की सांठगांठ से वनों को उजाड़ा गया और वहां गरीब तथा आदिवासी लोगों को जो लकड़ी और फलों को काटने की छूट थी इस अधिनियम के बनने की वजह से वनों में रहने वाले उन आदिवासी और गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारी और माफिया की मिलीभगत से जंगल बर्बाद किए जा रहे है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र रांची में भी एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस अधिनियम के तहत कितने लोगों पर और क्या-क्या कार्यवाही हुई है? आश्चर्य की एक बात और है कि वनों के अंदर जो लोग रहते हैं, जब उनके लिए सड़क या तालाब बनाने की मांग होती है और जनप्रतिनिधि अपने फंड से रास्ता या विकास का काम, कोई शैड या तालाब बनाना चाहते हैं तो जंगल विभाग के लोग बी॰डी॰ओ॰ और दूसरे अधिकारियों पर केस कर देते हैं, जबकि वहां कोई पेड़ नहीं काटा गया, जैसे वे अधिकारी कोई निजी काम कर रहे हैं। इस तरह से इस अधिनियम का दुरूपयोग किया जा रहा है। इस तरह की जो कार्यवाहियां हो रही हैं, आप उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करके कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं तथा जो गरीब और आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं उन्हें जो जंगल से लाभ मिलता है, एक तरह से जंगल जो उनकी जीविका का साधन हैं, उनको उससे वंचित न किया जाए, इस संबंध में मैं सरकार का उत्तर जानना चाहता हूं?

श्री सुरेश प्रभु : मैं सम्माननीय सदस्य की भावना से बिल्कुल सहमत हूं। वे शायद मेरी इस बात को सुनकर हैरान हैं कि मैंने "न" क्यों कहा, मुझे कुछ ज्यादा कहना चाहिए था। वन संरक्षण कानून 1980 को जब से कानून के रूप में बदला गया, वैसे तो 26 अक्तूबर 1980 को आर्डिनेंस इश्यू किया गया था जो फिर आर्डिनेंस कानून में बदल गया। कानून के आने के बाद से आपको जानकर खुशी होगी कि 1950 से लेकर 1980 तक औसतन एक लाख 43 हजार हैक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट परपज के लिए डायवर्ट की गयी है। कानून के आने के बाद पिछले 18 साल में सिर्फ 26 हजार हैक्टेयर प्रति वर्ष लैंड डायवर्ट हो चुकी है। यह जो रेशो था वह 1 लाख 43 हजार पहले एक साल का था जो अब 26 हजार तक आ गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस कानून के आने के बाद फॉरेस्ट लैंड का डायवर्शन नॉन फॉरेस्ट परपज के लिए कम हो गया है। मैं आपसे सहमत हूं कि जनजाति के लोगों का फॉरेस्ट से मां-बेटे का संबंध होता है। जैसे मां बच्चे से जुड़ी होती है वैसे ही जनजाति के लोग जंगलों से जुड़े हैं। उनकी दिक्कतों को कम करने के लिए ही हम इस कानून को ज्यादा से ज्यादा सहानुभूतिपूर्वक इम्पलीमेंट कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि वन संरक्षण कानून 1980 आने के बाद।

[अनुवाद]

वन भूमि का गैर-वन उद्देश्यों के लिए विपणन में महत्वपूर्ण कमी हुई है फिर भी हम अधिक प्रसन्न नहीं हैं। परन्तु वन में कमी आई है यदि इसमें कमी आई है तो इसका यह भी अर्थ है कि जिन वनों को अन्यथा गैर-वन उद्देश्यों के लिए विपणन किया जाना था, अब जनजातियों की सहायता कर रहे हैं।

[हिन्दी]

जनजाति के लोगों की रक्षा करने के लिए ही ऐसा किया गया है। दूसरी बात आप जानना चाहते हैं कि जनजातीय लोगों के लिए जो डैवलपमेंट स्कीम हैं, जैसे सड़क बननी चाहिए, छोटे-छोटे तालाब बनने चाहिए, इनमें फॉरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट के कारण बाधा आती हैं। वह बाधा बिल्कुल नहीं आए, जो 26 हजार हैक्टेयर प्रति वर्ष लैंड का डायवर्शन होता है वह इसलिए डायवर्शन होता है ताकि डैवलपमेंट के काम हो सकें, फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल फॉरेस्ट परपज से नॉन फॉरेस्ट परपज के लिए किया जा सके। अभी अगर पांच हैक्टेयर तक जमीन यदि नॉन फॉरेस्ट परपज के लिए डायवर्ट करने की जरूरत होती है तो उसके लिए रीजनल ऑफिस ही खुद डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। उसके बाद में स्टेट एडवाइजरी कमेटी और सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी निर्णय लेती है।

फॉरेस्ट कनजर्वेशन एक्ट आने के बाद आदिवासियों को जरूर फायदा होगा।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां इस तरह की घटना हुई है इसलिए हमने इसकी जानकारी मंत्री महोदय को दी है। वह इसकी जांच करवा लें। इसके कारण विकास के काम में रूकावट आई है जबकि वहां न पेड़ हैं और न ही पेड़ कटने की बात है। इसको लेकर पदाधिकारियों पर मुकदमा किया गया। हमारी जानकारी के मुताबिक जिन स्थानों पर पंचायत और गांव के लोगों को जंगल बचाने की जिम्मेदारी दी गई, वहां जंगल बचे हैं। जिन जंगलों की सीधे जंगल विभाग के पदाधिकारी देखरेख करते हैं वहां जंगल बिल्कुल साफ हो गए है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या जंगलों को बचाने के लिए सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है क्योंकि अगर जंगल बचेंगे तो गरीब को भी रोजी-रोटी मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछिए।

श्री राम टहल चौधरी : क्या सरकार गांव के लोगों और पंचायत के लोगों को जंगल संरक्षण की जिम्मेदारी देना चाहती है या नहीं?

श्री सुरेश प्रभु : मैं आनरेबल मैम्बर से कहना चाहता हूं कि यदि किसी आफिसर के ऊपर ख्वाम-खाह कार्यवाही की गई हो तो, वह हमारे नोटिस में लाएं, मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगा। जैसा उन्होंने कहा अगर एक्सटेंशन टू शेडयूल्ड एरिया, 1996 के तहत गांवों के आजू-बाजू में रहने वालों की जमीन पर कोई फॉरेस्ट डैवलप करना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं। मैं उन स्कीम्स को दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं उन्हें सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस देना चाहूंगा कि उन स्कीम्स के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द जरूर कार्यवाही की जा सकती है। एक जाइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम जून, 1990 शुरू है। उसके तहत और दसूरी स्कीम्स के तहत दो मिलियन हैक्टेयर डिग्रेडिड फॉरेस्ट लैंड अब तक रिजर्वेशन के लिए ली गई यदि और कोई स्कीम ऑनरेबल मैम्बर देना चाहेंगे तो उस पर सरकार जरूर विचार करेगी।

डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, वन संरक्षण अधिनियम 1980 बेतहाशा वन कटाई और पर्यावरण की बिगड़ती हुई स्थिति पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार आरक्षित वनों का आरक्षण समाप्त करने और वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजनों के उपयोग हेतु केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य बना दिया गया था। मंत्री महोदय ने बहुत आसानी से इसका जवाब दे दिया। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। मैं जिस इलाके से आता हूं, वह आदिवासी क्षेत्र है। वहां एक मसान डैम बनना था। उस डैम में हाइड्रो पावर स्टेशन भी बनना था। वह डैम सिंचाई के कार्य को लेकर भी बनना था लेकिन वन विभाग ने इसके कार्य को रोक दिया। वहां सारी मशीनरी और सारी व्यवस्था चली गई। यह इसका पहला उदाहरण है जिसका मंत्री महोदय ने बड़ा संक्षिप्त उत्तर दे दिया। जहां वन है, वहीं खनिज सम्पदा भी है। मैं चाहता हूं कि वहां वनों का शोषण न किया जाए बल्कि वनों का दोहन किया जाए। हमारे यहां ओ॰एन॰जी॰सी॰ का ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रहा था। वहां ओ॰एन॰जी॰सी॰ की रिग मशीन लगी। रिग मशीन को चलाने के लिए वन के 16 पेड़ बाधक बन गए। 16 पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग ने अनुमति नहीं दी। उसके बाद वहां की आम जनता ने उन पेड़ों को काट दिया। वन विभाग ने ओ॰एन॰जी॰सी॰ के ऊपर एक करोड़ रुपया फाइन कर दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है? कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें, अन्यथा मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके द्वारा मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने इसका बहुत संक्षिप्त जवाब दिया है। मैं मंत्री जी को दो बातों की जानकारी देना चाहता हूं। ओ॰एन॰जी॰सी॰ पर एक करोड़ रुपया फाइन किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह ओ॰एन॰जी॰सी॰ का क्वश्चन नहीं है। यह फॉरेस्ट डेवलपमैंट का प्रश्न है।

डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पैसिफिक प्रश्न पर ही आ रहा हूं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ओ॰एन॰जी॰सी॰ को जो सजा दी गई है और ओ॰एन॰जी॰सी॰ ने कहा था कि वह एक करोड़ पेड़ लगाएंगे, क्या मंत्री महोदय ने इस बारे में जानकारी ली कि एक करोड़ रुपए की राशि ओ॰एन॰जी॰सी॰ से प्राप्त हो गई है या नहीं और क्या उन लोगों ने एक करोड़ के पौधे लगाए हैं? क्या मंत्री महोदय इनका जवाब देंगे?

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, यह अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न के क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। अतः इस बारे में तत्काल मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है और मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य किस परियोजना का उल्लेख कर रहे हैं। परन्तु यदि माननीय सदस्य ओ॰एन॰जी॰सी॰ के बारे में कोई विशेष उल्लेख करना चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं इस मामले की अवश्य जांच करूंगा।

श्री एन॰ जनार्दन रेड्डी : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि विकासात्मक गतिविधियों में कोई मुश्किल और रूकावट नहीं है। यह अत्यन्त अनुचित उत्तर है। उन्हें अपने मंत्रालय द्वारा सामना की जा रही सभी कठिनाइयों को जानने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा। मैं यह बात उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में संबंधित राज्य सरकार की स्वीकृति होने के बावजूद जनजातियों को अपने कृषि कार्य वाले स्थान तक जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता बनाने की स्वीकृति प्राप्त करने में मुझे पांच वर्ष लगे। यह मात्र एक उदाहरण है। इस अधिनियम के अंतर्गत कतिपय क्षेत्रों को कुछ गतिविधियों के लिए अनुरक्षित–अधिसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के पैरामीटर क्या है? आप इस तथ्य से अवगत होंगे कि एस॰एच॰ए॰आर॰ परियोजना इसके द्वारा पूर्वी समुद्रतट पर स्थापित की गयी है। इसके अत्यंत निकट एक पक्षी अभ्यारण्य है और लगभग 750 कि॰मी॰ का क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है जहां कोई कृषि कार्य, निर्माण या सड़क गतिविधि नहीं चलाई जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : यह जनजातीय क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित प्रश्न है।

श्री एन॰ जनार्दन रेड्डी : जी हां, मैं विकासात्मक गतिविधि के बारे में ही बात कर रहा हूं। झींगा–मछली के उत्पादन जैसी एक गतिविधि वहां रोक दी गयी है और वन विभाग के लोग जनजातीय लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय इस अधिनियम की समीक्षा करना चाहेंगे? यह अधिनियम श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा लाया गया था। यह बहुत अच्छा अधिनियम है तथा इसकी बहुत आवश्यकता भी है। निषिध क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधि को देखते हुए, इस अधिनियम की अब समीक्षा की जानी चाहिए। इसके यथार्थवादी आधार पर क्रियान्वयन होना चाहिए। इस संबंध में मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करना चाहते हैं?

श्री सुरेश प्रभु : वन संरक्षण अधिनियम एक नियामक अधिनियम है। यह वन भूमि के गैर–वन उद्देश्यों के लिए कतिपय उपयोग को मात्र नियमित करता है और यह केन्द्र द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। सारी वन भूमि राज्य सरकारों के स्वामित्व में है। जब कोई राज्य सरकार किसी परियोजना प्रस्ताव को केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ भेजती है तो हम कतिपय पैरामीटरों के आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं। पहला पैरामीटर यह है कि क्या वह विशिष्ट परियोजना उस क्षेत्र के समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यदि यह पूरा करती है तब हम उन्हें अनुमति प्रदान कर देते हैं। बताते हैं कि किसी अन्य भूमि पर वन लगाने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में समान मात्रा में गैर वन भूमि केन्द्र को दी जाये। यदि किसी अन्य कारण से उनके लिए ऐसी भूमि प्रदान करना संभव नहीं है तो हम उन्हें निम्न श्रेणी की दोगुनी वन भूमि देने के लिए कहते हैं जिसका हम वन लगाने

के उद्देश्य से उपयोग करते हैं। राज्य सरकार को धन भी एकत्र करना होता है।

मान लीजिए कि कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो सुरक्षित वन क्षेत्र की श्रेणी में या सुरक्षित वन क्षेत्र की परिधि में आती हैं तो आपने भी यह प्रश्न पूछा है कि क्या उन परियोजनाओं को अनुमति मिलेगी अथवा नहीं। पक्षी-अभ्यारण्य भी सुरक्षित वनक्षेत्र के अंतर्गत आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल के एक फैसले में कहा है कि शब्दकोश के अर्थ के अंतर्गत वन भूमि के रूप में वर्जित भूमि को वन भूमि के रूप में माना जाना चाहिए और सभी सुरक्षित वन क्षेत्रों को गैर-सुरक्षित वन प्रयोजनों के लिए जब तक उपभोग नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों द्वारा निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाये। इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए हमें सभी परियोजनाओं की समीक्षा करनी पड़ती है।

जहां तक आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का संबंध है कि क्या ऐसे अधिनियम की समीक्षा की कोई संभावना है, तो यदि आपके पास कोई विशिष्ट सुझाव है तो आप इसे सरकार को भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलीया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि एक एकड़ लैण्ड के बदले अगर दो एकड़ लैण्ड, डबल लैण्ड मिलती है तो प्रपोजल क्लियर कर दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर ट्राइबल एरिया है और जंगल की रक्षा भी 1980 से आज तक बड़े पैमाने पर की गई है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी चंद्रपुर गडचिरौली डिस्ट्रिक्ट में 1980 से मैं मार्क कर रहा हूं और कहना चाहूंगा कि फॉरेस्ट एरिया के जो प्रपोजल सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं, जिन्हें राज्य सरकार रैकमंड करके भेजती है, उनमें से 90 परसेंट प्रपोजल टर्न डाउन कर दिये जाते हैं। आपने जो कहा कि पांच एकड़ तक के लिए रीजनल ऑफिस क्लियरेन्स देता है, यह भी गलत है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पर्टिकुलरली जिन लोगों ने जंगल की रक्षा की है, उन आदिवासी भाइयों के लिए स्कूल, स्टेडियम, इलैक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, पब्लिक हैल्थ सेन्टर, सब डेवलपमेंट की चीजें रुकी हुई हैं। तो क्या आप मेहरबानी करके ऐसे क्षेत्र जिनके प्रपोजल पेंडिंग हों, आप स्टेट गवर्नमेंट के फोरेस्ट मिनिस्टर को और उस क्षेत्र के एम॰पीज॰ को बुलाकर मीटिंग करेंगे और उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलीया : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे यहां जुड़पी जंगल बड़े पैमाने पर हैं और जुडपी जंगल की जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की है। इसके बदले में अगर राज्य सरकार जुडपी जंगल की जमीन देना चाहती है तो केन्द्र सरकार के फोरेस्ट मिनिस्टर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में लाखों एकड़ जुडपी जंगल की जमीन है, उसे डेवलपमेंट के काम के लिए डबल रेश्यो में अगर राज्य सरकार देना चाहे तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे?

श्री सुरेश प्रभु : आपने जैसा जुडपी जंगल के बारे में कहा, मैं पहले कहता हूं कि यदि कोई प्रपोजल गवर्नमेंट की तरफ से आया है तो उस प्रपोजल को हम जरूर देखेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 25 अक्तूबर, 1980 को जब यह आर्डीनेंस बनाया गया, इस तारीख के पहले जो भी जमीन फोरेस्ट परपज के लिए फोरेस्ट लैंड के लिए लगाई गई थी, जहां कहीं भी लिखा था कि फारेस्ट लैंड है, उस जमीन पर फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अभी लागू नहीं है। लेकिन यदि कोई जमीन फोरेस्ट में डिफाइन नहीं हुई है, उसे नॉन-फोरेस्ट कंवर्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जमीन 1980 के पहले फोरेस्ट लैंड के तहत डिफाइन की गई थी तो उसके लिए एक प्रोसीजर बनाया गया है, उस प्रोसीजर के बारे में मैंने जिक्र किया है। यदि आप कहते हैं कि ऐसा कोई प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट देना चाहती है तो उस प्रपोजल को केन्द्र सरकार फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के मुताबिक देखेगी। पहला सवाल जो आपने पूछा था उसमें आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि यदि कोई ऐसा प्रपोजल है जिसमें आदिवासियों, जनजातियों के लिए स्कूल बनाना चाहते हैं।

श्री नरेश पुगलीया : मंत्री जी, उसमें बड़े-बड़े डैम हैं जिन पर 10-10, 15-15 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, वे डैम भी इनकंप्लीट हैं, इनके काम रोक दिये गये हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

श्री सुरेश प्रभु : जैसा कि मैंने कहा, वन संरक्षण अधिनियम एक नियामक अधिनियम है; इससे विकास में बाधा नहीं पड़ती। यह कहता है कि यदि आप वन भूमि का प्रयोग विकासात्मक परियोजनाओं के लिए करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक निर्धारति प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया अब न्यायालय द्वारा भी सही करार दी गयी है। यदि कोई विशिष्ट परियोजना इसके अन्तर्गत आती है तो मैं आश्वासन देता हूं कि इस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा।

श्री पी॰सी॰ चाक्को : महोदय, वन संरक्षण अधिनियम 1980 की इस सदन में अनेक अवसरों पर आलोचना हुई है। अब हमारे पास वन विभाग में एक अत्यंत सक्रिय मंत्री है। मैं अपनी सम्पूर्ण आशा के साथ यह प्रश्न रख रहा हूं ताकि वह इस मसले का वास्तविक रूप में अध्ययन करेंगे।

मैं ऐसे चुनाव क्षेत्र में आता हूं जिसमें 300 जनजातीय बस्तियां है। आप किसी जनजातीय बस्ती के पास कोई छोटा सामुदायिक भवन भी नहीं बना सकते क्योंकि वह इस कानून के प्रावधानों के विरुद्ध है। मंत्री महोदय ने कहा है कि यहां दो प्रावधान हैं- एक है क्षतिपूरक वन लगाना और दूसरा है वन का उन्नयन करना। केरल एक सघन

जनसंख्या वाला प्रदेश है और सरकार के पास क्षतिपूर्ति वन लगाने या वनों के उन्नयन के लिए सरकार के पास शायद ही कोई भूमि उपलब्ध है। इस तरह की परिस्थिति में इस अधिनियम में निर्धारित शर्तों को लागू करना संभव नहीं है।

सबरीमलै एक तीर्थ स्थल है जहां प्रत्येक वर्ष 40 लाख श्रद्धालु आते हैं। जब केरल सरकार ने प्राथमिक जन सुविधा मुहैया करने के लिए शौचालयों के निर्माण के लिए अनुरोध किया तो भारत सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कट्टाप्पना तथा इडुक्कालम जैसे कस्बे हैं जो अब नगर पालिका बनने जा रहे हैं, अभी वे पंचायतें हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए। समय बहुत कम है।

श्री पी॰सी॰ चाक्को : महोदय, यह जनजातीय विकास के बारे में है। कृपया मुझे अनुमति दें। मैं अपना प्रश्न रख रहा हूं...*(व्यवधान)* 1976 का कटऑफ वर्ष समुचित तथा न्यायोचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है क्योंकि सर्वेक्षण अत्यन्त त्रुटिपूर्ण है। इस दृष्टि से क्या मंत्री-महोदय राज्य सरकार के सहयोग से एक नवीन सर्वेक्षण करवाने के लिए पहल करेंगे; और क्या भारत सरकार उन क्षेत्रों की पहचान करेगी जहां वन कस्बों में परिवर्तित हो गये हैं तथा उन क्षेत्रों के निवासियों को पट्टे प्रदान करेगी?

दूसरे, क्या सरकार इस शर्त से छूट प्रदान करेगी और ऐसे स्थानों में विकासात्मक गतिविधियों की अनुमति देगी जहां क्षतिपूरक वनरोपण या उन्नयन संभव नहीं है?

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, आज की स्थिति में, मैं इस कानून की स्थिति स्पष्ट कर सकता हूं। सांविधिक पुस्तकों के विद्यमान कानून के अनुसार, जिसे माननीय सदन द्वारा पारित किया गया है, गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के संरक्षण के लिए यथानिर्धारित शर्तें वैसी सी हैं जिसका मैंने उल्लेख किया है। हम पता लगा सकते हैं कि कानून के पैरामीटर के दायरे में क्या कोई विशिष्ट मामले सुलझाए जा सकते हैं। मैं इस संबंध में माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं। हम एक बैठक कर सकते हैं और केरल राज्य से संबंधित इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर सकते हैं।

श्री पी॰सी॰ चाक्को : धन्यवाद।

[हिन्दी]

विनियामक आयोगों की स्थापना

\+

***66. श्री मोतीलाल वोरा :**

श्री नरेश पुगलीया :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र और राज्य स्तर पर विद्युत विनियामक आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या ऐसे आयोगों का गठन करने से पहले राज्य सरकारों से उनके विचार मांगे गए हैं;

(ग) क्या लगभग सभी राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा सरकार को बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना है;

(घ) इन पैनलों के गठन से विद्युत की स्थिति, विनियामक विद्युत पारेषण में सुधार लाने और राज्य विद्युत बोर्डों को अपनी देय राशि का भुगतान करने में किस हद तक सहायता मिलेगी; और

(ङ) पूरे देश में बिजली की कमी की समस्या को हल करने की दिशा में वर्ष 1998-99 के दौरान केन्द्र सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम्) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली विद्युत बोर्ड की ओर भारत सरकार के बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के लगभग 6000 करोड़ रुपये बकाया हैं। 31.1.98 की स्थिति के अनुसार रेल मंत्रालय को देय रा॰बि॰बो॰ की बकाया राशि लगभग 1083 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, रा॰बि॰बो॰ द्वारा विद्युत और कोयला क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को लगभग 17,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 1996-97 के दौरान कृषि और घरेलू क्षेत्रों को जारी कुल आर्थिक सहायता 19,200 करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें से राज्य सरकारें बजटीय अनुदानों के जरिए केवल 2634 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति करने का प्रस्ताव रखती हैं यह जारी आर्थिक सहायता का केवल 12.7 प्रतिशत है जिसे रा॰बि॰बो॰ द्वारा कृषि ओर घरेलू क्षेत्रों हेतु टैरिफों के लिए हुए स्तरों पर वहन करना होगा। राविबो ने पारगामी आर्थिक सहायता के जरिए लगभग 8035 करोड़ रुपये की वसूली की। इस तरह निम्न कृषि और घरेलू टैरिफों के कारण रा॰बि॰बो॰ को 8500 करोड़ रुपये की निबल हानि हुई। यह विद्युत की बिक्री हेतु विद्युत के कुल राजस्व का लगभग 20 प्रतिशत है 1992-93 से 1996-97 की अवधि के दौरान रा॰बि॰बो॰ के वित्तीय बोर्ड में बढ़ोत्तरी को इस तथ्य से देखा जा सकता है कि 1992-93 में बजटीय अनुदानों ओर पारगामी आर्थिक सहायता के कारण संभूतियों को गणना में लेने के पश्चात् टैरिफ के कारण हुई हानि केवल 2277 करोड़ रुपये थी (अर्थात् विद्युत की बिक्री से कुल राजस्व का लगभग 10 प्रतिशत) इस का प्रमुख प्रभाव निम्नवत् रहा है :—

(1) राविबो के निवल आंतरिक संसाधन जिन्हें नियोजित किए जाने तथा नये निवेशों को हाथ में लिए जाने की आवश्यकता है। 1992-93 में (-) 161.5 करोड़ रुपये से घटकर 1996-97 में (-) 4482 करोड़ रुपये हो गई है।

(2) सीपीएसयू को देय रा॰बि॰बो॰ की उच्च स्तर की बकाया राशियों का सीपीएसयू की क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमों में निवेश करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इससे सीपीएसयू घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से महंगे उधारों पर निर्भर होने के लिए मजबूर हो गए हैं।

(3) रा॰बि॰बो॰ की खराब वित्तीय स्थिति राज्य सरकारों को निजी निवेशकों को पर्याप्त और वाणिज्यिक रूप से ग्राह्य गारंटियां प्रदान करने की अनुमति नहीं देती है। यह अनुमान लगाया गया है कि रा॰बि॰बो॰ की एस्क्रो क्षमता विद्युत क्षेत्र से केवल 10,000 मे॰वा॰ क्षमता की ही सहायता प्रदान कर सकती है। अतः विद्युत क्षेत्र से आईपीपी से उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बावजूद वास्तविक निवेश औसत से कम रहा है।

विनियामक आयोगों के गठन से टैरिफ के यौक्तिकरण में सहायता मिलेगी तथा पारगामी आर्थिक सहायता हेतु भी जब कभी भी आवश्यक हो, प्रावधान किया जाएगा। विनियामक आयोगों का गठन राज्य सरकारों को वृद्धि को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबाधित नहीं करता है, जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक क्षेत्र है राज्य सरकारें विनियामक आयोगों द्वारा सुझाई गई सिफारिशों के अतिरिक्त भी आर्थिक सहायता प्रदान करने का विकल्प चुन सकती है। इस तरह की आर्थिक सहायता इस शर्त पर कृषि शुल्क/अथवा कमजोर वर्गों को निःशुल्क विद्युत शामिल कर सकती है कि राज्य सरकारें पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान करके रा॰बि॰बो॰ को प्रतिपूर्ति करेंगी। जब टैरिफों का यौक्तिकरण हो जाएगा और बजटीय सहायता प्रदान कर दी जाएगी तो इससे यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सरकारी गारंटियों, प्रति-गारंटियों और एस्क्रो खातों को चालू रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों के ही संसाधन अधिकाधिक रूप से विद्युत क्षेत्र में प्रवाहित हो सकेंगे और परिणामस्वरूप विद्युत की स्थिति में काफी सुधार आएगा। इससे आगे चलकर रा॰बि॰बो॰ महत्वपूर्ण कार्यों जैसे कि विद्यमान उत्पादन सुविधाओं का नवीकरण और आधुनिकीकरण पारेषण और वितरण प्रणालियों में सुधार इत्यादि पर निवेश कर सकेंगे। भाविष्य में इससे प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन को ईष्टतम बनाया जा सकेगा, पारेषण एवं वितरण हानियों को कम किया जाएगा तथा उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्तियों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

(ङ) विद्यमान क्षमता के समुपयोजन में सुधार लाने के लिए तथा मांग में प्रक्षेपित वृद्धि की पूर्ति करने के लिए सरकार अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के उपाय कर रही है जिनमें विद्यमान केन्द्रों के पीएलएफ को बढ़ाना, निर्माणाधीन स्कीमों को शीघ्रता से पूरी करना, पुराने संयंत्रों का नवीकरण एवं आधनिकीकरण करना, अंतःक्षेत्रीय पारेषण संयोजकों की स्थापना करना, विद्युत यूटिलिटियों हेतु प्रणाली सुधार कार्यक्रम, नई क्षमताओं का निर्माण तथा विद्युत क्षेत्र में संस्थागत सुधार करना शामिल है।

[हिन्दी]

श्री मोती लाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से इस बात की जानकारी चाहता हूं कि क्या ऊर्जा मंत्रालय की स्थाई संसदीय समिति ने केन्द्र शासन के उस सुझाव को अमान्य कर दिया था जिसमें सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथौरिटी के स्थान पर सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन स्थापित करने का प्रस्ताव था तथा दिनांक 8-7-97 को सांसद श्री जगमोहन के पैनल ने ऊर्जा मंत्रालय को सी॰ई॰ए॰ को सक्षम और सुदृढ़ बनाने का सुझाव दिया था और समानान्तर संगठन बनाने की आलोचना की थी?

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : सी॰आर॰सी॰ और एस॰सी॰आर॰सी॰ अध्यादेश जिसे अधिनियम में परिवार्तित किये जाने हेतु अब विधेयक के रूप में प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव है, शुल्क के बारे में है। विद्युत अधिनियम के अतंर्गत शुल्क निर्धारण का मामला अब सरकार पर छोड़ दिया गया है। यह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से संबंधित नहीं है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण मूलतः एक तकनीकी निकाय है जो विद्युत मंत्रालय से संबद्ध है। यह तकनीकी स्वीकृतियों पर विचार करता है। जब आप परियोजना की लागत की बात करते हैं तो यह शुल्क निर्धारण के संबंध में परामर्श देने का कार्य करता है और यदि शुल्क अधिसूचना परियोजना की लागत से लागू होती है तो इसे क्रियान्वित किया जाता है। यह वास्तव में केन्द्र और राज्य सरकारों की शक्तियां हैं जो विनियामक निकाय को दे दी गई हैं।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सुदृढ़ बनाने के संबंध में मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम कदम उठा रहे हैं। हम समिति की जांच कर रहे हैं। हम यह मानते हैं कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और यह अपनी भूमिका निभायेगा। हम इस संबंध में आगे आयेंगे और मैं माननीय सदस्य को स्थिति की जानकारी दूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री मोतीलाल वोरा : यह स्पष्ट नहीं है।

मैं यह कह रहा हूं कि स्थायी समिति ने इसको स्थापना के प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, आप पहला अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री मोतीलाल वोरा : यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है।

मेरे विचार से माननीय मंत्री जी मेरी बात समझ नहीं पाये हैं। मुद्दा यह है कि स्थायी समिति ने श्री जगमोहन के सभापतित्व में सी आर ई सी की स्थापना के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया और स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार नहीं किया गया था।...*(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : जी नहीं, महोदय।

श्री मोती लाल वोरा : मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह सिफारिशों को अनदेखा कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पहले अपनी बात कहने दीजिए।

श्री मोतीलाल वोरा : जब संसद द्वारा स्थायी समिति का गठन किया गया था तो अब इसकी सिफारिशों का भी अनुपालन करना होगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था।

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : स्थायी समिति की सिफारिशों के संबंध में मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि स्थायी समिति की सिफारिशों पर मुख्य मंत्रियों के दो सम्मेलन किये गये थे। वस्तुतः स्थायी समिति का यह अनुरोध था कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों से सलाह ली जानी चाहिए विद्युत संबंधी राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यवाही कार्यक्रम को सर्वसम्मति के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था। उसी दस्तावेज के आधार पर वर्तमान विधेयक, जिसमें उनके द्वारा दिए गये सुझावों के अनुसार संशोधन किए गये हैं, प्रभावी हुआ है। यदि सभा भंग न हुई होती तो यह स्थायी समिति के पास वापस चला गया होता। सभा के भंग हो जाने के कारण पिछली स्थायी समिति को विद्युत संबंधी राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यवाही कार्यक्रम की रिपोर्ट नहीं मिल सकी।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलीया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर के पैरा "ड़" में कहा है कि यूटिलाइजेशन आफ एग्जिस्टिंग कैपीसिटी को बढ़ाने के लिए सुधार करने होंगे,

[अनुवाद]

विद्यमान एककों का आधुनिकीकरण करना होगा, पारेषण और वितरण प्रणालियों में सुधार लाना होगा और उपभोक्ताओं को ठीक ढंग से विद्युत की आपूर्ति करनी होगी।

[हिन्दी]

इन इब चीजों के अलावा मैं जानना चाहूंगा कि देश में डौमैस्टिक यूज या एग्रीकल्चर यूज के अलावा सबसे ज्यादा बिजली का प्रयोग इंडस्ट्रियल सैक्टर में किया जाता है और पिछली सरकार ने, जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये है, उनको अपने छोटे पावर यूनिट लगाने की अनुमति दी थी। ऐसे पावर यूनिट लगाने के लिए उन्हें फेसिलिटीज देने का भी ऐलान किया था।

मध्याह्न 12.00 बजे

लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से जो इंडस्ट्री खुद के पावर यूनिट लगाना चाहती है, उसके लिए जो फैसिलिटीज चाहिए, उन्हें यह सरकार नहीं दे रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इंडस्ट्रीज को अपने खुद के पावर यूनिट लगाने के लिए वह क्या फैसिलिटीज देंगे?

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : महोदय, यद्यपि यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने सचमुच यह प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। रक्षित (कैप्टिव) विद्युत परियोजनाओं के संबंध में नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, हम रक्षित विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन देते हैं। यदि माननीय मंत्री के पास कोई विशिष्ट उदाहरण है और वे उसे मेरे ध्यान में लाते है तो मैं निश्चित रूप से इस पर व्यक्तिगत तौर पर तत्काल ध्यान दूंगा और यह देखूंगा कि उस समस्या का समाधान किया जा सके।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विद्युत परियोजनाओं के कारण प्रदूषण

***64. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत परियोजनायें पर्यावरण में प्रदूषण फैलाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं से फैलने वाले प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किए गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ग) विद्युत परियोजनाओं के कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैल सकता है और इसकी प्रकृति तथा सीमा प्रयोग किए गए ईंधन तथा स्थापित विद्युत उत्पादन प्रणालियों की किस्म पर निर्भर करती है। कोयले पर आधारित विद्युत परियोजनाओं से मुख्य प्रदूषकों के रूप में निलम्बित कणिकीय पदार्थ, सल्फर डाईआक्साइड और नाइट्रोजन आक्साइड उत्सर्जित होते हैं जो संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र साफ ईंधन जैसे गैस/नेप्था का प्रयोग कर रहे हैं उनसे नाइट्रोजन आक्साइड उत्सर्जित होता है।

विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न प्रदूषण का स्तर कम हो इसके लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विद्युत संयंत्रों को यह हिदायतें जारी की गई हैं कि वे निर्धारित प्रदूषण बहिस्राव मानकों का पालन करने के लिए अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां स्थापित करें।

(2) 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाले सभी ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति आवश्यक है जिसके अन्तर्गत हरित पट्टी की व्यवस्था और एक निश्चित समयावधि के भीतर फ्लाईऐश के

प्रयोग सहित पर्यावरण संबंधी सुरक्षा निर्देश और प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों का निर्धारण किया गया है।

(3) 1 जून, 2001 से दूरी के मानदण्ड के आधार पर लाभकारी कोयले, जिसमें राख की मात्र निर्धारित 34 प्रतिशत से अधिक न हो, का प्रयोग अनिवार्य है।

[अनुवाद]

डाकघर खोलने के मानदण्ड

***65. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर खोलने के वर्तमान मानदंड क्या हैं; और

(ख) न्यायमूर्ति तलवार समिति की रिपोर्ट में वर्तमान मानदंडों में परिवर्तन करने संबंधी सुझावों के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) शहरी, ग्रामीण, जनजातीय और पिछड़े इलाकों में डाकघर खोलने के मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) न्यायमूर्ति तलवार समिति ने डाकघर खोलने के मौजूदा मानदंडों में किसी परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया है।

विवरण

डाकघर खोलने के लिए मानदंड
(अंतिम बार 1991 में संशोधित)

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड

1.1. जनसंख्या

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

एक ग्राम समूह की आबादी 3000 (इसमें उस गांव की आबादी भी शामिल है जहां डाकघर खोला जाना है)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

किसी एक गांव की आबादी 500 अथवा गांवों के एक समूह की आबादी 1000

1.2 दूरी :

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

मौजूदा नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि॰मी॰ होगी।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा ऐसे मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है, जिसका प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 प्रत्याशित आय :

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

न्यूनतम प्रत्याशित राजस्व लागत का $33\text{-}^{1}/_{3}$ प्रतिशत होना चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

न्यूनतम प्रत्याशित आय लागत की 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

नोट : कोई नया शाखा डाकघर मंजूर करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मूल शाखा डाकघर द्वारा सेवित जनसंख्या मानदंड में निर्धारित न्यूनतम जनसंख्या से कम नहीं रहनी चाहिए। इसी प्रकार मूल डाकघर का घाटा भी, घाटे की अनुमेय सीमा के भीतर बना रहना चाहिए।

2. नए विभागीय उप डाकघर खोलने/दर्जा बढ़ाने के लिए मानदंड

2.1 ग्रामीण क्षेत्र में :

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में अनुमेय वार्षिय घाटा 2400 रु॰ तथा जनजातीय व पहाड़ी क्षेत्रों में 4800 रु॰ प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

2.2 शहरी क्षेत्र में :

2.2.1 शहरी क्षेत्र में डाकघर को आरम्भ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दर्शाना चाहिए ताकि यह आगे बनाए रखे जाने हेतु पात्र हो सके।

2.2.1 20 लाख और उसके अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की दूरी 1.5 कि॰मी॰ तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 कि॰मी॰ से कम नहीं होनी चाहिए। यदि यह एक वितरण डाकघर है, तो निकटतम वितरण डाकघर से इसकी दूरी 5 कि॰मी॰ से कम नहीं होनी चाहिए।

2.2.3 सर्किल अध्यक्षों को 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट देने का अधिकार है।

2.2.4 शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में कम से कम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिए।

सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी

***67. श्री पंकज चौधरी :**

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क निर्माण संबंधी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम॰ तम्बी दुरई) : (क) जी, हां।

(ख) इस नीति की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं :—

(1) सड़क क्षेत्र को उद्योग घोषित किया गया है।

(2) भूमि अधिग्रहण/पर्यावरण संबंधी स्वीकृति की प्रक्रिया सरल बना दी गई है।

(3) बी ओ टी परियोजनाओं के लिए विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं।

(4) एक स्वायत्तशासी निकाय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा॰रा॰रा॰प्रा॰) ने कार्य शुरू किया और बी ओ टी परियोजनाएं शुरू करने के लिए उसे प्राधिकृत किया गया। भा॰रा॰रा॰प्रा॰ इक्विटी के 30 प्रतिशत तक अंशदान देकर ऐसी परियोजनाओं में भागीदारी कर सकता है।

(5) मामला दर मामला आधार पर परियोजना की वित्तीय क्षमता में सुधार के लिए सरकार/भा॰रा॰रा॰प्रा॰ द्वारा परियोजना के 40 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जा सकती है।

(6) राजमार्ग परियोजना की अभिन्न अंग होने के कारण राजमार्ग, आवास और अन्य विकास कार्यों को सड़क अवसंरचना का एक हिस्सा मानना।

(7) राजमार्ग परियोजनाओं के लिए परिष्कृत उपस्करों का शुल्क मुक्त आयात।

(8) प्रथम पांच वर्षों में निगमित कर से 100 प्रतिशत छूट और अगले 5 वर्षों के लिए 30 प्रतिशत रियायत जो 20 वर्षों में प्राप्त की जानी है।

(9) 74 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी के लिए स्वतः अनुमोदन और मामला दर मामला आधार पर 100 प्रतिशत तक की अनुमति दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में प्रदूषण

***68. श्री माधवराव सिंधिया :**

डा॰ विजय सोनकर शास्त्री :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिये उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसरण मे सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर रूप से बढ़ गया है;

(ख) क्या दिल्ली में किसी विशेष प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिये कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) दिल्ली में प्रदूषण के स्तरों में बढ़ती हुई प्रवृति देखने को मिली है जिसका मुख्य कारण आर्थिक गतिविधि और वाहनों की संख्या में वृद्धि होना है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिल्ली में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उसे कम करने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण की स्थापना की गई है। यह प्राधिकरण कार्य योजना के कार्यान्वियन को मानीटर करेगा।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण

केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की है जिसका नाम "पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण" है। प्राधिकरण के सदस्य इस प्रकार हैं :

(1)	श्री भूरे लाल सचिव केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली	अध्यक्ष
(2)	श्रीमती किरण ढींगरा सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली	सदस्य

(3) श्री अनिल अग्रवाल — सदस्य
निदेशक
विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र
नई दिल्ली

(4) श्री जगदीश खट्टर — सदस्य
आटोमोबाइल मैनयुफैक्चरर्स एसोसिएशन
ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि
कार्यकारी निदेशक
मारूति उद्योग लि॰, नई दिल्ली

(5) श्री डी॰के॰ बिस्वास — संचालक
अध्यक्ष
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नई दिल्ली

प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य इस प्रकार होंगे :

1. पर्यावरण सुरक्षा के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित विषयों से संबंधित शिकायतों के बारे में निर्देश जारी करना :

(1) पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं की गणुवत्ता के लिए मानक;

(2) विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उतसर्जन अथवा बहिस्राव के लिए मानक;

(3) क्षेत्रों, जिनमें उद्योग, प्रचालन या प्रक्रम अथवा उद्योग श्रेणियां अथवा प्रक्रम नहीं चलाए जाएंगे अथवा कतिपय सुरक्षा उपायों के अधीन चलाए जाएंगे, का प्रतिबंधन।

(4) जिन दुर्घटनाओं से पर्यावरण प्रदूषण पैदा हो सकता है उनकी रोकथाम के लिए कार्य-प्रणालियां और सुरक्षा उपाय तथा ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपचारात्मक कदम;

(5) खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन के लिए कार्य-प्रणालियां एवं सुरक्षा उपाय।

2. वाहन प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना ताकि वाहन प्रदूषण परीक्षण के लिए उपकरण का उचित व्यासमापन, ईंधन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना, मानीटरन और ट्रैफिक योजना तथा प्रबंध के लिए समन्वित कार्रवाई सहित वाहनों द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित हो।

3. निर्धारित परिवेशी शोर मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना और शोर पैदा करने वाले किसी उद्योग, संसाधन अथवा संचालन को रोकने अथवा उस पर प्रतिबंध लगाने सहित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अन्तर्गत निर्देश जारी करने का अधिकार है।

4. जैसा कि कार्य योजना के साथ दिल्ली में प्रदूषण पर श्वेत-पत्र में दिया गया है, दिल्ली में प्रदूषण पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई कार्य योजना में हुई प्रगति को मानीटर करना।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं :

(1) पर्यावरण की सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और इसे कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए "पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण" स्थापित किया गया है।

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है।

(3) राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरन कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 10 परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरन केन्द्रों के माध्यम से वायु गुणवत्ता का मानीटरन।

(4) वायु और जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के मुख्य सेक्टरों के लिए बहिस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। उद्योगों को हिदायत दी गई है कि वे इन निर्धारित मानकों का पालन करें।

(5) निर्माण स्तर पर वाहनों से उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन मानदण्डों को धीरे-धीरे कठोर बनाया गया है। ये मानदण्ड 9.1.1990 से लागू हुए और इससे अधिक कठोर मानक 1.4.1996 से लागू किया गया। 1.4.2000 से पेट्रोल और डीजल की सभी श्रेणियों के लिए एक बहुत सख्त उत्सर्जन मानक लागू किया जाएगा।

(6) सरकार ने स्वचालित वाहनों के ईंधन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम तैयार किया है। दिल्ली में 1.4.1995 से कैटेलिटिक कन्वर्टर-युक्त नए चार पहिया पैट्रोल वाहनों के प्रयोग के लिए सीसा रहित पैट्रोल शुरू किया था। दिल्ली में 0.25 प्रतिशत का निम्न सल्फर डीजल 15 अगस्त, 1997 से प्रारंभ किया गया है। निम्नगुणवत्ता के खुले तेल की बिक्री को रोकने के लिए खुदरा ईंधन पैट्रोल पम्पों पर पूर्व-मिश्रित ईंधन तेल मिश्रण सप्लाई किया जा रहा है।

(7) उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों में सी॰एन॰जी॰, प्रोपेन और एल॰पी॰जी॰ जैसे साफ ईंधनों को शुरू करना।

(8) दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शहरी डिजाइन की 1500 बसें शामिल करके सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने का प्रस्ताव है।

(9) प्रदूषण जांच, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की ट्यूनिंग और "प्रदूषण नियंत्रण में है" प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 200 से

अधिक निजी पैट्रोल पंपों और कार्यशालाओं को प्राधिकृत किया है। प्रदूषण जांच सबंधी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं।

(10) परिवहन विभाग ने वाहन प्रदूषण से संबंधित दण्डात्मक प्रावधानों, प्रदूषण से सवास्थ्य पर पड़ने वाले संकटों, वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रख-रखाव संबंधी उपायों के बारे में लोगों को शिक्षित करने हेतु दिल्ली में जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किए हैं।

(11) एक समकालिक सिगनल प्रणाली तथा अत्यधिक प्रदूषित चोराहों पर बेहतर यातायात प्रबंध व्यवस्था प्रारंभ की गई है।

(12) दिल्ली के प्रतिकूल क्षेत्रों में स्थित प्रदूषण फैलाने वाले अनेक उद्योगों को बंद कर दिया गया है अथवा अनुकूल क्षेत्रों में पुनःस्थापित कर दिया गया है।

(13) विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों और संपदाओं में दिल्ली की लघु औद्योगिकी इकाइयों के समूहों से निकलने वाले बहिस्रावों के संसाधन के लिए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई है।

(14) गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत यमुना नदी की सफाई का कार्य शुरू किया गया है।

(15) दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ, राजघाट और बदरपुर स्थित तीन ताप विद्युत संयंत्रों में इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रौसपिटेटर्स स्थापित किए गए हैं ताकि निलम्बित कणिकीय पदार्थ को वातावरण में मिलने से रोका जा सके। अधिक मात्रा में विसर्जन की सुविधा के लिए सल्फरडाइआक्साइड और नाइट्रोजन आक्साइड को निश्चित ऊंचाई की चिमनियों के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है ताकि इन गैसीय प्रदूषकों के निम्नस्तरीय जमाव को नियंत्रित रखा जा सके। चिमनियों के मानीटरन का कार्य नियमित रूप से किया जाता है।

दुर्लभ/लुप्तप्राय प्रजातियों का अवैध शिकार

***69. डा॰ असीम बाला :**

श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाघों तथा पशु-पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों के अवैध शिकार में लगातार वृद्धि होने से भारी संख्या में दुर्लभ प्रजातियों के ये पशु-पक्षी मारे जा रहे हैं जबकि इनके शिकार को सरकार द्वारा रोकने के प्रयास विफल सिद्ध हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश-भर में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में होने वाले अवैध शिकार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1998-99 और नौवीं योजनावधि के दौरान अवैध शिकार की समस्या से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से कौन-से कदम केन्द्रीय प्राधिकारियों के विचाराधीन हैं;

(घ) क्या सरकार का वनस्पति और जीव-जन्तुओं की विभिन्न विलुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानून बनाए जाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वाणिज्यिक दृष्टिकोण से यह कानून किस प्रकार हमारे देश के लिए लाभकारी सिद्ध होगा?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, वन्य प्राणियों और पक्षियों के अवैध शिकार के छिटपुट मामलों की सूचना देश के विभिन्न भागों से प्राप्त हुई है।

(ग) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ग) केन्द्र के समान, राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे समस्त प्रवर्तन एजेंसियों की समन्वय समितियां गठित करें ताकि अवैध शिकार को रोकने और गैर-कानूनी व्यापार को नियन्त्रित करने के लिए कारगर रूप से सहयोग किया जा सके। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में स्टाफ को आधुनिक हथियार, वायर लैस उपकरण तथा संचार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अवैध शिकार व गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिए 9वीं योजना में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, जिसे 1992-93 में राज्य क्षेत्र को अन्तरित कर दिया गया था, को पुनः शुरू किए जाने के लिए योजना आयोग से भी सम्पर्क किया जा रहा है। इससे केन्द्र सरकार, वन्यजीवों के अवैध शिकार और गैर कानूनी व्यापार को नियन्त्रित करने में राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में महत्वपूर्ण मदद कर सकेगी।

(घ) से (च) वर्ष 1991 में यथासंशोधित, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, एक व्यापक कानून है जो राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को, वन्य जीवों के प्रबंधन और संकटापन्न वनस्पतिजात व प्राणिजात प्रजातियों के सुरक्षा कार्य में बेहतर नियन्त्रण हेतु शक्तियां प्रदान करता है। संशोधित अधिनियम, वन्य जीवों को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक और प्रयास है और इसमें नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप मिलने वाली सजा और बढ़ा दी गई है। उक्त कानून के अधीन वाणिज्यिक व्यापार को भी शामिल किया गया है।

समुद्र तटों पर प्रदूषण

***70. श्री रंजीव बिस्वाल :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में समुद्र तटों पर बढ़ते हुए प्रदूषण से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 जारी की है जिसमें तटवर्ती क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों के नियमन के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड दोनों के द्वारा कार्यान्वित की जा रही भूमि आधारित गतिविधियों से बहिस्रावों के निपटान के लिए अलग से मानक अधिसूचित किए गए हैं।

[हिन्दी]

संचार माध्यमों पर हिंसा के प्रदर्शन का बच्चों पर प्रभाव

***71. डा॰ चिन्ता मोहन :**
श्री सुशील कुमार शिन्दे :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 मार्च 1998 के 'द पायनियर' में मीडिया वायलेन्स इन्फ्लूएन्सेस किड्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को लोगों पर विशेषकर बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का हिंसा, अपराध और अश्लीलता के बढ़ते प्रदर्शन को रोकने के लिए कोई टेलीविजन संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाने अथवा केबल टी॰वी॰ सहित इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए कोई कानून बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। कथित समाचार रिपोर्ट यूनेस्को संबंधी सांस्कृतिक अध्ययन के बारे में है जो कि विशेषरूप से भारत के बारे में नहीं था बल्कि विश्वव्यापी था जो कि भारत सहित 23 विभिन्न देशों के 5000 शिक्षार्थियों के सर्वेक्षण पर आधारित था।

(ग) और (घ) इस समय, प्रसार भारती (दूरदर्शन) अपने सभी कार्यक्रमों के प्रसारण से पहले उनका पूर्वावलोकन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें अधिक हिंसा या अश्लीलता न हो जिससे दर्शकों पर बुरा प्रभाव पड़े। पूर्वावलोकन से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कार्यक्रम, संहिता एवं विज्ञापन संहिता के अनुरूप हैं। सरकार ने प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के प्रावधानों को बहाल करने हेतु एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों की मानीटरिंग के लिए एक प्रसारण परिषद के गठन की व्यवस्था है। केबल नेटवर्क पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के प्रावधान लागू होते हैं। अधिनियम की धारा 5 तथा 6 के अनुसार, केवल विशिष्ट गेजटों/डिकोडरों की सहायता से प्राप्त हो सकने वाले चैनलों पर कार्यक्रमों/विज्ञापनों के मामले में निर्धारित कार्यक्रम/विज्ञापन संहिताओं का पालन करना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों का कार्यकरण

***72. प्रो॰ अजित कुमार मेहता :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के प्रबंधन, छात्रों को उपलब्ध सुविधाओं, शिक्षक-छात्र संबंध और छात्रों द्वारा बीच में स्कूल छोड़ने के कारणों का सरकार द्वारा कोई समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे स्कूलों के उचित कार्यकरण के लिए सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सरकार ने विशेष रूप से ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया है। तथापि, छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के दौरान संग्रहीत देश व्यापी आकड़ों से मोटे तौर पर विभिन्न स्तरों की शैक्षिक संस्थाओं में मौजूद शैक्षिक सुविधाओं की कमियों का पता चला है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन्हें परिचालित किया गया है ताकि अपेक्षित उपचारी कदम उठाए जा सके। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब), जो कि एक विचारण निकाय है और जिसके सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री तथा प्रख्यात शिक्षाविद् सदस्य हैं, की बैठक में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के समय विशिष्ट कार्रवाईयों पर भी विचार किया जाएगा।

विवरण

शहरी क्षेत्रों में भौतिक सुविधाओं वाले स्कूलों का प्रतिशत

स्कूलों की श्रेणी	प्रबंधन	पेज जल	शौचालय	प्रयोगशाला	पक्का भवन
प्राथमिक	सरकारी	46.87	37.69	24.51	65.16
	स्थानीय निकाय	61.51	48.77	37.19	70.72
	सहायता प्राप्त प्राइवेट	81.89	75.55	60.59	66.48
	सहायता न पाने वाले प्राइवेट	95.68	92.81	84.61	84.79
उच्च प्राथमिक	सरकारी	65.17	58.59	46.60	70.63
	स्थानीय निकाय	81.31	72.97	59.49	84.71
	सहायता प्राप्त प्राइवेट	90.76	88.59	75.58	72.58
	सहायता न पाने वाले प्राइवेट	96.65	95.54	89.35	87.56
माध्यमिक	सरकारी	85.27	83.80	73.61	72.59
	स्थानीय निकाय	89.98	85.66	77.52	80.72
	सहायता प्राप्त प्राइवेट	96.50	96.17	89.47	84.31
	सहायता न पाने वाले प्राइवेट	97.14	96.59	91.12	86.70
उच्च प्राथमिक	सरकारी	93.89	94.21	86.53	84.56
	स्थानीय निकाय	97.19	96.79	92.59	90.98
	सहायता प्राप्त प्राइवेट	98.56	98.23	95.68	92.71
	सहायता न पाने वाले प्राइवेट	98.25	98.30	94.94	88.78

स्रोत : छठां अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सारणी खंड II, स्कूल और भौतिक सुविधाएं

चुनाव सुधार

*73. **श्री आर॰ साम्बासिवा राव :**

श्री एन॰सी॰ बोस :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चुनाव कानूनों में सुधार लाने के लिए कोई विधान पेश करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार को दिए गए प्रस्तावों और सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चुनाव कानूनों में सुधार विधेयक पुरःस्थापित करने से पूर्व सभी लंबित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (घ) सरकार द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श के लिए निर्वाचन सुधार संबंधी 24 प्रस्तावों के एक सेट का अभिज्ञान किया गया था। इन प्रस्तावों का सार उस संलग्न विवरण में दिया गया है। इन 24 प्रस्तावों में से पहले 17 प्रस्तावों पर 22.5.1998 को हुई बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा की गई थी। राजनीतिक दलों की बैठक में, मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के लिए सरकारी वित्त पोषण और अन्य संबद्ध मुद्दों पर ठोस उपायों का सुझाव देने के लिए, संसद सदस्य, श्री इन्द्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति को अगस्त, 1998 की समाप्ति तक अपनी रिपोर्ट देनी है। तत्पश्चात् समिति की सिफारिशों और शेष प्रस्तावों पर राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा और सरकार ऐसे प्रस्तावों को, जिन पर राजनीतिक दलों के मध्य सर्वसम्मति होती है, प्रभावी बनाने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने पर विचार करेगी।

विवरण

निर्वाचन सुधार संबंधी अतिरिक्त प्रस्तावों का सार

क. **अभ्यर्थी**

1. विधान सभा और लोक सभा के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की आयु 25 वर्ष से कम करके 21 वर्ष करना

और विधान परिषद् तथा राज्य सभा के निर्वाचनों की दशा में 30 वर्ष से कम करके 25 वर्ष करना।

2. एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन।

3. भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए किसी व्यक्ति की स्वतः निरर्हता।

4. प्रतिभूति निक्षेप बचाने के लिए डाले गए वैद्य मतों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या को 1/6 से बढ़ाकर 1/4 करना।

ख. राजनैतिक दल

5. राजनैतिक दलों द्वारा लेखाओं का अनिवार्य रख-रखाव और निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अभिकरणों द्वारा उनकी संवीक्षा।

6. कंपनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दान पर रोक।

7. राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रीकरण और अरजिस्ट्रीकरण विद्यमान उपबंधों को सशक्त बनाना।

8. संसद की विधि द्वारा निर्वाचन प्रतीकों के आरक्षण और आबंटन का विनियमन।

ग. स्थानों का चक्रानुक्रम

9. अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम।

10. कतिपय पूर्वोत्तर राज्यों में, जहां अधिकतर स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, साधारण स्थानों का चक्रानुक्रम।

घ. निर्वाचन व्यय

11. किसी राजनैतिक दल द्वारा उपगत व्यय का, निर्वाचन व्यय की सीमा के प्रयोजनों के लिए किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जाना।

12. प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पूर्व निर्वाचन व्यय की सीमा नियत करने के लिए निर्वाचन आयोग को सशक्त करना।

ङ सरकारी वित्त पोषण

13. निर्वाचनों का सरकारी वित्त पोषण-उसकी सीमा और रीति।

च. निर्वाचन पद्धति

14. वर्तमान निर्वाचन पद्धति का मजोरिटेरियन पद्धति/लिस्ट पद्धति/मिश्रित पद्धति/किसी अन्य पद्धति में परिवर्तन।

15. मत देना अनिवार्य बनाना।

छ. आदर्श आचरण संहिता

16. आदर्श आचरण संहिता के भाग 7 के उपबंधों का कानूनी पृष्ठ पोषण।

ज. दल परिवर्तन विरोधी-विधि

17. परिवर्तन विरोधी-विधि का संशोधन।

झ. निर्वाचन आयोग की शक्ति को बढ़ाया जाना

18. रिटर्निंग आफिसर के अतिरिक्त किसी निर्वाचन प्रेक्षक से रिपोर्ट प्राप्त होने पर किसी निर्वाचन को प्रत्याविष्ट करने के लिए निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाना।

19. निर्वाचन आयोग को अनुदेश जारी करने और निर्वाचनों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए सशक्त बनाना।

ज. निर्वाचन आयोग और उसका तंत्र

20. निर्वाचन कर्तव्यों के लिए पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, स्वशासी निकायों, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कानूनी और अकानूनी निकायों के कर्मचारियों को संघटित करना और यह भी प्रबंध करना कि ऐसे निकायों के, जिनके अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण भी हैं, कर्मचारियों को उनके राज्य के बाहर भी निर्वाचन कर्तव्यों के लिए तैनात किया जा सकेगा।

21. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की पद्धति।

22. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को सरकार के अधीन और नियुक्ति के लिए अपात्र बनाया जाना।

23. (1) लोक सभा सचिवालय के समान ही भारत निर्वाचन आयुक्त के लिए स्वतंत्र सचिवालय; और

(2) निर्वाचन आयोग के खर्चे भारत की संचित निधि पर "भारित" किए जाने चाहिए अथवा नहीं।

24. अनन्यतः निर्वाचन कार्य के प्रत्येक राज्य का मुख्य निर्वाचन ऑफिसर।

पश्चिमी घाटों का विकास

***74. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान पश्चिमी घाटों के विकास के लिए ओवरसीज डेवेलपमेंट एजेंसी (ओ॰डी॰ए॰) से प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा ओ॰डी॰ए॰ राशि के उपयोग का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम में जनता की भागीदारी के लिए कोई नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारंभ किए गये विकास कार्यों और उनसे प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) पश्चिमी घाटों में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए तथा पश्चिमी घाट के वनों के पुनः स्थापना के लिए कर्नाटक में पश्चिमी घाट वानिकी एवं पर्यावरण परियाजना कार्यान्वित की जा रही है। यह परियोजना समुद्रपारीय विकास एजेंसी, ब्रिटेन की सहायता से 1992-93 से कार्यान्वित की जा रही है। पिछले पांच सालों में इस परियोजना के तहत उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	लाख रु० में
1993-94	1027.645
1994-95	1300.507
1995-96	1492.378
1996-97	1590.216
1997-98	1856.995
जोड़	7267.741

(ग) और (घ) इस परियोजना के अन्तर्गत वनों की योजना बनाने और उनके प्रबंधन में लोगों की भागीदारी पर अधिक बल दिया जाता है। कर्नाटक राज्य सरकार ने वर्ष 1993 में एक सरकारी आदेश जारी किया था जिसमें ग्रामीण वन समितियों के गठन के माध्यम से वनों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों को शामिल करने को कहा गया। ग्रामीण वन समितियों की गतिविधियों में महिलाओं सहित ग्रामीण लोगों की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए उक्त आदेश में 1996 में संशोधन किया गया। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप 40,312 है० क्षेत्र में वनीकरण हुआ है तथा इसके प्रारंभ की तारीख से लेकर मार्च, 1998 तक 424 ग्रामीण वन समितियों का गठन किया गया है।

कम्प्यूटर-शिक्षा

75. श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कम्प्यूटर को एक प्रमुख शिक्षण साधन के रूप में लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा वर्तमान शिक्षण प्रणाली के साथ कम्प्यूटर साक्षरता को जोड़ने के लिए कोई संदर्शी योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय विद्यालय आदि जैसे स्वायत्त निकायों में पहले से ही लागू कर दिया गया है। सरकार सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घटित उल्लेखनीय घटनाक्रमों के फलस्वरूप कम्प्यूटरों को एक महत्वपूर्ण शैक्षिक साधन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान देती है।

(ख) और (ग) माध्यमिक तथा उच्चतर स्कूल स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए पहले से ही कई कदम उठाए गए हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक धारा में कम्प्यूटर विज्ञान को एक ऐच्छिक विषय के रूप में लागू कर दिया गया है। इस स्तर पर एक अन्य वैकल्पिक विषय "सूचना पद्धति" है। व्यावसायिक धारा के अन्तर्गत इसी तरह का एक व्यावसायिक सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्यानुभव के एक वैकल्पिक घटक के रूप में कक्षा 9 तथा 10 स्तर पर कम्प्यूटर साक्षरता का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना

***76. श्री थावरचन्द गेहलोत :**

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्कूली बच्चों के लिए चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 से 1997-98 तक खाद्यान्न उपलब्ध किए गए थे तथा खाद्यान्नों की मात्रा क्या थी;

(ग) इस योजना पर सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में कोई मूल्यांकन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार इस योजना पर ज्यादा बल देना चाहती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम को जो मध्याह्न भोजन योजना के नाम से लोकप्रिय है, 15 अगस्त, 1995 को आरम्भ किया गया था और उसका विस्तार किया गया है ताकि तीन वर्षों की अवधि में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जा सके। 5,763 ब्लाकों और शहरी क्षेत्रों में 6.88 लाख स्कूलों में 9.80 करोड़ बच्चों को इस योजना में 1998-99 तक शामिल किया जाना है।

इस योजना के आरम्भ से योजना के अन्तर्गत सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए गए खाद्यान्नों की मात्रा निम्नवत् है :—

क्र॰सं॰	वर्ष	मात्रा (मीट्रीक टनों में)
1.	1995–96	7.13 लाख
2.	1996–97	15.86 लाख
3.	1997–98	25.68 लाख

(ग) वर्ष 1997–98 के दौरान इस योजना पर केन्द्र सरकार द्वारा 1070.38 करोड़ रु॰ की राशि व्यय की गई।

(घ) और (ङ) चूंकि इस कार्यक्रम का विस्तार देश के सभी ब्लॉकों तथा शहरी क्षेत्रों में केवल वर्ष 1997–98 में ही किया गया है अतः अभी तक इस योजना की किसी प्रकार की औपचारिक समीक्षा अथवा उसका मूल्यांकन करना संभव नहीं हुआ है।

(च) और (छ) वर्तमान संकेतों के अनुसार, यह योजना नौवीं योजना के दौरान चलती रहने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पर्यावरण कोष

*77. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यू॰एन॰डी॰पी॰ जैसी विश्व के सभी देशों में कार्यरत एजेंसियों की सहायता से वनों के विकास हेतु एक राष्ट्रीय पर्यावरण कोष की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नेशनल पार्कों/अभयारण्यों की स्थापना के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं/एजेंसियों/संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा निधियों की उपयोग की स्थिति और राज्य सरकारों द्वारा मार्ग–निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में क्या खामियां पायी गई हैं और उन्हें बीच में ही दूर करने हेतु क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों की स्थापना के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। तथापि, आई डी ए/जी ई एफ द्वारा दिये गये धन से "इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट" शीर्षक से एक परियोजना क्रियान्वनाधीन है और इसका उद्देश्य सात राष्ट्रीय उद्यानों/बाघ रिजर्वों में पारिस्थितिकी विकास के माध्यम से जैविक विविधता संरक्षण करना है। पांच वर्ष की अवधि में 294.93 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ यह परियोजना क्रियान्वयन के प्रारंभिक चरण में है। परियोजना में कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान देखी गयी कमियों, यदि कोई हों, को सुधारने के लिए मध्यावधि मूल्यांकन का प्रावधान है।

छात्रों को क्षतिपूर्ति

*78. **श्री सी॰पी॰एम॰ गिरियप्पा :**
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 1998 में आयोजित की गई कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षा के प्रश्न–पत्र पाठ्यक्रम से बाहर के तथा बहुत लंबे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इससे प्रभावित छात्रों की क्षतिपूर्ति करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मिली सूचना के अनुसार, 1998 में आयोजित कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के पाठ्य–विवरण के अन्दर से ही थे तथा उनका पैटर्न वही था जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलना

*79. **श्री अशोक प्रधान :**
श्री सीताराम यादव :

क्या **जल–भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करने के संबंध में विभिन्न राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं तथा सरकार चालू वर्ष एवं नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कुछ राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग में बदले जाने वाले संभावित राज्य राजमार्गों में से प्रत्येक मार्ग के नाम क्या है तथा इनकी लंबाई कितनी–कितनी है; और

(ग) इन्हें कब तक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम॰ तम्बी दुरई) : (क) जी हां। विभिन्न राज्य सरकारों से नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और वर्ष 1997-98 के दौरान, सरकार ने विभिन्न राज्यों में कुल 4219 कि॰मी॰ लम्बाई के 18 नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पहले ही कर दी है। विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) चूंकि नौवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और संसाधनों की स्थिति की अभी जानकारी नहीं है, इसलिए नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए कोई समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की अनुसूची में क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ राज्य जिससे राजमार्ग गुजरता है और कि॰मी॰ में लगभग लम्बाई	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
1	2	3
13-जे	रा॰रा॰ सं॰ 57 (बिहार-310)	राजमार्ग जो रा॰रा॰ सं॰ 28 पर मुज्जफरपुर में अपने जंक्शन से शुरू होकर दरभंगा-थाईबिटिया-फारबिसगंज-पूर्णिया को जोड़ते हुए बिहार में रा॰रा॰ सं॰ 31 पर पूर्णिया में समाप्त होता है।
67	रा॰रा॰ सं॰ 58 (उत्तर प्रदेश-527)	राजमार्ग जो रा॰रा॰सं॰-24 के साथ गाजियाबाद के समीप 17.65 कि॰मी॰ में अपने जंक्शन से शुरू होकर और मेरठ, मुज्जफरनगर, रूड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, रूद्रप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश में माणा में समाप्त होता है।
68	59 (मध्य प्रदेश-139 गुजरात-211)	राजमार्ग जो अहमदाबाद बाइपास पर रा॰रा॰ सं॰ 8 पर अपने जंक्शन से शुरू होकर बालासिनोर-सेवालिया गोदरा-लिमखेड़ा-गुजरात में दोहद-झबुआ-सरदारपुरा-धार-जंक्शन को घाट बिलोड के समीप इन्दौर-रतलाम सड़क से जोड़ते हुए मध्य प्रदेश में रा॰रा॰ सं॰ 3 पर इन्दौर में समाप्त होता है।
69	60 (उड़ीसा-57) (पं॰ बंगाल-68)	राजमार्ग जो रा॰रा॰ सं॰ 5 पर बालासोर से शुरू होकर रूपास-उड़ीसा में जलेस्वर दांता-वेल्डाकस्बा नारायणपढ़ को जोड़ते हुए और प॰ बंगाल में रा॰रा॰सं॰ 6 पर खड़गपुर में समाप्त होता है।
47	रा॰रा॰ सं॰ 61 (नागालैंड- 220 असम - 20 240	राजमार्ग जो नागालैंड में रा॰रा॰सं॰ 39 पर कोहिमा के समीप अपने जंक्शन से शुरू होकर और वोखा-मोकोकचुंग-अमगुरी को जोड़ते हुए तथा असम में झांझी के समीप रा॰रा॰सं॰ 37 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है।
42-ए	रा॰रा॰ 52 ए का विस्तार (अरुणाचल प्रदेश- 22 असम - 10 32)	राजमार्ग जो अरुणाचल प्रदेश में रा॰रा॰सं॰ 52 ए पर इटानगर के समीप अपने जंक्शन से शुरू होकर असम में गोहपुर के समीप रा॰रा॰ सं॰ 52 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है।
48	रा॰रा॰ 52-बी (असम-31)	राजमार्ग जो कुलजान के समीप रा॰रा॰ 52 पर अपने जंक्शन से शुरू होकर असम में रा॰रा॰ 37 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है।
33-बी	रा॰रा॰ 44 का विस्तार (त्रिपुरा-135)	राजमार्ग जो रा॰रा॰ 44 पर अगरतला के नजदीक अपने जंक्शन से शुरू होकर त्रिपुरा में सबरूम में समाप्त होता है।

1	2	3
49	रा॰रा॰ सं॰ 62 (असम – 5 मेघालय–125 130	राजमार्ग जो असम में डामरा के नजदीक रा॰रा॰ 37 पर अपने जंक्शन से शुरू होकर मेघालय में बाघमरा में समाप्त होता है।
13 जी जी	रा॰रा॰ सं॰ 17–बी (गोवा–40)	राजमार्ग जो पांडा के समीप रा॰रा॰ 4 ए के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर बरीम–वरना को जोड़ते हुए गोवा में चास्को के समीप समाप्त होता है।
50	रा॰रा॰ सं॰ 63 कर्नाटक – 370 आंध्र प्रदेश – 62 432	राजमार्ग जो कर्नाटक में अंकोला के समीप रा॰रा॰ सं॰ 17 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर और हुबली–होसपेट को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश में गूटी के समीप रा॰रा॰सं॰ 7 के साथ अपनी जंक्शन पर समाप्त होता है।
51	रा॰रा॰ सं॰ 64 (पंजाब–225)	राजमार्ग जो चंडीगढ़ के समीप रा॰रा॰ सं॰ 22 पर अपने जंक्शन से शुरू होकर और राजपुरा–पटियाला–संगरूर को जोड़ते हुए पंजाब में भटिंडा के समीप रा॰रा॰ सं॰ 15 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है।
52	रा॰रा॰ सं॰ 65 (हरियाणा – 240 राजस्थान – 170 410	राजमार्ग जो हरियाणा में अम्बाला के समीप रा॰रा॰ सं॰ 1 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर और कैथल–हिसार को जोड़ते हुए राजस्थान में फतेहपुर के समीप रा॰रा॰ सं॰ 11 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है।
53	रा॰रा॰ सं॰ 66 पांडिचेरी 10 तमिलनाडू 234 244	राजमार्ग जो पांडिचेरी में रा॰रा॰–45ए के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर और घिंडीवनम गिनी–तिरूवन्नगलै को जोड़ते हुए तमिलनाडु में कृष्णगिरि के समीप रा॰रा॰ सं॰ 7 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है।
54	रा॰रा॰ सं॰ 67 (तमिलनाडू – 217)	राजमार्ग जो नागापट्टीनम से शुरू होकर त्रिची को जोड़ते हुए तमिलनाडू में करूर के समीप रा॰रा॰ सं॰ 7 पर अपने जंक्शन पर समाप्त होता है।
55	रा॰ रा॰ सं॰ 68 (तमिलनाडू – 134)	राजमार्ग जो उलुंडरपेट के समीप रा॰रा॰ सं॰ 45 पर अपने जंक्शन से शुरू होकर तमिलनाडु में सलेम के समीप रा॰रा॰ सं॰ 7 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है।
56	रा॰रा॰ सं॰ 69 (महाराष्ट – 55 मध्य प्रदेश – 295 350)	राजमार्ग जो महाराष्ट्र में नागपुर के समीप रा॰रा॰ सं॰ 6 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर मध्य प्रदेश में ओबेदुल्लागंज के समीप रा॰रा॰ सं॰ 12 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है।
7–ए	रा॰रा॰ सं॰ 6 का विस्तार (महाराष्ट्र – 217 गुजरात – 160 287)	राजमार्ग जो महाराष्ट्र में धुले के समीप रा॰रा॰ सं॰ 6 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर गुजरात में सूरत में समाप्त होता है।
	जोड़ 4219	

[अनुवाद]

राष्ट्रीय संस्कृति कोष

***80. श्री एस॰एस॰ ओवेसी :**

श्री मोहन रावले :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय संस्कृति को संरक्षण देने और उसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय संस्कृति कोष की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उद्योगों से इस कोष में अपना अंशदान देने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो इस कोष में कितने उद्योगों ने अंशदान दिया है;

(ङ) क्या सरकार इस कोष में अपने हिस्से की धनराशि उपलब्ध कराने में विफल रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति कोष में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने दिनांक 28.11.96 के भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना के तहत एक राष्ट्रीय संस्कृति कोष (एन॰सी॰एफ॰) की स्थापना की है। अधिसूचना की प्रतियां पहले से ही संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) राष्ट्रीय संस्कृति कोष, संसद अथवा राज्य की विधान सभाओं के अधिनियमों के अंतर्गत निर्मित सांविधिक निकायों, संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संबंधित निकायों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय धर्मार्थ/लोकोपकारी संगठनों, प्रवासी भारतीयों, न्यासों, सोसायटियों और व्यक्तियों से अंशदान प्राप्त कर सकती है।

(घ) ओबेराय होटल समूह और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने राष्ट्रीय संस्कृति कोष को क्रमशः 5,00,000/- रुपये और 25,000/- रुपये का अंशदान दिया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं, सरकार ने बजटीय प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय संस्कृति कोष को 4 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये हैं।

प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों में विसंगतियां

643. श्री जयसिंह जी चौहान : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग द्वारा प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए संस्तुत वेतनमानों में कुछ विसंगतियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सिफारिशों के कारण प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों और टी॰जी॰टी॰ अध्यापकों के वेतनमान में बहुत अन्तर हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार इन विसंगतियों को दूर करने का विचार रखती है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते। तथापि, यदि शिक्षक संशोधित वेतन संरचना को विसंगतिपूर्ण मानते हैं तो निर्धारित कार्यविधि के अनुसार वे संयुक्त परामर्शीतंत्र की राष्ट्रीय परिषद् के जरिए इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विसंगति समिति के साथ इसे उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन लगाया जाना

644. श्री भास्कर राव पाटील : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ॰बी॰ संख्या जारी किए जाने के बाद भी महीनों तक न तो टेलीफोन लगाए जाते हैं और न ही स्थानांतरित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) लम्बित टेलीफोन को कब तक लगाया जाएगा अथवा स्थानांतरित किया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) तकनीकी रूप से व्यवहार्य न होने के कारण कुछ मामलों को छोड़कर ओबी नम्बर जारी हो जाने के पश्चात् दूरसंचार विभाग के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही टेलीफोन संस्थापित/स्थानान्तरित किये जाते हैं।

(ख) चूंकि ओबी नम्बर जारी करने के कार्य में विलम्ब मुख्य रूप से तकनीकी कारणों से होता है, इसलिए किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भूमिगत केबलों को बिछाने तथा बाह्य संयंत्र का उन्नयन करने से जैसे-जैसे मामले तकनीकी रूप से व्यवहार्य होते जाते हैं और जहां ओ॰बी॰ जारी कर दिये गये हैं, वहां टेलीफोन प्रदान करने/स्थानांतरित करने के सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में गांवों में दूरभाष केन्द्र खोलना

645. श्री गिरिधर गमांग : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सर्किल के शहरी क्षेत्रों में दूरभाष केन्द्र खोले जाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष केन्द्र खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कोरापुट टी॰डी॰एम॰ क्षेत्र में ग्रामीण दूरभाष केन्द्र खोलने के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है और अब तक किन स्थानों पर ग्रामीण दूरभाष केन्द्र खोले जा चुके हैं;

(ग) क्या राज्य में दूरभाष केन्द्रों के विस्तार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां। वर्ष 1998-99 के लिए उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए 15 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। शहरी क्षेत्रों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) कोरापुट टी॰डी॰एम॰ क्षेत्र में गुमुडा, मैदलपुर, ओंकादली और पोडागहा में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से अभी कोई भी एक्सचेंज खोला नहीं गया है।

(ग) जी हां।

(घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

उड़ीसा सर्किल के लिए विस्तार योजना

	31.03.98 तक की स्थिति के अनुसार		प्रस्तावित विस्तार/नये एक्सचेंज			प्रस्तावित सीधी एक्सचेंज लाइनें
	क्षमता	सीधी एक्सचेंज लाइनें	सकल क्षमता	प्रतिस्थापन	निवल क्षमता	
बड़े एक्सचेंज	164980	138811	89500	22500 9000 लाइनों को हटाना	58000	46500
छोटे एवं मध्यम स्तर के एक्सचेंज	138626	127287	30000	5000	25000	13500
कुल	303606	266098	119500	36500	83000	60000

केरल में कम शक्ति ट्रांसमीटर/अत्यधिक कम शक्ति के ट्रांसमीटर

646. श्री पी॰सी॰ थामस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोट्टायम जिले के पाला में कम शक्ति का ट्रांसमीटर तथा इराटुपेटा तथा मुड्डाकयम में अत्यधिक कम शक्ति का ट्रांसमीटर स्वीकृत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति क्या है और इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) पाला में अल्प शक्ति टी॰वी॰ ट्रांसमीटर और इराटुपेटा में अति अल्प शक्ति टी॰वी॰ ट्रांसमीटर स्थापित करने के स्थलों की शिनाख्त की जा रही है और इन अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाओं को पूरा करने में एक से दो वर्ष का समय लगेगा बशर्ते संसाधन और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

पत्तनों का विकास

647. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 में मंत्रालय द्वारा गठित कार्यदल की सिफारिश के अनुसार ऐजिक्कल/बेपोर/विजिनहेम पत्तनों के विकास के लिए

केन्द्रीय सहायता दिए जाने के संदर्भ में केरल सरकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) केरल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण था, इसलिए इस पर केन्द्रीय सहायता के लिए विचार नहीं किया जा सका।

मूलभूत और सेल्यूलर सेवाओं के लिए लाइसेंस फीस

648. श्री के॰पी॰ नायडू : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूलभूत और सेल्यूलर सेवाओं के लिए प्रस्तावित लाइसेंस फीस अवास्तविक और बहुत ऊंची है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे कम किए जाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ताकि इससे संबंधित परियोजनाएं चालू हो सकें?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) बुनियादी तथा सेल्यूलर दोनों सेवाओं के लिए बोलीदाता इन सेवाओं की मांग का मूल्यांकन करने के पश्चात् विभिन्न दूरसंचार सर्किलों के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में स्वयं लाइसेंस शुल्क उद्धृत किये हैं।

(ख) प्रचालकों के संगठनों ने बुनियादी तथा सेल्यूलर दोनों सेवाओं के लिए उद्योग को खराब स्थिति के बारे में अभ्यावेदन दिया है और वे कतिपय वित्तीय रियायतों के लिए अनुरोध किये हैं। औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बीआईसीपी) से अनुरोध किया गया है कि वह सेल्यूलर सेवा उद्योग का तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करें। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

आई॰आई॰टी॰एल॰ मुम्बई को लाइसेंस जारी करना

649. श्री रामदास आठवले : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले अक्तूबर में विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी॰एस॰एन॰एल॰) में मुम्बई स्थित इरिडियम इण्डिया टेलीकोम लिमिटेड (आई॰आई॰टी॰एल॰) को 50 करोड़ रुपये का भुगतान किया है लेकिन दूरसंचार विभाग ने अभी तक आई॰आई॰टी॰एल॰ को लाइसेंस जारी नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपस्करों की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मामले की जांच कर ली गई है और मामले में ढिलाई का रवैया अपनाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को पहचान लिया गया है और क्या इसके लिए दण्डित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) विदेश संचार निगम लिमिटेड ने वी॰एस॰एन॰एल॰ बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त कर लेने के पश्चात् तथा आई॰आई॰टी॰एल॰ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिये जाने के पश्चात् गेट-वे इक्विपमेन्ट की खरीद के लिए इरिडियम इण्डिया टेलीकॉम लिमिटेड को 50 करोड़ रुपये का सुरक्षित अग्रिम भुगतान कर दिया है।

(ग) से (ङ) मामले की जांच की जा रही है। इस समय कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जारी धनराशि

650. डा॰ जयंत रंगपी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी राशि जारी की गई;

(ख) इस अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ग) असम सरकार द्वारा मौजूदा वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु कितनी राशि की मांग की गई है; और

(घ) डोबोका और दीमापुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 36 के कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए विभिन्न राज्यों को जारी की गई राशि के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) इन वर्षों के दौरान किसी भी राज्य द्वारा कोई निधियां अभ्यर्पित नहीं की गई हैं।

(ग) चालू वर्ष के लिए असम सरकार द्वारा 2845 करोड़ रु॰ की राशि की मांग की गई है।

(घ) डोबोका और दीमापुर के बीच रा॰स॰ 36 पर कार्य मार्च, 1999 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

विवरण

(लाख रु॰)

संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96 आवंटन	1996-97 आवंटन	1997-98 आवंटन
1.	आंध्र प्रदेश	2100.00	2100.00	2949.83
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3.	असम	1650.00	1212.00	1821.00
4.	बिहार	1600.00	1400.00	1900.00
5.	चंडीगढ़	25.00	24.00	30.00
6.	दिल्ली	400.00	400.00	800.00
7.	गोवा	500.00	700.00	900.00
8.	गुजरात	3398.00	2933.00	3675.00
9.	हरियाणा	1000.00	800.00	1100.00
10.	हिमाचल प्रदेश	1600.00	1200.00	1700.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	50.00	100.00	150.00
12.	कर्नाटक	1400.00	1900.00	2900.00
13.	केरल	2100.00	2500.00	3600.00
14.	मध्य प्रदेश	2000.00	1000.00	1700.00
15.	महाराष्ट्र	2859.00	1900.00	2900.00
16.	मणिपुर	500.00	360.00	700.00
17.	मेघालय	600.00	900.00	920.00
18.	नागालैंड	50.00	10.00	100.00
19.	उड़ीसा	1300.00	1750.00	2600.00
20.	पांडिचेरी	50.00	50.00	70.00
21.	पंजाब	1000.00	1200.00	1300.00
22.	राजस्थान	2400.00	1850.00	2550.00
23.	तमिलनाडु	1000.00	1905.00	2500.00
24.	उत्तर प्रदेश	3400.00	3000.00	4608.00
25.	पश्चिम बंगाल	2200.00	3000.00	5375.00
		33182.00	32767.00	46848.00

[हिन्दी]

राज्यों में विद्युत की मांग तथा आपूर्ति

651. **श्री बाजू बन रियान :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर के राज्यों मे विद्युत की मांग तथा पूर्ति के बीच अंतर अभी भी बना हुआ है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अंतर को समाप्त करने के लिए अब क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन उठाए गए कदमों के कारण इन राज्यों में विद्युत की स्थिति में कहां तक सुधार हुआ है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्यों में राज्यवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नानुसार है :

राज्य का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%
अरूणाचल प्रदेश	144.30	115.30	29.00	20.1
असम	2987.30	2727.50	259.80	8.7
मणिपुर	511.60	404.70	106.90	20.9
मेघालय	413.00	425.80	(+)12.80	(+) 3.10
मिजोरम	214.90	153.20	61.70	28.70
नागालैंड	213.90	159.50	54.40	25.40
त्रिपुरा	511.30	439.00	72.30	14.10
जोड़ (उ॰प्र॰ से)	4996.30	4425.00	571.30	11.40

(ग) उत्तर-पूर्वी राज्यों में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित ईष्टतम समुपयोजन, (2) क्षेत्र के अधिशेष राज्यों और विद्युत के अभाव वाले राज्यों के बीच द्विपक्षीय क्षेत्रों में स्थित एन॰टी॰पी॰सी॰ स्टेशनों के अनावंटित उत्पादन से असम को 100 मे॰वा॰ विद्युत का आवंटन। नीपको के अगरतला गैस विद्युत केन्द्र पर 21 मे॰वा॰ प्रत्येक के 3 यूनिटों को आरंभ किया गया है जिससे मांग और आपूर्ति के बीच दूरी कम करने में सहायता मिली है।

उपर्युक्त के अलावा, विभिन्न निष्पादन एजेंसियां राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र का निर्माणाधीन उत्पादन और पारेषण/वितरण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

(घ) उपर्युक्त कार्रवाई से उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए समग्र ऊर्जा कमी पूर्णतः वर्ष 1996-97 के दौरान 12.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1997-98 के दौरान 11.4 प्रतिशत हो गई।

[अनुवाद]

नई विद्युत परियोजनाओं का कार्य निष्पादन

652. **श्री संदीपान थोरात :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्माणाधीन नई पन विद्युत परियोजनाओं के कार्य निष्पादन और 31 मार्च, 1998 तक हुई प्रगति की राज्यवार समीक्षा की है,

(ख) नई परियोजनाओं में निवेश के साथ 1997-98 के दौरान नई परियोजनाओं के पूरा किए जाने पर अतिरिक्त विद्युत उत्पादन और चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा धनराशि के प्रावधान का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष और नौवीं योजना के दौरान केन्द्रीय प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए महाराष्ट्र की लम्बित पन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) जी, हां। देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की लगातार समीक्षा की जाती है।

(ख) 1997-98 के दौरान चालू की गई जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा, संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है और 1998-99 में चालू किए जाने वाले लक्षित जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है। 1998-99 के लिए इन परियोजनाओं की निधियों का आवंटन अंतिम योजना पर विचार-विमर्श के उपरांत किया जाएगा।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु लंबित महाराष्ट्र की जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

1997-98 के दौरान चालू की गई जल विद्युत परियोजनाएं

क्र॰सं॰	परियोजना/यूनिट का नाम		राज्य/संगठन	क्षमता (मे॰वा॰)	चालू करने संबंधी कार्यक्रम		
					वर्ष के आरंभ में परिकल्पित	वास्तविक	
1.	वरना यू-1		महा॰/महाराष्ट्र सरकार	8	7/97	21.9.97	(रोल्ड)
2.	कालीनदी-2 यू-1 कदाना		कर्नाटक/केपीसीएल	50	9/97	2.6.97	
3.	लोअर पेरियार	यू-2	केरल/केएसईवी	60	6/97	23.10.97	
		यू-3	केरल/के॰एस॰ई॰बी॰	60	7/97	28.11.97	
4.	लोअर भवानी	यू-1	टी॰एन/टी॰एन॰ई॰बी॰	4	6/97	10.2.98	
	बांध आरपीसी		टी॰एन/टी॰एन॰ई॰वी॰	4	6/97	28.2.98	
5.	पूर्वी गंडक	यू-3	बिहार/बी॰एच॰पी॰सी	5	8/97	12.11.97	
6.	तीस्ता कैनाल	यू1	पं॰ बंगाल/डब्ल्यू॰बी॰	7.5	6/97	15.9.97	
	प्रपात चरण-1	यू-2	एस॰ई॰बी॰	7.5	8/97	25.1.98	
		यू-3	- वही -	7.5	10/97	27.3.98	(रोल्ड)
	चरण-2	यू-1	प॰ बंगाल/डब्ल्यू॰एस॰ई॰बी॰	7.5	9/97	18.3.98	(रोल्ड)
7.	नूरांग	यू-1	अरूणाचल प्रदेश/ अरूणाचल प्रदेश विद्युत विभाग	2	8/97	6.8.97	(रोल्ड)
		यू-2	- वही -	2	10/97	- वही -	
		यू-3	- वही -	2	12/97	- वही -	
8.	भद्रा आर॰बी॰सी	यू-1	कर्नाटक/के॰पी॰सी॰एल॰	6	1998-99	25.3.98	(रोल्ड)
			जोड़	233 मे॰वा॰			

कार्यक्रम 1998-99 से आगे

विवरण-II

1998-99 के दौरान अनंतिम जल विद्युत अभिवृद्धि

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	क्षमता (मे॰वा॰)	पहले ही रोल्ड/चालू की गई क्षमता	1998-99 के दौरान कार्यक्रम अभिवृद्धि	चालू करने की संभावित तिथि	टिप्पणी/बाधाएं
केन्द्रीय क्षेत्र						
1.	दोयांग (नागालैंड)	3×25 = 75	शून्य	25 (यू-1)	12/98	
	उप-जोड़ (के॰क्षे॰)			25		
राज्य क्षेत्र						
2.	*तोबला (उ॰प्र॰)	2×3 = 6	शून्य	6	6/98	
3.	अपर सिंध-2 (जेएंडके)	2×35 = 70	शून्य	35	1/99	
4.	सेवा चरण-3 (जेएंडके)	3×3 = 9	शून्य	9	9/98	
5.	चेन्नई चरण-3 (जेएंडके)	3×2.5 = 7.5	शून्य	7.5	9/98	
6.	रंजीत सागर बांध (पंजाब)	4×150 = 600	शून्य	150 (यू-4)	12/98	
	उप-जोड़ (उ॰क्षे॰)			207.5		
पश्चिमी क्षेत्र						
7.	वन (महा॰)	2×8 = 16	8	8 (यू-2)	26.4.98	को स्पन किया
8.	दूधगंगा (महा॰)	2×12 = 24	शून्य	12 (यू-1)	10/98	
9.	कदाना विस्तार (गुजरात)	2×60 = 120	60	60	5/98	
	उप-जोड़ (प॰क्षे॰)			80.00		
दक्षिणी क्षेत्र						
10.	सिंगुर (आ॰प्र॰)	2×7.5 = 15	शून्य	7.5	1/99	
11.	कालीनदी-2 कदरा	3×50 = 150	50	100 (यू-2 एंड 3)	11/98 3/999	कोडसल्ली 40 मे॰वा॰ यूनिट-1
	(कर्नाटक) : कोडासल्ली	3×40 = 120	शून्य	80 (यू-1 व 2)	6/98 3/99	1997-98 से सिलियेज
12.	पोरिंगालकुथु एल॰बी॰ विस्तार (केरल)	1×16 = 16	शून्य	16	12/98	
13.	सतनूर बांध (टी॰एन)	1×7.5 = 7.5	शून्य	7.5	12/98	
	उप-जोड़ (द॰क्षे॰)			211.0		
पूर्वी क्षेत्र						
14.	पोत्तेरू चरण-1 व 2 (उड़ीसा)	1×3+1×3 = 6	शून्य	6	12/98	
15.	तीस्ता कैनाल प्रपात (प॰बंगाल)	3×3×7.5 = 67.5	30	15	9/98 10/98	
	कुल जोड़ :			544.5 मे॰वा॰		
	1997-98 से स्लिपेज :		219.5 मे॰वा॰			
	1998-99		325.0 मे॰वा॰			
	1998-99 के दौरान अतिरिक्त जोड़		544.5 मे॰वा॰			

विवरण-III

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांचाधीन स्कीम

एक जल विद्युत परियोजना, अर्थात् मल्सेज घाट (पिम्पलगांव जोग) पी॰एस॰एस॰ (2×300 मे॰वा॰) की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 908.52 करोड़ रु॰ (95-96 मूल्यस्तर) की अनुमानित लागत पर दिसम्बर, 1997 में महाराष्ट्र सरकार, सिंचाई विभाग (जी॰ओ॰एम॰आई॰डी॰) से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट के॰वि॰प्रा॰/केन्द्रीय जल आयोग की विचाराधीन है।

पूर्णतः एवं विभिन्न निवेशों, जल विद्युत आयोजना और ई॰ एंड एम॰ कार्यों की लागत के संबंध में टिप्पणियां दिसंबर, 1997 और फरवरी, 1998 में महाराष्ट्र सरकार, सिंचाई विभाग (जी॰ओ॰एम॰आई॰डी॰) को भेज दी गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार समग्र स्कीम को 7 वर्ष की अवधि में पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

परियोजना प्राधिकारियों को वापिस की गई स्कीम

चिखलधारा पी॰एस॰एस॰ (2×200 मे॰वा॰) की संशोधित विस्तृत परियोजना 931.74 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत तक (1994-95 मूल्य स्तर) मार्च, 1995 में के॰वि॰प्रा॰ से प्राप्त हुई थी। इस स्कीम को के॰वि॰प्रा॰ के जल आयोग में जांचा गया था और जल सिविल अभिकल्पन, जल विज्ञान एवं यांत्रिक अभिकल्पन प्रणाली मूल्यांकन पहलुओं की दृष्टि से स्वीकृत कर लिया गया था तथापि महाराष्ट्र सरकार ने अपने दिनांक 9.12.96 के पत्र के तहत कहा था कि के॰वि॰प्रा॰ से परियोजना की स्वीकृति आवश्यक नहीं अनुभव की जाती है क्योंकि अनुमानित लागत 1000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और स्कीम को प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए निजी निवेशकों को प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। के॰वि॰प्रा॰ के अपने दिनांक 26.12.96 के तहत महाराष्ट्र सरकार को सूचित किया है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति अब के॰वि॰प्रा॰ में विचाराधीन नहीं है।

बिहार में एस॰टी॰डी॰/आई॰एस॰डी॰ सुविधाएं

653. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सभी एक्सचेंजों में एस॰टी॰डी॰/आई॰एस॰डी॰ सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं,

(ख) अभी तक कितने एक्सचेंजों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना शेष है; और

(ग) 1998-99 के दौरान बिहार में कितने एक्सचेंजों में एस॰टी॰डी॰/आई॰एस॰डी॰ सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) 24 एक्सचेंजों में भी एस॰टी॰डी॰ सुविधा प्रदान की जानी है।

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान शेष सभी 24 एक्सचेंजों में एस॰टी॰डी॰ सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति

654. **श्री जी॰एम॰ बनातवाला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति कर ली गई है और यदि हां, तो उनके नाम और नियुक्ति की तारीख क्या है तथा यदि नहीं, तो उन्हें कब तक नियुक्त कर लिया जाएगा;

(ग) क्या अधिनियम में यथाप्रकल्पित विभिन्न अन्य प्राधिकरणों की भी स्थापना कर ली गई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उन्हें कब तक स्थापित कर दिया जाएगा;

(घ) विश्वविद्यालय को अब तक उपलब्ध कराई गई धनराशि का वर्ष वार ब्यौरा क्या है, और

(ङ) विश्वविद्यालय कब तक अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) विजीटर द्वारा प्रथम कुलपति तथा प्रथम रजिस्ट्रार की नियुक्ति के बाद मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद की स्थापना में निम्नलिखित प्रगति हुई है :

(1) आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय के लिए 200 एकड़ भूमि आवंटित की है।

(2) हैदराबाद में बहुत कम स्टाफ के साथ प्रशासनिक कार्यालय की स्थापना की गई है।

(3) दिल्ली, पटना तथा बंगलौर में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा इसके विकासात्मक प्रस्तावों/नक्शों को तैयार करने के लिए दो संगोष्ठियां आयोजित की गईं।

(ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान के प्रो॰ जे॰ मोहम्मद शमीम जयराजपुरी को दिनांक 9.1.98 से विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया, तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय

के विश्वविद्यालय कला एवं सामाजिक विज्ञान कॉलेज के इस्लामिक स्टडीज के प्रो॰ डा॰ मोहम्मद सुलेमान सिद्दीकी को दिनांक 1.5.98 से प्रथम रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया।

(ग) विश्वविद्यालय की प्रथम कार्यकारी परिषद् के गठन की प्रक्रिया पहले ही चल रही है।

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान विश्वविद्यालय को 100 लाख रु॰ की राशि जारी की गई।

(ङ) आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकलापों के प्रारंभ होने की आशा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8-क का विस्तार

655. श्री पी॰एस॰ गढ़वी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8-क के गांधीधाम से मुंदरा और मंडवी पत्तन से होते हुए जखाउ तक विस्तार करने की कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई या किये जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी हां। माननीय संसद सदस्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8-क के गांधीधाम से मुंदरा और मंडवी पत्तन से होते हुए जखाउ तक विस्तार करने की मांग की है। तथापि, राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(ग) जब भी राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर अन्य राज्यों के प्रस्तावों के साथ निधियों की उपलब्धता और परस्पर अग्रता के अध्यधीन विचार किया जाएगा।

सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना

656. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलीचेरी (केरल) और मैसूर (कर्नाटक) के बीच सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितने धन के आवंटन का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीधी स्थानीय कॉल सुविधा

657. श्री अशोक प्रधान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों विशेषकर बुलंदशहर, खुर्जा, सिकन्दराबाद, दादरी, जेवर इत्यादि को स्थानीय कॉल सुविधा से सीधे जोड़े जाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई अथवा करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) जी हां। कुछेक मामलों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न कस्बों जो दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब राज्यों में फैले हैं, के बीच स्थानीय कॉल की सुविधा प्रदान करने के संबंध में समय-समय पर माननीय संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) विभागीय नीति के अनुसार, एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र के भीतर बड़ी एक्सचेंज प्रणालियों में 300 सैकेण्ड पल्स दर से स्थानीय कॉल सुविधा प्रदान की जाती है।

निम्नलिखित स्थिति में भी 180 सैकेण्ड पल्स दर से स्थानीय कॉल सुविधा प्रदान की जाती है :

(1) कम दूरी के प्रभारण क्षेत्र (एस॰डी॰सी॰ए॰) के भीतर पड़ने वाले एक्सचेंजों के बीच।

(2) दो एस॰डी॰सी॰सी॰ के कम दूरी के दो प्रभारण क्षेत्रों (एस॰डी॰सी॰सी॰) के बीच अरीय दूरी 20 कि॰मी॰ से कम होने पर।

(3) जब दो टेलीफोन एक्सचेंज प्रणालियों के स्थानीय क्षेत्रों की सीमाएं आपस में लगती हों एन॰सी॰आर के ऐसे कस्बों जो उक्त तीन श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में आते हैं, में 180 सैकेण्ड पल्स दर से स्थानीय कॉल सुविधा प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय विज्ञान कांग्रेस सत्र

658. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सत्र जनवरी, 1998 में हैदराबाद में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 85वें वार्षिक सत्र के दौरान हैदराबाद में हुए विचार-विमर्श का मुख्य विषय "स्वतंत्र भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-पूर्वावलोकन एवं परिदृश्य" पर केन्द्रित रहा। कांग्रेस को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री तथा भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के जनरल प्रेजीडेंट द्वारा संशोधित किया गया। विज्ञान एवं इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान के अन्य सामयिक विषयों पर विचार प्रस्तुत किए गए। समकालीन महत्व के अंतर्विधात्मक बिन्दुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा सत्र के दौरान की गई सिफारिशों को अभी सरकार के पास अग्रसारित किया जाना है।

[हिन्दी]

खराब पड़े टेलीफोन उपकरण

659. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और देश के अन्य भागों के टेलीफोन उपभोक्ताओं को खराब पड़े अपने टेलीफोन उपकरणों के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या टेलीफोन विभाग इन उपभोक्ताओं को उपकरणों की अनुपलब्धता के नाम पर परेशान कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सीतापुर टेलीफोन एक्सचेंजों को खराब पड़े टेलीफोन बदलने का दिशानिर्देश देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उक्त दिशानिर्देश कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) कुल शिकायतों में से लगभग 2 से 10 प्रतिशत शिकायतें टेलीफोन उपकरणों की खराबी के कारण होती हैं और जैसे ही इनकी सूचना मिलती है, ये खराबियां ठीक कर दी जाती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली तथा जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं के निवास स्थानों पर छोटी-छोटी टेलीफोन संबंधी खराबियों को ठीक करने के लिए मार्ग-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। बड़ी-बड़ी खराबियों वाले मामलों में टेलीफोनों को हटाकर उनके स्थान पर बढ़िया काम करने वाले टेलीफोन उपकरण लगा दिये जाते हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पॉलीथीन बैगों का प्रयोग

660. श्री सी॰डी॰ गामीत : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पॉलीथीन बैगों के अधिक प्रयोग से पर्यावरण को खतरा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई कम्पनियों द्वारा उत्पादित घटिया किस्म के पालीथीन बैगों के अन्दर खाद्य सामग्री रखे जाने से उनका रंग छूट जाता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या सरकार को इन रिपोर्टों की जानकारी है कि कभी-कभी फेंके हुए इन पॉलीथिन के बैगों को खाकर जानवर मर जाते हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, नहीं। पॉलीथीन बैग ज्यों के त्यों रूप में पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं हैं, यद्यपि इनका अनुचित निपटान पर्यावरण संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है।

(ग) और (घ) इस प्रकार के उदाहरण सामने आए हैं कि घटिया किस्म के पॉलीथीन बैग, बिना पैक की हुई खाद्य सामग्री पर अपना रंग छोड़ देते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्य बल ने दृश्यात्मक संदूषण वाले गन्दे रंग के पॉलीथीन बैगों के उत्पादन पर प्रतिबन्धों की सिफारिश की है। कार्य बल की सिफारिशों के क्रियान्वयन की प्रगति तथा अनुवर्ती कार्यवाही के निरीक्षण हेतु एक इम्पलीमैन्टेशन मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है।

(ङ) पॉलीथीन बैगों के खाने से जानवरों के मरने संबंधी कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन पर महिलाओं का अश्लील प्रदर्शन

661. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन की छवि धूमिल हो रही है क्योंकि महिलाओं के देह प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विज्ञापनों और धारावाहिकों में महिलाओं को वस्तु के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है जिससे भारतीय संस्कृति प्रभावित हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फिल्में और दूरदर्शन के कार्यक्रम महिलाओं विशेषकर नाबालिग बालिकाओं के प्रति अपराध के कारण बन रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस अश्लील प्रदर्शन को रोकने और सौन्दर्य प्रतियोगिताओं के दूरदर्शन पर दिखाए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते। तथापि, प्रसारण से पूर्व फिल्मों सहित अपने सभी कार्यक्रमों का पूर्वालोकन यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि ये परिवार द्वारा देखने के लायक हैं तथा प्रसारण प्रावधानों और विज्ञापन संहिताओं के अनुरूप है। इसके अलावा, दूरदर्शन केवल ऐसी फिल्मों पर ही विचार करता है जिन्हें केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी॰बी॰एफ॰सी॰) द्वारा आम जनता के देखने के लिए प्रमाणित किया जाता है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यह ध्यान रखता है कि अपराधियों की कार्य-प्रणाली तथा अन्य दृश्यों, एवं महिलाओं, विशेष रूप से अबोध बालिकाओं के लिए किसी अपराध संबंधी कार्य को उत्प्रेरित करने वाले शब्दों को नहीं दिया गया है और यह कि अशिष्टता, अश्लीलता या चरित्रहनन द्वारा मानवीय संवेदनाओं को ठेस नहीं पहुंचायी गयी हो।

दूरदर्शन ने मिस यूनिवर्स 98 सौन्दर्य प्रतियोगिता को, महिलाओं पर ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारित न करने की अपनी नीति के तहत प्रसारित नहीं किया।

दूरदर्शन महिलाओं तथा अबोध बालिकाओं के प्रति किसी अपराध को रोकने के उद्देश्य से महिलाओं, को शालीन तरीके से भी दिखाता है। स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए दूरदर्शन पर महिलाओं को अधिकार देने संबंधी कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जाता है जो महिलाओं तथा अबोध बालिकाओं के विरुद्ध अत्याचार को रोकते हैं।

वस्त्र उद्योगों द्वारा प्रदूषण

662. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग दिल्ली में जल और वायु प्रदूषण पैदा कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने 8 जुलाई, 1996 के आदेश सी॰डब्ल्यू॰पी॰-4677/85 (पी॰आई॰एल॰) के अनुसार कपड़ा मिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली से उचित दूरी पर स्थापित किए जाने का निर्देश दिया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी हां। निम्नलिखित वस्त्र उद्योग इकाइयों के कारण दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण पैदा हो रहा है :

(1) स्वतंत्र भारत मिल्स, शिवाजी मार्ग, दिल्ली;

(2) डी॰सी॰एम॰ सिल्क मिल्स, शिवाजी मार्ग, दिल्ली;

(3) बिरला टैक्सटाइल मिल, बिरला लेन, सब्जी मण्डी, दिल्ली; और

(4) अजुधिया टेक्सटाइल मिल्स, आजादपुर, दिल्ली।

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सी) 4677/85 (पी॰आई॰एल॰)-एम॰सी॰ मेहता बनाम भारत सरकार तथा अन्यों के मामले में अपने आदेश दिनांक 8 जुलाई, 1996 के द्वारा निर्देश दिया कि आदेश में जिन 168 खतरनाक/हानिकर तथा भारी उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया है उन्हें दिल्ली में चलाने तथा काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये उद्योग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसी भी राज्य में अपने को पुनः स्थापित/स्थानान्तरित कर सकते हैं। ये उद्योग 30 नवम्बर, 1996 से दिल्ली शहर में काम करना बंद कर देंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को यह भी निर्देश दिया है कि वह पुनःस्थापित होने वाली इकाइयों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करे। इसने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिवों तथा सचिवों को भी निर्देश दिया है कि वे "उन उद्योगों को पूरी सहायता तथा आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें जो उनसे संबंधित क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक सम्पदाओं में अपने उद्योगों को पुनः स्थापित करना चाहते हैं।" इसने इन चार राज्यों को एक संयुक्त एजेंसी का गठन करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि "वह ऐसे उद्योगों की सभी समस्याओं को हल करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर सके।" इन आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने इस कार्य के लिए एक "एकल खिड़की सुविधा" स्थापित की है। चार राज्यों के मुख्य सचिवों की एक "संयुक्त एकल एजेंसी" स्थापित की गई है, जो कि दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उद्योगों के स्थानांतरण संबंधी संपूर्ण कार्य का मानिटरन कर रही है।

डाकघरों की संख्या

663. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्रति 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में डाकघरों की राज्यवार संख्या क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : देश में प्रति 10 वर्ग कि॰मी॰ के क्षेत्र में डाकघरों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रति 10 वर्ग कि॰मी॰ में डाकघरों की राज्यवार संख्या

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रति 10 वर्ग कि॰मी॰ में डाकघरों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	0.587
2.	असम	0.486
3.	बिहार	0.679
4.	दिल्ली	3.984
5.	गुजरात	0.453
	–दादर एवं नगर हवेली	0.692
	–दमण एवं दीव	1.517
6.	हरियाणा	0.589
7.	हिमाचल प्रदेश	0.495
8.	जम्मू एवं कश्मीर	0.072
9.	कर्नाटक	0.511
10.	केरल	1.290
	–लक्षद्वीप	3.125
11.	मध्य प्रदेश	0.253
12.	महाराष्ट्र	0.400
	–गोआ	0.676
13.	उत्तर–पूर्व	
	–अरूणाचल प्रदेश	0.034
	–मणिपुर	0.301
	–मेघालय	0.213
	–मिजोरम	0.183
	–नागालैंड	0.182
	–त्रिपुरा	0.674
14.	उड़ीसा	0.518
15.	पंजाब	0.764
	–चंडीगढ़	4.386
16.	राजस्थान	0.301
17.	तमिलनाडु	0.924
	पांडिचेरी	1.901
18.	उत्तर प्रदेश	0.682
19.	पश्चिम बंगाल	0.956
	–सिक्किम	0.276
	–अंडमान एवं निकोबार	0.118
	समस्त भारत	0.465

[हिन्दी]

कैंला मुक्त पोर्ट

664. श्री द्वारका प्रसाद बैरवा : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अद्यतन प्रौद्योगिकी आधारित आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए कैंला मुक्त पोर्ट के संबंध में किए गये अध्ययन का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या अद्यतन प्रौद्योगिकी से प्रेरित होकर कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस पोर्ट को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की काफी इच्छुक हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कुल कितना विदेशी निवेश होने का अनुमान है; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने भी इस संबंध में विदेशी निवेश के लिए कहा है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पत्राचार पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की कठिनाइयां

665. श्री भीम दाहाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम प्रबंधन ने अध्ययन सामग्री भेज दी है और उन विद्यार्थियों जो पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम कर रहे हैं के लिए कक्षाएं भी शुरू कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बी॰कॉम (पास) प्रथम वर्ष के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम प्रबंधन ने न तो अध्ययन सामग्री भेजी है और न ही कक्षाएं आयोजित की हैं जबकि परीक्षाएं जून, 1998 के मध्य में शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

666. श्रीमती सूर्यकांता पाटिल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा स्वीकृति के लिए कितनी नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भेजी गयी हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की रूपरेखा क्या है;

(ग) प्रस्तावित योजनाओं में किन राज्यों को शामिल किया गया है; और

(घ) इस संबंध में स्वीकृत या आवंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) योजना आयोग से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अम्बेडकर जयंती

667. श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के निर्णयानुसार 14 अप्रैल, 1998 को "अम्बेडकर जयन्ती" के अवसर पर सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने अवकाश घोषित किया; और

(ख) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने अवकाश की घोषणा नहीं की और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) निम्नलिखित विश्वविद्यालयों ने 14 अप्रैल, 1998 को "अम्बेडकर जयन्ती" के अवसर पर अवकाश घोषित किया।

1. दिल्ली विश्वविद्यालय
2. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
3. जामिया मिलिया इस्लामिया
4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
5. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
6. असम विश्वविद्यालय
7. तेजपुर विश्वविद्यालय
8. उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय
9. हैदराबाद विश्वविद्यालय
10. पांडिचेरी विश्वविद्यालय
11. महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
12. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय

बाकी विश्वविद्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

भोपाल में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ

668. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे राज्यों की राजधानियों की संख्या क्या है जहां अभी तक उच्च न्यायालय या उनकी खण्डपीठ स्थापित नहीं की गई; और

(घ) भोपाल में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम॰तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ग) उच्च न्यायालय की प्रधान न्यायापीठें या उनकी खण्डपीठें 5 राज्यों, अर्थात् अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राजधानियों में अवस्थित नहीं है।

[अनुवाद]

शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करना

669. श्री समीक लाहिड़ी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) संविधान के 83वें संशोधन विधेयक सम्बन्धी स्थायी समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है। यह महसूस किया गया है कि प्रस्तावित विधान में निहित पहलुओं पर और व्यापक वाद-विवाद शुरू किया जाना चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों को अनुदान

670. डा॰ मंडल चरण दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मध्य प्रदेश में किन-किन विश्वविद्यालयों के लिए किस-किस शीर्ष के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत किया तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) राज्य के किन-किन विश्वविद्यालयों ने स्वीकृत की गई अनुदान राशि का उपयोग कर लिया है;

(ग) क्या राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा अनुदान राशि का दुरूपयोग करने अथवा अनुदान राशि को अन्य प्रयोजनों पर खर्च कर लिए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों को नौंवी योजना के दौरान स्वीकृत की गई/स्वीकृत की जाने वाली अनुदान राशि का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षण तथा सहायक स्टाफ की भर्ती, पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा उपस्करों की खरीद, संकाय सुधार तथा महिला छात्रावास, स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण परिसर विकास आदि के लिए निर्धारित मानदण्डों तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार सभी पात्र कालेजों को विकास अनुदान देता है। इसके अलावा, कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए योजनेत्तर अमुदान भी प्रदान किए जाते हैं जिसमें इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में छात्रवृत्तियां और शिक्षावृत्तियां, शिक्षक शिक्षावृत्ति, कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्ति, रिसर्च एसोसिएटशिप आदि भुगतान के लिए अनुदान शामिल है। विकास अनुदान वर्ष दर वर्ष के आधार पर न देकर सम्पूर्ण योजना अवधि के लिए आवंटित किए जाते हैं। तथापि, ऐसे अनुदान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का प्रगति और उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति तथा पूर्ण अनुदानों का व्यय संबंधी विवरण के अनुसार वार्षिक आधार पर जारी किए जाते हैं। 8वीं योजना के लिए मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों को आवंटित अनुदानों को दर्शाने वाला एक विवरण और अब तक जारी किए गए अनुदान संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार अनुदानों के दुरूपयोग के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 9वीं योजना के लिए विश्वविद्यालयों को आवंटित अनुदानों को दर्शाने वाला एक विवरण तथा अब तक जारी किए गए अनुदान संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

8वीं योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों को आवंटित/संस्वीकृत अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाखों में)

क्र॰सं॰	विश्वविद्यालय का नाम	8वीं योजना के लिए आवंटित अनुदान	अब तक जारी किए अनुदान
1.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय	85.00	60.00
2.	बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय	106.00	67.00
3.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	85.00	100.12
4.	डा॰ एच॰एस॰ गौड विश्वविद्यालय	135.00	122.90
5.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	82.00	50.75
6.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय	55.00	31.63
7.	जिवाजी विश्वविद्यालय	84.00	81.79
8.	महात्मा गांधी ग्रामोध्या विश्वविद्यालय	28.00	28.00
9.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	133.00	64.22
10.	पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय	85.00	63.48
11.	विक्रम विश्वविद्यालय	110.00	55.86
	कुल :	988.00	725.75

विवरण-II

9वीं योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों को आवंटित संस्वीकृत अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

(रु॰ लाखों में)

क्र॰सं॰	विश्वविद्यालय का नाम	9वीं योजना के लिए आवंटित अनुदान	अब तक जारी किए गए अनुदान	संस्वीकृत किए जाने वाले अनुदान
1.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय	212.00	42.40	169.60
2.	बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय	250.00	50.00	200.00
3.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	212.00	42.40	169.60
4.	डा॰ एच॰एस॰ गौड विश्वविद्यालय	270.00	54.00	216.00
5.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	205.00	41.00	164.00
6.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय	150.00	30.00	120.00
7.	जिवाजी विश्वविद्यालय	210.00	42.00	168.00
8.	महात्मा गांधी ग्रामोध्या विश्वविद्यालय	137.00	27.40	109.60
9.	पं॰ रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय	212.00	42.40	169.60
10.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	273.00	54.60	218.40
11.	विक्रम विश्वविद्यालय	273.00	54.60	218.40
	कुल	2404.00	480.80	1923.20

विश्वविद्यालयों/कालेजों में शिक्षा का स्तर

671. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विद्यार्थियों को उपाधि देने से पूर्व एक वर्षीय सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम पास करना अनिवार्य कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में शैक्षिक स्तरों में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, इस उद्देश्य के लिए उठाए गए कुछ मुख्य कदम निम्नलिखित हैं :

— कालेज और विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतनमानों में 1.1.96 से संशोधन। आगे का संशोधन 1.1.96 से देय है। परंतु कुछ समस्याओं के कारण नए वेतनमान अभी कार्यान्वित किए जाने हैं। अध्यापकों को प्रशिक्षण और कैरियर प्रोन्नति के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अध्यापन व्यवसाय में उत्कृष्ट लोगों को आकर्षित करने के लिए अखिल भारतीय पात्रता परीक्षा आरंभ की गई है।

— नए निर्मुक्त विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के पुनः प्रबोधन के लिए शैक्षिक स्टाफ कालेज स्थापित किए गए हैं।

— पाठ्यचर्या को आधुनिक बनाने के लिए विज्ञान और मानविकी में 27 पाठ्यचर्या विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अवर-स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 27 विषयों में आधुनिक पाठ्यचर्या तैयार की गई है।

— विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापन और शोध के सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायता प्रदान की है।

— विश्वविद्यालय प्रणाली में अनुसंधान की प्रोन्नति के लिए प्रमुख सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित किए।

— कुछ चुने हुए कालेजों को स्वायतत्ता प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता दी गई।

— शैक्षिक कैलेंडर के कार्यान्वयन हेतु दिशा–निर्देश परिचालित किए गए। इन दिशा–निर्देश में विश्वविद्यालयों/कालेजों द्वारा कम से कम 180 अध्यापन दिवसों के अनुपालन पर बल दिया गया है।

— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रथम डिग्री प्रदान करने, न्यूनतम कार्य दिवसों आदि के लिए न्यूनतम स्तरों हेतु विनियम अधिसूचित किए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन

672. **श्री सुरेश चन्देल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरक्षित वन, खास वन की भूमि के अतिक्रमण, उसे निजो व्यक्तियों के नाम अंतरित करने और उत्तर सिक्किम में उसकी बिक्री करने संबंधी मामले के बारे में क्या कार्रवाई की है;

(ख) क्या मंत्रालय के मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, भुवनेश्वर द्वारा स्थानीय जांच करने और इस बारे में सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने के आधार पर अतिक्रमणों की पुष्टि की गई है;

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के घोर उल्लंघन के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) संसद में दिए गए आश्वासन को पूरा करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) आरक्षित वन, खास वन की भूमि के अतिक्रमण, उसे निजी व्यक्तियों के नाम अंतरित करने और उत्तर सिक्किम में उनकी बिक्री करने के संबंध में सूचना प्राप्त होने के बाद मुख्य वन संरक्षक, ईस्टर्न जोन, भुवनेश्वर को जांच करने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट में प्रथम दृष्टि में ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों का उल्लंघन पाया गया है।

(ग) केन्द्र सरकार ने मुख्य वन संरक्षक, भुवनेश्वर की रिपोर्ट के संगत अंशों पर राज्य सरकार से टिप्पणियां मांगी हैं। राज्य सरकार ने केवल अंतरिम रिपोर्ट ही प्रस्तुत की है। अंतिम रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

(घ) और (ङ) टिप्पणियां शीघ्र मंगाने के लिए केन्द्र सरकार ने मुख्य सचिव के स्तर पर यह मामला एक बार फिर उठाया है।

अधिवक्ताओं को चैम्बरों के आबंटन हेतु नीति

673. **श्री ई॰ अहमद : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** 21 नवम्बर, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 470 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं को चैम्बरों के आबंटन के बारे में कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो नीति में शामिल न किए जाने वाले प्रत्येक सुझाव के लिए क्या कारण है; और

(घ) बिना चैम्बर वाले सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं को उनके लिए बने नए भवन या उच्चतम न्यायालय परिसर में और कहीं पर जगह उपलब्ध कराने के लिए उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल–भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (घ) जानकारी उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मैथन ताप बिजलीघर में सुपर ताप
विद्युत परियोजना का प्रस्ताव

674. **श्री सुनील खां : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैथन ताप बिजलीघर की तीसरी इकाई शीघ्र ही कार्य करना आरंभ कर देगी;

(ख) क्या मैथन ताप बिजलीघर में सुपर ताप परियोजना स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक कार्य आरंभ होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (घ) 1000 मे॰वा॰ अधिष्ठापित क्षमता वाला मैथॉन ताप विद्युत स्टेशन अभी भी आयोजना की प्रारंभिक अवस्था में हैं। डी॰वी॰सी॰ द्वारा के॰वि॰प्रा॰ की तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति और अन्य सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने तथा वित्तपोषण एवं अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप प्रदान कर दिये जाने के बाद ही परियोजना पर कार्य आरंभ किया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज

675. श्री के॰एस॰ राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में जिला-वार कितने इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में चालू वर्ष के दौरान विभिन्न शहरों में विद्यमान कुछ मानव संचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन एक्सचेंजों को परिवर्तित करने में कितना खर्च होने का अनुमान है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) 31.3.98 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में 1996 अदद इलेक्ट्रानिक एक्सजेंच कार्य कर रहे हैं। जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 31.3.98 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में कोई भी मानव चालित एक्सचेंज नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31.3.98 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा

क्र॰सं॰	जिले का नाम	इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की सं॰
1	2	3
1.	अदिलाबाद	61
2.	अनन्तपुर	127
3.	चित्तूर	130
4.	कुड्डापाह	86
5.	पूर्वी गोदावरी	106
6.	गुन्टूर	114
7.	हैदराबाद	48
7.(क)	रंगारेड्डी	69
8.	करीमनगर	79
9.	खम्मम	80
10.	कृष्णा	120
11.	कुर्नूल	120
12.	महबूबनगर	97
13.	मेंडक	86
14.	नलगोंडा	83
15.	नेल्लोर	92
16.	निजामाबाद	57
17.	प्रकाशम	78
18.	श्रीकाकुलम	51
19.	विशाखापट्टनम	65
20.	विजयानगरम	50
21.	वारंगल	55
22.	पश्चिमी गोदावरी	137
	कुल योग	1996

[हिन्दी]

बिहार में नया ताप विद्युतघर

676. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में उपलब्ध कोयले की अधिकतम मात्रा को देखते हुए वहां नये ताप विद्युतघर खोलने अथवा मौजूदा ताप विद्युतघरों की वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(घ) राज्य में मौजूदा ताप विद्युतघरों की क्षमता क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (घ) राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित दो ताप विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। परन्तु इन परियोजनाओं पर कार्य को वित्तीय अवरोधी के कारण आरंभ नहीं किया जा सका।

1. तेलुघाट टीपीपी चरण-2 (3×210 मे॰वा॰)

2. मुजफ्फरपुर टीपीपी विस्तार (2×250 मे॰वा॰)

उपरोक्त राज्य परियोजनाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति की आवश्यकता है, को बिहार में निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किए जाने का प्रस्ताव है :

1. मै॰ जमशेदपुर पावर कंपनी लिमिटेड की जोजोबेरा टीपीपी (240 मे॰वा॰)

2. चांडिल टीपीपी (500 मे॰वा॰) जो इस समय बोली प्रक्रिया के अधीन है।

सूचित किया था कि इस स्कीम पर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तथा इसे वापिस लिया समझा जाये। इस परियोजना के लिए कोई नया प्रस्ताव यूपीएसईबी से प्राप्त नहीं हुआ है।

आकाशवाणी झाबुआ द्वारा एफ॰एम॰ बैंड शुरू करना

687. **श्री कांतिलाल भूरिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के आकाशवाणी केन्द्र द्वारा एफ॰एम॰ बैण्ड शुरू करने की अपनी स्वीकृति दे दी थी;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वीकृति देने के बावजूद भी एफ॰एम॰ सेवा अभी तक शुरू नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

स्थानीय कॉल एसटीडी/आईएसडी बूथों का आबंटन

688. **कर्नल सोनाराम चौधरी :**

श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानीय कॉल/एस॰टी॰डी॰/आई॰एस॰डी॰ बूथों के आबंटन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मंजूर किए गए स्थानीय कॉल/एसटीडी/आईएसडी बूथों की राज्यवार संख्या क्या है?

(ग) इस प्रकार के बूथों की मंजूरी के लिए लंबित आवेदन पत्रों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(घ) इन आवेदन पत्रों को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) एस टी डी, पी सी ओ का आबंटन प्रत्येक एस एस ए के लिए गठित एक एस टी डी, पी सी ओ आबंटन समिति द्वारा किया जाता है जिसमें दो सरकारी सदस्य तथा उस एक एस ए का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक वर्तमान संसद सदस्य द्वारा नामित एक-एक गैर सरकारी सदस्य होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आबंटी को आठवीं कक्षा तथा शहरी क्षेत्रों हेतु उसे मैट्रिक/हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। निम्न श्रेणियों के व्यक्तियों को इसके आबंटन में वरीयता दी जाती है :

1. दृष्टिहीन व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्ति।
2. अनुसूचित जाति/जन जाति के उम्मीदवार।
3. भूतपूर्व सैनिक तथा युद्ध में शहीदों की विधवाएं।
4. दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनके आश्रित व्यक्ति।
5. स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित व्यक्ति।
6. धमार्थ संस्था/अस्पताल।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास द्वारा उतारा चढ़ाया गया माल

689. **श्री के॰ येरननायडू : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास द्वारा वर्ष 1997-98 में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितना माल उतारा और चढ़ाया गया;

(ख) पत्तन की संग्रहण क्षमता कितनी है और इस अवधि के दौरान कितना लाभ कमाया गया; और

(ग) पत्तन के कार्यकलापों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) पत्तन न्यास ने 1997-98 में 35.6 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में 36.01 मिलियन टन यातायात हैंडल किया।

(ख) 1997-98 के दौरान बर्थ की समग्र औसत संग्रहण क्षमता (आकुपेंसि) 90 प्रतिशत रही और पत्तन ने लगभग 73.00 करोड़ रु॰ अनन्तिम निवल अधिशेष अर्जित किया।

(ग) इस शताब्दी के अंत तक लगभग 45 मिलियन टन पत्तन यातायात होने का अनुमान है। पत्तन ने मौजूदा पत्तन क्षमता में बढ़ोत्तरी के लिए नौवीं योजना के दौरान अनेक स्कीमों की योजना बनाई है जिसमें एक एल पी जी जैट्टी, आऊटर हारबर में एक बहुद्देश्यीय बर्थ और इन्नरहारबर में चार बहुद्देश्यीय बर्थ शामिल हैं।

कोचीन में कंटेनर यानान्तरण टर्मिनल

690. **श्री वी॰एम॰ सुधीरन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में प्रस्तावित कंटेनर यानान्तरण टर्मिनल के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार को इस दिशा में कदम उठाने में हुए असाधारण विलम्ब की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) डच परामर्शदाता मैसर्स फ्रेडरिक आर॰ हैरिस ने 1991 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में वल्लारपदम, कोचीन में कंटेनर ट्रांशिपमेंट टर्मिनल की स्थापना करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट को अद्यतन किया जा रहा है। साथ ही निर्माण, प्रचालन और स्थानांतरण के आधार पर टर्मिनल की स्थापना के लिए विकास कर्त्ताओं/प्रचालकों से उनके हित संबंधी विचार आमंत्रित किए गए हैं।

परिसीमन आयोग

691. **श्री चंदूलाल अजमीरा :**

श्री के॰सी॰ कोंडय्या :

क्या **विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए परिसीमन आयोग स्थापित करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस आयोग को स्थापित करने में कोई प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयां है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम॰ तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) संविधान के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, नया परिसीमन, वर्ष 2,000 के पश्चात् की गई प्रथम जनगणना के आकड़ों के प्रकाशन के पश्चात् ही किया जा सकता है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की 22 मई, 1998 को हुई बैठक में यह महसूस किया गया था कि चूंकि वर्ष 2,000 निकट ही है अतः इस निमित्त संविधान के विद्यमान उपबंधों के अनुसार नया परिसीमन किया जा सकता है।

एल॰पी॰टी॰ केन्द्रों में पूर्णकालिक कार्यक्रम

692. **श्री एन॰ डेनिस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा एल॰पी॰टी॰ केन्द्रों, जहां ऐसी सुविधा नहीं है, में पूर्णकालिक कार्यक्रम देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु के माराटन्डम में एल॰पी॰टी॰ केन्द्र को पूर्णकालिक कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर केन्द्रों में जहां पूर्णकालिक कार्यक्रमों की व्यवस्था नहीं है, इन केन्द्रों में पूरे स्टाफ की स्वीकृति और तैनाती पर निर्भर है। कन्याकुमारी जिले के मार्तण्डम सहित इन केन्द्रों में अपेक्षित स्टाफ की स्वीकृति और उनकी तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रिहन्द पनबिजली विद्युत परियोजना

693. **श्री अशोक अर्गल : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रिहन्द पनबिजली विद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली में मध्य प्रदेश का हिस्सा 15 प्रतिशत है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश को बिजली का आबंटित भाग उसे नहीं दिया जा रहा है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच ऐसा कोई करार हुआ है कि उत्तर प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश को बिजली का उसका हिस्सा न देने पर निर्धारित दर पर वित्तीय रूप से क्षतिपूर्ति की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो क्या यह क्षतिपूर्ति की जा रही;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए कोई निर्देश जारी करेगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) जी, हां। रिहन्द जल विद्युत परियोजना में मध्य प्रदेश का हिस्सा 15 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) विद्युत की कमी के कारण उ॰प्र॰ मध्य प्रदेश को आपूर्ति करने में असमर्थ रहा है।

(घ) और (ङ) उ॰प्र॰रा॰ बि॰वो॰ द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार सितंबर, 1997 तक देय बकाया राशि 29.91 करोड़ रु॰ थी।

(च) और (छ) बकाया देयों को निपटाये जाने की समय सीमा दोनों राज्य सरकारों द्वारा निश्चित की जाएगी।

[अनुवाद]

मंत्रालय में अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ को रोजगार

694. **श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो महीनों के दौरान उनके मंत्रालय तथा इसके अनुषंगी कार्यालयों में कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार प्रदान किया गया।

(ख) क्या इन विभागों में अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ के लिए आरक्षित कोटा भर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार और महाराष्ट्र में बाल कल्याण केन्द्र

695. श्री प्रमाण चन्द्र तिवारी :

श्री रामदास आठवले :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार और महाराष्ट्र के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में कितने बाल कल्याण केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या इन कल्याण केन्द्रों के लिए राज्यों को कोई विदेशी सहायता उपलब्ध करायी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) ऐसी कोई केन्द्रीय अथवा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नहीं है, जिसके अन्तर्गत बाल कल्याण केन्द्र चलाये जाते हों। तथापि, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में बच्चों के कल्याण और विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि तक बिहार में 598 और महाराष्ट्र में 326 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी थी। इसके अतिरिक्त, बिहार में 177 शिक्षुगृह, प्रारंभिक बाल्यवस्था शिक्षा के 230 केन्द्र तथा बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 159 केन्द्र चलाये जा रहे गये। महाराष्ट्र में 1444 शिक्षुगृह और बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 957 केन्द्र चलाये जा रहे थे।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बिहार में 210 आई॰सी॰डी॰एस॰ परियोजनाएं चलाने के लिए विश्व बैंक से 76.29 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध रही। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता उपलब्ध नहीं हुई। जीपों, शिक्षु भार तोलक मशीनों, प्रोजेक्टरों आदि जैसे उपकरणों और सामग्री की आपूर्ति हेतु यूनीसेफ से सहायता प्राप्त हुई।

पश्चिम बंगाल में पुलों और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

696. श्री अमर राय प्रधान : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने पुलों और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया और नौवी योजना में कितने पुलों और राजमार्गों का निर्माण किया जाना है;

(ख) क्या इन पुलों और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य निर्धारित समायनुसार नहीं चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य में हो रहे अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) 1. **आठवीं पंचवर्षीय योजना**

(i) **पुल :** आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 पुलों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

(ii) **सड़क कार्य :** पुलियों को बदलने, सड़क गुणता में सुधार आदि जैसे विविध स्वरूप के कार्यों के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग द्वारा रा॰रा॰ की 77.4 कि॰मी॰ की लम्बाई में चार लेन बनाई गई और एक बाइपास का निर्माण किया गया तथा सीमा सड़क संगठन द्वारा 23 कि॰मी॰ खंड को सुधार कर मध्यम लेन का बनाया गया।

2. **नौवीं योजना :**

(i) **पुल :** लगभग 84.65 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत से 28 पुलों को बदलने/उनके पुनर्निर्माण का प्रस्ताव है।

(ii) **सड़कें :** 203.50 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत से दो लेन बनाने, चार लेन बनाने और विद्यमान सड़क को सुदृढ़ करने जैसे विभिन्न किस्म के लगभग 34 सुधार कार्य करने का प्रस्ताव है जिनमें सड़क गुणता में सुधार, हाई शोल्डर की व्यवस्था जैसे विविध स्वरूप के कार्य भी शामिल हैं।

(ख) जी हां। कुल पुलों का निर्माण नियत समय से पीछे चल रहा है।

(ग) और (घ) कुछ संविदात्मक समस्याओं के कारण पुलों के मामले में विलम्ब हुआ है। निर्माण कार्यों की आवधिक समीक्षा की जाती है और समस्याओं और संविदात्मक मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकार से निरंतर कहा जा रहा है ताकि परियोजना शीघ्र पूरी हो सके।

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए वित्तीय सहायता

697. श्री माधवराव पाटील : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम पिछले तीन सालों से भारी घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम को कितनी वित्तीय सहायता दी गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी हां। ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	ऋण (करोड़ रु॰)
1995-96	3.17
1996-97	136.24
1997-98 (सं॰अ॰)	114.78

हानि के कारण नीचे दर्शाए गए हैं :

(1) अलाभकर अनिवार्य रूटों पर प्रचालन,

(2) खराब सड़कों वाले रूटों पर प्रचालन जिसके कारण अनुरक्षण लागत अधिक आती है,

(3) छात्रों, विकलांग व्यक्तियों, सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को दी जाने वाली छूट,

(4) अलाभप्रद किराया,

(5) डीजल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी,

(6) श्रमिक समझौते के कारण बकाया भुगतान,

(7) कुछ कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह राशि का भुगतान,

(8) सभी कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान,

(9) ग्रेच्युइटी सीमा में बढ़ोत्तरी,

(10) भ॰नि॰ अंशदान की दर में बढ़ोत्तरी।

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई।

पल्स रेट

698. श्री के॰ए॰ सांगतम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में पल्स रेट की दर अत्यधिक ऊंची है और यह अलग-अलग शहरों में भिन्न हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्तर-पूर्व के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में राज्यवार तुलनात्मक पल्स रेट क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं। तथापि, नागालैंड, जो कि लम्बी दूरी प्रभारण क्षेत्र (एलडीपीए) है के भीतर दो कम दूरी प्रभारण केन्द्रों के बीच दूरी के अनुसार पल्स रेट में अंतर हो जाता है।

(ख) उपरोक्त भाग(क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) नागालैंड में लागू काल प्रभार की पद्धति वही है जो अन्य उत्तरपूर्व के राज्यों तथा देश के अन्य भागों में लागू हैं। इसके ब्यौरे निम्नानुसार है :

पल्स रेट

	राज्य के भीतर		राज्य के बाहर (देश के अन्य भागों कि)
	अधिकतम	न्यूनतम	
1. अरुणाचल प्रदेश	180 सेकेण्ड	4 सेकण्ड	2 सेकेण्ड तक
2. मणिपुर	180 सेकेण्ड	8 सेकण्ड	-वही-
3. मेघालय	180 सेकेण्ड	4 सेकण्ड	-वही-
4. मिजोरम	180 सेकेण्ड	4 सेकण्ड	-वही-
5. नागालैंड	180 सेकेण्ड	8 सेकण्ड	-वही-
6. त्रिपुरा	180 सेकेण्ड	8 सेकण्ड	-वही-
7. असम	180 सेकेण्ड	4 सेकण्ड	-वही-

नौवीं योजना के दौरान कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की क्षमता में वृद्धि करना

699. श्री ए॰ वेंकटेश नायक : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम शक्ति वाले उन ट्रांसमीटरों का ब्यौरा क्या है जिनकी क्षमता में नौवीं योजना के दौरान वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने एल॰पी॰टी॰ को एच॰पी॰टी॰ में बदलने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस उद्देश्य हेतु भूमि का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है;

(ङ) यदि हां, तो क्षमता बढ़ाने का कार्य शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(च) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (च) कर्नाटक सरकार से रायचूर स्थित अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर का उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर के रूप में उन्नयन करने संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इस स्कीम को स्वीकृत कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्थल उपलब्ध कराने के बाद परियोजना का कार्यान्वयन कार्य आरंभ किया जाएगा जो कि संसाधनों की उपलब्धता और अन्य आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था पर निर्भर करता है।

विवरण

विद्यमान अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, जिनका चरणों में उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों के रूप में उन्नयन करने का प्रस्ताव है

राज्य	स्थल
1	2
आंध्र प्रदेश	वारंगल
असम	गुवाहाटी डीडी-2
	सिलचर डीडी-2
बिहार	जमशेदपुर
	पटना डीडी-2
गुजरात	सूरत
जम्मू और कश्मीर	कठुआ
	श्रीनगर (डीडी-2)
कर्नाटक	हासन
	मंगलौर
	मैसूर
	रायचूर
केरल	कन्नानूर
	कोचीन (डीडी-2)
	त्रिवेन्द्रम (डीडी-2)
मध्य प्रदेश	गुना
	शहडोल
	अंबिकापुर
	भोपाल (डीडी-2)
महाराष्ट्र	चन्द्रपुर
	जलगांव
	रत्नागिरी
	नागपुर (डीडी-II)
मेघालय	तुरा (डीडी-2)
उड़ीसा	बालेश्वर
	बहरामपुर
	संबलपुर डीडी-2
राजस्थान	अजमेर
	जोधपुर
	जयपुर डीडी-2
तमिलनाडु	कुम्बाकोनम
त्रिपुरा	अगरतला डीडी-2
उत्तर प्रदेश	बांदा
	लखीमपुर
	लखनऊ डीडी-2
पश्चिम बंगाल	बलूरघाट
	कृष्णनगर
	खड़गपुर
	शांतिनिकेतन
	मुर्शिदाबाद डीडी-2
पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी

[हिन्दी]

मॉडल केन्द्रीय विद्यालय

700. **श्री रामपाल सिंह : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार और स्थान-वार कुल कितने मॉडल केन्द्रीय विद्यालय हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे और विद्यालय स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार और स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन विद्यालयों के अध्यापकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस समय 50 विद्यालयों को आदर्श केन्द्रीय विद्यालयों में विकसित करने का निर्णय किया है। इन विद्यालयों का स्थान और इनमें आवासीय सुविधा को दर्शाने वाला **विवरण** संलग्न है।

(ङ) 40 केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षको के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध है। शेष केन्द्रीय विद्यालयों में आवासीय सुविधा का विस्तार जमीन और निधियां उपलब्ध होने पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दो विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रगति पर है और अन्य चार विद्यालयों में निर्माण हेतु योजना का कार्य किया जा रहा है।

विवरण

आदर्श केन्द्रीय विद्यालयों के रूप में विकसित किए जाने वाले केन्द्रीय विद्यालयों की सूची

राज्य		स्थान का नाम	आवासीय सुविधा की उपलब्धता
1		2	3
आन्ध्र प्रदेश	1.	नौसेनबाग नं॰2 विशाखापटनम	जी, हां।
	2.	नं॰ 1 उप्पल, हैदराबाद	जी, हां।
अरूणाचल प्रदेश	3.	नं॰ 1 इटानगर	जी, हां।
असम	4.	तेजपुर नं॰ 1	जी, हां।
	5.	खानापारा, गुहावटी	जी, हां।
बिहार	6.	कानकार बाग नं॰ 1, पटना	जी, हां।
	7.	नं॰ 1 बोकारो	योजना बनाई जा रही है।
दिल्ली	8.	नं॰ 1 दिल्ली कैन्ट	जी, हां।
	9.	एड्रूजगंज	केवल रखवाला
गोवा	10.	नं॰ 1 वास्कोडिगामा	जी, हां।
गुजरात	11.	नं॰ 1 अहमदाबाद	नहीं
	12.	इफको, गांधीधाम	परियोजना सेक्टर
हरियाणा	13.	नं॰ 1 अम्बाला कैन्ट	जी, हां।
	14.	नं॰ 1 सिरसा	योजनाधीन
हिमाचल प्रदेश	15.	शिमला	जी, हां।
जम्मू व कश्मीर	16.	नं॰ 1 जम्मू	जी, हां।
कर्नाटक	17.	एम॰ई॰जी॰ एंड सैन्टर मंगलौर	जी, हां।
	18.	नं॰ 1 हुबली	जी, हां।
	19.	मैसूर	योजना बनाई जा रही है।
केरल	20.	नं॰ 1 पालघाट	निर्माणाधीन
	21.	पाट्टोम, त्रिवेन्द्रम	जी, हां।
मध्य प्रदेश	22.	नं॰ 1 भोपाल	जी, हां।
	23.	नं॰ 1 ग्वालियर	जी, हां।
	24.	नं॰ 1 जबलपुर	जी, हां।
महाराष्ट्र	25.	नं॰ II कोलाबा, मुम्बई	जी, हां।
	26.	बी॰ई॰जी॰ और सैन्टर, पुणे	जी, हां।
मणिपुर	27.	नं॰ I इम्फाल	जी, हां।
मेघालय	28.	शिलोंग (ऊपर)	निर्माणाधीन
नागालैंड	29.	दीमापुर	योजना बनाई जा रही है।
उड़ीसा	30.	नं॰ I भुवनेश्वर	जी, हां।
	31.	सम्भलपुर	जी, हां।
पंजाब	32.	नं॰ I पठानकोट	जी, हां।
	33.	नं॰ I भटिंडा	जी, हां।
	34.	कैन्ट नं॰ I जालंधर	जी, हां।
राजस्थान	35.	नं॰ II जयपुर कैन्ट	जी, हां।
	36.	नं॰ I ए॰एफ॰एस जोधपुर	जी, हां।

1	2	3
तमिलनाडु	37. नं॰ I तिराचिरापल्ली	जी, हां।
	38. मीनाबोक्कम, चेन्नई	जी, हां।
त्रिपुरा	39. नं॰ I अगरतला	जी, हां।
उत्तर प्रदेश	40. नं॰ II आगरा कैन्ट	जी, हां।
	41. एयर फोर्स स्टेशन बमरौली, इलाहाबाद	जी, हां।
	42. एयर फोर्स स्टेशन बरेली	जी, हां।
	43. सैक्टर-जे, अलीगंज, लखनऊ	जी, हां।
	44. आई आई टी, कानपुर	जी, हां।
	45. फोरेस्ट रिसर्च इंस्ट्टीयूट, देहरादून	जी, हां।
	46. हाथी बारकाला नं॰ I देहरादून	जी, हां।
	47. नं॰ I झांसी कैन्ट	जी, हां।
पश्चिम बंगाल	48. नं॰ I साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता	नहीं
	49. बाराकपोर (आर्मी) बाराकपोक	जी, हां।
संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	50. सैक्टर-47, चंडीगढ़	नहीं

[अनुवाद]

प्रशिक्षण पैकेज

701. श्री जी॰ गंगा रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंगलिश एण्ड फॉरेन लैंगवेजस (सी॰आई॰ई॰एफ॰एल॰) जो मंत्रालय के अधीन एक विश्वविद्यालय संस्थान है, ने हाल ही में अपने अध्यापकों के लिए व्यावसायिक अंग्रेजी में विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण पैकेज उपलब्ध कराने के लिए कुछ विदेशी विश्वविद्यालयो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी प्रकार के प्रशिक्षण पैकेजों के लिए कुछ अन्य देशों के साथ भी बातचीत चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इन पैकेजों के परिणाम-स्वरूप देश को कितनी आय होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान ने हाल ही में निम्नलिखित विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए है ताकि उनके शिक्षकों के लिए व्यावसायिक अंग्रेजी में विशेष रूप से निर्मित प्रशिक्षण पैकेज उपलब्ध कराये जा सके :-

1- लंदन विश्वविद्यालय, यमन गणराज्य

2- अन्तर्राष्ट्रीय किरगिस्तान विश्वविद्यालय

3- किरगित गणराज्य का चुई विश्वविद्यालय

4- अरबी गिरगिज राज्य शैक्षणिक विश्वविद्यालय

(ग) और (घ) मालदीव गणराज्य और बिष्केक मानविकी विश्वविद्यालय, किरगिज गणराज्य के साथ बातचीत की जा रही है। केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान ने किरगिस्तान में विश्वविद्यालयो के साथ हस्ताक्षारित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में जिन 12 छात्रों के समूह ने संस्थान में प्रवेश लिया था उनसे 8100.00 अमरीकी डालर का अच्छा शुल्क वसूल किया है। इस प्रकार के कार्यक्रम विदेशी सहभागियों के लिए स्व-वित्तपोषित आधार पर होते हैं और संस्थान में विदेशी मुद्रा कमाने की पर्याप्त संभावना है। इस स्थिति में वास्तविक वित्तीय अर्जित राशि दर्शाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को घाटा

702. श्री दादा बाबू राव परांजपे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को घरेलू उपभोक्ताओं और कृषि क्षेत्र को रियायती दर पर बिजली की आपूर्ति के कारण क्रमशः 400 करोड़ और 1200 करोड़ का वार्षिक घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए किसी कार्य योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्य योजना का विवरण क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को वर्ष 1996-97 के गैर-लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा नकद आर्थिक सहायता में

कमी करने के कारण घरेलू क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को रियायती दर पर विद्युत की आपूर्ति करने पर होने वाली हानि क्रमशः 462:22 करोड़ रुपये और 1451.17 करोड़ रुपये हैं।

(ख) और (ग) भारत में राष्ट्रपति ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना करने के लिए 25 अप्रैल, 1998 में एक अध्यादेश पारित किया है। विनियामक आयोगों की स्थापना से टैरिफ पोषितकरण और प्रति-आर्थिक सहायता जब भी आवश्यक हो द्वारा रा॰वि॰बो॰ की वित्तीय स्थिति सुधारने में सहायता प्राप्त होगी। इससे विद्युत क्षेत्र में अधिकाधिक संसाधनों का अंतर्प्रवाह करने में सहायता मिलेगी जिससे रा॰बि॰बो॰ की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

[अनुवाद]

राज्य बिजली बोर्डों को घाटा

703. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर राज्य बिजली बोर्ड मुख्यतः किसानों को रियायती दर पर बिजली दिए जाने के कारण घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किसानों और घरेलू उपयोग के लिए रियायती दर पर बिजली की आपूर्ति करने वाले राज्यों के नाम क्या है और उनके द्वारा विगत तीन वर्ष में कितनी रियायत दी गई; और

(ग) इस रियायत के दिये जाने के कारण हुए घाटे की किस सीमा तक केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा किसानों को विद्युत आपूर्ति किए जाने के लिए एस॰ई॰बी॰ को नकद सहायता देने में राज्य सरकार की असमर्थता राज्य विद्युत बोर्डों में हो रही हानि का एकमात्र कारण नहीं है। इसके अन्य कारण कम संयंत्र भार अनुपात (पीएलएफ) उच्च पारेषण व वितरण हानियां, परिणामतः कुछ ताप विद्युत केन्द्रों इत्यादि में ईंधन की अधिक खपत है।

(ख) राज्य विद्युत बोर्ड के लेखों के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को संबंधित वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर अग्रेषित किया जाना होता है। अतः 1997-98 के लेखे उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान कृषि क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र को राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आपूर्ति विद्युत के लिए विद्युत आपूर्ति की औसत लागत और औसत वसूली को इंगित करने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) केन्द्र सरकार बोर्डों द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त विद्युत आपूर्ति के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करता है। तथापि, वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई आर्थिक सहायता को इंगित करने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान कृषि और घरेलू क्षेत्र से विद्युत आपूर्ति की औसत लागत और औसत वसूली को इंगित करने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य विद्युत बोर्ड का नाम	1995-96			1996-97		
		विद्युत आपूर्ति की औसत लागत	औसत वसूली		विद्युत आपूर्ति की औसत लागत	औसत वसूली	
			कृषि	घरेलू		कृषि	घरेलू
1	2	3	4	5	6	7	8
							विद्युत/कि॰वा॰
1.	आन्ध्र प्रदेश	154.95	3.18	107.50	199.20	13.35	142.53
2.	असम	365.59	169.81	199.49	353.60	181.22	121.43
3.	बिहार	282.93	16.24	109.26	282.93	16.24	109.26
4.	गुजरात	182.78	19.09	119.22	208.64	20.21	149.53
5.	हिमाचल प्रदेश	104.34	128.08	67.95	122.01	142.27	58.55
6.	हरियाणा	211.08	51.93	133.48	228.72	52.41	169.37
7.	कर्नाटक	155.29	2.10	10.77	188.54	5.59	91.11
8.	केरल	100.43	23.74	60.98	129.35	26.94	59.77
9.	मेघालय	156.13	68.00	72.23	210.07	12.14	93.48

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	मध्य प्रदेश	170.99	18.48	65.17	197.27	28.40	73.13
11.	महाराष्ट्र	180.43	16.47	111.42	201.87	22.55	129.19
12.	उड़ीसा	213.87	63.87	88.85	213.87	53.87	88.85
13.	पंजाब	157.66	38.54	136.40	167.07	28.46	135.02
14.	राजस्थान	195.88	37.38	106.10	195.88	37.38	106.10
15.	तमिलनाडु	169.75	0.13	121.45	189.69	0.75	131.32
16.	उत्तर प्रदेश	210.34	44.32	85.34	221.28	35.32	103.14
17	पश्चिम बंगाल•	177.29	16.88	76.79	193.23	19.29	98.00

विवरण-II

वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों को राज्य सरकारों द्वारा दी गई आर्थिक सहायता को इंगित करने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य विद्युत बोर्ड का नाम	1995-96	1996-97
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00 *	0.00*
2.	असम	0.00	0.00
3.	बिहार	0.00	उपलब्ध नहीं
4.	गुजरात	459.00	262.53
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.05
6.	हरियाणा	192.00*	219.32
7.	कर्नाटक	551.00	533.00
8.	केरल	1.00	0.00
9.	मेघालय	8.00	उपलब्ध नहीं
10.	मध्य प्रदेश	592.00*	310.00
11.	महाराष्ट्र	631.00	258.71
12.	उड़ीसा	190.00	अस्तित्व में नहीं
13.	पंजाब	468.00	0.00
14.	राजस्थान	235.00	44.48
15.	तमिलनाडु	416.00	370.10
16.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00
17	पश्चिम बंगाल	82.00	55.00

* राज्य सरकार ऋणों के लिए समायोजन को अलग करते हुए।

निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं

704. श्री तथागत सत्पथी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में निजी क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियों द्वारा कितनी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की गई है;

(ख) उक्त परियोजनाएं राज्य-वार कहां-कहां लगाई गई हैं;

(ग) इन परियोजनाओं की क्षमता क्या-क्या हैं;

(घ) क्या इनमें से कुछ परियोजनाएं केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी•आर• कुमारमंगलम) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन (एम•ओ•यू•)/आशय पत्र (एल•ओ•आई•) इत्यादि रुट (100 करोड़ रु• से अधिक लागत वाली) पर मानीटर की जा रही निम्नलिखित निजी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना कर दी गई है और विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है।

क्रमांक	परियोजना/स्थल का नाम	क्षमता (मे•वा•)
1	2	3
1.	हजीरा संयुक्त साईकिल गैस टर्बाइन जिला, सूरत, गुजरात	515
2.	बड़ौदा संयुक्त साईकिल गैस टर्बाइन, जिला बड़ौदा, गुजरात	167
3.	पगुठान संयुक्त साईकिल गैस टर्बाइन, जिला भार्न, गुजरात	655

1	2	3
4.	जेगुम्पड संयुक्त साईकिल गैस टर्बाइन, जिला पूर्वी गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश	216
5.	गोदावरी संयुक्त साईकिल गैस टर्बाइन, जिला पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश।	208

*अब तक केवल 414 मे॰वा॰ चालू की गई है।

(घ) उपर्युक्त सभी परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (छ) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार में दूरभाष केन्द्रों का खोला जाना

705. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में वनांचल क्षेत्र के गिरीडीह जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के गरुवा और सतगांवां ब्लाक मुख्यालयों में उपग्रह के माध्यम से दूरभाष केन्द्र खोलने के लिए 1996-97 में स्वीकृति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके अभी तक न खोले जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का 1998-99 के दौरान राज्य में पर्याप्त क्षमता वाले नए दूरभाष केन्द्र की स्थापना का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां। बिहार के वनांचल क्षेत्र में वर्ष 1998-99 के दौरान गिरिडीह जिले के सतगांवा टेलीफोन एक्सचेंज को उपग्रह के माध्यम से संयोजकता (कनेक्टिविटी) प्रदान करने का प्रस्ताव है। गांवां के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सतगांवां टेलीफोन एक्सचेंज वर्ष 1996-97 के दौरान खोला गया था परन्तु उपस्कर उपलब्ध न होने के कारण उपग्रह संयोजकता (कनेक्टिविटी) प्रदान नहीं की जा सकी। तथापि, 1997-98 के दौरान उपग्रह उपस्कर की आपूर्ति कर दी गई थी एवं इसे यथाशीघ्र चालू करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) बिहार में वर्ष 1998-99 के दौरान एसएसए वार खोले जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों को सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बिहार में 1998-99 के दौरान एसएसए-वार खोले जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंज।

एसएसए का नाम	नए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
आरा	3
भागलपुर	3
छपरा	1
दरभंगा	5
दुमका	1
गया	2
हजारीबाग	1
जमशेदपुर	2
कटिहार	1
मुंगेर	1
मुजफ्फरपुर	4
पटना	1
रांची	5

[अनुवाद]

डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण

706. श्री दिलीप संघाणी :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर गुजरात में नयी प्रौद्योगिकी शुरू कर डाक सेवा का आधुनिकीकरण करने के लिए सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में दुर्गम पहाड़ी भागों में और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवा के विस्तार हेतु सरकार ने कोई कदम उठाये है/उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) डाक विभाग की आठवीं योजना (1992-97) की मध्यावधि पुनरीक्षा योजना आयोग के साथ परामर्श करके 1994 में की गई थी तथा यह निर्णय लिया गया था कि आवश्यक प्रौद्योगिकी के समावेश के साथ डाक प्रणाली को एक आधुनिक स्वरूप प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जाए।

(ख) डाकघर मानदण्ड आधारित औचित्य होने तथा लक्ष्य व संसाधन उपलब्ध होने पर खोले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में डाकघर खोलने के लिए 3000 की आबादी, निकटतम डाकघर से 3 कि॰मी॰ की न्यूनतम दूरी तथा न्यूनतम प्रत्याशित राजस्व लागत का 33 1/3 प्रतिशत होना निर्धारित किया गया है। पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम इलाकों के लिए आबादी व प्रत्याशित आय के मानदंडों में छूट दी गई है। इन इलाकों में एक अकेले गांव की आबादी 500 अथवा गांवों के समूह की आबादी 1000 होनी चाहिए तथा न्यूनतम प्रत्याशित आय भी लागत का 15 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

विश्व युवक केन्द्रों की सदस्यता

707. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्व युवक केन्द्र के सदस्य संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं की कुल संख्या तथा इससे संबद्ध क्लबों की संख्या का राज्य-वार अद्यतन ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विश्व युवक केन्द्र के लिए कितनी धनराशि का बजट आबंटन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) विश्व युवक केन्द्र एक गैर-सरकारी संगठन है। विश्व युवक केन्द्र द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, आज की तारीख तक, भारत में इससे सम्बद्ध संस्थानों, सामाजिक संगठनों तथा क्लबों की कुल संख्या 8000 है। राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए विश्व युवक केन्द्र के वास्ते कोई बजट आबंटन नहीं रखा गया है।

विवरण

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	आज की तारीख तक भारत में विश्व युवक केन्द्र से सम्बद्ध संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और क्लबों की संख्या
1	2	3
1.	अरूणाचल प्रदेश	50
2.	आंध्र प्रदेश	469
3.	असम	286
4.	बिहार	410
5.	दिल्ली	995
6.	गोवा	208
7.	गुजरात	316
8.	हिमाचल प्रदेश	50
9.	हरियाणा	294
10.	जम्मू व कश्मीर	105
11.	केरल	549
12.	कर्नाटक	302
13.	महराष्ट्र	382
14.	मिजोरम	56
15.	मेघालय	55
16.	मणिपुर	266
17.	मध्य प्रदेश	301
18.	नागालैण्ड	205
19.	उड़ीसा	486
20.	राजस्थान	252
21.	पंजाब	239
22.	सिक्किम	206
23.	त्रिपुरा	210
24.	तमिलनाडु	474
25.	उत्तर प्रदेश	442
26.	पश्चिम बंगाल	392
		8000

संसाधनों के संरक्षण में सार्वजनिक भागीदारी

708. श्री मुकुल वासनिक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमारे संसाधनों के पोषणीय उपयोग और संरक्षण में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हमारे परम्परागत ज्ञान और जैवकीय संसाधनों की चोरी रोकने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा जैविक संसाधनों के संरक्षण और उनके सतत् प्रयोग में जन-भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाता है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय पार्कों, अभ्यारण्यों तथा अन्य आरक्षित वन क्षेत्रों के आस-पास पारिविकास कार्यक्रमों से इन क्षेत्रों में सरंक्षण तथा वन्यजीवों की सुरक्षा में स्थानीय समुदायों की भागीदारी का अवसर

मिलता है। अवक्रमित वन भूमियों के पुनरोत्थान हेतु संयुक्त वन प्रबंधन पद्धति स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर आधारित है।

(ग) और (घ) मंत्रालयों/विभागों, शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों, विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों तथा पणधारियों (स्टेक होल्डर्स) के साथ उनसे सम्बद्ध जैविक संसाधनों और देशज जानकारी को सुरक्षित रखने के बारे में विस्तृत विचार-विमर्शों तथा उक्त संसाधनों के उपयोग के परिणामस्वरूप मिलने वाले उचित लाभों को सुनिश्चित करने के पश्चात्, सरकार द्वारा जैव विविधता के बारे में एक कानून के मसौदे का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

उक्त समिति ने जैव विविधता पर एक अधिनियम के मसौदे की आउटलाईन अक्तूबर, 1997 में प्रस्तुत की थी। सरकार अब जैव विविधता के बारे में एक कानून बनाने के प्रस्ताव पर आगे विचार कर रही है। प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे संसाधनों के उपयोग के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न लाभों में उचित साझेदारी को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उपरोक्त संस्थाओं से सम्बद्ध जैविक संसाधनों तथा देशज जानकारियों की प्राप्यता को विनियमित करने का मामला भी शामिल है।

एंटा गैस ताप विद्युत परियोजना, चरण-दो

709. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन॰टी॰पी॰सी॰ ने पहले एंटा में 413 मेगावाट का गैस विद्युत केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई थी लेकिन इसमें कोई प्रगति नहीं हुई क्योंकि केन्द्र सरकार ने एंटा ताप विद्युत परियोजना, चरण दो के लिए कोई गैस उपलब्ध नहीं करायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने एंटा, चरण-दो के प्रारंभ होने के बाद दिल्ली और गुजरात स्थित विद्युत स्टेशनों को गैस आबंटित की थी;

(ग) यदि हां, तो यह किस आधार पर किया गया;

(घ) एन॰टी॰पी॰सी॰ का ताप आधारित एंटा चरण-दो स्टेशन को कब तक गैस उपलब्ध करा दी जायेगी और उसे केन्द्र सरकार की मंजूरी मिल जायेगी;

(ङ) क्या मौजूदा एंटा गैस ताप विद्युत परियोजना को बेस लोड स्टेशन के रूप में सरकार की नीति के अनुसार पर्याप्त गैस आबंटित की जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(छ) यदि नहीं, तो चरण-एक और चरण-दो को भी कब तक अतिरिक्त गैस आवंटन किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने मूल रूप से 1998 में एंटा गैस विद्युत परियोजना चरण-2 (430 मे॰वा॰) के विस्तार के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसमें गैस को प्रमुख ईंधन माना गया था और जिसकी एचवीजे पाईपलाइन से आपूर्ति की जानी थी। तथापि, गैस की अन-उपलब्धता के कारण प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी। इस विस्तार परियोजना को 650 मे॰वा॰ की क्षमता सहित तथा नापथा को एक प्रमुख ईंधन मानते हुए पुनः 1997 में तैयार किया गया।

(ख) और (ग) दिल्ली, गुजरात और एंटा के विद्युत केन्द्रों में गैस का आबंटन एक साथ किया गया था।

(घ) से (छ) एंटा विस्तार परियोजना हेतु 80 प्रतिशत पीएलएफ पर नापथा का लिंकेज नवंबर, 1997 में प्रदान कर दिया गया था। एंटा गैस विद्युत संयंत्र चरण-2 को एचवीजे पाईपलाइन से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। एचवीजे पाईपलाइन की क्षमता 33.40 मिलियन क्यूसेक मीटर प्रतिदिन (एमसीएमडी) है जबकि 39.14 एमसीएमडी का आबंटन पहले किया जा चुका है। चूंकि यह आबंटन पहले ही ओएनजीसी द्वारा प्रक्षेपित गैस की उपलब्धता से बढ़ चुका है, एंटा गैस विद्युत प्ररियोजना को गैस का अतिरिक्त आबंटन करना इस समय संभव नहीं है। विस्तार प्रस्ताव इस समय तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत जांचाधीन है।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में रिक्तियां

710. **श्री सत्यपाल जैन :**
प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन :
श्री भगवान शंकर रावत :
श्री सुशील कुमार शिन्दे :
श्रीमती जयंती पटनायक :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में स्थायी तथा अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृत कुल संख्या क्या है;

(ख) विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं तथा 30 अप्रैल, 1998 को न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के संदर्भ में इन रिक्तियों का प्रतिशत क्या है;

(ग) कब से ये पद रिक्त पड़े है; और

(घ) इन पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा कब तक ये पद भर दिए जाएगें?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (घ) 1.5.1998 को भारत के उच्चतम न्यायालय में 26 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के प्रति 21 न्यायाधीश पदासीन थे और न्यायाधीशों की 5 रिक्तियां भरी जानी थी। ये रिक्तियां क्रमशः 12.6.1997, 13.7.1997, 21.12.1997, 18.1.1998 और 1.5.1998 को हुई थी।

उच्च न्यायालय में, 1.5.1998 को 585 न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के प्रति, 481 न्यायाधीश/अपर न्यायाधीश पदासीन थे और न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों की 184 रिक्तियां भरी जानी थीं। ये पद, समय-समय पर न्यायाधीशों की सेवा, निवृत्ति और स्थानांतरण आदि के कारण रिक्त हुए थे।

ऐसी नियुक्तियों की प्रक्रिया में अनेक सांविधानिक प्राधिकरणों के मध्य परामर्श अन्तर्गस्त है। विद्यमान रिक्तियों को अतिशीघ्र भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सुविधा

711. श्री जगतवीर सिंह द्रोण :

श्री जंगबहादुर सिंह पटेल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋण मंजूरी के बावजूद उत्तर प्रदेश में हजारों गांव आधुनिक टेलीफोन सुविधाओं से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों की कुल संख्या कितनी है और वहां आधुनिक टेलीफोन सुविधाएं मुहैया न कराये जाने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश (पूर्वी) के 36773 गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने हेतु, एशियाई विकास बैंक के साथ ऋण वार्ता, तय हुई थी। उपस्करों की आपूर्ति हेतु निविदा भी आमंत्रित की गई थी परंतु उपस्कर तकनीकी जरूरतों के अनुसार न होने के कारण इस निविदा को रद्द करना पड़ा था।

हम, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी गावों में टेलीफोन प्रदान करने के अपने कार्यक्रम की ओर अग्रसर हैं। इस अवधि के दौरान भूमिगत केबलों, ओवरहेड लाइनों, एम॰ए॰आर॰आर॰ प्रणालियों, नये एक्सचेंज खोले जाने तथा मैक्रो क्षेत्रों के लिए वायरलेस इन लोकल लूप आदि जैसी मिलीजुली प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाएगा।

[अनुवाद]

केबलों की कमी

712. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में पंसकुरा टेलीफोन एक्सचेंज में केबल आदि जैसी बुनियादी सामग्री की भारी कमी है?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कमी के क्या कारण हैं? और

(ग) सरकार द्वारा केबल की आपूर्ति और आवश्यक निधियों को जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) कोई कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विकास एवं प्रचालन संबंधी जरूरतों के आधार पर समय-समय पर निधियों एवं केबल की आपूर्ति की जाती हैं।

देश में विद्युत उत्पादन

713. श्री कमलनाथ : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितना विद्युत उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 में विद्युत की अनुमानित आवश्यकता कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान देश में कुल ऊर्जा उत्पादन निम्न प्रकार है :

1995-96	-	379.877 बिलियन यूनिट (बी॰यू॰)
1996-97	-	394.488 बिलियन यूनिट (बी॰यू॰)
1997-98	-	420.622 बिलियन यूनिट (बी॰यू॰)

(ख) 15वीं विद्युत सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के लिए प्रक्षेपित ऊर्जा संबंधी आवश्यकता निम्नलिखित है :

1998-1999	-	469.507 बि॰यू॰
1999-2000	-	502.254 बि॰यू॰
2000-2001	-	535.903 बि॰यू॰

(ग) प्रक्षेपित मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शामिल है-क्षमता में वृद्धि, विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, बेहतर मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा संवर्धन उपाय, विद्यमान संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण, पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करना और अंतःक्षेत्रीय लिंकों के जरिए विद्युत आधिक्य क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत के अंतरण द्वारा उत्पादन क्षमता का प्रभावी समुपयोजन।

कोल्हापुर, महाराष्ट्र में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ

714. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट के कोल्हापुर क्षेत्र में उच्च न्यायालय की कोई खण्डपीठ विद्यमान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने कोल्हापुर में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने के लिए कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो कोल्हापुर में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने के संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (ग) कोल्हापुर में मुंबई उच्च न्यायालय कीं स्थायी न्यायापीठ स्थापित करने के लिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) के निबंधनों के अनुसार, मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय जन संचार संस्थान में रिक्तियों को भरना

715. श्री कड़िया मुण्डा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जन संचार संस्थान, जे॰एन॰यू॰ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के संबंधित अधिकारियों द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों, की सीधी भर्ती के बारे में सरकार द्वारा घोषित नीति की तारीख से अन्य पिछड़ी जाति की आरक्षित श्रेणी में ग्रुप 'घ' पदों में एक भी भर्ती नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सभी रिक्तियां, जिन्हें सीधी भर्ती के द्वारा भरा जाना है, का ब्यौरा क्या है; और ·

(ग) उपरोक्त रिक्तियों को भरने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) भारतीय जन संचार संस्थान में समूह 'घ' के तीन रिक्त पदों में से एक पद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है और सीधी भर्ती द्वारा चयन की कार्यवाही की जा रही है।

पुलों पर टोल टैक्स की वसूली

716. श्री जंगबहादुर सिंह पटेल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी लोगों से गंगा नदी पर शास्त्री पुल तथा इलाहाबाद में तेलियारगंज और पपामऊ के बीच बने पुल पर टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और टोल टैक्स की वसूली को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) इन पुलों का निर्माण किस-किस वर्ष में किया गया तथा पुल-वार इन पुलों के निर्माण पर आई लागत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पुल-वार टोल टैक्स के रूप में वसूल की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यह सूचना दी गई है कि पुलों की लागत अभी तक वसूल नहीं हो पाई है। लागत और उस पर ब्याज की पूरी वसूली होने के बाद पथकर बन्द कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ)

पुल का नाम	निर्माण का वर्ष	निर्माण की लागत	मार्च, 98 तक वसूली गई राशि (लाख रु॰)
शास्त्री पुल	1982	1150.70	1604.00
पपामऊ पुल	1988	857.48	696.60

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

717. श्रीमती कमल रानी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1998-99 के दौरान उत्तर प्रदेश में नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्या है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश में घाटमपुर रीजन के अन्तर्गत जहानाबाद में अभी तक टेलीफोन सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार का जहानाबाद में कब तक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां।

(ख) सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 31.3.98 की स्थिति के अनुसार राज्य में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 2050 (दो हजार पचास) है।

(घ) उत्तर प्रदेश में घाटमपुर क्षेत्र के तहत जहानाबाद में टेलीफोन सेवा पहले ही प्रदान कर दी गई है।

(ङ) और (च) उक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

जिला का नाम	एक्सचेंज का नाम	
1	2	
इलाहाबाद	कर्नलगंज	बहराना
	सुबेदारगंज	जार्ज टाऊन
	मुठीगंज	कारा
	मन्सूराबाद	बरियारामपुर
	घासनपुर	मुकुन्दपुर
	पश्चिम सरिरा	शाहजादपुर
	जलालपुर	घानपुर
	होलागढ़	सरश्रवान
	कोठी	कोटवा
	सारंगपुर	धानपुर
	सरायममरेज	कोवराज
	द्रोबाहत	उंचडीह
आगरा	नडाऊ	रिठा
	डिंगर	व्रिथल
	सहटा	साहागंज
	सीटीओ बिल्डिंग	आगरा–ग्वालियर रोड
	आगरा–बेलनगंज	दयालबाग
अलीगढ़	अलीगढ़–एटा रोड	सतू पेडा
	नगरिया	
	गहलान्	पोरा
अल्मोड़ा	भैंसलाचना	घाडडा
	बाराकोटा	धौलावेवी
	धरमगढ़	
आजमगढ़	मलटारी	लाटघाट
	मेहनाजपुर	वन्कट
	लखनापुर	माटिनगंज
	तहबरपुर	लाहाडाह
	सिंहपुर	खराहाना
	तरवा	गोसांईकर बाजार
	पटवध	
बदायूं	सलारपुर	राजपुरा
	जमेद	
बरेली	प्रेमनगर	सुभाषनगर
	बरेली यूनिवर्सिटी	क्वालाडिया (भापुरा)
	किंयारा	भिटारी (चैनपुरा)
	धौराटाण्टा	डुका
	शाही	खटाऊमिल बहरू
बिजनौर	न्यू एक्सचेंज-1	न्यू एक्सचेंज-2
	न्यू एक्सचेंज-3	न्यू एक्सचेंज-3
	न्यू एक्सचेंज-4	न्यू एक्सचेंज-5
	मौहम्मदपुर	निडरन
	द्वारकेश	कडराबाद
बाराबंकी	टेरासदीपुर	सैदखानपुर
	महमूदाबाद	हैटमापुर
	मऊ गौरपुर	भेलवाल
	खजूरी	सराय बराय
	सिहाली	कस्बा इचौली
	मौहम्मदपुर खाला	रमुआपुर (तिलवाड़)
	बड्डूपुर	थौला
	बिशनपुर	मौहदीपुर चक्सर
	भित्तई	निंदूरा
	रौजागांव	त्रिवेदीगंज
	मति	
बहराइच	बेगमपुर	भग्गदी
	गम्भीरवा बाजार	खुटाहना
	लक्ष्मण नगर	नौटाला
	वजीरगंज	सिरसिया
देहरादून	इन्दिरा कालौनी	ऋषिकेश आई॰डी॰पी॰एल॰
	स्वर्ग आश्रम	तिमली
	भलदेवता	शेरगढ़
	नागघाट	बड्डी
	हराकला	मण्डूवाला
	धरमावाला	तखबाड
इटावा	इटावा	परसना
	बडालोकपुर	खरदुली

1	2	
	कूडारकोट	उपराहर
एटा	अचलपुर	गढ़ी
	सरापा आहघाट	बेसुन्धरा
	धुमरी	
फैजाबाद	शाहगंज	तकुलबाजार
	नूबरागंज	देवगांव
	गुडडेपुर	उधरेठी
	आनंद नगर	राब्तीपुर
	मुस्तफाबाद	रसूलाबाद
फर्रूखाबाद	मक्सिा	उमदी
	नवाबगंज	रूडेन
	हसीन	रिमतेपुरी
	विष्णुगढ़	जरारी
	खर्ना	मनामऊ
	सिरौला	
गाजियाबाद	विषनगर	मोहननगर
	इन्द्रा पुरम	वैशाली
	चिरंजिव नगर	गांधीनगर
	मुरादनगर	नंदग्राम
	नवयुग मार्किट	नेहरू नगर
	नेवाड़ी	तलहेता
गोरखपुर	झगाहा	होहरिया बाजार
	अड्डा बाजार	खुटाहा बाजार
	बरियदवा बाजार	
झांसी	पिछोर	घासमण्डी
	सिपरी	बामोर
	बंगार	तेहरौली
	नरहाट	
बांदा	जसपुरा	महुआ
	रामनगर	मर्कुण्डा
	छिबू	मुर्वल
	जमालपुर	रसिमपुर
	गड़बाना	ईगुआमऊ
	मकी	जारी
	सबादा	सिम्हालकल

1	2	
	गडरिया	जोहरपुर
	पपरेना	मदुरखार
हमीरपुर	नराइच	खन्ना
	भैसवाडी	बेरी
	तिही	मवाइजर
	कन्धारी	बिधोखान
	ईघूटा	बिहारिका
	चिकासी	गुझडडा
	लोधीपुर	टिकरौली
	धनौरा	अतर्रा
कानपुर	जजमऊ	गोविंदनगर
	रूमाचकेरी	नारामेऊ
	भौटाप्रतापपुर	छावनी
	यूपी॰आई॰सी॰ए॰	मैथी
	सजेटी	पाली
	रिवना	नौरंगा
	सेठपालपुर	चकेरा रेलवे स्टेशन
	बरौड	प्रमेपुर
	कंसोसी	मालासा
	सेवा खेडा	बारीपाल
	सिवली	काहिवझेढा
	गजनेर	मंगलपुर
	रमईपुर	
मैनपुरी	दिहूला	नौनेर
	कुछेरा	साम्न
	औरण्ड	बिछामऊ
	नवाबगंज	लम्बुआ
	मुस्तफाबाद	नगलमध
	मदनपुर	जगतपुर
	पटेरा	सुल्तानगंज
	खेरगढ़	जागीर
उरई	पिण्डारी	महेदा
	रामपुरा	खक्रीसिस
	उसरगांव	साहब
	धानी	गोहढा

1	2	
	हदोईगुजर	दमराड
	कैलिया	बिडपुरा
	सरसेटा	सिरसाकलार
	सरवान	चिरियापासपुर
	जगमनपुर	जयश्राकाल
	पिपरैठा	कीतारी
	सैदनगर	खरी
	चुर्खी	करमचंद
	के॰के॰ खेरा	झमलिहा
रायबरेली	गोडागंज	अझ्हर
	अमावा	राजाफतेहपुर
	भोजपुर	तेहगो
	चौक	भहेदरपुर
	सिंहपुर	करहैयागंज
	खिरिया	चोढाह
फतेहपुर	अमौली	विजयपुर
	मो॰ गोगौउटी	बेहरन
	चिउलाहा	जमावान
	भिटौरा	देवमई
उन्नाव	नई सराय	कालुखेडा
	कुरशर	औरस
	रसूलाबाद	कौठा
	हिलाडली	मारवी
	सिकपसरोसी	असोहा
	मिर्जापुर	परियार
	बिछिया	
कोटद्वार	बहेराखल	देवीखेत
	यमेकेश्वर	नेनाडाण्डा
	डौरीखल	चिलिया
	पोखरा	दरहोली
बस्ती	बेलवा सेगर	जाम्दाशाही
	केसरबाजार	बन्कटी
शाहजहांपुर	नाहिल	बसन्तपुर
हरदोई	टडियावन	दनवार

1	2	
गौंडा	अम्दाहई	आजादनगर
सीतापुर	सान्दा	
लखाम्पुर	चन्दनचौकी	
लखनऊ	टिकैतराय तालाब	कुम्हरावन
	कहला	आशियाना
मऊ	मयादपुर	चकी
	दूबरा	सुग्गाचौरा
	सिपाह इब्राहिमाबाद	अकरसावन
	कुश्मौर	हलदरपुर
	पिपरसाठ	बलुदानी
	मदनपुर	भागलपुर
	खुखुण्डू	देसाई देवरिया
	बंगारा बाजार	कुबेर स्थान
	नेबुआ नवरगिया	तरिया कुचन
	मोतीचाक	तमपूर बाजार
	हेलाम्पुर	
मिर्जापुर	मर्कुण्डी	कन्कराही
	खारिया	वमज
	विंध्यगंज	ड्रम्मागंज
मथुरा	नीमगांव	राल
	अकोश	बेरा
	हरनील	नारासेमा
	मई	करब
मेरठ	बच्चा पार्क	प्रतापपुर
	नोचण्डी	पचपेडा
	अगवनपुर	कैठवाड़ा
	रिथूली	कोटाना
	निलोही	रघुनाथपुर
	करा	रेहावती
मुरादाबाद	मझोला	लाजपत नगर
	सम्भलरोड	बनियाखेडा
	भगतपुर हाण्डा	पनवासा
	रेहडा (गगरवरर)	हकीमपुर
	मनोटा	जाटपुरा
	अतरौली	

1	2	
मुजफ्फरनगर	शातयां	जसाला
	गालिबपुर	जोली
	सिखेड़ा	बंरोडा
	डूंगर	
नौएडा	नौएडा सैक्टर- 9	नौएडा सैक्टर-62
	नौएडा सैक्टर-32	लकीबयावागी
	उकलोगांव	धामपुर
	अरनिया	प्रतापपुर
	मुनी	बिलासपुर
	अजायबपुर	मुकीमपुर
	झझर	खडगवाली
	सलारपुर	गेशपुर
	बिलसुरी	बराल
	नारायणपुर	अहमदगढ़
नैनीताल	कालाधुगी	न्यू एक्सचेंज-ए
	न्यू एक्सचेंज-बी	न्यू एक्सचेंज-सी
	न्यू एक्सचेंज-डी	
पिलीभीत	मुदलिंग	परिबर्गबस्ती
	मधुआपुर	ईटगांव
	सिमरोगी	ललारी
	मथर	जापला
	मरोडी	लारीखेडा
रामपुर	चमरूअपा	अहेरो
	कुबेर फार्म	रामपुरा
	खाटर	रायसडाण्डिया
	मथखेडा	
सहारनपुर	चिलकाना रोड	नुमाईश कैम्प (एस॰एच॰एन॰)
	टोडरपुर	बिलियाखोरी
	खानपुर	पिरनकालयां
	शिरगपुर	दुधाला
	जहांपुर	बहेडासढ़ पलसिंह
	जरोदापाण्डा	

1	2	
उत्तरकाशी	राजगढ़ी	खराडी
	धनोहटी	जौनपुर
	थलदौर	बिलंगाना
	चक्की (टिहरी)	काठसातल (टिहरी)
वाराणसी	संजयनगर	इलिया
	सैदपुर	विरमकोट
	साहागंज	धरौली
बलिया	बेरूरूबरबाडी	हुसैनाबाद
	काजीपुर	कोटवाडी
	मोनिश	मुरतीछपरा
	नवानगर	सोनवानी
गाजीपुर	बाड़ा	बाडा छाव
	बडयारा	भवरकोल
	बिमो	देवकाली
	कासीमाबा	खरडीहा
	मनाहारी	नाथकडीह
	परसाविकल	रायपुर
	सैदाबाद	सोहावल
जौनपुर	हरिहरपुर	नेवादया
	पाली	पहराहा बाजार
	रतासी	सरायाबंकी
	सम्भूगंज	तातमतराय
सुल्तानपुर	अखण्डनगर	बलीदराई
	भदर	मेटवा
	मैन	हनुमानगंज
	शाहगढ़	पाल्लापुर
प्रतापगढ़	बधारी	गहनी
	बथेहा	धकावा
	मगंरोवराडा	कियगवार बाजार
	दिलीपपुर	भगपतगंज
	गोराबाजार	साहेबगंज
	बिहार	आहिगावर
	शिवगढ़	राजापुर
	संकरदारा	कुश्वापुर बाजार

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड निगम द्वारा गोआ को विद्युत की सप्लाई

718. श्री रवि सीताराम नायक : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारेषण संबंधी समस्याओं के कारण राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड निगम गोआ को विद्युत को सप्लाई नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिजली विनियमन आयोग (इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन) की स्थापना कब तक हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) (क) और (ख) गोवा पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय स्टेशनों से 294 मे॰वा॰ और दक्षिण क्षेत्र में रामागुंडम एसटीपीएस से 100 मे॰वा॰ विद्युत आवंटित की गई है।

गोवा का व्यस्ततमकालीन भार लगभग 20 मे॰वा॰ है। केन्द्रीय स्टेशनों से आवंटन इसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि गोवा कम बोल्टेज के फलस्वरूप पश्चिमी क्षेत्र से अपना पूरा हिस्सा आहरण करने में असमर्थ है। गोवा को विद्युत आपूर्ति करने में कोई समस्या नहीं है और विद्यमान लाइनों के जरिए गोवा के पास पर्याप्त क्षमता है। तथापि कम वोल्टेज और असंतोषजनक उप-वितरण और पारेषण प्रणाली के फलस्वरूप ग्रिड से गोवा को की गई विद्युत की आपूर्ति प्रभावित हुई है। कम वोल्टेज स्थितियों के बावजूद गोवा के सम्मुख किसी प्रकार की ऊर्जा की कमी और व्यस्ततमकालीन विद्युत की कमी नहीं है।

(ग) टैरिफ यौक्तिकरण और संबंधित मामलों हेतु केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग और रा॰वि नियामक आयोग की स्थापना के लिए 25.4.98 को विद्युत नियामक आयोग अध्यादेश प्रस्थापित किया गया था। अध्यादेश के प्रख्यापन की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग रा॰वि॰ नियामक आयोग का गठन किया जाना अपेक्षित है। केन्द्रीय नियामक आयोग की स्थापना करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्रवाई आरंभ कर दी गई है और राज्य सरकारों को 3 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर रा॰वि॰ नियामक आयोगों की स्थापना करने के लिए अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

बाघों की खालों की तस्करी

719. श्री मोहन सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रजातियों के बाघों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रजातियों की संख्या में कितनी कमी हुई है और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या बाघों की खाल की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है और यदि हां, तो तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) बाघ की केवल एक ही प्रजाति है जिसकी केवल एक उप प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर (पेंथेरा टाइग्रिस) ही भारत में पाई जाती है। देश में बाघों की संख्या की गणना के लिए चार वर्षों में एक बार अखिल भारतीय आकलन किया जाता है। पहले किए गए आकलनों के अनुसार बाघों की राज्यवार संख्या विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) यह सत्य है कि बाघ के अंगों का अवैध व्यापार और बाघों की घटती हुई संख्या चिंता के प्रमुख कारण हैं और नए खतरों से भारतीय बाघ को बचाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनकी सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

देश में बाघों की संख्या

राज्य का नाम		बाघ				
		1972	1979	1984	1989	1993
1	2	3	4	5	6	7
1.	तमिलनाडु	033	065	097	095	097
2.	महाराष्ट्र	160	174	301	417	276
3.	केरल	060	134	089	045	057
4.	पश्चिम बंगाल	073	296	352	353	335
5.	उड़ीसा	142	173	202	243	226
6.	कर्नाटक	102	156	202	257	305
7.	बिहार	085	110	138	157	137
8.	असम	147	300	376	376	325
9.	राजस्थान	074	079	096	099	064
10.	मध्य प्रदेश	457	529	786	985	912
11.	उत्तर प्रदेश	262	487	698	735	465
12.	आंध्र प्रदेश	035	148	164	235	197
13.	मेघालय	032	035	125	034	053
14.	मणिपुर	001	010	006	031	-
15.	त्रिपुरा	007	006	005	-	-
16.	मिजोरम	-	065	033	018	028
17.	नागालैंड	080	102	104	104	083

1	2	3	4	5	6	7
18.	अरूणाचल प्रदेश	069	139	219	135	180
19.	सिक्किम	–	–	002	004	002
20.	गुजरात	008	007	009	009	005
21.	गोआ, दमन एवं दीव	–	–	–	002	003
22.	हरियाणा	–	–	001	–	–
	कुल	1827	3015	4005	4334	3750

विवरण-II
बाघ को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. सतर्कता को सुदृढ़ बनाने और गश्त को तेज करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।

2. प्रभावकारी आसचूना एकत्र करने तथा कानून को लागू करने के लिए विभिन्न प्रवर्तन एर्जेंसियों के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाएं।

3. सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, तटरक्षक, राज्य पुलिस, उप निदेशक, वन्य जीव परिक्षण जैसी प्रवर्तन एर्जेंसियों तथा भारतीय प्राणि विज्ञान और वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण जैसे वैज्ञानिक संगठनों के साथ वन्य जीवों के चोरी छिपे शिकार तथा गैर-कानूनी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति की स्थापना करना।

4. सीमा पार से व्यापार में नियंत्रण करने के लिए एक प्रोटोकाल पर चीन गणराज्य के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं तथा महामहिम नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

5. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिए बाघ रेंज देशों का अर्थात् विश्वव्यापी बाघ मंच के सृजन की पहल की गई।

6. वन्य जीव संरक्षण के संबंध में सरकार के प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और अन्यों को सम्मिलित करने हेतु लोक जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

7. बाघ व्यापार मार्गों का पता लगाने और बाघ के अंगों और उत्पादों की फारेंसिक पहचान संदर्भ मेनुअलों का विकास करने में संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों को समर्थन प्रदान करना।

8. क्षेत्रों 42 जीवीय दबाव को कम करने के लिए उनके पारि-विकास हेतु राज्य सरकारों को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।

9. प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्रों में स्थल विशिष्ट 'स्पेशल स्ट्राइक फोर्स' की स्थापना के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है।

[अनुवाद]

टिहरी परियोजना

720. श्री के॰सी॰ कोंडय्या : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा टिहरी परियोजना के निर्माण कार्य को रोकने के लिए हाल के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए गढ़वाल पहाड़ी क्षेत्र टिहरी परियोजना की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां तथापि, सुरक्षा पहलुओं के साथ-साथ पर्यावरण संबंधी और पुनर्वास मुद्दों के संबंध में श्री सुन्दरलाल बहुगुणा द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने टिहरी बांध के सुरक्षा संबंधी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए जून, 1996 में एक विशेषज्ञ दल और पुनर्वास व पर्यावरण संबंधी मुद्दों की समीक्षा के लिए सितम्बर, 1996 में एक अन्य समिति का गठन किया गया था। दोनों समितियों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। दोनों में से किसी भी समिति ने निर्माण कार्य को रोकने की सिफारिश नहीं की है। निर्माण संबंधी कार्य को रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी दूरदर्शन का निजीकरण

721. श्री अजीत जोगी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में रेडियो स्टेशन तथा दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने हेतु निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जलमार्गों से गाद निकालने के लिए धनराशि

722. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय जलमार्गों से गाद निकालने से संबंधित कार्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) यह कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा तथा कब तक पूरा कर लिया जायेगा; और

(ग) गाद निकालने के कार्य के साथ-साथ यदि कोई अन्य कार्य शुरू करने का विचार है तो उसका ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) 4.30 करोड़ रु॰

(ख) राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में वार्षिक अनुरक्षण निकर्षण नवम्बर, 1998 के आरंभ में शुरू होने और मई, 1999 तक उसके जारी रहने की संभावना है। राष्ट्रीय जलमार्ग-3 में कैपीटल निकर्षण कार्य सितम्बर, 1998 के मध्य से शुरू होगा और इसके जून, 1999 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

(ग) राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में निकर्षण से पहले, विभागीय निकर्षक और सर्वेक्षण जलयानों का उपयोग करके छिछले स्थानों का पता लगाने के लिए टालवेज सर्वेक्षण और निकर्षण पूर्व सर्वेक्षण किए जाते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग-3 में निकर्षण संबंधी कार्यों में नहर को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण, तट रक्षण, शुष्क एवं गीली मिट्टी की खुदाई शामिल है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

723. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों में इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या ग्यारह है (जिसमें 2 नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं।)।

(ख) विकास और अनुरक्षण के लिए पिछले तीन वर्षों में राशि का वर्षवार आवंटन इस प्रकार है :

(लाख रु॰)

वर्ष	निधियों का आवंटन विकास	 अनुरक्षण एवं मरम्मत
1995-96	2020.00	1971.52
1996-97	1020.00	3176.72
1997-98	4000.00	3313.78

रिक्त पदों को भरा जाना

724. श्रीमती ओमवती देवी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के दरभंगा जिले में 1997 से अब तक ई॰डी॰डी॰ए॰/एम॰एस॰ और ई॰डी॰डी॰वी॰/पी॰एम॰ के कितने रिक्त पदों को भरा गया है;

(ख) क्या सरकार को इन पदों पर नियुक्तियों के संबंध में नियमों/विनियमों का उल्लंघन किए जाने के विरोध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) डाक विभाग में ई॰डी॰डी॰ए॰/एम॰एस॰ तथा ई॰डी॰डी॰वी॰/पी॰एम॰ का कोई पद नहीं है। बिहार डाक सर्किल के अंतर्गत दरभंगा जिले में 1.1.97 से लेकर आज की तारीख तक भरे गए ई॰डी॰डी॰ए॰/एम॰सी॰ तथा ई॰डी॰बी॰पी॰एम॰ पदों की संख्या 28 (अट्ठाईस) है।

(ख) जी हां। 17 मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) नियुक्ति के 17 मामलों की पुनरीक्षा करने पर 16 मामलों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। भोज पंडौल में ई॰डी॰एम॰सी॰ के पद पर नियुक्ति के मामले में यह पाया गया कि मेरिट लिस्ट में अंकों के आधार पर दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया। इस मामले में विस्तृत जांच-पड़ताल करने के आदेश दे दिए गए हैं।

"खट्टी दादर वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई"

725. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मांडला जिले में भारत एल्युमिनियम लिमिटेड (बाल्को) को 1988 में ब्लॉक सिरियल नं॰ 4 में खट्टी दादर क्षेत्र में खनन के लिए शेष पेड़ों की कटाई की अनुमति वन संरक्षण (अधिनियम) 1980 के अंतर्गत दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो खट्टी दादर के फारेस्ट ब्लॉक सिरियल नं॰ 6 के 1.25 हेक्टेयर वन क्षेत्र के 289 पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) सिरियल नं॰ 4 में खट्टी दादर वन क्षेत्र में खनन के लिए वृक्षों की कटाई की अनुमति राज्य वन विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी लिए बिना दी गई थी। खट्टी दादर वन भूमि में सिरियल नं॰ 6 में 1.25 हेक्टेयर वन भूमि से वृक्षों की कटाई के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए राज्य सरकार से निर्धारित फार्मेट में एक औपचारिक प्रस्ताव आना जरूरी है।

प्रेस सूचना ब्यूरो में लम्बित लेखा परीक्षा पैरा

726. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से प्रेस सूचना ब्यूरो में लम्बित पड़े लेखा परीक्षा पैराओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) कम्प्यूटरीकरण के लिए कम्प्यूटरों और इनके कलपुर्जों की खरीद हेतु उक्त कार्यालय स्थित राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के अधिकारी को किए गए अग्रिम भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लेखा परीक्षा ने उक्त खरीद में बहुत-सी अनियमितताओं का उल्लेख किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) पत्र सूचना कार्यालय द्वारा वर्ष 1991 के दौरान स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली की खरीद में निवेश के बारे में नियंत्रक और महा लेखा-परीक्षक का लेखा-परीक्षा संबंधी एक पैरा इसको दिनांक 31.3.96 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को कम्प्यूटरों तथा सहायक सामग्री की खरीद के लिए मार्च, 1995 में अग्रिम के रूप में 97.52 लाख रु॰ की राशि अदा की गई थी।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित खरीद में लेखा-परीक्षा द्वारा कोई अनियमितताएं नहीं बताई गई हैं।

[अनुवाद]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना

727. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में विशेषकर पूर्वोत्तर में और अधिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) सरकार ने देश में और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई निर्णय तभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करने के बाद ही लिया जा सकता है।

वन क्षेत्र में कमी

728. श्री सुब्रत मुखर्जी :
श्री सुधीर गिरि :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री गिरिधर गमांग :
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 23 फरवरी, 1998 को देश के सघन वन क्षेत्र में कमी के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के अनुसार दो वर्षों अर्थात् 1995-97 के दौरान 17000 वर्ग किलोमीटर वन साफ हो गए हैं तथा केन्द्र तथा दोषी राज्यों को वन क्षेत्र में आई इस कमी के कारण बताने होंगे;

(घ) उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई चेतावनी के प्रतियुत्तर में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त अन्य दोषी राज्य कौन-कौन से हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अभी हाल ही में प्रकाशित 'स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट-1997' में 1993-95 के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित देश में वन विस्तार की गति को प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1995 के मूल्यांकन की तुलना में वन आवरण में 5,482 वर्ग कि॰मी॰ की समग्र कमी आई है। तथापि, सघन वन आवरण में 17,777 वर्ग कि॰मी॰ की कमी हुई है। उच्चतम न्यायालय ने दोषी राज्यों को वन नाशन के संबंध में अपने-अपने राज्यों की स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

(घ) और (ङ) इस मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से अनुरोध किया है कि वे वन आवरण की कमी को गंभीरता से लें और वन आवरण में कमी के कारणों का गहन विश्लेषण करें तथा इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नीति और कार्य योजना तैयार करें ताकि आने वाले वर्षों में वन आवरण में वृद्धि की जा सके। मंत्रालय ने वानिकी क्षेत्र के आवंटन को बढ़ाने के लिए योजना आयोग और सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों से भी अनुरोध किया है। स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1997 के अनुसार आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त जिन राज्यों में वन आवरण में कमी आई है, वे हैं-अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा और अन्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह।

धन का अन्यत्र उपयोग

729. श्री सुधीर गिरि : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 मार्च, 1998 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "मैनी प्राइवेट स्कूल्स साइफन्ड ऑफ ह्यूज समस्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें छपी खबर के तथ्य क्या है; और

(ग) उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि अभिभावकों-शिक्षक एसोसिएशन से शिकायतों और समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अनुसार, 16 विद्यालयों का एक विशेष निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्टों से पता चला है कि इन विद्यालयों द्वारा ली गई अतिरिक्त निधियों का उपयोग दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 के उपबंधों का उल्लंघन करके किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, शिक्षा निदेशक द्वारा दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 के सुसंगत उपबंधों के अधीन सभी गैर-सहायता वाले मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शुल्क और निधियों के संग्रह को विनियमित करने के निदेश जारी किए थे। इस आदेश को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.12.1997 के अपने अन्तरिम आदेश से स्थगित कर दिया था और न्यायालय ने गैर-सहायता वाले विद्यालयों को उस शुल्क को जो वे 31.3.1997 को ले रहे थे, 1.4.1997 से अधिकतम 40 प्रतिशत बढ़ाने की अनुमति रिट याचिकाओं के निपटान तक प्रदान की थी।

याचिकाओं की नियमित सुनवाई के दौरान, दिनांक 31.3.1998 को शैक्षिक सत्र समाप्त हो गया और अधिकांश गैर-सहायता वाले विद्यालयों ने माननीय न्यायालय की स्पष्ट अनुमति के बिना 1.4.1998 से शुल्क बढ़ा दिया। गैर-सहायता वाले विद्यालयों के इस कदम को अभिभावक महासंघ ने चुनौती दी थी और माननीय न्यायालय ने दिनांक 4.5.1998 को उपर्युक्त याचिका पर सुनवाई की और अपने दिनांक 11.12.1997 के आदेश को दोहराया। यह मामला अभी भी न्यायालय में निर्णयाधीन है।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में किसानों को राज-सहायता

730. कुमारी ममता बनर्जी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में किसानों को दी गई राज-सहायता सरकार द्वारा समाप्त की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का किसानों को किसी अन्य तरीके से मुआवजा देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त "क" के सन्दर्भ में प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रम/फिल्म

731. श्री के॰एच॰ मुनियप्पा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन चैनल-एक में न केवल क्षेत्रीय भाषा की फीचर फिल्में अपितु विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अन्य सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पूरी तरह बन्द कर दिए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का फीचर फिल्मों और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) प्रसार भारती द्वारा (डी॰डी॰ 1 पर) प्रसारण के लिए लागू संशोधित पद्धति के अनुसार, क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को क्षेत्रीय केन्द्रों से क्षेत्रीय प्रसारण में शामिल करने के लिए इनका अपराह्न में डी॰डी॰ 1 पर प्रसारण रोक दिया गया है। क्षेत्रीय नेटवर्क पर अपराह्न के कार्यक्रमों तथा क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के दर्शकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। तथापि, विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण जारी है।

(ग) और (घ) दूरदर्शन पर क्षेत्रीय भाषा फीचर फिल्मों के प्रसारण हेतु नए मार्गदर्शी सिद्धान्त/मानदण्ड तैयार किए जा रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

732. डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत क्षेत्र में सरकार का विचार क्या-क्या सुधार करने का है;

(ख) क्या सभी बिजली बोर्डों का पुनर्गठन करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) टैरिफ का यौक्तिकरण करने तथा इससे संबंधित मुद्दों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी॰ई॰आर॰सी॰) और राज्यों में राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एस॰ई॰आर॰सी॰) की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने, विद्यमान यूनिटों की क्षमता में सुधार लाने और विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित के लिए कदम उठाये गये हैं।

(ख) और (ग) राज्य बिजली बोर्डों के पुनर्गठन का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिया जाना अपेक्षित है। उड़ीसा ऐसा प्रथम राज्य है जिसमें उड़ीसा बिजली सुधार अधिनियम 1995 लागू करके अपने विद्युत क्षेत्र में सुधार किया है। इसी प्रकार हरियाणा ने भी हाल ही में हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1998 लागू किया है। अन्य राज्य जिन्होंने अपने विद्युत का पुनर्गठन और सुधार करने की कार्रवाई आरम्भ की है वे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम और गोवा है।

केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण

733. श्री राजवीर सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेष केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण कब तक किये जाने की संभावना है;

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन विद्यालयों के लिए 708 भवनों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इसमें परियोजना विद्यालय/उच्च अध्ययन की संस्थाओं में स्थित विद्यालय शामिल नहीं है। 708 में से, 353 विद्यालय भवनों का निर्माण कर लिया गया है। शेष 355 विद्यालयों की स्थिति का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

निर्माणाधीन भवन	: 83
आयोजना की अवस्था में भवन	: 117
प्रायोजक अभिकरणों द्वारा भूमि अंतरण के तहत भवन	: 155

शेष भवनों का निर्माण भूमि और निधियां प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।

नेताजी की जन्मशती पर फीचरों का प्रसारण

734. श्रीमती कृष्ण बोस : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नेताजी जन्मशती समापन समारोह के अवसर पर नेताजी के विशेष फीचरों को दूरदर्शन पर प्रसारित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की रवीन्द्र नाथ टैगौर और नेताजी सुभाषचन्द्र के बीच विशेष संबंधों पर एक फीचर के निर्माण की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की नेताजी अनुसंधान ब्यूरो नेताजी के कलकत्ता के पैतृक निवास स्थित संस्थान जोकि नेताजी से संबंधित सभी दस्तावेजों का भण्डार है, पर वृत्तचित्र के निर्माण की योजना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दूरदर्शन ने नेताजी अनुसंधान ब्यूरो, कलकत्ता पर एक कार्यक्रम के निर्माण की योजना बनायी है।

आई॰आर॰सी॰सी॰ में पदोन्नति

735. श्री महेश कुमार कनोडिया : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई॰आर॰सी॰सी॰ के बोर्ड/प्रबंधन को एल ओ द्वारा 1991-93 की अवधि के लिए प्रोन्नति को नियमित करने तथा आरक्षित पदों को अनारक्षित करने से पहले अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के लिए दिए गए सुझावों/पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आई॰आर॰सी॰सी॰ बोर्ड द्वारा इन्हें स्वीकृति देने से पूर्व उन पत्रों और मित्तल रिपोर्ट के पांचवें पैरा (अनुबंध-पांच) पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग ने 29 जनवरी, 1998 को आई॰आर॰सी॰सी॰ को क्या निर्देश जारी किए थे;

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघों की मांग के बावजूद 1991-93 के दौरान दिनांक 10 नवम्बर, 1980 के कार्यालय ज्ञापन 36011/12/81-ई॰एस॰टी॰ (एस॰सी॰टी॰) को लागू न किए जाने के कारण क्या हैं; और

(ङ) इसके कारण क्या हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नागरहोल राष्ट्रीय पार्क के आदिवासियों का पुनर्वास

736. श्री ए॰ सिदराजू : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय पार्क में रहने वाले आदिवासियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इन लोगों का अन्यत्र पुनर्वास करने और पुनर्वास कार्यक्रम को आरम्भ करने हेतु 43.50 लाख रुपए की सहायता का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एवं उसके पास लगभग 1450 आदिवासी परिवार 48 पल्लियों में रहते हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। कर्नाटक सरकार 1997-98 के दौरान 50 आदिवासी परिवारों को भेजने और उनका पुनर्वास करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और तद्नुसार संघ सरकार ने "आदिवासी विकास के लिए लाभोन्मुखी स्कीम" के अंतर्गत 43.50 लाख रुपए की कुल राशि स्वीकृत करके 25.00 लाख रुपए प्रथम किश्त के रूप में जारी कर दिए हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में स्टेडियम

737. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से अब तक कितने स्टेडियमों का निर्माण किया गया है;

(ख) कितने स्टेडियम निर्माणाधीन है; और

(ग) निर्माणाधीन स्टेडियमों को पूरा करने के लिए इस वर्ष कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार की सहायता से अभी तक 9 स्टेडियमों का निर्माण किया गया है तथा 21 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

(ग) केन्द्रीय योजना के प्रावधानों के अनुसार, स्वीकृति पत्र में निर्धारति कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को अनुदान की रकम जारी की जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान, विशेष रूप से कोई धनराशि निश्चित नहीं की जाती है। अतः इस वर्ष अनुदान की रकम जारी करने का मामला राज्य सरकार द्वारा भेजी जाने वाली सम्बद्ध परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्टों पर निर्भर करेगा।

मध्य प्रदेश में विकास परियोजनाएं

738. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में दूरसंचार और डाक क्षेत्र में शुरू किए जाने वाले विकास संबंधी कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में शुरू किए गए कुछ कार्य अधूरे पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) मध्य प्रदेश में चालू वित्त वर्ष (1998-99) के दौरान दूरसंचार तथा डाक के क्षेत्र में निष्पादित किए जाने वाले विकास कार्यों को क्रमशः विवरण-I संलग्न तथा विवरण-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) 1998-99 के चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक शुरू किए गए दूरसंचार तथा डाक के क्षेत्र में विकास कार्यों को इस वार्षिक योजना-अवधि के दौरान 31.3.99 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

विवरण-I

मध्य प्रदेश में चालू वित्त वर्ष (1998-99) के दौरान नियोजित दूरसंचार क्षेत्र के महत्वपूर्ण विकास कार्यों का विवरण इस प्रकार है :

क्र॰सं॰	मद का नाम	1998-99 की वार्षिक योजना का लक्ष्य
1.	निवल स्विचन क्षमता	1,25,000 लाइनें
2.	सीधी एक्सचेंज लाइनें	1,10,000 अदद
3.	टीएएक्स क्षमता (निवल)	23,500 लाइनें

विवरण-II

मध्य प्रदेश में चालू वित्त वर्ष के दौरान डाक के क्षेत्र में निष्पादित किए जाने वाले निकाय कार्यों का विवरण :

(1) 30 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों तथा 06 बचत बैंक लोकर एरिया नेटवर्क मशीनों की संस्थापना परिकल्पित है।

(2) देश में 150 इलेक्ट्रानिक फ्रैंकिंग मशीनें तथा 20 डाक टिकट रद्दीकरण मशीनों की स्थापना किये जाने की आशा है।

(3) चालू वित्त वर्ष के दौरान डाकघर भवनों तथा कर्मचारी आवासों के चालू कार्यों को वरीयता दी गई है। इस वित्त वर्ष के दौरान कोई नई परियोजना नहीं शुरू की गई है।

(4) डाक विभाग ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 2 विभागीय उप डाकघर, 50 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने तथा 175 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों को आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

[अनुवाद]

कालीकट "बाइपास" का निर्माण कार्य पूरा करने में हो रहा विलम्ब

739. **श्री पी॰ शंकरन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग के कालीकट "बाइपास" का निर्माण कार्य पूरा करने में अत्यधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई अन्तरिम तारीख निश्चित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर प्रस्तावित कालीकट (कोझीकोड) बाइपास निर्माण का कार्य 4 चरणों में किया जाना है जिसकी कुल लम्बाई वेंगलम से रामनत्तुकारा तक 28.124 कि॰मी॰ है। चरण-I (पंथीरांकावु से रामनत्तुकारा तक) जिसकी लम्बाई 7.24 कि॰मी॰ है, चरण-II, वेंगलम से मालापरम्बा तक, लम्बाई 11.760 कि॰मी॰ और मालापरम्बा से कोन्तुली तक चरण-II, लम्बाई 2.74 कि॰मी॰, के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। कोन्तुली से पंथीरांकावु तक चरण-III के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। चरण-I के अंतर्गत पंथीरांकावु से रामानन्तुकारा तक 7.254 कि॰मी॰ के निर्माण के लिए 25.54 करोड़ रु॰ का परियोजना प्राक्कलन (सड़कों और पुलों सहित) भारत सरकार द्वारा जून, 97 में स्वीकृत किया गया है।

(ख) और (ग) सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। चरण-I को दिसम्बर, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है। शेष समग्र बाइपास के चरणबद्ध निर्माण का कार्य निधियों की उपलब्धता एवं स्वीकृति पर निर्भर करता है।

हास्पेट, कर्नाटक में केन्द्रीय विद्यालय

740. **श्री एच॰जी॰ रामलू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हास्पेट, कर्नाटक में केन्द्रीय विद्यालय खोला है;

(ख) यदि हां, तो विद्यालय के भवन के निर्माण के लिए अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और इसके निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) विद्यालय में कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं और इस समय अलग-अलग ऐसे कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ङ) विद्यालय में कक्षा-वार भिन्न-भिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रवेश की क्षमता कितनी है; और

(च) क्या सरकार का विचार विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश की क्षमता बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह विद्यालय 1997-98 में खोला गया था अभी तक कोई निधियां संस्वीकृत नहीं की गयी हैं। क्योंकि विद्यालय खोलने के समय उद्दिष्ट 3.5 एकड़ का भूखंड राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया है।

(क)

पद	संस्वीकृत क्षमता	कार्यरत शिक्षकों की संख्या	रिक्त पद
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	02	कुछ नहीं	02
प्राथमिक शिक्षक	06	03	03
संगीत शिक्षक	01	कुछ नहीं	01
पुस्तकाध्यक्ष	01	कुछ नहीं	01

(ङ) प्रत्येक कक्षा की दाखिला क्षमता 35 है। तथापि, माननीय संसद सदस्य के बच्चों/पोत्रों, के॰वि॰सं॰ के कर्मचारियों, विदेश मंत्रालय और असूचना एजेंसियों आदि के बच्चों को क्षमता के ऊपर दाखिला दिया जाता है।

(च) जी, नहीं।

जम्मू और कश्मीर में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज

741. **श्री वैद्य विष्णुदत्त : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में इस समय काम कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वे टेलीफोन एक्सचेंज सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन एक्सचेंजों में आने वाली खराबी को कम करने और लोगों को निर्बाध संचार सेवा उपलब्ध कराने के लिए इनका आधुनिकीकरण करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्ष 1998-99 के दौरान कितने मानवचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सजेंचों में बदला गया?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जम्मू एवं कश्मीर में कार्य कर रहे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की जिलेवार संख्या निम्न प्रकार से है :

(1)	अनन्तनाग	–	10
(2)	बड़गांव	–	08
(3)	बारामुला	–	12
(4)	पुलवामा	–	10
(5)	कुपवाड़ा	–	05
(6)	श्रीनगर	–	08
(7)	जम्मू	–	47
(8)	कथुवा	–	22
(9)	डोडा	–	26
(10)	उधमपुर	–	35
(11)	पूंछ	–	17
(12)	राजौरी	–	26
(13)	लेह	–	14
(14)	कारगिल	–	06
	कुल		246

(ख) और (ग) एक्सचेंज सामान्यतः संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। तथापि, राज्य में कठिन कानून एवं व्यवस्था की स्थिति तथा आतंकवादी गतिविधियों के कारण इनका निष्पादन कभी-कभी दुष्प्रभावित हो जाता है।

(घ) और (ङ) एक्सचेंज को पहले ही आधुनिक बना दिया गया है तथापि उत्तरोत्तर रूप से डिजिटल पारेषण माध्यम प्रदान कर संयोजकता को आधुनिक बनाने की योजना है। ऐसे एक्सचेंजों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(1) मागम (2) कुलगम (3) अचबल (4) मलांगपुरा (5) त्राल (6) चंदूरा (7) नरबल (8) जज्जार कोटली (9) लखनपुरा (10) त्रिलोकपुर (11) टीकरी (12) थाथरी (13) महोरे (14) लाट्टी (15) सुरनिकोटे (16) नवचैरा (17) डोंगी बह्मण (18) घरमारी (19) अरनास (20) न्योमा (21) निमों (22) ससपोले (23) सुकरबकमन (24) मंडी

(च) जम्मू एवं कश्मीर में कोई भी मैन्यूवल एक्सचेंज नहीं है।

[हिन्दी]

कर्नाटक में दूरदर्शन केन्द्र

742. श्री बासवराव पाटिल सेडाम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में पहला दूरदर्शन केन्द्र कहां स्थापित किया गया था और इसे कब चालू किया गया था तथा इसके उद्देश्य क्या थे;

(ख) क्या इस समय मौजूद स्टूडियो और इसके उपकरण वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो चालू वर्ष के दौरान इसके आधुनिकीकरण और विकास की क्या योजना है; और

(घ) इसमें कर्मचारियों की कितनी कमी है और इस कमी को कब तक दूर कर लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) कर्नाटक में पहला दूरदर्शन केन्द्र (स्टूडियो तथा 1 कि॰वा॰ उच्च शक्ति ट्रांसमीटर सहित) दिनांक 19.11.83 को बंगलौर में चालू किया गया था जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए जानकारी, मनोरंजन एवं शिक्षा प्रदान करना था।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर में कर्मचारियों की कमी संबंधी स्थिति केवल डी॰डी॰ 2 हेतु उच्च शक्ति ट्रांसमीटर से संबंधित है। यह संख्या लगभग 20 है। इस कमी को दूर करने के लिए एक समय सीमा विनिर्दिष्ट करना संभव नहीं है तथापि, उपर्युक्त केन्द्र को उपलब्ध स्टाफ की सहायता से चलाया जा रहा है।

विद्युत उत्पादन योजना

743. श्री दत्ता मेघे :

श्री अमर पाल सिंह :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत की कुल आवश्यकता और उसका उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार के पास विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई व्यापक योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की ावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) 8 अप्रैल, 1998 की स्थितिनुसार देश में ऊर्जा की व्यस्तमकालीन आवश्यकता तथा व्यस्ततमकालीन पूर्ति क्रमशः 64822 मे॰वा॰ और 56252 मे॰वा॰ है।

(ख) से (घ) विद्युत आपूर्ति के लिए मांग को पूरा करने के लिए नौवीं प्रंचवर्षीय योजना प्रारूप (1997-2002) के अनुसार निम्नलिखित कार्य योजनाओं को उपेक्षित समझा गया है :

(1) निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना।

(2) संयंत्र भार अनुपात (पीएलएफ) में सुधार करके विधमान संयंत्रों से लाभों को अधिकतम अर्जित करना।

(3) पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करना।

(4) विद्युत टैरिफ का यौक्तिकरण करना; और

(5) केन्द्र में विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) और राज्य स्तर पर राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) की स्थापना करना।

(6) विभिन्न अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा मांग, प्रबंधन और ऊर्जा संबर्धन उपाय करना।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय हैदराबाद क्षेत्र में रिक्तियां

744. श्री एम॰ राजैया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यालयवार और विषय-वार विभिन्न विषयों में वर्तमान में स्नातकोत्तर अध्यापकों के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या इन रिक्तियों को अगस्त, 1998 से पहले भरने की संभावना है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हैदराबाद क्षेत्र में नए केन्द्रीय विद्यालयों को शुरू करने का यदि कोई प्रस्ताव हो, तो उसका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) हैदराबाद क्षेत्र के कन्द्रीय विद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षकों के निम्नलिखित छः पद रिक्त हैं:

विषय	स्कूल	रिक्तयों की संख्या
अंग्रेजी	के॰वि॰ विजयवाडा	1
	के॰वि॰ गूटी	1
हिन्दी	के॰वि॰ मछलीपट्टनम	1
संस्कृत	के॰वि॰ पिकेट, सिकंदराबाद	1
गणित	के॰वि॰ मछलीपट्टनम	1
कम्प्यूटर विज्ञान	के॰वि॰ कंचनबाग, हैदराबाद	1
	जोड़	6

(ख) रिक्तियों को भरने का प्रक्रिया पहले ही आरंभ कर दी गयी है। अगस्त 1998 से पहले रिक्तियों के भरे, जाने की आशा है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रमुख नदियों की सफाई

745. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों की सफाई संबंधी कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने दक्षिण भारत सहित देश की 18 प्रमुख नदियों की जल गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वर्ष 1995 में 772.08 करोड़ रुपये की लागत पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का अनुमोदन किया है। इसकी लागत में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच बराबर की भागीदारी होगी। इस कार्य योजना में सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना, सीवेज अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन कार्य, अल्प लागत शौचालय, काष्ठ आधारित उन्नत शवदाहगृह, नदी तटाग्र विकास सुविधाएं, बनीकरण स्कीम एवं जन भागीदारी के कार्यक्रम शामिल है। इसको मार्च, 2005 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। दक्षिण भारत के राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के शहरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दक्षिण भारत में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शहर-वार अनुमानित लागत

(लाख रूपये)

क्र॰सं॰	शहर का नाम	नदी	सी॰सी॰ई॰ए॰ लागत	अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (31.3.98)	जारी किया गया धन भारत सरकार (31.3.98)	राज्य (31.3.97)
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश						
1.	मंचरियाल	गोदावरी	478.72	178.52		

1	2	3	4	5	6	7
2.	भद्राचलम	गोदावरी	308.00	155.06		
3.	राजामुंदरी	गोदावरी	2516.00	1086.36		
4.	रामागुंडम	गोदावरी	2076.00	77.68		
	राज्य योग		**5378.72**	**1497.62**	**581.31**	**373.80**
कर्नाटक						
5.	शिमोग	तुंग	747.62	88.43		
6.	हरिहरा	तुंगभद्रा	260.69	125.81		
7.	भद्रावती	भद्रा	482.80	120.56		
8.	दावनगेरे	तुंग भद्रा	673.17	231.68		
9.	कानगर	कावेरी	84.56	17.91		
10.	कोल्लेगल	कावेरी	74.48	17.60		
11.	नांनजंगुद	कावेरी	183.96	151.30		
12.	श्री रंगपट्टना	कावेरी	192.71	129.50		
	राज्य-योग		**2699.99**	**882.80**	**204.72**	**239.06**
तमिलनाडु						
13.	कुमारपलयम	कावेरी	624.00	186.02		
14.	भवानी	कावेरी	368.00	77.29		
15.	इरोड	कावेरी	1569.00	789.21		
16.	त्रिची	कावेरी	690.00	273.68		
17.	पिल्लपलयम	कावेरी	569.00	186.16		
	राज्य-योग		**3820.00**	**1512.37**	**195.35**	**268.70**
	कुल योग		**11898.71**	**3892.79**	**981.38**	**880.56**

[हिन्दी]

गांवों में विद्युतीकरण का लक्ष्य

746. **श्री मोती लाल वोरा :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में आठवीं योजना में गांवों के विद्युतीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ख) मध्य प्रदेश के गांवों में नौवीं योजना के दौरान विद्युतीकरण का कार्यक्रम क्या है;

(ग) सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक किया जाएगा; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए सरकार ने क्या मानदंड निर्धारित किए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 से 1996-97) के दौरान ग्राम विधुतीकरण निगम कार्यक्रमों के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 1920 गांवों में विद्युतीकरण का लक्ष्य था, जिसकी तुलना में मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड ने 3278 गांवों में विद्युतीकरण किए जाने की सूचना दी है।

(ख) योजना आयोग द्वारा अभी नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ग्राम विद्युतीकरण हेतु कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ) ग्राम विद्युतीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और मध्य प्रदेश के बचे हुए गांवों को राज्यों में वित्तीय संसाधनों, विद्युत उत्पादन क्षमता की उपलब्धता पारेषण और वितरण सुविधाओं और अन्य संगत निवेशों पर निर्भर करते हुए नौवीं योजना और अनुवर्ती पंचवर्षीय योजना में विद्युतीकृत किया जाएगा।

साक्षरता दर

747. श्री भास्कर राव पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में साक्षरता के प्रसार के लिए वर्तमान समय में लागू की जा रही योजनाओं के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान साक्षरता दर में अलग-अलग कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान साक्षरता दर में वृद्धि करने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए; और

(घ) 1996 के अंत तक राज्य-वार साक्षरता दर क्या थी?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान जो स्वेच्छा की भावना पर आधारित है देश के निरक्षरता के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की प्रमुख कार्यनीति है। आज की स्थिति के अनुसार, संपूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत 442 जिलों, उत्तर-साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत 229 जिलों तथा सतत् शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 59 जिलों को सम्मिलित किया जा चुका है। छोटे स्थानों पर नई साक्षरता परियोजनाओं को चलाने के लिए स्वैच्छिक संस्थानों को सहायता प्रदान की जाती है। जम्मू व कश्मीर, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर राज्यों में भी जहां दुर्गम तराइयाँ है, केन्द्र-आधारित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है।

(ख) से (घ) देश में साक्षरता आंकडे दशवार्षिक जनगणना कार्यो के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। देश में विभिन्न राज्यों की साक्षरता दरें 1991 की जनगणना के आधार पर उपलब्ध हैं। साक्षरता दरों में अनुवर्ती बढ़ोतरी अगली जनगणना के परिणामों के पश्चात ही उपलब्ध हो सकती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा सांक्षरता दर में वृद्धि के लिए किसी प्रकार का वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में एल॰पी॰टीज॰/वी॰एल॰पी॰टीज॰

748. श्री गिरिधर गमांग : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1996-97 और 1997-98 के दौरान एल॰पी॰टीज॰ तथा वी॰एल॰पी॰टीज॰ की स्थापना हेतु पहचाने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस दिशा में कितना कार्य पूरा हुआ है;

(ख) उड़ीसा के जनजातीय जिलों में एल॰पी॰टीज॰ और वी॰एल॰पी॰टीज॰ के लिए क्या प्राथमिकता दी गई है; और

(ग) मध्य भारत जनजातीय पट्टी तथा पूर्वोत्तर राज्यों के दूर-दराज तथा जनजातीय क्षेत्रों की कवरेज के लिए सरकार द्वारा क्या नीति तैयार की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) स्थान की उपयुक्तता, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, परिणामी कवरेज तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन का सतत् प्रयास रहा है कि दूरवर्ती, पर्वतीय, जनजातीय, सीमावर्ती क्षेत्र और उत्तरपूर्वी राज्यों सहित पूरे देश में चरणबद्ध रूप में उनकी सेवाओं का विस्तार/उन्नयन हो।

विवरण

ग्रामीण तथा जनजातीय उप योजना (टी॰एस॰पी॰) क्षेत्रों सहित उड़ीसा राज्य में कार्यान्वयनाधीन तथा 1996-97, 1997-98 के दौरान पूरे तथा चालू किए गए अ॰श॰ट्रा॰/अ॰अ॰श॰ट्रा की अवस्थिति

अल्प शक्ति ट्रान्समीटर	
कोटपड (ज॰उ॰यो॰)	1996-97 के दौरान चालू किया गया
कविसूर्य नगर (ज॰उ॰यो॰)	-तथैव-
उमरकोट (ज॰उ॰यो॰)	-तथैव-
सोहेला (ज॰उ॰यो॰)	-तथैव-
सोनेपुर (ज॰उ॰यो॰)	-तथैव-
मोहाना (ज॰उ॰यो॰)	1997-98 में स्थापना कार्य पूर्ण किया गया
गोन्डिया (कपिलास)	-तथैव-
पटुआ (ज॰उ॰यो॰)	-तथैव-
पटनागढ	-तथैव-
सिमलगुडा (ज॰उ॰यो॰)	-तथैव-
नयागढ	कार्यान्वयनाधीन
तुषारा/सन्थेल	कार्यान्वयनाधीन
बीरमित्रपुर (ज॰उ॰यो॰)	कार्यान्वयनाधीन
करियार (ज॰उ॰यो॰)	कार्यान्वयनाधीन
करजिया (ज॰उ॰यो॰)	कार्यान्वयनाधीन
कुलाड	कार्यान्वयनाधीन
राजगंगापुर (ज॰उ॰यो॰)	कार्यान्वयनाधीन
जलपरा	कार्यान्वयनाधीन
चिंकती	कार्यान्वयनाधीन

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

नयागढ	1996–97 के दौरान चालू किया गया
थोमल रामपुरा (ज॰उ॰यो॰)	–तथैव–
बड़ा बरबिल (ज॰उ॰यो॰)	1996–97 के दौरान चालू किया गया
नागधी	1997–98 के दौरान चालू किया गया
औद	1997–98 के दौरान स्थापना कार्य पूरा किया गया।
कलमपुर (ज॰उ॰यो॰)	–तथैव–
कौकसरा (ज॰उ॰यो॰)	–तथैव–
चितियाकोना (ज॰उ॰यो॰)	–तथैव–
पायकमल	कार्यान्वयनाधीन
सुकिन्दा	–तथैव–
उदयगिरी	–तथैव–
सिमलीपरलगढ़ (ज॰उ॰यो॰)	–तथैव–
जयपटना (ज॰उ॰यो॰)	–तथैव–
लगजीगढ़ (ज॰उ॰यो॰)	–तथैव–
काक्षीपुर (ज॰उ॰यो॰)	–तथैव–
मछकुण्ड (ज॰उ॰यो॰)	–तथैव–

विद्युत परियोजना शुरू करने की प्रक्रिया

749. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न राज्यों को और अधिक विद्युत देकर तथा दुष्कर प्रकियाओं को विकेन्द्रीकृत करके विद्युत परियोजनाएं शुरू करने की कोई सरल प्रक्रिया बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। केन्दीय सरकार ने विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 29 की उपधारा (1) (1948 का 54) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम सरकार या सरकारों द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया माध्यम से चयनित और विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा तैयार की गई विद्युत उत्पादक स्टेशन संबंधी स्कीम के लिए 1000 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की है, क्योंकि कुल पूंजीगत व्यय इससे अधिक होने पर स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में इसकी सहमति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। इस अधिसूचना के माध्यम से 1000 करोड़ रुपये लागत तक की विद्युत परियोजनाओं, जिनका चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया माध्यम से किया गया है, को स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति राज्यों को प्रदान की है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निजी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में अन्य बातों के साथ–साथ ये शामिल है :

- विशेष चयनित क्षेणियों में विदेशी इक्विटी के लिए स्वचालित अनुमोदन का प्रावधान करके विदेशी निवेश सम्प्रवर्तन बोर्ड की भूमिका को कम करना।
- पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य सरकारों को और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करना।

बिजली की खरीद

750. श्री एस॰एस॰ ओवेसी :
श्री के॰पी॰ नायडू :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पाकिस्तान से बिजली खरीदने तथा पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के बीच विद्युत का आदान–प्रदान करने के लिए तैयार हो गई है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान से प्रतिवर्ष बिजली की कितनी मात्रा किस दर पर खरीदे जाने की संभावना है;

(ग) बिजली की खरीद के लिये यह समझौता कितने वर्ष के लिये किया गया है;

(घ) क्या पाकिस्तान ने बिजली की बिक्री की पेशकश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानो के माध्यम से की;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पाकिस्तान से विद्युत पारेषण प्रबंधों पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) पाकिस्तान उच्चायोग ने मई, 1997 में भारत सरकार को यह सूचित किया है कि पाकिस्तान सरकार भारत को विद्युत की निर्यात (आपूर्ति) करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और पाकिस्तान सरकार ने भारत में ग्रिड प्रणाली से संबंधित तकनीकी ब्यौरे मांगें हैं। इसके प्रत्युत्तर में भारत सरकार ने जून, 1997 में प्रस्ताव पर अपनी रुचि प्रकट की है और यह सुझाव प्रदान किया है कि सर्वप्रथम "भारत और पाकिस्तान से विशेषज्ञों के दल द्वारा तकनीकी, वाणिज्यिक और प्रशासनिक मुददों की जांच की जानी चाहिए। भारत सरकार ने विशेषज्ञों का एक दल पाकिस्तान भेजने का प्रस्ताव किया था। दूसरी और यह सुझाव प्रदान किया गया था कि पाकिस्तान सरकार विशेषज्ञों का एक दल भारत के लिए नियुक्त कर सकता है। मामले पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

[हिन्दी]

बिजली की मांग और पूर्ति

751. श्री जयसिंह जी चौहान : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय कुल कितने विद्युत संयंत्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या राज्य में चालू वित्त वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰कुमारमंगलम) : (क) 31-3-1998 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में 19 विद्युत परियोजनाएं कार्यशील थीं जिसमें 3 केन्द्रीय क्षेत्रों में थीं।

(ख) और (ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात राज्य में चालू किए जाने वाले लक्षित परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	क्षमता (मे॰वा)
1.	कदाना एचई विस्तार	60
2.	वनाकबौरी टीपीएस यूनिट-7	210
3.	पगुथन एसर्टी यूनिट-1	250
4.	सूरत लिग्नाइट यूनिट-1	125

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

असम में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज

752. डा॰ जयन्त रंगपी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के हरेक जिला मुख्यालयों एवं उप-मंडलीय मुख्यालयों में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों में एसटीडी सुविधा है;

(ख) यदि नहीं, तो उन स्थानों का नाम क्या है जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन स्थानों में एसटीडी सुविधा सहित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां। असम में सभी 23 जिला मुख्यालयों तथा 48 उपमण्डलीय मुख्यालयों में एसटीडी सुविधायुक्त इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत की मांग और आपूर्ति

753. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश को उड़ीसा से 425 मेगावाट विद्युत प्राप्त होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण दो और राज्य विद्युत बोर्ड के बीच इस संबंध में कोई समझौता किया गया;

(ग) इसके फलस्वरूप राज्य सरकार की मांग कितनी कम हो जाएगी;

(घ) क्या इसके कारण राज्य में विभिन्न भागों में विद्युत आपूर्ति में बाधा कम हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की सामान्य स्थिति किस हद तक कायम हुई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) एनटीपीसी और आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (एपीएसईबी) के बीच 6 अप्रैल, 1998 को एक विद्युत क्रय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके तहत् 10वी योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में एनटीपीसी द्वारा स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित की गई तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-2 (4×500 में॰वा) से 425 में॰वा॰ विद्युत की आपूर्ति करने की परिकल्पना की गई है।

तथापि पूवी क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी के विद्यमान स्टेशनों से एपीएसईबी को 150 में॰वा॰ विद्युत का आबंटन किया गया है। एपीएसईबी ने अप्रैल, 1998 के दौरान पूर्वी क्षेत्र के केन्द्रीय स्टेशनों से लगभग 122 मिलियन यूनिट विद्युत प्राप्त की है जिसे आंध्र प्रदेश में विद्युत की कमी घटाने में सहायता मिली है।

चक्रवातों से हुई क्षति को कम करना

754. डा॰ टी सुब्बारामी रेड्डी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1891 से 176 चक्रवात आए है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन चक्रवातों में से लगभग 60 चक्रवात आंध्र प्रदेश समुद्र तट में आये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति को कम करने के लिए उठाए जा रहे/उठाए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) 1891 से आज तक कुल 311 चक्रवातों ने भारतीय तटों को पार किया।

(ख) उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश तट में 67 चक्रवात आए है।

(ग) सरकार को यह ज्ञात है कि आंध्र प्रदेश का तट चक्रवातों का आक्रमणीय क्षेत्र है। इसलिए 1973 से ही विशाखापत्तनम में एक चक्रवात चेतावनी केन्द्र कार्य कर रहा है। आंध्र प्रदेश तट चक्रवातों

की मानीटरिंग के लिए दो उच्च शक्ति के चक्रवात का पता लगाने वाले राडारों से जुड़ा है, एक मछलीपट्टनम में तथा दूसरा विशाखापट्टनम में है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, राज्य सरकार के अधिकारियों तथा अन्य एजेंसियों से निकट सम्पर्क में रहता है तथा चेतावनी को प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्रसारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त पुलिस वायरलैस जैसे अन्य संचार साधनों की सहायता जी जाती है ताकि नामजद प्रयोक्ताओं को यथा-समय चेतावनी प्राप्त हो सके। चक्रवात चेतावनी सुचनाओं को चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सीधे स्थानीय भाषा में इनसेट आधारित चक्रवात चेतावनी प्रसार प्रणाली (सी॰डब्ल्यू॰डी॰एस॰) द्वारा प्रसारित किया जाता है। आंध्र प्रदेश तट 82 सी॰डब्ल्यू॰डी॰एस॰ से जुड़ा है।

टेलीफोन डायरेक्टरी जारी करना

755. **श्री जी॰एम॰ बनातवाला :**

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या गत दो वर्षों से भी अधिक समय से दिल्ली, गुजरात और विभिन्न राज्यों के कुछ अन्य शहरों में भी टेलीफोन डायरेक्टरी जारी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) टेलीफोन डायरेक्टरी जारी करने में हुए विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) टेलीफोन डायरेक्टरी और उनके शुद्धिपत्रों को समय से जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले 2 वर्षों के दौरान दिल्ली तथा गुजरात राज्य में सूरत, जूनागढ, बलसाड़, तथा गोधरा के लिए टेलीफोन डायरेक्ट्री का प्रकाशन नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ) डायरेक्ट्रियों का मुद्रण एक सतत् प्रक्रिया है। सर्किलों/एमएसए प्रमुखों द्वारा जितना जल्दी संभव हो सके टेलीफोन डायरेक्ट्रियों का प्रकाशन कराने का प्रयास किया जाता है। तथापि यह कई बातों पर निर्भर करता है। कि जैसे ठेकेदार की उपलब्धता, पिछले डायरेक्ट्रो के प्रकाशन से नयी जोड़ी गयी लाइनों की संख्या आदि। जहां ठेकेदार के माध्यम से डायरेक्ट्री के प्रकाशन में अत्यधिक विलम्ब होने की स्थिति आती है विभाग द्वारा उसका प्रकाशन कराने के लिए प्रयास किये जाते है।

[हिन्दी]

खराब पड़े टेलीफोन

756. **श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :**

श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में खराब पड़े टेलीफोन के संबंध में काफी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोनों के काम न करने की शिकायतों के बावजूद शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और टेलीफोन को सही काम करने लायक बनाए बिना इन शिकायतों का निपटान दिखा दिया जाता है?

(ग) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(घ) इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार का क्या तरीका अपनाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुराकायस्थ) : (क) जी, नहीं। हालांकि शिकायतें प्राप्त होती है परन्तु इन शिकायतों को औसत दर प्रति वर्ष प्रति उपभोक्ता लगभग 2 या 3 शिकायतों की है।

(ख) सेवा चालू करने तथा टेलीफोन ठीक करने के बाद शिकायती मामले की सुनवाई बंद कर दी जाती है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दोष मरम्मत सेवाओं में सुधार लाने तथा इनके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए निम्न कदम उठाए जा रहे हैं :

(i) दोष मरम्मत सेवा का कम्प्यूटरीकरण।

(ii) टेलीफोन केबलों तथा अन्य उपसाधनों में दोष का पता लगाने तथा उसे ठीक करने के लिए आधुनिक परीक्षण-उपकरणों का प्रयोग।

(iii) देश में अधिकांश एक्सचेंजों को आधुनिकतम (स्टेट ऑफ दि आर्ट) डिजिटल इलेक्ट्रानिक प्रकार के एक्सचेंजों के रूप में उन्नयति कर दिया गया है। इस समय ज्यादातर खराबिया बाह्य संयंत्र नेटवर्क में आती है। बाह्य संयंत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के लिए जो प्रमुख कदम उठाए जा रहे हैं वे निम्नवत् हैं :

(1) ओवरहेड अलाइनमेंट के स्थान पर भूमिगत केबल का प्रयोग।

(2) लोहे की नंगी तारों के स्थान पर इन्सुलेटेड तारों/ड्राप तारों का प्रयोग।

(3) बाह्य संयंत्र नेटवर्क में, स्थानीय लूप में केबल कांडक्टरों की लंबाई कम करने के लिए रिमोट लाइन यूनिट्स (आरएलयू) एक्सचेंजो का खोला जाना।

(4) डक्टों के अंदर केबल बिछाकर (पिलर्स तथा डी॰पी॰ आदि) का उन्नयन।

(5) दोष-प्रवण भूमिगत केबलों के स्थान पर जेली से भरी हुई केबलों का प्रयोग।

(6) ओ॰एफ॰सी॰ तथा डब्ल्यू॰आई॰एल॰एल॰ प्रणाली के प्रयोग का आरंभ।

[अनुवाद]

केरल में क्षेत्रीय प्रचार इकाई निदेशालय

757. श्री ए॰सी॰ जोस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में क्षेत्रीय प्रचार इकाई निदेशालय कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार के पास राज्य के किसी अन्य जिले में भी इस तरह की नई इकाइयां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) केरल में एक नया क्षेत्रीय एकक स्थापित करने का फिलहाल कोई अनुमोदित प्रस्ताव नहीं है। केरल राज्य सहित देश में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के क्षेत्रीय नेटवर्क में और विस्तार करना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

केरल राज्य में क्षेत्रीय प्रचार एककों की स्थान-वार सूची

क्रं॰सं॰	स्थान
1.	अल्लेपी
2.	केन्नानोर
3.	अर्नाकुलम
4.	मलाप्पुरम
5.	कोट्टायम
6.	कोजीकोड
7.	पालघाट
8.	त्रिचुर
9.	तिरूवनन्तपुरम
10.	क्वीलोन
11.	पीनड

गुजरात से प्रकाशित समाचार पत्र

758. श्री सी॰डी॰ गामीत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात राज्य से दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिकी, मासिक पत्रिकाएं आदि प्रकाशित तथा शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने समाचार पत्रों को अनुमात दी गई और पंजीकृत किया गया; और

(घ) अनुमति देने तथा पंजीकरण करने के लिए क्या मानदण्ड, नियम और विनियम हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) और (ख) दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि को प्रकाशित करने एवं शुरू करने के लिए भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा शीर्षकों की जांच की जाती है। गुजरात राज्य से कलैंडर वर्ष 1996 और 1997 के दौरान शीर्षकों की जांच के लिए क्रमशः 691 एवं 720 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे।

(ग) वर्ष के दौरान स्वीकृत शीर्षकों और पंजीकृत समाचार पत्र/पत्रिकाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	स्वीकृत शीर्षक	पंजीकृत समाचारपत्र/पत्रिकाएं
1996	407	78
1997	490	171

(घ) समाचारपत्र/पत्रिकाओं का पंजीकरण और शीर्षक स्वीकृति प्रेस एवं प्रस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 5 और धारा 6 में दिए गए प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

759. श्री द्वारका प्रसाद बैरवा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए राज्यों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों की पहचान के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) इस संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कितने प्रस्ताव लम्बित हैं; और

(घ) इस संबंध में किन राज्यों को प्राथमिकता दी गई है और उसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क), (ख) और (घ) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र भागीदारी की भारत सरकार की नीति सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होती है। एक राज्य में किसी विद्युत परियोजना के स्थान के निर्धारण हेतु अपनाए जाने वाले मानदण्ड कुछ आवश्यक तकनीकी–आर्थिक घटकों जैसे कि ईंधन के स्रोत से दूरी, ईंधन की दुलाई, जल की उपलब्धता, पर्यावरणीय और उन घटकों से परियोजना को स्थापित करने की व्यवहार्यता, भार केन्द्रों की विद्युत की निकासी की व्यवहार्यता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं।

(ग) भारत सरकार निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त किए गए 126 प्रस्तावों की मानिटरिंग कर रही है। इनमें समझौता ज्ञापन (एमओयू)। आशय पत्र इत्यादि माध्यम पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 95 प्रस्ताव तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली माध्यम पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 31 प्रस्ताव शामिल हैं। 30 अप्रैल, 1998 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 41 परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की है। जिनके लिए तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं। के॰वि॰प्रा॰ में प्राप्त 10 और परियोजनाओं के संबंध में डीपीआर का परियोजना प्रवर्तकों से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन किया जाएगा।

[हिन्दी]

विद्युत की मांग और आपूर्ति

760. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी योजना के दौरान राज्यों में विद्युत की बढ़ती हुई मांग के संबंध में कोई विस्तृत अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत आपूर्ति की मांग पूरी करने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों में बिजली की कृषि, औद्योगिक और घरेलू खपत के संबंध में पृथक–पृथक कोई आकलन किया है;

(घ) क्या मंत्रालय ने योजना आयोग से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में धनराशि का अतिरिक्त आवंटन करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर आयोग की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) जी, हां। 15वीं विद्युत सर्वेक्षण समिति का गठन मार्च, 1944 में वर्ष 2001–2002 तक विस्तृत विद्युत मांग प्रक्षेपणों की समीक्षा करने और 2011–12 तक संदर्शी मांग के प्रक्षेपण के लिए किया गया था।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप (1997–2002) के अनुसार विद्युत आपूर्ति की मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्य योजना परिकल्पित की गई है :

(i) निर्माणधीन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना।

(ii) संयंत्र भार अनुपात (पीएलएफ) में सुधार करके मौजूदा संयंत्रों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना।

(iii) पारेषण और वितरण हानियों में कमी लाना।

(iv) विद्युत टैरिफ का युक्तिकरण।

(v) केन्द्र में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य स्तर पर राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना।

(vi) विभिन्न अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा संरक्षण उपाय और मांग प्रबंधन।

(ग) 15वीं विद्युत सर्वेक्षण समिति ने 2001–02 तक राज्य में विद्युत के औद्योगिक और घरेलू उपभोग का अलग–अलग मूल्यांकन किया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। विद्युत क्षेत्र के लिए नौवीं योजना के कार्यक्रम और परिव्यय को योजना आयोग द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

नानपाड़ा, बहराइच (उ॰प्र॰) में निम्न क्षमता वाला ट्रांसमीटर

761. श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नानपाड़ा जिला बहराइच, उ॰प्र॰ में निम्न क्षमता वाले ट्रांसमीटर के अपेक्षित घण्टों में कार्य न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य में सुधार के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रसार भारती बोर्ड के ध्यान में लाया गया है जिसे नानपारा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के कार्यकरण को सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी है।

[हिन्दी]

रेनकोटा जलाशय को मंजूरी

762. डा॰ मंहत चरण दास : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बिलासपुर, मध्य प्रदेश स्थित रेनकोटा जलाशय को मंजूरी देने से संबंधित प्रस्ताव लम्बित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो योजना को कब तक मंजूरी दे दी जायगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जिला बिलासपुर में रेनकोटा टैंक परियोजना के निर्माण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 51.015 हैक्टेयर वन भूमि को डाइवर्ट करने के बारे में एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। यह निर्णय शीघ्र ले लिया जाएगा।

[अनुवाद]

बंगलादेश, नेपाल और पाकिस्तान के साथ सहयोग

763. **श्री रंजीब बिस्वाल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्युत के क्षेत्र में बंगलादेश, नेपाल और पाकिस्तान के साथ सहयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कौन–कौन से राज्यों के लाभान्वित होने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰कुमारमंगलम) : (क) से (ग) बंगलादेश, नेपाल और पाकिस्तान के साथ विद्युत आदान–प्रदान की स्थिति निम्नवत है।

1. **बंगलादेश** : विभिन्न स्तरों पर भारत और बंगलादेश के बीच विद्युत आदान–प्रदान के संबंध में हुये विचार विमर्श के उपरान्त दोनों सरकारे पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि॰, जो कि भारत की और से व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकृत है, के साथ बंगलादेश और भारत के बीच विद्युत प्रणालियों के अन्तः संबंध स्थापित करने संबंधी संयुक्त व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहमत हो गया है एशियाई विकास बैंक भारत और बंगलादेश के बीच अपनी क्षेत्रीय तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युत के आदान प्रदान हेतु व्यवहार्यता अध्ययन का वित्तपोषण करने के लिए सहमत हो गया है परियोजना के संबंध में 29 और 30 मई, 1997 को ए॰डी॰बी॰ मनीला में एक त्रिपक्षीय एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस परियोजना में भारत के पूर्वी क्षेत्र के विद्युत अधिशेष का पश्चिमी बंगलादेश में निर्यात करने की परिकल्पना की गई है। प्रारम्भ में इससे भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से संबंधित राज्यों को लाभ प्राप्त होगा और एक बार राष्ट्रीय ग्रिड के सभी लिकों को पूरा करने पर यह लाभ समस्त देश को प्रदान किया जा सकता है।

2. **नेपाल** : दोनों देशों के बीच सचिव स्तर के विचार विमर्श के उपरान्त भारत और नेपाल के बीच विद्युत आदान प्रदान अक्टूबर 1971 से प्रारम्भ हो गया है। प्रारम्भ में विद्युत आदान–प्रदान की मात्रा 5 मे॰वा॰ तक थी जो वर्तमान में 50 मे॰वा॰ तक बढ़ा दी गई है। विद्यमान पारेषण नेटवर्क के माध्यम से भारत नेपाल सीमा पर 17 स्थानों पर विद्युत का आदान–प्रदान हुआ है। भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच महाकाली समझौता में यह प्रावधान किया गया है कि लागू होने की तिथि से नेपाल को सतत् आधार पर निशुल्क 70 मिलि यूनिट उर्जा प्राप्त करने का अधिकार है इस प्रयोजनार्थ भारत द्वारा टनकपुर विद्युत स्टेशन में भारत–नेपाल सीमा पर नेपाल के महेन्द्र नगर तक 132 के॰वी को परिषण लाइन का निर्माण किया जाना अपेक्षित है पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 द्वारा पारेषण लाइन का निर्माण किया जाना है। भारत और नेपाल के बीच एक अम्ब्रेला समझौता भी फरवरी 1996 में आरम्भ किया गया था जिसके तहत दोनों के बीच विद्युत के आदान–प्रदान में निजी क्षेत्र के प्रवेश को खोला गया है।

3. **पाकिस्तान** : पाकिस्तान उच्चायोग ने मई 1977 में भारत सरकार को यह सूचित किया है कि पाकिस्तान सरकार भारत को विद्युत की निर्यात (आपूर्ति करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और पाकिस्तान सरकार ने भारत में ग्रिड प्रणाली संबंधित तकनीकी ब्यौरे मागें हैं। इसके प्रत्युत्तर में भारत सरकार ने जून 1997 में प्रस्ताव पर अपनी रुचि प्रकट की है और यह सुझाव दिया है कि सर्वप्रथम भारत और पाकिस्तान में विशेषज्ञों के एक दल द्वारा तकनीकी वाणिज्यिक और प्रशासनिक मुद्दो की जांच की जानी चाहिए। भारत सरकार ने विशेषज्ञो का एक दल पाकिस्तान भेजने का प्रस्ताव किया था, दूसरी और यह सुझाव प्रदान किया गया था कि पाकिस्तान सरकार विशेषज्ञों का एक दल भारत के लिए नियुक्त कर सकता है। मामले पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

[हिन्दी]

चार्टर्ड एकाउन्टेंसी की अंतिम परीक्षा

764. **श्री सुरेश चन्देल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 मई, 1998 को होने वाली चार्टर्ड एकाउन्टेंसी की अंतिम परीक्षा 14 मई, 1998 तक टाल दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल–भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम॰ तम्बी दुरई) : (क) जी, हां। 6 मई 1998 को होने वाली अंतिम परीक्षा के ग्रुप–I का एक पेपर स्थगित कर दिया गया था और उसे 14 मई, 1998 को आयोजित किया गया।

(ख) परीक्षा केन्द्रों के एक केन्द्र अधीक्षक द्वारा परीक्षाओं के संचालन के लिए जारी अनुदेशों का अनुपालन न किए जाने के परिणामस्वरूप परीक्षा स्थगित करनी पड़ी।

(ग) भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान ने भविष्य में चार्टर्ड एकाउन्टेंट की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए उस केन्द्र विशेष को समाप्त कर दिया है।

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में शेर

765. **श्री सुशील चंद्र वर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में विगत तीन वर्षों के दौरान शेरों की वर्षवार संख्या कितनी थी;

(ख) क्या शेरों की संख्या में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों में पशुओं के अवैध शिकार के कितने मामले सामने आए तथा न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और ये मामले कब से लंबित पड़े हुए हैं; और

(ङ) क्या पशुओं का अवैध शिकार करने के लिए अब तक किसी व्यक्ति को दण्ड दिया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में शेर नहीं हैं। यद्यपि पिछले तीन आंकलनों के अनुसार इस उद्यान में बाघों की संख्या निम्न प्रकार से है :

1998	— 97
1993	— 100
1995	— 97

मध्य प्रदेश सरकार से मिली 1997 की आकलन रिपोर्ट का अन्तिम संख्या देने से पहले विश्लेषण किया जा रहा है।

(ख) और (ग) पिछले तीन आंकलनों की संख्या में विशेष कमी का संकेत नहीं मिलता है जबकि आंकलन में होने वाली मानवीय गलतियों की वजह से मामूली परिवर्तन हुआ है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा

766. **श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने प्रतिशत भारतीय बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली है और उनमें से लड़कों और लड़कियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

न्यायपालिका में अनुसूचित जाति/जनजाति को आरक्षण

767. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री डी॰एस॰ अहिरे :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायपालिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम॰ तम्बी दुरई) : (क) और (ख) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का उपबंध करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 234 और अनुच्छेद 235 के अनुसार जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्ति, प्रोन्नति और पदस्थापन से संबंधित मामले, तत्संबंधी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों का डम्प किया जाना

768. **श्री नरेश पुगलीया** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28, अप्रैल, 1998 के "द स्टेट्समैन" में प्रकाशित समाचार "टॉक्सिक वेस्ट पाइलिंग इन इंडिया" की ओर दिलाया गया है।

(ख) यदि हां, तो क्या भारत को अन्य देशों से निर्यातित विषाक्त पदार्थों से भरे बक्से विभिन्न पत्तनों पर लावारिस पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा सरकार इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार कर रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) जी, हां। विभिन्न पत्तनों और अन्तर्देशी कंटेनर डिपुओं द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुछ पत्तनों और कन्टेनर डिपुओं में पड़े खतरनाक अपशिष्टों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। पर्यावरणीय तौर पर सुदृढ़ तरीके से इन अपशिष्टों के निपटान के लिए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में विद्यमान सुविधाओं का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। विभिन्न पत्तनों और कन्टेनर डिपुओं में पड़े खतरनाक अपशिष्टों के नमूने एकत्र किए गए हैं और उनके विश्लेषण का कार्य प्रगति पर है।

विवरण

विभिन्न भारतीय पत्तनों पर आयात किए गए/स्टोर तथा नीलाम किए गए खतरनाक अपशिष्टों का विवरण

पत्तन का नाम	कन्टेनरों की संख्या		प्राप्त की गई मात्रा (टनों में)										नीलाम की गई मात्रा (टनों में)									
	1996-97	1997-98	1996-97					1997-98					1996-97					1997-98				
			जेड एन ऐश	पी बी ऐश	लेड बैट.	वेस्ट आयल	अन्य	जेड एन ऐश	पी बी ऐश	लेड बैट.	वेस्ट आयल	अन्य	जेड एन ऐश	पी बी ऐश	लेड बैट.	वेस्ट आयल	अन्य	जेड एन ऐश	पी बी ऐश	लेड बैट.	वेस्ट आयल	अन्य
पत्तनों																						
जेएलएन पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई	126	19	3973	शून्य	10649	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1366	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट,* / मुम्बई (24.1.1998)	840	140	5898	641	9324	636	शून्य	शून्य	760	1.78	1.55	शून्य	167	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कांडला पोर्ट ट्रस्ट	597	614	2719	576 (स्किमिंग)	5012	1340	शून्य	7719	195	2920	35	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट कलकत्ता डॉक सिस्टम	21	86	शून्य	3145	250	शून्य	शून्य	189	1349 (ड्रॉस और स्क्रैप भी)	115	22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हल्दिया डॉक कम्पलैक्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
न्यु मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विशाखापत्तनम् पोर्ट ट्रस्ट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पाराद्वीप पोर्ट ट्रस्ट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मारमागाव पोर्ट ट्रस्ट गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तूतिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो																						
कस्टम हाउस, कंडला, गुज॰	6	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	59 (बैटरी स्क्रैप)	61	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आईसीडी, बंगलोर	5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य (निकल हाइड्रोक्साइड)	86	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंटेनर फ्रिट स्टे॰ लुधियाना	1940	108	शून्य	शून्य	शून्य	100	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1731	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आईसीडी, तुगलकाबाद	शून्य	99	9325	628	7265	1382	शून्य	1942	140	2765	24	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	150 (9 कंटेनर्स)	शून्य	शून्य
कस्टम हाउस, चेन्नई	3	शून्य	60	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* मौजूदा कन्टेनर, 47 रु आयातित सामान के साथ विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

प्रसार भारती के कार्यकरण की निगरानी रखने संबंधी समिति

769. श्री वी॰ वी॰ राघवन :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

श्री एन॰सी॰ जोसः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसार भारती निगम के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए बनाई गई 22 संसद सदस्यों की समिति को खारिज करने के लिए लाए गए अध्यादेश को निरस्त करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रसार भारती अधिनियम में और संशोधन करने और निजी प्रसारण को नियमित करने के लिए नया विधेयक लाने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 1997 द्वारा मूल अधिनियम निम्नलिखित से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को समाप्त या संशोधित कर दिया गया था:—

(1) निगम के कार्यकरण की निगरानी हेतु संसदीय समिति का गठन,

(2) प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं विषयवस्तु के निर्धारण हेतु प्रसारण परिषद् का गठन,

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए 62 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा,

(4) क्रमबद्ध रूप से एक तिहाई सदस्यों की सेवानिवृत्ति जो कि बोर्ड के कार्यकरण में निरन्तरता के लिए जरूरी थी और

(5) वित्त और कार्यक्रम क्षेत्र के लिए दो पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति और उनके स्थान पर केवल अंशकालिक पदेन सदस्यों को लाना। इन प्रावधानों के हटाने/संशोधन को मूल रूप से यथा परिकल्पित प्रसार भारती के सही कार्यकरण के प्रतिकूल समझा गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के प्रावधानों की बहाली के लिए संसद के वर्तमान सत्र में एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने हेतु कदम उठाए हैं। निजी प्रसारण को विनियमित करने हेतु एक नया विधेयक लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

परियोजनाओं को पर्यावरणीय और वानिकी मंजूरी

770. श्री डी॰ एस॰ अहिरे :

श्री माधवराव पाटील :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में कितनी विकासीय सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरण और वानिकी स्वीकृति के लिए लंबित हैं तथा उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए अपेक्षित वन भूमि कितनी है; और

(ग) इन सभी परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र की कोई सिंचाई परियोजना मंत्रालय के पास पर्यावरण स्वीकृति के लिए लम्बित नहीं है। तथापि महाराष्ट्र की 56 सिंचाई परियोजनाएं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति हेतु लम्बित हैं। प्रत्येक मामले में शामिल वन क्षेत्र सहित इन परियोजनाओं के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जब कभी भी प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकार से पूर्ण विवरण प्राप्त होता है, अन्तिम निर्णय लेने के लिए मंत्रालय द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जाती है।

विवरण

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1.	एकताई माइनर इरीगेशन टैंक, अमरावती	11.29 हे॰
2.	पोपटखेड़ा माइनर इरीगेशन टैंक, अमरावती	15.50 हे॰
3.	लोवर चुलबंद मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट, भण्डारा	16.858 हे॰
4.	सांदाभाटोला लिफ्ट इरीगेशन स्कीम, भण्डारा	13.37 हे॰
5.	पेथारी टैंक, सोनगांव, भण्डारा	13.11 हे॰
6.	मुरडोली माइनर इरीगेशन टैंक, भण्डारा	163.31 हे॰
7.	धमनेवाडा माइनर इरीगेशन टैंक, भण्डारा	8.05 हे॰
8.	जम्बुल विहिरा माइनर इरीगेशन टैंक चन्द्रपुर	8.58 हे॰
9.	हीरापुर टैंक प्रोजेक्ट, चन्द्रापुर	13.26 हे॰

1	2	3
10.	हुमन प्रोजेक्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, चन्द्रापुर	2895.02 हे॰
11.	बागडा-II परकोलेशन टैंक, धुले	6.50 हे॰
12.	बागडा-I परकोलेशन टैक, धुले	6.67 हे॰
13.	कनदेकाडी टैंक प्रोजेक्ट, धुले	5.90 हे॰
14.	पुरमेपाडा माइनर इरीगेशन टैंक, धुले	5.83 हे॰
15.	लालमाती आई॰वी॰ टैंक प्रोजेक्ट धुले	11.00 हे॰
16.	वाकवाडपाडा टैंक प्रोजेक्ट, धुले	10.00 हे॰
17.	वाघाडी टैंक प्रोजेक्ट, धुले	8.00 हे॰
18.	पुरमेपाडा टैंक प्रोजेक्ट, धुले	6.00 हे॰
19.	धनरात-II परकोलेसन टैंक, धुले	6.55 हे॰
20.	भंडारा टैंक प्रोजेक्ट, धुले	7.86 हे॰
21.	खोलविहिर वी॰ प्रकोलसन टैंक, धुले	6.00 हे॰
22.	नागपुर 4 परकोलेसन टैंक, धुले	6.63 हे॰
23.	चान्दसेली परकोलेसन टैंक, धुले	6.06 हे॰
24.	होलपानी परकोलेसन टैंक, धुले	10.73 हे॰
25.	जुगानी परकोलेसन टैंक, धुले	5.30 हे॰
26.	मांडना टैंक प्रोजेक्ट, धुले	51.67
27.	भंडाराबॉडी प्रोजेक्ट टैंक, नागपुर	12.65 हे॰
28.	मोहावारडी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम भीलावापुर, नागपुर	9.925 हे॰
29.	लोहारा टैंक (उमरेर), नागपुर	11.88 हे॰
30.	घोसीखुरद प्रोजेक्ट, नागपुर	40.14970हे॰
31.	लोनारा टैंक प्रोजेक्ट नागपुर	85.1360 हे॰
32.	धामनगांव टैंक प्रोजेक्ट नागपुर	26.930 हे॰
33.	चोपन टैंक प्रोजेक्ट, यवतमल	5.84 हे॰
34.	टोमगढ़ टैंक प्रोजेक्ट, पुने	2.42 हे॰
35.	आन्धरा भैली इरीगेशन स्कीम, पुने	131.40 हे॰
36.	टेमघर इरीगेशन प्रोजेक्ट, पुने	2.42 हे॰
37.	जलवगादे माइनर इरीगेशन टैंक, कोलापुर	4.28 हे॰
38.	माइनर इरीगेशन टैंक, कोलापुर	5.81 हे॰
39.	जेलुगडे माइनर इरीगेशन टैंक, कोलापुर	4.28 हे॰
40.	खाण्डवन माइनर इरीगेशन टैंक, कोलापुर	10.57 हे॰
41.	जम्भरा मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट, कोलापुर	78.00 हे॰
42.	वारना इरीगेशन प्रोजेक्ट, कोलापुर	768.79 हे॰
43.	भवली डाम नासिक	17.28 हे॰
44.	पाटली परकोलेशन टैंक, नासिक	1.263 हे॰
45.	कोप्रीछापडा माइनर इरीगेशन स्कीम टैंक	12.71 हे॰
46.	नन्दोरी परकोलेशन टैंक, थाने	9.00 हे॰
47.	कोप्रीपाडा माइनर इरीगेशन स्कीम, थाने	12.71 हे॰
48.	सूरया प्रोजेक्ट थाने	1095.3940 हे॰
49.	माइनर इरीगेशन टैंक श्रीगांव, राइगड	27.17 हे॰
50.	मडगांव वाटर सप्लाई स्कीम, राइगड	28.5650 हे॰
51.	लाल नाला प्रोजेक्ट, वरधा	29.83 हे॰
52.	थागवनपुर माइनर इरीगेशन टैंक, गडचिरोली	47.98 हे॰
53.	करनीखादा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम, गडचिरोली	36.095 हे॰
54.	कृष्णा रिभर इरीगेशन प्रोजेक्ट, सतारा	19.702 हे॰
55.	माइनर इरीगेशन टैंक अरजुनी, भण्डारा	7.67 हे॰
56.	अलेसर माइनर इरीगेशन टैंक, भण्डारा	10.27 हे॰

साक्षरता अभियान

771. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत अब तक न लिए गए जिलों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) शेष जिलों को पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत अभी तक सम्मिलित नहीं किए गए जिलों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत जिले को सम्मिलित करना अभियान को शुरू करने की उसकी अपनी तैयारी, राज्य सरकार की सहायता और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को व्यवहार्य परियोजना प्रस्तावों के प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है।

देश के कुछ दूर-दराज और अशांत क्षेत्रों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान चलाना सम्भव नहीं हुआ है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का अभी तक सम्मिलित न किए जिलों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि संबंधित जिलों/राज्यों द्वारा व्यवहार्य परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाए और निधियां उपलब्ध हों। संबंधित राज्य सरकारों को इस संबंध में समयबद्ध कार्य योजनाएं तैयार करने की सलाह दी गई है।

विवरण

संपूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत अब तक सम्मिलित नहीं किए गए जिलों की सूची

राज्य/जिले
अरुणाचल प्रदेश
चंगलांग
दिबांग घाटी
पूर्वी केमेंग
पूर्वी सियांग
ऊपरी सियांग
लोहित
निचला सुबांसिरी
पापम-परे
तवांग
तिरप
ऊपरी सुबांसिरी
पश्चिमी केमंग
पश्चिमी सियांग
असम
धीमाजी
करबी अंगलांग
बिहार
बोकारो
पूर्वी चम्पारन
गया
गुमला
धरवा
कोडर्मा
लोहारडागा
मुजफ्फरपुर
नवादा
पकुर
सीतामढ़ी
सियोहर
लक्खीसराय
शेखपुरा
पटना
पुरनीया
जम्मू व कश्मीर
अनंतनाग
बड़गाम
बारामुला
डोडा
कारगिल
कूपवाड़ा
पुलवामा
पुंछ
श्रीनगर
मणिपुर
बिश्नुपुर
चंदेल
इम्फाल
सेनापती
तेमंगलांग
थाउबल
उखरूल
मेघालय
साउथ गारो हिल्स
नागालैंड
कोहिमा
मोकोकचुंग
मोन
फेक
त्योंसंग
वोरवा
जुन्हे बोतो
उड़ीसा
जाजपुर
पंजाब
कपूरथला
सिक्किम
पूर्व
पश्चिम
उत्तर
दक्षिण
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र
दमन और दीव का संघशासित क्षेत्र
दीव
लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्र

[हिन्दी]

विदेशी दौरे

772. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दि॰ 6 मई, 1998 के दैनिक जागरण में "अधिकारियों ने की एक साल में सौ से ज्यादा विदेशी यात्राएं शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है?

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार का क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) 1.04.1997 से 31.03.1998 तक की अवधि के दौरान दूर-संचार विभाग के अधिकारियों द्वारा कुल 200 विदेशी दौरे किये गये थे। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं

(ग) दूर संचार आयोग में विदेशी दौरों के प्रस्तावों की विवेचनात्मक रूप से जांच, सलाहकार, सदस्य, अध्यक्ष एवं माननीय संचार मंत्री स्तर पर की जाती है और बहुत ही जरूरी दौरों के सम्बन्ध में अनुमति दी जाती है। अधिकतर विदेशी दौरे उन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों, जिनका भारत एक सदस्य देश है, द्वारा पेश किये गये प्रशिक्षणों एवं फेलोशिप के लिए होते हैं। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार क्षेत्र में नीतिपरक मामलों में राष्ट्रीव हितों की सुरक्षा के लिए उपस्थित होना अत्यावश्यक होता है।

विवरण

1.4.1997 से 31.3.1998 तक की अवधि के दौरान किये गये विदेशी दौरे

1. अध्यक्ष (दूरसंचार आयोग), 4 सदस्यों, 5 सलाहकारों तथा अपर सचिव (टी) द्वारा कुल 50 दौरे।
2. मुख्य महाप्रबंधकों, वरिष्ठ उप महानिदेशकों, उप महानिदेशकों, महाप्रबंधकों तथा संयुक्त सचिव द्वारा कुल 74 दौरे।
3. निदेशकों तथा मण्डल अभ्यिंता (डीई) द्वारा कुल 49 दौरे।
4. वरिष्ठ उप मण्डल अभियन्ताओं तथा उप मण्डल अभियन्ताओं द्वारा कुल 12 दौरे।
5. बेतार आयोजना तथा समन्वय स्कन्ध के अधिकारियों द्वारा कुल 15 दौरे।

कुल : 200 दौरे

विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश

773. श्री पंकज चौधरी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल विद्युत क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के संयुक्त उद्यमों की सम्भावनाओं की तलाश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) भारत सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं समेत विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने संबंधी एक नीति की वर्ष 1991 में घोषणा की थी। निजी उद्यमियों से प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक नहीं रही है। कुल मिलाकर 4328 मे॰वा॰ क्षमता की 13 स्कीमों में से, जिनके लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सिद्धांत रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, केवल 4 स्कीमों नामशः हिमाचल प्रदेश में बासपा (300 मे॰वा॰) मध्य प्रदेश में महेश्वर (400 मे॰वा॰), उत्तर प्रदेश में विष्णु प्रयाग (400 मे॰वा॰) और श्रीनगर (330 मे॰वा॰) ने कुछ प्रगति हासिल की है। केन्द्रीय जल विद्युत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ निजी कंपनियों (स्वदेशी और विदेशी दोनों) के बीच संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। सरकार इक्विटी योगदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और भार केन्द्रों में विद्युत की निकासी करने के लिए सम्बद्ध पारेषण लाईनों का निर्माण कार्य भी आरंभ करेगी।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर से विस्थापित परिवारों को मताधिकार

774. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि जम्मू-कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों और परिवार, जो देश के विभिन्न भागों में शिविरों में रह रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाल ही के लोक सभा चुनावों में ऐसे कितने प्रतिशत विस्थापित परिवारों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम॰ तम्बी दुरई) : (क) और (ख) कश्मीर घाटी से प्रवासी मतदाताओं को डाक मत पत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुज्ञा दी गई थी और इस प्रयोजन के लिए एक विशेष स्कीम अधिकथित की गई थी।

(ग) 8.96 प्रतिशत।

नई विद्युत नीति

775. डा॰ असीम बाला :

श्री चमन लाल गुप्त :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई विद्युत नीति का प्रारूप तैयार किया है अथवा तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) विद्युत नियोजन एक सतत् प्रक्रिया है और इस नीति की आवधिक समीक्षा की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लघु अवधि दीर्घ अवधि की आवश्यकताओं, ईंधन की उपलब्धता, वित्त पोषण, इत्यादि का ध्यान रखा जाता है। नौवीं योजना के प्रारूप में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातों पर बल दिया जाता है।

(1) निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाना।

(2) संयंत्र भार अनुपात में सुधार लाने के माध्यम से मौजूदा संयंत्रों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना।

(3) पारेषण और वितरण हानियों में कमी लाना और पद्धति में सुधार करना।

(4) उत्पादन, पारेषण और वितरण में सार्वजनिक और निजी निवेश पर अधिक बल देना।

(5) विद्युत के अंतर-क्षेत्रीय आदान-प्रदान हेतु राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना।

(6) विद्युत टैरिफ का यौक्तिकरण और

(7) केन्द्र में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग व राज्य स्तर पर राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना।

(8) विभिन अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा मांग प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण।

[अनुवाद]

विज्ञान में अनुसंधान कार्य

776. श्री चिन्ता मोहन :

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण ने विज्ञान में अनुसंधान कार्यों को कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या युवक वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा में अपना नामांकन कराने में कम रुचि दिखा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) यह कहना सही नहीं है कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा में अपने आप को सम्बद्ध करने में युवा-वर्ग कम रुचि दिखा रहा है। वास्तव में, तकनीकी शिक्षा के विज्ञान पाठयक्रमों और संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए युवा-वर्ग के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। सरकार अपनी ओर से बढ़ी हुई दरों पर छात्र अध्येतावृत्तियों, अनुसंधान अध्येतावृत्तियों को प्रारंभ करते हुए भी वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का अनुसरण करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित कर रही है।

गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का बहुत अधिक संख्या में खुलना

777. प्रो॰ अजित कुमार मेहता :

श्री मोहन सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में लगातार चल रहे अमान्यता प्राप्त विद्यालयों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का ऐसे विद्यालयों की अधिकता पर रोक लगाने हेतु नीति बनाने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो इन पर रोक लगाने हेतु कौन से कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) जी, नहीं। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है इसलिए राज्य सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल प्रणाली का प्रबंधन करती हैं। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित स्कूलों को संगत कानूनों तथा प्रशासनिक नियमों के अनुरूप मान्यता दी जाती है। सर्वेक्षण कराने तथा आवश्यक उपचारी कदम उठाने की राज्य सरकारों से अपेक्षा होती है।

डिब्रूगढ़ स्थित टी॰वी॰ टॉवर

778. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम में डिब्रूगढ़ स्थित टी॰वी॰ टॉवर की ऊंचाई बढ़ाने का है ताकि और अधिक लोग दूरदर्शन के प्रसारण देख सकें; और

(ख) यदि हां, तो ऊंचाई में ऐसी वृद्धि कब तक कर लिये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) स्कीम मंजूर होने के बाद इसमें लगभग दो से तीन वर्षों का समय लगेगा बशर्ते संसाधन एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाले मार्गों में बदलना

779. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाले मार्गों में बदलने की कोई कार्य-योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य-योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली को मुम्बई से जोड़ने वाले मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात् आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 3 को भी उक्त कार्य-योजना में शामिल किया जा रहा है;

(घ) क्या आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले देवास, इन्दौर, शाजापुर, गुना और ग्वालियर जैसे मुख्य शहरों के लिए "बाइपास" मार्ग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, और

(ङ) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों के उन सभी खंडों को जहां यातायात की यात्रा 3,5000 पी सी यू से अधिक है, चार-लेन का बनाने का प्रस्ताव है। सर्वप्रथम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) को चार महानगरों-दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों के चार कॉरिडोरों (गलियारों) को चार-लेन का बनाने का कार्य सौंपा गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) इसे नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि

780. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली डाक मण्डल के डाकघरों के आधुनिकीकरण पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार को विभागीय अधिकारियों द्वारा धनराशि का केवल कागजों पर उचित उपयोग दिखाकर इसके दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस घोटाले की सी॰बी॰आई॰ द्वारा जांच कराने का है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली सर्किल में डाकघरों के आधुनिकीकरण पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	राशि (रु॰ में)
1995-96	1,41,55,291
1996-97	75,06,024
1997-98	34,86,634

(ख) और (ग) इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत की विस्तृत जांच-पड़ताल की गई थी परंतु आरोप सिद्ध नहीं हो सके।

(घ) सी॰बी॰आई॰ से जांच करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय जन संचार संस्थान

781. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भारतीय जन संचार संबंधी संस्थान की कोई शाखा की स्थापना करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां शाखा की स्थापना करने के लिये आधारशिला रख दी गयी थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए भूमि प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो भूमि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सरकार ने झाबुआ (म॰प्र॰) में भारतीय जनसंचार संस्थान की एक शाखा खोलने का निर्णय लिया था। इस शाखा की आधारशिला दिनांक 30.7.94 को रखी गयी थी।

(घ) और (ङ) मध्य प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण के लिए 7.52 एकड़ भूमि आवंटित की है।

[अनुवाद]

एन॰टी॰पी॰सी॰ परियोजना में अधिकारों का दुरुपयोग

782. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अप्रैल, 1998 के "इकनोमिक टाइम्स" में छपी खबर "राइट्स एब्यूज इन एन॰टी॰पी॰सी॰ प्रोजेक्ट" की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) इस संबंध में की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) विस्थापित गांव वालों के कथित आक्रमण/बल प्रयोग अथवा हिंसा मुआवजे के मुद्दे पुनर्वास एवं पर्यावरणीय हानियों की शिकायतों की परियोजना प्राधिकारियों राज्य सरकारों तथा भारत सरकार द्वारा जांच की जा रही है। इस तरह की शिकायतें विभिन्न सरकारी मंचों पर भी उठाई गई हैं जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी शामिल है जिसने मामले की पूरी तरह से जांच करवाई तथा श्री एन॰ वेंकटचल्लैया, अध्यक्ष, एनएचआरसी (भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश) की अध्यक्षता में इसकी पूरी सुनवाई भी की। लिखित एवं मौखिक साक्ष्यों पर ध्यानपूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् आयोग इस विचार पर पहुंचा कि मामले पर और कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा कार्रवाई को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही, प्रेस में दिया गया यह आरोप कि एनटीपीसी ने किसी "गून स्क्वैड" को नियुक्त किया है बिल्कुल बे-बुनियाद तथा गलत हैं

(ग) एनटीपीसी की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना गतिविधियां (आर एंड आर) विभिन्न स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा समीक्षा हेतु खुली हैं तथा इनकी विश्व बैंक और एनटीपीसी द्वारा भी नियमित आधार पर समीक्षा की जा रही है। मानिटरिंग तथा समीक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट की अध्यक्षता में तथा एक गैर-सरकारी अधिकारी और एक सामाजिक विकास विशेषज्ञ के साथ 3 प्रमुख सदस्यों वाले एक स्वतंत्र मानिटरिंग पैनल (आईएमपी) का नवंबर, 1997 में गठन किया गया। आईएमपी दौरे भी कर रहा है तथा जनता के साथ सम्पर्क भी बना रहा है। आर एंड आर गतिविधियों की केन्द्र में मंत्रिमंडलीय सचिवालय के स्तर पर भी मानिटरिंग की जा रही है।

आवास क्षेत्र से विस्थापितों (एचएसओ) को पुनःस्थापित करने के लिए एनटीपीसी ने अनुमोदित नीति के अंतर्गत 6 पुनर्वास कालोनियों का निर्माण किया है जिनमें पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं जैसे कि विकसित भू-खंड, नालियां, सफाई का प्रबंध, विद्यालय, समुदाय सुविधाएं, स्वास्थ्य सुधार केन्द्र, बिजली इत्यादि को प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। अधिकांश आवास क्षेत्र विस्थापितों को स्थानांतरित कर दिया गया है, केवल कुछ को छोड़कर जिनके साथ एनटीपीसी और आरएमपी इत्यादि द्वारा विचार-विमर्श चल रहा है तथा विन्ध्याचल परियोजना में यह पहले ही पूरा किया जा चुका है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए जो अपनी अर्जन की क्षमता खो बैठे हैं, एनटीपीसी ने सिंगरौली क्षेत्र में उनके पुनर्वास के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु कदम उठाए हैं। शेष बचे हुए व्यक्तियों के लिए, एनटीपीसी ने विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श करके पहले ही एक कार्य योजना तैयार कर ली है, जिडास, जबलपुर नाम के ख्याति प्राप्त संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार शेष परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए एनटीपीसी पुनर्वास कार्रवाई करेगा।

विभिन्न शिकायतों के समाधान, के लिए स्थापना तंत्र है, अर्थात् योग्य सामाजिक वैज्ञानिक तथा एनटीपीसी के कर्मचारी, लोक सूचना केन्द्र, ग्रामीण विकास सलाहकार समिति जिसमें पीएपी/राज्य सरकार, एनटीपीसी इत्यादि के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(घ) इस समय विन्ध्याचल चरण-2 से संबंधित कार्यों तथा रिहन्द में राख कुंड के निर्माण संबंधी परियोजना कार्य प्रगति पर है।

दूरदर्शन धारावाहिक

783. **श्री सी॰पी॰एम॰ गिरियप्पा :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों से भी अधिक से दूरदर्शन चैनल 1 (राष्ट्रीय चैनल) पर प्रसारित किए जा रहे टी॰ वी॰ धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन धारावाहिकों को अगले कई वर्षों तक जारी रखा जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) पिछले पांच वर्षों से नियमित रूप से दूरदर्शन के चैनल-I पर कोई धारावाहिक प्रसारित नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालयों की स्थापना

784. श्री अशोक प्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अप्रैल, 1998 तक राज्यवार कितने नवोदय विद्यालयों की स्थापना किन-किन स्थानों पर की गई।

(ख) राज्यवार किन-किन स्थानों पर ऐसे विद्यालयों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) उन नवोदय विद्यालयों को दर्शाने वाला एव; विवरण संलग्न विवरण-1 **है** जिन्होंने पिछले तीन वर्षों (1995-96, 1996-97 तथा 1997-98) के दौरान कार्य करना शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, 1997-98 के दौरान संस्वीकृत और संभवतः 1998-99 में कार्य शुरू करने वाले विद्यालयों की एक सूची भी संलग्न विवरण-II में दी है।

(ख) और (ग) अब तक 367 जिलों को शामिल किया जा चुका है। राज्य सरकारों से उपयुक्त प्रस्तावों के प्राप्त होने पर और निधियां उपलब्ध होने पर, शेष जिलों में से प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने का उद्देश्य है।

विवरण-I

अप्रैल, 1998 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन नवोदय विद्यालयों ने कार्य करना शुरू किया उनको राज्यवार दर्शाने वाला विवरण

राज्य	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	-	लोअर सुबानसिरी	
असम	तिनसुखिया	उत्तरी लखीमपुर	गोपालपारा
	जोरहाट		
	गोलाघाट		
	करबी अंगलोंग		
	मोरीगांव		
	बारपेटा		
	दारन्ग		
	डिब्रूगढ़		
	कोकराझार		
बिहार	अररिया	पूर्वी चम्पारन	मुंगेर
	बक्सर	हजारीबाग	जमुई
	सहरसा	बोकारो	छतरा
			देवगढ़
			जहानाबाद
उड़ीसा	-	नुआपादा	धेनकनाल
			केन्द्रपारा
राजस्थान	बूंदी	-	कोटा
	झुंझुनु		
उत्तर प्रदेश	फिरोजबाद	-	-
	बदायूं		
हरियाणा	करनाल	-	-
	पंचकुला		
नागालैण्ड	फेक	-	-
त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा	-	-
मेघालय	-	-	पश्चिमी गोरो हिल्स
	20	06	10

विवरण-II

समिति की नीति के अनुसार किसी विशेष वर्ष में संस्वीकृत नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा आयोजित करने के बाद अगले शैक्षिक वर्ष से कार्य करना शुरू कर देता है। तद्नुसार, 1997-98 तक संस्वीकृत निम्नलिखित विद्यालयों के 1998-99 के दौरान कार्य करना शुरू किए जाने की संभावना है।

राज्य	जिला
अरूणाचल प्रदेश	चांगलांग
असम	हैलकन्डी
बिहार	गरवा
	भागलपुर
	किशनगंज
पंजाब	जालंधर
सिक्किम	दक्षिणी सिक्किम
राजस्थान	धौलपुर
	भरतपुर
उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ़
	10

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा योजनाएं

785. **कर्नल सोनाराम चौधरी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों की शिक्षा के लिए केन्द्र द्वारा कितनी योजनाएं प्रायोजित की गई हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान योजना-वार इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितना व्यय हुआ है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्धारित किये गये और प्राप्त किये गये लक्ष्य क्या हैं और वर्ष 1998-99 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(घ) क्या कुछ शैक्षिक संस्थाएं धनराशि उपलब्ध न होने और अध्यापकों के अभाव में कार्य नहीं कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों की शिक्षा के लिए खास तौर पर दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग कक्षाओं की योजना के अन्तर्गत चयनित विश्वविद्यालयों/कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(ख) संबंधित सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ग) संबंधित सूचना विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) इस विभाग की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

विवरण-I

आवंटित की गई निधियां तथा किया गया व्यय

(करोड़ रु॰ में)

योजनाओं के नाम	1995-96		1996-97		1997-98	
	आवंटित की गई निधियां	किया गया व्यय	आवंटित की गई निधियां	किया गया व्यय	आवंटित की गई निधियां	किया गया व्यय
शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्प-संख्यकों के लिए क्षेत्रीय गहन कार्यक्रम	2.20	2.20	2.20	2.20	10.00	10.99
मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता	1.22	1.20	2.44	2.41	3.42	1.73
शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्प-संख्यकों में कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग कक्षाएं	0.50	0.42	0.55	0.53	0.70	0.53
कुल	3.92	3.82	5.19	5.14	14.12	13.25

विवरण-II

निर्धारित किया गया लक्ष्य तथा हासिल किया गया लक्ष्य

योजनाओं के नाम	निर्धारित किया गया लक्ष्य	हासिल किया गया लक्ष्य
1	2	3
शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्रीय गहन कार्यक्रम	केवल सहायता अनुदान के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्यकलापों का स्वरूप निर्भर करता है।	निर्धारित किए गए लक्ष्य पूर्णरूपेण हासिल कर लिए गए 1 वर्ष 1997-98 में निर्धारित किए गए लक्ष्य की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक प्राप्त कर लिया गया।

1	2	3
मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता	आठवीं योजना के दौरान 250 मदरसों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।	वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 की अवधि के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत 1055 मदरसे शामिल किए गए थे।
शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग कक्षाएं।	21 विश्वविद्यालयों तथा 59 कालेजों द्वारा कोचिंग कक्षाएं चलाई जाती हैं।	1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 की अवधि के दौरान जिन छात्रों को कोचिंग शिक्षा दी गई, उनकी संख्या क्रमशः 2756, 4137 तथा 4656 है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा पाठ्यक्रमों और संस्थानों की स्वीकृति

786. श्री के॰ येरननायडू : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰) को आन्ध्र प्रदेश के अनेक निकायों/संस्थाओं से उनके द्वारा चलाये जा रहे संस्थानों और तकनीकी पाठ्यक्रमों की स्वीकृति के लिए प्राप्त अनुरोधों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वांछित शर्तों को पूरा करने के बावजूद "ए आई सी टी ई" द्वारा आंध्र प्रदेश के अधिकांश संस्थानों को स्वीकृति नहीं दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या "ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰" का प्रस्ताव अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) पिछले पांच वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को प्राप्त प्रस्तावों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) यह सच नहीं है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के विनियमों के अनुसार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा निदेशक, विशेषज्ञ समिति की विजिटिंग रिपोर्टों तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की क्षेत्रीय समितियों से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर अनुमोदन दिए जाते हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

इंजीनियरी और तकनीकी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या

	डिग्री	डिप्लोमा
1994-95	11	-
1995-96	08	01
1996-97	46	11
1997-98	84	24
1998-99	150	26

बिजली की स्थिति में सुधार

787. श्री वी॰एम॰ सुधीरन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई कारगर कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 और अप्रैल 1998 की अवधि के दौरान देश में व्याप्त विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति का ब्यौरा निम्नवत् है :-

ऊर्जा (मि॰यू॰)	1997-98	अप्रैल, 1998
आवश्यकता	434505	37581
उपलब्धता	390330	34707
कमी	34175	2874
%	8.1	7.6

विद्युत की उपलब्धता के आधार पर और मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/रा॰बि॰बो॰ द्वारा सांविधिक विद्युत कटौती/प्रतिबन्ध और समय-समय पर लोडशेडिंग की जाती है। तथापि विद्युत कटौती/प्रतिबंध लगाते समय यह सुनिश्चित करने का पर्यापत ध्यान रखा जाता है कि मौसम की दशाओं के आधार कृषि क्षेत्र की आवश्यकता, जरूरतमंद उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति तथा कोर क्षेत्र के उद्योगों अर्थात् कोयला, स्टील सीमेंट की न्यूनतम आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके।

देश में उपलब्ध विद्युत संसाधनों का ईष्टतम उपयोग करने और देश में विद्युत उत्पादन क्षमता तथा विद्युत की समग्र उपलब्धता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं।

(1) विद्युत क्षेत्र में निवेश हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना।

(2) विद्यमान विद्युत उत्पादन स्टेशनों का नवीकरण और आधुनिकीकरण

(3) क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली में जल विद्युत/ताप विद्युत/न्यूक्लीय और गैस टरबाईन विद्युत स्टेशनों का संबंधित प्रचालन

(4) क्षेत्रीय समेकित प्रचालन का प्रवर्तन और विद्युत का अंतर्राज्यीय/क्षेत्रीय अंतरण को प्रोत्साहन प्रदान करना। वर्ष 1997-98 और अप्रैल, 1998 के दौरान विद्युत का अंतर्राज्यीय और अंतःक्षेत्रीय आदान-प्रदान का ब्यौरा विवरण दिया गया है।

(5) औद्योगिक उपभोक्ताओं के विश्राम के घंटों/साप्ताहिक अवकाश का समय भिन्न-भिन्न होना और सामूहिक प्रतिबंध के माध्यम से कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति पर नियंत्रण।

(6) विद्युत प्रणाली में पारेषण एवं रूपांतरण क्षमता में अभिवृद्धि।

(7) पारेषण और वितरण हानियों में कमी।

विवरण

(1) *अंतर्राज्यीय आदान-प्रदान का ब्यौरा*

(सभी आंकड़े मि॰यू॰ में)

क्षेत्र	1997-98	अप्रैल, 98
उत्तरी	1825.7	123.8
पश्चिमी	शून्य	शून्य
दक्षिणी	शून्य	शून्य
पूर्वी	886.5	80.9
उत्तर-पूर्वी	171.2	3
जोड़	2883.4	207.7

(2) *अंतर्क्षेत्रीय ऊर्जा-आदान प्रदान का ब्यौरा*

(सभी आंकड़े मि॰यू॰ में)

क्षेत्र से	क्षेत्र को	1997-98	अप्रैल, 98
1	2	3	4
उत्तरी	पश्चिमी	1154.2	212.2
	पूर्वी	5.1	शून्य
	दक्षिणी	शून्य	65.2
पश्चिमी	उत्तरी	377.3	4.4
	दक्षिणी	520.9	44.7
	पूर्वी	1.1	शून्य
दक्षिणी	पश्चिमी	40.6	0.4
पूर्वी	पश्चिमी *	1200	109.2
	दक्षिणी *	820.2	208.3
	उ॰ पूर्वी *	454.4	33.8
उ॰ पूर्वी	पूर्वी	23.2	1.7
	जोड़	4597	679.9

टिप्पणी (*) : यह पूर्वी क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी स्टेशनों के आबंटित उत्पादन से भारत सरकार द्वारा किए गए आबंटनों के अनुसार हो।

[हिन्दी]

कोयल कारो जल विद्युत परियोजना

788. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयल कारो जल विद्युत परियोजना का कार्य आरम्भ करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई और आवश्यक राशि जारी कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना का कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) बिहार में 710 मे॰वा॰ की कोयल कारो जल विद्युत परियोजना को अगस्त, 1980 में निष्पादित किए जाने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन॰एच॰पी॰सी॰) को सौंपा गया था। स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलन किए जाने तथा लम्बे समय तक मुकदमेबाजी के कारण परियोजना के निर्माण गतिविधियों को करना संभव नहीं था।

योजना आयोग द्वारा केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति परियोजना को बंद करने तथा व्यय को रोक देने की सिफारिश की थी। तथापि, पूर्वी क्षेत्र में व्यस्ततम कालीन विद्युत प्रदान करने की आवश्यकता को देखते हुए इस परियोजना पर लगी रोक को उठाने और निवेश अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सरकार का अनुमोदन मांगा जा रहा है।

मार्च, 1998 के मूल्य स्तर पर इस परियोजना की लागत अनुमानतः 2377.82 करोड़ रु॰ आयेगी। यह परियोजना अपने आरम्भ होने की तारीख से पूरा होने में साढ़े सात साल लेगी।

[अनुवाद]

गुजरात में परिवार सलाहकार केन्द्र

789. श्री चंदू लाल अजमीरा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा परिवार सलाहकार केन्द्र चलाए जा रहे हैं और वित्तपोषित किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केंन्द्रों का मुख्य कार्य क्या है और विशेषकर विगत तीन वर्षों के दौरान अब तक उनकी उपलब्धियों सहित वे किस हद तक अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) परिवार परामर्श केन्द्रों की जिलावार सूची विवरण में दी गयी है।

(ग) परिवार परामर्श केन्द्रों के मुख्य कार्य अत्याचारों की शिकार महिलाओं को निरोधात्मक, उपचारात्मक तथा पुनर्वासात्मक सेवाएं और संकट के समय हस्तक्षेप, वैवाहिक/पारिवारिक झगड़ों में हस्तक्षेप जैसी सेवाएं उपलब्ध कराना, पति-पत्नी के अलग हो जाने के मामलों में उनके झगड़ों को समाप्त करने का प्रयास करना अथवा अल्पावास, निःशुल्क कानूनी सहायता, पुलिस सहायता आदि सेवाएं प्रदान करना है।

विगत तीन वर्षों में इन केन्द्रों द्वारा निपटाये गये मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	निपटाये गये मामलों की संख्या
1995-96	1750
1996-97	1943
1997-98	2010

विवरण

गुजरात परिवार परामर्श केन्द्र

1997-98

क्र॰सं॰	जिले का नाम	संस्थान का नाम	परिवार परामर्श केन्द्र का स्थान
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	गुजरात स्त्री केलवानी मण्डल एस॰ एल॰ यू॰ महाविद्यालय, नया एलिश ब्रिज डाकघर	वही
2.	अहमदाबाद	गुजरात स्टेट क्राइम प्रिवन्शन ट्रस्ट, आशीर्वाद, 9/13 केशव नगर, सुभाष ब्रिज के पास	युवक विकास ट्रस्ट बिल्डिंग हाई स्कूल के पास, बोरेल गांव बयाड-तालुक
3.	अहमदाबाद	अखण्ड ज्योति चैरिटी ट्रस्ट, द्वारा निर्मल नर्सिंग होम, कोचेरब पाल्डी	ग्राम पंचायत अनासन, तालुक-टस्करोई
4.	अहमदाबाद	लालभाई ग्रप रूरल डिवैल्पमैन्ट फण्ड आनन्द जी कल्याणजी ब्लॉक्स पटेल समाज के पास, वण्ठाली गेट, नरोदा रोड,	दूसरा तल, श्री राम शॉपिंग सैन्टर, एस॰टी॰ बस स्टाप के सामने, डेकोरे, जिला-खेड़ा
5.	अहमदाबाद	गुजरात राज्य बाल कल्याण संघ हिमावन पाल्डी	1336/1, अनुकुंज सैक्टर-7/डी बस स्टाप-1 गांधी नगर
6.	अहमदाबाद	महिला जागृति अभियान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, तालुका पंचायत के सामने	वही

1	2	3	4
7.	अहमदाबाद	ज्योति संघ पठार, काबे रिलीफ रोड	श्री हीराभाई चल्ली, डाकघर के सामने, राजपुर, गोमतीपुर
8.	अहमदाबाद	गुजरात केलवानी ट्रस्ट, एस॰वी॰ कालेज, कम्पाउण्ड, टिलीफरोड	महलदार ऑफिस, डाकघर–संखेड़ा, जिला बड़ौदा
9.	अहमदाबाद	वात्सल्य ट्रस्ट, 18 अल्फा, शॉपिंग सैण्टर, ज्ञान ज्योति विद्या मन्दिर के पास	मनचा देवी का मन्दिर पासाना
10.	बनासकांठा	वनिता शिशु विहार पालनपुर तालुका का बेसमैण्ट परचेज एण्ड सेल संघ, पुराना मार्केट यार्ड स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया के सामने	वही
11.	बनासकांठा	स्वामी सुनुआनन्द सेवा ट्रस्ट, 3 स्वास्तिक सोसायटी, गोहरी रोड, पालमपुर	शीतल शापिंग सैण्टर, द्वितीय तल, 28 स्टेशन रोड, चनेरा
12.	भावनगर	श्री भगिनी मित्र मण्डल सर्वोदय सोसायटी पलिताना भावनगर	वही
13.	भड़ूच	अखिल हिन्द महिला परिषद् राजपीपला ब्रांच मु॰ व डाकघर–राजपीपला	स्व॰ श्रीमती कुसुम बेन मणिभाई शाह, 27 महिला कल्याण भवन, राजेन्द्र नगर सोसायटी
14.	भावनगर	कुण्डला तालुका भगिनी सेवा मण्डल, गांधी निवास, अम्बाली स्ट्रीट गांधी चौक, सावर कुण्डला	ग्राम सेवा सहकारी समिति, नये एस॰टी॰ स्टेण्ड के पास, महुवा रोड सावर कुण्डला
15.	गांधी धाम	अखिल कच्छ महिला उत्कर्ष मण्डल, गांधी धाम, प्लॉट नं॰ 276, वार्ड–II बी॰ गांधी धाम	रैड क्रॉस बिल्डिंग, शक्ति नगर गायत्री मन्दिर रोड, कच्छ जिला
16.	जामनगर	जिला समाज कल्याण संघ जामनगर, पण्डित नेहरू मार्ग महिला छात्रालय के पास डाक घर पटेल कॉलोनी	वही
17.	जूनागढ़	जूनागढ़ जिला महिला मण्डल सहकारी नेहरू युवा केन्द्र, कदरी मंजिल, कलैक्टर कार्यालय के सामने	मोटाकोली के पास वाडा की वाडी हरवश निवास वेरावल
18.	जूनागढ़	शिशु मंगल काल्वे गेट गांधी ग्राम, कलैक्टर के बंगले के सामने	वही
19.	जामनगर	सर्वोदय महिला उद्योग मण्डल, ओखा, द्वारा अमृत बेन, सोमइया मोदी निवास	द्वारका जामनगर

1	2	3	4
20.	जामनगर	लाल भाई ग्रुप रूरल डिवल्पमैण्ट फण्ड	भनवाड
21.	कच्छ	भुज तालुका फैमिली एण्ड चाइल्ड वैलफेयर प्रोजेक्ट, कलैक्टर कम्पाउण्ड, भुज	वही
22.	खेड़ा	अखण्ड ज्योति फाउण्डेशन, 94 नवजीवन सोसायटी, स्टेशन रोड अहमदाबाद	वही
23.	महसाना	महसाना जिला महिला उत्पादक एवं वितरण सहकारी संघ लि॰, द्वारा महसाना जिला सहकारी संघ बेसमेण्ट राजमार्ग	खादी भण्डार के पास बेसमेण्ट राजमहल रोड
24.	पंचमहल	अखिल हिन्द महिला परिषद गोन्धरा शाखा, भगिनी मण्डल, गोधरा नगर पालिका रोड	वही
25.	राजकोट	आल इण्डिया वीमैन्स कान्फ्रैन्स, राजकोट ब्रांच, सुवास, मोती टंकी के पास, राजकोट	सी॰वी॰ शाह होस्टल कम्पाउण्ड, जाम टावर के पास, राजकोट
26.	साबरकाण्ठा	अलका पुरी महिला मण्डल, जय रोकिडया के सामने, हनुमान मन्दिर रोड अल्कापुरी, हिम्मतनगर	सैण्ट्रल बैंक के पास, जी॰ई॰बी॰ कार्यालय के सामने, हाजीपुरा, हिम्मतनगर
27.	साबरकाण्ठा	फैमिली एण्ड चाइल्ड वलफेयर समिति, नायक नगर, ईदर	वही
28.	साबरकाण्ठा	श्री मालपुर तालुका, सरस्वती सेवा संघ मु॰ व पो॰ मालपुर	द्वारा कन्यालाल के॰ मेहता पक्का हाउस, नन्दावन स्टेशन रोड, लूनावाडा
29.	सूरत	अखिल हिन्द महिला परिषद सूरत ब्रांच, बेधका, हिन्द मिलन मन्दिर के पास, सोनीफालिया	वही
30.	सुरेन्द्र नगर	विकास विद्यालय, विधायन सिटी, मजेश्वर	गायत्री क्लीनिक के पास, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र चोटीला
31.	वलसाड	अस्तित्व (वलसाड) महिला उत्कर्ष संस्था, सूरज अपार्टमेण्ट, हलर क्रॉस रोड, भगिनी समाज के पीछे	गजदर पुस्तकालय, तल लायब्रेरी मोहल्ला, तालुका–गणदेवी
32.	बडोदरा	कराली गौग भगिनी समाज सेवा ट्रस्ट, दहिबा ब्रांच अध्यापक नगर के पास, पानी की टंकी रोड, करली बाग भवन,	वही
33.	बडोदरा	रचना सेवा संघ स्वामी चौक, डाक गोडाली तालुका–संखेडा	खेती बाड़ी उत्पन्न बाजार समिति के पास रेलवे स्टेशन के पीछे, डाकघर बोदाली

[हिन्दी]

वनों की सघनता

790. श्री अशोक अर्गल :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वनों की सघनता का अनुपात अन्तर्राष्ट्रीय अनुपात की तुलना में क्या है;

(ख) इस संबंध में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में वनों को सघनता के अनुपात में कमी आई है जिसके कारण जनजातीय लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा वनों के संरक्षण के लिए राज्यवार क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) वनों की सघनता के बारे में कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, यदि वनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को एक संकेतक के रूप में माना जाता हो, तो भारत में अनुपात विश्व के 0.89 हैक्टेयर के अनुपात के मुकाबले 0.07 प्रतिशत ही बैठता है। 1991 की गणना स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1997 के अनुसार, देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 19.27 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं जबकि 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में निर्धारित किया गया है देश के कुल भू क्षेत्र के कम से कम एक तिहाई क्षेत्र में वन अथवा वृक्ष होने चाहिए।

(ख) मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन लगभग 0.20 हेक्टेयर हैं और भौगोलिक क्षेत्र का 29.6 प्रतिशत वन क्षेत्र के अन्तर्गत है।

(ग) यदि प्रति व्यक्ति वन को वन सघनता का आधार माना जाता है तो मध्य प्रदेश में उक्त सघनता में 1995 से 1997 तक के मूल्यांकनों में (1991 की गणना) 0.206 से 0.200 हैक्टेयर की मामूली कमी हुई है। यदि इस पर सघन वनों के सन्दर्भ में विचार किया जाए तो मध्य प्रदेश में वनों की सघनता में 1995 के मूल्यांकन की तुलना में 12,408 वर्ग कि॰मी॰ की कमी आई है। 1997 के मूल्यांकन के अनुसार, मध्य प्रदेश में आदिवासी जिलों के भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन क्षेत्र में एक प्रतिशत की कमी आई है जिससे आस-पास के क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों के जीवन पर मामूली प्रभाव पड़ सकता है।

(घ) वनों के संरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं :

1. वनीकरण कार्यक्रमों को राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा भारत सरकार की वित्तीय सहायता से शुरू किया जाता है।
2. वनों और वन सम्पत्ति के परिरक्षण के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;
3. सभी राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि वे संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनरूद्धार में ग्रामीण समुदायों को शामिल करें।
4. वन भूमियों के उपयोग को विनियमित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।
5. वन्य वनस्पतिजात एवं प्राणिजात के संरक्षण के लिए 447 वन्यजीव अभयारण्यों और 84 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है जो लगभग 1,50,000 वर्ग कि॰मी॰ में है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।
6. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में वन्य पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध है। बाघ, हाथी, गैंडे तथा उनके वासस्थलों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।
7. आई डी ए/जी ई एफ द्वारा वित्त पोषित "भारत पारि-विकास परियोजना" नामक एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और इसका उद्देश्य सात राष्ट्रीय उद्यानों/बाघ रिजर्वों में पारि-विकास के जरिए जैव-विविधता का संरक्षण करना है।

[अनुवाद]

केरल में विद्युत परियोजना को स्वीकृति

791. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल कन्नानूर में किसी विद्युत परियोजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना में किसी विदेशी कम्पनी की इक्विटी भागीदारी है;

(घ) क्या केरल सरकार ने इस परियोजना के संबंध में आपत्ति उठाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) हाल ही में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के॰वि॰प्रा॰) द्वारा केरल में कन्नूर में निजी क्षेत्र की किसी भी विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) एक परियोजना यथा कन्नूर सीसीजीटी (513 मे॰वा॰) के विकासकर्त्ताओं ने परियोजना में मै॰ इनसेन इंटरनेशनल द्वारा विदेशी इक्विटी भागीदारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

(घ) और (ङ) केरल की राज्य सरकार ने सूचित किया कि उन्हें कन्नूर सीसीजीटी परियोजना की स्थापना करने पर कोई आपत्ति नहीं है तथापि राज्य सरकार साझेदार के रूप में मै॰ इनरॉन के साथ प्रस्तावित वित्तीय ढांचे से सहमत नहीं है।

पर्वतीय राज्यों में एल॰पी॰टी॰/एच॰पी॰टी॰

792. **श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 के लिये एल॰पी॰टी॰ और एच॰पी॰टी॰ लगाने का कुल लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है और इनमें से देश के पर्वतीय राज्यों में लगाये जाने वाले एल॰पी॰टी॰ और एच॰पी॰टी॰ की संख्या क्या होगी;

(ख) राज्यवार, ऐसे एल॰पी॰टी॰ और एच॰पी॰टी॰ की संख्या क्या है जो पिछले दो माह से खराब पड़े हुए हैं; और

(ग) ऐसे ट्रांसमीटरों की मरम्मत का कार्य कब तक हो पायेगा तथा इस कार्य पर होने वाला अनुमानित खर्च क्या होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) पर्वतीय क्षेत्रों में 126 ट्रांसमीटर सहित विभिन्न शक्तियों के 362 टी॰वी॰ ट्रांसमीटर फिलहाल, कार्यान्वयनाधीन हैं। इनमें से पर्वतीय क्षेत्रों में 26 ट्रांसमीटरों सहित 79 पहले ही पूरे हो चुके हैं। 1998-99 के दौरान पर्वतीय राज्यों में 2 उ॰श॰ट्रां सहित 9 उ॰श॰ ट्रांसमीटरों को पूरा करने का लक्ष्य है।

(ख) और (ग) अरुणाचल प्रदेश में कलक्टंग, मिजोरम में सैहा, मणिपुर में मोरेह, उत्तर प्रदेश में बसोट के अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोजर चुर्क क्षतिग्रस्त/खराब हो गए हैं। इनके मरम्मत की कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है।

हिमाचल प्रदेश में अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर जहाल्मा, अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर भास्मुर और जम्मू तथा कश्मीर में अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर किन्होत्रन भी काम नहीं कर रहे हैं तथा इनकी मरम्मत इन क्षेत्रों की पहुंच रोड के खुलते ही करा दी जाएगी। ट्रांसमीटरों की मरम्मत तथा रखरखाव एक नियमित प्रक्रिया है। इन्हें शीघ्र ठीक करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इन मरम्मतों पर होने वाली खर्च की राशि के बारे में पहले ही कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा लगाए गए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र (पीसीओ)

793. **श्री अजय चक्रवर्ती : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा राजधानी के विभिन्न भागों में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र (पीसीओ) लगाए गए हैं और ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के आबंटन में क्या मानदंड अपनाया गया है;

(ख) क्या सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के मालिकों द्वारा अधिक पैसे लेने, तीन मिनट में टेलीफोन कॉल काटने का यंत्र लगाने आदि से शर्तों के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सरकार द्वारा दोषी सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे सार्वजनिक कॉल ऑफिसों की संख्या निम्नवत है :—

क्षेत्र	एसटीडी/आईएसडी पीसीओ	स्थानीय पीसीओ
केन्द्रीय	3576	1904
पूरब	1136	3448
यमुनापार	1578	4065
उत्तर	1444	4104
दक्षिण-I	619	1152
दक्षिण-II	1240	1935
पश्चिम-I	1502	4877
पश्चिम-II	882	4274

एसटीडी/आईएसडी पीसीओ बूथ तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने पर शिक्षित बेरोजगारों तथा अन्य शर्तों की पूरा करने वाले व्यक्तियों को आबंटित किये जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास तथा शहरी क्षेत्रों के लिए मैट्रिक/हाई स्कूल पास है। स्थानीय पीसीओ, तकनीकी प्रत्येक मामले में तकनीकी व्यवहार्यता तथा सुसंगतता को ध्यान में रखते हुए आबंटित किये जाते हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान पीसीओ मालिकों द्वारा शर्तों के उल्लंघन के 593 मामले प्राप्त हुए थे। इनमें से 230 पीसीओ कनेक्शन काट दिये गये हैं। 144 मामलों में चेतावनी दी गई है तथा शेष मामलों में कार्रवाई विभिन्न चरणों में है।

[हिन्दी]

स्पीड पोस्ट की सुविधा

794. **श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :**

श्री रामदास आठवले :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शहर/नगर-वार ऐसे डाकघरों की संख्या कितनी है जहां स्पीड पोस्ट की सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) शेष डाकघरों में भी उपरोक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) स्पीड पोस्ट एक सामान्य डाकघर काउंटर सुविधा नहीं है। यह विभाग का वाणिज्यिक उद्यम है तथा सेवा देश के कुछ चुनिंदा शहरों और कस्बों में मुहैया की गई है। देश में, इस समय 76 ऐसे शहर/कस्बे है जहां यह सेवा मुहैया कराई गई है। स्पीड पोस्ट वस्तुओं की बुकिंग के लिए सभी डाकघरों को नहीं वरन कुछेक ऐसे डाकघरों को चुना जाता है जो ऐसे स्थानों पर स्थित हैं जहां प्रचालन और आर्थिक दृष्टि से ऐसा करना व्यवहार्य हो।

(ख) अन्य शहरों/कस्बों में स्पीड पोस्ट सेवा का विस्तार विभाग के अनवरत कार्यकलाप के रूप में व्यवसायिक दृष्टि से व्यवहार्य होने पर किया जाएगा।

[अनुवाद]

टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यकरण

795. श्री अमर राय प्रधान :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के उत्तरी बंगाल क्षेत्रों में स्थित टेलीफोन एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार इन त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रही है;

(घ) पश्चिम बंगाल में कुल टेलीफोन एक्सचेंजों में से कितने टेलीफोन एक्सचेंज एसटीडी सुविधा युक्त हैं;

(ङ) क्या इन टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार और इनके आधुनिकीकरण तथा अधिक से अधिक टेलीफोन एक्सचेंजों को एसटीडी सुविधा से जोड़ने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) उत्तरी बंगाल स्थित एक्सचेंजों का कार्य-निष्पादन सामान्य तौर से संतोषजनक है।

(ग) दूरसंचार सेवाओं में और अधिक सुधार लाने के लिए पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल द्वारा निम्नांकित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) सभी एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में बदला जा रहा है।

(2) शेष बचे एक्सचेंजों में एसटीडी संयोजकता प्रदान करना।

(3) दोषपूर्ण भूमिगत केबलों को जेलीभरे केबलों द्वारा प्रतिस्थापित करना।

(4) डक्टों में केबल बिछा कर आउट डोर प्लांट नेटवर्क का उन्नयन करना।

(5) आधुनिक औजारों तथा परीक्षण उपकरणों की शुरुआत।

(6) दूरसंचार विभाग के नेटवर्क में शामिल की गई आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रणालियों के बारे में प्रचलन स्टाफ को प्रशिक्षण देना।

(7) अधिक स्थानों पर उपभोक्ता सेवा केन्द्र खोलना।

(घ) 31.3.98 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल में 702 एक्सचेंजों में से एसटीडी सुविधा युक्तएक्सचेंजों की संख्या 556 है।

(ङ) जी हां।

(च) मौजूदा 100 और एक्सचेंजों तथा 1998-99 के दौरान स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित 100 नये एक्सचेंजों में से 70 एक्सचेंजों में एसटीडी सुविधा प्रदान करने की पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल की योजना है।

(छ) पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल में समान अवधि के दौरान 31.3.98 की स्थिति के अनुसार 727 एक्सचेंजों में से 246 एक्सचेंजों की (इसमें सिक्किम के 25 प्रतिशत एक्सचेंज शामिल हैं) क्षमता बढ़ाने की योजना है बशर्ते कि उपस्कर एवं भंडार उपलब्ध हों।

(ज) उपरोक्त भाग (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

"आपरेशन ब्लैक बोर्ड" कार्यक्रम की समीक्षा

796. श्री माधव राव पाटील :

श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम की समुचित पुनर्संरचना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष में इस कार्यक्रम के लिए राज्य-वार निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना वर्ष 1987-88 में शुरू हुई थी और तभी से यह

योजना राज्य सरकारों और संघशासित प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। उनके द्वारा प्रस्तुत तिमाही प्रगति रिपोर्टें इस योजना की समवर्ती मॉनिटरिंग और भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा का आधार हैं। अप्रैल, 1995 और अगस्त, 1996 में शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में आपरेशन ब्लैकबोर्ड के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और उन पर समीक्षा की गई।

वर्ष 1997-98 के दौरान सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ शिक्षा सचिव द्वारा चार क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गई जिनमें आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के कार्यान्वयन की विस्तार से समीक्षा की गई।

उपर्युक्त समीक्षाओं में, इस पर संतोष व्यक्त किया गया कि योजना से 1.50 लाख एकल शिक्षक प्राथमिक स्कूलों का दो शिक्षकों वाले स्कूलों में परिवर्तन 1.77 लाख कक्षा कक्षों का निर्माण तथा 5.23 लाख प्राथमिक स्कूलों में शिक्षण अध्ययन सामग्री का प्रावधान हुआ। शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूल भवनों के निर्माण की असंतोषजनक गति, तथा शिक्षकों द्वारा शिक्षण अध्ययन सामग्री का कम इस्तेमाल किया जाना ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चिन्ता व्यक्त की गई।

(ग) और (घ) आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना को अपर प्राथमिक स्कूलों तक विस्तृत करने और 100 बच्चों से अधिक बच्चों वाले बड़े प्राथमिक स्कूलों में तृतीय शिक्षक रखने के लिए वर्ष 1993-94 में अन्तिम बार संशोधित किया गया। आठवीं योजना के दौरान, ऐसे स्कूलों के इन घटकों की कवरेज क्रमशः 10 प्रतिशत और 30 प्रतिशत तक सीमित थी। गैर-सम्मिलित स्कूलों में विस्तारित आपरेशन ब्लैकबोर्ड के इन घटकों को राशि देने के लिए वर्ष 1998-99 में 304 करोड़ रु॰ का प्रावधान जुटाया गया।

[हिन्दी]

न्यायाधीशों के लिए न्यायिक आयोग का गठन

797. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कदाचार से संबंधित मामलों की जांच करने तथा सिफारिश करने के लिए उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (ग) शासन के लिए राष्ट्रीय कार्य सूची की मदों में से एक मद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करने और न्यायपालिका के लिए आचार संहिता तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करना भी है।

वह समय उपदर्शित करना संभव नहीं है जिस समय तक इस संबंध में अंतिम विनिश्चय किया जा सकेगा।

[अनुवाद]

वनरोपण कार्यक्रम

798. **श्री ए॰ वेंकटेश नायक :**

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष वानिकी हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपलब्धियों की प्राप्ति में यदि कोई कमी आई है तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) लक्ष्य प्राप्ति हेतु उठाए जा रहे उपचारात्मक कदम क्या हैं; और

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान इस संबंध में कर्नाटक के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष वनीकरण के संबंध में राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) प्रत्येक वर्ष पौध वितरण और वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्र में कमी का मुख्य कारण धन की कमी है। इसके साथ-साथ श्रमिकों की मजदूरी बढ़ रही है जोकि वनीकरण कार्य का एक बड़ा घटक है।

(ग) भारत सरकार और राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों की अनेक स्कीमों में नवीकरण कार्य के लिए वित्तीय आवंटन में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए गए हैं। राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि लोगों के सहयोग से लागत-प्रभावी उपायों के द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में यथासम्भव प्रयास किए जाएं।

(घ) वर्ष 1998-99 के लिए कर्नाटक के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :—

पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
400 लाख	68000 हैक्टेयर

विवरण

वर्ष 1995-96 से वर्ष 1997-98 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण गतिविधियों के संबंध में राज्यवार/वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(क्षेत्र हैक्टेयर में)
(पौध लाख में)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1995-96				1996-97				1997-98				
		लक्ष्य		उपलब्धियां		लक्ष्य		उपलब्धियां		लक्ष्य		उपलब्धियां		
		पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षा-रोपण के लिए)	क्षेत्र (सार्वजनिक भूमि, वन भूमि सहित)	पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षा-रोपण के लिए)	क्षेत्र (सार्वजनिक भूमि, वन भूमि सहित)	पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षा-रोपण के लिए)	क्षेत्र (सार्वजनिक भूमि, वन भूमि सहित)	पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षा-रोपण के लिए)	क्षेत्र (सार्वजनिक भूमि, वन भूमि सहित)	पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षा-रोपण के लिए)	क्षेत्र (सार्वजनिक भूमि, वन भूमि सहित)	पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षा-रोपण के लिए)	क्षेत्र (सार्वजनिक भूमि, वन भूमि सहित)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	आन्ध्र प्रदेश	1100.00	15000.00	1436.40	75782.00	1100.00	50000.00	1425.30	114667.00	1100.00	50000.00	1931.65	117372.00	फर॰98
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.00	9078.00	7.00	9079.00	6.00	9500.00	6.00	6613.00	7.00	10000.00	16.00	6317.00	मार्च98
3.	असम	27.60	27500.00	27.09	16497.00	25.00	27500.00	49.69	18517.70	25.00	27000.00	23.27	2842.00	फर॰98
4.	बिहार	925.00	55000.00	161.20	5423.00	500.00	40000.00	79.50	9296.00	500.00	40000.00	110.33	14222.00	फर॰98
5.	गोवा	39.50	2090.00	25.72	1327.00	30.00	1800.00	23.00	1351.00	30.00	1800.00	13.74	1123.30	फर॰98
6.	गुजरात	1650.00	59400.00	1707.65	67101.73	1908.00	65597.00	2110.20	89893.00	1900.00	65000.00	1919.04	62116.00	फर॰98
7.	हरियाणा	250.00	29700.00	51.94	33438.00	200.00	32000.00	73.73	23235.00	200.00	32000.00	33.32	17188.00	फर॰98
8.	हिमाचल प्रदेश	22.00	26200.00	35.74	29976.00	20.00	28000.00	26.98	27503.00	20.00	30000.00	30.38	28000.00	मार्च98
9.	जम्मू व कश्मीर	60.00	22000.00	60.51	23000.00	60.00	24000.00	59.85	24927.00	60.00	24000.00	51.25	15643.00	फर॰98
10.	कर्नाटक	495.00	52800.00	310.88	65712.00	400.00	65000.00	235.75	60637.00	400.00	65000.00	256.35	52423.05	मार्च98
11.	केरल	330.00	17600.00	45.40	15302.49	180.00	19000.00	45.46	15168.00	180.00	19000.00	10.98	3350.00	फर॰98
12.	मध्य प्रदेश	495.00	148500.00	599.22	156553.45	450.00	150000.00	169.88	117623.00	450.00	150000.00	457.73	139211.00	फर॰98
13.	महाराष्ट्र	1100.00	133100.00	1017.96	120139.00	1150.00	126000.00	864.16	10781.00	1150.00	126000.00	1121.31	123430.80	मार्च98
14.	मणिपुर	33.00	1100.00	11.85	9105.00	25.00	12000.00	15.50	12230.00	25.00	12000.00	7.06	4403.00	मार्च98
15.	मेघालय	82.50	22000.00	87.98	3274.00	40.00	18000.00	47.80	1622.00	40.00	18000.00	71.33	3978.00	फर॰98
16.	मिजोरम	22.00	19800.00	22.49	12205.00	22.00	19800.00	67.59	9327.00	22.00	19600.00	4.71	8589.00	फर॰98
17.	नागालैंड	8250.00	8250.00	74.70	44.00	60.00	8000.00	0.00	0.00	60.00	8000.00	0.00	0.00	फर॰98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
18.	उड़ीसा	330.00	79200.00	576.02	112110.00	300.00	79000.00	811.88	93371.00	300.00	79000.00	436.70	83824.00	फर•98
19.	पंजाब	49.50	18700.00	80.16	10526.00	52.00	20000.00	88.56	8825.00	52.00	20000.00	65.86	5046.00	मार्च98
20.	राजस्थान	330.00	86900.00	388.32	95280.00	380.00	76550.00	399.41	83440.00	400.00	83000.00	346.81	56020.00	फर•98
21.	सिक्किम	22.00	10120.00	25.00	10120.00	22.00	11000.00	22.00	9586.00	22.00	11000.00	22.57	9966.86	मार्च98
22.	तमिलनाडु	1100.00	82500.00	1112.10	92208.00	1100.00	85000.00	1104.64	73501.00	1100.00	85000.00	1119.53	93560.00	फर•98
23.	त्रिपुरा	23.65	8500.00	21.72	12078.59	23.00	10000.00	41.19	9034.00	40.00	10000.00	78.58	8650.00	मार्च98
24.	उत्तर प्रदेश	2000.00	101200.00	2285.43	84326.97	2200.00	110000.00	2121.24	92790.00	2200.00	110000.00	1907.38	87286.00	फर•98
25.	पश्चिमी बंगाल	833.80	41800.00	681.19	38509.00	825.00	44000.00	556.00	21500.00	825.00	44000.00	28.00	19000.00	फर•98
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5.00	3300.00	5.40	3831.00	5.00	3300.00	5.05	4019.86	5.00	4500.00	1.38	3462.00	मार्च98
27.	चण्डीगढ़	0.00	495.00	0.00	140.00	0.10	500.00	0.19	666.00	0.10	500.00	0.56	66.00	फर•98
28.	दादर व नगर हवेली	15.95	1100.00	13.85	980.00	16.00	1000.00	10.00	300.00	16.00	1000.00	7.00	300.00	मार्च98
29.	दमन और द्वीव	1.10	165.00	1.93	41.00	2.00	100.00	3.18	3.00	2.00	50.00	0.40	138.00	फर•98
30.	दिल्ली	15.00	500.00	26.81	1072.00	25.00	1000.00	23.42	936.00	25.00	1000.00	3.28	0.00	फर•98
31.	लक्षद्वीप	4.51	66.00	4.62	69.00	5.00	72.00	4.22	62.00	5.00	75.00	1.97	21.00	फर•98
32.	पाण्डिचेरी	4.40	220.00	5.71	182.00	5.00	78.00	5.15	78.33	5.00	75.00	5.38	54.00	फर•98
	योग	11354.91	1123784.00	10911.99	1105431.23	11136.10	1137797.00	10494.51	941002.89	11166.10	1146800.00	10083.85	967602.01	

पत्तनों की कंटेनर क्षमता में बढ़ोत्तरी

799. श्री संदीपान थोरात : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी निवेश के माध्यम से जवाहरलाल पत्तन न्यास, मुम्बई में बी॰ओ॰टी॰ आधार पर दो बर्थ कंटेनर टर्मिनल के निर्माण से पत्तनों की कंटेनर क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तैयार किए गए/अंतिम रूप दिए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं;

(ग) प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है तथा परियोजना में भागीदारी के लिए प्राप्त निवेश के निजी क्षेत्र के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) आधुनिक प्रौद्योगिकी सहित अतिरिक्त कंटेनर दुलाई क्षमता सृजन के लिए चालू वर्ष के दौरान प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी हां। जवाहर लाल नेहरू पत्तन में निजी क्षेत्र की भागीदारी से बी ओ टी आधार पर एक नया 2 बर्थ वाला कन्टेनर टर्मिनल बनाया जा रहा है। इन बर्थों की कुल लम्बाई 600 मीटर होगी इस टर्मिनल पर कन्टेनर हैंडलिंग के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक उपस्कर लगे होंगे तथा कन्टेनरों की पार्किंग के लिए "बैक–अप" क्षेत्र भी होगा और इसके अतिरिक्त आई॰ सी॰ डी॰ कन्टेनरों के लिए एक रेलवे यार्ड भी होगा।

(ग) यह परियोजना निर्माणाधीन है। विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर लाईसेंस दिया गया था, जिसमें अधिकतम बोलीदाता मै॰ पी॰ एंड ओ॰ आस्ट्रेलिया की अगुवाई वाले संघ को बी॰ ओ॰ टी॰ आधार पर काम सौंपा गया था।

(घ) पी एंड ओ॰ द्वारा विकसित किए जा रहे कन्टेनर टर्मिनल के अतिरिक्त जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (जे॰ एन॰ पी॰ टी॰) अपने कन्टेनर टर्मिनल के लिए 2 पोस्ट पनामैक्स आकार की रेल माऊंटेड क्वे क्रेन खरीदना चाहती है जिस पर लगभग 50 करोड़ रु॰ की लागत आने का अनुमान है। इस प्रयोजनार्थ 1998–99 में 2.5 करोड़ रु॰ का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्यालय

800. श्री रामपाल सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्तों और उपायुक्तों के कार्यालय कहां–कहां स्थित हैं;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या है जहां ये कार्यालय सरकारी भवनों में स्थित हैं; और

(ग) ऐसे स्थानों पर उन केन्द्रीय विद्यालयों के कार्यालयों के लिये जहां सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है जबकि भूमि उपलब्ध है, अलग भवन कब तक तैयार हो जायेंगे जिससे कि उन्हें इन भवनों में वर्तमान केन्द्रीय विद्यालय परिसरों से स्थानांतरित किया जा सके?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित हैं तथा यह अपने भवन में ही कार्य कर रहा है। संगठन के सभी उपायुक्त भी इसी भवन में कार्य कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में अपर्याप्त टेलीफोन सुविधाएं

801. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश विशेषकर जबलपुर के टेलीफोन केन्द्रों में टेलीफोन लाइनों के काम न करने, अधिक बिल राशि के आने, टेलीफोन कॉल गलत नम्बर पर मिलने टेलीफोनों की टेपिंग किये जाने और टेलीफोन लगाए जाने से पूर्व बिल प्राप्त हो जाने आदि जैसी टेलीफोन से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) स्थिति निम्नानुसार है :–

(1) मध्य प्रदेश सर्किल के लिए समग्र औसत दोष पर 14.9 दोष प्रति 100 टेलीफोन प्रतिमाह है। जबलपुर के लिए यह लगभग 20 है।

(2) मध्य प्रदेश सर्किल के लिए अधिक बिल बनाये जाने के संबंध में समग्र शिकायतों का औसत 0.11 प्रतिशत प्रतिमाह है। जबलपुर के लिए यह लगभग 0.06 प्रतिशत है।

(3) गलत नम्बरों के बारे में शिकायतें बहुत कम ही प्राप्त होती है। टेलीफोनों के टैपिंग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) टेलीफोन लगाये जाने के पहले बिल भेजे जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि यदि कोई चूक प्रबन्धन के ध्यान में लायी जाती है तो उसके संबंध में उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं।

(ख) विभागीय मानदण्डों के अनुसार इस प्रकार की सभी शिकायतों का निपटारा किया जाता है।

[अनुवाद]

कार्य स्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

802. **श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 13 अगस्त, 1997 के अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में कार्य स्थलों और अन्य संस्थाओं में यौन उत्पीड़न से संबंधित कतिपय मार्ग निर्देश तय किए हैं और नियोजकों को ऐसी प्रक्रिया तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं जिनके माध्यम से महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मार्गनिदेश और निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) सरकार का इन मार्गनिदेशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। उच्चतम न्यायालय के आदेश में अन्य बातों के अलावा सभी नियोक्ताओं और कार्यस्थलों तथा संस्थाओं के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई निर्धारित की गयी है। यह कार्रवाई है :— (क) कार्यस्थलों पर यौनशोषण का निषेध और इस प्रकार के शोषण और इरादे को रोकने के उपाय करना, (ख) यौन–शोषण के निषेध सम्बन्धी नियमों/विनियमों को तथा उल्लंघन के मामले में दण्ड के प्रावधान को सम्बन्धित आचरण और अनुशासन नियमों में शामिल करना, और (ग) प्रत्येक संगठन में एक शिकायत तंत्र की स्थापना करना, जिसकी प्रमुख कोई महिला हो और कम से कम आधी सदस्य महिलाएं हों।

(ग) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गयी है कि वे अपने यहां भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों में यथा–परिकल्पित शिकायत समितियां स्थापित करें और अन्य कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त, कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण के निषेध हेतु एक विशिष्ट प्रावधान करने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1994 में भी संशोधन किये गये हैं।

क्योटो में विश्व जलवायु सम्मेलन

803. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1997 में क्योटो (जापान) में विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था जिसमें औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में आवश्यक कटौती करने पर कोई सहमति हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किये गए विचार–विमर्श/चर्चाओं का ब्यौरा क्या है तथा विकसित राष्ट्रों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के स्तर में कितनी कटौती करने का प्रस्ताव है तथा उक्त समझौते के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) भारत सहित विकासशील राष्ट्रों के लिए इस संबंध में क्या संगत दायित्व निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) स्थाई विकास सुनिश्चित करने हेतु उक्त समझौते को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां। क्योटो, जापान में दिसम्बर 1–11, 1997 के दौरान आयोजित जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र ढांचा कन्वेंशन के पक्षकारों के तीसरे सम्मेलन में औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जनों में आवश्यक कटौती के लिए प्रोटोकोल अपनाया गया था।

(ख) अपनाए गए प्रोटोकोल में विकसित राष्ट्रों को आदेश दिया गया है कि वे प्रथम वचनबद्ध अवधि 2008 – 2012 के दौरान संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों को 1990 के स्तरों तक कम करें।

(ग) और (घ) ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जनों में कोई आवश्यक कटौतियां अपनाने हेतु भारत सहित विकासशील राष्ट्रों पर कोई समनुरूप शर्तें नहीं लगाई गई हैं।

विवरण

पक्षकार	निर्धारित बहिस्राव सीमा या कमी संबंधी वचनबद्धता (आधार वर्ष का प्रतिशत या 1990 स्तरों से संबंधित अवधि)
1	2
आस्ट्रेलिया	108
आस्ट्रिया	92
बेल्जियम	92
बुल्गारिया*	92
कनाडा	94
क्रोएटिया*	95
चेक गणतंत्र	92
डेनमार्क	92
इस्टोनिया*	92

1	2
यूरोपियन समुदाय	92
फिनलैंड	92
फ्रांस	92
जर्मनी	92
ग्रीस	92
हंगरी*	94
आइसलैंड	110
आयरलैंड	92
इटली	92
जापान	94
लतवीया*	92
लीचटेंसटेईन	92
लिथुआनिया	92
लग्जेमबर्ग	92
मोनैको	92
नीदरलैंड	92
न्यूजीलैंड	100
नौर्वे	101
पोलैंड*	94
पुर्तगाल	92
रोमानिया*	92
रूसी संघ*	100
स्लोवाकिया*	92
स्लोवेनियां*	92
स्पेन	92
स्वीडन	92
स्वीट्जरलैंड	92
यूक्रेन*	100
ग्रेट ब्रिटेन का यूनाईटेड किंगडम तथा उत्तरी आयरलैंड	92
संयुक्त राज्य अमरीका	93

* वे देश जो बाजार अर्थव्यवस्था में ट्रांजिशन की प्रक्रिया कर रहे हैं।

वन भूमि का पट्टा जारी करना

804. श्री पी॰सी॰ थामस : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने ऐसे किसानों और खेतिहरों के नाम "पट्टा" (भू-स्वामित्व का पंजीकरण) जारी करने का अनुरोध किया है जिनके कब्जे में वन भूमि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार उन कृषकों को ऐसा स्वामित्व देने के लिए सहमत हो गई है जिनके कब्जे में वन भूमि 1 जनवरी, 1977 से पहले से हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) केरल राज्य सरकार ने राज्य के इदुकी, पथनामथिट्ठा, थ्रिसूर, एर्नाकु[illegible]कोलम जिलों में वन भूमि पर 1.1.1997 से पूर्व हुए अतिक्रमणों को नियमित करने के लिए 28,588.159 हेक्टे॰ वन भूमि को डाइवर्ट करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत एक प्रस्ताव भेजा था। राज्य सरकार के उपरोक्त प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 31.1.1995 को पहले ही दी जा चुकी है।

[हिन्दी]

विद्युत सब-स्टेशनों का निर्माण

805. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के जिलों में विद्युत सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य विगत कई वर्षों से पूरा नहीं हुआ है; जबकि वहां मंहगी मशीनों को स्थापित करने में करोड़ों रुपये व्यय किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विद्युत सब-स्टेशनों के निर्माण कार्य को पूरा करने का है; और

(ग) इन सब-स्टेशनों के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि 220/132 के॰वी॰ और 132/33 के॰वी॰ के ऐसे 9 उपकेन्द्र हैं जिनपर बिहार में निर्माण कार्य चल रहा है। इन उपकेन्द्रों तथा उनके पूरा होने के कार्यक्रम का ब्यौरा विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

बीएसईबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में 220/132 के॰वी॰ उपकेन्द्र

क्र॰सं॰	उपकेन्द्र का नाम	क्षमता (एमवीए)	मूल लागत (लाख रु॰)	अद्यतन लागत (लाख रु॰)	1997-98 तक व्यय (लाख रु॰)	पूरा होने की निर्धारित तिथि
1.	बेगूसराय	200	264.54	1638.00	938.00	12/98
2.	हटिया	100	264.73	1850.00	शून्य	3/00
3.	हाजीपुर	100	288.73	1015.89	258.39	6/99
4.	चाईबासा	200	863.20	1059.58	5.58	3/01
5.	जेंसीडीह	200	836.80	1648.26	40.00	12/01
6.	जमालपुर	200	–	1850.00	शून्य	6/01
7.	समस्तीपुर	200	–	1850.00	शून्य	[illegible]
8.	रामचन्द्रपुर	300	823.50	1438.43	1176.00	3/98
9.	खगौल	300	998.46	998.46	शून्य	3/99

विवरण-II

बीएसईबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में 132/33 के॰वी॰ उपकेन्द्र

क्र॰सं॰	उपकेन्द्र का नाम	क्षमता (एमवीए)	मूल लागत (लाख रु॰)	अद्यतन लागत (लाख रु॰)	1997-98 तक व्यय (लाख रु॰)	पूरा होने की निर्धारित तिथि
1.	राजखरसावन	2×20	42.00	600.00	70.00	12/98
2.	किशनगंज	2×20	118.20	600.00	70.00	12/98
3.	मीठापुर	2×50	402.00	1000.00	12.00	6/98
4.	बेगूसराय	2×20	–	750.00	शून्य	6/[illegible]
5.	कटाईया	1×20	300.00	300.00	शून्य	6/98
6.	कहलगांव	2×20	450.00	450.00	450.00	12/98
7.	बांका	2×20	42.35	600.00	157.0	10/99
8.	गुमला	2×20	118.29	600.00	68.00	[illegible]/99
9.	डाल्टनगंज	2×20	118.29	675.00	50.00	[illegible]/99

[अनुवाद]

विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के आधुनिकीकरण हेतु योजना

806. श्री चमन लाल गुप्त : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना तैयार की है अथवा तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी योजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी हां। सरकार सबसे पहले दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुम्बई महानगरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाना चाहती है और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों के अन्य खंडों में यह कार्य किया जाएगा। इसके अलावा

मौजूदा 2 लेन मार्गों को सुदृढ़ करने और इकहरी लेन को चौड़ा करके दो लेन बनाने, पुलों, बाइपासों का पुनर्निर्माण, सड़क सुरक्षा इत्यादि कार्य किए जाएंगे और कुछ एक्सप्रैस मार्ग बनाए जाएंगे।

(ग) इस सभी कार्यों पर लगभग 75,000 करोड़ रु॰ लागत आने का अनुमान है और इन कार्यों का पूरा होना नौवीं योजना तथा उत्तरवर्ती योजनाओं में सड़क सैक्टर के लिए बजट आबंटन पर निर्भर करेगा।

भारतीय लोक वित्त संस्थाओं द्वारा विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्त-पोषण सीमा

807. श्री हरिन पाठक : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी उपकरणों पर आधारित विद्युत परियोजनाओं में लोक वित्त संस्थाओं के लिए 40 प्रतिशत की कोई वित्त-पोषण सीमा नियत की है;

(ख) क्या राज्य सरकारों से लोक वित्त संस्थाओं के कुल वित्त-पोषण की गणना करते समय भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के वित्त-पोषण को शामिल न किए जाने से इस सीमा में छूट देने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; और

(ग) यदि हां, इस मामले में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) निजी विद्युत नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह निहित है कि कुल परिव्यय का 40 प्रतिशत से अधिक राशि भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से प्राप्त हो सकती है किन्तु शेष राशि को अन्य स्रोत से पूरा किया जाना चाहिए। गुजरात सरकार ने यह अनुरोध किया था कि स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं से उपस्कर प्राप्त कर रहे स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को इस सीमा से छूट दी जानी चाहिए यह अनुरोध विचाराधीन है।

बुलडाना में खेलकूद स्टेडियम

808. श्री मुकुल वासनिक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के बुलडाना जिले में खेलकूद स्टेडियम के लिए किसी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित स्टेडियम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस स्टेडियम के निर्माण के लिए कोई धनराशि जारी की है; और

(घ) यदि हां, तो जारी की गई धनराशि और उसके उपयोग का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने बुलडाना में 128.16 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक जिला खेल परिसर का निर्माण करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें 400 मीटर का एक एथलेटिक ट्रैक, वालीबाल, बास्केटबाल, खो-खा, कबड्डी के लिए खेल मैदान तथा मल्टी जिम उपस्करों के लिए एक हाल, एक अलग जिमनेजियम हाल और एक आउटडोर स्टेडियम होगा।

(ग) और (घ) 50.00 लाख रुपये के स्वीकृत अनुदान की तुलना में, केन्द्र सरकार द्वारा 10.11.1995 को 25.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। तथापि, जारी किए गए अनुदान की रकम के इस्तेमाल के बारे में, महाराष्ट्र सरकार से अभी तक कोई भी उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

कोल बांध परियोजना

809. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार 1984 में राजस्थान के साथ किए गए "कोल" बांध परियोजना समझौते का उल्लंघन कर रहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने जब तक राजस्थान को समझौते के अनुसार "कोल" बांध परियोजना से विद्युत का हिस्सा नहीं मिलता केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत गृहों से विशेष आबंटन का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (घ) 30 जून, 1984 को हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों के मध्य कोल बांध जल विद्युत परियोजना की जांच और क्रियान्वयन के लिए एक समझौता संपन्न हुआ। इस करार में दोनों राज्यों के मध्य निवेश और लाभों की भागीदारी को नीचे दिए गए रूप में रखा गया है :—

	पूंजी	लाभ
राजस्थान	75%	63%
हिमाचल प्रदेश	25%	37%

निधियों की कमी के कारण कोल बांध परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। तत्पश्चात्, हिमाचल प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बोलियां आमंत्रित कीं। प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं थीं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब सुझाया है कि परियोजना को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। परियोजना वित्त पोषण,

क्रियान्वयन और लागत एवं लाभ की भागीदारी हेतु रूपात्मकताओं को हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ विचार-विमर्श करके सुनिश्चित किया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

810. प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए किसी कार्य योजना पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी निविदाओं के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) पहले से ही निर्माणाधीन 31 परियोजनाओं से 1998-99 के दौरान 3299.3 मे॰वा॰ क्षमता अभिवृद्धि परिकल्पित है, ब्यौरे निम्नवत् हैं :

परियोजना	प्रकार	राज्य	क्षमता (मे॰वा॰)
1	2	3	4
कथालगुड़ी एटी	ताप	असम/नीपको	30
अगरतला जीटी-4	ताप	त्रिपुरा/नीपको	21
कायमकुलम जीटी-1	ताप	केरल/एनटीपीसी	115.3
जीएचटीपी भटिंडा	ताप	पंजाब	210
बनाकबोरी यू-7	ताप	गुजरात	210
ब्रह्मपुरम यूनिट-5	ताप	केरल	20
सूरतगढ़ टीपीएस यू॰ 1	ताप	राजस्थान	250
लीमालोग यू-1 से 16	ताप	मणिपुर	36
कराईकल सीसीजीटी	ताप	पांडिचेरी	32.5
पगुथन एसटी	ताप	गुजरात/निजी	250
सूरत लिग्नाइट यू॰ 1	ताप	गुजरात/निजी	125
डामोल चरण-1	ताप	महाराष्ट्र/निजी	740
तोराग्ंबु यू-1 व 2	ताप	कर्नाटक/निजी	260
बेसिन ब्रिज डिजी 1-4	ताप	तमिलनाडु/निजी	200
बज-बज यू-2	ताप	पं॰बंगाल/सीईएससी	250
बनासकांडी	ताप	असम/निजी	5
दोयांग यू-1	जल	नागालैंड/नीपको	25
सोवला	जल	उ॰प्र॰	6
ऊपरी सिंध	जल	जम्मू एवं कश्मीर	35
सेवा चरण-3	जल	जम्मू एवं कश्मीर	9
चेन्नई चरण-3	जल	जम्मू एवं कश्मीर	7.5
1	2	3	4
रंजीत सागर यू-4	जल	पंजाब	150
वरना यू-2	जल	महाराष्ट्र	8
दूधगंगा यू-1	जल	महाराष्ट्र	12
कदाना विस्तार	जल	गुजरात	60
सिंगुर	जल	आ॰प्र॰	7.5
कालीनदी यू-2 एवं 3 और कदरा	जल	कर्नाटक	180
पोरिंगलकुथु	जल	केरल	16
सतनूर बांध	जल	तमिलनाडु	7.5
पोत्तेरू	जल	उड़ीसा	6
तीस्ता कैनाल फाल	जल	पश्चिम बंगाल	15
	जोड़		3299.3

शिक्षा पद्धति में परिवर्तन

811. श्री के॰एस॰ राव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परीक्षा से पहले व बाद में होने वाले मानसिक तनाव को सहन न कर पाने के कारण आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों की संख्या वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान इस कारणवश आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और विशेषज्ञ समितियों ने समय-समय पर देश में शिक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम, अध्यापन के तरीके परीक्षा और मूल्यांकन पद्धति में बदलाव के लिए आह्वान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विदेशों के प्रयोगों के परिप्रेक्ष्य में देश में सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) ऐसी घटनाएं, जिनकी समय-समय पर रिपोर्ट की जाती है, सरकार की जानकारी में आती रही हैं।

(ख) सरकार द्वारा ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) यह सच है कि अनेक व्यक्तियों जिनमें प्रख्यात शिक्षाविद शामिल हैं, द्वारा समय-समय पर तनाव स्तर कम करने के लिए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने की आवश्यकता के बारे

में व्यापक चिंता व्यक्त की जाती रही है। शिक्षा प्रणाली को छात्रों के और अधिक अनुकूल बनाने के संबंध में अनेक सुझाव दिए गए हैं।

(ङ) सभी संबंधितों के परामर्श से स्थिति की गहराई से समीक्षा करने का प्रस्ताव है।

आनुवांशिकी संबंधी सामग्री का निर्यात

812. श्री जी॰ गंगा रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आनुवांशिकी-संबंधी सामग्री के निर्यात के विनियमन हेतु कोई राष्ट्रीय प्राधिकरण स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) भारत सरकार जैविक विविधता पर एक कानून बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। आनुवांशिकी-सामग्री की सुलभता के विनियमन और इस प्रकार को सुलभता को विनियमित करने हेतु क्रियाविधि बनाना विचाराधीन प्रस्ताव का भाग है।

चिल्का झील का विकास

813. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा ने चिल्का झील की गाद निकालने और उसका विकास करने के लिए केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए सरकार ने क्या सहायता की है; और

(ग) झील की गाद निकालने और अति शीघ्र विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने वनस्पति लगाने एवं कंटूर बंडिंग, जल संचयन ढांचा, गुल्ली कंट्रोल, धारा के किनारे के कटाव नियंत्रण, परिधि बांध, नालबाना के आवास सुधार, शिक्षा जागरूकता कार्य तथा सूचना/आंकड़ा आधार तैयार करने जैसे कार्य करने के लिए 1988-1991 के बीच उड़ीसा सरकार को 112.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

दसवें वित्त आयोग ने विशेष समस्या अनुदान के अन्तर्गत चिल्का झील के संरक्षण के लिए 27 करोड़ रुपये की धनराशि की सिफारिश की है। 1996-2000 की अवधि के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा तैयार की गई चिल्का झील के लिए कार्य योजना का वित्त मंत्रालय की अन्तर-मंत्रालय शक्ति सम्पन्न समिति द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। चिल्का झील के विकास के लिए 10.46 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार को पहले ही जारी की जा चुकी है। किए जा रहे कार्यों में जल आदान-प्रदान में सुधार, डेजर्स की लवणता, लागत तथा गाद निकालने के कार्य शामिल हैं।

विदेशी स्वामित्व वाले जहाज

814. श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अप्रैल, 1998 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में "इंडियन कोर्ट्स केन नॉट ट्राई केसै इनवोल्विंग फोरन आउन्ड शिप्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई कार्यवाही टिप्पणियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) समस्या से निपटने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में अब की जाने वाली कार्यविधि का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) समाचार अंश में एक विदेशी जहाज मालिक की ओर से दायर अपील पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उस निर्णय का हवाला था जिसमें कहा गया था कि अदालत को भारतीय समुद्री सीमा के बाहर दो विदेशी पोतों के बीच हुई टक्कर से होने वाले नुकसान के मुकदमे को ग्रहण करने और उस पर विचारण करने का कोई अधिकार वाणिज्यिक पोत अधिनियम, 1958 के तहत प्राप्त नहीं है, में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया विनिर्णय दिया गया था। उस समाचार में सरकार द्वारा कार्यवाही किए जाने योग्य कोई टिप्पणियां सूचित नहीं की गई थी।

राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर उपमार्ग (बाईपास) का निर्माण

815. श्री रवि सीताराम नायक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर उत्तरी गोवा में मारडोल पर एक उपमार्ग (बाईपास) के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माण परियोजना को वर्ष 1998-99 की वार्षिक योजना में सम्मिलित कर लिया गया है;

(घ) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) (क) और (ख जी हां। भूमि के अधिग्रहण के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्र॰सं॰	तारीख	अधिगृहित भूमि का क्षेत्र
1.	11.11.91	94,226 वर्ग मीटर
2.	29.8.97	3,750 वर्ग मीटर

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए उपलब्ध सीमित निधियों को ध्यान में रखते हुए 1998-99 योजना में शामिल कार्यों की तुलना में इस कार्य को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी गई है।

[हिन्दी]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दर्जे में परिवर्तन करना

816. **श्री मोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस विश्वविद्यालय को कब तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विकास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा जुलाई, 1990 में प्रस्तुत एक पूर्व प्रस्ताव जिसका बाद में अप्रैल, 1991 में उ॰प्र॰ सरकार द्वारा समर्थन किया गया था, को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालयों के लिए विभिन्न विकास योजनाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं जो इन योजनाओं को संचालित करता है तथा इनकी मानीटरिंग करता है।

[अनुवाद]

मिस्र के ठेकेदार द्वारा ठगी

817. **श्री मोहन रावले : क्या जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने मिस्र में भारतीय उच्चायोग से स्वेज पत्तन से कूड़ा करकट कीचड़ हटाने के लिए मिस्र के ठेकेदार को जाली बिलों के माध्यम से किए गए लगभग सात लाख डालर के भुगतान को वापस कराने हेतु सहायता करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन कारणों से भारतीय नौवहन निगम मिस्र के ठेकेदार से बिल लेती रही;

(घ) क्या इस धोखाधड़ी में भारतीय नौवहन के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) जी हां। भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (एस सीआई) ने काहिरा में भारतीय दूतावास को स्वेज नहर से गुजरने वाले भा॰नौ॰नि॰ के जलयानों से कूड़ा-करकट हटाने के लिए मिस्र के एक ठेकेदार को उनके पत्तन सैद एजेंट द्वारा किए गए भुगतान के कारण भा॰नौ॰नि॰ द्वारा उठाई गई लगभग 2.40 करोड़ रू॰ की हानि के ब्योरों के बारे में जानकारी दी। ठेकेदार जाली "कार्य-सम्मादित" प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहा था। जैसे ही इस जालसाजी का पता चला भा॰नौ॰नि॰ ने ऐसे बिलों का भुगतान करना बन्द कर दिया।

भा॰नौ॰नि॰ ने काहिरा में भारतीय दूतावास से इस राशि को वापस लेने में उनकी सहायता करने का अनुरोध किया है।

(घ) और (ङ) इस मामले की भारतीय नौवहन निगम और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है तथा अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।

[हिन्दी]

पावतियों के वितरण के खिलाफ शिकायतें

818. **श्री रामदास आठवले : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग को पंजीकृत ए॰डी॰ पत्रों के प्रेषकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें पत्रों की पावतियां नहीं मिल रही हैं जिसके वे अतिरिक्त पैसा देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ताकि प्रेषकों को उनके पत्रों की पावतियां उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सकें?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां। पावतियों के साथ पंजीकृत पत्र भेजने वाले कुछ प्रेषकों से पावती कार्ड प्राप्त न होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) ऐसी शिकायतों की तत्काल जांच-पड़ताल की जाती है तथा जहां भी यह पाया जाता है कि पावती-कार्ड वितरित नहीं किया गया है, वहां प्राप्तकर्ता की रसीद की एक सत्यापित प्रति निःशुल्क भिजवाई जाती है। सभी संबंधित को पंजीकृत पत्रों/पावती कार्डों का समुचित रूप से वितरण सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं जिसकी डाक द्वारा पारेषण के दौरान मॉनीटरिंग भी की जाती है। विभाग ने पावती कार्डों की शीघ्र पहचान करने व उनकी हैंडलिंग को सरल बनाने के लिए उनके आकार व मोटाई में भी सुधार किया है। शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने के लिए, जिनमें पावती कार्डों का वितरण न होने से संबंधित शिकायतें भी शामिल हैं, महत्वपूर्ण शहरों में ग्राहक सुविधा केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

सिक्किम में टेलीफोन एक्सचेंज और डाकघर का खोला जाना

819. **श्री भीम दाहाल :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिक्किम में कितने-कितने टेलीफोन एक्सचेंज डाकघर और उप डाकघर खोले गए हैं;

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान किन-किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर, और उप डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है और डाकघर और उप डाकघर खोले जाने के कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) सिक्किम में खोले गये टेलीफोन एक्सचेजों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	एक्सचेंजो की संख्या
1995-96	2
1996-97	2
1997-98	6

डाकघरों के सम्बन्ध में जानकारी विवरण में दी गयी है।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान जिन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज लगाये जाने की संभावना है, वे निम्नानुसार है :

(1) ताशिडिंग, (2) लाचे, (3) लाचुंग, (4) असम लिंगजे (5) बारमिक (6) मंगलबाड़ी

डाकघरों के सम्बन्ध में जानकारी विवरण में दी गयी है।

(ग) उपर्युक्त एक्सचेंजों के मार्च 1999 तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है।

डाकघरों के सम्बन्ध में जानकारी विवरण में दी गयी है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिक्किम में खोले गये अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों तथा विभागीय उप डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है :

1995-96		1996-97		1997-98	
अति॰ विभा॰ शाखा डाकघर	विभागीय उपडाकघर	अति॰विभा॰ शाखा डाकघर	विभागीय उपडाकघर	अति॰ विभा॰ शाखा डाकघर	विभागीय उपडाकघर
-	-	-	-	2	1

(ख) वर्ष 1998-99 के लिए सिक्किम में निम्नलिखित अतिरिक्त शाखा डाकघर तथा उपडाक घर खोले जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है बशर्ते कि निर्धारित मानदण्ड पूरे हों :

विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
(1) खंगता	(1) नेया
	(2) लिंगजे
	(3) आहोबस्ती
	(4) शाखूबस्ती

(ग) विद्यमान मानदण्डों को पूरा कर लेने, संसाधनों की उपलब्धता तथा योजना लक्ष्यों को प्राप्ति कर लेने पर डाकघर खोले जाते हैं।

दूरदर्शन का निजीकरण

820. **श्री अजीत जोगी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के किसी चैनल का निजीकरण/वाणिज्यीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई आचार संहिता बनाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने दूरदर्शन के चैनल-3 को किसी विदेशी कम्पनी को किराए पर देने की अनुमति देने का निर्णय कर लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(छ) सरकार का यह कदम दूरदर्शन के अन्य चैनलों को किस हद तक प्रभावित करेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) दूरदर्शन के डी॰डी॰–3 चैनल को दिनांक 16.1.98 से बन्द कर दिया गया है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की शक्तियों को कम करना

821. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की शक्तियों को कम करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

822. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विशेषकर मण्डला जिले में कितने टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहें हैं और कितने स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इन एक्सचेंजों को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश और मण्डला जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या निम्नानुसार है :

मध्य प्रदेश – 3119

मण्डला जिला – 37

जब 10 से अधिक पंजीकृत मांग हो जाती है तो विधमान मानदण्डों के अनुसार नये टेलीफाने एक्सचेंज खोले जाते हैं। जब ऐसी शर्त पूरी हो जाती है तो एक्सचेंज खोलने की योजना बनायी जाती है और एक्सचेंज शीघ्रता से स्थापित कर दिये जाते हैं।

हिन्दी में सम्पर्क कक्षाएं

823. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली द्वारा हिन्दी माध्यम में बी॰सी॰ए॰/एम॰सी॰ए॰ कोर्स के लिए सम्पर्क कक्षाओं का आयोजन अंग्रेजी माध्यम में किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हिन्दी माध्यम में पत्राचार कोर्स करने वालों के लिए इसी सत्र से हिन्दी माध्यम में सम्पर्क कक्षाएं आयोजित करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स (बी॰सी॰ए॰) तथा मास्टर इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स (एम॰सी॰ए॰) कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा सभी अंग्रेजी माध्यम में ही प्रदान किये जा रहे हैं। तथापि, विश्वविद्यालय द्वारा इन कार्यक्रमों को हिंदी माध्यम में भी प्रदान किए जाने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

[अनुवाद]

पशुओं की खाल की तस्करी

824. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पशुओं की खालों और चमड़े को जब्त करने के कितने मामले प्रकाश में आए;

(ख) क्या इन खालों और चमड़े को कश्मीर में जब्त किया गया जहां इनकी बिक्री अबाधित है;

(ग) क्या इसे रोकने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995–98 के दौरान भारत सरकार के वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पता लगाई गई पशुओं की खालों और चमड़े के जब्त करने के मामलों की संख्या निम्नलिखित हैं:

केन्द्र	1995–96	1996–97	1997–98
दिल्ली	9	6	5
कलकत्ता	2	3	26
चेन्नई	4	1	1
मुम्बई	7	5	4

(ख) से (घ) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 जम्मू और काश्मीर राज्य, जिसका वन्यजीवों पर जम्मू और काश्मीर वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1978 के नाम से स्वयं अपना अधिनियम है, पर यह लागू नहीं होता है। जम्मू और काश्मीर राज्य सरकार से कहा गया है कि वह अपने कानून को भारत सरकार के कानून के समान बनाएं। जम्मू और काश्मीर वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम में अनुसूची-1 में शामिल प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध है तथा लाइसेंस के तहत अनुसूची-2, 3 और 4 के शामिल प्रजातियों के शिकार की अनुमति है। चीता, हिमालयन काला भालू, हिमालयन ताहर, सेराव, तिब्बती हिरण, जंगली याक, काले गले वाला सारस आदि जैसी कुछ दुर्लभ प्रजातियां जो केन्द्रीय अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल हैं, अभी भी जम्मू काश्मीर अधिनियम की अनुसूची-2, 3 और 4 में हैं और इस अधिनियम के तहत जम्मू और काश्मीर में इन प्रजातियों के व्यापार की अनुमति है।

अंतर्राष्ट्रीय खेल नगरी

825. **श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोल्हापुर में कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल नगरी बनाने पर विचार कर रहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्यों को केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रम से विद्युत आपूर्ति

826. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में राज्यों को केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रम से राज्य-वार कितनी विद्युत की आपूर्ति की गई;

(ख) क्या राज्यों पर बकाया राशि के परिणामस्वरूप केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं में राज्यों के हिस्से में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से आहरण की तुलना में राज्यवार पात्रता संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि दिनांक 1.10.1996 से राज्य विद्युत बोर्डों को केंद्रीय विद्युत प्रदाय उपक्रमों से विद्युत आपूर्ति केवल अग्रिम भुगतान अथवा अपरिवर्तनीय साख पत्र की प्राप्ति के उपरांत ही किया जाए।

मंत्रिमंडल ने यह निर्णय भी लिया है कि राज्यों के केंद्रीय क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं से विद्युत आपूर्ति योजना सहायता (के॰यो॰स॰) के 15 प्रतिशत तक संबंधित राज्यों की के॰यो॰स॰ से की जाएगी और इसके पश्चात् राज्यों को केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से विद्युत आपूर्ति खोले गए साख पत्र की राशि के अनुरूप की जाएगी।

बकाया देय के कारण केंद्रीय विद्युत परियोजनाओं से राज्यों के हिस्से में कोई कमी नहीं की गई है। तथापि, उन राज्यों के मामले में जहा साख-पत्र राशि, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के वर्तमान आवंटन के अनुरूप नहीं है, विद्युत आपूर्ति विनियमित की जा रही है, अथवा उन राज्यों को उनके हिस्से को विपथित किया जाता है। जिन्होने अतिरिक्त आवटन के अनुरूप साख-पत्र में वृद्धि की हैं।

विवरण

(आकंडे मि॰यू॰ में)

राज्य/प्रणाली का नाम	1995-96		1996-97		1997-98	
	पात्रता	आहरण	पात्रता	आहरण	पात्रता	आहरण
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र						
चंडीगढ़	176.7	181.6	228.4	219.6	307.2	312.1
दिल्ली	8067.0	7350.1	9304.8	8144.2	10717.5	8804.7
हरियाणा	5386.8	5961.3	5305.0	5968.6	5967.4	6123.8
हिमाचल प्रदेश	1135.7	917.2	1154.3	1028.8	1419.1	1065.3
जम्मू व कश्मीर	2937.5	2428.9	3155.7	3018.1	4210.4	4103.4
पंजाब	5511.8	4465.9	5248.5	5264.0	6647.9	6430.0
राजस्थान	7445.9	9639.1	7946.6	8512.1	8759.4	9740.3

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	14382.7	14100.0	13913.3	14154.3	13120.2	14569.5
नेपाल	–	–	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	–	–	68.9	65.8	–	–
कुल	45044.1	45044.1	46375.5	46375.5	51149.1	51149.1
पश्चिमी क्षेत्र						
गुजरात	8633.5	9552.9	8624.2	10151.5	9622.3	10275.7
मध्य प्रदेश	10263.8	11096.4	11224.0	11807.0	10886.1	10442.8
महाराष्ट्र	10197.6	8996.6	10403.7	8787.0	10969.1	11061.6
गोवा	1223.3	672.3	1259.6	731.0	1203.1	900.5
कुल	30318.2	30318.2	31476.5	31476.5	32680.6	32680.6
दक्षिणी क्षेत्र						
आन्ध्र प्रदेश	7234.1	7816.2	7417.5	7296.9	7324.9	7295.1
कर्नाटक	4085.9	4495.6	4681.0	5773.7	4852.9	5119.2
केरल	2898.8	2737.1	3283.4	3426.0	4113.7	4319.7
गोवा	686.0	493.5	600.3	539.4	496.0	496.0
तमिलनाडु	7872.0	7184.4	8516.7	7462.9	8686.2	8243.7
कुल	22726.8	22726.8	24498.9	24498.9	25473.7	25473.7
पूर्वी क्षेत्र						
बिहार	3080.9	4545.9	3391.7	4459.4	4115.5	4287.3
डीवीसी	1392.4	1867.4	1506.8	2109.7	1555.4	1674.5
उड़ीसा	2501.9	1884.9	2852.4	2180.7	3247.3	2258.7
पश्चिमी बंगाल	2935.8	1748.8	2952.4	2000.0	2817.4	2664.2
सिक्किम	164.4	28.4	180.4	37.9	208.3	38.4
एएसईबी	–	–	20.3	42.1	421.8	454.4
एपीएसईबी	–	–	39.9	115.1	630.8	668.6
मध्य प्रदेश/केरल	–	–	–	–	401.2	1200/1516
कुल	10075.4	10075.4	10944.9	10944.9	13397.7	13397.7
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र						
अरूणाचल प्रदेश	91.3	54.6	111.1	59.1	116.2	93.5
असम	645.5	834.5	821.3	1090.7	893.6	1128.5
मणिपुर	243.3	247.1	286.6	287.3	418.7	398.0
मेघालय	143.8	11.2	171.9	0.7	185.3	7.5
मिजोरम	117.7	114.0	141.2	138.9	110.8	133.6
नागालैण्ड	131.4	126.0	158.0	142.6	145.4	142.3
त्रिपुरा	136.4	122.0	161.6	132.4	171.1	137.7
कुल	1509.4	1509.4	1851.7	1851.7	2041.1	2041.1

राष्ट्रीय ग्रंथालय को पुस्तकों की आपूर्ति न होना

827. श्री सुब्रत मुखर्जी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तक और समाचार-पत्र परिदान (सार्वजनिक ग्रंथालय) अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के बावजूद देश में प्रकाशित पुस्तकों में से आधे से अधिक पुस्तके, राष्ट्रीय ग्रंथालय को नहीं भेजी जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) भारत में पुस्तक-प्रकाशन के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए पुस्तक परिदान (सार्वजनिक ग्रंथालय) अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता को भेजी गई पुस्तकों का प्रतिशत का पता लगाना संभव नहीं है।

(ख) अधिनियम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से, भारत सरकार (संस्कृति विभाग) ने एक समिति के माध्यम से पुस्तक परिदान अधिनियम, 1954 की समीक्षा करने हेतु कदम उठाए हैं। समिति में प्रापक पुस्तकालयों, पुस्तक संवर्धन परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मानव पुस्तक संख्या की राजा राममोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी, भारतीय प्रकाशक संघ के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति के अध्यक्ष संयुक्त सचिव, संस्कृति विभाग होंगे।

नई शिक्षा नीति

828. श्री के॰ एच॰ मुनियप्पा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोई नई शिक्षा नीति लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति को कब तक घोषित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) स्वातंत्र्योत्तर युग में समय-समय पर शिक्षा नीति की आवधिक समीक्षा की गई है। इस समय वर्ष 1992 में यथा अद्यतन की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा प्रणाली संचालित होती है। वर्तमान सरकार शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में सूचीबद्ध प्राथमिकताओं को शामिल करने हेतु शैक्षिक नीतियों की समीक्षा करने के लिए व्यापक विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव करती है।

डाक टिकटों को जारी करना

829. श्री के॰ सी॰ कोंडय्या :
श्री रामदास आठवले :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से डाक टिकटें जारी करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) हरेक मामले में पूर्व में इस तरह की मांग किन-किन तारीखों को की गई थी;

(घ) हरेक मामले में अब तक डाक-टिकटें जारी न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) हरेक मामले में मांग पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) सब जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र॰सं॰	राज्य/प्राप्त-पत्र का नाम	प्रस्ताव का विवरण तथा प्राप्ति की तारीख	वह तारीख जब ऐसी मांग पहले भी की गई	की गई कार्यवाई
1	2	3	4	5
1.	गुजरात संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग गुजरात सरकार	कलपी-सुरसिंह की तख्त सिंह जी गोहन पर डाक-टिकट जारी करना 09.01.98	पहले कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	प्रायोजक के मार्गदर्शी सिद्वांतों के अनुसार इस विशिष्ट व्यक्ति के जीवन संबंधी ब्यौरे भेजने के लिए कहा गया है, ताकि प्रस्ताव पर विचार किया जा सकें।

1	2	3	4	5
2.	हरियाणा (क) सचिव, पर्यटन हरियाणा सरकार	(क) राजा नाहर सिंह पर विशेष डाक-टिकट जारी करना 15.05.97	पहले कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	(क) 09.01.98 को डाक-टिकट जारी कर दिया गया।
	(ख) -वही-	(ख) सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले पर डाक-टिकट जारी करना (20.10.97)		(ख) पिलैटलिक सलाहकार समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है।
3.	महाराष्ट्र (क) सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र सरकार	(क) पंजाब राव देशमुख पर डाक-टिकट जारी करना (6.4.98)	(क) 08.04.94	(क) वर्ष 1994 में प्रस्ताव मार्गदर्शी सिद्वांतों के अनुरूप नहीं था। इस पर पुनः विचार किया जा रहा है।
	(ख) -वही-	(ख) श्री जी॰जी॰उर्फ काका साहिब चोलकर पर डाक-टिकट जारी करना (18.06.97)	(ख) 26.08.96	(ख) प्रस्ताव पर फिलैटलिए सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया परंतु इसकी सिफारिश नहीं की।
4.	त्रिपुरा मंत्री सूंचना एवं सांस्कृतिक मामले, त्रिपुरा सरकार	त्रिपुरा से संबंधित विषयों पर डाक-टिकट 7.4.98	21.11.97	प्रस्ताव विचाराधीन है।
5.	तमिलनाडु सचिव, लोक(सामान्य) विभाग, तमिलनाडु सरकार	सरदार ए॰ वेदरत्नम पर डाक-टिकट जारी करना 12.08.97	15.7.98	डाक-टिकट 25.02.98 को जारी किया गया
6.	पश्चिम बंगाल मेयर, आसनसोल नगर पालिका	काजी नजरूल इस्लाम पर डाक-टिकट जारी करना 21.07.97	26.04.97	वर्ष 1999 में जारी किए जाने के लिए अनुमोदित

दूरदर्शन कार्यक्रमों की गुणवत्ता

830. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती बोर्ड के अस्तित्व में आने के बाद से दूरदर्शन पर कार्यक्रमों के प्रसारण के मानकों/गुणवत्ता में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बोर्ड द्वारा अनुमोदित धारावाहिकों के संबंधित पक्षों को अंतिम भुगतान नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) प्रसार भारती बोर्ड को दिनांक 23.11.97 को ही गठन किया गया है और इस समय पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।

(घ) जी, नहीं। इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि बोर्ड ने धारावाहिक अनुमोदत किए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भगिनी निवेदिता का घर

831. श्रीमती कृष्णा बोस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कलकत्ता स्थित उस घर को सुरक्षित रखने की कोई योजना है जिसमें भगिनी निवेदिता रहती थी और जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा पाकर कन्या विद्यालय शुरू किया था;

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भगिनी निवेदिता के भारत आगमन की शताब्दी मनाने की भी सरकार की कोई योजना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सरकार के पास इस समय कलकत्ता में सिस्टर निवेदिता के घर को सुरक्षित रखने की कोई योजना नहीं है।

(ग) शताब्दियां और जयंतियां मनाने के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत स्वैच्छिक संगठनों को सरकारी सहायता उपलब्ध है।

मैसूर में एच॰पी॰टी॰ दूरदर्शन केंद्र

832. **श्री ए॰ सिदराजू :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर मैसूर शहर के लिए स्वीकृत हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत कितनी है और उस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) उक्त दूरदर्शन ट्रांसमीटर के कब तक चालू होने की संभावना है; और

(घ) 1998-99 के दौरान उस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस स्कीम को 969.80 लाख रु॰ की पूंजीगत लागत पर मैसूर में उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए स्वीकृत किया गया था। इस पर 24.86 लाख रु॰ पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। इस उच्च शक्ति ट्रांसमीटर का प्रतिष्ठापना कार्य वर्ष 2000 तक के दौरान पूरा किया जाने की संभावना है बशर्ते पर्याप्त संसाधन और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। वर्ष 1998-99 के दौरान 45.00 लाख रु॰ की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उद्देश्य

833. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसकी स्थापना सरकार द्वारा मुख्यतः प्रतिभा-पलायन को रोकने की दृष्टि से की गई थी, अपने उद्देश्य में सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिभा-पलायन की दर में निरन्तर वृद्धि होने को क्या कारण है;

(ग) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कुछ योजनाएं तैयार की हैं ताकि देश में वैज्ञानिक प्रतिभा की वापसी सुनिश्चित की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) सरकार द्वारा सीएसआईआर की स्थापना वर्ष 1942 में की गई थी, जिसके क्रियाकलापों का चार्टर काफी व्यापक था। उस समय प्रतिभा पलायन शब्द न तो प्रचलन में था और न ही चिंता का विषय। अतः यह सीएसआईआर के निर्दिष्ट क्रियाकलापों में से नहीं था।

(ख) सरकार को ऐसे किसी प्रामाणिक अध्ययन की जानकारी नहीं है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि "प्रतिभा पलायन" की दर में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

(ग) और (घ) सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में अर्हता प्राप्त होनहार, युवा, प्रतिभाशाली भारतीयों को विदेश से भारत की ओर आकृष्ट करने के लिए वर्ष 1958 में एक योजना आरम्भ की जिसके तहत उन्हे वैज्ञानिक पूल में अस्थायी व्यवसाय देने की व्यवस्था की गई थी। इस वैज्ञानिक पूल योजना का संचालन सीएसआईआर द्वारा किया जाता है। जब से यह योजना आरम्भ की गई है तब से विदेश से लौटे लगभग 7000 भारतीय इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

[अनुवाद]

"मैरीन इंजिनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट" को विश्वविद्यालयवत् घोषित करना

834. **श्री समीक लाहिड़ी :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास "मैरीन इंजिनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता" को विश्वविद्यालयवत् घोषित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) समुद्री शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति (सीओएमईटी) नामक विशेषज्ञ समिति ने मई, 1992 में, सभी चार सरकारी समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात् समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान, मुम्बईः समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान, कलकत्ताः लाल बहादुर शास्त्री उन्नत समुद्री अध्ययन एवं अनुसंधान महाविद्यालय, मुम्बई तथा प्रशिक्षण पोत चाणक्य, नवीं मुम्बई को शामिल करके एक भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी। सीओएमईटी की सिफारिशों की जांच के लिए गठित एक अधिकार प्राप्त समिति ने यह सुझाव दिया कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना विश्वविद्यालयवत संस्था के रूप में की जाए। अंतर-मंत्रालय विचार-विमर्श के दौरान शिक्षा विभाग ने यह शर्त लगाई कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सभी चार समुद्री संस्थानों को अनुमोदन प्रदान कर दिए जाने के बाद ही भारतीय

समुद्री विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालयवत संस्था का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा समुद्री इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता को अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। अन्य संस्थानों के संबंध में अनुमोदन अभी प्राप्त होना शेष है।

विदेशी टेलीफोन कालों के अधिक प्रभार लगाना

835. डा॰ विजय सोनकर शास्त्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद से प्रकाशित 05 मई, 1998 की पत्रिका में दी गई सूचनानुसार, दूरसंचार विभाग और विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारतीय उपभोक्ताओं से विदेशी कालों के लिए अत्यधिक शुल्क प्रभारित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा धनराशियों के सुनियोजित दुरूपयोग किये जाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां। विदेश संचार निगम लि॰ द्वारा निधियों का दुरूपयोग किये जाने के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं। उन शिकायतों की अभी जांच की जा रही है।

मैथन ताप विद्युत केन्द्र (एम॰टी॰पी॰एस॰) की अवसंरचना का विकास

836. श्री सुनील खां : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक मैथन ताप विद्युत केन्द्र (एम॰टी॰पी॰एस॰) के तीन एककों और अन्य अवसंरचनात्मक विकास पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) इस केन्द्र की स्थापना के समय से इसकी कुल अनुमानित परियोजना लागत कितनी है; और

(ग) इन एककों को चालू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) मैथॉन ताप विद्युत केन्द्र अभी भी उपयोजना के चरण में है और इस लिए इसे परियोजना की यूनिटो को चालू करने के लिए किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

महिला साक्षरता

837. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विशेषरूप से उन क्षेत्रों में जहां महिला साक्षरता दर बहुत ही कम है, महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई नीतियों और इस संबंध में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा चलाए गए संपूर्ण साक्षरता अभियानों में महिलाओं को विशेषतः निम्न महिला साक्षरता वाले क्षेत्रों में, कार्य प्रवृत्त करने तथा सहभागी बनाने पर विशिष्ट बल दिया गया है। साक्षरता अभियानों का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां महिलाएं ज्ञान एवं सूचना की मांग करें। इन अभियानों में इस आशय के संदेश के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न माध्यमों को प्रयोग किया जाता है कि समाज में उनकी स्थिति में सुधार के लिए यह एक पूर्व-शर्त है साक्षरता प्राइमरी में लैंगिक मुद्दों को समुचित रूप से सम्मिलित किया गया है अब तक संपूर्ण साक्षरता अभियानों के माध्यम से साक्षर बनाए गए लगभग 68.57 मिलियन व्यक्तियों में से लगभग 41.14 मिलियन महिलाएं हैं।

देश में विद्युत परियोजनाएं

838. श्री दत्ता मेघे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर विद्युत उत्पादन में किस हद तक वृद्धि होने की सभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा निम्नवत् है। यह परियोजनाएं निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इनका पूरा होना समय पर प्राप्त निधियों, उपस्करों की आपूर्ति एवं उत्थापन, अंतर्राष्टीय विवादों के निपटान इत्यादि पर निर्भर करेगा।

राज्य	संख्या	क्षमता (मे॰वा)
1	2	3
अरूणाचल प्रदेश	1	405
असम	4	215
आंध्र प्रदेश	4	1975

1	2	3
बिहार	5	1402
गुजरात	7	2910
हरियाणा	2	610
हिमाचल प्रदेश	3	1822.5
जे॰एंड के॰	4	511.5
कर्नाटक	5	1196
केरल	8	708.25
महाराष्ट्र	8	4814
मणिपुर	1	36
मध्य प्रदेश	6	2975
नागालैंड	2	99
उड़ीसा	3	756
पांडिचेरी	1	32.1
पंजाब	2	1020
राजस्थान	1	500
सिक्किम	1	60
तमिलनाडु	6	815.5
त्रिपुरा	1	84
उ॰प्र॰	6	2430
पश्चिम बंगाल	4	2097.5
जोड़	85	27474.35

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय, मास्को

839. श्री एम॰ राजैया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय, मास्को में वर्तमान में कर्मचारियों और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस विद्यालय में देशवार वर्तमान में कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं;

(ग) इस विद्यालय के प्रारम्भ से लेकर अब तक कर्मचारियों, विद्यार्थियों और विभिन्न पाठ्यक्रमों के संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार केन्द्रीय विद्यालय, मास्को को कोई अनुदान प्रदान करती है और उक्त विद्यालय ने सरकार को धनराशि आवंटित करने के लिए कोई अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि अनुदान के रूप में दी जाएगी;

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस विद्यालय को कितनी आय हुई और इसने कितनी राशि व्यय की; और

(छ) मास्को में तैनात दूतावास कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की तुलना में इस विद्यालय के कर्मचारियों की स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि केन्द्रीय विद्यालय मास्को में स्टाफ तथा छात्रों की संख्या क्रमशः 31 तथा 213 है।

(ख) छात्रों का मौजूदा देशवार विवरण निम्नवत् है:

1.	भारत	187
2.	नाइजीरिया	009
3.	बंगलादेश	002
4.	पाकिस्तान	003
5.	मुजाम्बिक	004
6.	फिलीपीन्स	001
7.	जाम्बिया	001
8.	श्रीलंका	004
9.	नामिबिया	002

(ग) केन्द्रीय विद्यालय, मास्को ने 1 सितम्बर, 1987 से कार्य करना आरम्भ किया। यह केन्द्रीय विद्यालय +2 स्तर पर विज्ञान एवं मानविकी विषयों में पहली से बारहवीं तक कक्षाएं चलाता है।

(घ) और (ङ) 25 लाख रूपये के प्रारम्भिक अनुदान तथा वर्ष 1997-98 में बुनियादी सुविधाओं हेतु प्रदत्त 5.00 लाख रुपए के अनुदान को छोड़कर, केन्द्रीय विद्यालय, मास्को को कोई अनुदान प्रदान नहीं किया गया क्योंकि यह विद्यालय टयूशन फीस तथा छात्र निधि के माध्यम से अपने संसाधन स्वयं जुटा लेता है।

(च) केन्द्रीय विद्यालय, मास्को की वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 इन तीन वर्षों के दौरान प्राप्तियों तथा भुगतान का विवरण निम्नवत् है:-

(रु॰ लाखों में)

1994-94		1995-96		1996-97	
प्राप्ति	भुगतान	प्राप्ति	भुगतान	प्राप्ति	भुगतान
145.22	131.99	219.81	180.51	242.08	191.00

(छ) इस केन्द्रीय विद्यालय के स्टाफ को वही नियमित वेतनमान दिए जाते हैं जो भारत में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों के स्टाफ को दिए जाते हैं। इस विद्यालय के स्टाफ को विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसरण में विदेश भत्ते प्रदान किए जाते हैं।

मामलों का निपटान करने के लिए न्यायाधिकरणों का गठन

840. श्री जयसिंह जी चौहान : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायाधिकरणों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक लंबित पड़े मामलों का न्यायाधिकरण-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) लंबित पड़े मामलों का निपटारा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन न्यायाधिकरणों के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है/उठा रही है/उठाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ट्रंक सुविधा का स्थानांतरण

841. डा॰ जयन्त रंगपी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिफु और हॉफलोंग टेलीफोन एक्सचेंजों से ट्रंक बुकिंग सुविधा को क्रमशः नवगोंग और सिल्यर एक्सचेंजों में स्थानांतरित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) असम के कर्बी, आंगलोंग और उत्तरी कछार हिल्स जिलों में खराब दूरसंचार सुविधा में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी, हां।

(ख) आईएसडी/एनएसडी तथा ग्रुप डायलिंग सुविधाओं के शुरू होने तथा बड़े पैमाने पर एस टी डी/आई एस डी पीसीओ की व्यवस्था के फलस्वरूप ट्रंक परियात में तेजी से आई कमी के परिणामस्वरूप, लिए गए नीतिगत निर्णय के कारण ट्रंक सेवाएं महंगी हो गई है। ऐसे स्थानों पर धीरे-धीरे ट्रंक सेवाओं को बंद किया जा रहा है। ऐसा तभी किया जाता है जब इन क्षेत्रों के ट्रंक काल सुविधाभोगों उपभोक्ताओं के लिए सतत् एवं कार्यकुशल ट्रंक काल सुविधाएं प्रदान करने हेतु, इन क्षेत्रों को विश्वसनीय हाई ग्रेड मीडिया के जरिए एस एस ए अथवा राजस्व जिला मुख्यालयों के ट्रंक केन्द्रों से जोड़ दिया जाता है।

चूंकि हाफलांग एवं दीफू से ट्रंक कालों की औसत संख्या काफी कम थी अतः इन दोनों केन्द्रों पर पृथक ट्रंक एक्सचेंजो का बनाए रखना किफायती नहीं समझा गया। इन स्थानों पर ट्रंक एक्सचेंज बंद करने से पूर्व इन्हें क्रमशः सिलचर तथा नवगोंग से विश्वसनीय मीडिया पर जोड़ दिया गया था ताकि दिफू तथा हाफलांग के ट्रंक सेवा उपभोक्ताओं को सतत् एवं उन्नत सेवाएं मुहैया होती रहें।

(ग) करबी आंगलांग जिले के सभी सात टेलीफोन एक्सचेंज इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है तथा इन सभी एक्सचेंजों में एस टी डी सुविधा भी प्रदान कर दी गई है। दिफू जिला मुख्यालय में अप्रैल 1998 में 652 लाइनों के एन ई ए एक्सचैंज को बदलकर 1000 लाइनों का एक सी-डाट एस बी एम एक्सचेंज चालू किया गया है। मार्च, 1999 तक की टेलीफोन मांग पूरी करने के लिए जल्दी ही इस एक्सचेंज की क्षमता में 400 लाइनें और जोड़े जाने का प्रस्ताव है। एस टी डी सुविधाओं के लिए दिफू को दीमापुर के माध्यम से 60 चैनलों को एनालॉग यू एच एफ प्रणाली पर जोरहट से जोड़ा गया है। चालू वर्ष के दौरान दिफू तथा नवगोंग के बीच आप्टिकल फाइबर केबल (ओ एफ सी) लिंक चालू किए जाने की योजना है। इस ओ एफ सी लिंक के चालू होने के साथ ही यह आशा है कि एस टी डी सुविधाओं में और सुधार हो जाएगा। इसी प्रकार से "नार्थ कछार" जिले के सभी छः एक्सचेंज इलेक्ट्रानिक हैं तथा ये एस टी डी सुविधायुक्त हैं। जिला मुख्यालय हाफलांग में मार्च, 1998 में 664 लाइनों के एन ई ए एक्स को बदलकर एक 1400 लाइनों का एस बी एम इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किया गया है। इस बढ़ी हुई क्षमता से यह आशा है कि मार्च 1999 तक की टेलीफोन मांग को पूरा किया जा सकेगा। इस समय हाफलांग, एस टी डी सुविधाओं के लिए 120 चैनल डिजिटल यू एच एफ प्रणाली पर सिलचर से जुड़ा हुआ है।

काबर आंगलांग तथा नार्थ कछार नामक दो जिलो में शेष ओपन वायर कैरियर प्रणाली को क्रमिक रूप से विश्वसनीय हाईग्रेड मीडिया से बदले जाने की योजना है तथा प्रतीक्षा सूची के निपटान के लिए एक्सचेंज क्षमता में भी समुचित वृद्धि की जाएगी, ताकि भविष्य में सेवा की गुणवत्ता में सुधार एवं दूरसंचार सुविधाओं के उन्नयन को सुनिश्चित किया जा सके।

आंध्र प्रदेश में डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

842. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य के कुछ मुख्य डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कुल कितने डाकघरों को कम्प्यूट्रीकृत किया गया है;

(ग) इन कम्प्यूट्रीकृत डाकघरों से किस हद तक विलंब और कार्यभार को कम करने में सहयता मिलेगी; और

(घ) राज्य में 1989-99 के दौरान कितने प्रस्तावित डाकघरों का कम्प्यूट्रीकरण किया गया?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां। विभाग के योजना कार्यकलाप के एक भाग के रूप में आंध्र प्रदेश सर्किल ने राज्य के प्रमुख डाकघरों में कम्प्यूट्रीकरण की शुरूआत की है।

(ख) 111 डाकघर।

(ग) कतिपय डाकघर कार्यों के कम्प्यूट्रीकरण के परिणामस्वरूप काउंटरों पर जनता के साथ किए जा रहे लेन-देन के काम में तेजी आई है। इसके कारण लैजर एग्रीमेंट कार्य तथा ब्याज के विवरण तैयार करने के कार्य में भी तेजी आई है। इनकी वजह से कार्यभार कम हुआ है तथा विलब में कमी आई है।

(घ) 15 डाकघर।

विशाखापत्तनम में मल-जल शोधन संयंत्र

843. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम नगर निगम द्वारा 25 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले मल-जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य केन्द्र सरकार द्वारा आपत्ति लगाने की वजह से इसे पूरा होने में दस माह और लगेंगे;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या मुख्य आपत्तियां लगाई गई हैं और उन्हें किस हद तक दूर किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम रूप से स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) विशाखापत्तनम नगर निगम के तटीय विनियमन क्षेत्र (सी॰आर॰जेड॰) में 25 एम॰एल॰डी॰ क्षमता के सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण के प्रस्ताव को मंत्रालय द्वारा जुलाई, 1997 में अस्वीकृत कर दिया गया था। फरवरी, 1991 की सी॰आर॰जेड॰ अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार सी॰आर॰जेड॰ क्षेत्र में सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण एक प्रतिबंधित कार्य हैं।

विदेशी निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्में

844. श्री सी॰डी॰ गामीत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी निर्माता भारत में फीचर फिल्मों का निर्माण कर रहें हैं;

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी निर्माताओं के नाम क्या हैं तथा उस प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है जिसके अन्तर्गत उन्हें गत तीन वर्षों के दौरान भारत में फीचर फिल्मों का निर्माण करने की अनुमति उन्हें दी गई; और

(ग) ऐसी कितनी फिल्में हैं और उनके लिए दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दिनांक 1.4.95 से 31.3.98 तक की अवधि के दौरान, चौंतीस विदेशी फिल्म कंपनियों को भारत में अपनी फिल्मों की शूटिंग करने की अनुमति दी गई थी।

2. विदेशी फिल्म कंपनियों द्वारा भारत में अपनी फिल्मों की शूटिंग हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा इस प्रकार है :-

3. विदेशियों द्वारा भारत में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से फीचर फिल्मों की शूटिंग के प्रस्ताव सीधे या विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रस्ताव के साथ कथासार सहित विस्तृत पटकथा की चार प्रतियां, यात्रावृतान्त सहित फिल्म दल के सदस्यों के पासपोर्टों का विस्तृत विवरण, शूटिंग के सही स्थलों की सूची और अस्थायी रूप से भारत में आयात किए जाने वाले उपस्करों की सूची संलग्न की जानी अपेक्षित हैं।

4. कलाकारों एवं अन्य व्यक्तियों तथा स्थलों के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी जाती है। यदि शूटिंग संवेदनशील क्षेत्रों में की जानी हो तो रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति भी लेनी होती है। यह मंत्रालय पटकथाओं को स्वीकृति देता है और गृह मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों तथा यदि आवश्यक हो तो संबंधित राज्य सरकारों की स्वीकृति के बाद फिल्म की शूटिंग की अंतिम स्वीकृति देता है।

5. इसके बाद निर्माता को शूटिंग संबंधी शर्तों का पालन करने की औपचारिक वचनबद्धता देनी होती है। संक्षेप में ये इस प्रकार है:-

(1) फिल्म की शूटिंग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पटकथा के अनुसार की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो कोई भी परिवर्तन भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूर्वानुमति से किया जाना चाहिए।

(2) भारत में स्थलों पर शूटिंग, संबंधित नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा दी जाने वाली अनुमति पर निर्भर करती है।

(3) सभी शूटिंग इस मंत्रालय द्वारा नामित संपर्क अधिकारी की उपस्थिति में की जानी होती है। संपर्क अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐसा कुछ फिल्माया या फिल्म में शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो भारत या भारतीय लोगों की गलत छवि प्रस्तुत करता हो। संपर्क अधिकारी फिल्म दल के साथ यात्रा करेगा एवं उनके साथ रहेगा और स्थानीय प्राधिकारियों की स्वीकृतियां प्राप्त कराने में उनकी सहायता करेगा।

(4) किसी फिल्म को विश्व में कहीं भी प्रदर्शित करने से पहले, पूर्ण फिल्म को भारत में भारत सरकार के प्रतिनिधियों अथवा विदेशों में भारतीय मिशनों को दिखाना अपेक्षित है।

6. फिल्म की विदेशी फिल्म तथा भारतीय फिल्म कम्पनी सह-निर्माण के रूप में शूटिंग करने की स्थिति में, दोनों पक्षों के बीच विस्तृत समझौते को विशिष्ट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जिसमें प्रत्येक पक्ष की भूमिका स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए।

7. विदेशी फिल्म कम्पनियो के नाम, जिन्हें पिछले तीन वर्ष (1.4.1995-31.3.199) के दौरान भारत में फीचर फिल्म बनाने के लिए स्वीकृति दी गयी है, निम्नानुसार हैं:-

क्र॰सं॰	विदेशी फिल्म निर्माण कम्पनी का नाम	फिल्म का नाम
1	2	3
1.	मैसर्स कॉन्टी नेन्टल फिल्म ग्रुप लि॰ संयुक्त राज्य अमेरिका	गुंगा दिन
2.	मैसर्स वाल्ट डिजनी पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका	लास्ट डान्स
3.	मैसर्स मीराबाई फिल्म, संयुक्त राज्य अमरिका	तारा और माया
4.	मि॰ इहतेशौमुर रहमान, बंगलादेश	माउमाची
5.	मैसर्स चार्जर्स प्रोडक्शन, लि॰, ब्रिटेन	किम
6.	मैसर्स एनप्राई एस॰आर॰एल॰, इटली	सिस एण्ड दी प्रिंस ऑफ ड्रीम
7.	मैसर्स एवैन्यू पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका	डेथ बाय ड्राईंग
8.	मैसर्स सलोमे, फ्रान्स	दी हाउस ऑफ दी पुअर
9.	मैसर्स बाबा फिल्मस, संयुक्त राज्रू अमरिका	थीफ ऑफ बगदाद
10.	मि॰ सिराजुल स्लाम, बंगलादेश	बंचारार लोरई
11.	मैसर्स ट्रायल वाय फायर फिल्म्स, इन्क, कनाडा	फायर
12.	मैसर्स टिटनस, इटली	सान्दोकान्स ट्रम्फ
13.	मैसर्स ए॰वी॰एम॰इन्टरनेशनल फिल्म लि॰, ब्रिटेन	ग्रीन वारियर्स
14.	मैसर्स जे॰आर॰प्रोडक्शन, कनाडा	गुंगापोर
15.	मैसर्स मोगली फिल्म्स, फ्रान्स	हूं नोज
16.	मैसर्स बी॰बी॰सी॰टी॰वी॰ लन्दन	ट्राइन्ग टू ग्रो
17.	मैसर्स ए॰जेड॰एम॰ मूवीज, बंगलादेश	रूपसी राज कन्या
18.	मैसर्स बोरियल्स, फ्रान्स	दी मंकी हू न्यू टू मच
19.	मैसर्स गाम फिल्म्स, इटली	होमर
20.	मैसर्स एस॰एड॰ प्रोडक्शन, ढाका	स्वामी केनो आशामी
21.	मैसर्स स्टूडियों 'एम' रूस	सिद्वार्थ
22.	मैसर्स होटसैन्डस लि॰, ब्रिटेन	ए सन ऑफ दी सर्कस
23.	मैसर्स युगदु फिल्मस्, तासकन्द, यूजबेकिस्तान	चापानी राड्ज कपूरी
24.	मैसर्स रायल कालेज ऑफ आट, फिल्म एण्ड टी॰वी॰, ब्रिटेन	शीप थीफ
25.	मैसर्स डोलीवुड फिल्मस, बंगलादेश	चारोम शासरू
26.	मैसर्स बोनी पिक्चर्स, बंगलादेश	मोनेर-मोटो-मोन
27.	मैसर्स प्रोडुजियोनी कोरसारे, एस॰आर॰एल॰, इटली	ग्रीन ऑफ ईडन
28.	मैसर्स अमीर हुसैन शरीफ्फी, ईरान	अशुबगारण
29.	मैसर्स कैकिंग दी अर्थ फिल्मस, कनाडा	अर्थ
30.	मैसर्स फ्रेन्डस फिल्मस, बंगलादेश	राजा रानी बादशाह
31.	मैसर्स एस॰एस॰ प्रोडक्शन, बंगलादेश	माइरे-ओ-मानुष
32.	मैसर्स आशीर्वाद चलचित्र, बंगलादेश	हठात वृष्टि
33.	मैसर्स टोकियो फिल्म प्रोडक्शन, जापान	प्राइड
34.	मैसर्स इन्तेशाम एन्टरप्राइजिज लि॰ बंगलादेश	परदेशी बाबू

त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन पर मलयालम कार्यक्रमों का प्रसारण

845. श्री एन्सी॰ जोस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन डी॰डी॰–4 से प्रसारित मलयालम के कार्यक्रम केरल के औद्योगिक नगर कोच्चि में उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) जी, नहीं, ये उपलब्ध हैं। तथापि, चूंकि इसका प्रसारण उपग्रह के माध्यम से किया जाता है इसलिए इसको प्राप्त करने के लिए उपयुक्त डिश एंटिना प्रणाली की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में लोक अदालतें

846. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित लोक अदालतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन अदालतों में कितने मामले निपटाए गए;

(ग) क्या लोक अदालतें हर राज्य में दिन-प्रति-दिन लोकप्रिय हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का हर राज्य में कुछ और लोक अदालतें आयोजित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम॰ तम्बी दुरई) : (क) उड़ीसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर क्रमशः वर्ष 1995 में 201 लोक अदालतें, 1996 में 266 लोक अदालतें और 1997 में 236 लोक अदालतें उड़ीसा राज्य के भीतर आयोजित की गई थी।

(ख) इन लोक अदालतों में 4,72,316 मामले सुलझाए गए थे।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) नई दिल्ली में 30 जून और 1 जुलाई, 1997 को आयोजित विधि मंत्री सम्मेलन में 15.4.1997 से 15.8.1998 तक गहन लोक अदालतें आयोजित करने का विनिश्चय किया गया था।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने 13.9.1997 को हुई अपनी पहली बैठक में निरंतर और स्थाई लोक अदालतें चलाने का विनिश्चय किया है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष डा॰ न्यायमूर्ति ए॰एस॰आनन्द ने, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माननीय कार्यकारी अध्यक्षों से यह सुझाव देते हुए अनुरोध किया है कि लोक अदालतों की संस्थागत बनाने की दृष्टि से वे लोक अदालतों को आन्तरायिक और अनियमित प्रकृति की बने रहने देने के बजाय, जो मुख्य रूप से मोटर यान दुर्घटना दावा मामलों को निपटाती है, स्थाई लोक अदालतें स्थापित करें और लोक अदालतों के माध्यम से समाधान के लिए मामलों के अधिक प्रवर्ग भी इसके अंतर्गत लाएं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण प्रायः सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को उनके राज्य में अधिकाधिक लोक अदालतें और विधिक सहायता आयोजित करने के लिए निधियां प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष बार-बार राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों पर अधिकतम संख्या में मामलों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिए जोर दे रहे है। अब लोक अदालतें मामलों के सुलझाने के लिए एक अन्य कानूनीपीठ बन गई है तथा लोक अदालतों में पारित डिक्रियों में विधि का बल और अंतिमता है। इसलिए माननीय कार्यकारी अध्यक्ष डा॰ न्यायमूर्ति ए॰एस॰ आनन्द लोक अदालतों के माध्यम से विवादों के समाधान का प्रसार करते रहें है।

[हिन्दी]

देवास जिला, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र स्टेशन

847. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के देवास जिले के दक्षिणी भाग, जिसमें कानन्द तथा खातेगांव तहसील आते हैं, में आकाशवाणी का एक भी रिले केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त क्षेत्र की अब तक उपेक्षा होने के कारण वहां रेडियो स्टेशन स्थापित करने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिए सर्वेक्षण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो वहां पर रेडियो स्टेशन कब तक स्थापित कर दिया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) देवास जिले को इसके दक्षिणी भागों सहित इंदौर स्थित 100 कि॰वा॰मी॰वे॰ ट्रांसमीटर द्वारा पूरी तरह के कवर किया जाता है। इस जिले के भागों को जबलपुर स्थित 200 कि॰वा॰मी॰वे॰ ट्रांसमीटर द्वारा भी कवर किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पोरबंदर, गुजरात स्थित कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति ट्रांसमीटर में बदलना

848. श्री गोरधन भाई जादवभाई जावीया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार की ओर से पोरबंदर में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर (एलपीटी) को अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटर (एचपीटी) में बदलने और राज्य में स्थित कुछ अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर, पोरबन्दर के उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर के रूप में उन्नयन हेतु गुजरात सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। द्वारका स्थित उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर का स्थान बदलकर उसमें तकनीकी दोष दूर करने संबंधी एक प्रस्ताव गुजरात सरकार से प्राप्त हुआ था।

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर द्वारका की नए स्थान पर स्थापना संबंधी कार्य नौवीं योजना के दौरान आरंभ किए जाने का विचार है बशर्ते आधारभूत सुविधाए और संसाधन उपलब्ध हों।

केन्द्रीय विद्यालयों का बंद किया जाना

849. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में केसरगढ़ में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों को बंद करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) इस विद्यालय को बंद करने के विरोध में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विद्यालय को बंद करने के विरोध में पांच अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें एक संसद सदस्य से तथा एक पूर्व राज्य मंत्री से प्राप्त अभ्यावेदन भी सम्मिलित है।

[हिन्दी]

राज्य बिजली बोर्डों को घाटा

850. श्री वी॰वी॰ राघवन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे है और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, कोल इंडिया लिमिटेड और रेलवे इत्यादि जैसे सरकारी उपक्रमों पर इनकी करोड़ों रुपये की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य बिजली बोर्डों को हुए घाटे का ब्यौरा और सरकारी उपक्रमों पर कितनी बकाया राशि देय है; और

(ग) राज्य बिजली बोर्डों को इतना अधिक घाटा होने का क्या कारण है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान रा॰बिबो॰ को अधिशेष घाटा का ब्यौरा विवरण-I में है। 31.3.1998 की स्थितिनुसार रा॰वि॰बोर्ड आदि पर केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) रा॰बि॰बो॰ की हानियों के मुख्य कारणों में अन्य के साथ-साथ आपूर्ति की औसत लागत और वसूलियों के बीच बढ़ता हुआ अंतर, टैरिफ का अपर्याप्त संशोधन तथा उसमें विलंब होना, विद्युत की बिक्री हेतु रा॰वि॰बो॰ द्वारा बकाया राशियों को वसूल न कर पाना। विद्यमान संयंत्रों के क्षमता समुपयोजन का निम्न स्तर और उच्च पारेषण एवं वितरण हानियां आदि शामिल है।

विवरण-I

वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान रा॰वि॰बो॰ का अधिशेष/घाटा दशार्ने वाला विवरण

(करोड़ रु॰ में)

क्र॰सं॰	रा॰वि॰बो॰ का नाम	1994-95	1995-96	1996-97	
1	2	3	4	5	
1.	आंध्र प्रदेश	-857.04	-1128.58	-721.27	(ए)
2.	बिहार	-300.11	-27.52	-27.52	(पी)
3.	गुजरात	-550.28	-1003.39	-953.43	(यू)
4.	हरियाणा	-98.92	-536.59	-593.98	(ए)
5.	हिमाचल प्रदेश	17.67	35.53	24.81	(ए)
6.	कर्नाटक	-164.18	-499.41	-646.48	(यू)
7.	केरल	13.32	-30.48	-223.12	(यू)

1	2	3	4	5	
8.	मध्य प्रदेश	-382.40	-458.46	-210.91	(यू)
9.	महाराष्ट्र	320.75	-280.24	87.69	(ए)
10.	उड़ीसा	-136.08	-230.68	-230.68	(पी)
11.	पंजाब	-427.48	-325.64	-295.91	(पी)
12.	राजस्थान	-412.75	-343.87	-343.87	(पी)
13.	तमिलनाडु	-2.31	-76.64	-257.28	(यू)
14.	उत्तर प्रदेश	-978.25	-1495.00	-1194.25	(ए)
15.	पश्चिम बंगाल	-78.66	-64.49	-227.27	(यू)
16.	असम	-296.90	-261.46	-411.05	(यू)
17.	मेघालय	-27.18	-21.66	-42.02	(यू)
	जोड़	-4360.80	-6748.68	-6266.54	

ए-लेखा परीक्षित

यू-गैर-लेखा परीक्षित

पी-अनंतिम

विवरण II

31 जनवरी, 1998 की स्थितिनुसार केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत निगमों को देय बकाया राशि

(करोड़ रु॰ में)

क्र॰सं॰	रा॰बि॰बो॰/राज्य	आरईसी 01/98	एनटीपीसी 01/98	नीपको 01/98	डीवीसी 01/98	एनएचपीसी 01/98	पीएफसी 01/98	पीजीसी 01/98
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	208.38	225.45	0.00	0.00	0.00	128.48	34.58
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	3.72	0.00	0.58	0.00	0.58
3.	असम	80.03	2.21	127.55	1.70	-0.28	0.00	18.10
4.	बिहार	314.43	1006.99	0.00	975.36	0.24	0.67	10.69
5.	गुजरात	0.30	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
6.	गोवा	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
7.	हरियाणा	40.90	247.77	0.00	0.00	386.55	0.00	22.16
8.	हिमाचल प्रदेश	0.56	28.95	0.00	0.00	18.00	0.00	0.50
9.	जम्मू और कश्मीर	0.08	385.22	0.00	0.00	36.41	0.00	20.34
10.	कर्नाटक	7.33	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.72
11.	केरल	0.13	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43
12.	मध्य प्रदेश	434.78	409.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
13.	महाराष्ट्र	0.00	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
14.	मणिपुर	4.99	0.00	21.09	0.00	1.62	0.65	3.85
15.	मेघालय	8.39	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.55
16.	मिजोरम	0.00	0.00	4.09	0.00	0.15	3.59	1.91
17.	नागालैंड	0.00	0.00	12.41	0.00	2.35	0.17	2.05
18.	उड़ीसा (ग्रिडको)	90.50	276.07	0.00	0.00	0.87	14.65	4.84
19.	पंजाब	0.28	32.32	0.00	0.00	92.84	0.00	10.10
20.	राजस्थान	31.03	81.84	0.00	0.00	18.05	0.00	29.79
21.	सिक्किम	0.21	7.38	0.00	0.00	-0.09	0.00	2.96
22.	तमिलनाडु	2.80	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	त्रिपुरा	0.34	0.00	1.64	0.00	0.49	0.00	0.02
24.	उत्तर प्रदेश	551.65	1309.75	0.00	0.00	445.77	0.00	254.49
25.	पश्चिम बंगाल	297.78	412.84	0.00	369.16	0.00	21.47	25.16
26.	डी॰वी॰बी॰ (डेसू)	0.00	1333.57	0.00	0.00	137.01	0.00	35.43
27.	डी॰वी॰सी॰	0.00	277.40	0.00	0.00	0.61	0.00	6.93
28.	डीएनएच	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
29.	यूटीसी	0.00	1.65	0.00	0.00	3.64	0.00	0.27
30.	नीपको	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00
31.	दमन एवं द्वीव	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
32.	पांडिचेरी	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
33.	कॉआप्रेटिव	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	राज्य सरकारें	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पावरग्रिड	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	अन्य (पवन)	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	2084.31	6681.80	170.50	1346.22	1145.44	169.68	541.14

13 जनवरी, 1998 की स्थितिनुसार संचयी – 12139.90 करोड़ रुपये।

डाक सेवाओं का विकास

851. **श्री रामटहल चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार विभाग के पास डाक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कोई अनुसंधान और विकास कार्यक्रम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) से (ग) डाक विभाग में एक प्रौद्योगिकी डिवीजन है जो डाक सेवाओं के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करने के उद्देश्य से उत्कृष्ट संस्थानों जैसे आई आई टी तथा विशेषज्ञ विभागों जैसे इलेक्ट्रानिकी विभाग व अन्य से संपर्क व समन्वय स्थापित करता है। इसके लिए कार्यक्रम संपूर्ण पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्लान प्रोजेक्ट्स के रूप में तैयार किए जाते हैं।

पर्यावरण आयोग

852. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री महेश कुमार कनोडिया :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु पर्यावरण आयोग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

परीक्षाओं का बहिष्कार

853. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री आर॰ साम्बासिवा राव :
श्री राम कृष्ण बाबा पाटील :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने परीक्षाओं का बहिष्कार किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है;

(ग) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का विचार है; और

(घ) इस आन्दोलन को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक संस्थाओं में निर्विघ्न कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ ने कुछ समय पहले विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन के संबंध में अपनी मांग मनवाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। सरकार ने पहले ही कुछ वेतन ढांचा घोषित किया था जिसके विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ और अन्य अध्यापक संघों ने अपने अभ्यावेदन दायर किए हैं। वेतन संशोधन पर विश्वविद्यालय अध्यापकों का आंदोलन दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद का मामला बन गया है। जबकि न्यायालय की कार्यवाही चल रही है फिर भी सरकार एक स्वीकार्य समाधान निकालने के लिए अभी संबंधित एजेंसियों से बातचीत कर रही है।

दूरभाष केन्द्र

854. **श्री मोतीलाल वोरा :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनंदगांव जिले की व्यावारधा तहसील में नए दूरभाष केन्द्र का निर्माण कार्य किस तारीख को प्रारंभ किया गया था तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ख) इसकी स्थापना लागत सहित इसकी क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) भविष्य में इसे किस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है;

(घ) क्या इस जिले की डोगरगढ़ और डोंगरगांव तहसीलों में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या जनजातीय विकास खंड, मोहला की त्रुटिपूर्ण दूरभाष प्रणाली के संबंध में अप्रैल, 1998 के दौरान विभाग में कोई पत्र/ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) :
(क) (1) भवन निर्माण शुरू करने की तारीख 15.12.95 है।

(2) भवन निर्माण पूरा होने की तारीख 6.9.97 है।

(3) टेलीफोन एक्सचेंज के चालू होने की तारीख 23.3.98 है।

(ख) एक्सचेंज की क्षमता 1000 लाइनों की है।
संस्थापना की लागत

(1) भवन–29.6 लाख रुपये

(2) टेलीफोन एक्सचेंज–219.2 लाख रुपये

(ग) 1400 लाइनों तक

(घ) डोगरगढ़ तथा डोगरगांव तहसीलों में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित कर दिये गये हैं।

(ङ) कार्य कर रहे एक्सचेंजों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र॰सं॰	तहसील	क्षमता	डीईएल	प्रतीक्षा सूची
1.	डोगरगढ़	680	649	36
2.	डोंगरगांव	184	147	0

(च) जी, हां।

(छ) संलग्न विवरण में दर्शाये गये अनुसार।

विवरण

ज्ञापन तथा की गई सुधारात्मक कार्रवाई के ब्यौरे

	ज्ञापन में मुद्दे	की गई कार्रवाई
1.	इस समय, टेलीफोन उपभोक्ताओं को केवल समेकित बिल ही जारी किए जा रहें हैं।	मोहल्ला में संस्थापित एक्सचेंज में विस्तृत बिल प्रदान करने की तकनीकी सुविधा नहीं है। सामान्तया ऐसी तकनीकी सुविधा बड़ी–बड़ी टलीफोन प्रणालियों में ही उपलब्ध होती है।
2.	जब काल आती है तो उस लाइन में गुंजन होती है जिसके कारण व्यवधान होता है और आवाज साफ सुनाई नहीं पड़ती।	उपग्रह लिंग में गुंजन की कुछ समस्या थी जिसे अब ठीक कर दिया गया है।
3.	मई, 1997 में खम्भे की केबल टूट गई थी। अब लगभग एक वर्ष हो चुका है और अभी तक केबल ठीक नहीं की गई है और केबल को टेप लगाकर जोड़ भर दिया गया है।	खम्भे की केबल ठीक कर दी गई है।
4.	मोहल्ला में कोई तार घर नहीं है जहां तार आ सके, इसलिए तार अम्बरगढ़ चौकी के जरिए भेजे और प्राप्त किए जाते हैं जिसमें अधिक समय लगता है।	मोहल्ला में तार सेवाएं संयुक्त डाक व तार घर से प्रदान की गई हैं। डाक विभाग को तारों की तत्काल बुकिंग करने और उनका वितरण करने का अनुरोध किया गया है।

पाठ्यक्रम में पर्यावरण सुरक्षा विषय शामिल करना

855. श्री पंकज चौधरी :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालयों/कालेजों के पाठ्यक्रमों में पर्यावरण सुरक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) पर्यावरण-परिरक्षण स्कूल शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित स्कूल पाठ्यचर्या का सदा से ही अभिनय अंग रहा है। 1986 में अपनाई गई (तथा 1992 में संशोधित की गई) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण-परिरक्षण की पूरे देश में अपनाई जाने वाली और पाठ्यचर्या के एक घटक के रूप में पहचान की गई है। एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ द्वारा 1988 में प्रकाशित प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या-एक कार्यढांचा तथा एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ द्वारा प्रकाशित स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के विभिन्न विषयों के पाठ्य विवरणों तथा दिया-निर्देशों साथ ही पाठ्य पुस्तकों में इस पर बल दिया गया है। इस प्रकार पर्यावरण परिरक्षण पहले से ही स्कूली पाठ्यचर्या, पाठ्य विवरण तथा पाठ्य पुस्तकों का एक प्रमुख घटक बन गया है और इस क्षेत्र में कार्य प्रस्ताव के स्तर से काफी आगे निकल गया है।

कालेजों में पर्यावरण परिरक्षण को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास नहीं है। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रथम डिग्री स्तर पर पर्यावरण और जल प्रबंध के क्षेत्र में व्यावसयिपिक पाठ्यक्रम की योजना के तहत पर्यावरण विज्ञान को भी एक विषय के रूप में शुरू किया है। अब तक 11 कालेजों को सहायता दी गई है। नवंबर 1991 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर अनुवर्ती कार्यवाई के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग चयनित विश्वविद्यालयों/कालेजों को उभरते क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों को सहायता की योजना के तहत स्नातकोत्तर स्तर पर पर्यावरण विज्ञान में एक वैकल्पिक/विशेष प्रश्न पत्र शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक 70 विश्वविद्यालयों/कालेजों को सहायता दी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बेसल प्रतिबंध में संशोधन

856. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुचिंग, मलेशिया में खतरनाक अवशिष्ट की सीमा-पार से आवाजाही संबंधी चौथे सम्मेलन में भारत ने बेसल प्रतिबंध में 1995 के ऐतिहासिक संशोधन को ठीक करने का संकेत दिया था जो तकनीकी कार्य दल द्वारा तैयार खतरनाक अपशिष्टों की सूची में शामिल करने के लिये लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकसित देशों के आर्थिक सहयोग संगठन प्रतिबंध को रद्द करने अथवा उसमें विलम्ब करने का प्रयास कर रहा है; और

(घ) भारत को ऐसे अवशिष्टों के निर्यात की कारगर ढंग से रोकथाम के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं और वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान विभिन्न देशों से भारत को ऐसे अवशिष्टों का किया गया वास्तविक निर्यात कितना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) 23 से 27 फरवरी, 1998 को कुचिंग मलेशिया में आयोजित खतरनाक अपशिष्टों की सीमापार से आवाजाही पर नियंत्रण और उनके निपटान पर बेसल कन्वेंशन के पक्षकारों के चौथे सम्मेलन में भारत द्वारा दिए गए भाषण में यह उल्लेख किया गया था कि भारत द्वारा बेसल कन्वेंशन के संशोधनों का समर्थन करने की कार्रवाई की जा रही है। कन्वेंशन के परिशिष्ट 8 और 9 के रूप में तकनीकी कार्य दल द्वारा तैयार अपशिष्टों को सूचियां-सूची "क" और "ख" को जिनमें खतरनाक अपशिष्टों को परिभाषित किया गया है, शामिल करने हेतु बेसल कन्वेंशन में संशोधन करने का प्रस्ताव यूरोपीय संघ और चिली द्वारा संयुक्त रूप से बेसल कन्वेंशन के पक्षकारों के चौथे सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। अधिकांश यूरोपीय देश विकसित देशों के आर्थिक सहयोग संगठन के हिस्से हैं।

(घ) खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथाल) नियमावली, 1989 के नियम-II के अनुसार किसी भी देश से खतरनाक अपशिष्टों का ढेर लगाने (डम्पिंग) और उन का निपटान करने के लिए भारत में उनका आयात अनुज्ञेय नहीं है। तथापि, प्रत्येक अपशिष्ट के गुण के आधार पर संसाधन अथवा कच्चे माल के रूप में पुनः प्रयोग के लिए इस प्रकार के अपशिष्टों का आयात किया जा सकता है। एग्जिम नीति के संशोधन करने के साथ, अप्रैल 1995 से खतरनाक अपशिष्टों का आयात, आयात लाइसेंस रखने वाले वास्तविक प्रयोक्ताओं तक सीमित कर दिया गया है। 5.5.1997 के आदेश के तहत, भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित मुकदमा रिट याचिका संख्या 967/95 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी हेतु अनुसंधान फाउंडेशन बनाम भारत संघ और अन्य, में यह आदेश दिया कि केन्द्र सरकार द्वारा पहले से ही प्रतिबन्धित अथवा किसी न्यायालय अथवा प्राधिकरण द्वारा किसी आदेश के तहत प्रतिबंधित किसी भी अपशिष्ट को आयात करने का प्राधिकार/ अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। वर्ष 1989 से 1996 तक, खतरनाक अपशिष्टों के आयात के लिए अब तक 7 अनुज्ञापत्र दिए गए हैं। 1998 में बातचीत करने के लिए 2 अनुज्ञा पत्र दिए गए है। ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र॰सं॰	आयात कर्ता	निर्यात कर्ता देश	आयात की जाने वाली अपशिष्ट मात्रा	अभ्युक्तियां
1.	मै॰ बलमेर लौरी एंड कं॰ कलकत्ता	दुबई	150 कि॰ली॰ अपशिष्ट तेल–दिसंबर, 1993	अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए एक बार के लिए अनुमति दी गई।
2.	मै॰ सदर्न रिफाइनरीज लि॰, त्रिवेन्द्रम	ब्रिटेन	8000 बेरल अपशिष्ट तेल, 1994	वैक्यूम डिस्टिलेशन प्रौद्योगिकी द्वारा अपशिष्ट तेल के पुनः शोधन के प्रदर्शन के लिए ट्रायल रन हेतु।
3.	मैं॰ जिंक स्मेल्टर्स एंड रिफाइनर्ज इंडिया प्रा॰लि॰, मुम्बई	जर्मनी	रेसीडूअल डस्ट वाला जिंक 20,000 मीट्रिक टन, 20 जून, 1994	स्टील मिल डस्ट
4.	मैं॰ भारत जिंक लि॰, भोपाल	जर्मनी, नीदरलैंड स्वीडन	14,100 मीट्रिक टन जिंक अपशिष्ट 12.5.95 को	8.8.94 को इस शर्त पर कि प्रत्येक पारेषण पर क्लीयरेंस प्राप्त की जाएगी 17000 मीट्रिक टन जिंक ऐश/रेजीडयू/ड्रास स्क्रैप की बातचीत के लिए अनुमति प्रदान की गई।
5.	मैं॰ इण्डो जिंक लि॰, धार, मध्य प्रदेश	नीदरलैंड	1000 मीट्रिक टन जिंक ऐश/ड्रास/ स्क्रैप 8.5.95	आयात के लिए अनुमति
6.	मै॰ एसोसिएटेड पिग्मैंट्स लि॰, कलकत्ता	दक्षिण कोरिया	3500 मीट्रिक टन सीसा अपशिष्ट ड्रास/ रेजिडयू/स्कैप, दिसम्बर, 1995	समिति की सिफारिशों के अनुसार अनुमति प्रदान की
7.	मै॰ इण्डिया लेड लि॰, मुम्बई		सीसा ड्रास/रेजिडयू स्कैप॰ नवम्बर, 1995	समिति की सिफारिशों के अनुसार थाणे यूनिट में उनके द्वारा उपयोग के लिए आयात करने के बारे में केवल बातचीत करने की अनुमति प्रदान की गई।
8.	मै॰ तिरूपति केमिकल्ज लि॰, बलेरकोटला पंजाब	–	जिंक ऐश/ स्किमिंग्स 1998	बातचीत के लिए अनुमति प्रदान की गई।
9.	मैं॰ भारत जिंक लि॰, भोपाल	–	ब्रास ड्रास/ कापर ड्रांस	बातचीत के लिए अनुमति प्रदान की गई।

सड़क द्वारा आवागमन

857. **श्री चिन्ता मोहन :**

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **जल–भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल माल ढुलाई और यात्री यातायात में सड़क यातायात का अलग–अलग अनुमानित हिस्सा कितना है;

(ख) क्या वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सड़कों का नेटवर्क अपर्याप्त होता जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सड़कों की कमी की हानियां क्या हैं और उसके परिणामस्वरूप देश को होने वाली वार्षिक अनुमानित वित्तीय क्षति कितनी है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) योजना आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार 1986–87 के दौरान सड़क–रेल यातायात का अनुमान और मौजूदा रूख के आधार पर 1999–2000 के लिए प्रायोजना नीचे दर्शाई गई है :–

		1986–87	1999–2000
माल भाड़ा	सड़क	210	374
(बी टी के)	रेल	223	686
यात्री	सड़क	256	446
(बी पी के)	रेल	893	2916

(ख) जी हां।

(ग) क्षमता की कमी, परिवहन में विलम्ब, बढ़ी हुई परिवहन प्रचालन लागत और खराब सड़कों के कारण ईंधन की खपत में 10–15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की वजह से प्रति वर्ष लगभग 3000 से 4000 करोड़ रु॰ की हानि होती है।

चन्द्रशेखर आजाद

858. प्रो॰ अजीत कुमार मेहता :
श्री मोहन सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक महान देशभक्त और देश के स्वतंत्रता संघर्ष के नायकों में से एक चन्द्रशेखर आजाद का नाम भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में केवल पाद-टिप्पण के रूप में ही लिखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भारतीय इतिहास में उन्हें एक योग्य स्थान देने के लिए देश के स्वतंत्रता संघर्ष में उनके योगदान का पुन मूल्याकंन कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की गई पाठ्य पुस्तकों में महान क्रांतिकारी चन्द्रशेखर आजाद के योगदान को पर्याप्त रूप से उजागर किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के वर्णन के संदर्भ में इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उनका उल्लेख है। इन पाठ्य पुस्तकों में चन्द्रशेखर आजाद सहित विशिष्ट नेताओं की भूमिका का महत्वपूर्ण घटनाक्रमों तथा प्रवृत्तियों के संदर्भ में उल्लेख हुआ है।

(ख) और (ग) चन्द्रशेखर आजाद की भूमिका सुपरिचित है तथा व्यापक तौर पर सराहनीय है।

[अनुवाद]

खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति

859. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में प्रस्तावित खनन के लिए पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	प्राप्त होने की तिथि	परियोजना की स्थिति
1	2	3	4
आन्ध्र-प्रदेश			
1.	मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लि॰ जिला-कुर्नूल की तुम्मल पेटा लाइम स्टोन माइन	10.11.95	पर्यावरण निकास दिनांक 5.8.96 को दी गई
2.	मैसर्स इंडियन रेयर्स अर्थस लि॰, विलेज कुबेला, जिला विजियारग्राम की भिमिली बीच सैंड प्रोजेक्ट	14.3.96	राज्य सरकार द्वारा वानिकी विवरण प्रस्तुत नहीं किया
3.	मेसर्स डेक्कन सीमेंट्स, जिला-भवानीपुरम की लाइम स्टोन ओपेनकास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट	17.2.97	परियोजना प्राधिकारियों से अतिरिक्त सूचना प्राप्त नहीं हुई
4.	मेसर्स नागारूनजना कान्स्ट्रक्शन कम्पनी लि॰, जिला-कुर्नूले की लाइम स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट	30.12.97	कार्यवाही चल रही है।

(1)	(2)	(3)	(4)
कर्नाटक			
5.	क्वार्ट्ज माइन मेसर्स संदूर मैगनीज एंड आयरन ओर लिमिटेड	18.4.95	राज्य सरकार द्वारा वानिकी मुद्दो पर अतिरिक्त सूचना प्राप्त नहीं हुई।
6.	मेसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी, जिला मैसूर की डोडकन्या मैगेनेजाइट एंड ड्यूनाइट माइन	15.6.95	पर्यावरण निकासी 30.9.96 को स्वीकृत की गई।
7.	मेसर्स पी॰ अबूबकर, बेल्लारी जिला की जयसिंगपुर आयरन ओर प्रोजेक्ट	28.8.95	कार्यवाही की जा रही है।
8.	मेसर्स स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि॰ जिला-चिकमगलूर की केम्मानगुंडी आयरन ओर स्टोर माइन्स	22.2.96	पर्यावरण निकासी दिनांक 6.11.96 को स्वीकृत की गई।
9.	मेसर्स हट्टी गोल्ड माइन्स की अज्जाहनेल्ली गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट	30.12.97	कार्यवाही चल रही है।
तमिलनाडु			
10.	मेसर्स मदुराई सीमेंट प्रा॰लि॰ की लाइम स्टोन माइन	27.7.95	पर्यावरण निकासी 13.1.98 को स्वीकृत की गई।
11.	मेसर्स इंडियन रेयर अर्थ्स लि॰ चिदम्बरनगर की कुडीरायमोझी प्रोजेक्ट	14.3.96	राज्य सरकार द्वारा वानिकी विवरण प्राप्त नहीं हुआ।
12.	मैं॰ मद्रास सीमेन्ट्स लि॰ की अलथियार लाइमस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट	4.4.96	पर्यावरण निकासी 24.10.96 को स्वीकृत की गई।
13.	मेसर्स इंडिया सीमेंट, जिला पेराम्बूर, तिरूवेल्लाबर की अदानाकुरूचि लाइमस्टोन माइन	4.4.96	पर्यावरण निकासी 31.10.96 को स्वीकृत की गई
14.	टान्सवल्ड गारनेट सैन्ड् माइनिंग प्रोजैक्स, करूइचिथू कोट्टाबोम्मन जिला	5.9.97	पर्यावरण निकासी 30.9.97 को स्वीकृत की गई।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पृथक डाक लेखा कार्यालय

860. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पृथक डाक लेखा कार्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है तथा इसके लिए प्रस्तावित स्थान कौन-सा है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल तथा उत्तर-पूर्व डाक सर्किलों के अध्यक्षों से यह कहा गया है कि वे उत्तर-पूर्व सर्किल के लिए एक अलग डाक लेखा कार्यालय के सृजन को ध्यान में रखते हुए डाक लेखा कार्यालय, कलकत्ता के कार्य के विभाजन हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें।

(ग) उत्तर पूर्व सर्किल के लिए डाक लेखा कार्यालय की स्थापना हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

जहां तक, इस बात का संबंध है कि यह कार्यालय कहां स्थापित किया जाए, तो सामान्य परिपाटी यह है कि यह कार्यालय संबंधित डाक सर्किल के मुख्यालय में ही खोला जाता है।

[अनुवाद]

राकेश मोहन समिति का प्रतिवेदन

861. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्रीमती सूर्यकांता पाटिल :

क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को प्रशासन को सुचारू बनाने आदि के लिए वर्तमान व्यवस्था में ढांचागत सुधार करने का सुझाव देने के लिए गठित राकेश मोहन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राजमार्ग कार्यक्रमों के नियोजन और समयबद्ध कार्यान्वयन, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अपेक्षित निजी पूंजी जुटाने और राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के रख–रखाव के लिए राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय राजमार्ग बोर्ड स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के संबंध में 31 मार्च, 1998 तक प्राप्त कार्य निष्पादन और चालू वर्ष के लिए कार्य योजना का राज्यवार अलग–अलग ब्यौरा क्या है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों में से राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित निम्नलिखित सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं:-

(1) बाइपास, पुलों, सड़कोपरि पुलों तथा निजी क्षेत्र के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेन बनाने से संबंधित परियोजनाएं जिन्हें बैंक सहायता प्राप्त हो सकती है।

(2) राजमार्ग विकास नीति पारित कर दी गई है।

(3) निजी क्षेत्र को निर्माण कार्य सौपनें के लिए व्यापक मार्ग निर्देश और प्रक्रिया अनुमोदित की गई।

(ग) यह प्रस्ताव वैचारिक स्तर पर है।

(घ) संविधान के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है संलग्न विवरण में उल्लिखित विभिन्न राज्यों के लिए धनराशि वितरण के अनुसार, वर्ष 1997–98 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास कार्यों हेतु 551.24 करोड़ रु॰ आबंटित किए गए थे। सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया गया है। जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, संसद द्वारा बजट अभी अनुमोदित किया जाना है और उसके बाद ही कार्य योजना तैयार की जाएगी।

विवरण

क्र॰सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) निर्माण कार्य 1997–98 के दौरान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2949.83
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00
3.	असम	1821.00
4.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	0.00
5.	बिहार	1900.00
6.	चंडीगढ़	30.00
7.	दिल्ली	800.00
8.	गोवा	900.00
9.	गुजरात	3675.00
10.	हरियाणा	1100.00
11.	हिमाचल प्रदेश	1700.00
12.	जम्मु तथा कश्मीर	150.00
13.	कर्नाटक	2900.00
14.	केरल	3600.00
15.	मध्य प्रदेश	1700.00
16.	महाराष्ट्र	2900.00
17.	मणिपुर	700.00
18.	मेघालय	920.00
19.	मिजोरम	0.00
20.	नागालैंड	100.00
21.	उड़ीसा	2600.00
22.	पांडिचेरी	70.00
23.	पंजाब	1300.00
24.	राजस्थान	2550.00
25.	सिक्किम	0.00
26.	तमिलनाडु	2500.00
27.	त्रिपुरा	0.00
28.	उत्तर प्रदेश	4608.00
29.	पश्चिम बंगाल	5375.00
30.	जोगीघोपा पुल	1244.00
31.	मंत्रालय	0.17
32.	बी आर डी बी	7031.00
33.	एन एच ए आई	0.00
34.	अन्य संस्थान	0.00
	योग	55124.00

सी॰बी॰एस॰ई॰ परीक्षा में नकल

862. **श्री सी॰पी॰एम॰ गिरियप्पा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कक्षा दस और बारह की सी॰बी॰एस॰ई॰ परीक्षा, 1998 के अनेक केन्द्रों में विद्यार्थियों से 1000 रुपये लेकर परीक्षा हाल में कथित रूप से नकल करने की छूट दी गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बुराई को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी॰बी॰एस॰ई॰) से मिली सूचना के अनुसार, एक व्यक्ति से एक ही शिकायत मिली है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि एक खास परीक्षा केंद्र के कक्षा XII के छात्रों को 1000–1000 रु॰ के भुगतान पर नकल करने दिया गया। सी॰बी॰एस॰ई॰ द्वारा शिकायत की जांच किए जाने पर आरोप गलत और निराधार साबित हुआ।

राजस्थान में बिजली की कमी

863. **कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास वर्ष बाद भी राजस्थान के जैसलमेर व बाड़मेर जिले बिजली की अनुपलब्धता के कारण अल्प विकसित है;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त गैस देने की वचनबद्धता के बाद व्यर्थ हो रही ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए स्थापित किए जाने वाले 125 मेगावाट क्षमता के गैस टरबाइन हेतु शेष परियोजना रिपोर्टों को स्वीकृति दे दी हैं;

(ग) क्या जैसलमेर में आयल इंडिया द्वारा गैस की उपलब्धता का संकेत देने के बाद गैस की अतिरिक्त आवश्यकता के बारे में पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सूचित किया है; और

(घ) 350 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवस्यक धनराशि कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) वर्ष 1997–98 के दौरान राजस्थान में विद्युत की कमी उत्तरी क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत और देश में कुल मिलाकर 8.1 प्रतिशत की तुलना में मात्र 1.8 प्रतिशत थी।

(ख) गैस की सुनिश्चित उपलब्धता के आधार पर राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड (आरएसईबी) ने जैसलमेर जिले के रामगढ़ में 35.5 में॰वा॰ वाली गैस टरबाईन परियोजना के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के॰वि॰प्रो॰) द्वारा 120.83 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 8.4.93 को तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। मई, 1998 में आरएसईबी ने रामगढ़ टीपीपी में 1×35.5 में॰वा॰ जीटी + 1×35.5 में॰वा॰ एसटी की स्थापना करने का एक प्रस्ताव के॰वि॰प्रा॰ को भेजा है।

(ग) राजस्थान सरकार ने जीटीपीपी रामगढ़ के लिए अतिरिक्त गैस का आबंटन करने के लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध किया है।

(घ) परियोजना को राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित किया जाना है और इसका वित्तपोषण मुखयतः राज्य सरकार/आरएसईबी द्वारा किया जाता है। पावर फाइनेंस कार्पो॰ और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण सहायता प्राप्त करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

बच्चों के लिए योजना

864. **श्री के॰ येरननायडू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर भारत का भविष्य बच्चों में निहित आशा और आकांक्षाओं के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहें हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार ने 2–10 अक्टूबर, 1997 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल महोत्सव का प्रायोजन किया। राष्ट्रीय बाल महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य भारत की स्वाधीनता के स्वर्ण जयन्ती समारोह में बच्चों की पूरी भागीदारी को बढ़ावा देना, स्वाधीनता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं को श्रद्धांजलि देना, हमारे संस्थापकों के महानता के स्वप्न को बच्चों के हृदय में संजोना, आत्म–अनुशासन, आपसी विचार–विमर्श, प्रतियोगिता और एकता की भावना पैदा करना, भारत की महान सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को समझने के लिए बच्चों को एक मंच प्रदान करना, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बच्चों के बीच मैत्री ओर एकता के बंधन को मजबूत करने के लिए वातावरण तैयार करना, सामाजिक मुद्दों पर बच्चों को जानकारी देने सहित ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी झोपड़ पट्टियों के बच्चों और विकलांग बच्चों में अभिनय कला और ललित कलाओं, शिल्प, चित्रकारी, गायन और वादन आदि क्षेत्र में उत्कृष्ट बच्चों का पता लगाना, आदि था। इस महोत्सव में 24 राज्यों/ संघ राज्य से आयें बच्चों ने भाग लिया।

स्वर्ण जयन्ती समारोह के एक भाग के रूप में, सरकार ने बालिका के दर्जे में सुधार करने की एक स्कीम, बालिका समृद्धि योजना भी शुरू की है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तिलपत में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई

865. श्री वी॰एम॰ सुधीरन :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मई 1998 के "दि पायनियर" "आई॰ए॰एफ॰" फलस 4.9 लैक ट्रीज, टू कट लैक्स मोर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इतने बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई उनके मंत्रालय से अथवा रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति लिए बिना ही की गई थी;

(ग) यदि हां, तो पर्यावरण को इतने बड़े पैमाने पर विनाश से बचाने और उसके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) ऐसे पर्यावरणीय विनाश के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कौन-सी दंडात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां। सरकार को इस समाचार की जानकारी है।

(ख) वायु सेना प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि भारतीय वायु सेना ने तिलपत फायरिंग रेंज पर 520 एकड़ वनाच्छादित क्षेत्र में "बुलडोजर" चलाकर 14 लाख वृक्षों को नष्ट कर दिया है। तिलपत फायरिंग रेंज के क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 4000 एकड़ का क्षेत्र आता है। तिलपत रेंज वायु सेना की भूमि है तथा उड़ान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी झाड़ियों तथा दूसरी वनस्पतियों को साफ किया गया था। सामान्यतौर पर फायरिंग रेंज क्षेत्र में कोई भी झाड़ी या वृक्ष नहीं उगने दिया जाता, क्योंकि वनस्पति सभी प्रकार के पक्षियों को आकर्षित करती है। तिलपत जैसे फायरिंग रेंज क्षेत्र पर जब विमान हथियारों से फायरिंग करते हैं तो उन्हें काफी कम नीची ऊंचाईयों पर 1000 कि॰मी॰ प्रति घंटा तक की रफ्तार से उड़ना होता है और ऐसे क्षेत्र में कोई भी पक्षी विमान के लिए अत्यन्त खतरनाक हो सकता है। 1989 से इस फायरिंग रेंज को आंशिक रूप से प्रयोग में लाया जा रहा था और इस वजह से इस क्षेत्र में काफी जंगली झाड़िया उग चुकी हैं। इस रेंज को 1997 में हैलीकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों द्वारा हथियारों से फायरिंग के अभ्यास के लिए पुनः क्रियाशील बनाने संबंधी निर्णय लिया गया।

चूंकि पिछले कई सालों से रेंज को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था अतः बड़ी संख्या में कीकर की झाड़ियां तथा छोटे-छोटे वृक्ष इस क्षेत्र में उग चुके थे और इस क्षेत्र में कई अनधिकृत अतिक्रमण भी थे। सिविल न्यायालयों और जिला प्राधिकारियों की सहायता से 1997 में इस क्षेत्र को अतिक्रमणों से मुक्त कराया गया। हथियारों से फायरिंग के लिए उपयुक्त बनाने हेतु इसकी जंगली वनस्पति को साफ किया गया।

चूंकि संबंधित भूमि रक्षा मंत्रालय की है, इसलिए इस प्रकार की भूमियों पर जंगली झाड़ियों और वृक्षों की कटाई के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुमति जरूरी नहीं है। तिलपत फायरिंग रेंज रक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ग) और (घ) ऊपर (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उड़ीसा में पन-विद्युत परियोजना

866. श्री अशोक अर्गल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में हीराकुड पनविद्युत परियोजना द्वारा पैदा की गई विद्युत में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार विद्युत के आबंटित हिस्से की आपूर्ति करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उड़ीसा सरकार पर कितनी राशि बकाया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) उड़ीसा में हीराकुड जल विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत में मध्य प्रदेश की भागीदारी 5 मे॰वा॰ है।

(ख) जी, नहीं। उड़ीसा सरकार मध्य प्रदेश को आपूर्ति नहीं करने के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं कर रही है।

(ग) अप्रैल, 1998 के अंत तक बकाया राशि 30.24 करोड़ रुपये थी। बकाया राशि के भुगतान का समय सीमा निर्धारण दोनों राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक रूप से ही होगा।

[अनुवाद]

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु निधि

867. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चालू वर्ष के दौरान केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधि के आबंटन हेतु कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कितनी धनराशि का आबंटन किए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने 120 करोड़ रु॰ के न्यूनतम आबंटन के लिए अनुरोध किया है। वर्ष 1998-99 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र हेतु अंतिम आबंटन को संसद द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है। अंतिम अनुमोदन के आधार पर केरल सहित विभिन्न राज्यों के लिए आबंटन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

बिहार में पुलों/सड़कों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता

868. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन बिहार को पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो निर्मित की जाने वाली सड़कों/पुलों के नाम और लम्बाई से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) उन वित्तीय संगठनों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक के द्वारा कितनी सहायता राशि प्रदान की जा रही है; और

(घ) इन सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सूची निर्धारित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक बिहार में सड़कों और पुलों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध करा रही है।

(ख) से (घ) परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

परियोजना नाम	पुल और सड़क की लम्बाई	पूरा करने की नियत तारीख	ऋण सहायता का राशि
I. विश्व बैंक			
1. भागलपुर पुल एवं पहुंच मार्ग	पुल की लम्बई लगभग 4367 मी॰। पहुंचमार्गों की लंबाई लगभग 10.6 कि॰मी॰	जून, 2000	23.6 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग)
2. बिहार पठार विकास परियोजना के तहत सड़क और पुल	पुल की कुल लंबाई 10,000 मी॰ (लगभग) सड़कों की लम्बाई लगभग 1200 कि॰मी॰	जून, 2000	सड़क और पुल परियोजना लागत 270 करोड़ रु॰ (लगभग), समग्र परियोजना के लिए 117 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि में शामिल।
II. एशियाई विकास बैंक			
रा॰रा॰-2 के बरवा अड्डा (398.75 कि॰मी॰) से बढ़ाकर (441.44 कि॰मी॰) खंड को चार लेन का बनाना और सुदृढ करना	लगभग 46 कि॰मी॰	जून, 2000	परियोजना लागत 128 करोड़ रु॰ (लगभग, 245 मिलियन अमरीकी डालर के तीसरे ऋण में सम्मिलित जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की परियोजनाएं भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन बूथों का आबंटन

869. श्री अमर राय प्रधान : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के सभी दूरसंचार सर्किलों में एसटीडी/आईएसडी टेलीफोन बूथों के लिए लम्बित आवेदन पत्रों की सर्कल-वार संख्या क्या हैं;

(ख) किन-किन सर्किलों में ऐसे बूथों के आवंटन के लिए सलाहकार समितियां गठित की गई हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों से कितने व्यक्तियों ने इस प्रकार के बूथों के लिए आवेदन किया है; और

(घ) उत्तर बंगाल क्षेत्र के जिलों के विभिन्न आवेदकों को इस प्रकार के बूथों को स्वीकृत न करने के कारण क्या हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) पश्चिम बंगाल सर्किल में एसटीडी/ आईएसडी टेलीफोन बूथों के लिए लंबित आवेदनों की संख्या 5906 है (विवरण संलग्न हैं)

(ख) सभी दूरसंचार सर्किलों में प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) में एसटीडी पीसीओ आबंटन समितियां गठित की गई है जिसमें दो सरकारी सदस्य होते हैं। गैर सरकारी एक-एक सदस्य का मनोनयन संबंधित संसद सदस्य द्वारा किया जाता है। 12वीं लोक सभा के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के ससंद सदस्यों को, गैर-सरकारी सदस्य मनोनित करने के लिए कहा गया है। राज्य सभा के सदस्यों का मनोनयन पहले से ही विद्यमान है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, उत्तरी बंगाल में 3721 व्यक्तियों ने एसटीडी पीसीओं बूथों के आवंटन हेतु आवेदन किया है।

(घ) उत्तरी बंगाल क्षेत्र में, एसटीडी पीसीओं बूथों के आबंटन के लिए 1431 आवेदन लंबित हैं। ये बूथ विभिन्न कारणों जैसे एक्सचेंज क्षमता उपलब्ध न होना, अपर्याप्त एसटीडी जंक्शन आदि के कारण लंबित हैं।

विवरण

एसएसए	30.4.1998 की स्थिति के अनुसार एसटीडी/आईएसडी बूथों के लिए लम्बित आवेदनों की संख्या
आसनसोल	362
बंकुरा	140
बहरामपुर	300
कलकत्ता	1532
जलपाईगुड़ी	465
खड़गपुर	214
कृष्णानगर	1750
माल्दा	150
पुरूलिया	67
रायगंज	134
सिलीगुड़ी	682
सूरी	110
जोड़	5906

प्राथमिक शिक्षा का विकास

870. **श्री माधवराव पाटील :**
श्री ए॰ वेंकटेश नायक :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु गत वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार आवंटित धनराशि का प्रतिशत क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नयी वन और पर्यावरण नीति

871. **श्री संदीपान थोरात :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी वन और पर्यावरण नीति के अन्तर्गत हुई प्रगति संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1998-99 और नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए क्या नयी नीतिगत कदमों की घोषणा की गई है अथवा किन कदमों पर विचार किया जा रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) नई वन और पर्यावरण नीति तैयार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पर्यावरण और वन पर सरकार की नीति को राष्ट्रीय संरक्षण योजना तथा पर्यावरण और विकास पर नीति विवरण (1992) प्रदूषण उपशमन के लिए नीति विवरण (1992) तथा राष्ट्रीय वन नीति (1998) में प्रतिपादित किया गया है।

(ग) सरकार का किसी नई पर्यावरण और वन नीति का प्रस्ताव नहीं है।

संविधान पुनरीक्षा आयोग

872. **श्री नरेश कुमार चुन्नालाल पुगलीया :**
प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वी॰वी॰ राघवन :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक संविधान पुनरीक्षा आयोग गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग गठित किये जाने का क्या प्रयोजन है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम॰ तम्बी दुरई) : (क) और (ख) सरकार ने अभी तक कोई भी विनिश्चय नहीं किया है।

12.01 बजे अपराह्न

इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक पर हमले के बारे में

[अनुवाद]

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक छोटासा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। परसों यह बताया गया कि एक भारतीय राजनयिक श्री रावत की इस्लामाबाद में पिटाई की गयी।

पाकिस्तान में यह इस तरह की पहली घटना नहीं है। सभी राजनयिकों को पूरी सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये सब घटनायें हो रही हैं। श्री रावत के विरुद्ध जो यह कार्यवाही की गयी है वह अभद्रतापूर्ण और अनुचित है। मैं समझता हूं कि यही वह समय है जब भारत सरकार को इस घटना विशेष को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और यदि संभव हो तो माननीय मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : महोदय विपक्ष के नेता ने अभी जो कुछ कहा है उसके जवाब में मैं एक वक्तव्य देना चाहूंगी।

श्री बी॰एस॰ रावत पर जो कि इस्लामाबाद में हमारे उच्चायोग में अताशे (अटैची) के रूप में कार्यरत हैं 31 मई, 1998 की सुबह इस्लामाबाद में उनके निवास के सामने हमला किया गया और बुरी तरह पिटाई की गयी। श्री रावत जब अपने निवास से अपने सहयोगी के घर जा रहे थे तो एक आदमी ने जो पड़ोस के घर का एक सुरक्षा गार्ड बताया गया है उन्हें ललकारा और लाठी से मारा।

श्री रावत को सिर पर गंभीर चोट आयी तथा दोनों हाथों की हड्डियां टूट गयी उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। जिन परिस्थितियों में उन पर हमला हुआ है वह बहुत ही चिन्ताजनक बात है।

कल पाकिस्तान के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था। हमारे विदेश सचिव ने इस गंभीर और अशोभनीय घटना पर जोकि पूरी तरह अस्वीकार्य है अपनी कड़ी आपति जाहिर की है। उच्चायुक्त को बताया गया है कि हमारे उच्चायोग की सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है और पाकिस्तान प्राधिकारी अपेक्षित सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहे है जिसके कारण यह घटना घटी है। उच्चायुक्त को कहा गया है कि वह हमारा यह विरोध अपनी सरकार तक पहुंचा दे और यह मांग की गयी कि पाकिस्तान यह सुनिश्चित करे कि हमारे उच्चायोग के कर्मियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाये। पाकिस्तान उच्चायुक्त ने यह कहते हुए खेद व्यक्त किया कि उनकी सरकार हमारे कर्मियों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। और यह मात्र एक व्यक्तिगत घटना है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि इसकी पूरी जांच करायी जायेगी।

पाकिस्तान में हमारे उच्चायोग की सुरक्षा एक चिन्ता का विषय बना हुआ है। हम पाकिस्तान से यह मांग करते रहेंगे कि वह इस्लामाबाद स्थित हमारे उच्चायोग की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने में अन्तरराष्ट्रीय परम्पराओं तथा द्विपक्षीय आचार संहिता के अन्तर्गत अपना उतरदायित्व निभाये।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष महोदय में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰एल॰टी॰-248/98]

टिहरी-हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड आदि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा इनके कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री॰पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : महोदय में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी

का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-249/98]

(ख) (एक) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखरपरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-250/98]

(ग) (एक) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-251/98]

(घ) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-252/98]

(ङ) (एक) नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-253/98]

(च) (एक) नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-254/98]

(3) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-255/98]

(4) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-256/98]

(5) (एक) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिटयूट, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-257/98]

(7) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-258/98]

(9) (एक) एजर्नी मैनेजमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-259/98]

(11) पावर फाईनेंस कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-260/98]

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आदि का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा

विधि, न्याय और कम्पनीकार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-261/98]

(3) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और जल-भूतल परिहवन मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-262/98]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अंतर्गत 28 मई, 1963 को जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 978 में कतिपय संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या, सा॰का॰नि॰ 84 (अ) जो 23 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-263/98]

(5) 1 जनवरी, 1996 से 31 दिसम्बर, 1996 तक की अवधि के लिए एकधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबंधों के निष्पादन संबंधी छब्बीसवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-264/98]

नेशनल म्यूजियम इंस्टियूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कन्जर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी और नेशनल बुक ट्रस्ट आदि का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :-

(1) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टि्यूट ऑफ हिन्स्ट्री ऑफ आर्ट, कन्जर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टि्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कन्जर्वेशन एंड म्यूजियोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-265/98]

(3) (एक) नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कन्जर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कन्जर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-266/98]

(5) (एक) सलार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-267/98]

(7) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संर्स्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰-268/98]

(9) आरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 की धारा 33 के अंतर्गत आरोविल प्रतिष्ठान नियम, 1997 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 10 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 385 में प्रकाशित हुए थे।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰–269/98]

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण (सदस्य, वेतन, भते और सेवा शर्ते) नियम 1998 आदि

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण (सदस्य वेतन, भते और सेवा शर्तें) नियम, 1998 जो 20 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰नि॰ 189 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण (सभापति और उप-सभापति वेतन, भते और सेवा शर्तें) नियम, 1998 जो 20 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 190 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण (अपील) नियम, 1997 जो 11 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 775 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां) नियम, 1998 जो 18 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 224(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰–270/98]

शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा कार्यकरण की समीक्षा

जलभूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उपाबंध।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰–271/98]

(3) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं॰ एल॰टी॰–272/98]

12.04 बजे अपराह्न

सभा की बैठक के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि सामान्य बजट प्रस्तुत करने के लिए सभा आज 5 बजे पुनः समवेत होने के लिए अपराह्न 4 बजे स्थगित होगी।

12.05 बजे अपराह्न

समितियों का निर्वाचन

(एक) राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री एम॰ तम्बी दुरई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 4 (2) के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 (2) (क) के अनुसरण से इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन 10.4.1999 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों का निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 4 (2) के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 (2) (क) के अनुसरण से इस सभा

के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन 10.4.1999 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों का निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5 (1) (i) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5 (1) (i) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.06 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 29 मई, 1998 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 29 मई, 1998 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.07 बजे

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक*

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

महोदय, आपकी अनुमति से, मैं सभा के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगी कि विधेयक के खंड 11 को, जिसमें व्यय समाविष्ट है, मोटे अक्षरों में मुद्रित किया जाना चाहिए था, किन्तु गलती से ऐसा नहीं मुद्रित हो पाया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं, विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 12.08 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश और राजस्थान के अफीम उत्पादकों की फसलों को ओलावृष्टि के कारण हुई हानि के लिए उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिए जाने और उनके लाइसेंसों के नवीकरण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, देश के राजकोष में विदेशी मुद्रा अर्जित कर राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में योगदान देने वाले मध्य प्रदेश व राजस्थान के अफीम उत्पादकों के समक्ष इस वर्ष ओलावृष्टि व फसल में रोग लगने के कारण अप्रत्याशित हानि हुई। इसमें मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला सर्वाधिक प्रभावित हुआ। इससे हजारो उत्पादकों के समक्ष जहां भयंकर आर्थिक संकट खड़ा हुआ है, वहीं विभागीय नियमों के कारण हजारों किसानों के लाइसेंसिंग का नवीकरण भी संभव नहीं होगा। ऐसी दशा में उत्पादक कृषकों को उचित राहत दिये जाने की आवश्यकता है तथा उनके लाइसेंसों का नवीकरण हो सके, इस दिशा में फसल का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कराकर उनकी हानि आंकी जानी थी, जो नहीं किया गया।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 1.6.98 में प्रकाशित।

अतः मेरा वित्त मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह मामला हजारों किसानों के हितो से संबंधित होकर विदेशी मुद्रा के अर्जन से भी संबंधित है। अतः विभाग को त्वरित मार्ग निर्देश देने का कष्ट करें ताकि किसान आश्वस्त हो सकें।

(दो) मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश में छः कम्प्यूटर आरक्षण काउन्टर खोले जाने की आवश्यकता

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : अध्यक्ष महोदय, मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में तीन कम्प्यूटर आरक्षण केन्द्र चल रहे हैं। मेरठ व्यापारिक, औद्योगिक दृष्टि से बहुत बड़ा केन्द्र है और मेरठ में बहुत बड़ा कंन्टोनमैंट एरिया है। मेरठ रेलवे स्टेशन पर पूछताछ का कोई काउंटर न होने के कारण से लोगों को पांच-पांच घंटे लाइन में लगना पड़ता है और बाद में उनको पता चलता है कि उक्त ट्रेन में आरक्षण समाप्त हो चुका है। इस कारण से लोगों को व सैनिकों को भारी असुविधा होती है। मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन से लगभग 1500 आरक्षण प्रतिदिन के हिसाब से हो रहे हैं।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरठ सिटी की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरठ में वर्तमान के तीन आरक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त तीन और कम्प्यूटर आरक्षण केन्द्र तथा एक पूछताछ केन्द्र, जिनमें दूसरा वी॰आई॰पी॰, महिलाओं और विकलांगो तथा तीसरा जनता के लिए खोले जाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर उन्हें जल्दी से जल्दी चालू कराये जाने का कष्ट करें।

(तीन) मध्य प्रदेश के बिलासपुर सहित सभी जिलों में उन लोगो को जिनकी फसलें भारी वर्षा और ओलो के कारण प्रभावित हुई हैं, राहत प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : अध्क्षय महोदय, मध्य प्रदेश राज्य के जिला बिलासपुर सहित सभी जिलों से नवम्बर, 1997 से जनवरी-फरवरी, 1998 तक किसानों की खरीफ एवं रबी फसल में अतिवर्षा तथा ओला-पाला पड़ने के कारण फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। राज्य सरकार सर्वे करा चुकी है, अभी तक किसी प्रकार किसानों एवं मजदूरों को सहायता नहीं दी गई है। राहत कार्य खोलने तथा किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति सहायता की अति आवश्यकता है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि किसानों के हित में फसल क्षतिपूर्ति राशि तथा राहत कार्य खोलने हेतु मध्य प्रदेश को एक अरब रुपये सहायता प्रदान की स्वीकृति प्रदान करें।

(चार) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और अन्य जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर) (हि॰प्र॰) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर एवं जिला ऊना में देश की रक्षा सेवाओं में कार्यरत एवं सेवानिवृत कर्मियों की बहुत अधिक संख्या एवं केन्द्रीय सरकार की सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की अत्यधिक संख्या निवास करती है, लेकिन दोनों ही जिलों में अभी तक केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना नहीं की गई है, जिसके कारण कर्मचारियों को अपने बच्चों की शिक्षा में बहुत कठिनाई आ रही है।

हिमाचल प्रदेश सीमावनी पहाड़ी एवं पिछड़ा राज्य है। इसलिए मेरा आग्रह है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जिला मुख्यालय बिलासपुर एवं जिला मुख्यालय ऊना में एक-एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 1998-99 के वित्तीय बजट में समुचित धनराशि का प्रावधान करके अविलम्ब की जाये ताकि दोनो जिलों में रह रहे सैनिको एवं केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो सकें।

(पांच) नाभिकीय विस्फोटों के दुष्परिणामों पर निगरानी रखने के लिए विशेषज्ञों का दल भेजकर पर्याप्त सुरक्षोपाय किये जाने और जैसलमेर जिले में पोखरण के लोगों को विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

कर्नल सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : महोदय पोखरण की डिफेंस फील्ड रेंज में 11 और 13 मई, 1998 को पांच आणविक परीक्षण किए गए है। मैं इन परीक्षणों की सफलता के लिए योगदान करने वाले वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर कोर के इंजीनियरों और रक्षा कर्मिकों को बधाई देता हूं।

मैने आणविक परीक्षणों से प्रभावित होने वाले आसपास के गांवों का दौरा किया है। मैं खेतोलाई, चाचा और धोलियान गांव के निवासियों से मिला हूं। मैंने उनके मकानों, जलाशयों, पशुओं और आम नागरिक को हुए नुकसान का जायजा लिया है अनेक पक्के मकानों को काफी क्षति पहुची है। गैरतकनीकी व्यक्तियों द्वारा इस नुकसान का आकलन किया गया है। प्रस्तावित मुआवजा नगण्य तथा नितांत अपर्याप्त है।

पानी के भडांरण वाले कुछ भूमिगत जलाशयों में दरारे आ गई हैं तथा वे इतना अधिक क्षतिग्रस्त हो गये है कि उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती। स्थानीय निजी भूस्वामियों को 'फील्ड फायर रेंज' के आसपास अपने खेतों में जाने की अनुमति नहीं है। स्थानीय लोग आणविक परीक्षणों के परिणामों को लेकर काफी सशंकित और भयभीत हैं। कुछ लोग आंखो में जलन होने और गाय का दूध कम हो जाने की शिकायत भी कर रहे हैं।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न कार्यवाही की जाए :

(क) आणविक परीक्षणों के परिणामों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ दल भेजे जाएं तथा पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएं।

माननीय प्रधानमंत्री यहां नहीं हैं। वे वहां गए थे। उनके साथ मैं भी वहां मौजूद था।

अध्यक्ष महोदय : केवल जो मूलपाठ में है कृपया उसे ही पढ़ें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया प्रक्रिया को समझें। यह मामला नियम 377 के अधीन है।

*(व्यवधान)**

कर्नल सोना राम चौधरी : (ख) माननीय प्रधानमंत्री को सिविल और पशु चिकित्सालयों तथा इंदिरा गांधी नहर से पोखरण क्षेत्र तक जलापूर्ति के लिए जलमार्ग के निर्माण हेतु जैसलमेर जिले के अन्तर्गत पोखरण की जनता के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान करना चाहिए।

(छः) 23-29 अक्तूबर 1996 के दौरान हड़ताल में भाग लेने वाले विभागत्तर ऐजंटो की शिकायतें दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री एस॰ अजय कुमार (ओट्टापलम) : लगभग तीन लाख विभागेतर कर्मचारी (एर्जेंट) डाक विभाग में कार्यरत हैं। उनमें से अधिकांश ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचरियों के लिए निर्धारित बोनस-संबंधी पात्रता सीमा समाप्त करने की मांग करते हुए 23 अक्तूबर, 1996 से 29 अक्तूबर, 1996 की अवधि में हड़ताल में भाग लिया था। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उनकी मांगो के पक्ष में सकारात्मक निर्णय लिया और उनकी मांग मान ली गई। साथ ही केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हड़ताल में भाग लेने वालों को उचित छुटटी प्रदान करके हड़ताल की अवधि के लिए मजदूरी प्रदान करने का भी निर्णय लिया। विभागेत्र एर्जेंट किसी प्रकार की छुट्टी के पात्र नहीं हैं। यदि उन्हें छुटटी मंजूर की जाती है तो उनकी मासिक मजदूरी से छुट्टी की अवधि के लिए भत्रे में कटौती करके उन्हें शेष-राशि का भुगतान किया जाएगा। यद्यपि भारत सरकार ने हड़ताल की अवधि को माफ करने का निर्णय लिया था, लेकिन कम मजदूरी प्राप्त करने वाले विभागेत्तर एर्जेंटों के पक्ष में इस निर्णय को इस तर्क पर लागू नहीं किया गया कि वे छुट्टी की अवधि के दौरान मजदूरी पाने के पात्र नहीं है।

डाक प्राधिकारियों का यह निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय की भावना के प्रतिकूल है। इसलिए केरल के डाक कामगारों ने 2.12.1996 से एक आन्दोलन शुरू किया था। तत्कालीन माननीय संचार मंत्री ने इस मसले में हस्तक्षेप किया और केन्द्रीय प्रतिनिधि (एनएफपीई) से वादा किया कि विभागेत्र ऐजंटो को भी हड़ताल की अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में कोई सुधार नहीं हुआ है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस पर गौर करें।

(सात) बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मशरख या बनियापुर में बिजलीघर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : बिहार के सारण प्रमण्डल अन्तर्गत महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति नगण्य है। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र सारण प्रमण्डल के सारण एवं सीवान जिलों के बीच अवस्थिति है एवम् एक प्रमण्डल के तीन जिला मुख्यालयों में विद्युत उपग्रह स्थापित है किन्तु महाराजगंज जिला मुख्यालय नहीं होने के कारण विद्युत आपूर्ति के लिए पड़ौसी जिला मुख्यालयों पर निर्भर रहता है। फलस्वरूप 20 लाख की आबादी वाले इस संसदीय क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की हालत बहुत ही खराब है। इस पूरे संसदीय क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति मात्र 4-5 घंटे ही हो पाती है, वह भी किस्तों में। जिससे न सिर्फ इस क्षेत्र की जनसंख्या को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वरन कृषि व्यवसाय से जुड़े यहां के निवासियों की आर्थिक अवस्था भी प्रभावित ही रही है क्योंकि विद्युत आपूर्ति के अभाव में क्षेत्रीय ग्रामीणों को सिंचाई आदि में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस संसदीय क्षेत्र के मध्य भाग-मशरख अथवा बनियापुर में एक विद्युत उपग्रह की स्थापना की जाए जिसमें इस पूरे महाराजगंज क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सामान्य हो सके एवम् महाराजगंज की जनता को बिजली की किल्लत से राहत मिल सके।

(आठ) एस॰ सी-सी-एल की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से ब्याज के बकाया 663 करोड़ रुपये माफ किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के॰ येरननायडू (श्रीकाकुलम) : भारत सरकार से एस-सी-सी॰एल॰ पर आठवीं योजना के दौरान ब्याज के रूप में बकाया 663 करोड़ रुपये जिसके भुगतान को सरकार ने स्थगित कर दिया है और जिसे नौंवी योजना में चुकाया जाना है, को माफ करने का अनुरोध किया गया है। यह कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत करने तथा दक्षिण भारत में कोयले की मांग को काफी हद तक पूरा करने की दृष्टि से आवश्यक है।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि एस-सी-सी॰एस॰ की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की दृष्टि से 8 वीं योजना के दौरान ब्याज के रूप में बकाया 663 करोड़ रुपये को माफ किया जाये।

(नौ) मुम्बई, महाराष्ट्र स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर झोपड़-पट्टी वासियों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने संबंधी महाराष्ट्र राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : मुम्बई में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर कई वर्षों से लगभग 65,000 झुग्गियां बनी हुई हैं। चूंकि वहां बिजली, शौचालय, पानी, पक्की गलियां आदि जैसी नागरिक सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं, इसलिए इन झोपड़ पटिटयों के निवासियों का जीवन बहुत ही दयनीय अवस्था में है।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस मामले पर संबंधित अधिकारियों के साथ कई बार चर्चा की गई थी लेकिन इसका अभी तक समाधान नहीं किया गया है। महाराष्ट्र सरकार का इन्हें मुम्बई में शुरू की गई आवासीय योजना में शामिल करने का विचार है। केन्द्र सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए और महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर आवासीय योजना को अंतिम रूप देने अथवा वैकल्पिक रूप से इन झुग्गी झोपड़ी निवासियों को नागरिक सुविधाएं शीघ्र से शीघ्र प्रदान करने हेतु अनापत्रि प्रमाण-पत्र देने के लिए कदम उठाने चाहिएं।

(दस) केरल के कोल्लम जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री एन॰ के प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय केरल में कोल्लम जिले का मुख्यालय कोल्लम नगर अत्यधिक आबादी वाला औद्योगिक क्षेत्र है। यद्यपि इस क्षेत्र में भारत सरकार के कई सरकारी क्षेत्र के उद्योग और केन्द्र सरकार के अनेक कार्यालय भी हैं लेकिन समुचित शिक्षा संस्था के अभाव में इस जिले में शिक्षा को धक्का लगा है। अन्य जिलों में तो केंन्द्रीय विद्यालय को सुविधा मिल रही है लेकिन कोल्लम जिले में यह सुविधा नहीं है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि कोल्लम जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर विचार किया जाये।

(ग्यारह) नारियल का समर्थन मूल्य 5,000 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किये जाने और किसानों से खोपरा खरीदने के लिए "नेफड" और अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिये जाने की आवश्यकता

श्री पी॰ शंकरन (कालीकट) : महोदय, मेरा नाम सूची में है। ...*(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अब बोल सकते हैं।

श्री पी॰ शकरन : मैं सरकार का ध्यान केरल के नारियल की खेती करने वाले हजारों किसानों की समस्याओं की ओर खींचना चाहता हूं। नारियल की खेती केरल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अतः नारियल के मूल्यों में किसी भी प्रकार की कटौती से केरल के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

मुझे यह कहते हुये अफसोस है कि नारियल का बाजार मूल्य घटकर 2,555 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसका समर्थन मूल्य, जो केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष घोषित किया करती थी, अभी तक घाषित नहीं किया गया है। इसका समर्थन मूल्य कम से कम 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तत्काल निर्धारित किया जाये। नाफेड और अन्य सरकारी एजेंसियों को खोपरा की वसूली करने की जिम्मेदारी सौंपी जाये अन्यथा इससे केरल के किसानों को अपूरणीय क्षति होगी और उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, शून्य काल के लिए 24 सदस्यों के नाम सूची में हैं।

(व्यवधान)

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी) : महोदय, मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला उठाने की अनुमति दी जाये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभी को बोलने का अवसर देना होगा। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। शून्य काल के लिए 24 सदस्यों के नाम सूची में हैं, क्या मैं सभी माननीय सदस्यों से केवल दो-दो मिनट का समय लेने के लिए अनुरोध करूं ताकि मैं सभी सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान कर सकूं। अब श्री टी॰ गोविन्दन बोलें।

श्री टी॰गोविन्दन (कासरगोड) : मैं केंद्र सरकार और माननीय वाणिज्य मंत्री का ध्यान सरकार द्वारा हाल ही में घोषित आयात-निर्यात नीति के फलस्वरूप केरल में रबड़ और खोपरा के मूल्य में आई गिरावट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। केरल सरकार ने भारत सरकार के समक्ष अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। केरल के संसद सदस्यों ने 27 की प्रातः धरना दिया था जिसे मैं आशा करता हूं कि माननीय वाणिज्य मंत्री ने संभवतः देखा होगा। माननीय प्रधान मंत्री और माननीय वाणिज्य मंत्री को प्रस्तुत ज्ञापन पूर्णतः स्पष्ट और स्वव्याख्यात्मक हैं। इस समय रबड़ और नारियल की खेती करने वाले किसानों की भी वही स्थिति है जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कपास की खेती करने वालों की है। सरकार रबड़ उत्पादकों को बचाने के लिए कोई निर्णय नहीं ले रही है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह रबड़ और नारियल की खेती करने वालों को बचाने के लिए कुछ उपाय करें।

अतः, मैं यह मांग करता हूं कि प्रयुक्त टायरों और प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाये। सरकार को अपरिष्कृत और प्राकृतिक फोम रबड़ उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए पोलियूरेथेन के आयात पर रोक लगानी चाहिए। सरकार को प्राकृतिक रबड़ के आयात को सीमित करना चाहिए और रबड़ उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विदर्भ प्रदेश जो लगातार उपेक्षा का एक क्षेत्र बन गया है और वहां की जनता इस अन्याय के खिलाफ अपना असंतोष प्रकट कर रही है तथा उन्होंने अलग विदर्भ राज्य की मांग की है जो सदन के सामने है। इस लगातार उपेक्षा के कई उदाहरण मैं आपके समक्ष दे सकता हूं। विकास का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे इरिगेशन की बात हो या इलैक्ट्रिसिटी की बात हो, हर मामले में विदर्भ की उपेक्षा हुई है। विदर्भ में विद्युत का उत्पादन होता है, लेकिन वहां के लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है। आज मैं जिस बात को लेकर आपके सामने सदन में न्याय मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं, वह विदर्भ से ही संबंधित है। सन् 1981 में महाराष्ट्र राज्य के तब के मुख्यमंत्री, श्री अन्तुले ने महाराष्ट्र के विकास के लिए, विशेषकर विदर्भ के विकास के लिए 33 बिन्दुओं का एक फार्मूला बनाया था। इसमें एक बिन्दु था कि नागपुर में इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंस के निर्माण का

[श्री विलास मुत्तेमवार]

निर्णय। इसका समर्थन इनके बाद हर मुख्यमंत्री ने किया और हमारे विरोध पक्ष के नेता, श्री शरद पवार जी, ने भी इस इंस्टीट्यूट के नागपुर में बनाये जाने के निर्णय का हमेशा समर्थन किया था। लेकिन अब जो सरकार आई है, उसने इस निर्णय को नजरअन्दाज कर दिया है और अब इसको नासिक में स्थापित करने का निर्णय लिया है तथा इसका भूमिपूजन दस तारीख को हो रहा है। मैं सदन को बताना चाहता हूं, नागपुर में सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं और नागपुर देश के मध्य भाग में स्थित है तथा ट्रांसपोर्ट व एकेडेमिक की दृष्टि से भी यह उचित और योग्य स्थान है। इस मांग को लेकर वहां और सरकार के इस निर्णय के विरोध में यहां की जनता आन्दोलन कर रही है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है; विदर्भ की जनता, विशेषकर नागपुर के साथ जो अन्याय हो रहा है, को न्याय दिलाने में हमारी मदद करें तथा प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि वे महाराष्ट्र सरकार ने इस विद्यापीठ को जो नासिक में लगाने का एबरप्टली निर्णय लिया है, उसके रोकने में हमारी मदद करें और विदर्भ के साथ इस तरह के अन्याय को आप रोकेंगे ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं।

[अनुवाद]

श्री वी॰ सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम) : अध्यक्ष महोदय तमिलनाडु में हजारों मछुआरे रामेश्वरम, भोंडी कीलाकुरल इर्वाद्री, वालीनोक्कम और मुकाईयूर तटीय क्षेत्रों में यंत्रीकृत नावों से गहरे समुद्र में जाया करते है और केवल निर्यात की जाने वाली मछलियां ही पकड़ते हैं। पिछले पंद्रह दिनों से मछली बाजार के निर्यातकों ने सामान्य और उपयुक्त मूल्य देने से मना कर दिया है, जैसा वह पहले दिया करते थे। यह खेदजनक है कि निर्यातक बता रहे है कि भारत में नाभिकीय परीक्षणों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार मंदा पड गया है। यह सच नहीं है। इन क्षेत्रों के सभी निर्यातक आपस में मिलकर मछुआरा समुदाय का शोषण करने का प्रयास कर रहें। मछुआरे मछली पकडने को तैयार नहीं है, क्योंकि दिए जाने वाले मूल्य की तुलना में मछलो पकड़ने का खर्च बहुत बढ़ गया है। हजारों मछुआरे परिवार इस असाधारण स्थिति के कारण बहुत मुसीबत में हैं। हमारी सरकार निर्यातकों को उचित मूल्य दिलवाने के लिए तत्काल कदम उठाएं और इस प्रकार तमिलनाडु में गरीब मछुआरा समुदाय के लोगों को भूखों मरने से बचाए।

श्री था॰ चौबा सिंह (आंतरिक मणिपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जनता पर अत्याचारों और पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में हेराफेरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के पहले और बाद में 65 व्यक्ति मारे गए। मृतकों में उम्मीदवार और महिलाएं भी शामिल है।

पंचायत चुनावों में राजनीति और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की निचले स्तर पर भागीदारी होती है। इस तरह की व्यापक हिंसात्मक हेराफेरी और मतदान केन्द्रों पर कब्जे की घटनाएं लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है।

भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को पंचायत चुनावों के पूर्व तथा बाद में आतंकित किया। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं। बहुत से मकानों को जलाकर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को बेघर कर दिया गया है। बलात्कार तथा पैसा वसूल करने के मामलों की भी सूचना मिली है।... *(व्यवधान)*

चुनाव के बाद में हुई हिंसा से पीड़ित व्यक्ति कलकत्ता के लिए पलायन कर गए हैं, क्योंकि वे अपने घर, गांव और कस्बों में असुरक्षित महसूस करते हैं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबा सिंह जी, आपको पढ़ना नहीं चाहिए, केवल अपने मुद्दे रख सकते हैं। शून्यकाल के दौरान, आपको कोई कागज नहीं पढ़ने चाहिए।

श्री था॰ चौबा सिंह : महोदय, मैने नियम 377 के अंतर्गत सूचना दी है।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : वह आधारहीन आरोप लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबा सिंह जी, आप अपने मुद्दों का उल्लेख करें, किंतु आपको पढ़ना नहीं चाहिए। कृपया अब समाप्त करें।

श्री था॰ चौबा सिंह : पंचायत चुनावों के निर्बाध पूरा करवाने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री था॰ चौबा सिंह : पश्चिम बंगाल के मामले में, न केवल राज्य सरकार चुनावों के दौरान काननू व्यवस्था बनाए रखने में असफल रही है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा। अब श्री अहमद बोलेंगे ।

(व्यवधान)...*

श्री रूपचन्द्र पाल : महोदय, उन्होंने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही वृत्रांत से हटाया जाना चाहिए।

श्री ई॰ अहमद : महोदय में लोक हित के अति महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूं, जो इस सभा में ग्यारहवी लोक सभा के दौरान भी उठाया गया था।

मैं टाडा के अंतर्गत अभी भी सड़ रहे कैदियों के संबंध में सरकार की नीतियों के बारे में जानना चाहता हूं। यद्यपि टाडा को समाप्त कर दिया गया है, तो भी हजारों कैदी जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। सरकार को या तो उनके मामलों की समीक्षा करनी चाहिए और यदि वे दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें दोषी ठहराना चाहिए अथवा उन्हें छोड़ा जाना चाहिए। हमारा लोकतांत्रिक राज्य है और इस बात का हमें गर्व है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना रहे हैं।

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किंतु जो भी सरकार सत्ता में आई, वह टाडा कैदियों के मामले में सुस्त और निष्क्रम रही है।

महोदय, मानवाधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यह इसी तरह है कि जैसे राजा के मरने के बाद कहा जाए 'राजा अमर रहें'। टाडा को समाप्त कर दिया गया है, किंतु कैदी अभी भी जेलों में सड़ रहे हैं।

मैं इस मामले में संरकार की नीति जानना चाहता हूं कि क्या मानवधिकार के मुद्दे पर उनके मामलों की तत्काल समीक्षा की जाएगी और क्या उनके साथ प्राकृतिक न्याय किया जाएगा। केवल यही एक मामला है जो मैं यहां उठाना चाहता हूं। ये टाडा कैदी जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। **कुलियों** से लेकर फिल्म कलाकार तक को टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, और जो इसमें बाहर निकल जाने की स्थिति में थे वे पहले ही निकल चुके हैं। कितु गरीब लोग और जो इससे संबद्ध भी नहीं हैं, छोटे बच्चों सहित जेलों में सड़ रहे है।

अतः मैं सरकार से इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं।

मैं प्राथमिकता का एक और मामला उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अभी बहुत से सदस्यों को बोलना है और कृपया उन्हें बोलने दें।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : मेरे पास इस सभा में उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। जहां तक मेरी जानकारी है, भारत में प्रत्येक मान्यता प्राप्त भाषा अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली परीक्षाओं में माध्यम बन सकती है किंतु व्यवहार में, अग्रेजी ने ऐसी स्थिति हासिल कर ली है कि वह सभी भाषाओं पर परीक्षार्थियों की नियति बन चुकी है। यद्यपि अधिकारिक तौर पर यह प्रावधान है कि प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक मान्यता प्राप्त भाषा में दिया जा सकता है; राज्य परीक्षाओं में भाग लेने वाले उम्मीदवारों ने शिकायत की है कि परीक्षक किसी अन्य भाषा की तुलना में अंग्रेजी को महत्व देते हैं। यदि उम्मीदवार लिखित अथवा साक्षात्कार में अंग्रेजी में प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, तो उनका चयन नहीं किया जाता है। ये अनुभव उम्मीदवारों की आपसी बातचीत में परिलक्षित होते हैं। तब, जो उम्मीदवार अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है तो उसे हतोत्साहित किया जाता है और वह अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है, तो वास्तव में वह उसके लिये घातक बन जाता है।

अतः मैं सरकार से परीक्षार्थियों द्वारा अखिल भारतीय प्रतियोगीता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए माध्यम के रूप में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने में प्रगति के लिए कदम उठाने हेतु अनुरोध करता हूं। परीक्षा लेने के कार्य में लगे लोगों को भी समुचित अनुदेश दिए जाने चाहिए ताकि वे अखिल भारतीय प्रतियोगीता परीक्षाओं में सफलता के लिए अंग्रेजी को महत्व न दें।

प्रतियोगीता परीक्षाओं में सफलता के लिए समुचित भाषा के रूप में मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए।

श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम) : महोदय, मैं लोक महत्व और राष्ट्रीय महत्व के एक मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो आंध्र प्रदेश के कोट्टागुडम और खम्माम के आसपास के क्षेत्रों में स्थित सिंगारेनी कोयले की खानों में संपूर्ण हड़ताल से उपजा है। कोट्टागुडम और उसके आसपास स्थित कोयला खानों में दो लाख से अधिक कार्यरत कामगार 25 मई, 1998 से संपूर्ण हड़ताल पर हैं।

अन्य छोटी मोटी मांगों के अलावा, कोयला कामगारों की मुख्य मांगे हैं कामगार की अपगंता पर उनके बच्चों को रोजगार दिया जाये और वेज बोर्ड की सिफारिशों पर आधारित अंतरिम राहत दी जाये। वस्तुत इन सिफारिशों पर राज्य सरकार से चर्चा की गई थी। सरकार ने एक बैठक की, किंतु वे इस तर्क से सहमत नहीं है कि ये मामले केन्द्र सरकार से संबद्ध हैं और उनके करने के लिए कुछ नहीं है, यद्यपि भारी संख्या में कामगार हड़ताल पर हैं।

वहां कोयले का उत्पादन घट गया है और इस कारण ताप विद्युत इकाइयों के लिए आपूर्ति तंत्र ठप्प पड़ं गया है और कोयले की कमी के कारण ताप विद्युत इकाइयों को बंद करने का खतरा पैदा हो गया है।

मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप कर इस मामले को निपटाना चाहिए।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित एच॰ई॰सी॰ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह इंडस्ट्री मदर इंडस्ट्री कहलाती है और उससे लाखों परिवार अपना गुजर-बसर करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जब भी अध्यक्ष और निदेशक के पदों पर बहाली हुई तो रिटायर्ड लोगों की बहाली हुई, और वह साल-दो-साल रहे और कारखाने की और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से कारखाने की हालत बिगड़ती गयी। केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों से जो उसे वर्क-आर्डर मिलना चाहिए था वह भी उसे नहीं मिला। उसमें भी गलत काम करने के बाद प्राइवेट लोगों को वर्क-आर्डर देने का काम किया जाता है। इसी कारण केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठान की हालत बिगड़ती जा रही है। इस बिगड़ती हालत की ओर पिछली सरकार का भी ध्यान दिलाया गया था और इस बार भी संबंधित मंत्री और प्रधानमंत्री जी से कहा गया है कि वे प्रतिष्ठान के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि वे विज्ञापन निकालकर योग्य व्यक्तियों का निदेशक और अध्यक्ष के पदों चुनाव करें, जिससे वर्क आर्डर अधिक से अधिक मिले, इस सरकार का यह निर्देश होना चाहिए। अभी कोल-इंडिया से 500 करोड़ रुपये का वर्क-आर्डर निकला है, जिसमें एक मात्र एच॰ई॰सी॰ ने ही अपनी निविदा भरी है और उसके लिए वर्ड बैंक के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कुछ विदेशी कंपनियों से करार कराया जाए। यह दुर्भाग्य की बात है। सरकारी प्रतिष्ठानों के द्वारा ही सरकारी प्रतिष्ठानों का काम कराया जाए तभी यहां के जो कल कारखाने हैं वह जीवित रह सकते है। ...*(व्यवधान)* इस कारखाने के लिए काफी जमीन ली गयी है और वह जमीन एच॰ई॰सी॰ बेचने का काम कर रही है और विस्थापितों को नौकरी नहीं मिल रही है तथा उनके आश्रित परिवार के लोगों को पानी और

[श्री राम टहल चौधरी]

बिजली भी नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति वहां उत्पन्न हो गयी है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए मैं आपके द्वारा केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : अध्यक्ष जी, मैं ऊधमपुर क्षेत्र से आता हूं। वह ऐसा क्षेत्र है जो उग्रवाद से पूरी तरह ग्रस्त है। पिछले महीने की 17 तारीख को मेरे निर्वाचित होने का रिजल्ट निकाला था और 18 तारीख को वहां 26 लोगों को मार दिया गया था। उसके एक सप्ताह के अन्दर देसा के अन्दर 10 और लोग मारे गए। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप लगभग 10 हजार परिवार ऐसे हैं जो अपना घर-बार छोड़कर इस समय अलग-अलग जगहों में रुके हुए हैं। कोई रिआसी में हैं, कोई कम्पाल में हैं और कोई दूसरे गांवों में हैं। हमारे होम मिनिस्टर पहले ऐसे होम मिनिस्टर हैं जिन्होंने मौके पर जाकर सारी परिस्थति को देखा। उन्होंने सारी घटना का अध्ययन किया। उस समय उन्होंने आर्डर किया था कि जब तक ये लोग सम्मानपूर्वक अपने घरों में वापिस नहीं जाते, तब तक सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह उनके राशन और ठहरने की व्यवस्था करे। लेकिन होम मिनिस्टर के आर्डर के बावजूद वहां की सरकार ने उनकी तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। इस समय दस हजार परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी को किसी तरह का राशन नहीं मिल रहा है। उनके घर लूट लिए गए हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह तुरन्त जम्मू-कश्मीर की सरकार को यह कहे कि इन सभी विस्थापित लोगों को राशन दें और इनके ठहरने की तब तक योग्य व्यवस्था करे जब तक कि ये लोग अपने घरों में सम्मान से वापिस नहीं चले जाते। हम चाहेंगे कि ये अपने घरों को वापिस जाएं। सरकार इनकी खाने-पीने और ठहरने की व्यवस्था कर जिम्मेदारी निभाए। यही मेरी प्रार्थना है।

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली सरकार ने सिक्ख भावनाओं को देखते हुए सिक्ख महिलाओं को दो पहिया वाहन चालक के रूप में और अतिरिक्त सवारी के रूप में जाने पर हैलमेट पहनने की छूट दी है। दुख की बात है कि दिल्ली पुलिस उनको परेशान करती है और इस फैसले को लागू नहीं करती है। मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस फैसले को लागू करवाएं जिससे उनकी परेशानी को रोका जा सके। दूसरे देश जैसे अमेरिका और कैनेडा में यह कानून लागू किया जा रहा है, लेकिन दुख की बात है कि यह दिल्ली में लागू नहीं हो रहा है। इसको लेकर सिक्ख सम्प्रदाय में बहुत रोष है। कल मुझे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अमृतसर का डेलिगेशन मिला। उनकी भावनाओं को देखते हुए, मेरा निवेदन है कि यह फैसला तुरन्त लागू किया जाए।

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा) : अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र में बन रहे पलामू फील्ड फायरिंग रेंज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे ही इस फील्ड फायरिंग रेंज की जानकारी लोगों को मिली है, तब से उसको लेकर लोगों के बीच दहशत का माहौल हो गया है। क्षेत्र में लड़के-लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। सारे विकास के कार्य बंद हो गए हैं। जो भी थोड़े बहुत कार्य चल रहे हैं, उनमें लूट-खसोट बढ़ गई है। इस फील्ड फायरिंग रेंज को अगर मेरे क्षेत्र में बनाया जाएगा तो करीब-करीब छः लाख लोग विस्थापित होंगे और हजारों करोड़ रुपए की जमीन बंजर हो जाएगी। सेना के जवानों को प्रशिक्षण मिलना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन विनाश की दर पर विकास हो, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना वहां की जाए, जहां लोगों को विस्थापित न होना पड़े, या बहुत कम आबादी इससे प्रभावित हो। मैं रक्षा मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र हरिजन, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इसमें पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जो फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना का निर्णय किया गया है, वह जनहित में नहीं है। अतः वह इसका कार्यान्वयन रुकवाएं जिससे गरीबों और पिछड़ों का शोषण न हो सके तथा लोगों को विस्थापित न होना पड़े।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, भारत सरकार ने जूट उद्योग को बचाने के लिए 1987 में जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 बनाकर बहुत बड़ा कदम उठाया था। इस जूट पैकेज सामग्री अधिनियम का विशेषकर सीमेंट्र उद्योग द्वारा इसका सम्मान करने और उसे लागू करने के बजाए इसे ज्यादातर उल्लंघन किया गया। अंततः कुछ निहित समूह उच्चतम न्यायालय गए और उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार के अधिनियम को बरकरार रखा। 1955 में, उच्चतम न्यायालय के दिए गए निर्देशों के अनुसार एक मंत्रणा समिति गठित की गई थी, जिसने 1955 में निर्णय दिया कि सीमेंट उद्योग कम से कम 50 प्रतिशत जूट पैकेज सामग्री का प्रयोग करेंगे, उर्वरक उद्योग भी 50 प्रतिशत जूट पैकेज सामग्री का प्रयोग करेंगे और खाद्यान्न और चीनी उद्योग को 100 प्रतिशत जूट पैकेज सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। किंतु हमने देखा है कि सीमेंट उद्योग ने इस आदेश का पूरी तरह से उल्लंघन किया है और अब हमें बताया गया है कि और भी अधिक इस आदेश को उदार बनाया जा रहा है। इस पर कार्यवाही चल रही है। आज पश्चिम बंगाल सरकार के दो मंत्री श्री शांति घटक, श्रम मंत्री और मो॰ अमीन, अल्पसंख्यकों के हितों आदि के प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मिला और उन्हें इस केन्द्रीय अधिनियम के उल्लंघन के बारे में बताने की कोशिश की। इस अधिनियम के अनेकों प्रावधानों का उद्योगों द्वारा विशेषकर सीमेंट और चीनी उद्योग द्वारा भी, उल्लंघन किया गया।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अधिनियम के कई प्रावधान इस उद्योग को बचाने के लिए सख्ती से लागू किए जाएं। यह पूर्वी भारत के संगठित क्षेत्र में सबसे बड़े उद्योगों में से एक है और इसमें 2.50 लाख से भी अधिक कामगार कार्यरत हैं। पांच लाख से भी अधिक जूट पैदा करने वाले परिवार इस उद्योग पर निर्भर हैं। जूट सामग्री का भविष्ट उज्जवल है और इसका बाजार बढ़ता जा रहा है। यह प्राकृतिक रेशा है। यह उद्योग कुछ नकारात्मक कारकों के कारण फल-फूल नहीं सका।

मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि सीमेंट उद्योग और उर्वरक उद्योग द्वारा 50-50 प्रतिशत तथा खाद्यान्न और चीनी उद्योग द्वारा 100-100 प्रतिशत प्रयोग करने संबंधी 1955 के

आदेश को और उदार न बनाया जाये। सीमेंट लॉबी और अन्यों के दबाव में और उदारीकरण करने का निर्णय किया जा रहा है।

मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच की जाए, ताकि जूट उद्योग जो अत्यंत महत्वपूर्ण है को बचाने की अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकें।

डा॰ असीम बाला (नवद्वीप) : यह बहुत गंभीर मामला है मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसे गंभीरता से लें।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से अति राष्ट्रीय महत्व का एक विषय उठाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां विदेशी भाड़े के सैनिक भेजकर चालू कराई जा रही हैं। अभी पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद उसने इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का प्रयास तेज कर दिया है। मेरा भारत सरकार से इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से अनुरोध है कि कश्मीर में जब तक पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद नहीं करता, पाकिस्तान के साथ किसी भी वार्ता में भारत सरकार को सम्मिलित नहीं होना चाहिए। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का मामला है।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष जी, हमने भी बहुत महत्व का प्रश्न दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम लिस्ट से नाम बुला रहे हैं।

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर) : अध्यक्ष महोदय, 28 मई, 1998 से सादा नमक खाने, रखने या उसका कैसे भी प्रयोग करने पर कानूनन प्रतिबंध लगाया गया है। इस कानून को भंग करने पर व्यक्ति को एक हजार रुपया जुर्माना या छः माह कैद की घोषणा की गई है। मैं इस सदन में यह कहना चाहती हूं कि हमें इतिहास की ओर गौर से देखना चाहिए, जब अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर थोप दिया था तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था। अतः मैं नम्र निवेदन करती हूं कि इस कानून को फिर से देखा जाए क्योंकि आयोडाइज्ड नमक की जरूरत पूरे देश के लोगों को नहीं है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो लोग रहते हैं उन लोगों में आयोडीन की थोड़ी बहुत कमी दिखायी देती है पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम आदि हैं। आयोडीन की कमी के कारण मात्र तीन लाख लोगों में गॉयटर रोग होने के लक्षण दिखायी दिये हैं। यह जरूरी है कि इस रोग को दूर करने के लिए इस और अवश्य ध्यान देना चाहिए। किंतु इन तीन लाख लोगों के कारण इस देश की सौ करोड़ जनता के ऊपर यह कानून थोप देते हैं, जो ठीक नहीं है।

मैं मंत्री जी से एक बात और कहना चाहती हूं कि "यूनीसैफ" के बुलेटिन में लिखा गया है कि आयोडीन हवा में उड़ जाता है और खुले में रखने पर उसका वाष्पीकरण बहुत जल्दी होता है। आयोडीन नकम का लेबोरेटरी में परीक्षण होगा तो उसकी पृथकीकरण होगा, उसकी रिपोर्ट अलग-अलग आयेगी और उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जो सादा नमक गरीब जनता को 50 पैसे प्रति किलो मिलता है, वह आयोडाइज्ड होने से पांच से सात रुपये प्रति किलो मिलेगा। क्या यह गरीब और सामान्य जनता के ऊपर अत्याचार नहीं है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि आयोडाइज्ड करने के लिए जो पोटेशियम आयोडीन चाहिए वह हमें विदेशों से लेना पड़ता है। पूरे देश का 70 प्रतिशत नमक मेरे क्षेत्र गुजरात में होता है। इसलिए इस कानून से बहुत बड़ा असर होता है। मैं सदन में आपसे नम्र निवेदन करना चाहती हूं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और जो कानून है इस कानून को फिर से देखें, इसका रिव्यू करें, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दि॰ 7.5.1998 को उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा, चम्पावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर इन चार जिलों में भीषण अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से फलों और फसलों की भारी बरबादी हुई है और खेती की सैकड़ों एकड़ भूमि का कटाव हुआ है। किसानों के पास इस समय न तो उनकी फसल है और मोटर मार्ग और पुल ध्वस्त होने से करीब 20 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान वहां पर हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसमें तात्कालिक राहत के रूप में राज्य सरकार ने जो अपना अंशदान दिया है वह बहुत ही न्यून है और केन्द्र सरकार की ओर से विशेष सहायता के रूप में कम से कम 20 करोड़ रुपये 7 मई 1998 की अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए दिया जाए जिससे कि वहां की आम जनता को राहत मिले और जो मोटर मार्ग और पुल बह गये हैं उनका निर्माण कार्य भी हो सके।

श्री पुन्नु लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, से नम्र निवेदन है कि बिलासपुर मुख्यालय में नए रेलवे जोन के गठन हेतु काफी लंबे समय से जनांदोलन जारी है। 15 जनवरी, 1996 से आन्दोलन के उग्र होने से करोड़ों रुपए की क्षति भी हो चुकी है। महीनों तक क्रमिक भूख हड़ताल, कोयला लदान बंद, संभाग बंद के पश्चात् अब 30 मई से छात्र युवा जन संघर्ष समिति के कार्यकर्ता दिल्ली में जंतर-मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत चिन्ताजनक है।

30, जनवरी, 1996 को 11वीं लोक सभा में उस समय के विपक्ष के नेता और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी रेलवे को सर्वाधिक आय देने वाले बिलासपुर मंडल को रेलवे जोन बनाने की मांग की थी।

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि वह बिलासपुर मुख्यालय में अविलंब रेलवे जोन बनाए जाने की घोषणा करे ताकि छात्र युवा जन संघर्ष समिति अपने आन्दोलन को समाप्त कर सके।

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, म॰प्र॰ में इस वर्ष भीषणतम अकाल है। राज्य सरकार के पास सभी जिलों के कलैक्टरों ने आंकड़े भेजे हैं। खरीफ की फसल नष्ट हो गई। रबी की फसल नष्ट हो गई। अकेले मेरे संसदीय क्षेत्र बालाघाट जिले में 1252 गांवों में से 1251 गांवों में से फसल आनावारी

[श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन]

50 पैसे रकम आई है। राज्य सरकार ने राहत का कोई कार्य नहीं खोला है। भारत सरकार के पास कांग्रेस सरकार ने अपना पक्ष ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया और न ही सांसदों के साथ बैठकर कोई चर्चा की। अपना पक्ष जवाबदारी से न रखने के कारण म॰प्र॰ को कोई राहत नहीं मिल सकी है। वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं। कोई राहत कार्य चालू नहीं किए गए हैं। सिर्फ बालाघाट जिले में 50 लाख रुपए राहत कार्य के लिए दिए गए हैं। बालाघाट में चार लाख कृषि मजदूर हैं। इन 50 लाख रुपयों में से 10 प्रतिशत मजदूरों को भी काम नहीं मिल पाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैरी आपके माध्यम से भारत सरकार के कृषि मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वे म॰प्र॰ के मुख्यमंत्री को विशेष रूप से आहूत करें और उनके तथा म॰प्र॰ के सभी सांसदों के साथ एक विशेष बैठक करें ताकि इस विकराल स्थिति से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकें।

अध्यक्ष महोदय, यह न केवल मेरे संसदीय क्षेत्र बल्कि पूरे म॰प्र॰ का मामला है। म॰प्र॰ के 40 जिले अकाल की चपेट में हैं। वहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। लोग मौत से मर रहे हैं। कृषकों के पास कृषि कार्य के लिए बीज नहीं है। सरकार ने उनको आर॰बी॰सी॰ के तहत कोई मुआवजा भी नहीं दिया है। मवेशियों के चारे का कोई प्रबन्ध नहीं है। मेरा निवेदन है कि कृषि मंत्री महोदय, सांसदों के साथ बैठकर अधिकारियों एवं सांसदों की एक जांच कमेटी बनाएं जो सभी अकाल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करे और इस समस्या से निपटने के लिए समाधान प्रस्तुत करे। महोदय यदि ऐसा नहीं किया गया, तो मैं अभी कहता हूं कि आने वाली बरसात में वहां खेती नहीं हो सकेगी। वहां बीज का प्रबंध नहीं है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह कृषकों की हर प्रकार से मदद करने के लिए प्रदेश सरकार को यहां से निर्देशित करे।

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान किसानों की ज्वलंत समस्याओं की ओर उठाना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं या केन्द्रीय सरकार की सहायता से प्रदेशों में चलने वाली योजनाएं जिनके अंतर्गत किसानों के खेतों पर काम किया जाता है, लेकिन उनकी कृषि भूमि का उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जब केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को पैसा दे, तब यह कंपलशन होना चाहिए कि जिस किसान के खातेदारी की भूमि पर काम कराया जाए, उसको पहले मुआवजा दिया। मुआवजा दिए जाने के बाद ही किसानों की भूमि पर काम कराया जाए।

अध्यक्ष महोदय, अभी सिंचित क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान में काम चल रहे हैं। चाहे वह चंबल योजना हो या कोटा योजना हो। उनके तहत किसानों की भूमि पर ड्रेनेज खोदी जा चुकी है। नहरें निकल चुकी हैं, लेकिन किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है जो पे आर्डर 1996 में जारी किए गए थे, उनका भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। उनके भुगतान के लिए बजट में कोई प्रोवीजन नहीं किया गया है। भारत सरकार से जो पैसा आता है उसे दूसरे मदों पर खर्च कर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, किसानों को उनकी भूमि का जो मुआवजा दिया जाता है, वह बहुत नामिनल होता है। जो बाहर रेट मौजूद होता है, उससे बहुत कम मुआवजा दिया जाता है और उसमें भी किसानों को उनकी पूरी भूमि का मुआवजा नहीं दिया जाता है और पे आर्डर की पालना नहीं हो रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं गांव मोतीपुरा जिला बूंदी के कालू सुपुत्र देवा की सिंचित क्षेत्र विकास योजना के अधीन भूमि ली गई, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया। इसी प्रकार से नंदू बेरवा की भूमि पर बाएं भाग की मुख्य नहर कोटा बन चुकी है। अनुसूचित जाति के इस व्यक्ति को 1.3.1996 को पे आर्डर नं॰ 191 भू–आवास, तहसीलदार कोटा ने भुगतान के आदेश दिए, लेकिन पे आर्डर का भुगतान नहीं हुआ। ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जिनमें पे आर्डर जारी किए गए हैं, लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ। 1996 से 1998 आ गया लेकिन पे आर्डरों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राज्य सरकारों को इस बारे में यहां से आदेशित किया जाए कि जिन किसानों की भूमि अधिगृहित की गई है, उनको तत्काल मुआवजा दिया जाए। मैं विशेष रूप से राजस्थान सरकार को यहां से आदेशित करने का आग्रह करूंगा ताकि गरीब किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा मिल सके। धन्यवाद।

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूं। भारत के उच्चतम न्यायालय को दिए गए विधिवत आश्वासनों की उपेक्षा करते हुए कर्नाटक सरकार भारत सरकार द्वारा दी गई ऊंचाई की अनुमति से ऊपर अलमती बांध का निर्माण कर अतिक्रमण कर रही है। इससे आंध्र प्रदेश के हित भयानक रूप से प्रभावित होंगे।

यह पूरे आंध्र प्रदेश के किसान समुदाय के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। आपको भी इस विवाद की जानकारी है। पिछली सरकार के शासन काल में कर्नाटक सरकार को संरक्षण और समर्थन मिल रहा था। कम से कम बदले हुए परिदृश्य में तो मैं आशा करता हूं और इस सरकार से तुरन्त हस्तक्षेप करने और अनधिकृत निर्माण तुरंत रोकने का अनुरोध करता हूं। अन्यथा यह बहुत बड़ा अंतरराज्यीय विवाद बन जाएगा और इससे काफी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री और भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस अनधिकृत निर्माण के मामले को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में आदिवासी वित्त विकास निगम का गठन किया गया है और निगम में आदिवासियों की सुख–सुविधा के लिए, उनके विकास के

लिए अनेक योजनाएं बनाई गयी हैं। परन्तु वर्तमान समय में 1996 से लेकर आज तक अनेक ऐसी योजनाओं का लाभ आदिवासियों को मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से जो नीतिसंगत विषय बनाया है, उस नीति के अनुरूप कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं जिसके बारे में मैंने उल्लेख किया है कि पिछले समय रायपुर निवासी अशोक कुमार नाम के व्यक्ति को एक बस दी गई थी परन्तु उसको अभी तक परमिट नहीं दिया गया। इसी तरह जिन आदिवासियों को बस के लिए ऋण दिया गया है, उनसे 6 परसेंट ब्याज लेना था परंतु मध्य प्रदेश सरकार और कारपोरेशन उनसे 12 परसेंट से लेकर 14 परसेंट तक ब्याज वसूल कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गंभीर अपराध है। इसी प्रकार इस वित्त विकास निगम के माध्यम से हजारों आदिवासियों को भारत सरकार की तरफ से टाटा कम्पनी की गाड़ियां देनी थीं परंतु उनको टाटा कम्पनी की गाड़ियां न देकर स्वराज माजदा कम्पनी की गाड़ियां दी गयी। ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें 15 करोड़ रुपये के ऐसे मामले सामने आये हैं। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं और आपकी अनुमति से भारत सरकार से इस पर कठोर कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन आदिवासियों को वह सुख-सुविधा मिलनी चाहिए थी, उनको वह नहीं दी गयी। अशोक कुमार नाम के एक व्यक्ति को परमिट नहीं दिया गया। उसको कमिश्नरी के सामने अपने आप आत्महत्या करनी पड़ी। यह गंभीर अपराध है। वित्त विकास निगम के अध्यक्ष ने भी वहां के एम॰डी॰ पर चार्ज लगाया कि एम॰डी॰ के रहते हुए और इस विभाग के मिनिस्टर के संरक्षण में जिन लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं, जो आवंटन देने थे, उन आवंटनों का लाभ आदिवासियों को न मिलकर बड़े-बड़े लोगों को मिला।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस पर गंभीरता से चिन्ता करें चूंकि यह सम्पूर्ण मामला मध्य प्रदेश के आदिवासियों का है। मैं यह भी मांग करता हूं कि भारत सरकार इस मामले की तुरंत जांच कराये। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि आप इसके लिए एक जांच कमेटी बैठायें...*(व्यवधान)*

मंत्री जी इसके बारे में कुछ कहें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार कुछ कहना चाहेगी?

[हिन्दी]

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : अध्यक्ष महोदय, यह आर्थिक अपराध का मामला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। क्या सरकार की ओर से कोई उत्तर है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पर सरकार की ओर से कोई जवाब तो आना चाहिए। सरकार क्या कहना चाहती है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। मैं सरकार से इसका उत्तर देने के लिए कह रहा हूं। क्या सरकार की ओर से कोई उत्तर है? वे मध्य प्रदेश राज्य से संबद्ध एक विशिष्ट कार्यक्रम से संबंधित मामला उठा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, कृपया अपनी टिप्पणी दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गहलोत (शाजापुर) : मंत्री जी को विषय की जानकारी नहीं मिली है तो मैं फिर से मंत्री जी को बता देता हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों को आदिवासी वित्त निगम के माध्यम से वाहन सुविधा उपलब्ध कराई थी, किन्तु परिवहन विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि जो सुविधा आदिवासियों को दी जा रही थी, वे उसके लिए परमिट नहीं देते। परमिट नहीं देने के कारण जो वाहन की सुविधा दी जा रही है, उसका उपयोग नहीं हो रहा। जो वाहन आदिवासियों ने लिये हैं, वे परमिट के अभाव में घर पर खड़े हुए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, कृपया इस पर ध्यान दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं सरकार से इसका उत्तर देने के लिए कह रहा हूं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। फिर भी चूंकि यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है—यदि माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए तथ्य सही हैं तो यह चिंता का विषय है केंद्र सरकार इसे राज्य सरकार के साथ उठाएगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब श्री राम नगीना मिश्र बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। माननीय मंत्री जी ने पहले ही उत्तर दे दिया है। कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल श्री राम नगीना मिश्र का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं जो सवाल सदन के सामने आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं, आपका इस बात के लिए धन्यवाद है, क्योंकि यह अति आवश्यक था।

उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जनपद में हमारे निर्वाचन क्षेत्र में नौ चीनी मिलें हैं। कपड़ा मंत्रालय की भी हमारे यहां चार मिलें हैं। उनमें से दो मिलें बन्द हैं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में कठकुइयां और पडरौना की शुगर फैक्टरियां चल रही हैं। आश्चर्य इस बात का है कि गत वर्ष हजारों किसानों ने महीनों धरना दिया, जिसमें 500 गिरफ्तारियां हुईं। उनमें मैं भी शरीक था। राज्य सरकार और सैण्ट्रल गवर्नमेंट के कपड़ा मंत्रालय से समझौता हुआ और कठकुइयां, पडरौना मिलें चलीं। उसमें यह तय हुआ कि चीनी का जो भी दाम मिलेगा, उसका 25 फीसदी किसानों को दे दिया जायेगा, लेकिन इसका भी पालन नहीं हुआ।

मुझे आश्चर्य है कि कपड़ा मंत्रालय से हमें नोटिस मिला है कि पडरौना, कठकुइयां शुगर फैक्टरी के जो कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड के अन्तर्गत है, वह कपड़ा मंत्रालय की फैक्टरी नहीं है। इसको सुनकर आश्चर्य नहीं होगा कि एक कपड़ा मंत्रालय के द्वारा सारी मिलों का प्रबन्ध होता रहा है। जब तक ये मिलें मुनाफे में रही, तब तक कपड़ा मंत्रालय की मिल रही। आज वहां के अधिकारी ने लिखकर दे दिया, मिनिस्टर साहब ने भी पत्र भेज दिया, मैं तो चाहूंगा कि इसकी आप जांच करा लें। साथ ही यह बात भी है कि जिसका कोई वारिस न हो, उसका क्या होगा?

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, यह लाखों किसानों का मामला है, दो साल से गन्ने का दाम 18 करोड़ रुपया बाकी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामनगीना मिश्र जी आपने अपनी सूचना केवल पूर्वाह्न 10.20 बजे ही दी है, तो भी मैंने आपको यह मामला उठाने की अनुमति समस्या की गंभीरता के कारण दी है। कृपया इसे शीघ्र समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : थोड़ा सा, एक मिनट बोलने दें। एक मिनट बोलने की अनुमति और चाहूंगा। अभी समाप्त कर रहा हूं।

मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि जब इसका कोई मां-बाप नहीं है या तो भारत सरकार इसका टेकओवर करे या राज्य सरकार को आदेश दे कि वह टेकओवर करे।

इसी के साथ-साथ कप्तानगंज और सरदारनगर चीनी मिलें हैं। 22 करोड़ रुपया सरदारनगर कि जिम्मे बकाया है और 14 करोड़ रुपया कप्तानगंज के जिम्मे बाकी है। ये प्राइवेट शुगर फैक्टरियां हैं। अगर गन्ना किसानों को दाम नहीं मिलता है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसका टेकओवर करना चाहिए, नहीं तो कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि गन्ना किसानों का दाम मिल सके और भविष्य में गन्ना फैक्टरियां चलें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

यहां माननीय मंत्री जी कृषि मंत्री जी, बैठे हुए हैं, किसानों के शुभचिन्तक हैं। वहां लाखों किसान मर रहा है, दोनों मंत्री नहीं हैं, मैं चाहूंगा कि आप कम से कम मेरी बात को वहां तक पहुंचाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है।

(व्यवधान)

श्री ई॰ अहमद : महोदय, प्राथमिकता का मामला होने के कारण मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं केवल एक मिनट लूंगा।

महोदय, सदन का सत्र चल रहा है। जब सदन का सत्र चल रहा होता है—क्योंकि माननीय मंत्रीगण सदन के प्रति उत्तरदायी हैं उन्हें सदन को पहले सभी जानकारी देनी चाहिए। किंतु यह बड़े दुख की बात है कि माननीय रक्षा मंत्री ने निजी न्यूज चैनल के माध्यम से समाचार पत्रों को जानकारी दी है।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी भी मंत्री को सदन की मर्यादा कम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही माननीय मंत्री जी द्वारा नोट कर लिया गया है। श्री अहमद कृपया बैठ जाइए।

श्री ई॰ अहमद : मैं आपके ध्यान में केवल यह कहना चाहता हूं कि सदन में आने से पहले उन्होंने रक्षा संबंधी कई मामले प्रैस को बताए हैं। यह आपके ध्यान में लाना मेरा कर्तव्य है।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 1.11 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

किसानों को उनके कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्यों का भुगतान न किये जाने के कारण देश के विभिन्न भागों में उनके द्वारा की गई आत्महत्या की घटनाएं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में किसानों को उनके कृषि उत्पाद के लाभकारी मूल्यों का भुगतान न किये जाने के कारण देश के विभिन्न भागों में उनके द्वारा की गई आत्महत्याओं की घटनाओं के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा की जायेगी।

चर्चा आरंभ करने से पहले मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहूंगा।

आंध्र प्रदेश में किसानों की स्थिति के बारे में मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि जिन कारणों से देश भर के किसानों ने यह कठोर कदम उठाया है, उनसे सब परिचित हैं। यह वस्तुतः प्राकृतिक और मानवनिर्मित कारणों का मिश्रण है जिसके परिणामस्वरूप यह भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई। चाहे वह कुछ राज्यों में लाभकारी मूल्यों का भुगतान न किया जाना हो या अन्य राज्यों में जलवायु संबंधी भयंकर स्थितियों के कारणों फसलाप्रें का नष्ट होना हो अथवा कुछ अन्य स्थानों में घटिया स्तर के कृमिनाशकों और कीटनाशकों की आपूर्ति हो अथवा अप्रभाणित बीज, अपर्याप्त ऋण प्रवाह आदि हो, उसका परिणाम यही होता है कि गरीब किसान को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है कि कृषि क्षेत्र आज लगभग 64 प्रतिशत श्रमिकों को आजीविका प्रदान करता है, सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 33 प्रतिशत योगदान करता है और इसका देश के निर्यात के कुल मूल्य का लगभग 18 प्रतिशत शेयर हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्व और कृषक समुदाय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि किसानों की शिकायतों की सूक्ष्म जांच की जाये।

इस सभा में इस मामले पर अब चर्चा आरंभ होने वाली है। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे दलगत भावना से ऊपर उठें और अपने-अपने भाषणों में वस्तुनिष्ठ बनाये रखें। एक-दूसरे पर दोषारोपण करने का कोई फायदा नहीं है, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए रचनात्मक सुझाव देने होंगे।

मेरा सरकार से भी आग्रह है कि वह इस संबंध में उठाये जाने वाले ठोस और व्यापक कदमों की घोषणा करके कुछ सार्थक सकारात्मक प्रतिक्रिया दे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और किसानों की स्थिति में सुधार लाया जा सके।

श्री विलास मुत्तेमवार अब विषय के संबंध में चर्चा आरंभ कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि, प्राकृतिक विपदा से पीड़ित किसानों को उनके कृषि उत्पाद के लाभकारी मूल्य का भुगतान नहीं किए जाने के कारण देश के विभिन्न भागों में उनके द्वारा जो आत्महत्याएं हुई हैं, इस गम्भीर विषय को सदन में लाने के लिए आपने जो अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही इस विषय पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सब लोगों को विचार करना चाहिए, ऐसी जो भावना आपने यहां व्यक्त की, उससे मैं और मेरी पार्टी अपने को सम्बद्ध करती है।

अपराह्न 1.14 बजे

(**श्री पी-एम- सईद** *पीठासीन हुए*)

सभापति महोदय, यह ऐसी विपदा है कि आजादी के पचास साल हो गए हैं, जिसका हमने स्वर्ण महोत्सव भी मनाया है, लेकिन जितनी उपेक्षा इस देश में किसानों की हुई है, उतनी किसी अन्य क्षेत्र में किसी की नहीं हुई होगी। किसान हमारे देश के विकास की रीढ़ की हड्डी है, ऐसा हम बड़ फख्र के साथ कहते हैं, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का काम हमारी तरफ से नहीं हुआ। यह हम सब लोगों की तरफ से गलती हुई है। जिसका परिणाम हमें इस रूप में भुगतना पड़ा कि पूरे हिन्दुस्तान के विभिन्न राज्यों में 500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। देश की राजनीतिक पार्टीज भी इस काम में चूक गई और उसका हमने निषेध किया, ऐसा मैं समझता हूं। अभी भी वक्त नहीं गया है। इसलिए हमें वक्त की नजाकत को समझते हुए इस बारे में कुछ स्थायी हल निकालना चाहिए।

प्रधानमंत्री जी जो देश की सुरक्षा के प्रति बड़े गम्भीर हैं और उन्होंने सुरक्षा को लेकर जो अगुवाई की, वह सही थी या गलत थी, इस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है।

लेकिन अगर वह किसानों को मजबूत करने के लिए, किसानों के हितों के लिए, कोई कदम उठाते तो पूरा हिन्दुस्तान उनका धन्यवाद करता और आने वाले इतिहास में उनका नाम अमर हो जाता, मैं मानता हूं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब यहां बंगाल और उड़ीसा में साइक्लोन आने से वहां किसानों का बड़ा नुकसान हुआ और उस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक सब जगह के प्रतिनिधि इस सदन में मांग कर रहे थे, इस समय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे कृषि राज्य मंत्री जी ने यह हामी भरी थी, सदन में यह आश्वासन दिया था कि इन राज्यों में विशेष दल भेजा जाएगा और वहां के किसानों की आवश्यकता के मुताबिक मदद की जाएगी लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्र सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। जो भी इनिशिएटिव लिया गया, वह अपर्याप्त मात्रा में लिया गया और राज्य सरकारों की भी कोई मदद नहीं की गई।

मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जब हाऊस में यह मामला उठा था और हमारी तरफ से कई सांसदों ने इस बात की मांग की थी तथा आत्महत्याओं की घटनाएं बड़े जोरों से हो रही थीं, उस

[श्री विलास मुत्तेमवार]

वक्त का आंकड़ा 26 हुआ था और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि महाराष्ट्र में टीम भेजी जाएगी। वहां के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी वहां टीम भेजने के लिए अर्ज कर रहे थे और अगर उस दिन उस तरफ ध्यान दिया जाता जो 27 तारीख को इसी विषय को लेकर जवाब दिया गया था, उसमें महाराष्ट्र में इस तरह की आत्महत्या करने की जो संख्या बताई गई है, 51 है। अगर उस वक्त ध्यान दिया जाता जिस वक्त महाराष्ट्र सरकार ने मांग की थी तो आज पच्चीस लोगों ने आत्महत्या नहीं की होती। हमने 27 तारीख को जब चर्चा की थी तो महाराष्ट्र में 51 लोगों ने आत्महत्या की थी। आज यह आंकड़ा 52 पर पहुंच गया है। परसों अभी महाराष्ट्र में एक और किसान ने आत्महत्या की और उस गांव में किसान परिवार के मिलने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए हमारे अपोजीशन लीडर श्री शरद पवार जी परसों होकर आए हैं। हम पहले इन गंभीर समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, बाद में इसके परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। मरने के बाद उनको हम जो भी सहायता देते हैं, वह भी पर्याप्त नहीं है और उसमें भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हमारे यहां, जैसा कि दूसरे कारणों से मौत होती है, उसकी कीमत भी अलग-अलग होती है। हम यहां हाऊस में आज तक यह तय नहीं कर सके कि इस तरह की मौत मरने वालों के लिए क्या सहायता दी जानी चाहिए। बस एक्सीडेंट, रोड़ एक्सीडेंट, रेलवे एक्सीडेंट और एअर एक्सीडेंट, जिसमें हुई मौत ज्यादा कीमती मौत होती है, उसमें पांच लाख रुपया मुआवजा दिया जाता है लेकिन जो किसानो ने इस सरकार की व्यवस्था का निषेध करते हुए आत्महत्या की है और जिन्हें हम सहायता नहीं दे सके, वे किसान किसी एक्सीडेंट में नहीं मरे हैं। उन्होंने जानबूझकर हमारे सत्र का निषेध करने के लिए यह मार्ग अपनाया है तथा उसके लिए जो मुआवजा दिया गया, वह बहुत कम है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मुआवजा दिया गया है। आंध्र प्रदेश हम सबके सामने हैं, उन्होंने दो लाख रुपया मुआवजा दिया है। महाराष्ट्र में एक लाख रुपया मुआवजा दिया है। दूसरे राज्यों में और भी कम मुआवजा दिया गया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम इस बारे में कोई आंकड़ा तय किया जाए। कोई भी व्यक्ति पैसे के लालच में अपनी जान नहीं गंवाता, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो इनिशिएटिव राज्य सरकारों की ओर से, केन्द्र सरकार की ओर से लिया जाना चाहिए, वह नहीं लिया गया। हमारे राज्य में जब यह आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ तब हमारे राज्य में मुख्यमंत्री भी हैं, उपमुख्यमंत्री भी हैं, दोनों काबिल इंसान हैं लेकिन इन लोगों ने भी राज्य का दौरा नहीं किया। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि पार्टी लाइन के ऊपर उठकर हमें इस प्रश्न का हल ढूंढना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं मिली। महाराष्ट्र राज्य के लोग इन कारणों से आत्महत्या कर रहे थे और हमारे राज्य के मुख्य मंत्री मुम्बई में अपना जन्मदिन मना रहे थे। शिव सेना की सरकार है जिस तरह राजा का जन्मदिन मानते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री उत्तमसिंह पंवार (जालना) : अध्यक्ष महोदय, हम इस पर ऑब्जेक्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाया? ...*(व्यवधान)*

श्री उत्तमसिंह पवार : आपको मालूम है? ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : उन्होंने जन्मदिन मनाया आपको मालूम है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप कृपया मुझे तारीख बताइये ...*(व्यवधान)* उन्हें गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए ...*(व्यवधान)* क्या यह सही है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : डेट वेरीफाई कर लेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जी नहीं, सरपोतदार जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया है। जब आपको बोलने का अवसर मिले, आप तब इसका खंडन कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सरपोतदार जी, आप कृपया अपने सदस्यों से अपनी-अपनी सीट पर बैठने के लिए कहिए।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, उन्हें किसी का नाम नहीं लेना चाहिए ...*(व्यवधान)* यह सब क्या है? ...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार : जब आपकी पार्टी कोई पहल ही नहीं कर रही ...*(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष महोदय ने पहले ही सभी राजनीतिक दलों से यह कह दिया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यहां किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मुत्तेमवार जी, आप उनकी बात न मानें। आप अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

श्री विलास मुत्तेमवार : महोदय, मुझे संरक्षण प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : सरपोतदार जी, आप इस विषय पर बोलने जा रहे हैं और तब आप इसका खंडन कर सकते हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, यह एक अच्छा विषय है और प्रत्येक व्यक्ति को दलगत भावना से ऊपर उठकर इस संबंध में बोलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका नाम वक्ताओं की सूची में है। आप जिस किसी भी बात का खंडन करना चाहते हैं, कीजिए लेकिन अपनी बारी आने पर।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : महोदय, जैसा मैंने कहा, हमारा महाराष्ट्र राज्य पूर्वगामी राज्य रहा है जो पूरे हिन्दुस्तान में कभी एक नम्बर पर था, लेकिन आज जो घटनाएं हो रही हैं, वैसी घटनाएं पिछले पचास सालों में नहीं हुई हैं। मैं यह बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आंखों देखा विवरण मत दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : महोदय, ऐसी आत्महत्याएं आज तक महाराष्ट्र में नहीं हुई हैं। सन् 1972 में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया ऐसी बात मत कीजिए। मैंने आपको देखा है। ऐसा मत कीजिए। आप नये सदस्य हैं। यहां अपनी राय व्यक्त करने का एक ढंग है, इस तरह का आंखों देखा विवरण देते हुए नहीं। कोई आंखो देखा ब्यौरा नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : महोदय, 1972 में इस प्रकार का अकाल महाराष्ट्र में पड़ा था और तब आठ लाख लोगों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार दिया था। उस वक्त के मुख्यमंत्री, स्व॰ वसन्त रावजी नाईक, जो किसानों के नेता थे, उन्होंने कहा था कि किसान स्वाभिमानी होता है, उसको भीख नहीं चाहिए, वह श्रम करने के लिए तैयार है। उस समय जब यह समस्या सरकार के सामने आई, तो कर्जे माफ कर दिए गए थे। इसके बाद फिर नए कर्जे दिए गए और नए बीज दिए गए, लेकिन ऐसा इस वर्ष नहीं किया गया। हाल में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम किसानों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। किसानों के साथ हमारा कन्सर्न है और उनकी इन आत्महत्याओं की वजह से हम चिन्तित हैं। इस बारे में जो आंकड़े हमें मंत्री जी ने दिए हैं, उसके अनुसार आन्ध्र प्रदेश में 236-जैसा कि बताया जा रहा है, अब यह आंकड़ा 300 के करीब पहुंच गया है-कर्नाटक में 29, महाराष्ट्र में उस दिन 51 थे और अब यह बढ़कर 52 हो गया है। इस प्रकार आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हम यहां पर चर्चा कर रहे है, लेकिन उसका असर हमारी सरकार और यंत्रणा पर नहीं पड़ रहा है तथा हम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विचार करने की बात कहते हैं। हम सभी लोग जो संसद में आए हैं, हम सभी की इस समस्या के निदान के लिए जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा कदम उठाए जाने के बाद भी हम आत्महत्या को रोक नहीं सके हैं। यह सबके लिए दुःख की ही बात नहीं, बल्कि शर्म की बात है। मैं चाहूंगा, इस पर पूरे दिन चर्चा होनी चाहिए। हमारी तरफ से भी इस विषय पर बहुत सदस्य अपने विचार रखेंगे। उस दिन माननीय मंत्री जी, श्री सोमपाल जी, ने कहा कि हम कन्क्रीट कार्यक्रम लेकर सदन में आने वाले हैं कि कैसे कन्सैशन और सहूलियतें दी जा सकती हैं। जिन सुविधाओं की घोषणा हुई है, उनसे किसानों की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। मेरे विचार से अभी तक किसानों को बड़े पैमाने पर राहत नहीं दी गई है। मेरा आपके माध्यम से सदन से आग्रह है कि जिन किसानों ने आत्म-हत्याएं की हैं, उनको मुआवजे के रूप में एक-दो लाख नहीं, कम से कम पांच लाख रुपए दिए जाने चाहिए।

कोई भी अपनी जान पैसों के लिए नहीं देता। यह जो विपदा उसके घर वालों पर आई है, उसके लिए हमें उनकी खुले दिल से मदद करनी चाहिए। किसानों पर जो कर्जे हैं, ऐसी परिस्थिति में वे अपने कर्जे लौटा नहीं सकते तो मैं संसद से आग्रह करूंगा कि उनके कर्जे माफ किए जाएं, क्योंकि इससे पहले भी हम कई क्षेत्रों में कर्जे माफ कर चुके हैं। अगर कोई उद्योगपति बैंकों से करोड़ों रुपए के कर्जे लेता है और उसे अलग-अलग नई कम्पनियां बनाने में डाइवर्ट करके अपनी यूनिट सिक घोषित कर देता है तो सरकार और बैंक उसके कर्जे माफ कर देते हैं। जब हमारी संसद और बैंक खुले दिल से करोड़ों रुपए के कर्जे माफ कर सकते हैं तो किसानों के मामले में भी हमें बड़ा दिल करना चाहिए, उनके कर्जे माफ करने चाहिए।

महोदय, मुझे फख्र है जब हमारी पार्टी 1981 को सत्ता में थी, तब हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री, अंतुले जी महाराष्ट्र में थे। उन्होंने आते ही किसानों के कर्जे माफ किए थे, वही परम्परा अब भी चलनी चाहिए। मेरा पुनः आग्रह है कि किसानों के कर्जे माफ करने के लिए सरकार की तरफ से इनीशिएटेवि लेना चाहिए। अभी जो नयी फसल आने वाली है उसके लिए बीज, खाद आदि साधनों की सप्लाई गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ऐसे आदेश केन्द्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को जाने चाहिए। उनको नयी फसल के लिए नये कर्जे दिए जाने चाहिए और उसकी भी इंस्टालमेंट्स सात साल के अंतर से वसूल की जानी चाहिए। ऐसी इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए कि जो भी कर्जे देने वाली वित्तीय संस्था है- जैसे नबार्ड है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक है, ग्रामीण विकास बैंक है, उनको हिदायत दी जाए। किसानों से कर्जा वसूल करने के लिए बड़ी सख्ती अपनाई जाती है, उनके सामान फेंके जाते हैं, उनको घर से बेदखल किया जाता है, उनकी गाय, भैंस और बैल को उठाकर ले जाया जाता है, इस पर रोक लगनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री रवि सीताराम नायक (पणजी) **:** महोदय, क्या मैं इस बात की ओर ध्यान दिला सकता हूं कि सभा में गणपूर्ति नहीं है। सत्ता दल की ओर से काफी कम लोग उपस्थित हैं।

सभापति महोदय : घंटी बज रही है–

अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य, श्री मुत्तेमवार अपनी बात जारी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : सभापति महोदय, उस दिन जब चर्चा हो रही थी, उस दिन का डिबेट मेरे सामने रखा हुआ है। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि पूरे दिन चर्चा होनी चाहिए, हम पूरी चर्चा चाहते हैं और हम यहां बैठेंगे।

दुर्भाग्य की बात है कि वह ऐसी नहीं है और जिन्होंने हामी भरी है वह भी, संसदीय कार्य मंत्री भी यहां नहीं बैठे हैं। इस तरह से इस गंभीर प्रश्न पर सरकार का क्या रवैया है वह भी आप सब लोगों के सामने है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मुत्तेमवार के भाषण को छोड़कर और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : सभापति जी, मेरे पास डिबेट की कॉपी है जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं पूरे दिन बैठूंगा। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप उनसे बात करेंगे तो इंटरप्शन होंगे। आप बात मत करिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आज लंच आवर नहीं है।

श्री विलास मुत्तेमवार : सभापति महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था कि महाराष्ट्र में 52 लोगों ने आत्महत्या की है। उस दिन के उत्तर में बताया गया है कि 12 लोगों को एक लाख के हिसाब से मुआवजा दिया गया है और सात लोगों को पचास हजार के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। मैं इसलिए ही इस प्रश्न को पहले उठा रहा था कि मुआवजा देने के बारे में हमारी सरकार की ओर से, चाहे वह केन्द्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तय किया जाए कि मुआवजा देने के बारे में भेदभाव नहीं बरता जाएगा, एक रकम दी जाएगी और वह ज्यादा से ज्यादा दी जाएगी–जैसी की मैंने मांग की है कि वह रकम पांच लाख दी जाए।

दूसरा, जो बीज और रासायनिक खाद किसान लेता है, उसमें मिलावट होती है, जिसके कई प्रकरण सामने आए हैं और जिसकी वजह से किसान को नुकसान हुआ और कई जगहों पर इसकी वजह से भी किसानों ने आत्महत्याए की हैं। मिलावट करने पर पहले सजा सात साल थी जिसको तीन साल कर दिया गया है। ...*(व्यवधान)* आर्डिनेंस लाया गया और सजा का प्रावधान तीन साल कर दिया गया। जबकि इस मामले में, जहां किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा और सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए जिससे लोग मिलावट करने की हिम्मत न कर सकें। लेकिन यहां पर हमने मिलावट करने वालों को सजा में छूट दी है, ऐसा मैं समझता हूं। सभापति महोदय, मैं विदर्भ से आता हूं। जो 52 केसिज हुए हैं उनके से 26 केसिज विदर्भ में हुए हैं। विदर्भ जो हमेशा से उपेक्षा का शिकार रहा है और हर क्षेत्र में उसके साथ उपेक्षा हुई है, चाहे सिंचाई सुविधाएं देने का मामला हो, फंड देने का मामला हो और लगातार वहां की जनता सदन से और देश से आग्रह कर रही हैं कि हमें अलग कर दिया जाए, हम अपना विकास खुद कर लेंगे। अगर ऐसा होता तो हमारे किसानों को वहां दुख झेलने न पड़ते।

विदर्भ में चार हजार मैगावाट बिजली का हम निर्माण करते हैं, लेकिन वहां केवल आठ सौ मैगावाट बिजली दी जाती है। बाकी सारी मुम्बई, पूना, थाणे, शोलापुर, कोल्हापुर में चली जाती है। जो रेट मुम्बई की यूनिट के लिए लगता है वही रेट नागपुर के लिए लगता है, विदर्भ के लिए लगता है। बिजली वहां ले जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अब तक दो हजार करोड़ रुपया खर्च किया है। वहां के किसानों के पम्पों के लिए जो बिजली चाहिए उसके लिए डेढ़ लाख एप्लीकेशन्स वहां के विद्युत-मंडल के सामने हैं, लेकिन अभी तक उनको देखा नहीं गया है, उनको कनेक्शन नहीं दिया गया है। जबकि विदर्भ में 2 लाख 82 हजार इस तरह के बिजली के पम्प हैं। जबकि अकेले नासिक जिले में 3 लाख 18 हजार पम्प हैं। पूरे महाराष्ट्र में 22 लाख पम्प हैं जिसमें से विदर्भ में जहां 4 हजार मैगावाट बिजली होती है वहां केवल 2 लाख 22 हजार पम्पों को बिजली दी गयी है। वहां की सरकार के सामने डेढ़ लाख एप्लीकेशन्स इसके लिए पड़ी हैं। जो असंतुलन हो रहा है और उनकी उपेक्षा हो रही है, यही कारण है कि वहां के किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और यह बड़ा गंभीर मामला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएं जिससे किसी भी राज्य का किसान आत्महत्या न करे, और उसमें ऐसी भावना जागे कि ऐसा कोई भी मौका होगा तो इस देश की सरकार, इस देश का सांसद, इस देश का कायदा-कानून और संविधान उसकी मदद के लिए आयेगा। अगर हम ऐसा विश्वास किसान में जागृत न कर सके तो यहां पर हम जितनी भी चर्चा करें, उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं होगी, मुझे उम्मीद है कि मेरी भावना का यहां बैठे सांसद, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री आदर करेंगे। ऐसा अर्ज करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : माननीय सभापति जी, 1997-98 में जो कपास के किसानों को खराब कीटाणु नाशक दवाओं के कारण तथा महाजन से अधिक ब्याज पर ऋण लेने के कारण या प्राकृतिक आपदाओं के कारण या आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्याएं करनी पड़ीं, इसे 1997-98 के साथ ही 1996-97 के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। 1996-97 में बहुत अधिक कपास का उत्पादन हुआ था और सरकार पूरी कपास को नहीं खरीद पाई थी, जिसके कारण किसान की आर्थिक दुर्दशा हुई थी।

भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां का किसान भारत के 100 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है। जो किसान 100 करोड़ लोगों को

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

भोजन दे रहा है स्वयं वह और उसके बच्चे अगर भोजन रहित सोएं या उन्हें आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करनी पड़े या अपने बच्चों को मजबूर होकर बेचना पड़े तो इससे गंभीर बात देश में नहीं हो सकती है। 1996-97 में जब किसान की आर्थिक दुर्दशा हो गयी तो 1997-98 में उसकी उपज कम होना स्वाभाविक थी क्योंकि अच्छे बीज, खाद और दवाएं लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। समय पर उसको ऋण नहीं मिला। आंध्र प्रदेश में भी 1987-88 में 37 कपास के किसानों ने आत्महत्याएं की थीं और उस वक्त एक पी॰डी॰ ओझा, डिप्टी गवर्नर, रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में इसके अध्ययन के लिए एक समिति का गठन हुआ था। लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने 1987-88 में गठित उस समिति के सुझावों को प्रकाशित नहीं किया और न ही उन सुझावों पर अमल किया। सदन को और इस देश के लोगों को अभी तक यह भी पता नहीं कि उस कमेटी की रिपोर्ट क्या थी? किसान की इससे अधिक बदकिस्मती क्या हो सकती है कि अगर वह गेहूं का उत्पादन बढ़ाए तो गेहूं के किसान की आर्थिक दुर्दशा हो जाए, गन्ने का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी दुर्दशा हो जाए, आलू का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाए, प्याज का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाए और कपास का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाए।

सभापति जी, 1977-78, 1991-92 और 1995-96 में गन्ने का बहुत अधिक उत्पादन हुआ। किसान को अपना गन्ना अपने खेतों में जलाना पड़ा था। इसी तरह से 1994-95 में प्याज का उत्पादन बहुत अधिक हुआ, प्याज सड़ गयी थी और किसान को प्याज का दाम नहीं मिला था। इसी तरह से 1996-97 में आलू सड़ गया था। लेकिन 1995-96 में रबड़ का आयात करना पड़ा, जिसके कारण 1997-98 में रबड़ का अधिक उत्पादन किसान ने किया, तब भी रबड़ के किसान की आर्थिक दुर्दशा हुई।

सभापति जी, सदन को आज यह विचार करना पड़ेगा कि जब भी किसान अपनी फसल क्लाईमेक्स पर उत्पादन करे तो सरकार उसे पूरा संरक्षण प्रदान करे। पहले तो किसान क्लाईमेक्स उत्पादन करके आर्थिक दुर्दशा में फंसता है ऊपर से सरकार संरक्षण प्रदान नहीं करती है। दुनिया के हर देश में चाहे माल समुद्र में फैंक दिया जाए, किसान का आर्थिक शोषण वहां बर्दाश्त नहीं किया जाता है, लेकिन यहां अधिक पैदा करने पर उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाती है। उसका विपरीत असर यह पड़ता है कि आने वाले समय में उत्पादन कम हो जाता है। मैं गन्ने का एक उदाहरण देना चाहूंगा। 1991-92 में जब गन्ना किसान की आर्थिक दुर्दशा हो गई, उस समय सरकार चीनी का निर्यात कर रही थी। किसान की आर्थिक तंगी के कारण किसान का फसल चक्र बिगड़ जाता है तो उत्पादन गिर जाता है। 1994-95 में इस देश को फिर चीनी का आयात करना पड़ा था। चीनी का ही मामला नहीं है। हर तरफ यही मामला है। इसे रोकना होगा। अभी प्याज के मामले में महाराष्ट्र में शरद जोशी ने आन्दोलन चलाया था। 1994-95 में प्याज सड़ गया जिससे प्याज के भाव काफी ऊंचे हो गए। इसका क्या कारण है? जिस वर्ष किसान अपनी फसल का बहुत अधिक उत्पादन करता है, उस साल अगर सरकार उसका संरक्षण कर, उसका आर्थिक शोषण रोक दे तो यह देश कहीं का कही चला जाएगा। इससे किसानों को न आत्महत्या करने की जरूरत पड़ेगी और किसान की उपज का हर वर्ष निर्यात भी होगा। देश की अर्थव्यवस्था को किसान ही बदल सकता है। क्या राज्य सरकारें 1974 से पहले टैक्स नहीं लेती थी? आज हर राज्य के बार्डर पर बैरियर लगे हुए हैं। 2002 तक सार्क देशों से 1500 वस्तुएं देश में आने के लिए सभी पाबंदियां समाप्त की जाने वाली हैं लेकिन हमारे यहां ऐसी पाबंदियां लगी हैं कहीं मंडी परिषद के नाम पर, कहीं व्यापार कर के नाम पर पाबंदी। आज किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी उपज नहीं ले जा सकता। माननीय सोमपाल जी यहां बैठे हैं। मैंने अतारांकित प्रश्न संख्या 68 और 30 मार्च को नियम 377 के अधीन एक विषय उठाया था कि किसान को अपनी उपज तथा उस पर आधारित प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स को पूरे भारत में लेकर जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में धान की फसल को छोड़कर सभी जगह पूरी स्वतंत्रता है। मै, मंत्री जी के ध्यान में एक चीज लाना चाहता हूं। इनका निर्वाचन क्षेत्र बागपत है। वह हरियाणा का बार्डर है। जब उत्तर प्रदेश में अधिक धान होता है तो उसे हरियाणा में ले जाने का प्रयास किया जाता है। उसे बार्डर पर रोक दिया जाता है। उन्हें मंडी समिति का नो ऑबजैक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। क्या शीरा गन्ने का बाई प्रोडक्ट नहीं है? इसको किसी भी स्टेट से बाहर ले जाने के लिए आबकारी विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे ही शीरे पर प्रतिबंध लगा हुआ है। पूरे देश में एक राजस्थान की ऐसी सरकार है जिसने बैरियर समाप्त कर दिए हैं। क्या राजस्थान टैक्स वसूल नहीं कर रहा? वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की।

मैं मंत्री महोदय से पहला यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पी॰डी॰ ओझा कमेटी जिसका गठन 1987-88 में हुआ था, उसने जो रिपोर्ट दी, उसके सुझावों को प्रकाशित किया जाए तथा उसको लागू किया जाए जिससे किसानों को आत्महत्या न करनी पड़े। दूसरा, जब किसान अधिक उत्पादन करे, उसको सरकार संरक्षण देकर बचाए और समस्त उत्पादन जब तक सरकार खरीद न ले तब तक खरीदारी चलती रहनी चाहिए। तीसरा, दस वर्ष पहले भारत सरकार का बैंकों में एक निर्देश गया था कि वह पता करे कि एक बैंक में कौन-कौन से गांव रहेंगे? उन्होंने बैंकों को गांवों से संबंधित किया था। गांव तो बैंकों से संबंधित हो गए लेकिन बैंक के अधिकारियों ने आज तक किसानो की हैसियत के आधार पर उनकी लिमिट फिक्स नहीं की। किसान की हैसियत के आधार पर उनकी लिमिट फिक्स होनी चाहिए जिससे किसान को ऋण लेने में कभी दिक्कत न पड़े। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तत्काल फसल बीमा योजना एफैक्टिव रूप में लागू की जानी चाहिए। जितनी भी राज्य सरकारों के अन्तर्राज्यीय बैरियर लग रहे हैं, उसके लिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सारे स्टेट्स से ये बैरियर समाप्त कराए।

यह राष्ट्रीय एकता के लिए भी जरूरी है और किसान को अपनी उपज एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने में जो बाधा हो रही है, उसके लिए भी जरूरी है। अगर कोई राज्य सरकार बैरियर समाप्त नहीं करती है तो केन्द्रीय सरकार को उसकी समस्त आर्थिक सहायता बंद कर देनी चाहिए।

[श्री अमर पाल सिंह]

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में किसानों को खांडसारी को वैक्यूमपैन की क्रशिंग की अनुमति दे दी गई है जिससे गन्ना किसानों की रिकवरी भी बढ़ेगी। इससे देश की राष्ट्रीय हानि भी बचेगी, बिजली का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों को गन्ने का बेहतर दाम भी मिलेगा। उसमें सीमा लगा दी गई कि जो मिल रिजर्व एरिया से बाहर होगी, उसे ही यह सुविधा मिलेगी। वह गलत है क्योंकि खांडसारी जो रिजर्व एरिया में चल रही है वह आज भी गन्ना क्रश कर रही हैं। जब तक सबको वैक्यूमपैन अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक गन्ना किसानों का भला होने वाला नहीं है। मेरा अनुरोध है कि मिलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि रिजर्व एरिया में नयी खांडसारी नहीं चलाएं किसान का हित इसी बात पर निर्भर है कि मिल भी चले और वैक्यूमपैन विधि की खांडसारी भी चले और दोनों में कंपीटीशन हो।

आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कपास से संबंधित किसानों के बारे में मेरा अनुरोध है कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाकर उनकी आत्महत्या कराने की जांच करायी जाए। उन्हें पूरी राहत दी जाए और उन पर जो महाजनों का ब्याज है उसे भी समाप्त कराया जाए। दोनों प्रदेश की सरकारों से भारत सरकार आग्रह करे कि जो महाजन लोग रुपया दे रहे हैं। उसकी वसूली को समाप्त कर दिया जाए और उनका जो ऐक्चुअल पैसा है, सरकार उसका भुगतान कर दे। इन राज्यों में बैंकों से भी किसानों को प्रोपर लोन नहीं मिला। इन सब बातों का भारत सरकार से समायोजन करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं और सदन से भी अनुरोध करता हूं कि अगर आज आपने इस गंभीर चर्चा के माध्यम से भारत के किसान को बचा लिया तो यह देश आर्थिक विकास के पथ पर बढ़ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक इस देश का किसान नहीं उठेगा, इस देश का मजदूर नहीं उठेगा और जब तक दोनों की क्रयशक्ति नहीं बढ़ेगी, बाजार का माल भी नहीं बिकेगा, और जब तक व्यापारी, किसान और मजदूर, तीनों की क्रयशक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक उद्योग का माल भी नहीं बिकेगा। बात साफ है कि भारत कृषि-प्रधान देश है। अगर देश के किसान गरीब हैं तो देश गरीब है। अगर किसान रईस है तो देश रईस है और देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। मैं इन सब बातों का समाधान भारत सरकार से करने का अनुरोध करता हूं और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदय, एक बहुत की अहम समस्या पर हम चर्चा कर रहे हैं और मैं इस बात से थोड़ा सा दुखी हूं कि आज कृषि मंत्री जी यहां नहीं हैं। सोमपाल जी बैठे हैं, मैं उनका आदर करता हूं। उनको जानकारी भी है कि किसान क्या होता है। लेकिन यह ऐसा मुद्दा है जो 74 प्रतिशत जनता से जुड़ा हुआ है। इसलिए कृषि मंत्री का यहां होना आवश्यक था।

मैं इधर भी देख रहा हूं, उधर भी देख रहा हूं और ऊपर भी देख रहा हूं। किसान की बात जब आती है तो सुनने वाला नहीं मिलता। मैं तो कभी सोचता हूं कि किसी को सजा देनी हो तो उसे जेल मत भेजो, उसे किसान बना दो। किसान की बात सुनने वाला कोई नहीं है। इसका दर्द हम ही समझ सकते हैं — 'जिस तन लागे, सोई तन जाने।' इनसे देखते नहीं बनता। जब कोई बात कहते हैं तो उसको करना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि मैं बैठूंगा तो बैठना चाहिए। यह जरूरी बात है। हमारे दिल में एक दर्द है, एक कराह है, एक ऐसी चीख है जिसको सुनने की जरूरत है। जो कुछ आज इस सदन में होने जा रहा है, जो कुछ आज हम कहने जा रहे हैं, उसे सुनने के लिए कानों की आवश्यकता है, आवश्यकता है उन दिलों की जो उसको महसूस कर सकें। पांच सौ आत्महत्याएं जो जाएं और कोई जूं नहीं रेंगती। ऐसा अनर्गल काम तो मैंने दुनिया में सुना नहीं, देखा नहीं न कभी हुआ है। चाहे हमारी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो। देश हम सबका है। यह देश उन लोगों पर निर्भर करता है जो इसका पेट भरते हैं। दिन-रात हम काम करते हैं, खून-पसीना एक करते हैं। सर्दी और गर्मी को एक सा देखते हैं। सोमपाल जी शायद इस बात को जानते हैं, मैं समझता हूं शायद इन्होंने खेती की हो। यह जरूर जानते हैं कि ठंड क्या होती है। मैंने देखी है। जब सर्दी पड़ती है तो बर्फ जम जाती है और खेत में पानी लगाना पड़ता है और जब धूप होती है तो 50 डिग्री टैम्परेचर होता है, पसीना आ जाता है। आज इनमें से कोई भी आदमी मुझे ऐसा बताये जो खेत में चले, उसका सन-स्ट्रोक हो जायेगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हम वह दर्द भी महसूस नहीं करते। हम कुछ करते हैं उसका कोई मापदंड नहीं है। आज हम कहने जा रहे हैं, मैंने बहुत कुछ कहा है। मै, कभी इस मसले पर किसी से सहमत नहीं होता हूं। चाहे वह मेरी सरकार हो या आपकी सरकार हो, मैंने हमेशा विरोध की नीति अपनाई है। क्योंकि हमें इसको वाकई करना है। आपने एटम बम विस्फोट कर लिया, ठीक है। दुश्मनों ने कर लिया, दोस्तों ने कर लिया, पड़ौसियों ने कर लिया या किसी ने भी कर लिया, ठीक है। यह तो करते रहेंगे। लेकिन यहां जो एक टाइम बम बन रहा है, जो विस्फोट इस धरती पर होने वाला है, अपनी धरती मां पर होने वाला है, उसका दम क्या कर रहे हैं। सोचने की बात है कि आप क्या करने जा रहे हैं। हम 33 करोड़ थे, आज 99 करोड़ हो गये हैं। हमने पालिसी बनाई, हमने लैंड सीलिंग लागू कर दी, जमीन बांट दी, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब उसका क्या प्रारूप है। अगर यह इसी तरह से बढ़ती रही और इसी तरह से काम चलता रहा तो हम सोचेंगे। एक परिवार में तीन पीढ़ियां आ गई एक बाप, दो बेटे। दो के तीन या चार या चार के छः या आठ और वह धरती जिस पर आपने सीलिंग लगाई है, चाहे वह साढ़े 17 एकड़ थी कहीं पर साढ़े 12 एकड़ है। एक परिवार में तीन बच्चे और दो मियां-बीबी। बच्चे बड़े हो गये, जमीन बंट गई और आगे फिर वह बंटती चली गई तो वह एक फुटबाल फील्ड जितनी रह जायेगी और यह टीमिंग मिलियंस पैदा हो रहे हैं। जो गांव में अनइम्पलायमेंट है, बेरोजगारी है, पढ़े-लिखे लोग हैं, वे क्या करेंगे, कहां जायेंगे, यहां आयेंगे, स्लम्स में रहेंगे, यहां गंद करेंगे, गंदगी में रहेंगे और लोगों के लिए गंद करेंगे और आखिर में एक-दूसरे का गला काटेंगे। यह सोचने की बात है, इसको कोई सोच नहीं रहा है। इसी पार्लियामेंट में चाहे मैं आपकी कुर्सी पर था या आज यहां हूं, लेकिन मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि एक बात सोच लो, अगर इस बात का आज ध्यान नहीं करेंगे तो एक विस्फोट हो जायेगा, विप्लव हो जायेगा, खून की नदियां बहेंगी। इसलिए कि आप इस बारे में सोचते

नहीं हैं। आज बेचारा किसान मर रहा है। पांच सौ किसान मर गये, फिर एक हजार मर जायेंगे, तीन हजार मर जायेंगे। उसके बाद जब वह मरते-मरते देखेंगे तो आपको और हमें भी मारेंगे। क्योंकि आप देखिये ...(*व्यवधान*) मैं जो बात कह रहा हूं उसको सुनने की जरूरत है। यह सोचने की बात है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा भविष्य क्या कहता है। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ऐसा बाहर होता है, यहां नहीं।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : आज क्या होने जा रहा है। मैं देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं कि जहां जरूरत है वहां पीने का पानी नहीं है। पचास साल हो गये हैं। यहां एक दिन पानी नहीं मिलता है तो हड़ताल हो जाती है, घड़े फूट जाते हैं। एक दिन बिजली नहीं आती है तो पसीना आने लगता है। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

मुझे खेद है कि मेरे भाषण के बीच में बार-बार रुकावट डाली जा रही है। कृपया मुझे अपनी बात बेरोकटोक कहने दीजिए।

[हिन्दी]

मैं अपने दिल से यह बात कह रहा हूं, ये मेरे जज्बात हैं, जो मैं बताना चाहता हूं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आये।

[अनुवाद]

उन्हें यहां होना चाहिए था। मैं सभा में उनकी उपस्थिति चाहता हूं क्योंकि यह एक ऐसा विस्फोटक मुद्दा है, जिसकी सुनवाई करनी होगी। इसे देश भर में सुना जाना होगा। पांच सौ लोगों ने आत्महत्याएं की हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता। राज्य सरकारें सो रही हैं और केंद्र सरकार की भी यही स्थिति है।

श्री एन.सी. बोस (मुकुन्दपुरम) : यहां तक कि वह पक्ष भी खाली है।

श्री बलराम जाखड़ : मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वह खाली हो अथवा नहीं क्योंकि मैं पहले ही यह देख चुका हूं।

[हिन्दी]

मैंने देख रखा है, 17-18 साल से मैं देख रहा हूं। जब किसान की बात आती है तो ऐसा ही होता है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस देश में कंसेंसस हो। इस देश के लिए जीना है। इस देश के लिए मैं जीना चाहता हूं। मैं किसान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। कैसे मरे वे लोग।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : यह बताइए कि वे कैसे मरे?

श्री बलराम जाखड़ : वही बता रहा हूं। एक तो इतनी कम जमीन उनके पास रह गई है कि उनका गुजारा चलना मुश्किल हो गया है। दूसरी बात है कि आज एग्रीकल्चर करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये नाबार्ड, ये कोआपरेटिव, ये छोटी-छोटी संस्थाएं जो बहुत कम पैसा किसान को देती हैं। इनके दिए पैसे से कुछ बनता नहीं है। इन्द्रजीत जी मेरा दिल दहल जाता है। मैंने वहां लाशें देखी हैं। मैं एक टीम लेकर साऊथ में गया था। कांग्रेस प्रेसीडेंट ने मुझे चार लोगों की एक टीम के साथ वहां भेजा था। मैं आंध्र प्रदेश गया, मैं कर्नाटक गया। मैंने वहां से आकर उपप्रधानमंत्री जी को जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि प्रधानमंत्री जी जागो। यह स्थिति वहां की हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे कुछ मालूम है। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन यह स्टेट गवर्नमेंट सोई हुई है। मै भी इस बात को मानता हूं कि यह स्टेट सब्जैक्ट है, लेकिन क्या हम राज्य का विषय कहकर अपने दायित्व से हट जायेंगे। हमें जागना पड़ेगा। हमें उनके साथ कोआर्डीनेशन करना पड़ेगा। उनको डायरैक्शन देना पड़ेगा।

मुझे मालूम है, किसानों को हायब्रीड सीड 35 रुपए किलो देने की बात तय हुई थी, लेकिन नहीं मिला। थोड़ा बहुत मिला भी तो वह 200 रुपए किलो मिला और वह भी निकम्मा बीज मिला। और उसके बाद स्पूरियस सीड मिला। उसके लिए 500 रुपए किलो के दाम किसान को देने पड़े। उससे भी बात नहीं बनी। फिर क्या हुआ इन्क्लीमेंट वैदर के कारण किसान तबाह हो गया। उसके बाद वह बेचारा इंसैक्टीसाइड और पैस्टीसाइड वालों के पास गया और उन्होंने भी स्पूरियस कीटनाशक दिए जिससे रही सही कसर और पूरी हो गई और वह पूरी तरह तबाह हो गया।

सभापति महोदय, इस देश में एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट सोया हुआ है और एग्रीकल्चरल सर्विसेस बिलकुल नहीं चल रही है। इसको कोई पूछने वाला नहीं है। पूरी तूअर की फसल बरबाद हो गई। पूरी काटन की फसल बरबाद हो गई। आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि किसानों ने बहुत ऊंची दरों पर पैसा लिया जिसके कारण उनको अपनी जान देनी पड़ी। पंजाब में जब यूनियनिस्ट गवर्नमेंट हुआ करती थी, तब वहां एक सर छोटू राम मंत्री बने जिन्होंने किसान की जमीन, मकान और भैंस को कुडक न करने का कानून बनाया। हालांकि इस कानून का बड़ा विरोध हुआ कि यह काला कानून है। वहां पर लोन शार्क या ब्याज पर पैसा देने वाले व्यापारी किसान यदि पैसा नहीं दे पाता था, तो उसकी जमीन कुर्क करा लेते थे, उसका मकान कुर्क करा लेते थे, उसकी भैंस कुर्क करा लेते थे, लेकिन सर छोटू राम ने ऐसा कानून बनाया कि पंजाब में अब किसान की कोई जमीन कुर्क नहीं करा सकता, कोई मकान कुर्क नहीं करा सकता, कोई भैंस कुर्क नहीं करा सकता।

सभापति महोदय, जहां तक साऊथ की बात है और किसानों द्वारा हत्याएं किए जाने की बात है, वहां 40 से 50 प्रतिशत ब्याज पर किसानों ने पैसा लिया हुआ था। जब 8, 9, 10 और 11 प्रतिशत ब्याज के पैसे को किसान चुका नहीं पाता है, तो फिर 40 और 50 प्रतिशत ब्याज पर लिए पैसे को किसान कैसे चुका सकता है। नाबार्ड और

[श्री बलराम जाखड़]

कोआपरेटिव बैंकों से जो किसान को सस्ती दर पर पैसा मिलता है, जिसके लिए उसे कुछ लेना देना भी पड़ता है, जब वह उस पैसे को नहीं चुका पाता, तो फिर इतनी ऊंची ब्याज दर पर लिए गए पैसे को कैसे चुका पाएगा।

सभापति महोदय, मैं वारंगल गया था। वहां एक महीने से हड़ताल चल रही थी। वहां नायडू साहब भी आए हुए थे। मैंने उनसे भी बात चीत की थी। वहां सरकारी एजेंसियों द्वारा किसान का माल भी नहीं खरीदा गया था। इसलिए हड़ताल चल रही थी। जो माल खरीदा गया वह भी सस्ती कीमत पर खरीदा गया। काटन का भाव 2300-2400 रुपए का चल रहा था, लेकिन 1600-1700 रुपए पर खरीदा गया। आप बताइए किसान आत्महत्या नहीं करेगा, तो क्या करेगा। मैं मृतक किसान की बहन और बीवी से मिला हूं। उन्होंने बताया कि वो साल पहले 200 टन गन्ना दिया था। आज तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। इस प्रकार से अनेक किसानों के करोड़ों रुपए चीनी मिलों पर बकाया हैं। इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। मनी लैंडर उसके गले में रस्सी डालकर लटकाता है।

अपराह्न 2.00 बजे

(श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*)

मैं कहना चाहता हूं कि यह एक शुरुआत है और अच्छी शुरुआत नहीं है। अगर यही चीज रही तो फिर नया बवंडर उठेगा, एक नयी चीज फूटेगी और बम विस्फोट होगा। आदमी-आदमी को मारेंगे। यही बात वहां चलती है, यही लफड़ा होता है। मैं वहां देखकर आया हूं। इसका निराकरण क्या है? स्टेट गवर्नमेंट को वहां जाना चाहिए था लेकिन वहां कोई नहीं गया। चीफ मिनिस्टर साहब एक बार गये। वहां एक आदमी मर गया, दो आदमी मर गये, 10 आदमी मर गये-अब तो आप जागो। क्या कुम्भकरण की नींद सो गये? कोई पूछने वाला नहीं है। काम खत्म हो गया, जाने की जरूरत नहीं है और अगर गये भी तो एक चक्कर लगाकर आ गये। खरीद हो गयी काटन-यह प्रॉमिस देकर आये लेकिन उसके बाद किसी ने नहीं पूछा। मैंने नायडू साहब को यही कहा कि आपने तो वायदा किया था। यह तो वह बात है कि वायदा किया जो निभाना क्या। ऐसा सिलसिला थोड़ा ही होता है। यहां भी वही है और वहां भी वही है। छोटे मिंया सो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या होगा? कैसे काम चलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि दिन दहाड़े डाका पड़ रहा है, दिन दहाड़े लूट हो रही है। किसान से 50 परसेंट ब्याज लिया जा रहा है।

[अनुवाद]

आप कोई कार्यवाही नही कर रहे हैं ये सब डकैतियां दिन-दहाड़े हो रही हैं।

[हिन्दी]

इनको फांसी लगाओ। मारेटोरियम लगा दिये। अगर आप न्यायप्रिय हो तो आपका जो पैसा है, उस पर 10 परसेंट ब्याज ले लो। लेकिन 50 परसेंट ब्याज, यह तो चमड़ी उतारने वाली बात है। यही सारा सिलसिला है। मैं इस बात को देखता रहा हूं कि यह सिलसिला क्या है और क्यों हो रहा है?

इसके अलावा कम्पनसैशन की बात है। ठीक है कि फसल मर गयी लेकिन देश को दूसरी फसल की जरूरत है। जो बच्चे बचे हैं उनको खाने-पीने की जरूरत है। उसके लिए उन्हें आप पैरों पर खड़ा करो। मै जानता हूं कि सारी मदद आप नहीं कर सकते, कोई भी देश हो, सारे का सारा मुआवजा नहीं दे सकता, इस बात को मैं जानता हूं, यह प्रैक्टिकल चीज होती है लेकिन उसको पैरों पर खड़े होने के लिए आप जो कुछ दे सकते हैं, वह तो दो, जिससे वह नये बीज ला सके, नयी फसल खड़ी कर सके, उतने दिन के लिए खाद ला सके और सारा कुछ कर सके। इसके लिए असेम्बली में धरने हो रहे हैं। वहां कोई पूछने वाला नहीं है। असेम्बली में उन्होंने मेरे सामने बोला कि 140 मौतें हुई हैं लेकिन 350 के लगभग मौतें हुई हैं। इतनी उस वक्त कहते थे लेकिन जिस दिन मैं गया तो उन्होंने 199 मान ली। आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह एक तूफान है जो वहां से उठ रहा है। फिर क्या हुआ? मैंने कहा कि उनको पैसे दे दो, जो मर गए हैं, उनके घर की तरफ देखा कि उनके घर में कोई काम करने वाला बचा है या नहीं। एक जगह मैंने देखा कि तेरह विधवाएं मेरे सामने बैठी हैं जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा कि उनके पास पांच-पांच, दो-दो, तीन-तीन एकड़ जमीन भी नहीं है, ऊपर से इन्होंने इतना कर्जा ले लिया है, आप उनका कर्जा माफ करिये, उनको सहारा दीजिए और जैसा मैंने कहा कि एक लाख, दो लाख या पांच लाख रुपए दे दो लेकिन वह भी कम है। मैं जानता हूं कि आप ज्यादा नहीं दे सकते लेकिन उनको कुछ तो दो जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यह भी उनके दिमाग में नहीं है। यह सिलसिला कैसे चलेगा?

श्री सोमपाल जी, आप ध्यान से देखिये। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि आपका केलेमिटी रिलीफ फंड है, मुझे पता है कि वह बहुत कम है, छोटा है, इसके लिए आपको ज्यादा प्रबन्ध करना पड़ेगा। मैंने वह बात रखी लेकिन वह बात नहीं बनी। 10 हजार रुपये की एक इंश्योरेंस स्कीम है, वह खास मायने नहीं रखती। आप इंश्योरेंस कम्प्रहैनसिव बनाइये। किसान जो दे सकते हैं, उनके प्रीमियम ले लीजिए। कारखाना जलता है तो पैसा मिल जाता है। बैंक से कर्ज ले लेते हैं, राईट ऑफ हो जाता है लेकिन किसान का कौन राइट ऑफ करेगा? यहां तो जो काम नहीं करता उनको आप साढ़े आठ परसेंट बोनस दे देते हैं। देश में जो काम करे, उसको कोई छूट नहीं मिलती। हमारे पंजाब में एक कहावत है कि "नाचन खान नूं बंदरिया और डंडे खान नु रीछ" यानी नाचने खाने के लिए बंदरिया होती है, जो चना मीठा होता है उसको बंदरिया खाती है—यह क्या तमाशा है? हमारे कंधे पर रखकर सबसिडी दी जाती है, हम फसल पैदा करते हैं, पेटो बहुत पैदा किया था, अब ज्यादा आलू पैदा करो लेकिन उसे उठाने वाला कोई नहीं, स्टोरेज करने वाला कोई नहीं। किसान मर गया। बहुत दिक्कत की बात आई तो कहते हैं कि सरकार दे, नेफेड दे। प्याज के बारे में मुझे पता था। मैंने एक्सपोर्ट किया था, बहुत बढ़िया काम दिलाया था, इस दफा कुछ नहीं हुआ। हमने खुद पैदा किया। यहां जयपुर के पास वाले बैठे हैं, उनसे आप पूछिये। मजदूरी पूरी नहीं हुई और फिर

आपको पता है कि यहां किस तरह प्याज की त्राहि-त्राहि मची हुई है। यह क्या है? पोस्ट हारवेस्ट टैक्नोलोजी नहीं है, ग्रेडिंग नहीं है, स्टोरेज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यह क्या है? मैंने शुरू किया था, आप इसको जरा संभालिएगा। इसके लिए 24 करोड़ का प्रोवीजन सातवें प्लान में था, उसकी जगह एक हजार करोड़ रुपया मैंने इस बात के लिए रखा था कि कम से कम कोई सिलसिला बने तो सही, स्टोरेज तो बने, कोई प्रोसेसिंग प्लांट तो लगे। आप एग्रो बेस्ट इंडस्ट्रीज जब तक नहीं लगाओगे और पृथ्वी से यह भार नहीं उठाओगे तो आपका यह काम नहीं बनने वाला है, यह आप सुन लीजिए।

अमेरिका में 1.9 परसेंट आदमी खेती में काम करते हैं, यूरोप में 6 से 7 परसेंट लोग काम करते हैं। जापान में सिर्फ ढाई से तीन परसेंट आदमी खेती में काम करते हैं और हमारे यहां 70 फीसदी आदमी खेती में काम करते हैं। कहां तक यह पृथ्वी आपका बोझ संभालेगी, कहां तक हम इसमें से रोटी निकाल कर खाएंगे। यह सारा सिलसिला समझने वाला है, इसको समझने की कोशिश करो। हमारे पैरीसेबिल प्रोडक्ट का 25 से 30 फीसदी जाया हो जाता है, जो कि बाहर के, डवलप्ड कण्ट्रीज में सिर्फ डेढ़ या दो परसेंट जाया होता है। पहले जापान में भी इतना ही होता था, में वहां गया था, उनका आदमी यहां आया था, उसके साथ हमने काम भी किया, उसके स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, बेचने के लिए एक स्कीम भी बनवाई। किसान को साथ में लगाकर एग्रो बेस्ड कन्सोर्टियम की बात फिर से बीच में लटक रही है, उसको चलाओ। कृषि विज्ञान केंन्द्र चलाने की बात की थी, उसमें लोगों को सिखाओ कि क्या करना है, कैसे नये बीज बनाना है, किस तरीके से नये बीच पैदा करके बाहंर भेजना है। यह मुकाबला तो लोगों से करना पड़ेगा। हमारे पास आदमी हैं, हमारे पास हाथ हैं। उनके पास आदमी नहीं हैं, उनके पास हाथ नहीं हैं। उनका बनाया हुआ महंगा होगा, हमारा बनाया हुआ सस्ता होगा। लेकिन हम उससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। इसमें लोगों को सिखाने की जरूरत है। हम उनको नये बीज बनाना कैसे सिखाएंगे? कृषि में आप बात करते हैं, आपके यहां तो शायद बरसात हो जाती है, लेकिन मैं उस इलाके की नुमाइंदगी करता हूं, जहां पानी की बूंद नहीं बरसती, 25-25 मील तक चले जाओ पानी नहीं मिलता, दरख्त नहीं मिलता, मकान नहीं मिलता। वहां क्या है? किस तरह से होगा? होगा, अगर दिल होगा तो जरूरत होगा। अगर दिमाग होगा तो जरूर होगा और अगर हमारी इच्छा होगी तो जरूर होगा।

इसी पानी से कितनी भूमि सिंचित हो सकती है, लेकिन यह वही करेगा, जिसको खेती करने का पता है। जिसको पता ही नहीं कि चने का बूटा दो फुट का होता है या 20 फुट का होता है, वह वहां क्या करेगा। सैक्रेटरी बैठ जाते हैं, जिनको कुछ पता नहीं, जो कभी खेत में गये नहीं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठ गये, जिसका पता नहीं, खेती किस चिड़िया का नाम होता है, वह यहां क्या करेगा। खेती खस्मा खेती होती है, जिसने खेती हाथ से नहीं की, उसको कोई पता नहीं, किसान क्या होता है। यह जरूरी है, आशय समझना जरूरी है कि क्या है। आप पानी की बात करते हैं, कहते हैं, क्या करोगे। थोड़ी बहुत जमीन जो बाकी बची हुई है, उसेक लिए पानी दे सकते हैं। मैंने कृषि मंत्री के तौर पर राजस्थान में इजराइल की टीम भेजी थी।

[अनुवाद]

उन्होंने एक योजना बनाई थी।

[हिन्दी]

वहां पूरा का पूरा बनाकर आये हैं।

[अनुवाद]

मैंने इसे राज्य सरकार को सौंप दी।

[हिन्दी]

उसी इंदिरा गांधी कैनाल के पानी से तीन गुना एरिया सिंचित हो सकता है और मैं जो वहां पीलीबंगा के एरिया में देखकर आया हूं, उस एरिया के लिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को लिख-लिखकर थक गया, आठ साल से मैं लगातार लिख रहा हूं और देखने की बात यह है कि वह सारी भूमि पानी से भर गई, वाटर लाग्ड हो गई। वहां 20 लाख एकड़ के करीब जमीन पानी में दब गई, वहां मकान ढेर हो गये, उनकी छुट्टी हो गई। जो बेचारे कमाने वाले किसान थे, वे बेघरबार हो गये, न उनकी जमीन का मुआवजा है, न उनके घरों के लिए है, न उनको पुनः स्थापित करने की बात है। वहां जमीन ले लेते हैं, अभी यहां बैठे हुए एक भाई कह रहे थे, वे चले गये कि एक्वीजीशन के बाद पैसा भी नहीं देते। तुम एक्वायर कर लेते हो, हमारी जमीन भी लेते हो, हमको पैसा भी नहीं देते, यह क्या तमाशा है? उनको पूरा पट्टा भी नहीं देते, लटकाये रखते हैं। उसके बाद पट्टा दे देते हैं, उसको कहते हैं कि अगले साल फिर पट्टा लाओ, फिर पैसा ले लेते हैं, फिर उसको पट्टा इश्यू कर देते हैं, यह क्या तमाशा है, यह कब तक चलेगा? यह खाल हमारी कब तक उतरनी है, हमारी ऊन कब तक उतारते रहोगे, हमें तो इन लोगों ने भेड़ समझ रखा है। यह सारी चीज समझने की जरूरत है।

अगर इरीगेशन में हम काम करें, अब नर्मदा कैनाल जा रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नर्मदा कैनाल राजस्थान में, कच्छ में और सौराष्ट्र में जा रही है। उसमें कुछ एरिया महाराष्ट्र का भी लगा हुआ है, मध्य प्रदेश में भी आयेगा, मैंने राव साहब जब प्रधानमंत्री थे, तब उनसे कहा था, हमारे पटेल जी थे, उनको भी मैंने बोला, उनसे पहले जो कांग्रेस के थे, उनको भी इकट्ठा करके बताया था कि यह आप ऐसा कर रहे हो कि या तो सर्वनाश हो जायेगा, या स्वर्ग बन जायेगा। यह सारी भूमि समुद्र के नजदीक है, इसमें साल्ट है और सब पानी भर जायेगा, इसमें ऊपर नमक आ जायेगा, साल्टिश होगा, फिर न उसमें खेती होगी, न कुछ होगा, नर्मदा नर्मदा रह जायेगी। अगर इसी से स्प्रिंकलर इरीगेशन कर देंगे, इसी से ड्रिप इरीगेशन कर देंगे, जैसे इजरायल वाले करते हैं तो काम बन जायेगा। तो यह 45 लाख एकड़ के बजाए डेढ करोड़ एकड़ में होगा। इससे कितना फायदा हो सकता है, यह देखने की बात है। सिर्फ एक इन्वैस्टमैंट की बात है, यह वक्त की बात है और दो साल भी नहीं लगेंगे पूरा पैसा आने में। मैने मनमोहन सिंह जी से लड़कर यह करवाया था। मैंने कहा कि ड्रिप इरीगेशन के लिए, स्प्रिंकलर इरीगेशन के लिए आप सब्सिडी दो। उस वक्त 50 प्रतिशत आम किसान के लिए दी गई और 75 प्रतिशत

[श्री बलराम जाखड़]

हरिजनों और बहनों के लिए दी गई। मैंने कहा यह सब्सिडी आप नहीं दे रहे, हो यह किसान तुम्हे दे रहा है। आप एक नहर निकालते हैं, डैम बनाते है तो 100 रुपया खर्च करते हो, यहां किसान डबल सिंचाई करके दे रहा है और उसमें आधा वह दे रहा है, आधा तुम दे दोगे तो उस पर कोई एहसान नहीं करोंगे। जबकि वह तुम्हारे पर एहसान कर रहा है।

इसी तरह से सरकार द्वारा भाव निर्धारित किए जाते है। सरकार द्वारा सारा माल खरीदा जाता है और कहा जाता है कि उपभोक्ताओं के लिए खरीदते है इसलिए उनको ठीक मूल्य पर मिलना चाहिए। ठीक है आपकी जेब मैं पैसा है तो बांटों। लेकिन गरीब किसान के कंधों पर रखकर आप सब्सिडी देना चाहते हैं और कहते हैं कि इस सब्सिडी दे रहे हैं, तो हम कहां दे रहे हैं, वास्तव में वह दे रहा है। आप कारखानों को खाद बनाने के लिए सब्सिडी देते हों, तो उनको क्या नहीं दे सकते। आप मेरे साथ चलकर गांव की हालत देखिए, अगर तीन दिन भी वहां रूक जाएंगे तो नानी याद आ जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी जमीन ले लो और इसको साफ करके बता दो। इसलिए मेरा कहना यह है कि कुछ करने से बात बनेगी, यह कोई तमाशा नहीं है।

आप सिंचाई में बहुत कुछ कर सकते है सिंचाई वालों से मैनें बात की है। अगर सोमपाल जी, आपको भविष्य की बात करनी है, मेरे दिल में जो दर्द है, उसको समझना होगा। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पार्टी के लिए या अपने लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो अपने देश के 75 प्रतिशत किसान के लिए कह रहा हूं। उनकी हालत आप देखिए। वे लोग उजड़ गए हैं, सत्यानाश हो गया है। वही पानी अमृत बनकर फसल लगा सकता था। अब भी इस मामले में बहुत कुछ किया जा सकता है। एक जगह लोग एक चैनल में पानी डाल रहे थे और कहते थे कि 16 या 18 डिप्रैशन में डाल दो। मेरे पास सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट की कापी है। उसमें लिखा है कि अगर आप डिप्रैशन में धग्घर का पानी डालेंगे तो साढ़े चार या पांच साल में सूरतगढ़ शहर डूब जाएगा, और वे उसमें पानी डाल रहे है। मैंने कहा कि तुम्हारी समझ को क्या हो गया है। मैनं मुख्य मंत्री को पत्र लिखा था। मैने कहा कि क्या कर रहे हो, आप बचाने की बात करते हो या उजाड़ने की बात कर रहे हैं। इसलिए यह सोचने की बात है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे सिंचाई ठीक ढंग से हो सकती है।

जहां तक पैसे की बात है आप सोसाइटीज से, नाबार्ड से कहो कि ज्यादा पैसा दें। मैने अपने समय में यह व्यवस्था की थी कि अनाज सारे देश में ले जाया जाए। कुछ राज्य ऐसे हैं जो बीच में बैठ जाते है और कहते है कि हम अपने यहां से बाहर नहीं जाने देंगे। जबकि देश का किसान एक है। किसान को भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर एक साइकिल लुधियाना से बनकर कलकत्ता, चैन्नई जा सकती है तो किसान का माल एक जगह से दूसरी जगह क्यों नहीं जा सकता। किसान की बात करते हैं तो उसको मना कर देते हैं और उसका माल एक जिले से दूसरे जिले में भी नहीं पहुंचने देते। अगर पूछते हैं तो कहते हैं कि उपभोक्ता मर जाएगा। क्या किसान ने ठेका ले रखा है जिलाने का, क्या हमने भार उठा रखा है? हमें भी जीने का अधिकार है। ऐसा नही हो सकता कि किसान की आप खाल तक उतार लें। इसलिए आपके पास पैसा है तो सबमें बांटो।

जहां तक एफ॰सी॰आई की बात है, मैं पिछले दिनों राजस्थान में गया था। वहा मैने घड़सना मंडी, खाजूवाला मंडी और जाने कितनी मंडियों का दौरा किया। लोग कहते हैं कि एफ॰सी॰आई॰ वाले नहीं आते, किसान का माल पड़ा रहता है, कोई उठाने वाला नहीं है। बाकी लोग सस्ते भाव में ले जाते हैं और आगे बेच देते है। इसी तरह से सी॰सी॰आई॰ माल नहीं खरीदती, उस पर हो यह रहा है कि है कॉटन इम्पोर्ट कर रहे है। मेरी समझ में यह बात नही आती अभी हमने 10 लाख गांठे बाहर से मंगवाई, उसकी क्या जरूरत थी? जबकि कॉटन का निर्यात होना चाहिए। इसलिए एक सही नीति होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। यह ठीक है कि आप दुनिया के साथ व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन आपके फसल हो तो निर्यात करें और न हो तो उस वक्त आयात करने की बात करें। यह न हो कि हमारा किसान मारा जाए। हमने चार मिलियन टन गेहूं पहले मंगवा लिया, अब फिर एक मिलियन टन मंगवा रहे हैं, जबकि हमारे पास उसे रखने के लिए जगह नहीं है। सदर्न पोर्ट्स पर जगह नहीं है। जो गेहूं ला रहे हैं उसमें 36 तरह के अंश मिले हुए हैं, जो घातक भी हो सकते हैं।

[अनुवाद]

वे मेरी खेती नष्ट कर सकते हैं। उनकी कौन परवाह करता है? मेरे गोदाम में 37.8 मिलियन टन सामान था।

[हिन्दी]

पीसकर उसको खिलाओं एक दाना भी खेत में मत आने दो लेकिन जब उसकी जगह ही तीस हजार टन की है तो आप उसको क्यों ला रहे है? आज हमारे पास छः मिलियन टन पहले ही पड़ा हुआ है और जब पहले ही हमारे पास छः मिलियन टन है और साढ़े छः मिलियन टन हमारी फसल आ रही है, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं है। यह सोचने की बात है।...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति महोदय, मैं जाखड़ जी के भाषण से प्रभावित हूं। आप कृषि मंत्री रहे हैं। आपने बहुत कुछ करने की कोशिश की है लेकिन आज जो सारी बातें हुई हैं, उनके लिए आप भर्त्सना कर रहे है, क्या इन सबके लिए आज की सरकार जिम्मेदार है?...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार : हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : वह हम सुन रहे हैं। हमारा उनका पुराना रिश्ता है। आपसे ज्यादा पुराना रिश्ता है। ...*(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ : मैंने आपका विरोध नहीं किया।

श्री राजवीर सिंह : आप जैसे विद्वान व्यक्ति आज इतने अच्छे विषय पर बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप साफ–साफ कहिए कि

इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पचास साल के अंदर किसान की यह दुर्दशा क्यों हो गई?

सभापति महोदय : अब उन्हें बोलने दीजिए।

श्री बलराम जाखड़ : आप तो किसान को बोलने देना भी नहीं चाहते है। मैं बोल रहा था कि मेरे एक पूर्व प्रधान मंत्री ने मुझसे कहा कि अरे, भारत के पूर्व कृषि मंत्री सूट पहनकर बैठे हुए हैं- हम क्या सूट भी नहीं पहन सकते? हम क्या मां के पेट से पैदा नहीं हुए हैं? क्या हम पैराशूट से उतरे है? मेरा बस चलेगा तो किसान को सूट पहनाकर छोड़ूंगा। यह लड़ाई जारी रहेगी। मैं आपकी बात का विरोध नहीं करता। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं किसी बात की परवाह नहीं करता।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : सभापति महोदय, जाखड़ जी भारत के जाने माने और बहुत ही प्रगतिशील किसान होने के साथ-साथ देश के लम्बे समय तक कृषि मंत्री भी रहे है। इनकी इस विषय के ऊपर बहुत पकड़ है, इसमें संदेह नहीं है, यह बिल्कुल निर्विवाद है। मैं यह भी जानता हूं कि जब वह किसान की बात करते है तो भावुक हो जाते है। आप भारत सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं। इस महान सदन के दस वर्ष तक अध्यक्ष भी रहे है। बहुत कम लोग ऐसे रहे होंगे। किसान के विषय में आपकी जानकारी और दर्द भी सर्वविदित है। आप जिम्मेदारी के पद पर रहे हैं और आपकी सीमाएं रही है। राजवीर सिंह जी का कहना अनुचित नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता क्योंकि दलगत भाव से ऊपर उठकर इस बहस के चलने की बात माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वयं अपने मुखारबिन्द से अपने प्राथमिक वक्तव्य में कही है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसे भावुकल पूर्ण शब्दों में व्यक्त करने की बजाए आप कुछ कारगर सुझाव दीजिए, हम निश्चित तौर पर उन पर विचार करेंगे।

श्री बलराम जाखड़ : मैने तो कोई पार्टी की बात नहीं की है। मैंने अपने को भी नहीं बख्शा। मैं किसी को नही बख्श रहा हूं। जो मैंने बाते कही हैं, वे सुझाव ही दिए है। जो खुला करने की बात कही है, वह भी सुझाव है। जो एक्सपोर्ट करने की बात कही है, वह भी सुझाव है। जो आपको एग्रो-बेस्ड-हार्वेस्ट-टैक्नॉलोजी का सुझावर्वे दिया है कि हम उसको स्टोरेज करें, प्रोसेस करें, डिब्बाबंद करके भेजें। बीज उगाने की बात कही है, ये सब सुझाव ही हैं। मैं बिल्कुल अनर्गल बात नहीं करूंगा। मैं इस पक्ष में और उस पक्ष में नहीं जा रहा हूं। मेरी वाणी ने कभी फर्क नहीं किया। मैं हमेशा सच कहता आ रहा हूं और जब तक मुझमें आत्मविश्वास है, मैं सच कहता रहूंगा।

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : आप ऐसा कहिए कि हम इन सब बातों की अपेक्षा करते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ : यही नहीं, आप देखिए कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कपास की फसल भी तबाह हो गई।

पिछले साल तो सत्यानाश हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस बारे में पता कर सकते हैं। आप माननीय सदस्य सदन से उठकर जाइए मत, बैठिए। मैं कहना चाहता हूं, मुकतसर, मलोट और फरीदकोट के सारे क्षेत्र में वाटरलोग की समस्या पैदा हो गई है। इसका कारण मिसमैनेजमेंट है और हमारी छोटी विचाराधारा है। हम पानी में डूब जायें, लेकिन पानी नहीं देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बांट कर खाना चाहिए और इसी से तरक्की होगी। इसके साथ-साथ ड्रेनेज का भी बन्दोबस्त करना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि कितना पानी आता है और कितना पानी भूमि ले सकती है।

जहां तक यूनिवर्सिटीज का सवाल है, हमें देखना चाहिए कि इनको कितना पैसा दिया गया है और इससे किसानों को कितना लाभ हुआ है। हमने कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना अपनी आवश्यकता के अनुसार की थी। मेरे विचार से इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। हमारी सरकार ने इसकी बुनियाद रखी थी और आप यह देखें कि किस प्रकार ये चलाए जा सकते हैं।

[अनुवाद]

यह केवल एक रचनात्मक सुझाव है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं केवल अपने दुखों को प्रकाट कर रहा हूं जिन्हें मैंने महसूस किया है।

[हिन्दी]

हमारे किसान 50-51 डिग्री तापमान में खेतों में काम करते हैं। मैं अभी एक गांव में गया था, वहां मुझे एक बूढ़ी मां मिली, जिनकी उम्र 90 साल की थी, और कहने लगी कि बेटा हमें तो पीने का पानी मिल जाए। यह हालत वहां है। मैं यह बात आप से कहना चाहता हूं, सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं। इसके साथ ही यदि समस्या का निदान लिफ्ट इरिगेशन से हो सकता है, तो उसको करना चाहिए। एक झगड़ा यह भी हो रहा है कि हम इरिगेशन पोटेंशियलिटी कम करना चाहते हैं। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मेरे विचार से इसका दूसरा निराकरण है और वह यह है कि इसको हम सार्थक तरीके से चलायें, तभी हम विकास कर सकेंगे। जहां तक ड्रिप इरिगेशन की बात है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैसूर के पास एक गांव में एक आदमी के पास 12 एकड़ जमीन थी। मुझे उस व्यक्ति ने दिखाया कि वह तीन एकड़ में गन्ना पैदा करता है और दो पम्पस काम करते हैं। वह कोशिश करता है कि पांच घन्टे पम्प चला कर 12 एकड़ में गन्ना पैदा करे। उसने किया, तो 150 फीसदी प्रोडक्शन हुआ। प्रश्न यह है कि यह कैसे होता है और किस हिसाब से काम होता है, इस बारे में सोचने की जरूरत है। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि को-आपरेटिव्स को मजबूत करें। इस बारे में कानून लायें। इस बारे में मैंने कोशिश की थी, लेकिन यह मामला बीच में लटका हुआ है। एक शेर है :—

"बहुत शोर सुनते थे, पहलू में दिल का।
जो चीरा, तो कतरा-ए-खून न निकला।"...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : महोदय, मैं कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य यहां नहीं थे, तो उनके सहयोग के बिना को-आपरेशन कैसे होता।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, सीधी बात है कि काम कैसे करना है, यह सोचने की जरूरत है। मैंने अपने समय में एक एग्रीकल्चरल

[श्री बलराम जाखड़]

पालिसी दी थी। उसमें कमियां हो सकती है, मैं कोई साइंस-दां नहीं हूं कि मुझसे गलती नहीं हो सकती है।

[अनुवाद]

मैं सर्वज्ञ तो नहीं हूं।

[हिन्दी]

मैं चाहता हूं कि उसमें सुधार करके लागू करें। हमारा कोई सहयोग आप लेना चाहते हैं, तो हम देने के लिए तैयार हैं। आपको ऐसे लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि उनका विकास आप किस तरह से करते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं, किसानों को उनके उत्पादन का उचित भाव देना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी जो गेहूं देश के अन्दर आई है, उसको पीस कर दें, बीज मत दीजिएगा। हमारे पास स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। जो गेहूं आप लेने जा रहे हैं, वह आपको 900 रुपए तक पड़ेगा, लेकिन हम तो आपको 510 में ही देने जा रहे हैं, क्योंकि हम रख नहीं सकते हैं। मजदूरी का नाम कोई दूसरा नहीं है—हमारे पास पैसा नहीं होता है। किसान की जब फसल पैदा होती है, तो उसको वह फसल मंडी में लानी ही होती है। जब मंडी में लाना पड़ता है। जब वह आपके भाव पर नहीं बिकती है, जब आपको खरीदनी नहीं होती है तो वह 400-450 रुपए रेट पर बेचने पर मजबूर हो जाता है। अगर उसके पास पैसा होता या आप बैंक से दे देते तो वह भी उसको घर रख लेता, छह महीने बाद आपको दे देता तो उसको भी 700-800 रुपए मिल जाते। लेकिन आप किसान को देना नहीं चाहते, यहां काम वाले को दे देंगे लेकिन किसान की खाल उतारने में होशियार हैं। जिनको लिखना होता है वे लिखते नहीं, उनकी मर्जी है। जब किसान की बात होती है तो सिर्फ दो लाइन में बात हो जाती है। चलो, आपकी इच्छा है, हम तो पिटने के लिए पैदा हुए हैं, पिटते रहे हैं और पिटते रहेंगे। जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक नहीं उठेंगे।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहता हूं कि —"करिए सहायता, देखिए उनके दुख, उनके आंसू पोंछने की कोशिश करिए, हम आपके साथ है।" अगर अच्छा काम करोगे तो आपकी प्रशंसा होगी।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने मुझे दक्षिणी राज्यों और विशेषकर केरल में किसानों की वर्तमान स्थिति के संबंध में बोलने का अवसर प्रदान किया। यह कहा जा सकता है कि केरल में आत्महत्या जैसी घटना नहीं हुई है। जैसाकि हम सभी जानते हैं कि केरल एक ऐसा राज्य है जो रबड़, कोपरा जो एक नारियल उत्पाद है, सुपारी, इलायची, इत्यादि जैसी व्यावसायिक फसलों का उत्पादन कर रहा है। अब हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमारे राज्य में खाद्यान्नों की कमी है। अब मुझे केरल के किसानों की दयनीय अवस्था के बारे में सरकार को अवगत करना चाहिये। मैं प्रत्येक फसल के बारे में उससे जुड़ी विशेष बातों के साथ कुछ कहना चाहूंगा।

सर्वप्रथम, मुझे केरल में नारियल उत्पादकों की दयनीय स्थिति के बारे में बताने दीजिये। केरल ऐसा पहला राज्य है जिसने भूमि सुधार अधिनियम लागू किया अधिकांश किसान छोटे जोत क्षेत्र वाले हैं। इसीलिये मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा था कि केरल में लगभग 25 या 26 लाख लघु नारियल उत्पादक हैं। उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। परन्तु केवल उनसे ही समस्या की समाधान नहीं हो सकता। मुख्य प्रश्न यह है कि उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। मुझे मूल्यों के उतार-चढ़ाव के संबंध में कतिपय आंकड़े प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

खोपरा या नारियल का बाजार स्थिर नहीं है। यह कई कारणों से समय-समय पर परिवर्तित होता रहता है। मैं उन सभी कारणों को यहां नहीं लूंगा। सर्वप्रथम, आपको ज्ञात होना चाहिये कि 'केरल' राष्ट्र 'नारियल' से लिया गया है। 'केरा' शब्द का आशय नारियल की फसल से है। स्वयं राज्य का नाम ही नारियल की फसल पर रखा गया है। हमारी भूमि नारियल की खेती की भूमि है। यदि आप केरल राज्य के तटीय क्षेत्रों में दक्षिण से उत्तर की ओर जायें तो आप संपूर्ण राज्य में नारियल के लाखों खेत देखेंगें।

लोग उसी छोटे से क्षेत्र में रहते हैं। किसानों के पास एक एकड़ या दो एकड़ परन्तु तीन एकड़ से अधिक जमीन नहीं हैं। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया था, उनकी संख्या लगभग 25 लाख के बराबर है। उनकी आय का मुख्य स्रोत प्रत्येक 50 दिनों के अन्तराल में एक बार नारियल के पेड़ की बिक्री है। यह केरल में नारियल की स्थिति है।

नारियल के मूल्य में उतार-चढ़ाव होने से राज्य की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। अब मूल्यों में उतार-चढ़ाव तो आए दिन आता रहता है। नारियल के किसानों को बड़ी कठिनाई में डाल दिया गया है। नारियल, कोपरा तथा नारियल तेल के मूल्य निरंतर घट रहे हैं। हाल ही में केन्द्रीय सरकार की आयात-निर्यात नीति के कारण नारियल के मूल्य में गिरावट आयी है, जो खतरनाक है। कोपरा का मूल्य 4,434 रु॰ प्रति क्विंटल से घटकर 2,650 रु॰ प्रति क्विंटल हो गया है। अब आप कमी को देखिये। लगभग 4,500 रु॰ से घटकर यह 2,500 रु॰ प्रति क्विंटल हो गया है। अतः दो या तीन महीनों की अवधि में लगभग 2,000 रुपये की गिरावट आई है। हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री, श्री राम कृष्ण हेगड़े द्वारा आयात-निर्यात नीति की घोषणा किये जाने के पश्चात् मूल्यों में गिरावट आयी है।

अब कुछ कष्टकारी महीने भी हैं जबकि उत्पादन कम होता है। परन्तु दुर्भाग्यवश इस अवधि में भी हमें लाभकारी मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा जबकि उत्पादन निम्न स्तर पर होता है। जो मूल्य मैंने पहले उद्धृत किये हैं वे केवल रिकार्ड में हैं। वास्तव में, बेचारे किसान को यह मूल्य नहीं मिलेगा। उसके लिये यह मूल्य प्रकाशित मूल्यों से बहुत कम होगा। अतः नारियल के किसानों की हालत तब ज्यादा खराब होती है जब वह अपने उत्पाद बेच रहा होता है। यह केरल की स्थिति है।

अब राज्य सरकार तथा केरल के नारियल किसान कोपरा का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। अब वे 4,160 रु॰ प्रति क्विंटल मूल्य की मांग कर रहे हैं। बगैर समर्थन मूल्य के अथवा न्यूनतम मानक मूल्य निर्धारित किये बगैर वर्तमान परिस्थिति में केरल के नारियल किसानों के लिये जीवित रह पाना संभव नहीं होगा। ये निर्धन किसान नारियल की बिक्री से प्राप्त आय से अपने बच्चों को शिक्षा के लिये भेजते हैं। वास्तव में उनकी स्थिति अत्यन्त शोचनीय है।

वर्ष 1997-98 में भारत सरकार द्वारा घोषित आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत अब नारियल और कोपरा का आयात किया जा रहा है। पहले नारियल के बारे में कुछ प्रतिबंध थे। अब वे सभी प्रतिबंध हटा लिये गये हैं। अतः कोपरा और नारियल का भारत में बिना किसी शर्त के खुला आयात किया जा सकता है। और इसने घरेलू बाजार पर बुरा प्रभाव डाला है। इन सब बातों को दूर किये बगैर केरल के नारियल किसान कभी जीवित नहीं रह सकते।

एक अन्य कठिनाई भी है। वनस्पति तेल पर आयात मूल्य 1994 के दौरान 65 प्रतिशत से घटाकर 1995 के दौरान 30 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे भी यह पता चलेगा कि नारियल उत्पादक किसानों के जीवन स्तर में काफी गिरावट आई है। पुनः, 1996 में इसे घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया इन उपायों से नारियल तेल और कोपरा के मूल्यों पर निराशाजनक प्रभाव पड़ा है। यह एक अन्य समस्या है।

पुनः ताड़ के तेल का ओपन जेनरल लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनुमति दी गयी है जिसके फलस्वरूप नारियल तेल को घरेलू बाजार में गंभीर प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी सूचना है कि 1997 के दौरान देश में लगभग 1.3 लाख टन ताड़ के तेल का आयात किया गया है। इसका उपयोग मुख्यतः नारियल और अन्य खाद्य तेलों में मिश्रण के लिये किया जाता है। आयातित ताड़ के तेल को घरेलू नारियल तेल के साथ मिलाया जाता है और बाजार में कम कीमतों पर बेचा जाता है। पुनः ऐसा पता चला है कि फिलिपींस तथा श्रीलंका से आयात किये गये नारियल तेल और कोपरा गुणवत्ता के लिहाज से बाजार में उपलब्ध केरल के नारियल तेल की तुलना में अच्छा नहीं है। उनमें से कुछ में फफूंदी लगी है और वे स्वास्थ्य के लिये भी हानिकार होंगे। अतः फिलिपींस और श्रीलंका से आयातित नारियल तेल का प्रयोग करना खतरनाक है। तुलनात्मक रूप से गुणवत्ता की दृष्टि से यह नारियल तेल से बेहतर नहीं होगा। हम काफी समय से भारत सरकार को यह सारी बातें कह रहे हैं। धरने दिये गये तथा केरल सरकार और केरल के नारियल उत्पादक किसानों द्वारा ज्ञापन भी दिये गये। परन्तु कुछ फायदा नहीं हुआ और न ही केरल के नारियल उत्पादकों की स्थिति में सुधार के लिये अभी तक कुछ किया गया है।

अतः केरल के नारियल उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिये हम कम से कम तीन उपाय सुझाते हैं। प्रथमतः, कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि की जाये ताकि इसे लाभकारी बनाया जा सके और इसकी घोषणा बिना विलंब के की जाये। केन्द्रीय सरकार को कोपरा के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने के बारे में निर्णय लेना चाहिये। इसके बगैर केरल के नारियल उत्पादकों की स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। लेकिन वे आत्महत्या करने में विश्वास नहीं रखते हैं। आत्महत्या करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। हमारे लोग शिक्षित हैं और राज्य पूर्णतया शिक्षित है। अतः, इस समस्या के समाधान के लिये वे आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तथापि वे कष्ट सहन कर रहे हैं। अतः, सबसे पहली चीज जो भारत सरकार को करनी चाहिये वह यह है कि नारियल के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाये। मैं सुझाव दूंगा कि नारियल के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य 4150 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाना चाहिये। हमने इसे निकाला है, केरल सरकार ने इसे निकाला है और केरल के किसानों ने भी इसे निकाला है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में जो तर्कसंगत न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जा सकता है वह 4150 रुपये प्रति क्विंटल होगा।

प्रश्न का दूसरा पहलू यह है कि नारियल तेल और ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय को आश्वासन देता हूं कि घरेलू बाजार के उपभोग के लिये केरल आवश्यक मात्रा में नारियल तेल पैदा करेगा। आप फिलिपींस तथा श्रीलंका से नारियल तेल क्यों आयात कर रहे हैं, जो किसी काम का नहीं है और स्वास्थ्य के लिये भी हानिकर है अतः दूसरा अनुरोध है कि दूसरे देशों से नारियल तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाये।

तीसरी बात यह है कि सरकार को कतिपय तेलों पर आयात शुल्क कम करना चाहिये और यथास्थिति बनाये रखनी चाहिये। इस उद्देश्य से देश में उत्पादित नारियल तेल के लिये एहतियात के तौर पर वनस्पति तेल पर आयात शुल्क वर्तमान बीस प्रतिशत से बढ़ाकर पैंसठ प्रतिशत कर दिया जाना चाहिये। आयात-निर्यात नीति के अनुसरण में भारत सरकार ने इसे घटाकर बीस प्रतिशत कर दिया है। मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि इसे बढ़ाकर पचास प्रतिशत कर दिया जाये जो पहले भी था। इसके बगैर, केरल के नारियल उत्पादक जीवित नहीं रह सकते हैं।

अंत में, नारियल क्रीम, नारियल दूध पाऊडर आदि जैसे नारियल उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाये। ये कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो आयात किए जा रहे हैं। किन्तु हम सरकार को बता सकते हैं। कि विश्व में उपलब्ध अति उत्तम नारियल क्रीम जैसी क्रीम का केरल उत्पादन कर सकता है। और निश्चय ही केरल के किसान विश्व में अत्यंत स्वादिष्ट नारियल दूध पाउडर का उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए जब ऐसी स्थिति है, तो क्यों आपको विदेशों से नारियल दूध पाउडर और नारियल क्रीम का आयात करना चाहिए। वे यह वर्षों से कर रहे हैं। यहां तक कि यह नारियल फार्म के नाम से जाना जाता है। जहां तक केरल राज्य का संबंध है, यह पहली फसल है जिसने लाभप्रद मूल्य दिया है।

अब, मैं रबड़ के मुद्दे पर आता हूं। भारत में रबड़ केवल केरल राज्य में बनती है। केरल में 90 प्रतिशत प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है। राज्य की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इस उत्पाद के मूल्य पर निर्भर करती है। रबड़ भी नारियल की तरह ही है। मई, 1995 के

[श्री वारकला राधाकृष्णन]

58 रुपये की तुलना में मई, 1996 में यह मूल्य प्रति किलोग्राम घटकर 49 रुपये हो गया। मई, 1997 में 39 रुपये हो गया। कृपया क्रमिक कमी को देखें। यह प्रतिवर्ष कम हो रहा है। अब मूल्य 25 रुपये तक गिर गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या केरल के रबड़ उत्पादकों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। रास्ता क्या है? एक उत्पाद जो कुछ वर्ष पहले 58 रुपये प्राप्त कर रहा था वह अब केवल 25 रुपये प्रति किलो ग्राम प्राप्त कर रहा है। यह केवल उत्पादकों की दुखदायी स्थिति है। केवल यही राज्य है जो रबड़ का उत्पादन करता है। इस राज्य का इस क्षेत्र में एकाधिकार है। हमने धरने भी दिए हैं। वर्तमान स्थिति क्या है। रबड़ उत्पादक बड़े भूस्वामी नहीं है। कुछ के पास पांच एकड़ भूमि है, कुछ के पास तीन एकड़, दो एकड़ आदि है। वे सभी छोटे भूस्वामी हैं। वे बुरी तरह प्रभावित हैं। केरल के रबड़ उत्पादकों के लिए अन्य जरिया नहीं है। उनकी स्थिति इतनी खराब है कि इस संसार से उनका जीना मुहाल है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी उन्हें सामूहिक रूप से आत्महत्या करने के लिए कह रहे हैं। क्या इससे समस्या हल होगी? वे लाभदायक मूल्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यह मंदी का महीना है। इसलिए, इस स्तर पर प्राकृतिक रूप से रबड़ के मूल्य बढ़ जाने चाहिए। किन्तु इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ। मूल्य दिन-प्रति-दिन गिर रहा है।

इस दयनीय स्थिति के क्या कारण है? इस कमी के क्या कारण हैं। अब मैं वे कारण बताऊंगा।

पहले, प्राकृतिक रबड़ के आयात ने इस स्थिति को बिगाड़ा है। जो प्राकृतिक रबड़ आयात की जा रही है वह घटिया गुणवत्ता वाली है। यह केरल में उत्पादित रबड़ के समतुल्य नहीं है। दुर्भाग्य से, टायर निर्माताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने रबड़ आयात पर से सभी बाधाएं हटा ली हैं और रबड़ का निर्बाध आयात किया जाता है। रबड़ के मूल्यों में कमी का यह एक मुख्य कारण है।

इसके अतिरिक्त, आयात निर्यात नीति के अंतर्गत रबड़ पर आयात शुल्क में 25 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की कमी ने घरेलू मूल्यों को बुरी तरह प्रभावित किया है। पुनः पॉलीथीन बनावटी रबड़ के निर्माण के प्रयोग होता है, को ड्यूटी-फ्री किए जाने से केरल के रबड़ उत्पादक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

अंत में, सरकार ने विदेशों से टायर के आयात की अनुमति दे दी है।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) **:** यह केवल बड़े उद्योगों के फायदे के लिए है। यही बात है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : हां, यह किसानों को मारने के लिए है।

इसलिए, भारत सरकार से अनुरोध है कि रबड़ उत्पादकों की स्थिति को सुधारने के लिए यह उपाय करें। पहले, उन्हें प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगाना है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : सभापति महोदय क्या हमको भी बाद में इतना ही समय मिलेगा? सबको इतना ही समय मिलना चाहिए। कृपया इस बात को आप कहीं लिख दीजिए।

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन आपका समय हो गया कृपया अब समाप्त करें।

श्री राजवीर सिंह : सभापति महोदय, समय की कुछ तो मर्यादा रहनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : हां मैं समाप्त कर रहा हूं।

पहली शर्त है कि रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगाना है। प्राकृतिक रबड़ का आयात नहीं किया जाना चाहिए मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि केरल घरेलू खपत की पूर्ति के लिए रबड़ उत्पादन में सक्षम है। जब हम घरेलू खपत की पूर्ति के लिए रबड़ का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसका आयात क्यों किया जाना चाहिए? उन्हें उत्पादकों की दशा सुधारनी है।

दूसरे, उन्हें घोषणा करनी है कि रबड़ का मूल्य 55 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य 55 रुपये प्रति किलोग्राम होना चाहिए। पहले, उन्हें यह करना है। इसके अतिरिक्त, उन्हें राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 5,000 टन के प्राकृतिक रबड़ की तत्काल खरीद शुरू करनी चाहिये। यही मुख्य मांग है जो की जा रही है। इसी समय मुझे सरकार को बताना चाहिए कि एस॰टी॰सी॰ के माध्यम से रबड़ की खरीद और पुनः इसे स्थानीय बाजार में पहुंचाना उन्हें नुकसान पहुंचाएगा और रबड़ उत्पादकों को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए भारत सरकार को रबड़ के निर्यात का प्रयास करना चाहिए। हम विश्व में अति उत्तम गुणवत्ता वाली रबड़ का उत्पादन करेंगे। यदि सरकार दिल से प्रयत्न करे, तो यह किया जा सकता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब समाप्त किया जाए। अब बहुत हो गया है। आप समाप्त करें।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं समाप्त कर रहा हूं, महोदय, मैं उस पर आ रहा हूं। मैं अब समाप्त करूंगा।

इसलिए मैं कहता हूं कि यदि संभव हो तो कृपया रबड़ के निर्यात के प्रबंध किए जाएं। केरल सरकार भी कुछ अन्य अभिकरणों के माध्यम से 5,000 टन रबड़ के निर्यात का प्रयास कर रही है। भारत सरकार द्वारा भी भारत में उत्पादित रबड़ का निर्यात किया जा सकता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कर दें। आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया आसन ग्रहण करें। जब कोई दूसरा ऐसा

विषय आए, तब आप फिर बोल लें। अब तो आपका समय समाप्त हो गया। कृपया समाप्त करें।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : हां मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं केवल एक अथवा दो वाक्य और बोलूंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब आपका एक मिनट बचा है। अब आप समाप्त करिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। कृपया मुझे समाप्त करने की अनुमति दीजिये...*(व्यवधान)*

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : महोदय, वह स्वयं केरल विधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। इसलिए आप उन्हें एक मिनट का और समय दे सकते हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं लगभग पांच साल तक केरल विधान सभा का अध्यक्ष रहा हूं। मैं सदन को नियंत्रित करना जानता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जब आप स्पीकर थे, तो आप लिमिटेड लोगों को बोलने की छूट दे देते थे?

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं ऐसी ही पीठ पर रहा हूं और मुझे इन मामलों का अनुभव है। इसलिए मुझे अब समाप्त करने दें।

काली मिर्च सुपारी जैसी फसलें अकेले केरल में होती हैं। इन सभी कृषि उत्पादों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। दसियों हजार सुपारी उत्पादक भूखों मर रहे हैं। तब आप केरल के काली मिर्च उत्पादकों का मामला भी ले सकते हैं। उनको मजबूत बाजार नहीं मिलना है। वे अपने उत्पाद लाभदायक आधार पर नहीं बेच सके। इसलिए, केरल के सभी काली मिर्च उत्पादक भूखों मर रहे हैं... *(व्यवधान)* केरल के लगभग सभी किसान भूखों मर रहे हैं। इसलिए केरल में किसानों की दयनीय हालत से बचाने के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय करने पड़ेंगे।

मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का यह अवसर दिया।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) **: महोदय मैं केवल** एक बात जानना चाहता हूं। यहां बहुत से सदस्य है जो इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहेंगे। यदि आप विशिष्टतः समय नियत करते हैं, तो हम सभी को बोलने का अवसर मिल सकता है अथवा यदि आप इसे कल तक के लिए बढ़ाते हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी। आप कृपया तदनुसार निर्णय ले।

[हिन्दी]

अब आपको डिसीजन लेना है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अन्य अपना वक्तव्य संक्षिप्त दें। हम जानते हैं कि कम समय में ज्यादा अच्छा भाषण होता है और ज्यादा लम्बा भाषण नीरस हो जाता है। किसानों ने आत्महत्या की यह संवेदनशील मामला है। उनके विषय में जो बहस हो, वह ज्यादा गंभीर हो। इस विषय पर सभी सदस्य समय लेना चाहेंगे।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : सभापति महोदय मैं इसे कल के लिए एक्सटैंड करने की रिक्वैस्ट कर रहा हूं।

सभापति महोदय : अभी तो काफी समय है, देखा जाएगा।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : यह ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि इस पर सभी बोलना चाहेंगे। हमारे दल ने नौ नाम दिए है और हम समझते हैं कि हम सभी बोलेंगे। इसलिए, यदि अनिवार्य हो, तो आप चर्चा का समय बढ़ा सकते हैं, ताकि सभी सदस्य बोलने का अवसर प्राप्त कर सकें। यह मेरा अनुरोध है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र की जाये।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) **:** सभापति महोदय, श्री विलास मुत्तेमवार और श्री अमर पाल सिंह, दोनों ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज यहां चर्चा शुरू की है। मुझे यह बताने में बहुत खुशी है कि इस सदन में इस विषय पर खास जानकारी रखने वाले लोग मौजूद हैं और जिनको इंटरैस्ट नहीं हैं, वे शायद सदन के बाहर बैठे होंगे। हमें इससे कोई शिकायत नहीं है। जब यहां कभी भी किसानों की बात की जाती है; मैने पिछलो दो सालों में यह देखा कि यहां बहुत कम तादाद में लोग मौजूद होते हैं यदि कोई रातनीति का सवाल आता है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते है। और उसमें हिस्सा भी लेते हैं। अभी विलास मुत्तेमवार जी, जिन्होंने यह चर्चा शुरू की, यहां मौजूदा नहीं है। अन्य कुछ काम से या खाना खाने के लिए गये होंगे क्योंकि आज लंच टाइम नहीं हुआ। उन्होंने जो बातें उठायी, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है लेकिन सभापति महोदय ने कहा था जब यह चर्चा शुरू हो जायेगी तो आप पार्टी लेवल से ऊपर उठकर इस चर्चा में शामिल हों। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बात करते-करते उन्होंने पार्टी लेवल छोड़ दिया।

इण्डीविजुअल लेवल पर कूद पड़े तो यह ठीक नहीं है। आखिर यह समस्या किसानों की समस्या नहीं है, न कोई चीफ मिनिस्टर की है, न प्राइम मिनिस्टर की है, न किसी और की है। इस दृष्टि से मैं इस समस्या की तरफ देखता हूं। उन्होंने जो जानकारी दी, उस जानकारी के

[श्री मधुकर सरपोतदार]

बारे में मेरे पास भी कुछ इन्फोरमेशन मौजूद है। उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर विपत्ति है और देश के ऊपर भी है। यदि बारिश नहीं होती तो किसी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की कोई गलती उसमें नहीं है, लेकिन अन्य कोई मुसीबत आ जाती है, तूफान आ जाता है तो यह भी किसी एक व्यक्ति का कसूर उसके अन्दर नहीं होता। लेकिन जब मुसीबत आती है तो उसके तुरन्त बाद क्या करना चाहिए, यह बात कोई और किसी का भी न कोई शासन होगा, उस शासन की जिम्मेदारी है और वह उसको टाल नहीं सकता। इस दृष्टि से मैं इस समस्या की तरफ देखता हूं।

उन्होंने जो कहा कि यह जो आत्महत्या हुई, खुदकुशी करने के पीछे वजह क्या है, इसकी जानकारी किसने ली। मैं तो यह कहूंगा कि यदि महाराष्ट्र के अन्दर 52 लोगों ने खुदकुशी कर ली तो उसकी पहले तलाश करनी चाहिए, क्यों खुदकुशी हुई। क्या महाजन ने पैसा मांगा, खेती में नुकसान हो गया या अन्य कुछ फोर्सेज थे, जिन्होंने उनके ऊपर कुछ अतिक्रमण कर दिया, जिसके कारण वे ऐसी हालत में आ गये कि दूसरा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए उनको खुदकुशी करनी पड़ी? ऐसी कोई बात है क्या?

[अनुवाद]

इस स्थिति की जांच करना बहुत अनिवार्य है।

[हिन्दी]

खुदकुशी का मामला उठाकर उसके ऊपर खुलेआम पांच लाख रुपया हर खेती करने वाले को दे दो ताकि वह आगे जाकर खुदकुशी नहीं करे। लेकिन खुदकुशी कौन करने वाला है, उसके बारे में पहले पता कैसे लगेगा? यह पता तो खुदकुशी होने के बाद लगता है, तब तक उसकी हालत क्या होगी, उसकी जानकारी जो स्वयं खेती करने वाला किसान है, कोई पार्टी जो उनके ऊपर हो तो पार्टी में या अन्य किसी जिम्मेदारी व्यक्ति हो, उनको जाकर बोलना चाहिए कि हमारे घर की हालत यह है। यदि हममें इसमें कुछ राहत नहीं मिलेगी तो हमें तो कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, हमें सिर्फ खुदकुशी ही करनी होगी। किसी ने मेरे हिसाब से यह जानकारी नहीं निकाली थी। हमारे पक्ष की तरफ से हम लोगों ने जो महाराष्ट्र के अन्दर जो जानकारी निकाली थी, उसमें हमें इस बात का पता लगा...(*व्यवधान*) आप जा रहे हैं।

अपराह्न 2.57 बजे

[श्री वी॰ सत्यमूर्ति *पीठासीन हुए*]

आप कम से कम यहां तो बैठेंगे। आप इससे पहले फूड एवं सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे और आपके साथ मेरी बात हो चुकी है। आप यहां बैठेंगे तो मुझे उसका सन्दर्भ लेने के लिए बहुत आसानी हो जाती है, बहुत अच्छी बात है।

हम लोगों ने जो जानकारी ली, उसमें मुझे यह पता लगा कि कितने व्यक्ति उनमें से खुदकुशी करके मर गये। अभी कहा गया कि 52 व्यक्तियों ने वहां पर खुदकुशी कर ली। हम लोगों ने जब इसकी तलाश की कि उसकी वजह क्या है तो पता चला कि 14 लोगों ने खुदकुशी जरूर की। अन्य जिन लोगों ने खुदकुशी की, उसकी वजह अलग थी। उनके बारे में मैंने जानकारी एकत्रित की है...(*व्यवधान*)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : 14 ने किसलिए आत्महत्या की?

श्री मधुकर सरपोतदार : जो महाजन को समय पर पैसा देना चाहिए था, वह नहीं दे पाये और खेती में बहुत नुकसान हो गया। उनको घर में रहना मुश्किल हो गया, इसलिए उन्होंने अपने परिवार के सामने आज का दिन गुजर गया, कल का दिन कैसे गुजारेंगे, यह जो जिम्मेदारी हरेक किसान इन्सान की होती है, जो परिवार के प्रमुख होते हैं, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता तो वे हैल्पलैस हो जाते हैं, और आखिर में खुदकुशी कर लेते हैं।

[अनुवाद]

संक्षेप में, यह उस आत्महत्या की जांच है और कुछ नहीं।

[हिन्दी]

अभी वहां पर हमने जो राहत देने का फैसला किया है, उसमें यह है कि पहले गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स थे, वे नोर्म्स ऐसे थे...(*व्यवधान*)

श्री नरेश पुगलीया (चन्द्रपुर) : बाकी लोगों ने नहीं बताया कि बाकी लोगों ने कैसे खुदकुशी की?

श्री मधुकर सरपोतदार : हमने जो एनेलेसिस किया है कि ...(*व्यवधान*)

श्री नरेश पुगलीया : महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 52 लोगों का जो एनेलेसिस बताया है कि शराब पीकर उन्होंने आत्महत्या की या अन्य कोई वजह है तो वजह देने में किसानों के बारे में गलत चीज बताई गई है। एक तरफ तो हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं और उनके बारे में आप कह रहे हैं कि 14 लोगों ने आत्महत्या की।...(*व्यवधान*)

श्री मधुकर सरपोतदार : मैंने जो बात कही, हमने पार्टी के पक्ष की तरफ से जो जानकारी ली, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं गवर्नमेंट की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, यह पहली बात है।

श्री नरेश पुगलीया : नहीं, मुंबई में रहने वालों को इसकी कम जानकारी रहती है। हम लोग ग्रामीण एरियाज से आते हैं, इसलिए कम से कम जो किसान आत्महत्या कर चुके हैं, उनके विषय में सहानुभूति रखिये, गलत तो मत बताइये।

श्री मधुकर सरपोतदार : एक बात तो मैंने पहले कह दी कि खुदकुशी करना समस्या का कोई हल नहीं है। जैसा अभी राधाकृष्णन जी ने कहा था कि किसी भी समस्या का यह हल नहीं हो सकता कि खुदकुशी करो।

अपराह्न 3.00 बजे

यह समस्या का अंत नहीं है।

[अनुवाद]

यह समस्याओं को और बढ़ाएगा।

[हिन्दी]

यह कभी नहीं भूलना चाहिए।

[अनुवाद]

जब कभी हम ऐसे माननीय सदन में किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, तो हमें यथावत तरीके से बात रखनी चाहिए। हमें पूरे मुद्दे की जांच करनी चाहिए और उसके बाद अपने विचार रखने चाहिए।

हमें ऐसे उपायों को, ताकि ऐसी आत्महत्याओं की पुनरावृत्ति न हो। जो जरूरी हो उस पर विचार-विमर्श कर लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलीया : माननीय सदस्य, हम राष्ट्रीय स्तर पर संसद में बोल रहे हैं। हमारी स्टेट के बारे में गलत पिक्चर नहीं जानी चाहिए न देश के सामने और न ही आदरणीय कृषि मंत्री के सामने।

श्री मधुकर सरपोतदार : मेरे पास भी जानकारी है, वही मैं आपको बता रहा हूं। आपको जितनी जानकारी अपने स्टेट की है, मेरे पास भी है, मैं उसी राज्य से आया हूं।

श्री नरेश पुगलीया : जानकारी होती तो आप ऐसे नहीं बोलते।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं भी वहां का सांसद हूं। मैं भी वहां के किसानों और खेती की बात कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सरपोतदार, कृपया पीठ को संबोधित करें। आपको अन्य सदस्यों से बोलने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं भी किसान का बेटा हूं। मैंने भी खेती देखी है, किसान की हालत क्या है, मैं जानता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने अनुभव नहीं किया। हम मुम्बई में रहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है खेत से, देहात से हमारा सम्बन्ध नहीं है। ऐसा मानना गलत है। जो मुम्बई शहर में आया है वह देहात से ही आया है। उसने जन्म देहात में लिया है, बाद में मुम्बई में आया है। बहुत सारे लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और अन्य जगहों से मुम्बई व्यवसाय या नौकरी करने के लिए आए है, पहले वे देहात में ही थे। इसका मतलब यह नहीं है कि देहात से हमारा नाता टूट गया है।

श्री नरेश पुगलीया : आप मुम्बई में क्यों रहते हैं, यह हमारा कहना नहीं है।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहता। जो आत्महत्याएं हुई है, भविष्य में न हो, उसका रास्ता निकालना चाहिए।

[अनुवाद]

हमें पर्यत्न करना चाहिए और कुछ बचा मैं आंकड़े के उपायों का पता लगाना चाहिए। यह बहुत अनिवार्य है।

[हिन्दी]

मैं प्रिएंटिव एक्शन की बात कर रहा हूं, अन्य बात नहीं कर रहा हूं। आखिर हाउस की जिम्मेदारी बनती है।

[अनुवाद]

हमें इन आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

जो हो गया, वह हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। पूरे देश में 500 आत्महत्याएं हुई हैं। उसको अवायड कैसे किया जाए, इसके लिए सुझाव दे सकता हूं। जो हो गया, मौतें हो गई, उसका इलाज तो डाक्टर आने के बाद नहीं हो सकता, उसका कोई फायदा नहीं है। किसी भी आदमी की कीमत कम नहीं है। एक लाख रुपये या पांच लाख रुपये देकर उसकी वेल्यू हम लोग अदा नहीं करना चाहते। यह तो राहत देने की कोशिश है। कहीं कोई दंगा-फसाद होता है, जैसे हमारे यहां भी हुआ तो हमारे महाराष्ट्र शासन ने एक-एक लाख रुपया दिया, उस परिवार को राहत मिली, लेकिन भविष्य में ऐसा न हो, यह हमें देखना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यह मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और हमें इसके लिए कुछ उपचारात्मक उपायों का पता करना चाहिए। मैं इसे इस कोण से देखता हूं।

[हिन्दी]

मेरे देखने का जो तरीका है, वह आप समझें, यही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। आप अपने विचार इस सदन में रख सकते हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। हम सब लोग यहां चुनकर आए हैं। सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र से चुनकर आए हैं। लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, कुछ तो वजह रही होगी। इसलिए मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं नार्म्स की बात कर रहा था। पहले की सरकार क्या दे रही थी, हमने क्या परिवर्तन किया और हमारे महाराष्ट्र शासन ने क्या किया, जो जानकारी मुझे है वही मैं पेश कर रहा हूं। अगर गलत हो तो आप कह सकते हैं। मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है। महाराष्ट्र शासन जो कर रहा है, हो सकता है उसमें कुछ कमियां हों, आप इंगित करें और हम उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

आपको सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। इसमें बुरा कुछ नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हमारी सरकार है इसका मतलब यह नहीं है कि वे कोई गलती नहीं करेंगे। वे अलौकिक मानव नहीं हैं। वे भी पूरे समाज के अभिन्न अंग हैं। मैं इसे इस कोण से देखता हूं।

[हिन्दी]

मैं आंकडे देना चाहता हूं। करीब 18436 घर महाराष्ट्र में नष्ट हो चुके हैं, 1000 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है, लेकिन 11 लाख

[श्री मधुकर सरपोतदार]

हेक्टेयर जमीन जो खेती लायक थी, उसमें पचांस प्रतिशत को नुक्सान पहुंचा है। यह जानकारी में सदन को देना चाहता हूं। यह महाराष्ट्र में विदर्भ का बात है। जब मैं विदर्भ की बात करता हूं तो उसे महाराष्ट्र से अलग नहीं मानता, विदर्भ महाराष्ट्र का एक भाग है।

विदर्भ और हम सब एक साथ हैं। आज नहीं, वर्षों से एक साथ हैं और आइंदा भी एक साथ रहेंगे। एक साथ रहेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, अलग हो जाएंगे तो ताकत कम हो जाएगी। किसी के दिमाग में यदि ऐसी बात है कि विदर्भ अलग कर दें और उसके लिए कुछ खास सहुलियतें मांगें तो विदर्भ मजबूत होगा-यह विचार गलत है। जितना हम सब एक साथ रहेंगे, उतना हम सब लोग मजबूत होंगे। पहले ऐसा था और इसी के अंतर्गत यह डिसीजन लिया गया कि जिन खेती करने वाले किसानों का 75 फीसदी से ज्यादा नुकसान हो गया है, उनको मदद दी जाएगी लेकिन जिनका पचास फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ है, उनको भी मदद देने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। पहले एक हेक्टेयर के प्रति सौ रुपया देते थे, अब 1000 रुपया कर दिया है। पहले मर्यादा एक हेक्टेयर की थी, अभी दो हेक्टेअर की हो गई है तथा पांच हेक्टेयर तक मदद देने का फैसला महराष्ट्र सरकार ने किया है। पहले जमीन के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। परन्तु

[अनुवाद]

उन करों के संग्रहण के लिए स्थगन आदेश दिया गया।

[हिन्दी]

अब इसे माफ कर दिया गया है। मैं दोनों में परिवर्तन बता रहा था।

श्री राजेश पायलट : जब यह चर्चा चली तो इस बात पर चली कि आजादी के बाद पचास साल में पहली बार इतनी ज्यादा स्यूसाइडल डैथ्स क्यों हुई है।

[अनुवाद]

वह अधिक चिंता का नहीं है। हमें कारण जानना चाहिए कि आत्महत्याएं क्यों हुईं। महाराष्ट्र देश के खुशहाल कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। किसान वहां अच्छा कार्य करते हैं। अचानक महाराष्ट्र में आत्महत्याएं क्यों हुईं। हम आपसे इसके कारण जानना चाहते हैं, क्योंकि आप महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। मेरे लिए इसकी तुलना में यह महत्वपूर्ण है कि सरकार क्या कर रही है। कृपया हमें बताएं कि महाराष्ट्र में आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं, ताकि हम भविष्य के लिए एक नीति बना सकें।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : महाराष्ट्र में खेती का जो नुकसान हुआ उसकी वजह आसमानी संकट थी, ऐसा नहीं कि किसी ने उनके ऊपर कोई जबर्दस्ती संकट पैदा कर दिया।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : क्या ऋण नीति ठीक थी?

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : क्रेडिट पॉलिसी वगैरह सब है। महाराष्ट्र में ये सब सुविधाएं हैं। ये सब सुविधाएं होने के बावजूद भी खेती करने वाले किसान इसका मुकाबला नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने खुदकुशी की। अन्य लोगों ने खुदकुशी नहीं की, मैं इतना ही बताना चाहता हूं। इतना ही नहीं, अभी किसी ने यह कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर अपना जन्मदिन मनाते रहे-यह बिल्कुल गलत है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, जिन खेती करने वालों का नुकसान हुआ है, उनके घरों में गए। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर ने भी हरेक घर में जाकर बातचीत की और देखा कि वह वहां क्या-क्या राहत दे सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बातचीत की। हमारे मुख्यमंत्री घर-घर में गए और जिस घर में अगर कोई कमाने वाला नहीं रह गया है, उसे क्या नौकरी दी जा सकती है या क्या राहत दी जा सकती है, इस बारे में भी उन्होंने बातचीत की।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : समय बहुत सीमित है। कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। जब भी मैं अपनी बात शुरू करता हूं तो बीच में रोक-टोक की जाती है। यह उचित नहीं है। अब तक बहुत से सदस्य बोल चुके हैं और एक भी सदस्य को रोका नहीं गया है।

सभापति महोदय : आपने श्री पायलट को दिया गया समय ही मांगा है। अब कृपया विषय पर आइए।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं यह जानकारी दे रहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से इस बारे में सर्वे कराया कि इसका क्या इलाज हो सकता है तथा भविष्य में क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी फैसला लिया गया। पार्टी ने बहुत सारे लोगों के घरों में जाकर फंड्स कलेक्ट किए हैं, जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं, उनके घरों में जाकर राहत भी दी गई है तथा इस समय उन्हें क्या मदद दी जा सकती है, इस बारे में भी बातचीत की गई।

[अनुवाद]

सरकार सभी एहतियाती उपाय करेगी किंतु यह हमारी जिम्मेदारी है—आवश्यकता में लोगों की सहायता के लिए अकेले महाराष्ट्र के लोगों की जिम्मेदारी नहीं।

[हिन्दी]

हम लोगों की यह कोशिश रही है कि इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। गन्दी राजनीति नहीं आनी चाहिए। यह काम हम लोगों को किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए।

गेहूं के बारे में हमारे भूतपूर्व कृषि मंत्री अपनी बात कह रहे थे। हमारे देश में गेहूं अच्छा पैदा होता है, लेकिन फिर भी हम गेहूं बाहर से मंगाते हैं। जो गेहूं बाहर से मंगाते हैं, वह सड़ा हुआ गेहूं होता है और हमारे देश की जनता को उसको लेना पड़ता है।

[अनुवाद]

किन परिस्थितियों के तहत यह गेहूं आयात किया गया।

[अनुवाद]

प्रत्येक को पता लगाना है। उस पहलू पर भी विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

यही हालत हमारे शुगर की है, प्याज की है और अन्य चीजों की है। ऐसी कोई चीज है, जो हमारे देश में बनती हो, लेकिन फिर भी हम इम्पोर्ट करते हैं।

[अनुवाद]

कम पाई जाने वाली वस्तुओं के मामले में, और जिसकी हमारे पास कमी है, जैसे तेल आदि, उसकी बात अलग है। किंतु उन वस्तुओं को बाहर से क्यों खरीदना अथवा आयात करना चाहिए, जिसकी देश में ही विपुल मात्रा में आपूर्ति है? यही मेरा सरल सा प्रश्न है।

[हिन्दी]

दूसरी बात, जो किसान खेत में काम करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसका उत्पादन किसके हाथ में जाता है। किसान को कुछ नहीं मिलता है और बीच के दलाल उसका लाभ कमा लेते हैं। दूध भी जो किसान की तरफ से आता है, उसका रेट भी किसान को 10-11 रुपए ही मिलता है, जबकि उसकी कीमत मार्किट में 18-19 रुपए होती है। इस प्रकार चीजों में 6-7 रुपए का अन्तर रहता है। इस प्रकार किसानों को लुटने का काम और उनका खून चूसने का काम इन दलालों द्वारा किया जाता है। क्या इसका इलाज नहीं होना चाहिए? मैं कहना चाहता हूं कि इन पचास सालों में खेती के बारे में पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। खेती में 74 फीसदी लोग काम करते हैं, लेकिन न उनके बारे में सरकार ने कोई पालिसी नहीं बनाई।

[अनुवाद]

74 प्रतिशत लोग खेती करते हैं।

[हिन्दी]

खेती करने वालों में भी अलग-अलग ग्रुप हैं। कुछ बहुत धनवान लोग हैं, जो घर में बैठकर दूसरों से काम लेते हैं। ...*(व्यवधान)* घर में बैठकर गरीबों को लूटने का काम करते हैं। जो मेहनत करता है, अनाज पैदा करता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद अनाज में भी कालाबाजारी होती है। इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए और कानून बनाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि वे इसके बारे में चाहे तो कोई कमेटी गठित कर दें, जो अपने विचार सरकार को प्रस्तुत कर सके। मैं बताना चाहता हूं, 1986-87 में इससे संबंधित एक समिति की। रिपोर्ट आयी थी, लेकिन उसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। आज तक उसको सदन में नहीं पेश किया गया और उस पर कोई अमल नहीं किया गया।

श्री सोमपाल : महोदय, सदन की जानकारी के लिए कृषि नीति से संबंधित वह दस्तावेज 1994 में आया था और उस समय की सरकार द्वारा कृषि संबंधी स्थायी समिति का 12वां प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया था। उसकी टिप्पणी को आप पढ़ें। इसके बाद भी कृषि नीति नहीं आई, यह हमारा दुर्भाग्य है। समिति बनीं और समिति ने अपनी संस्तुति 14.5.94 को दोनों सदनों में प्रस्तुत की।

श्री मधुकर सरपोतदार : कोई समिति काम करती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं होता है। उसके ऊपर अमल नहीं होता है, तो मेरे विचार से यह समिति किस लिए बनाई जाती है।

श्री सोमपाल : दुर्भाग्य की बात है, हमारे राजेश पायलेट जी भी इस बारे में कह रहे हैं। यह उनकी रुचि है। इतनी महत्वपूर्ण कृषि नीति से संबंधित समिति की रिपोर्ट सदस्यों ने नहीं पढ़ी, यह दुखद स्थिति नहीं है। इसकी रिपोर्ट 14.5.95 को आ गई थी। चार साल तक उसके ऊपर कोई क्रियान्विति नहीं हुई है।

श्री मधुकर सरपोतदार : यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। हम किसानों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब इससे संबंधित नीति बनाने की बात आती है, तो पीछे हट जाते हैं। क्या वजह है? ऐसा लगता है, इसमें वैस्टेड इन्टरेस्ट है। मैं कहना चाहता हूं, जब हमें किसानों के लिए काम करना है, तो किसानों के लिए काम करना चाहिए।

[अनुवाद]

आइए हम मिलकर किसानों के लिए कार्य करें। जब श्रमिकों का प्रश्न आए, तो हम मिलकर श्रमिकों के लिए कार्य करें; जब सामुदायिक विकास का प्रश्न आए, तो हम उसके लिए कार्य करें; किंतु उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश, इस देश में यह हो रहा है कि प्रत्येक मामले में गंदी राजनीति घुस गई है। परिणामस्वरूप हमें सफलता नहीं मिलती। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

[हिन्दी]

किसानों को अच्छी यूरिया नहीं मिलती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वहां पर जानवर पैसों के लिए गिरवी रखा जाता है और पैसा नहीं मिलता है। किसान तंग आ चुके हैं। किसानों की तंगी दूर करना, उनकी मदद करना, उनको राहत देना, उनके लिए कोई ऐसा रास्ता हम लोगों को निकालना पड़ेगा जिससे कि उनकी हालत अच्छी हो।

[अनुवाद]

आइए, हम वह तंत्र विकसित करें। किसान आत्महत्या करने की बजाए उस तंत्र के पास जायें।

[श्री मधुकर सरपोतदार]

[हिन्दी]

अगर कोई रास्ता निकालना है तो उसके लिए एक ही आवश्यक चीज है कि हम लोग खेती के बारे में, किसानों के बारे में,

[अनुवाद]

कोई नीति स्वीकार करें, इस देश में हमें कुछ मार्गनिर्देश स्वीकार करने चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री मधुकर सरपोतदार : धन्यवाद महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मुझे दुःख केवल इस बात से होता है कि जब मैं बोलता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने 24 मिनट ले लिए हैं। अनेक माननीय सदस्य इसी विषय पर बोलेंगे।

श्री मधुकर सरपोतदार : अन्य माननीय सदस्य एक-एक घंटे तक बिना बाधा के बोले हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आरम्भ में, यदि मैं आपको सूचित कर देता, तो आप मुझे 20 मिनट का समय देते और मैं 20 मिनट के भीतर ही अपना भाषण समाप्त कर देता ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें। सभी सदस्य बहस में हिस्सा लेने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसलिए, कृपया आप उन्हें बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : अभी भी महाजन हर देहात में हैं। वे कर्जा देते हैं और कर्जे से राहत लेकर किसान खेती करता है। अगर वहां मशीनरी नहीं होगी या महाजन नहीं होगा तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? बैंक हमारी मदद नहीं करता, किसानों के लिए अन्य कोई व्यवस्था पैसा देने की नहीं है। हमारे यहां कोई क्रॉप इंश्योरेंस भी नहीं होता है। अब नयी पालिसी आ गई, इसके अंदर क्रॉप इंश्योरेंस भी हो जाएगा और अगर एक बार क्रॉप इंश्योरेंस हो जाएगा तो इनको बहुत अच्छी राहत मिलेगी, ऐसा मैं समझता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

जब कभी मैं बोलना शुरू करता हूं, मुझे लगातार बाधित किया गया है।

[हिन्दी]

लेकिन फिर भी मैं चैयर की इज्जत करता हूं।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं कि समय सीमित है।

मेरा पूरे सदन में विनम्र निवेदन है कि जब भी हम देश के किसानों से संबंधित नीति बनाएं, तो उन सब मुद्दों को ध्यान में रखें, जो मैंने उठाए हैं। आपको नीति को अंतिम रूप देने से पहले परिणाम पर विचार करना है। आप निर्णय में देरी कर सकते हैं। किंतु यदि एक बार निर्णय ले लिया जाता है, तो आपको यह देखना चाहिए कि वह इस माननीय सदन द्वारा निश्चयपूर्वक लागू की जाए।

आत्महत्या के मामलों की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें देखना चाहिए कि आज के बाद इस देश में कोई आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। यही आज की चर्चा का उद्देश्य है। यदि हम इस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमने कुछ पा लिया है। यही मेरी भावना है।

एक बार फिर, मैं विशेष रूप से श्री विलास मुत्तेमवार और श्री अमर पाल सिंह का तथा अन्य सभी सदस्यों का सामान्यतः नियम 193 के अंतर्गत आज इस विशेष बहस की शुरुआत करने के लिए धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, देश के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर किसानों ने आत्महत्याएं की हैं तथा उससे उत्पन्न परिस्थिति पर सदन में विचार-विमर्श हो रहा है। इस बहस की शुरुआत में जो आसन से माननीय सभाध्यक्ष ने चिंता व्यक्त की, जो उद्‌गार प्रकट किये हैं उन पर देश को और तमाम लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसे विषय पर इतनी बड़ी संख्या में किसी एक वर्ग के लोगों ने आत्महत्याएं की हों। ऐसी आत्महत्याएं क्यों होती हैं और क्यों लोग आत्महत्याएं करने के लिए विवश होते हैं? कहीं-कहीं देखा जाता है कि जब आदमी को दुनिया में कहीं प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती है तथा परिवार, समाज, कुटुम्ब, सरकार और सभी तरफ से जब आदमी निराश, हताश हो जाता है तभी वह आत्महत्या को विवश होता है। मानसिक असंतुलन के चलते भी आत्महत्याएं होती हैं तथा साईक्लोजिकल और मेडिकल कारणों से भी ऐसा होता है।

सभापति महोदय, उस दिन सरकार के उत्तर में बताया गया कि तीन राज्यों, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 316 आत्महत्याएं हुई हैं। लेकिन सरकारी आंकड़े सभी जानते हैं कि कम करके लिखे जाते हैं और बहुत सी आत्महत्याओं को नैचुरल मृत्यु मान लिया जाता है। लेकिन सरकार द्वारा 316 आत्महत्याएं प्रतिवेदित हैं। यह एक-आध महीने पहले की स्थिति है। आत्महत्याओं का दौर रुका या नहीं रुका है, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि आत्महत्याएं क्यों होती हैं और किन परिस्थितियों में होती हैं? किसान जब निराश, हताश या अधिक पीड़ित हुआ और दुनिया में उसको कहीं से भी सहायता नहीं मिली-चाहे वह नेता हो, किसान के लिए काम करने वाला पार्टी का आदमी हो, राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, तब किसान आत्महत्या करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर विवश हुआ। मैं नहीं समझ पाया कि आत्महत्या राष्ट्रव्यापी भी हो सकती है। मैं नहीं जानता कि दुनिया के किसी भी मुल्क में इतनी बड़ी संख्या में, एक वर्ग के लोगों द्वारा, किसी भी विषय पर इतनी आत्महत्याएं हुई हों।

इस बात को तो समाज-शास्त्र की जानकारी रखने वाले और बड़े-बड़े दिमाग वाले लोग ही जानते होंगे, लेकिन मुझे अभी तक जानकारी नहीं मिली कि इतने बड़े पैमाने पर किसी एक वर्ग के लोगों को कहीं पर आत्महत्याएं करने के लिए विवश होना पड़ा हो। इसलिए यह गंभीर चिंता का विषय है तथा यह हम सभी के लिए कलंक का अध्याय है। हमें समझना होगा कि किन कारणों से किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा।

किसानों की पीड़ाएं अनन्त हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में किसान देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वह भोजन पैदा करता है और भोजन के बिना किसी भी पंडित, सिद्ध, सूरमा की जिंदगी नहीं चल सकती। आज फूड सिक्योरिटी और फूड मैनेजमेंट की बात होती है, लेकिन किसान की खुशहालो के बिना फूड सिक्योरिटी की बात पाखंड है और फूड मैनेजमेंट भी मिस-मैनेजमेंट है। यह दोनों चीजें फालतू हैं जब तक किसान की हालत नहीं सुधरती। माननीय कृषि मंत्री जी सुझाव देने के लिए कह रहे थे। मेरा सुझाव यह है कि इस बात की जानकारी सरकार को गहराई से लेनी चाहिए कि किस पीड़ा के कारण किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ी। तीन राज्यों में तो आत्महत्याएं प्रतिवेदित हैं लेकिन और राज्यों में भी हुई होंगी। इस बात का सरकार पता लगाए कि वे कौन से कारण हैं, कौन सी उनको पीड़ा हुई, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने कौन सी कार्यवाही की। जब सब जगह उनके लिए दरवाजे बंद हो गये होंगे, जब कोई उन्हें सुनने वाला, उनके लिए बोलने वाला, उन्हें सहानुभूति देने वाला नहीं मिला होगा, तभी इतने बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्याएं करने पर विवश हुए होंगे। इसलिए मेरा सुझाव नं॰ एक यह है कि सरकार को आत्महत्याओं की गहराई से जानकारी लेनी चाहिए और उसके समाधान के लिए प्रयास करने चाहिए तथा भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देनी चाहिए। इस तरह की उपेक्षा और संवेदनहीनता किसानों के साथ नहीं होनी चाहिए। जिससे किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश न होना पड़े। उनको आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा है।

मैं फसल बीमा योजना के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। यह नाम की योजना है। लोग कहते हैं कि इससे खाना-पूर्ति हुई है। हमने सुना था कि इससे बड़े किसानों को ही लाभ हुआ और जो किसान ऋण लेते हैं, वे ही इसमें शामिल होते हैं। जब जिला स्तर पर आधे से ज्यादा बर्बादी होती है, तभी फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है। इसमें जिले यूनिट माने गए। इस योजना से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ और न ही उन्हें कोई सहारा मिला। जब चतुरानन मिश्र जी कृषि मंत्री थे तो उन्होंने सभी सदस्यों को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम फसल बीमा योजना लागू करने जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि आप इस योजना के तहत गांवों को यूनिट मानें। अगर गांवों में आधी से ज्यादा फसल बर्बाद हो जाए और जिस किसान की फसल बर्बाद हो, उनको इसमें जोड़ा जाए। ऐसी व्यवस्था तुरन्त लागू की जाए। यह योजना प्रयोग के तौर पर कुछ जिलों में लागू भी हुई थी लेकिन इसमें वित्त विभाग ने खूंटा गाढ़ दिया। वह किसी हालत में किसान को फायदा नहीं पहुचाना चाहता था। इसमें ब्यूरोक्रेसी भी आड़े आई।

"जो पैर न फटे बिवाई,
वह क्या जाने पीड़ पराई"

किसान जेठ की दोपहरी में और भादों के महीने में अपने खेतों में काम करता है, उस किसान की पीड़ा को ठंडे कमरों में बैठने वाले अफसर समझ नहीं सकते। गांवों में रहने वाला किसान इस पीड़ा और दूसरी अनेक कठिनाइयों को झेलता है। उसकी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है, इस कारण वह आत्महत्या करने के लिए विवश होता है। मेरा अनुरोध है कि फसल बीमा योजना को व्यापक रूप में लागू किया जाए।

देश के तमाम हिस्सों में रहने वाले किसान हर साल बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होते हैं। अगर उसकी कुछ फसल बचती है तो वह कीड़ा लगने से और दूसरी अनेक बीमारियों से बर्बाद हो जाती है। उसे समय पर खाद उपलब्ध नहीं होती। अगर कहीं उपलब्ध भी होती है तो वह महंगी मिलती है। उसे कई बार खाद भी मिलावटी मिलती है। वह कीटाणुओं को मारने के लिए जिन दवाइयों का इस्तेमाल करता है, वे भी जाली होती हैं उन दवाइयों का कोई असर ही नहीं पड़ता और उससे कीटाणु नहीं मरते। इतने कष्ट झेलने के बाद उसे सूद चुकाना पड़ता है। सूद के बाद दंड सूद और दंड सूद के बाद तन सूद तक चुकाना पड़ता है। उसके अलावा उसे कम्पाउंड इंटरस्ट और पता नहीं और कितने इंटरेस्ट देने पड़ते हैं। किसान इतनी पीड़ा को सहन नहीं कर पाता। इस तरह से किसान निराश, हताश, उदास और पीड़ित होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है।

आप आज तक कृषि नीति नहीं ला सके। जब हमारी सरकार थी तो कृषि नीति का ड्राफ्ट बन रहा था और विशेषज्ञों की राय ली जा रही थी। कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब हमें आजादी मिली थी तो कृषि का जी॰डी॰पी॰ में कितना कंट्रीब्यूशन था? इसका कंट्रीब्यूशन लगातार घट रहा है। वह स्टैग्नेट हो गया है। एग्रीकल्चर पर अधिक पूंजी निवेश होना चाहिए और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अभी बलराम जाखड़ जी कह रहे थे कि किसान का मतलब सिंचाई से है। उन्होंने जल जमाव का भी जिक्र किया। आज कहीं बाढ़ की, कहीं सुखाड़ की और कहीं वाटर लौगिंग की समस्या है। उत्तर बिहार में 9 लाख एकड़ जमीन में जल जमाव है। अगर कोई किसान 10 एकड़ जमीन भी खरीदता है तो यह महसूस करता है कि उसने जमीन में वृद्धि की है। वह अपना पेट काट कर जमीन खरीदता है।

अब जिन हजारों लाखों किसानों की साढ़े बाइस लाख एकड़ जमीन पर जल-जमाव है, उसमें गेहूं नहीं होता, मछली नहीं होती, मूंग नहीं होती, धान भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। केवल मालगुजारी लगती है। साढ़े बाईस लाख एकड़ जमीन है गंडक एरिया और पश्चिम कोसी एरिया में। भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में भी लिखा-पढ़ी हुई है लेकिन राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच पत्राचार इस तरह से चलता है कि वह काम किसी तरह से न हो। इस तरह की छीलन और कागज की गिजैया होती है और उसमें इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं कि काम नहीं हो। राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में बरसों से बात चल रही है। गंडक कमांड एरिया की अभी भी दो दर्जन योजनाएं लंबित हैं। लिखा-पढ़ी हो रही है। 15 जून से मिट्टी का काम बंद हो जाता है। लिखा-पढ़ी चल रही

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

है। मतलब यह कि इस साल भी जल-जमाव से लोग प्रभावित ही रहेंगे। लेकिन देखा गया कि एकाध लाख रुपया खर्च कर दिया गया और जल-निकासी कर दी गई। अब गांव का आदमी बोल रहा है कि हम पंजाब की तरह हो गए, गेहूं रखने की जगह नहीं है। इस तरह का अनुभव है। इसलिए हमारा सुझाव नंबर तीन है। कि देश के किसी भी हिस्से में जल-जमाव की समस्या को हल करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वेस्टलैण्ड डेवलपमेंट और वाटर शेड मैनेजमेंट में हम देखें कि कितने पैसे का बजट में उपबंध है। उसका 10 परसेंट खर्च हो जाता है, बाकी खर्च नहीं होता है। कागजों में दिखाया जाता है कि इतना बजट दिया गया लेकिन उस पर उतना पैसा खर्च नहीं होता। सिंचाई में छोटी-छोटी तुरन्त लाभ देने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। वाटर लौगिंग की जो प्राबलम है, देश के किसी भी हिस्से में उसकी जो लंबित योजनाएं हैं उनको प्राथमिकता दी जाए और फिर किसान को ऋण की जो व्यवस्था है उसमें किसान पहले पेटीशन देता है। दौड़ते-दौड़ते उसको इस साल का काम अगले साल देर से मिलता है और फिर उसमें घूस का परसेंटेज अलग है, गड़बड़ी अलग है। फिर सूद दर सूद का बोझ उसके माथे पर रहता है। इसलिए किसानों की बड़ी पीड़ा है। उसको सरल किया जाए। जो सहकारिता वाला मामला है उसमें किसानों को शामिल करके सहज भाव से उन्हें ऋण और उत्तम बीज दिये जाएं। किसान चाहता है कि बढ़िया बीज से वह उत्पादन करे लेकिन देश के हरेक हिस्से में किसानों को बढ़िया बीज उपलब्ध नहीं होते। इस कारण से भी उन्हें नुकसान होता है। इसलिए सरकार का दायित्व है कि बढ़िया बीज उपलब्ध कराए और सीड के फार्म्स देश के पैमाने पर कितना काम कर रहे हैं इस बात की जांच करने की जरूरत है ताकि किसानों की बीज मुहैया हो सके।

खाद पर सब्सिडी खत्म करने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव हम पर बढ़ रहा है। यह दबाव है कि उद्योग को सब्सिडी बढ़ जाए और किसान की दी जाने वाली सब्सिडी बंद की जाए। इसलिए हम सावधान और चौकन्ने हैं कि किसी भी हालत में किसान के उपयोग में आने वाली चीजों में सब्सिडी खत्म करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। हमको जानकारी है कि कुछ वैज्ञानिक लोग हिसाब जोड़कर बताते हैं कि यहां अनाज उत्पादन करने से ज्यादा महंगा होता है, बाहर से खरीद लेने में सस्ता पड़ता है। लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि जब अंतर्राष्ट्रीय समूह में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश होती है तो उस समय वे ऐटौमिक वैपन का परीक्षण करते हैं। जब इतने बड़े मुल्क में भोजन नहीं मिलेगा तो अनाज को लोग फूड वैपन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें पछाड़ सकते हैं। इसलिए जहां ऐटौमिक बम से आदमी सबल होने का अनुभव करता है वहां पर फूड वैपन को भी मजबूत रखना चाहिए। नहीं तो दूसरे देश पर हमें अनाज के मामले में जब निर्भर रहना पड़ेगा, उस समय हम फूड वैपन के शिकार हो सकते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि हिन्दुस्तान किसानों के द्वारा अनाज के मामले में आत्मनिर्भर न हो सके।

हमारा सौ करोड़ की आबादी वाला मुल्क है। कुछ अन्य मुल्क हैं जो हम लोगों को एक ग्रास का भोजन है। बहुत से मुल्क जो शिक्षित कहे जाते हैं वे साल भर खायेंगे, हमारे हिन्दुस्तान के आदमी एक दिन में उनका नाश्ता कर जायेंगे। हमारी इतनी बड़ी आबादी है। रकबे के मामले में पांच हिन्दुस्तान जुटेंगे तो एक अमरीका बनेगा। लेकिन साढ़े तीन अमरीका आबादी के मामले में जुटेंगे तो एक हिंदुस्तान बनेगा। यह एक रेश्यो है। दुनिया की 2.4 प्रतिशत जमीन पर हिन्दुस्तान बसा हुआ है। लेकिन हमारी आबादी 16 प्रतिशत है। इसलिए सन् 2005, 2010, 2015, 2020, 2030 में हमारी आबादी कितनी होगी और हमें कितने अनाज की जरूरत पड़ेगी उसके लिए सरकार को दीर्घकालिक और तात्कालिक दो तरह की योजनाएं बनानी चाहिए। तात्कालिक योजना में इस तरह से कार्यवाही हो, राष्ट्रीय कृषि नीति में इस तरह का प्रावधान हो और तात्कालिक कार्यवाही हो कि किसानों को आत्महत्या के लिए विवश न होना पड़े। जब देश का किसान खुशहाल होगा तो हिन्दुस्तान मजबूत होगा। एटोमिक वैपन्स के मुकाबले, मैं महसूस करता हूं कि जब किसान मजबूत, सबल, खुशहाल होगा तब हिन्दुस्तान ज्यादा मजबूत होगा। तभी एटोमिक वीपन्स से मजबूती आती है। किसानों की आत्महत्था सहन नहीं की जा सकती, इसे हम सहन नहीं करेंगे। अंत में मैं सरकार को किसानों के मामले की प्राथमिकता देने का सुझाव देते हुए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने नियम 193 के अधीन इतने अहम विषय पर बहरा करके बड़ी कृपा की है और माननीय सदस्यों को इस पर बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद। किसान एकता जिन्दाबाद।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : माननीय सभापति जी, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे मित्र, मेरे पुराने साथी श्री विलास मुत्तेमवार ने पहली बार किसानों की समस्याओं को इस सदन में बड़ी गंभीरता के साथ उठाया है।...*(व्यवधान)* क्योंकि इनका कभी किसानों से वास्ता नहीं रहा। लेकिन मैं उनको बधाई देता हूं कि कम से कम अपोजीशिन में जाने के बाद किसानों की आपको सुधि आई। उसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत साधुवाद।...*(व्यवधान)* आखिर किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके क्या कारण थे। क्या यह सडनली आत्महत्या का केस था, क्या अचानक किसानों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी थी, क्या कारण थे? इतनी लम्बी बहस के बाद किसी ने भी इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया। यह जरूर है कि लोगों ने बड़े ओजस्वी भाषण दिये, बड़े भावनात्मक भाषण दिये, लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूछना चाहता हूं, मैं सरकार से पूछना नहीं चाहता, यह सरकार का दोष नहीं है, कम से कम इस सरकार का तो दोष नहीं है बल्कि पूरे सदन का दोष है, अगर किसान मरा है तो पूरे सदन की कमी से मरा है। अगर किसान ने आत्महत्या की है तो पचास वर्षों तक इस पार्लियामेंट हाउस में बैठने वाले चाहे वे सरकार में रहे हो या कहीं भी रहे हों, उनकी लापरवाही का नतीजा है।

श्री विलास मुत्तेमवार : पचीस साल में कभी ऐसा नहीं हुआ था।...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : यह परिणम है आपके उन पापों का, बच्चा एकदम नहीं होता, उसे पैदा होने में समय लगता है।...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुन लीजिए। पचास वर्ष हो गये हैं अभी तक हिन्दुस्तान में कृषि नीति नहीं बन पाई। सन् 1994 में यहां बड़ी बहस हुई थी।

मैं स्टैंडिंग कमेटी में था। हम लोगों ने सर्वसम्मत रिपोर्ट दी थी। माननीय जाखड़ जी सामने बैठे हैं, वह तब कृषि मंत्री थे। उस समय हम लोग आपस में बात करते थे। मेरा जाखड़ जी से राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन किसानों की समस्याओं पर हम लोग एक दूसरे के काफी सहयोगी रहे, सहमत रहे।

सभापति महोदय, दुर्भाग्य यह है कि इस देश में उद्योग नीति तो 1951 में बन गई, लेकिन कृषि नीति आज 1 जून, 1998 तक नहीं बनी है। आखिर किसान आत्महत्या नहीं करेगा, तो क्या करेगा। किसान को आपने क्या दिया है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि किसान ब्याज नहीं दे पा रहे थे इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान को महाजन से रुपया लेने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या हमारे कृषि विकास बैंक, कृषि भूमि विकास बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं हैं जिनसे 8, 9, 10 या 11 प्रतिशत ब्याज पर कर्जा मिल जाता है, फिर उसको महाजन के पास जाने की जरूरत क्या पड़ी। क्या यह बात भी सही नहीं है कि नाबार्ड और अन्य सरकारी संस्थाओं से सस्ती दर पर कर्ज लेने के बाद भी किसान की जमीन नीलाम नहीं हो रही है या कुर्क नहीं हो रही है। पूरे के पूरे अखबार भरे पड़े हैं, रोजाना अनेक समाचार ऐसे निकलते हैं कि फलां जगह पर फलां की जमीन नीलाम हो रही है या कुर्क हो रही है। किसान सस्ती दर पर कर्ज लेने के बाद भी क्या कर्ज अदा कर पा रहा है? 40 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज लेने के बाद तो किसान अदा कर ही नहीं पाएगा। जब आज स्थिति यह हो रही है कि किसान 8, 9, 10 या 11 प्रतिशत दर पर सरकारी संस्थाओं से कर्ज लेकर भी कर्ज अदा नहीं कर पा रहा है, तो 40 प्रतिशत बयाज दर पर कर्ज लेकर वह कैसे अदा कर पाएगा।

सभापति महोदय, यह एक दिन में नहीं हुआ। यह पिछले 50 वर्षों का नतीजा है। जैसी हमारे देश में नीतियां पिछले 50 वर्षों में अपनाई गई उनका परिणाम आज देश के सामने किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के रूप में आपके सामने आ रहा है। आज तक हमने किसानों की समस्याओं के बारे में, खेती के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि किसान आर्गेनाइज्ड नहीं है। जो लोग आर्गेनाइज्ड हैं, वे अपनी बात आंदोलन कर के मनवा लेते हैं, लेकिन किसान बेचारा आंदोलन तो क्या प्रदर्शन भी नहीं कर पाता है और कभी जैसे तैसे प्रदर्शन करने की कोशिश करता है, तो हमारे नेता लोग बीच में आ जाते हैं और उसे भी असफल करवा देते हैं।

सभापति महोदय, मैं लंबी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि यदि आपकी नीतियां इसी प्रकार से चलती रही, तो आज तो 500 किसानों ने आत्महत्या की है, आने वाले समय में पांच लाख किसान आत्महत्या करेंगे या फिर वे अत्याचार करने वालों और अनाचार करने वालों की हत्या करने पर मजबूर होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके अपनी जमीन को ऊसर बना रहा है। जिन दवाओं पर अमरीका ने बैन लगा दिया, वे दवाएं हमारे देश में प्रयोग के लिए भेजी जा रही हैं और हमारे यहां अनाप-शनाप मात्रा में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग रासायनिक खाद डाल-डाल कर अपनी पृथ्वी माता के साथ बलात्कार कर रहे हैं। ज्यादा फसल लेने के लिए हम अपनी जमीन को सदा के लिए बेकार करते जा रहे हैं। केमीकल इंसैक्टसिइड और पैस्टीसाइड डाल डालकर हम अपनी जमीन को सदा के लिए बेकार कर रहे हैं। हर वर्ष इन केमीकलों की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है और दूसरी ओर सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। जितनी भी वर्षा होती है उसका सारा पानी समुंदर में चला जाता है। हम आज तक जल प्रबन्धन नहीं कर पाए हैं।

सभापति महोदय, पिछले 50 सालों से हम आज तक अपने देश में सिंचाई का प्रबन्ध कर पाए हैं। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है और सारी खेती तबाह हो जाती है, लेकिन कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि ऐसा क्यों होता है। मैं कृषि मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप एक अधिकार संपन्न कमेटी बनाइए जो इन सब बातों की जांच करे कि इनके क्या कारण हैं। यह भाषण देने से नहीं होगा। हमको तय करना होगा कि भविष्य की हमारी कृषि नीति क्या हो? हम किसान को क्या सुविधायेए दे सकते हैं? आज हम सबसिडी की बात करते हैं। आज सबसिडी के लिए किसान हाथ में भीख का कटोरा थामे नहीं घूम रहा है। किसान को सबसिडी नहीं चाहिए। हमारे कुछ पूंजीपति लोग, कुछ अति विज्ञानी लोग, उदारवादी लोग रेस्तरां में बैठकर किसान की सबसिडी को इस देश के पिछड़ापन की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि सारा पैसा तो किसान को चला जाता है मगर क्या आपने कभी हिसाब लगाया है कि किसान को कितना पैसा जाता है। कभी हिसाब नहीं लगाया। आप यह कराइये कि क्या होना चाहिए, केवल भाषण देने से काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए गंभीरता से बात करनी होगी। हो सकता है कि भावुकता में कुछ कहकर हम पब्लिक मीटिंग में ताली बजवा ले मगर उस भावुकता से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान करने के लिए हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे वह किसी के खिलाफ भी क्यों न हो। उसके लिए जो भी उत्तरदायी है, वह दंडित होना चाहिए, नहीं तो समस्यायें मुंह बाये खड़ी रहेंगी।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं जहां से चुनकर आता है, जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां पूरा जिला है। मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे आप नोट कर ले, वहां 15 साल के बाद सामूहिक आत्महत्या होने लगेगी। राम गंगा और गंगा के बीच एक इलाका है जिसके दोनों तरफ नदियां हैं। बाढ़ की विभीषिका तो वह इलाका बर्दाश्त करता है मगर इन दोनों नदियों के पानी की एक बूंद भी उन्हें सिंचाई के लिए नहीं मिलती जिसके मायने हैं कि वे नदियां अभिशाप तो है, वरदान नहीं है। दोनों जिलों में एक भी नहर नहीं है। नतीजा यह है कि वहां सिचाई व्यवस्था फेल हो गयी है, सभी बोरिंग फेल हो गये। गवर्नमैंट ने कह दिया है कि वहां पर बोरिंग नहीं होगी क्योंकि यह डार्क एरिया घोषित कर दिया गया है। आप क्षमा करें कि जहां ट्यूबलैव नहीं बनेंगे, नहर का पानी नहीं है।

अपराह्न 3.47 बजे

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

सिंचाई का और कोई प्रबन्ध नहीं है तो 15 साल के बाद, जब जमीन का पानी बिल्कुल खत्म हो जायेगा तो सिंचाई कहां से होगी

[श्री राजवीर सिंह]

और अगर सिंचाई नहीं होगी तो क्या 50 लाख आबादी का इलाका भूखा नहीं मरेगा? क्या वहां सामूहिक आत्महत्यायें नहीं होंगी?

श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : उन जिलों के नाम बताइये।

श्री राजवीर सिंह : मैं बदायूं और बरेली जिले का पार्ट कह रहा हूं। मैंने राम गंगा और बूढ़ी गंगा के बीच के इलाके के बारे में कहा। हमारे मंत्री जी राम गंगा और बूढ़ी गंगा के बीच के क्षेत्र को जानते हैं। जाखड़ साहब भी उस इलाके को जानते हैं।...(*व्यवधान*) उनका फार्म होगा। उनका फार्म ऐसी जगह है जहां पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। आटोमैटिकली सिंचाई होती है। मुझे मालूम है कि वे बहुत परेशान हैं। इसलिए वे परेशान हैं क्योंकि उनका फार्म उत्तरांचल में जा रहा है। इसलिए ये बहुत परेशान हैं। वहां सिंचाई की जरूरत नहीं है। सिंचाई की जहां जरूरत है वहां व्यवस्था होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे भाषण में घंटी बजे। इसलिए मैंने कुछ मुद्दे रखे हैं। उन पर आप विचार करें। अंत में मैं कृषि मंत्री और अपने सामने बैठे हुए मित्रों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बार-बार भाषण में ध्वनि निकल रही है, उधर से जो भी भाषण दिये गये उन सबसे यह ध्वनि निकली कि यह गवर्नमेंट बनने के बाद आत्महत्यायें हुई हैं, उसके लिए यह गवर्नमेंट जिम्मेदार है। इस देश का दुर्भाग्य यह है कि हमने हर चीज को गवर्नमेंट पर छोड़ने की कोशिश की है। क्षमा करें, यदि किसी का बालक न हो, तो कहते हैं कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है। टिकट न मिले तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। किसी काम के लिए गये तो. ..(*व्यवधान*)

एक माननीय सदस्य : जब आप आपोजिशन में थे तब भी आप यही बोलते थे।...(*व्यवधान*)

श्री राजवीर सिंह : मैं नहीं कहता था। आप मेरे भाषण उठाकर देख लीजिए।...(*व्यवधान*)

श्री विलास मुत्तेमवार : आपके लोग कहते थे।...(*व्यवधान*)

श्री राजवीर सिंह : कोई नहीं कहता था। आपके सुनने में फर्क था।...(*व्यवधान*)

श्री विलास मुत्तेमवार : अब पोजीशन बदल गयी है। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : हम आपका सुझाव जानने के लिए बहुत उत्सुक है। आपकी टिप्पणियां क्या हैं?

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : आप मेरी बात सुनिये। मैं बार-बार कहता हूं कि आपको उधर बैठने का भी तजुर्बा नहीं है और इधर बैठने की भी तजुर्बा नहीं है। जाखड़ साहब आप सीनियर मैम्बर है। आप एक ट्रेनिंग कैम्प लगाइए और अपने मित्रों को विपक्ष में बैठने के लिए क्या करना चाहिए, यह सिखाइए। यह बात खत्म हो गयी। ...मैंने जाखड़ साहब से इसलिए कहा क्योंकि वह स्पीकर भी रह चुके हैं। वह पार्लियामेंट के नियम, कानून को जानते हैं।

श्री विलास मुत्तेमवार : आपको अब मौका ही नहीं मिलेगा। ...(*व्यवधान*) क्योंकि आप जल्दी ही इधर आने वाले हैं। ...(*व्यवधान*) आपको सत्ता में रहना नहीं आया और हमें ओपोजिशन में रहना नहीं आया।...(*व्यवधान*)

श्री राजवीर सिंह : तुम्हें तो दोनों ही नहीं आया लेकिन हम तो सत्ता में रहना सीख रहे हैं। तुम्हें तो ओपोजिशन मैं बैठना भी नहीं आता।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बीच में इंटरप्ट किया था, तो मैंने जवाब दिया। यह पहले भी मेरे भाषण में ऐसे ही छेड़छाड़ करते थे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : इन्होंने इण्टरप्ट किया तो मैंने जवाब दिया। मेरे भाषणों में पहले भी ये लोग ऐसे ही छेड़छाड़ करते थे, यह इनकी आदत है।

श्री सोमपाल : आप इसको पांच साल चलने दीजिए, दोनों सीख जाएंगे।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप न करके इसको गम्भीरता से ले। अगर ये आत्महत्या हुई हैं तो यह सोमपाल जी के दो महीने 10 दिन के शासन का परिणाम नहीं हैं। यह आत्महत्याएं हुई हैं तो यह 50 वर्षों की हमारी लापरवाही थी, यह उसका परिणाम है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी दोष नहीं है, किसी स्टेट गवर्नमेंट का दोष नहीं है। हम केवल स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डालकर इस बात को नहीं छोड़ सकते। आपने कृषि नीति नहीं बनाई, इससे स्टेट गवर्नमेंट को कुछ लेना-देना नहीं, आपने यहां पर कुछ तय ही नहीं किया और आप स्टेट गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं। सच बात तो यह है कि अगर यह सारा दोष किसी का है तो वह आपका है, कांग्रेस पार्टी के लोगों का है, क्योंकि 50 साल में से 45 साल आपने यहां सरकार चलाई है। इसलिए दोषी आप हैं और दोष का दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम) : अध्यक्ष महोदय, हम में से अधिकांश किसान समुदाय से आते हैं, किन्तु हम में से किसी की भी किसानों के कल्याण में रुचि नहीं है। लगभग 198 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन करने वाले भारतीय किसानों को अब तक कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है।

जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है, किसानों ने 1.35 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया है। उन्होंने हमें अपना खून और पसीना दिया है। किन्तु हमने उन्हें क्या दिया है? कुछ नहीं। हमारी ओर से किसानों को कोई सहायता नहीं दी गयी है। हमने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है।

पचास, साठ और सत्तर के दशक में हम अन्य देशों से खाने के लिए अनाज मंगाया करते थे। उन दिनों हमारी जनसंख्या केवल 40 अथवा 50 करोड़ थी। अब हमारी जनसंख्या लगभग 95 करोड़ है। हम सभी को भोजन प्रदान कर रहे हैं। यही किसान हैं, जिन्होंने यह उत्तरदायित्व निभाया हैं वे 19 मिलियन टन अनाज दे रहे हैं और निकट भविष्य में उनका लक्ष्य 21 मिलियन टन खाद्यान्न का होने का रहा है। वे इसको पूरा करने के लिए तत्पर है। इसके बावजूद हम उनमें कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें धोखा दिया जा रहा है, यदि मुझे इन शब्दों का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए। उन्हें समाज के सभी वर्गों द्वारा धोखा दिया जा रहा है। व्यापारियों ने उन्हें धोखा दिया, सरकार ने उन्हें धोखा दिया और बिचौलियों ने उन्हें धोखा दिया। समाज में प्रत्येक व्यक्ति ने उन्हें धोखा दिया। नौकरशाही ने उन्हें धोखा दिया। उन्हें घटिया बीज और मिलावटी खाद की आपूर्ति की जा रही है। कोई लाभकारी मूल्य नियत अथवा प्रदान नहीं किया जा रहा है।

गेहूं के लिए हाल ही में लाभकारी मूल्य निर्धारित किया गया है। इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री जी मिला और उन्हें आन्ध्र प्रदेश के किसानों की दुर्दशा बताई। गेहूं के लिए 55 रुपये का बोनस नियत किया गया है, जबकि धान के लिए कोई बोनस नहीं दिया गया है। धान उपजाने वाले किसानों को छोड़ दिया जाता है। अधिकांश धान का उत्पादन देश के दक्षिण भाग में होता है, किन्तु उन्हें उतना लाभ नहीं दिया गया जितना गेहूं के किसानों को दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण है? जो ऋण तंत्र किसानों को उपलब्ध है, उसकी स्थिति भी दयनीय है।

जो शर्तें वे रख रहे हैं, वे बहुत कठिन हैं। सहकारी बैंकों का मामला हो अथवा वाणिज्यिक बैंकों का दोनों जगह यही बात है। वे सही तरीका खोजने में असमर्थ हैं। उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और किसानों कि लिए ऋण सुविधा को सरल बनाना चाहिए।

फिर देश में एक समुचित फसल पद्धति की शुरुआत की जानी चाहिए। चूंकि देश में कोई समुचित फसल पद्धति शुरू नहीं की गई है, अतः यदि कुछ किसान विशेष प्रकार की फसल उगाते हैं, तो सभी वह फसल उगाने लगते हैं। इसलिए, देश में एक समुचित फसल पद्धति शुरू की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, इस वर्ष आंध्र प्रदेश में कुछ किसानों द्वारा कपास उगाया गया है और सभी किसान कपास उगाने लग गए हैं। हमारे नेता डा॰ बलराम जाखड़ ने भी आंध्र प्रदेश के कुछ भागों का दौरा किया है और उन्होंने देखा है कि वहां कपास उगाने वाले किसान कैसे कष्ट उठा रहे हैं।

बहुत से कपास की फसल उगाने वाले किसान आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि उनकी फसल का बीमा नहीं हुआ था। फसल बीमा योजना पूरी तरह असफल रही है। उनकी फसलों का कोई उचित बीमा नहीं था। कुछ अन्य देश कुछ तरीके अपना रहे हैं। यदि वही तरीका हमारे देश में भी अपनाया जाये, तो किसानों को लाभ होगा। लेकिन इस प्रणाली को अभी तक हमारे देश में शुरू नहीं किया गया है। कुछ बैंकों ने इस प्रणाली को कुछ जगहों पर शुरू किया है, किंतु पूरे देश में नही। आंध्र प्रदेश में उस प्रणाली को नहीं अपनाया जा रहा है। आत्महत्या करने वाले अधिकांश किसान आंध्र प्रदेश के हैं। वहां लगभग 300 किसानों ने आत्महत्या की और वे सभी कपास उत्पादक थे। उन्होंने आत्महत्या इसलिए की, क्योंकि उन्हें घटिया बीज और नकली दवाइयों की आपूर्ति की गई है। इसके कारण, उन्हें भारी कष्ट उठाना पड़ा, उन्हें घोर निराशा हुई और उन्होंने आत्महत्या कर ली।

महोदय, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अनुग्रह राशि के रूप में क्या दिया जा रहा है? उन्हें प्रति परिवार एक लाख रुपये दिया गया है। क्या यह उस व्यक्ति के लिए पर्याप्त है, जिसने फसल उगाई और कष्ट उठाया? यह पर्याप्त नहीं है। जैसा कि हमारे माननीय मित्र श्री विलास मुत्तेमवार ने सुझाव दिया है, अनुग्रह राशि के रूप में कम-से-कम पांच लाख रुपये निर्धारित किए जाने चाहिए।

जब मैं माननीय मंत्री महोदय से मिला तो मैंने उन्हें बीमा क्रेडिट कार्ड प्रणाली का अनुसरण करने का सुझाव दिया। उस प्रणाली में किसान जितनी भी धनराशि ऋण के रूप में लेता है, चाहे यह बैंक का 10,000 रु॰ हो या 20,000 रु॰ हो या एक लाख रुपया हो, बीमा कम्पनी द्वारा यह राशि बीमाकृत होगी। बैंकों के दिशा निर्देशों में यह प्रावधान होना चाहिए। उसके बाद यदि किसान वह राशि वापस करने में असफल होता है तो वहां से बीमा कम्पनी का कार्य प्रारंभ होगा और वह उसका भुगतान करेगी ताकि किसान को आत्महत्या न करनी पड़े। यही प्रणाली कुछ अन्य देशों में भी प्रचलित है। इस प्रणाली को अपनाना आसान है और इस प्रणाली को हमारे देश में भी लागू किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं कुछ समय तक आंध्र प्रदेश में कृषि मंत्री था और मैंने एक फसल बीमा योजना लागू की थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री भास्कर राव, आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं। मैं कुछ घोषणाएं करना चाहूंगा।

सदन ने इस विषय पर पहले ही तीन घंटे लगाए हैं। जैसाकि आपको ज्ञात है, चर्चा का विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है कि कुछ अन्य सदस्य भी इस वाद-विवाद में भाग लेना चाहेंगे। यदि सदन सहमत हो तो भोजन काल को समाप्त करके कल 2 जून, 1998 को अपराह्न 1.00 बजे इस पर फिर चर्चा शुरू की जा सकती है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। धन्यवाद।

अपराह्न 3.59 बजे

टेलीफोन तथा गैस कनेक्शन आवंटित किये जाने के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक और घोषणा करना चाहूंगा।

माननीय सदस्यगण, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय संचार मंत्री, माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा लोक सभा में विभिन्न दलों के नेताओं के परामर्श से प्रत्येक सदस्य को प्रतिवर्ष 50 टेलीफोन कनेक्शन एवं 160 गैस कनेक्शन आवंटित करने का आज निर्णय लिया गया है। इस प्रकार आवंटित टेलीफोन और गैस कनेक्शन सदस्यों द्वारा केवल उनके चुनाव क्षेत्रों में आवंटन के लिए प्रतिबंधित होंगे।

अपराह्न 5.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए अब सभा की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

अपराह्न 4.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न पांच बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 5.01 बजे

लोकसभा अपराह्न पांच बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

सामान्य बजट-1998-99

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री यशवंत सिन्हा बजट प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय, मैं एक शेर कहना चाहता हूं :

वफा करो, न करो, पर वफा की बात करो।
हमारे दर्द को देखो, दवा की बात करो।।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) :

मान्यवर, मैं वर्ष 1998-99 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

प्रस्तावना

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला बजट है। यह इतिहास का एक निर्णायक क्षण है। यह वह अवसर है जो आशाओं से परिपूर्ण है। मैं माननीय प्रधानमंत्री का उस विश्वास एवं मार्गदर्शन के लिए बहुत आभारी हूं जो उन्होंने मुझे प्रदान किया है।

इस सरकार को शासन की बागडोर संभाले हुए दस से कुछ अधिक सप्ताह ही हुए हैं। परन्तु हम जान गए हैं कि अब एक नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। 11 मई का दिन निश्चित रूप से पहला कदम था और आज यह दूसरा कदम है। वस्तुतः हमें आगे एक लम्बी यात्रा तय करनी है परन्तु इतिहास इस बात को सिद्ध करेगा कि हमने अब एक नए भारत का निर्माण शुरू कर दिया है। यह एक मजबूत और खुशहाल देश और एक आत्मनिर्भर राष्ट्र होगा परन्तु यह एक अलग-थलग राष्ट्र नहीं होगा बल्कि दूसरे देशों के साथ समान भागीदारी एवं सहयोग रखने वाला राष्ट्र होगा। जैसी की कहावत है "केवल शक्तिशाली ही स्वतंत्र हो सकता है और केवल उत्पादक ही शक्तिशाली हो सकता है।" उसी नए भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं।

बहुत आयामी आर्थिक चुनौतियां, जिनका हम आज सामना कर रहे हैं उस समय से अधिक प्रबल हो गई हैं जब मैंने इस सदन के सामने अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। जहां भारत के लोगों ने 11 मई की घटना पर गौरव का अनुभव किया है वहीं विदेशों में हमारे कुछ मित्रों ने नकारात्मक रुख अपनाया है। मुझे विश्वास है कि इन प्रारंभिक नकारात्मक प्रतिक्रियाओं में हमारी स्थिति को बेहतर ढंग से समझते हुए नरमी का रुख आ जाएगा और इनका हमारे आर्थिक विकास पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु हमारी नीतियां स्पष्ट रूप से दिशासूचक एवं दृढ़ होनी चाहिए। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था "जल के किनारे खड़े रहकर और उसे निहारकर आप सागर पार नहीं कर सकते।" हमारा इरादा इस सागर को पार करने का है और इस राष्ट्रीय प्रयास के लिए मैं आने वाले कुछ सप्ताहों और महीनों में इस सम्माननीय सदन का सहयोग मांगता हूं।

यह बजट तैयार करते समय मुझे गांधीजी के प्रसिद्ध जन्तर से मार्गदर्शन मिला है। मैंने स्वयं उस निर्धनतम और निर्बलतम व्यक्ति का चेहरा स्मरण किया है जिसे मैंने कभी देखा था और यह सुनिश्चित किया है कि यह बजट उसके लाभ के लिए हो। इस बजट की जड़ें स्वदेशी की भावना में निहित हैं और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसका यह रूप स्पष्ट होता जाएगा। परंतु मैं यह बताना चाहूंगा कि स्वदेशी का अर्थ शेष विश्व से अलग-थलग रहने का नहीं है बल्कि स्वदेशी का अर्थ भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि हम विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें और इसमें सफल हो सकें। हमारे उत्साही और साहसी प्रधानमंत्री जी के शब्दों में :

लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा।
कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा।।

वर्तमान आर्थिक स्थिति

कुछ ही दिन पहले वर्ष 1997-98 की आर्थिक समीक्षा संसद के सभा पटल पर रखी गई थी। यह वर्ष 1997-98 के दौरान अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है। मैंने अपने अंतरिम बजट भाषण में कुछ कठिनाइयों की प्रवृत्तियों की ओर ध्यान

आकर्षित किया था : वर्ष 1997-98 में समग्र आर्थिक विकास कम होकर 5 प्रतिशत रह गया था; कृषि विकास नकारात्मक था जिसमें पिछले वर्ष 199 मिलियन टन की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन घटकर 194 मिलियन टन रह गया था; औद्योगिक उत्पादन मंदी के कारण 4.2 प्रतिशत रह गया था; लगातार दूसरे वर्ष के लिए भी निर्यात निष्पादन कमजोर था और डालर के संदर्भ में वृद्धि 3 प्रतिशत से कम थी; राजकोषीय घाटे की स्थिति और बिगड़कर सकल घरेलू उत्पादन का 6.1 प्रतिशत हो गयी थी; पूंजी बाजार की स्थिति निराशाजनक रही और आधारभूत बुनियादी सुविधाओं की कठिनाइयों के कारण अर्थव्यवस्था संत्रस्त रही। मैंने तो चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझे रात की स्याही के सिवा कुछ न मिला। परन्तु में इस स्थिति से विचलित नहीं हुआ हूं। दुर्भाग्य के शिकंजे में केवल कमजोर ही आते हैं, जो मजबूत और शक्तिशाली होते हैं वह इस पर विजय पा लेते हैं।

मुख्य उद्देश्य

सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा और प्रधानमंत्री के नीति संबंधी वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए मैं यह मानता हूं कि इस बजट के मुख्य उद्देश्य यह होने चाहिएः-

* अन्तर्निहित अनिश्चित विदेशी वातावरण का प्रभावकारी रूप से सामना करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद को सुदृढ़ करना।
* कृषि में गिरावट को दूर करके तेजी लाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।
* औद्योगिक विकास, विशेषकर लघु उद्यमों की प्रगति को पुनर्स्थापित करना और पूंजी बाजार को पुनर्जीवित करना।
* आधारभूत संरचना के विकास में तेजी लाना।
* इनके द्वारा अन्य उपायों के द्वारा उत्पादक रोजगार अवसरों का तेजी से विस्तार करना।
* सामाजिक क्षेत्र के विकास को विशेष रूप से गतिशील बनाना।
* निर्यातों की पुनर्स्थापना और उधार ली गई निधियों पर निर्भरता कम करके भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की गति और प्रकृति को आंकना।
* वृहद आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना और मुद्रास्फीति के ऊपर नियंत्रण।
* अधिक राष्ट्रीय निवेश प्राप्त करने के लिए घरेलू बचतों की दर में वृद्धि करना और इस प्रकार तीव्रतर मध्यावधि विकास के लिए आधार तैयार करना, विदेशी निवेश के माध्यम से इस प्रयास को आगे बढ़ाना।
* हमारे लोगों की उत्पादक क्षमताओं को नौकरशाही की अनावश्यक बाधाओं से मुक्त करना और हमारी भूमि, श्रम और पूंजी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुधार कार्य करना।

कृषि और ग्रामीण विकास

मैं इस माननीय सदन के सामने खड़ा हूं और उसे संबोधित कर रहा हूं और ऐसा करते समय यह स्वाभाविक है कि मेरे विचार भारत के दूर-दराज के गांवो और इन गांवो के करोड़ों मेहनतकश किसानों के चारों ओर घूम रहे हैं। मुझे इस बात में कोई संदेह नही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति और उसकी गतिशीलता भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास की धुरी है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए मैं क्या करना चाहता हूं उसका भी उल्लेख करता हूं :

* जल कृषि के लिए महत्वपूर्ण साधन है फिर भी विकास के इतने वर्षों के बाद भी हमारे कृषि योग्य भूमि का केवल 37 प्रतिशत ही आश्वस्त सिंचाई के अंतर्गत है। हमारे अधिकांश निर्धन लोग वर्षा सिंचित क्षेत्रों में रहते हैं। जल भंडारण सुविधा से वर्षा सिंचित क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना और उसके द्वारा निरंतर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने का हमारा प्रस्ताव है। इस समय कई मंत्रालयों और विभागों में फैले बंजर भूमि विकास कार्यक्रम एकीकृत किए जाएंगे और आयोजना आवंटन, वर्ष 1997-98 में संशोधित अनुमान को 517 करोड रुपये से बढ़ाकर 677 करोड़ रुपये किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान की तुलना में प्रावधान में 58 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
* जल के बाद अगला स्थान ग्रामीण ऋण एवं ग्रामीण आधारभूत संरचना का है। "नाबार्ड" द्वारा प्रबंधित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर॰आई॰डी॰एफ) के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए राज्य सरकारों को धन उपलब्ध कराया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन ग्रामीण अवसंरचना विकास निधियों के अंतर्गत 7500 करोड़ रुपए की एक संचित निधि बनाई गई है जिससे 25,000 से अधिक स्कीमों के वित्तपोषण में मदद मिली है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि चौथी ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के लिए आवंटन बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण सुविधा का उपयोग करने के लिए मैं राज्यों को आगे आने का आमंत्रण देता हूं।
* मैं चालू वर्ष में "नाबार्ड" की शेयर पूंजी में 500 करोड़ रुपए तक की वृद्धि करना चाहता हूं। सरकार 100 करोड़ रुपए बजट से आवंटित करेगी और भारतीय रिजर्व बैंक शेष 400 करोड़ रुपए का अंशदान करेगा। इससे "नाबार्ड" कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से अतिरिक्त संसाधन जुटाने में समर्थ हो सकेगा।
* ग्रामीण बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या अत्यन्त विकट है। केवल स्व-रोजगार के जरिए ही

[श्री यशवन्त सिन्हा]

इसका निराकरण किया जा सकता है। ऐसी कोई वजह नहीं लगती कि प्रत्येक दस्तकार, कारीगर और बुनकर एक उद्यमी बन कर अपना स्वयं का छोटा कारोबार शुरू नहीं कर सके। तथापि, इसमें एक प्रमुख बाधा ऋण सुविधाओं की कमी की रही है। इससे पूर्व "नाबार्ड" ने लघु उद्यमियों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए माध्यम के रूप में स्वयं सहायता समूहों (एस॰एच॰जी॰) को बढ़ावा देने की एक सीमित स्कीम शुरू की थी। मैं "नाबार्ड" को इस स्कीम के कार्य क्षेत्र और दायरे में काफी अधिक विस्तार करने का निर्देश दे रहा हूं ताकि लघु ऋण प्रदान करने की इस स्कीम के माध्यम से अगले पांच वर्षों में 2 लाख स्वयं सहायता समूहों को मदद की जा सके जिससे 40 लाख परिवार लाभान्वित हो सकें। 2 लाख परिवारों को लाभान्वित करने वाले 10000 स्वयं सहायता समूहों को इस वर्ष मदद दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक भी लघु उद्यमियों की जरुरतों को पूरा करने के लिए वाणिज्यक बैंकों को विशेष ऋण पैकेज तैयार करने की सलाह दे रहा है।

* मैने राष्ट्रीय आवास बैंक से स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण आवास वित्त योजना के तहत गत वर्ष 50,000 इकाइयों की तुलना में इस वर्ष एक लाख ग्रामीण आवास इकाइयों को वित्तपोषित करने के लिए कहा है।

* मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको (आर॰आर॰बी॰) के पुनर्गठन और पुनंर्पूजीकरण को आगे बढ़ाने के लिए 265 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहा हूं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रबन्धन, प्रचालनात्मक और पुनर्सचनात्मक सहायता मुहैया कराने में प्रायोजक बैंकों की भूमिका में बढ़ोत्तरी की जा रही है।

* किसानों को प्रायः परिस्थितियों की वजह से जो उनके वश में नहीं हैं, ऋणों की चिरकालिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कर्जदारी के लिए उन्हें जेल की यातना तक दी जाती है। कर्ज वापसी की संस्कृति में जहां सुधार लाया जाना चाहिए, वहीं यह सरकार ऐसी स्थितियां पैदा करने के लिए कृतसंकल्प है जिससे किसी भी किसान को कर्ज वापसी में चूक के लिए जेल न जाना पड़े अथवा आत्महत्या करने के लिए विवश न होना पड़े। भारतीय रिजर्व बैंक बकाया कर्जों के पुराने मामलों के समस्या रहित निस्तारण के लिए बैंकों को उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करेगा। बैंकों को उचित मामलों में संचित ब्याज पर उपयुक्त राहत प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नई प्रक्रिया से बैंकिंग क्षेत्र के गैर-निष्पादनकारी परिस्म्पत्तियों की बकाया मात्रा में कमी करने में भी मदद मिलेगी।

* श्री राजेश पायलट यहां है और वह कृपया नोट कर सकते हैं। "नाबार्ड" से किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, जिन्हें बैंको द्वारा समान रूप से अपनाया जाएगा, जारी करने की स्कीम का एक नमूना तैयार करने के लिए भी कहा जा रहा है ताकि किसान उनका उपयोग बीज, खाद, कीटनाशक आदि जैसी कृषि सम्बन्धी निविष्टियों की आसानी से खरीद करने और उनकी उत्पादन की जरूरतों के लिए नकदी प्राप्त करने में कर सकें।

आज हमारी किसानों की प्रवीणता और उद्यमशीलता, कृषि उत्पादों के उत्पादन, विपणन और ढुलाई से सम्बन्धित केन्द्रीय और राज्य के अनेक कानूनों से पंगु बनी हुई है। यह स्पष्टतया अस्वीकार्य है। मेरे सहयोगी कृषि राज्य मंत्री शीघ्र ही प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार की राष्ट्रीय कृषि नीति का दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जो व्यापक तरीके से इन बाधाओं पर ध्यान देगी। वाणिज्य मंत्री खाद्यान्नों को छोड़कर सभी कृषि सामग्रियों के निर्यात पर मौजूदा नियंत्रणों की सुव्यवस्थित रूप से समीक्षा कर रहे हैं। कोई कारण नहीं है कि हमारे किसानों को व्यापक विश्व बाजारों तक अपनी पहुंच के लाभ प्राप्त नहीं हों।

हमारे देश में कृषि सहकारिता प्रणाली कई स्तरों पर नौकरशाही तथा राजनैतिक हस्तक्षेप से ग्रस्त है। सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के सुगठित कार्यक्रम के भाग के रूप में सरकार शीघ्र ही बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 के स्थान पर एक आदर्श सहकारी कानून लाएगी तथा राज्यों को अपने अधिनियम में इसी प्रकार का संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची से कृषि उपकरणों और औजारों को अलग करने के लिए हमारे किसान और कृषि मंत्रालय लंबी अवधि से मांग करते आ रहे है ताकि किसान प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विविध प्रकार के उपकरणों और औजारों तथा आवश्यक बिक्री के बाद ही सेवा का लाभ उठा सकें। इस प्रस्ताव की उद्योग मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा भी सिफारिश की गई है। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार करने का निर्णय किया है।

भारत ने हाल के वर्षों में तिलहनों के उत्पादन में सराहनीय प्रगति की है। एक सक्षम बाजार का माहौल कायम करने और इस क्षेत्र में कीमतों में अस्थिरता को कम करने के उद्देश्य से सरकार खाद्य तिलहनों, उनके तेल और खली में भावी व्यापार शुरू करने की योजना बना रही है।

युरिया और विनियन्त्रित फॉस्फेटी और पोटाशी उर्वरक दोनों के लिए मौजूदा सब्सिडी स्कीमों को जारी रखा जा रहा है। तथापि उर्वरक प्रयोग के बदले अधिकतम फसल की पैदावार प्राप्त करने के लिए तीनों पोषण साधकों, नाइट्रोजन (एन॰) फॉस्फोरस (पी॰) और पोटेशियम (के॰) के प्रयोग में सन्तुलन लाया जाना चाहिए। पिछले कुछ समय से अन्य विनियन्त्रित उर्वरकों की तुलना में यूरिया की कम कीमत के कारण यह सन्तुलन उत्तरोत्तर बिगड़ा है। एन॰पी॰के॰ का सन्तुलन जो 1991-92 में 5.9:2.4:1 था, 1996-97 तक प्रतिकूल रूप से बदल कर 10:2.9:2 हो गया है। यूरिया के मूल्य में वृद्धि करने से इस सन्तुलन को बहाल करने में मदद मिलेगी। यह वृद्धि बढ़ती हुई लागतों के आधार पर भी औचित्यपूर्ण है, जिसकी वजह से 1995-96 और संशोधित अनुमान 1997-98 के बीच दो वर्षों में स्वदेश में निर्मित

यूरिया पर सब्सिडी में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। अतः यूरिया का बिक्री मूल्य तत्काल प्रभाव से मात्र 1 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाने का प्रस्ताव है।...*(व्यवधान)*

सरकार अगले पांच वर्षों में सभी ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति की एक बहुआयामी नीति अपनाई जा रही है:

* त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए आवंटन 1997-98 के संशोधित अनुमान में 1302 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इस बजट में 1627 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इस बढ़े हुए परिव्यय से लगभग एक लाख बस्तियां लाभान्वित होंगी।
* जैसा पहले उल्लेख किया गया है हम जल संग्रहण विकास कार्यक्रम पर विशेष बल देंगे। यह भूजल की उपलब्धता तथा संरक्षण के लिए बेहतर परिणाम भी सुनिश्चित करेगा।
* राज्यों को समुदाय-आधारित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों को संस्थागत रूप से देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसमें ग्रामीण जलापूर्ति सुविधाओं का स्वामित्व रखने, उन्हें संचालित करने और उनका रख-रखाव करने में लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त की जाती है।

पिछले वर्षों में गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन कार्यक्रमों का काफी विस्तार हुआ है। प्रत्येक स्कीम के इरादे नेक थे लेकिन उनकी बहुलता से अनावश्यक द्वैध-कार्यों, अधिक ऊपरी लागत, फील्ड स्तरों पर अव्यवस्था तथा लोगों को पर्याप्त लाभ न मिलने के परिणाम प्राप्त हुए। विभिन्न स्कीमों को स्व-रोजगार स्कीम तथा मजदूरी रोजगार स्कीम की दो व्यापक श्रेणियों के अन्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है। इन स्कीमों को निधि पोषण तथा संगठनात्मक ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जाएगा ताकि इन कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकें।

लघु उद्योग

अब मैं लघु उद्योग क्षेत्र की ओर मुड़ता हूं। लघु उद्योग क्षेत्रक हमारे कुल विनिर्माण क्षेत्रक उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत, निर्यातों में 35 प्रतिशत का बहुमूल्य योगदान करता है और 160 लाख से अधिक कामगारों और रोजगार देता है। लघु उद्योग क्षेत्रक के प्रति हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। लघु उद्यमियों और उनके संगठनों की सबसे आम शिकायत समय पर पर्याप्त ऋण न मिलने और "इंसपेक्टर राज" के उत्पीड़न की है।

लघु उद्योग क्षेत्रक की ऋण समस्याओं पर मैं निम्नलिखित पहलों का प्रस्ताव करता हूं:-

* वर्तमान में, 2 करोड़ रुपए तक की कार्यशील पूंजी, आवश्यकताओं वाली लघु उद्योग इकाइयों के लिए कार्यशील पूंजी की सीमा उनकी वार्षिक कुल बिक्री के 20 प्रतिशत के आसान परिकलन के आधार पर बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती है। इस सुविधा को दुगुना कर 4 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इससे लघु उद्योग क्षेत्र को बैंक ऋण का मिलना सुविधाजनक हो सकेगा।
* लघु उद्योग इकाइयों को ऋण की लागत में कमी लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों को सलाह देगा कि पिछले अच्छे निष्पादन वाली लघु उद्योग इकाइयों को मूल उधार दर पर कम लागत-अन्तर का लाभ प्रदान करें।
* यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकांश ऋण प्रस्तावों का फैसला शाखा स्तर पर ही कर लिया जाय, विशिष्टीकृत लघु उद्योग शाखाओं के बैंक प्रबन्धकों को बढ़ी हुई शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी।
* इस समय भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (एस॰आई॰डी॰बी॰आई॰) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई॰डी॰बी॰आई॰) की एक सहायक इकाई है और आई॰डी॰बी॰आई॰ राज्य वित्त निगमों (एस॰एफ॰सी॰) में प्रमुख शेयरधारक है। एस॰आई॰डी॰बी॰आई॰ को लघु उद्योगों की ऋण व्यवस्था में शीर्षस्थ भूमिका निभाने हेतु सक्षम बनाने के लिए एस॰आई॰डी॰बी॰आई॰ को आई॰डी॰बी॰आई॰ से अलग कर दिया जाएगा और राज्य वित्त निगमों में आई॰डी॰बी॰आई॰ की शेयरधारिता एस॰आई॰डी॰बी॰आई॰ को अन्तरित की जाएगी।
* लघु उद्योग इकाइयों को प्रायः बड़ी कम्पनियों से अपनी बकाया धनराशि प्राप्त करने मे विलम्ब के कारण अड़चनें आती हैं। इस समस्या के निवारण के लिए मैं भारतीय रिजर्व बैंक से हुंडियों की भुनाई के लिए लघु उद्योगों को उपलब्ध विद्यमान व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कह रहा हूं। भारतीय रिजर्व बैंक लघु उद्योग आपूर्तिकर्ता के सम्बन्ध में बड़ी इकाइयों के पास बकाया अतिदेय राशि पर अधिक जोर देने के लिए ऋण मूल्यांकन के सम्बन्ध में वाणिज्यिक बैंकों को अपने दिशानिर्देशों में भी संशोधन कर रहा है। मेरे सहयोगी उद्योग मंत्री विद्यमान कानून को अधिक कारगार बनाने के लिए लघु उद्योग को विलम्बित अदायगियां और सहायक उद्योग उपक्रम अधिनियम, 1993 में अलग से संशोधन ला रहे हैं।

जहां तक "इंसपेक्टर राज" की व्यापक समस्या का सम्बन्ध है, मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रशासन में दूरगामी परिवर्तनों की घोषणा करूंगा जो लघु उद्योग इकाइयों के लिए काफी मददगार होने चाहिए। लघु उद्योग इकाइयों की इंसपेक्टर राज समस्याओं का बोझ हल्का करने के लिए मैं सभी राज्यों से उनके कानूनो और विनियमों की पुनरीक्षा करने और उनमें आवश्यक परिवर्तन करने का आग्रह करता हूं।

मैं अपने भाषण में लघु उद्योग क्षेत्रक के लिए कुछ कर रियायतों की घोषणा भी करूंगा।,

[श्री यशवन्त सिन्हा]

उद्योग में गैर सरकारी निवेश

सरकार उद्योग में विदेशी निवेश सहित, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमें नौकरशाही और कार्यविधि सम्बन्धी अड़चनों को कम से कम करना चाहिए और निवेशक के अनुकूल माहौल सृजित करना चाहिए। आर्थिक सुधारों के भाग के रूप में अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रकों में औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी गई थी। बाकी बचे चन्द लाइसेंसशुदा क्षेत्रकों की पुनरीक्षा करने पर सरकार ने आगे कोयला और लिग्नाइट तथा पेट्रोलियम उत्पादकों को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय किया है।

"इंसपेक्टर राज" द्वारा थोपे गए बोझ को कम किए बिना औद्योगिक विनियन्त्रण की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। अधिकांश इंसपेक्टर राज्य-स्तरीय संविधियों के तहत कार्य करते हैं। सरकार ने उद्योग से सम्बन्धित विनियामक कानूनों के समेकन की सम्भावना का पता लगाने और कम से कम बोझिल रूप में आवश्यक निरीक्षण करने में सभी राज्यों में सर्वोत्तम पद्धतियों का आदान-प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श शुरू किया है। मैं इस विषय पर अपने उत्पाद शुल्क प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय चर्चा करूंगा।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ•आई•पी•बी•) ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और केन्द्र सरकार के स्तर पर प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने में अच्छा कार्य किया है। विदेशी निवेश प्रवाहों में काफी अधिक वृद्धि होकर इनके 1997-98 में 3.1 बिलियन डालर होने का अनुमान है। लगभग 60 प्रतिशत निवेश स्वीकृतियां ऊर्जा और आधारभूत संरचना क्षेत्रकों में हैं। हमारा उद्देश्य ऐसी स्थितियां सृजित करना होगा जिनमें विदेशी निवेशक भारत को निवेश की एक आकर्षक मंजिल के रूप में पाएंगे। हम अगले दो वर्षों के भीतर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्तर्प्रवाह को दुगुना करने की आशा करते हैं। विदेशी निवेशकों को प्रायः हमारी व्यवस्थाओं और संविधियों की जानकारी की कमी और राज्य स्तर पर विशेष समस्याओं के कारण अड़चनें आती हैं। इन समस्याओं में कमी लाने के लिए हम एक ऐसी पद्धति क्रियान्वित करेंगे जिसमें प्रशासनिक मंत्रालय के एक अधिकारी को 100 करोड़ रुपए से अधिक के प्रत्येक विदेशी निवेश के प्रस्ताव के लिए केन्द्र और राज्य प्राधिकारियों के साथ मिलकर परियोजना की कार्यवाही और क्रियान्वयन में सहायता के लिए मॉनिटरिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। हम एक समस्यारहित निवेश अनुमोदन कार्यविधि सृजित करने के लिए कृतसंकल्प हैं और मैं सभी विदेशी निवेशकों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनके निवेश प्रस्तावों पर निर्णय 90 दिन की अवधि के भीतर ले लिया जाएगा। मॉनिटरिंग अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें।

आवास-व्यवस्था

राष्ट्रीय एजेन्डा में आवास व्यवस्था को प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में रखा गया है। हम सरकार, आवासीय वित्त संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी के जरिए देश में आवासीय कमी की विशाल समस्या के समाधान की दिशा में सार्थक रूप से आगे बढ़ेंगे।

* इस वर्ष 20 लाख अतिरिक्त आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा जिनमें 13 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में होंगी और 7 लाख शहरी क्षेत्रों में।
* इन्दिरा आवास योजना के लिए बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि कर इसे 1997-98 के संशोधित अनुमान में 1144 करोड़ से 1600 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इस स्कीम के दायरे का भी विस्तार कर इसमें ऋण-सह-सब्सिडी कार्यक्रम को शामिल किया जा रहा है।
* प्रयोज्य शहरी भूमि को आवासीय निर्माण के लिए मुक्त करने हेतु शहरी भूमि हदबन्दी और विनियम अधिनियम का निरसन किया जाएगा।
* आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के पूंजी आधार को बजट से 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर बढ़ाया जा रहा है ताकि यह आवास निर्माण के लिए अधिक निधियां दे सकें।
* मैं आवासीय व्यवस्था के लिए कुछ कर प्रोत्साहन भी देना चाहता हूं जिनका मैं अपने भाषण में बाद में उल्लेख करूंगा।

आधारभूत संरचना

हमारी आधारभूत ढांचा सम्बन्धी समस्याएं जितनी विकट है उतना ही दृढ़ हमारा उनका समाधान करने का संकल्प है। इस बजट का एक प्रमुख आधार इन क्षेत्रकों में बड़े पैमाने पर सरकारी और गैर-सरकारी निवेश के जरिए आधारभूत संरचना क्षेत्रक को पर्याप्त प्रोत्साहन देना है। इससे औद्योगिक प्रगति और समग्र आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा मिलने में भी मदद मिलेगी।

ऊर्जा, परिवहन और संचार के प्रमुख आधारभूत संरचना क्षेत्रकों के लिए 1997-98 के संशोधित अनुमानों में आयोजना परिव्यय 45,252 करोड़ रुपए था। मुझे यह घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि चालू वर्ष के लिए इन क्षेत्रकों के लिए परिव्यय 61,146 करोड़ रुपए होगा। यह 35 प्रतिशत की छलांग है। मुझे आशा है कि निवेशों में यह तीव्र वृद्धि औद्योगिक गतिविधि में तेजी लाएगी और आर्थिक विकास को फिर तेजी से पटरी पर लाएगी।

शासन की बागडोर संभालने के कुछ ही सप्ताह के भीतर सरकार ने बिजली दरों (टेरिफो) को युक्तिसंगत बनाने के मूल उद्देश्य और केन्द्रीय और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना करने के लिए एक महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी किया। यह विद्युत क्षेत्र में निवेशक का विश्वास बढ़ाने की दिशा में बहुत सहायक होगा और अधिक सरकारी और गैर-सरकारी निवेश के लिए संसाधन जुटाने को सुगम बनाएगा। हमने कुछ "फास्ट-ट्रेक" विद्युत परियोजनाओं, जो लम्बे समय से रुकी पड़ी थी, के लिए सम्प्रभु काउंटर गारंटियां प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया है। हम अब इन परियोजनाओं के शीघ्र वित्तीय समाधान की आशा करते हैं। विद्युत मंत्रालय के लिए कुल आयोजना परिव्यय 1996-97 के संशोधित

अनुमान में 6738 करोड़ रुपए और अन्तरिम बजट में 9185 करोड़ रुपए की तुलना में 9500 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

मैं आपका ध्यान प्रमुख सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जैसे एन॰टी॰पी॰सी॰ और कोल इंडिया पर राज्य विद्युत बोर्डों की देयताओं की ओर आकर्षित करता हूं जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए बनती हैं। यह भारी बकाया देयताएं सम्बधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निवेश में गम्भीर रुकावटें हैं। सरकार ऐसी देयताओं को शामिल करने के लिए एक गारंटी की स्कीम तैयार करेगी। इन गारंटियों के आधार पर सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इन ऋणों की समीक्षा करने अथवा संसाधन जुटाने के लिए सीधे बाजार में प्रवेश कर संसाधन जुटाने में समर्थ हो सकेंगे। इससे इन उद्यमों को विद्युत और कोयला क्षेत्रकों में विशाल परियोजनाओं हेतु निधि पोषण के लिए संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप होने वाला निवेश संयोजित प्रभावों के माध्यम से औद्योगिक विकास और निवेश को भी बढ़ावा देगा।

हमें और अधिक सड़कों का निर्माण करना चाहिए और हमारे सड़कों की दशा में भी सुधार होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों को अन्तर्राष्ट्रीय मानको के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। मैं मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की चार लेनों सहित नई सड़क परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूं। इस क्षेत्र के लिए कुछ और उपायों की घोषणा में अपने भाषण के भाग 'ख' में करूंगा।

निजी क्षेत्रक में आधारभूत सुविधा निवेश के लिये दीर्घकालिक वित्त बढ़ाने हेतु आधारभूत सुविधा विकास वित्त कंपनी लिमिटेड (आई॰डी॰एफ॰सी॰) को 1997 में एक सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि आई॰डी॰एफ॰सी॰ ने 1000 करोड़ रुपये की अपनी प्रदत्त इक्विटी पूंजी को संयोजित कर दिया है जिसमें नौ विदेशी निवेशकों की 400 करोड़ रुपए की इक्विटी भागीदारी भी शामिल है और अब इसने कार्य करना शुरू कर दिया है। राजकोषीय प्रोत्साहनों और सरकारी वित्तीय संस्थानों को दिए गए निधि जुटाने के लाभों के मामले में आई॰डी॰एफ॰सी॰ को दूसरे अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाओं के बराबर लाने की दृष्टि से कम्पनी अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

भविष्य निधियां निजी क्षेत्रक की आधारभूत परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान करने के लिए सक्षम रूप से महत्वपूर्ण स्रोत होती है। भविष्य निधियों के लिए निर्धारित निवेश का वर्तमान स्वरूप निजी क्षेत्रक की आधारभूत परियोजनाओं की प्रतिभूतियों में किसी प्रकार के निवेश की अनुमति प्रदान नहीं करता, निजी क्षेत्रक की ऐसी प्रतिभूतियों में, जिनका कम से कम दो ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा निवेश स्तर निर्धारण किया गया हो, भविष्य निधियों की नई जमा रकमों के 10 प्रतिशत का निवेश करने की अनुमति देकर मैं इस संबंध में कुछ छूट का प्रस्ताव करता हूं, यह एक सक्षम उपबंध है जो इन निधियों की व्यवस्था करने वाले न्यास बोर्ड को इस बात की अनुमति देगा कि वह प्रत्येक प्रतिभूति के जोखिम प्रतिफल की संभावनाओं का अपना मूल्यांकन करके इन प्रतिभूतियों में निवेश करें।

शिक्षा

अध्यक्ष महोदय, सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण साधन है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और निरक्षरता का उन्मूलन हमारी सामाजिक नीति के मूल तत्व हैं। सरकार की योजना प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए पांचवी कक्षा तक और बालिकाओं के लिए कालेज स्तर तक निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने हेतु सांविधिक उपबन्ध को कार्यान्वित करने की भी है।

इस बजट में शिक्षा के लिए कुल बजटीय आवंटन में लगभगत 50 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है क्योंकि 1997-98 के संशोधित अनुमानों में यह आवंटन 4716 करोड़ रुपए का था और इस बजट में यह 7047 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हम चरणबद्ध तरीके से सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा के लिए कुल संसाधन आवंटन बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

महिला शिक्षा में तेजी लाने की एक एकीकृत योजना को सहायता देने के लिए कस्तूरबा गांधी योजना और महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत आवंटनों का एकीकरण किया जाएगा।

स्वामी विवेकानन्द ने युवकों का आह्वान करते हुए कहा था, "अपनी जाति के हित और मानवता के कल्याण के लिए स्वयं को बलिदान करना एक महान कार्य है।" युवकों की असीमित शक्ति का उपयोग करने के लिए सरकार राष्ट्रीय एजेंडा में की गयी वचनबद्धता को बनाए रखने हेतु एक राष्ट्रीय पुनर्गठन कोर के सृजन की एक स्कीम तैयार करेगी जो सामुदायिक आधार पर राष्ट्र निर्माण के क्रियाकलापों के लिए युवको को तैयार करेगी। यह स्कीम युवकों के स्वरोजगार को भी बढ़ावा देगी जिसके द्वारा स्वरोजगार वाले व्यवसायों को चलाने के लिए स्वयंसेवकों को इसके साथ ही साथ व्यवस्थाओं और उद्यमिता विकास में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके ब्योरे तैयार करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयी समिति गठित की जा रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी

प्रधानमंत्री ने भारत के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अत्यधिक महत्व पर जोर दिया है यह विश्व अर्थव्यवस्था की तरह वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्रक है। रोजगार उत्पन्न करने, आय और निर्यात आम्दनी के लिए इसकी अपार क्षमता है। महिलाओं के लिए यह करोड़ों कुशल रोजगार भी प्रदान कर सकता है। हमारे सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और साफ्टवेयर निर्माता विश्व में किसी से कम नहीं है।

सरकार ने दस वर्षों के अंदर भारत को एक विश्व सूचना प्रौद्योगिकी शक्ति बनाने और साफ्टवेयर के सबसे बड़े उत्पादक एवं निर्यातक के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एक राष्ट्रीय आसूचना नीति तैयार करने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कार्यबल का गठन कर दिया गया है जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।

हमारी साफ्टवेयर कम्पनियां विश्व बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में कार्य करती है और इन कम्पनियों में कार्य कर रहे कुशल व्यावसायिकों को विदेश में आकर्षक अवसर उपलब्ध हैं।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

अपने मानव संसाधनों को बनाए रखने के लिए हमारी कम्पनियों को लचीली प्रोत्साहन प्रणालियां तैयार करने की जरूरत है। उन्होंने विदेश में ए॰डी॰आर॰/जी॰डी॰आर॰ से सम्बद्ध अपने भारतीय कर्मचारियों को स्टॉक विकल्प स्कीम प्रदान करने के लिए अनुमति मांगी है जिसके अन्तर्गत उनके कर्मचारी ए॰डी॰आर/जी॰डी॰आर स्टॉक विकल्प के पात्र होंगे। इस क्षेत्रक में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य और इसकी अति विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने सॉफ्टवेयर क्षेत्रक हेतु ऐसे विकल्पों की अनुमति के लिए एक विशेष स्कीम तैयार करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के विवरणों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

इस महत्वपूर्ण क्षेत्रक के तीव्र विकास को सहायता देने के लिए मेरे पास कुछ राजकोषीय प्रस्ताव भी है जिन्हें मैं बाद में अपने भाषण में प्रस्तुत करूंगा।

वित्तीय क्षेत्रक

बचतों को प्रोत्साहन देने, निवेश को अति उत्पादक कार्यकलापों की दिशा में लगाने और कर कारगर भुगतान प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए एक सुविकसित एवं अच्छी तरह से कार्य कर रही वित्तीय प्रणाली अनिवार्य है। पूर्वी एशिया के वित्तीय संकट ने हमारी वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तुरन्त कार्रवाई के महत्व को उजागर किया है। हाल ही में प्रस्तुत नरसिंम्हन समिति की रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें दी गई हैं जिनकी भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करते हुए जांच की जा रही है। तथापि, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों पर निर्णय लिए गए है।

* हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंको में गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों का अपेक्षतया उच्च स्तर चिन्ता का विषय है। निवल गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियां जो 1996-97 में औसतन 9 प्रतिशत थी उनहे वर्ष 2000-2001 तक 5 प्रतिशत से नीचे के स्तर पर लाया जाना चाहिए। गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों (एन॰पी॰ए॰) को कम करने के लिए उपाय के रूप में ऋण-वसूली न्यायाधिकरणों को सुदृढ किया जाएगा और सभी राज्यों को इसके अन्तर्गत लाने के लिए अधिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे।
* कुछ बैंकों में एन॰पी॰ए॰ विशेषरूप से अधिक हैं। एक परीक्षण के आधार पर इन बैंकों को परिसम्पति पुनर्निर्माण कम्पनियां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो उनके वसूली योग्य मूल्य पर बैंको के एन॰पी॰ए॰ को अपने नियंत्रण में लेंगे और बैंको द्वारा धारण किए जाने वाले विशेष बांडो के साथ अदला-बदली करेंगी। परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियां उन्हें हस्तान्तरित परिसम्पत्तियों के लिए अधिकतम मूल्य वसूल करने हेतु बकाया धनराशि की वसूलियों पर ध्यान केंन्द्रित करेंगी।
* हमारे बैंकों के गिरते हुए स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों के लिए न्यूनतम आवश्यक पूंजी पर्याप्तता 31 मार्च, 2000 तक वर्तमान 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत और इसके बाद यथाशीघ्र 10 प्रतिशत कर रहा है। परिसम्पति वर्गीकरण, आय निर्धारण, जोखिम भार आदि के सम्बन्ध में विवेकपूर्ण मानदंडो की कुछ अन्य वृद्धियों की भारतीय रिजर्व बैंक घोषणा भी करेगा।
* सम्पत्तियों एवं वित्तीय दस्तावेजों के हस्तान्तरण एवं लेन-देनों के सम्बन्ध में हमारी वित्तीय प्रणाली आज अनेक पुराने कानूनों के बोझ के नीचे कार्य कर रही है। मुख्य कानूनों में सुस्पष्ट कानूनी संशोधनों का प्रस्ताव करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जा रहा है ताकि इनके उपबंधों को आधुनिक वित्तीय एवं बैंकिंग पद्धतियों के अनुरूप बनाया जा सके।

गैर-बैंक वित्त कम्पनियां (एन॰बी॰एफ॰सी॰) हमारे वित्तीय क्षेत्रक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं परन्तु असावधान एवं सीधे-सादे छोटे निवेशकों के संरक्षण के लिए इस क्षेत्रक में विनियमों को सुधारना होगा। एन॰बी॰एफ॰सी॰ के सुधरे हुए विनियमन के लिए एक आधार संरचना निर्धारित करने की दृष्टि से पिछले वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का संशोधन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने एन॰बी॰एफ॰सी॰ के पंजीकरण और उनके लिए प्रभावकारी विनियमन के लिए हाल ही में मार्गनिर्देश जारी किए हैं। हमारा उद्देश्य विवेकपूर्ण विनियमनों और पर्यवेक्षी प्रणाली की एक आधार संरचना विकसित करना होगा जो स्वस्थ वित्तीय प्रणाली का विकास करेगी और पारदर्शी प्रकटीकरण मानदंड भी प्रदान करेगी जिससे निवेशकों द्वारा अच्छी जानकारी पूर्ण निवेश निर्णय लेने के लिए जमाकर्ताओं में अधिक जागृति पैदा होगी।

बैंकिग क्षेत्र के सुधार के साथ-साथ बीमा क्षेत्र में भी सुधार की ओर आगे बढ़ना आवश्यक है। इस क्षेत्र में अब तक सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार रहा है। हमारे नागरिकों को बेहतर बीमा कवच उपलब्ध कराने और आधारभूत संरचना के वित्तपोषण हेतु, दीर्घकालिक संसाधनों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए मैं बीमा क्षेत्र को भारतीय निजी कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता के लिए खोलने का प्रस्ताव करता हूं। बीमा विनियामक प्राधिकरण को सांविधिक निकाय में बदला जाएगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक विधान इस वर्ष बाद में लाया जाएगा।

'फेमा' और काले धन का वैधीकरण

वर्तमान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) पुराना हो चुका है और अर्थव्यवस्था की जरुरतों एवं विदेशी मुद्रा बाजारों एवं लेन-देनों में घटित परिवर्तनों के अब यह अनुरूप नहीं रहा है। हम पूर्ण चालू खाता परिवर्तनीयता की दिशा में आगे बढ़े हैं। अब यह उचित नहीं रहा कि हम विदेशी मुद्रा की एक विशेष शक्ति के रूप में पूजा करें और इस शक्ति के चारों ओर एक बोझिल एवं उच्च विनियमनात्मक संरचना खड़ी करें। तदनुसार सरकार ने 'फेरा' को निरस्त करने और उसके स्थान पर एक नया विदेशी मुद्रा-प्रबंध अधिनियम (फेमा) लाने का निर्णय लिया है जो आधुनिक अर्थव्यवस्था

की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। यह नया विधेयक संसद के इस सत्र में पेश किया जाएगा।

इसके साथ ही साथ में सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 'फेरा' के स्थान पर 'फेमा' लाने का प्रयोजन नशीली दवाओं के विक्रेताओं, आतंकवादियों, हथियार तस्करों और दूसरे जघन्य आर्थिक अपराध करने वालों के गैर-कानूनी लेन देन, को लाइसेंस देना कदापि नहीं है। वास्तव में काले धन के वैधीकरण की बढ़ती हुई विश्व-व्यापी समस्या से अपने समाज को बचाना हमारा उद्देश्य है और मैं 'फेमा' के साथ ही काले धन का वैधीकरण निवारण विधेयक सदन के सामने पेश करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

पूंजी-बाजार

हमारे पूंजी बाजारों को सुदृढ़ करने के लिये मैं अनेक उपायों का प्रस्ताव कर रहा हूं।

* भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार में अधिक नकदी की सुरक्षा एवं प्रवाह के लिये अधिक अवसर प्रदान करने के उपाय के रूप में "स्टाक इंडेक्स फ्यूचर्स" में व्यापार शुरू करने का अनुमोदन कर दिया है। सरकार प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम में आवश्यक संशोधन लायेगी ताकि व्युत्पन्न विलेखों को प्रतिभूतियों के रूप में माना जा सके।
* आज विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ॰आई॰आई॰) की ऋण निधियों को केवल सूचीकृत ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति है। मैं उन्हें असूचीकृत घरेलू ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं। चूक के मामले में जोखिम विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा वहन किया जाएगा।
* दलालों की सेवाओं के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजी अनुलाभ कर लगाये बिना अपने कारोबार के निगमीकरण के लिये शेयर दलालों को गत वर्ष एक बार की अनुमति दी गई थी। मैं इस छूट को एक वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।
* और अधिक सरकारी निर्गमों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं सरकारी निर्गमों पर किये गए व्ययों की आय पर कटौती के विस्तार के लिए कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव कर रहा हूं।
* हाल के वर्षों में शेयर बाजारों में कुछ असंतोषजनक घटनाओं के बाद छोटे निवेशकों के विश्वास को बहाल करने के लिए एक विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए। दलालों एवं दूसरे बाजार के बिचौलियों की चूकों और वित्तीय असफलताओं से छोटे निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु विशेष ध्यान देने के लिए मैं "सेबी" से कह रहा हूं।

अनिवासी भारतीय (एन॰आर॰आई॰)

अध्यक्ष महोदय, विदेशों में भारत से बाहर मैंने जहां भी यात्रा की है, अनिवासी भारतीयों ने भारत के विकास में सार्थक योगदान करने की हार्दिक इच्छा वयक्त की है। मुझे विश्वास है कि अनिवासी भारतीय भारत के विकास के लिए एक महान, उपयोग में न लाई गई क्षमता रखते हैं। अपने मूल देश के विकास में भाग लेने के लिए मैं अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहित करने के निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूं।

* व्यक्तिगत अनिवासी भारतीय के लिए कंपनी की कुल इक्विटी के 1 प्रतिशत और एन॰आर॰आई॰ विदेशी कंपनी निकाय के लिए कंपनी में कुल एन॰आर॰आई॰/ओ॰सी॰बी॰ निवेशों के लिए 5 प्रतिशत की सीमा की शर्त पर द्वितीयक बाजार में भारतीय कंपनियों में शेयर खरीदने के लिए इस समय एन॰आर॰आई॰ को स्वीकृति है। यह सीमाएं बहुत वर्ष पहले तब लगाई गई थी जब हमारे पूंजी बाजार विनियम काफी कमजोर थे और अधिग्रहणों एवं अधिकार में लेने को शासित करने वाले कोई नियम नहीं थे। यह स्थिति इन दोनों के मामले में मूर्त रूप से बदल चुकी है। अतः मैं एन॰आर॰आई॰ के मामले में यह व्यक्तिगत निवेश सीमा 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने और कंपनी में सभी एन॰आर॰आई॰ निवेशों के लिए 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।
* एन॰आर॰आई॰ ने मुझसे यह भी शिकायत की है कि हमारे शेयर बाजारों में उनकी भागीदारी को शासित करने वाली प्रक्रियाएं अत्याधिक बोझिल एवं भारी हैं। मैं इन प्रक्रियाओं की पूर्ण रूप से पुनरीक्षा कर रहा हूं ताकि हमारे शेयर बाजारों में एन॰आर॰आई॰ द्वारा निवेश को सुविधापूर्ण बनाने के लिए संशोधित किया जा सके।
* भारतीय यूनिट ट्रस्ट एक "न्यू इंडिया मिलेनियम स्कीम" आरंभ करेगा जो केवल एन॰आर॰आई॰ द्वारा डालरों में अंशदान के लिए खुली होगी। इस स्कीम के अंतर्गत संग्रहीत धन का भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाएगा जिसकी वृद्धि की काफी क्षमता होगी और अच्छे किस्म के भारतीय ऋण की सुविधा होगी। इस स्कीम के ब्यौरों की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।
* भारतीय स्टेट बैंक एन॰आर॰आई॰ द्वारा अंशदान के लिए विदेशी मुद्राओं के मूल्य में एक नया "रिसरजेंट इंडिया बाण्ड" शुरू कर रहा है। इससे अनिवासी भारतीयों को हमारे देश के विकास विशेषकर आधारभूत संरचना निर्माण के लिए संसाधनों की प्राप्ति में योगदान करने में मदद मिलेगी। यह बाण्ड पूर्ण रूप से स्वदेश लौटाने योग्य होगे और सरकार इन नए बाण्डों के लिए वही रियायतें देगी जो एन॰आर॰आई॰ जमा राशियों पर इस समय उपलब्ध हैं। इस स्कीम के ब्यौरे अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे अनिवासी भारतीय भाई इस पहल का स्वागत करेंगे और इन बाण्डों में उदारतापूर्वक योगदान करेंगे।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

मुझे अनिवासी भारतीयों के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। सरकार ने विदेश में रहने वाले और विदेशी पासपोर्ट रखने वालों के लिए भारतीय मूल का व्यक्ति (पी॰आई॰ओ॰) कार्ड जारी करने की एक स्कीम तैयार करने का निर्णय लिया है। पी॰आई॰ओ॰ कार्ड, जो सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले देशों में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे, वीजा-मुक्त प्रणाली शुरू करने के अतिरिक्त अनिवासी भारतीयो को कुछ विशेष आर्थिक, शैक्षणिक, वित्तीय और सांस्कृतिक लाभ भी प्रदान करेंगे। इसके ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

विकेन्द्रीकरण और व्यय पुनर्संरचना

राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय शक्तियां प्रदान करने और राज्यों द्वारा अधिक संसाधन जुटाने के लिए अतिरिक्त या वैकल्पिक उपायों की जांच एवं उनकी सिफारिश हेतु राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत की अध्यक्षता में सरकार ने पहले ही राज्यों को शक्तियों के हस्तान्तरण से संबंधित एक विशेषज्ञ कार्य दल की नियुक्ति कर दी है। कार्य दल की पहली रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। हम भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके इन सिफारिशों की जांच कर रहे हैं।

हमारी बजट प्रणाली में आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्ययों के बीच अन्तर ने अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। इसके कारण तथाकथित आयोजना-व्ययों पर जितना अधिक ध्यान केन्द्रित होता है। उतनी ही उपेक्षा अनुरक्षण जैसी मदों की होती है, जिन्हें आयोजना-भिन्न के रूप में रखा गया है। वित्त आयोग जैसे विभिन्न निकायों ने बजट में आयोजना और आयोजना-भिन्न के अंतर को समाप्त करने की पैरवी की है। मैं इन मुद्दों की व्यापक तरीके से जांच करने और बजट में सरकारी व्यय को कार्यात्मक रूप से संभाव्य एवं अधिक एकाग्र तरीके से प्रस्तुत करने के लिए सिफारिशें करने हेतु एक कार्य दल के गठन का प्रस्ताव करता हूं जिसमें योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

एक संबंधित समस्या इन वर्षों में केन्द्रीय क्षेत्रक एवं केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की बहुलता की रही है। परस्पर-व्याप्ति एवं द्वैध कार्यों को कम करने, प्रक्रियाओ एवं मानदण्डों के संशोधन और लक्षित लाभार्थियों की इन तक आसानी से पहुंच के उद्देश्य से इन्हें युक्तिसंगत बनाने के जरूरत है। उपर्युक्त कार्यदल इस विषय पर भी सलाह देगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

सरकार ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण आधारभूत कार्यक्रमों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के पुनर्गठन का पहले ही निर्णय ले लिया है। सिक्किम को भी इस परिषद में शामिल किया जाएगा। इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए संसद में आवश्यक विधान पेश किया जाएगा।

इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया है कि उन सभी मंत्रालयों से निधियां जमा करने के लिए एक कालातीत न होने वाला केन्द्रीय संसाधन पूल बनाया जाएगा जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आयोजना व्यय मंत्रालय के कुल आयोजना आवंटन के 10 प्रतिशत से कम है। आवंटन के 10 प्रतिशत और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर हुए वास्तविक व्यय के बीच के अन्तर को केन्द्रीय पूल में अन्तरित कर दिया जाएगा, जिसका उपयोग पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के विशिष्ट कार्यक्रमों के निधिपोषण के लिए किया जाएगा।

सरकारी क्षेत्रक के वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों द्वारा समर्थित पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि॰ (एनईडीएफसी) को 1995 में निगमित किया गया था। एनईडीएफसी पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए कार्य करता है। इस समय असम में एक राज्य वित्त निगम और कुछ दूसरे राज्यों में दोहरे कार्य करने वाले औद्योगिक विकास निगम हैं। इन संस्थानों के स्वस्थ एवं कुशल विकास के लिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आगे से पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य वित्त निगमों/औद्योगिक विकास निगमों के औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित कार्य आईडीबीआई/सिडबी के बजाय अब एनईडीएफसी द्वारा किया जाएगा।

विनिवेश/निजीकरण/सरकारी क्षेत्र के उद्यम से सम्बद्ध सुधार

नियमित बजट को चालू वर्ष में विनिवेश से 5000 करोड़ रुपए की प्राप्ति का श्रेय जाता है। प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, सरकार ने आई॰ओ॰सी॰ 'गेल', वी॰एस॰एन॰एल॰ और कॉनकोर से इक्विटी के विनिर्दिष्ट भाग का विनिवेश करने का निर्णय लिया है। इंडियन एयरलाइंस की पुनर्संरचना करने की समग्र नीति के रूप में और इसकी क्षमता में विस्तार के लिए सरकार ने इंडियान एयरलाइंस की पूंजी को पुनर्गठित करने और साथ ही इस कम्पनी में तीन वर्षों में चरणबद्ध विनिवेश करने और सरकार की इक्विटी धारिता 49 प्रतिशत तक नीचे लाने का निर्णय लिया है।

कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम निरन्तर भारी घाटे में चल रहे हैं। स्वतंत्र संगठनों द्वारा किए गए अनुभव और अध्ययनों ने अन्ततः उन्हें पुनरुज्जीवित करने योग्य नहीं पाया है, तथापि केवल कामगारों के हितों की चिन्ता के कारण उनको बन्द करने सम्बन्धी निर्णय लेने में देर हुई। इस ऊहापोह का व्यवहार्य और सन्तोषजनक समाधान करने के लिए सरकार ने बन्द होने के कगार पर खड़े उद्यमों के कामगारों के लिए उन उद्यमों को बन्द करने से पहले उदार और आकर्षक प्रतिपूर्ति पैकेज प्रदान करके उन्हें सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। वर्तमान में, जब कोई इकाई बन्द होती है तो उसमें कार्यरत कामगार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत केवल छंटनी के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं, जो सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के सम्बन्ध में केवल 15 दिन की मजदूरी के बराबर है। इस प्रतिपूर्ति पैकेज को आकर्षक बनाने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पैकेज के लाभों को लागू करने का प्रस्ताव है, अर्थात सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 45 दिवसों की मजदूरी प्रदान की जाएगी जो इन सरकारी क्षेत्र की इकाईयों के बन्द हाने के समय सभी कामगारों के सम्बन्ध में उनके बकाया सेवा वर्षों के आधार पर अधिकतम मजदूरी अथवा संचित वेतन के अधीन होगी। पैकेज में और सुधार के रूप में इन इकाइयों के कामगार यदि उन्होंने अधिकतम 30 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है तो वे अधिकतम 60 महीनों अथवा 5 वर्ष का वेतन अथवा मजदूरी प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसका तात्पर्य यह होगा कि वे सभी कामगार जिन्होंने 30 वर्ष से अधिक की

सेवा पूर्ण कर ली है, वे सामान्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की अपेक्षा अधिक राशि प्राप्त करेंगे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की अन्य शर्तें भी लागू होंगी और यह पेशकश समयबद्ध होगी।

इस उद्देश्य के लिए बजट में एक पृथक पुनर्संरचित निधि तैयार की जा रही है और इन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को कामगारों को प्रतिपूर्ति पैकेज का भुगतान करने के लिए बजट से अग्रिम तौर पर निधि उपलब्ध करायी जाएगी। एक बार श्रमिकों के उद्यम से अलग हो जाने पर कम्पनी की परिसम्पति सर्वोत्तम किफायती मूल्य पर निपटान हेतु उपलब्ध हो जाएगी। सभी बकाया देयताओं का निपटान करने के बाद, निपटान से प्राप्त आय को पुनर्गठित निधि मे डाल दिया जाएगा और उसी सीमा तक इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इससे निधि को कम से कम आंशिक रूप से आत्मनिर्भर आधार पर संचालित करने में मदद मिलेगी और आने वाले समय में निधि में बजटीय सहायता में क्रमिक कमी आएगी।

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सामान्य रूप से इन मामलों में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की शेयरधारिता कम करके 26 प्रतिशत की जाए। महत्वपूर्ण उद्यमों के मामले में सरकार अधिकांश धारिताओं को बनाए रखेगी। सभी मामलों में कामगारों के हितों को संरक्षण दिया जाएगा।

वर्ष 1998-99 के लिए बजट अनुमान

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमानों के ब्यौरे अन्तरिम बजट के साथ मार्च, 1998 में प्रस्तुत किए गए थे। इसलिए मैं उन अनुमानों के सम्बन्ध में पुनः चर्चा नहीं कर रहा हूं नीचे जो आंकडे दिए गए हैं, वे वर्ष 1998-99 के बजट अनुमान हैं। मैं उनकी वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमानों के साथ तुलना करूंगा क्योंकि बजट अनुमान अंततः अनुमान ही होते हैं। जो बात महत्वपूर्ण है वह पूर्व वर्ष में किए गए व्यय और इस वर्ष के बजट में प्रस्तावित वृद्धि से सम्बद्ध है।

अब मैं संक्षेप में वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों की तरफ आता हूं।

वर्ष 1998-99 के लिए कुल व्यय का अनुमान 2,68,107 करोड़ रुपए लगाया गया था। इसमें से 72,002 करोड़ रुपए केन्द्रीय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के सम्बन्ध में बजटीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं और शेष 1,96,105 करोड़ रुपए की राशि आयोजना-भिन्न व्यय के लिए है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि आयोजना के लिए बजट सहायता 1997-98 के संशोधित अनुमानों में मौजूद 60,630 करोड़ रुपए से बढ़कर 11,372 करोड़ रुपए हो गयी है जो अब तक सभी प्रकार से सर्वाधिक बढ़ोतरी है। यहां तक कि प्रतिशतता के रूप में 18.8 प्रतिशत की यह बढ़ोतरी एक वर्ष को छोड़कर पिछले दशको में सबसे ज्यादा रही।

आयोजना व्यय

केन्द्रीय आयोजना

1,05,187 करोड़ रुपए का कुल केन्द्रीय आयोजना परिव्यय पिछले वर्ष के 81,033 करोड़ रुपए के स्तर की तुलना में 24,154 करोड़ रुपए अधिक होगा। केन्द्रीय आयोजना से सम्बद्ध सकल बजटीय सहायता को 1997-98 के संशोधित अनुमानों में 33,629 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 42,464 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इस बकाया राशि की पूर्ति केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आन्तरिक तथा बजट बाह्य संसाधनों से की जाएगी। केन्द्रीय आयोजना के लिए सकल बजटीय सहायता में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए की गयी 5,741 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी शामिल है।

आयोजना आवंटन हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करता है। कृषि मंत्रालय के लिए आयोजना आवंटन में 58 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 1807 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2854 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

वर्ष 1998-99 के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के लिए आयोजना आवंटन की राशि बढ़ाकर 9912 करोड़ रुपए की जा रही है जो वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमानों के मुकाबले 1556 करोड़ रुपए अधिक है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए आयोजना आवंटन राशि बढ़ाकर 3684 करोड़ रुपए है जो वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक है।

शिक्षा विभाग के लिए आयोजना आवंटन की राशि 3351 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4245 करोड़ रुपए कर दी गई है।

कल्याण मंत्रालय के लिए आयोजना आवंटन की 804 करोड़ रुपए की राशि में 91 प्रतिशत की वृद्धि करके उसे 1539 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के लिए 92 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के लिए 41 करोड़ रुपए, राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों के शेयर पूंजी अंशदान के लिए 60 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम के लिए 28 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी विकास और वित्त निगम के लिए 10 करोड़ रुपए की राशियां शामिल हैं।

वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की हमारी खोज बनाए रखने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए आयोजना आवंटन की राशि में 68 प्रतिशत की वृद्धि करके 828 करोड़ रुपए से 1391 करोड़ रुपए की जा रही है और अंतरिक्ष विभाग के लिए आयोजना आवंटन में 62 प्रतिशत की वृद्धि करके इस 850 करोड़ रुपए से 1381 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की क्षमता का पता लगाने के लिए गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का आयोजना आवंटन 190 करोड़ रुपए से दुगुने से अधिक बढ़ाकर 404 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के लिए आयोजना आवंटन की 440 करोड़ रुपए की राशि 60 प्रतिशत वृद्धि करके उसे 704 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

नगर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के लिए बजटीय समर्थन 122 करोड़ रुपए के तिगुने से भी अधिक बढ़ाकर 379 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

महिला और बाल विकास विभाग के लिए आयोजना आवंटन 1026 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1226 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

मैं संशोधित अनुमान 1997-98 में 27001 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में केन्द्रीय आयोजना सहायता के रूप में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 28538 करोड़ रुपए प्रदान कर रहा हूं। राज्य की आयोजनाओं के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता 12888 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15037 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित है। जनजातीय उप-आयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 330 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 380 करोड़ रुपए की जानी प्रस्तावित है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की राशि 5000 करोड़ रुपए रखी गई है। बुनियादी न्यूनतम सेवाओं और गंदी बस्ती के विकास की स्कीमों के लिए सहायता राशि 2873 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3760 करोड़ रुपए की जानी प्रस्तावित है।

नई स्कीमें

100 करोड़ रुपए की व्यवस्था सहित गैर-ऋणी किसानों को शामिल करने के लिए 24 चुनिंदा जिलों में एक नई प्रायोगिक फसल बीमा स्कीम शुरू की जा रही है।

60 करोड़ रुपए की व्यवस्था सहित कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन की एक नई स्कीम शुरू की जा रही है।

25 करोड रुपए की व्यवस्था सहित राष्ट्रीय उद्यानों और परियोजना क्षेत्रों से विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास की एक नई स्कीम शुरू की जा रही है।

आयोजना-भिन्न व्यय

वर्ष 1998-99 में कुल आयोजना-भिन्न व्यय वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान में 174615 करोड़ रुपए की तुलना में 196105 करोड़ रुपए होना अनुमानित है।

ब्याज भुगतानों के लिए प्रावधान वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान में 65700 करोड़ रुपए से बढ़कर 75000 करोड़ रुपए हो गया है।

रक्षा व्यय के लिए प्रावधान वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान में मुलायम सिंह जी 36099 करोड़ रुपए से काफी बढ़कर 41,200 करोड़ रुपए हो गया है। आप 40,000 करोड़ रुपये का उल्लेख कर रहे है किन्तु यह 41,200 करोड रुपये है मैं अगर आवश्यक हुआ तो वर्ष के दौरान बजटीय समर्थन में वृद्धि करने पर विचार करूंगा। हमारी रक्षा संबंधी तैयारियों से कोई समझौता नहीं हो सकता।

वर्ष 1998-99 में खाद्य सब्सिडी के लिए 9000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की जा रही है, जो वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान की तुलना में 1500 करोड़ रुपए की वृद्धि प्रदर्शित करती है। चीनी के लिए सब्सिडी हेतु प्रावधान 400 करोड़ रुपए रखा गया है। गेहूं की अधिप्राप्ति के लिए न्यूनतमक समर्थन मूल्य में हाल से संशोधन और पिछले वर्षों से संबंधित बकायों के निपटान करने के कारण भी खाद्य सब्सिडी में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है।

यूरिया के बिक्री मूल्य में परिवर्तन के अनुसरण में देशी नाइट्रोजनी उर्वरकों पर सब्सिडी वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान की 6600 करोड़ रुपए की राशि से घटाकर 6000 करोड़ रुपए की जा रही है। विनियंत्रित फॉस्फेटी और पोटाशी उर्वरकों पर सब्सिडी वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान में 2600 करोड़ रुपए की राशि से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए की जा रही है।

वर्ष 1998-99 में राज्यों की अनुदान की राशि वर्ष 1997-98 के सं शोधित अनुमान में 4114 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6314 करोड़ रुपए की जा रही है, जो 2200 करोड़ रुपए की वृद्धि प्रदर्शित करती है। इसमें से 950 करोड़ रुपए की वृद्धि विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के वेतन और भत्तों में सुधार के लिए राज्यों को सहायता देने के कारण हुई है। शेष वृद्धि मुख्यतः दसवे वित्त आयोग की सिफारिश के अधीन अनुदान के कारण हैं।

पेंशन के लिए प्रावधान वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान की तुलना में केवल 459 करोड़ रुपए बढ़ाकर 7342 करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह व्यवस्था करते समय सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के सरकारी निर्णय के प्रभाव को ध्यान में रखा गया है। इसका अल्प बचत संग्रहणों पर भी प्रभाव पड़ेगा। निवल अल्प बचतों के संग्रहण की एवज में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ऋणों का प्रावधान 1997-98 के संशोधित अनुमानों में 15732 करोड़ रुपए की तुलना में 14,200 करोड़ रुपए रखा जा रहा है।

मुख्यत रुग्ण और स्थिति सुधार रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण हेतु 1482 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

राजस्व प्राप्तियां

में अब राजस्व प्राप्तियों की चर्चा करूंगा।

माननीय सदस्यगण को अवगत है कि दिनांक 17 जुलाई 1997 को आयोजित अंतर्राज्यीय परिषद की तीसरी बैठक में हुई आम सहमति के आधार पर तत्कालीन सरकार ने केन्द्र के कर राजस्वों में राज्यों की हिस्सेदारी की वैकल्पिक स्कीम में संबंधित दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने का सिद्धांततः अनुमोदन कर दिया था। यह घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हमने इस निर्णय को अनुसमर्थन दिया है। तदनुसार, मैं केवल एक संशोधन के साथ इस वैकल्पिक स्कीम को प्रभावी बनाने के लिए शीघ्र ही एक संविधान संशोधन विधेयक पेश करने का प्रस्ताव करता हूं। संशोधन यह है कि केन्द्रीय करों की सकल प्राप्ति में राज्यों की प्रतिशत हिस्सेदारी की पुनरीक्षा परवर्ती वित्त आयोग द्वारा की जाए न कि इसे 15 वर्षों के लिए रोक दिया जाए जैसाकि दसवें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है यह राज्यों के हित में किया जा रहा है।

कराधान की मौजूदा दरों पर सकल कर राजस्व 148506 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। जैसा कि माननीय सदस्यगण अवगत हैं,

हमने स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण स्कीम, 1997 की आय में राज्यों के हिस्से के लिए 1997-98 के संशोधित अनुमान में 7594 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था क्योंकि दिनांक 31 मार्च, 1998 तक 10050 करोड़ रुपए का संग्रहण अनुमानित था। तथापि, वास्तविक संग्रहण लगभग 1000 करोड़ रुपए कम हुआ है। राज्यों को अदा किए गए अधिक हिस्से के लिए समायोजन करने के बाद में राज्यों को करों के हिस्से के रूप में 39074 करोड़ रुपए प्रदान कर रहा हूं। इस प्रकार वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान में 99158 करोड़ रुपए की तुलना में केन्द्र का निवल कर राजस्व 109432 करोड़ रुपए होगा। कर-भिन्न राजस्व का वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान में 39356 करोड़ रुपए से बढ़कर इस वर्ष 45137 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। मैंने सेलूलर और बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के आपरेटरों से लाइसेंस फीस के रूप में 2800 करोड़ रुपए और भारतीय रिजर्व बैंक के निवल अधिशेष लाभ के रूप में 4200 करोड़ रुपए जुटाए है।

कर-भिन्न प्राप्तियों सहित केन्द्र की निवल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान में 138514 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1998-99 में 154569 करोड़ रुपए होने की आशा है।

पूंजी प्राप्तियों के क्षेत्र में बाजार उधार की राशि 55931 करोड़ रुपए आंकी गई है। निवल विदेशी सहायता 2337 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। मैं सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी के विनिवेश से 5000 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का श्रेय ले रहा हूं।

मैं अपने भाषण के भाग 'ख' में राजकोषीय घाटे की चर्चा करूंगा।

भाग 'ख'

अपराह्न 6.00 बजे

महोदय, अब मैं अपने कर प्रस्तावों पर आता हूं।

कठोर बजट की बहुत बातें हुई हैं। कयामत की भविष्यवाणी करने वालों को निराश करते हुए मुझे दुख हो रहा है। वर्तमान स्थिति में करों में वृद्धि करने का अत्यधिक प्रलोभन था। परंतु मैं मानता हूं कि प्रत्यक्ष कर नीति में स्थायित्व हो और यह व्यक्तियों और कंपनियों दोनों को विश्वास प्रदान करें। अतएव, इस संबंध में किसी भी अनिश्चितता को समाप्त किया जाना चाहिए। पिछले वर्ष लागू की गई कर दरें काफी संतुलित हैं। चिदंबरम साहब, व्यक्ति कर या कंपनी कर किसी भी कर ढांचे में कोई परिवर्तन लागू करने का मेरा प्रस्ताव नहीं है। मैं आशा करता हूं कि कर ढांचे में दीर्घावधिक स्थायित्व बढ़ी हुई उत्पादकता, स्वैच्छिक कर अनुपालन का एक अच्छा परिवेश सृजित करेगा और कर के दायरे का विस्तार करने के हमारे प्रयासों में वृद्धि करेगा। वास्तव में, मैं कुछ रियायतों की घोषणा करने जा रहा हूं। सीमांत स्तर पर कर दाताओं द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों पर विचार करते हुए, कर संबंधी छूट का स्तर 40,000 रुपए की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जा रहा है।

वेतनभोगी, जिनकी आय 1 लाख रुपए तक है, को यह जानकार प्रसन्नता होगी कि मैं उनके मामले में मानक कटौती की उच्चतम सीमा 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आशा है कि उनकी प्रसन्नता में 5 लाख रुपए से अधिक की आय वाले वेतनभोगी भी शामिल होंगे क्योंकि इसके बाद इस कटौती के वे हकदार नहीं होंगे। वेतनभोगी, जिनकी आय 1 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के बीच है, के लिए वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। यह 20,000 रु॰ ही रहेगी। मैं चिकित्सा व्यय की कर-मुक्त प्रतिपूर्ति की उच्चतम सीमा को भी 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

हमारे जैसे विशाल देश में यह अत्यधिक चिंता की बात है कि कर निर्धारितियों की कुल संख्या हमारी आबादी के 1.25 प्रतिशत से भी कम है। कर आधार का विस्तार करने की गुंजाइश प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में एकमात्र बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह कराधान नीति का सुस्वीकृत सिद्धांत है कि करों की संयत दरें तभी अर्थ रखती हैं जब कर जाल व्यापक हो और कर अपवंचन की गुंजाइश को उत्तरोत्तर कम किया जाए। इस उद्देश्य के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण पहल करने का प्रस्ताव करता हूं। पिछले वर्ष 12 महत्वपूर्ण शहरों में जहां आप चार मानदण्डों में से कोई दो पूरा करते हों जैसे आप घर के स्वामी हों, टेलीफोन रखते हों, विदेश यात्रा पर खर्च कर रहे हों और मोटर गाड़ी के मालिक हों तो आपको आयकर विवरणी दाखिल करनी होगी, ऐसी एक स्कीम आरंभ की गई थी। दुर्भाग्यवश, इस स्कीम में कई खामियां थीं, जिसे मैं हटाने का प्रस्ताव करता हूं। सर्वप्रथम, इस स्कीम का अब भारत के 23 और शहरों को शामिल करने के लिए विस्तार किया जा रहा है, जिससे कुल 35 शहर इसमें शामिल हो जाएंगे। कर जाल को दो अतिरिक्त मानदण्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड रखना और मंहगे क्लबों की सदस्यता शामिल करने के लिए बढ़ाया जा रहा है, जिससे कुल पैरामीटर छः हो जाएंगे। अंततः चार पैरामीटरों में से दो को मिलाना प्रशासनिक रूप से एक दूभर कार्य होने के अतिरिक्त कई संभावित कर निर्धारितियों के लिए बचाव का मार्ग भी प्रदान करता है। मैं विश्वास करता हूं कि यदि कोई व्यक्ति इन छः मानदण्डों में से एक की पूर्ति करता है तो उसे आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए कहना उचित होगा। इसके बाद यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या वह कर का भुगतान करने योग्य है अथवा नहीं। यह संशोधित स्कीम अब "छ' में एक", नाम से ज्ञात होगी, और हमारे कर आधार को विस्तृत बनाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। मेरा अभिप्राय पूर्ण राजकोषीय वर्ष के दौरान अपनी आयकर विवरणी दाखिल करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़ाकर कम से कम 50 प्रतिशत करना है।

कर आधार को विस्तृत करने के कार्य के अलावा कर-अपवंचन एक गंभीर बाधा बनी हुई है। जहां लागू कराने संबंधी प्रयासों को सुदृढ़ किया जाएगा, वहां मैं कतिपय उच्च मूल्य के लेन-देनों के संबंध में निर्धारितियों के लिए अपनी "पैन" अथवा "जीआईआर" संख्या बताना अनिवार्य करने के लिए एक नई पहल करने का प्रस्ताव करता हूं। ये लेन-देन निम्नलिखित होंगे : अध्यक्ष महोदय,

* एक मूल्य तक अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री, जिसे परिभाषित किया जाना है।
* मोटरवाहनों की खरीद और बिक्री;

[श्री यशवन्त सिन्हा]

* 50,000 रुपए से अधिक के शेयरों का लेन-देन;
* बैंक का नया खाता खोलना;
* 50,000 रुपए से अधिक की सावधि जमाराशियां;
* टेलीफोन कनेक्शन के आवंटन के लिए आवेदन;
* होटलों को 25,000 रुपए से अधिक का भुगतान।

कम्प्यूटरीकरण के बढ़ते हुए प्रयोग से इस आंकड़े का उपयोग कर आधार बढ़ाने और राजस्व हानि रोकने के लिए पूरी तरह किया जाएगा।

हमें यह मानना चाहिए कि जटिल प्रक्रियाओं के साथ-साथ आयकर संबंधी हमारे प्रपत्रों को भरने की बोझिल प्रकृति किसी भी ईमानदार व्यक्ति के लिए निर्धारिती बनने में गंभीर बाधा है। अतः मैं पहली बार साधारण एक पृष्ठ वाले कर दाता अनुकूल विवरणीपत्र, जिसे इसके बाद "सरल" कहा जाएगा, शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जो सभी गैर-कंपनी करदाताओं पर लागू होगा। "सरल" को किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा कर सलाहकार की सहायता के बिना सरलतापूर्वक भरा जा सकेगा। मैं आशा करता हूं कि "सरल" स्वैच्छिक अनुपालन और गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से इसे उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखता हूं, ताकि प्रपत्रों को व्यापक रूप से स्थल पर ही सरलतापूर्वक बांटा और एकत्र किया जा सकता है। यह हमारे प्रयासों को और व्यापक बनाने में सहयोग प्रदान करने के अतिरिक्त संभावित कर-निर्धारितियों के दिमाग में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक असर भी पैदा करेगा।

मुकदमेबाजी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनों के लिए अभिशाप रही है। राजस्व विभाग की काफी शक्ति लंबी अवधि के विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में लंबित पड़े मुकदमों में नष्ट हो रही है। ऐसे विवादों में काफी राजस्व भी फंस जाता है। इस प्रणाली की रुकावटों को समाप्त करने से ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार काफी पहले ही अपना उचित बकाया वसूल कर सकेगी और प्रशासनिक उपायों के साथ प्रणाली को उपयोगकर्ताओं के अधिक अनुकूल भी बनाया जा सकेगा। अतएव मैं, "समाधान" नामक एक नई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। यह स्कीम प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों पर लागू होगी और वर्तमान दरों पर प्रत्यक्ष कर के बकाया भुगतान पर ब्याज तथा जुर्माने की माफी तथा मुकदमा चलाने से मुक्ति प्रदान करेगी। अप्रत्यक्ष करों के मामले में, जहां हाल के वर्षों में दरों का समायोजन बहुत अधिक रहा है, ब्याज और जुर्माने की माफी और मुकदमा चलाने की मुक्ति सहित शुल्क की 50 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।

मुकदमेबाजी को सीमित करने और उसका निपटारा करने के लिए कानूनी उपायों का भी प्रस्ताव किया जा रहा है। इनमें अपीलीय आयुक्त और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए फीस की सीमा बढ़ाना, उपायुक्त (अपील) के स्तर को समाप्त करना, विलम्ब कम करने के लिए उच्च न्यायालयों में सीधे अपील करने का प्रावधान और निवासी करदाताओं की अधिसूचित श्रेणियों के लिए अग्रिम निर्णय देने हेतु प्राधिकार की सीमा का विस्तार करना भी शामिल है।

संतुलित दरें और बड़ी रियायतें साथ-साथ नहीं चलतीं। अतएव मैंने आयकर अधिनियम के अधीन विभिन्न रियायतों और छूटों की समीक्षा की है। मैंने पाया कि उनमें से कई अब आवश्यक नहीं है और उनमें से कुछ का कर अपवंचन के लिए भी प्रयोग हो रहा है। अतएव, मैं इनमें से कई उपबंधों को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं। इनमें भारतीय निर्यात-आयात बैंक को छूट और भारत में नियोजित विदेशियों की कतिपय परिलब्धियों के संबंध में छूट शामिल है शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों के संबंध में पूर्ण छूट, जिसका गलत उपयोग हो रहा है, को वापस लेने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसे संस्थान एक अनुशासन के अधीन आने के लिए बाध्य होंगे। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों क्षेत्रों में वास्तविक रूप से सामाजिक हित के लिए कार्यरत संस्थान वर्तमान लाभों से वंचित नहीं रहें, सुरक्षात्मक उपाय भी प्रदान किये जा रहे हैं।

मैं कतिपय खामियों को दूर करने का भी प्रस्ताव करता हूं। जीवन बीमा कारोबार से भिन्न बीमा कारोबार के लाभ की गणना करने से संबंधित आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची के नियम 5 (क) को राजस्व की हानि रोकने के लिए संशोधित किया जा रहा है। इसी प्रकार, इस अधिनियम की धारा 10 (23 छ) को रियायत के दुरूपयोग के बिना आधारभूत संरचना के वित्तपोषण का उद्देश्य पूरा करने के लिए दुबारा तैयार किया जा रहा है। मौजूदा उपबंधों के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्य प्रणाली नहीं है कि किसी आधारभूत संरचना उद्यम द्वारा जुटाई गई कर-मुक्त निधियों का प्रयोग वास्तविक रूप से आधारभूत संरचना विकास के लिए किया जा रहा है न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए। मैं ऐसी कार्य प्रणाली की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं।

उपहार-कर भारत में वर्ष 1958 से लगाया जाता रहा है। इस कर से राजस्व प्राप्ति बहुत कम रही है। पिछले वर्ष हमने मात्र 9 करोड़ रुपए एकत्र किए। उपहार-कर अधिनियम भी कर अपवंचन रोकने के एक साधन के रूप में सफल नहीं रहा है। अतएव मैं, 30 सितम्बर, 1998 के बाद दिए गए उपहारों पर उपहार-कर लगाना समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपहार के कार्यतंत्र के माध्यम से आयकर राजस्व की हानि नहीं हो, मैं प्राप्तकर्ता को प्राप्त होने वाले उपहारों पर आयकर-अधिनियम के अधीन ही कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, बैंकिंग माध्यमों से प्राप्त होने वाले अनिवासी भारतीयों सहित अनिवासियों से उपहारों पर मौजूदा छूट जारी रहेगी।

मैंने पहले ही कहा है कि आवास व्यवस्था ऐसा क्षेत्र है जिस पर हमें अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अतएव, मैं आवास निर्माण सम्बन्धी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करता हूं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

* अनुमोदित आवास परियोजनाओं के लिए कर अवकाश-प्रथम पांच वर्षों के लिए लाभों से 100 प्रतिशत कटौती और परवर्ती पांच वर्षों के लिए 30 प्रतिशत कटौती।

* आवास संपत्ति से आय के एवज में वर्धित कटौतियां-मरम्मतों तथा संग्रहण प्रभारों के लिए कटौती 1/5वें हिस्से से बढ़ाकर एक चौथाई करना और स्वयं कब्जा की गई संपत्ति के मामले में उधार ली गई पूंजी पर ब्याज के लिए कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए करना।
* आवासी संपत्ति से हुई हानियों को भावी आय में उसी शीर्ष के अधीन 8 वर्ष तक आगे लाने की अनुमति दी जाएगी।
* विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त आवास परियोजनाओं में संलग्न कंपनियों के लिए होने वाले लाभों के 50 प्रतिशत के बराबर कटौती।
* अदा किए जा रहे किराए के लिए कटौती के संबंध में धारा 80 छछ को पुनः लागू किया जा रहा है।
* धन-कर अधिनियम के अधीन वाणिज्यिक परिसरों जैसी कतिपय निर्दिष्ट संपत्तियों को छूट।

सामाजिक क्षेत्रक के अन्य क्षेत्रों, जिसके लिए नए कर प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया गया है अथवा मौजूदा प्रोत्साहनों को बढ़ाया जा रहा है, मैं रोजगार सृजन, पर्यावरण का सुधार, महिलाओं का उत्थान, सड़क सुरक्षा, सहकारी समितियां और अपंगों को चिकित्सा व्यय देना शामिल है।

मैं कंपनियों को उन्हें अतिरिक्त कार्यबल नियोजित करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नई कटौती का प्रस्ताव करता हूं। नये कामगारों को अदा किए गये अतिरिक्त वेतनों के 30 प्रतिशत के बराबर राशि को कतिपय शर्तों के अधीन, लाभों पर कटौती के रूप में मानने की अनुमति दी जाएगी।

पर्यावरण के सुधार के लिए, मैं जैव अपशिष्ट उत्पाद संग्रहण और प्रसंस्करण में लगे उपग्रहों को 100 प्रतिशत कटौती, जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए होगी, की अनुमति होने का प्रस्ताव करता हूं। मैं जीवाणु से उत्पन्न उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को आय-कर अधिनियम की धारा 35 कग के तहत 100 प्रतिशत कटौती के लिए पात्र बनाने का भी प्रस्ताव करता हूं। इस प्रयोजन हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन अधिसूचित किये जाएंगे। इसी तरह का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं और कारखानों अथवा परियोजना स्थलों पर नियोजित श्रमिकों के बच्चों के लिए शिशुसदनों और विद्यालयों की स्थापना करने और उन्हें चलाने सम्बन्धी गतिविधियों को देने का भी प्रस्ताव है। मैं सड़क सुरक्षा और यातायात के सम्बन्ध में जागरूकता को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को रोकने वाली गतिविधियों को धारा 35 कग के अधीन 100 प्रतिशत कटौती के लिए पात्र बनाने हेतु नियमों में इसी प्रकार के संशोधन का भी प्रस्ताव करता हूं।

देश में खेल-कूद को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। मैं राष्ट्रीय क्रीड़ा निधि की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं और यह भी प्रस्ताव करता हूं कि निधि में लिए गए दानों पर 100 प्रतिशत कटौती की सुविधा दी जाएगी।

मैं किसी औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य या जिले में स्थित औद्योगिक उपक्रमों को प्रदत्त करावकाश को वर्ष 2000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं करावकाश में इसी प्रकार का विस्तार विद्युत क्षेत्र के लिए वर्ष 2003 तक और 1 अक्तूबर 1998 के बाद स्थापित नई शोधशालाओं के लिए करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं अन्तर्देशीय जलमार्गों और अन्तर्देशीय पत्तनों को भी आधारभूत संरचना के दर्जे में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं इसके अतिरिक्त रेडियो पेजिंग सेवाओं और दूरसंचार के लिए उपग्रह स्वामियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए करावकाश लाभों का प्रस्ताव करता हूं।

मैं व्यापार और उद्योग जगत की मांगों के प्रत्युत्तर में भी कई उपायों का प्रस्ताव करता हूं। आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप ऐसे पुनर्संगठन की आवश्यकता को देखते हुए व्यापार पुनर्संगठनों की कतिपय श्रेणियों को किसी अतिरिक्त कर देयता अथवा कर लाभों की हानि से मुक्त करने का प्रस्ताव है। विनिर्दिष्ट पुनर्संगठनों के मामले में कोई पूंजीगत अभिलाभ प्रभार्य नहीं होगा और क्षतियों को आगे ले जाने और अनामेलित मूल्यह्रास का लाभ दिया जाएगा। अमूर्त परिसम्पत्तियों को 25 प्रतिशत की दर पर मूल्यह्रास की अनुमति देने का प्रस्ताव है। आरम्भिक खर्चों के लिए परिशोधन के उपबन्धों को भी उदार बनाए जाने का प्रस्ताव है। परिशोधन की अवधि 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है और इसके परिणामस्वरूप कटौती की दर दुगुनी की जाएगी। स्टॉक उधारी को पूंजीगत अभिलाभों से छूट देने का प्रस्ताव है।

वसूले गए अधिक कर की वापसी में विलम्ब नाइंसाफी के समान है। यह विशेषरूप से छोटे करदाताओं के निरन्तर उत्पीड़न का एक कारण है। मैं आयकर अधिनियम की धारा 192 में एक संशोधन कर इस कठिनाई का निवारण करना चाहता हूं जिससे वेतन आय में भवन सम्पत्ति से हानि का स्रोत पर ही समायोजन हो सकेगा, मुझे विश्वास है कि इससे बड़ी संख्या में वापसी के दावों में कमी आएगी।

कर दाताओं की मांगों के प्रत्युत्तर में, मैं और उपाय करने का प्रस्ताव करता हूं। आय कर अधिनियम की धारा 44 कक के अधीन विद्यमान उपबन्धों के अधीन व्यापार अथवा व्यवसाय करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, यदि व्यापार से उसकी आय 40,000 रुपए से अधिक है अथवा उसका कुल कारोबार 5 लाख रुपए से अधिक है, लेखा बहियां रखना अपेक्षित है। लेखाकारों को नियुक्त करने की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए मैं इन सीमाओं को बढ़ाकर क्रमशः 1,20,000 रुपए और 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं आगे यह प्रस्ताव करता हूं कि धारा 203 के अधीन स्रोत पर कर कटौती अथवा वसूली के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने अथवा धारा 197 क के अधीन घोषणाओं की प्रतियां देने में विफलता के लिए 100 रुपए प्रतिदिन की न्यूनतम दर पर लगाया जाने वाला दण्ड, कटौतीयोग्य अथवा वसूलीयोग्य कर की राशि से अधिक नहीं होगा। इस समय लगाए जाने वाले दण्ड की मात्रा पर ऐसी कोई सीमा नहीं है जो, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों के लिए दिक्कतें पैदा करती हैं।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

फिल्म उद्योग की कतिपय मांगों की तरफ भी मेरा ध्यान गया है और मैं उन्हें राहत देने का प्रस्ताव करता हूं। सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि फिल्म उद्योग को उद्योग माना जायेगा। विद्यमान नियमों के अधीन, यदि कोई फिल्म वाणिज्यिक आधार पर पूर्व वर्ष की समाप्ति से कम से कम 180 दिन पूर्व रिलीज की जाती है तो फिल्म निर्माण या फिल्म के वितरण अधिकारों के अधिग्रहण पर आई लागत पर रिलीज किए जाने वाले वर्ष में ही पूर्ण परिशोधन की अनुमति दी जाती है, जबकि यदि फिल्म बाद में रिलीज की जाती है तो उस वर्ष में पूर्ण परिशोधन की अनुमति नहीं दी जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आजकल फिल्म निर्माता और वितरक वीडियो-चोरी और केबिल टेलीविजन के खतरे से बचने के लिए एक साथ बड़ी संख्या में प्रिंट जारी करते हैं जिसके परिणामस्वरूप फिल्मों के इस्तेमाल की कालावधि कम होने लगी है। मैं 180 दिनों की उपर्युक्त अवधि को घटाकर 90 दिन करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे फिल्म उद्योग फिल्म निर्माण और वितरण की लागत की शीघ्रतापूर्वक पूर्ति कर सकेगा। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे फिल्म निर्माताओं को जिन्हें किसी वित्तीय वर्ष में 5000 से अधिक की सभी अदायगियों के सम्बन्ध में आयकर विभाग को सूचना देना अपेक्षित है, जब केवल 25,000 रुपए की अदायगियों के सम्बन्ध में ऐसा करना होगा। मुझे आशा है कि इन उपायों से फिल्म उद्योग को बेहतर और स्वस्थ फिल्मों के निर्माण की प्रेरणा मिलेगी।

हाल ही में धन ऐंठने के रूप में किये गये भुगतानों के लिए कटौती के बारे में एक विवाद उत्पन्न हुआ है। इस विवाद को शान्त करने के लिए मैं आय-कर अधिनियम 1961 के अधिनियम के समय से भूतलक्षी प्रभाव से स्पष्ट रूप से यह उपबन्ध करने का प्रस्ताव करता हूं कि धन ऐंठने के रूप में अदा की गई कोई भी धनराशि व्यापार खर्च के रूप में कटौती की अर्हता प्राप्त नहीं, मैं दोहराता हूं, नहीं करेगी। यौक्तिकीकरण के और उपायों के रूप में मैं माल सूचियों और पूंजी परिसम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण के ब्लाक निर्धारण प्रक्रिया और आशोधित मूल्य योजित कर (मॉडवेट) ऋण के निरूपण के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं।

व्यय कर लगाने के प्रयोजनार्थ होटलों में कमरे के किराए की सीमा 1200 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए करने का प्रस्ताव है।

समूचे विश्व के करदाताओं में सरकार को उनकी वैध देयताओं का भुगतान करने में गर्व का एहसास होता है और समाज उनके द्वारा राज्य को उसके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के इस महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। खेद है कि इस देश में ईमानदार करदाता द्वारा गर्व की अनुभूति और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका की सामाजिक मान्यता की संस्कृति अभी विकसित नहीं हुई है। हमें इस मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। इस प्रयोजन के लिए मैं राष्ट्रीय उद्देश्य से उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए समाज की मान्यता प्रदर्शित करने हेतु "सम्मान" नामक एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। करदाताओं और स्थाई खाता संख्या धारकों को प्रदत्त सुविधाओं और मान्यताओं के ब्यौरे अलग से घोषित किए जाएंगे।

मुझे आशा है कि सरल, सम्मान और समाधान के साथ-साथ उपर्युक्त उपाय करदाता अनुपालन को बढ़ाने के हमारे प्रयासों को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। लेकिन जहां एक ओर हम वह सब कर रहे हैं, जो हम कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर मैं भारत के लोगों का आह्वान करता हूं कि वे देश के प्रति अपने देशभक्ति पूर्ण दायित्व का निर्वाह करें और ईमानदारी से अपने करों की अदायगी करें।

इससे पूर्व कि मैं अप्रत्यक्ष करों की ओर बढ़ूं, मैं यह कहना चाहूंगा कि करदाताओं के सभी तबकों से बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए थे और मैंने सावधानीपूर्वक उनकी जांच करवाई है। इन सभी पत्रों की अलग-अलग पावती भेजना व्यावहारिक नहीं है। मैं अब सामूहिक रूप से ऐसा कर रहा हूं और करदाताओं के प्रति उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए अत्यन्त आभारी हूं।

माननीय सदस्य बजट दस्तावेजों से यह देखेंगे कि प्रत्यक्ष करों से राजस्व उगाही के रूप में अनुमानित आंकड़े 48,855 करोड़ रुपए हैं जो अन्तरिम बजट में दिए गए आंकड़े से अधिक हैं। यह इस सदन के समक्ष रखी गई राहतों और रियायतों के कतिपय प्रस्तावों से उत्पन्न होने वाले, यांत्रिक आधार पर परिकलित, 950 करोड़ रुपए की राजस्व हानि को हिसाब में लेने के बाद है। हम बकाया राशियों की वसूली में सुधार लाकर, कर आधार को व्यापक बनाने के प्रयासों में निरन्तरता लाकर, बजट प्रस्तावों में प्रतिबिम्बित कठोर प्रवर्तन और निवारक उपायों के जरिए इस क्षति की पूर्ति करने और बजट में अनुमानित राशि की वसूली का इरादा रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारा मध्यावधिक उद्देश्य कर एवं सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को बढ़ाना है। जहां एक सीमाशुल्कों का संबंध है, इनकी पुनर्संरचना की प्रक्रिया से टैरिफ में उत्तरोत्तर कटौती हुई है जिससे अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार किए गये स्तरों के अनुरूप इन्हें लाया जा सके और कर दरों को व्यापक बनाया जा सके। इन उपायों से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि हुई है।

उत्पाद शुल्क के मामले में, कुछ वर्ष पहले तक इस क्षेत्र में अनेक दरें विद्यमान थीं और यह अनेक तदर्थ छूटों से बाधित था। इसके परिणामस्वरूप कर संरचना सुस्पष्ट नहीं थी। करों को अत्यधिक रूप से युक्तिसंगत बनाकर इस प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाना वर्तमान प्रस्तावों का उद्देश्य है। इस प्रक्रिया का अन्तिम उद्देश्य केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रणाली (वैट) की दिशा की ओर कदम बढ़ाना है जिसे इसके बाद सामान्य मूल्यवर्धित कर प्रणाली में आमेलित किया जा सकता है। हमारा इरादा इस व्यापक दिशा की ओर बढ़ने का है।

घरेलू उद्योग ने सीमा शुल्कों की पुनर्संरचना के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाई है और प्रशंसनीय लोचशीलता प्रदर्शित की है। इन्हें विश्व प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी प्रतिस्पर्धात्मक कारगरता को सुधारने की भी आवश्यकता है। परन्तु उनकी कुछ न्यायोचित चिन्ताएं भी हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस पृष्ठभूमि में इस संक्रमण के रुख का सावधानीपूर्वक आकलन करना होगा ताकि किसी गम्भीर व्यवधान के बिना भारतीय उद्योग को व्यवस्थित रखने के लिए समायोजन प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके।

आयात शुल्कों की संरचना के बारे में मुझे उद्योग के एक बहुत बड़े वर्ग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अनेक माननीय सदस्यों ने भी घरेलू उद्योग के सामान्य स्वास्थ्य पर अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए मुझे लिखा है। अधिकांश मामलों में मांगें विविध एवं विषम हैं। इसके कारण स्पष्ट हैं। जहां आयातित कच्चे मालों और दूसरी सामग्रियों के उपयोगकर्ता अथवा तैयार आयातित मालों के उपभोक्ताओं को आयात शुल्कों में और आगे कटौती से लाभ मिलेगा, वहीं घरेलू उत्पादकों ने घरेलू उद्योगों के लिए तत्काल राहत हेतु युक्तिसंगत पैरवी की है।

मैंने इन चिन्ताओं और प्रतिस्पर्द्धी दावों के बारे में काफी अधिक विचार किया है। मुझे इस स्पष्ट अक्षमता को मानना पड़ा है कि हमारे सामग्री कराधान का असर आयातित मालों की तुलना में स्वदेशी मालों पर पड़ता है। जहां स्वदेशी माल पर बिक्री कर और अन्य स्थानीय कर एवं शुल्क लगाए जाते हैं, वहीं आयात क्षेत्र अपनी प्रकृति के कारण इनसे बच जाता है। घरेलू उद्योग को इस समान स्तर पर लाने के उद्देश्य से मैं आयातों पर 8 प्रतिशत का एक अतिरिक्त गैर आशोधित मूल्य योजित कर शुल्क (नौन माडवेटेजल लेवी) लगाने का प्रस्ताव करता हूं जो लगभग घरेलू उत्पादकों पर स्थानीय करों के बोझ के बराबर है। इस शुल्क को एक संरक्षणात्मक उपाय के रूप में नहीं बल्कि एक समान स्तर पर लाने की न्यायसंगत मांग के रूप में देखा जाना चाहिए। यह नया शुल्क एक विशेष टैरिफ संरचना के अन्तर्गत कच्चे तेल, अखबारी कागज, पूंजीगत माल क्षेत्रक या बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पादशुल्कों के अधीन आने वाले माल और यात्रियों या दूसरी नामित एजेंसियों द्वारा आयातित सोने और चांदी और सीमा शुल्क से मुक्त जीवन रक्षक औषधियों पर लागू नहीं होगा। यह शुल्क ऐसे माल पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें सीमाशुल्क के प्राथमिक अथवा अतिरिक्त शुल्क दोनों से इस समय छूट मिली हुई है। इसी तरह परवर्ती व्यापार के लिए आयातित मालों को भी इसकी परिसीमा से बाहर रखा गया है। चूंकि वे पहली बिक्री के समय बिक्री कर का बोझ वहन करते हैं अतः नया शुल्क निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत आयातित निविष्टियों पर भी लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्र भी छूट के लिए पात्र हो सकते हैं। इनकी जांच की जाएगी और अगर उपयुक्त समझा गया तो इसे अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

गत कुछ वर्षों में आयात शुल्कों में धीरे-धीरे कटौती करने से कुछ विकृतियां और विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं। मेरे प्रस्ताव शुल्क संरचना में एकदम कोई व्यवधान उत्पन्न किए बिना जहां तक सम्भव हो, उन्हें सुधारने के लिए हैं।

इस्पात उद्योग ने विगत में सीमाशुल्क में की गयी क्रमिक कटौती को सहन करने में पर्याप्त क्षमता दिखायी है। परन्तु पिछले वर्ष इस्पात उद्योग ने कोई सराहनीय प्रगति नहीं दिखाई है। मैं लोहे और इस्पात की कोल्ड राल कायल्स पर सीमाशुल्क 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं स्टैनलैस स्टील मैल्टिंग स्क्रैप पर शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और ताप साह्य मृदिका सामान पर 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूं। मुझे विश्वास है कि आयातों पर मेरे द्वारा प्रस्तावित विशेष अतिरिक्त शुल्क को लगाने के साथ-साथ इन परिवर्तनों से सामान्यतः इस्पात उद्योग को पर्याप्त राहत मिलेगी।

पिटवां तांबे पर शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया जा रहा है।

लौह और अलौह धातुओं पर लागू शुल्क संरचना में किसी परिवर्तन का मेरा विचार नहीं है।

वस्त्र उद्योग में डीएमटी, पीटीए, एमईजी जैसे मध्यवर्ती माल पर 25 प्रतिशत सीमाशुल्क लगाया जाता है। परन्तु 'केप्रोलक्टम' जो नाइलोन धागा तैयार करने के लिए कच्चा माल है, पर 30 प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है। मैं केप्रोलेक्टम पर भी शुल्क घटाकर 25 प्रतिशत कर रहा हूं ताकि वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित सभी बड़े मध्यवर्ती माल पर शुल्क की यही दर लगायी जा सके। 'पैराक्सिलीन' जो सिंथेटिक रेशा और धागा तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री है, पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है।

वस्त्र उद्योग का विकेन्द्रीयकृत क्षेत्रक, रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। इसकी लागत कम करके इसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है। मैं वस्त्र ग्रेड के अशोधित ऊन पर सीमाशुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। अपशिष्ट ऊन और ऊन के 'गारनेटेड' स्टाक पर भी शुल्क इसी सीमा तक घटाया जा रहा है। मैं 'एसीटेट' और 'क्यूप्रामोनियम फिलामेंट यार्न' पर भी शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसी तरह 'विस्कोस फिलामेंट यार्न' और ऊन उद्योग के लिए आवश्यक मशीनरी को भी 10 प्रतिशत का रियायती शुल्क दिया जा रहा है।

मात्रा के संदर्भ में कागज और कागज बोर्ड के आयात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। घरेलू उत्पादकों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सुधारने के लिए मैं कागज और कागज बोर्ड पर शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार सूचना के अधिकार को महत्व देती है। इस अधिकार को और अधिक शक्ति देने की दृष्टि से मैं मानक अखबारी कागज पर सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं काचित अखबारी कागज (ग्लेज्ड न्यूजप्रिंट) पर शुल्क की यही दर लगाकर शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा, हमारा विचार अखबारी कागज को 8 प्रतिशत के सम्पूर्ण विशेष अतिरिक्त शुल्क की प्रयोज्यता से मुक्त रखने का भी है।

पत्रिकाओं के मुद्रण के लिए प्रति वर्ग मीटर 51 ग्राम तक के वजन वाले हल्के लेपित कागज पर कुल 5 प्रतिशत तक शुल्क कम करने का भी मेरा प्रस्ताव है।

फोटोग्राफिक रसायनों पर सीमाशुल्क 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जा रहा है। इसी तरह साइट्रिक एसिड पर शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जा रहा है।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

सिनेमा फिल्मों में बड़े रोल्स पर सीमाशुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

मोटर वाहनों के पुर्जों पर सामान्यतः 40 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया जाता है। परन्तु मोटर-गाड़ियों के लिए आई॰सी॰ इंजनों (अन्तर्दहन इंजनों) और उनके पुर्जों पर 20 प्रतिशत की कम दर पर शुल्क लगाया जाता है। मैं इन पर सीमाशुल्क बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं औद्योगिक हीरों पर शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे हीरा तराशी औजार उद्योग को मदद मिलेगी।

शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाए जाने के उपाय के रूप में रेयन ग्रेड के काष्ट लुग्दी पर मैं शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

थैलेसेमिया (रक्त विषाक्तता) जीवन के लिए एक घातक रक्त जनित बीमारी है। 'माल्टोल' जो इस बीमारी के उपचार के लिए औषधि तैयार करने में प्रयुक्त एक पदार्थ है, में छूट देने के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। मैं 'माल्टोल' को सीमाशुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। 'हाईड्राक्सी इथाइल स्टार्च' और 'डेक्सट्रान' का उपयोग कृत्रिम प्लाज्मा तैयार करने में किया जाता है जो आयात शुल्क से मुक्त है। मैं 'हाईड्राक्सी इथाइल स्टार्च' और 'डेक्सट्रान' पर शुल्क घटाकर 30 प्रतिशत से 5 प्रतिशत करके कृत्रिम प्लाज्मा पर शुल्क का भार कम करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं 'एड्स' के उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले 'लामूविडिन' को सीमाशुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूं।

चमड़ा उद्योग का हमारे निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मैं चमड़ा उद्योग के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी पर शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। यह दर चमड़ा काटने वाली मशीनरी पर भी लागू होगी। मैं काठी के ढांचे (सैडल ट्री) पर भी शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, इस सदन को ज्ञात है कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी करार में शामिल हुआ है। हम सूचना प्रौद्योगिकी के उत्पादों पर आयात शुल्क समाप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं। यह इसलिए नहीं है कि हम सूचना प्रौद्योगिकी करार से बंधे हुए हैं बल्कि हम इस बात से आश्वस्त हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार और सूचना का अधिक स्वतंत्र आदान-प्रदान मानव कल्याण एवं उसकी सफलता की एक कुंजी है। मैं 'फ्लापी डिस्क ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स' और 'सीडी-रोम ड्राइव्स' पर शुल्क कुल 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। प्रति अदद पर एक हजार से अधिक मूल्य के 'आई सी' पर भी शुल्क कम करके 5 प्रतिशत किया जा रहा है। मैं कम्प्यूटर पुर्जों पर, 'पीपीसीबी' को छोड़कर शुल्क कुल 15 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। 'पीपीसीबी' पर शुल्क कुल 25 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया जा रहा है। मैं कम्प्यूटर के रंगीन मानीटरों के लिए 'कैथोड' किरण ट्यूबों पर शुल्क कुल 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और रंगीन मानीटरों के विक्षेपक पुर्जों पर कुल 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मेरे प्रस्तावों में दूर संचार साफ्टवेयर पर शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करना भी शामिल है। ऐसे साफ्टवेयर पर इससे आगे कोई अतिरिक्त सीमाशुल्क नहीं लगाया जाएगा।

देशी दूरसंचार उपस्कर क्षेत्रक को प्रोत्साहन देने के लिए मैं ऐसे उपस्कर के पुर्जों पर शुल्क घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के उपाय के रूप में, चिरी हुई लकड़ी और कुछ अन्य किस्तमों की लकडी पर मैं आयातशुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं जैव कीटनाशकों जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने 'मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर्स' और इसके पुर्जों पर शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।

ऊर्जा बचाने वाले धातु 'स्मोडुमीन' पर शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है। 'सिलिकान' जिसका उपयोग सौर ऊर्जा प्रयोगों में व्यापक रूप से किया जाता है, मैं विद्यमान 10 प्रतिशत शुल्क का आधा करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं निम्नलिखित पर शुल्क घटाने का प्रस्ताव करता हूं :

* सोलर सैल और माड्यूल्स पर 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत
* बटन सैल पर 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत
* 'वाच मूवमैंट' पर 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत
* 'डीसी माइक्रो मोटर्स' पर 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत
* 'सीडी मैकेनिज्म' पर 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत।

अध्यक्ष महोदय, अच्छी सड़कें सामाजिक एवं आर्थिक विकास की आवश्यकताएं हैं। मुझे विश्वास है कि हममें से जो निजी वाहनों की सुविधा रखते हैं, वह देश में अच्छी सड़कों के तीव्र विकास में योगदान कर सकते हैं। मैं पैट्रोल पर तत्काल प्रभाव से प्रति लीटर एक रुपए की दर से अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इससे एक वर्ष में 790 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त होने की आशा है जिसका उपयोग सड़कों में विकास के लिए किया जाएगा और यह सम्पूर्ण धनराशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की संचित निधि को बढ़ाने के लिए दी जाएगी। मैं राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए उपस्करों के आयात को इस समय उपलब्ध रियायतें दूसरी सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए भी देने का प्रस्ताव करता हूं।

स्वर्ण के आयातकर्ता राष्ट्रीय राजकोष में निश्चित रूप से कुछ अधिक योगदान कर सकते हैं। मैं स्वर्ण पर आयात शुल्क प्रति 10 ग्राम 220 रुपए से बढ़ाकर 250 रु॰ करने का प्रस्ताव करता हूं।

इस समय साथ लाए जाने वाले सामान (वैगेज) पर शुल्क मुक्त छूट 6000 रु॰ है। अनेक देश इस प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, परन्तु हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते, अतः यात्रियों की निकासी में विलम्ब को कम करने के लिए वर्तमान सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता है। तीन दिन से अधिक समय तक रहने के बाद भारत वापस आने वाले प्रतियात्री के लिए मैं सामान की यह छूट 6000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रु॰ करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं तीन दिन से अधिक समय तक ठहरने के बाद विमान द्वारा नेपाल, भूटान, म्यांमार या चीन से वापस आ रहे भारतीय निवासियों के लिए निःशुल्क छूट 3000 रु॰ करने का प्रस्ताव भी करता हूं।

ऐसी अनेक मदें हैं जिन पर टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट) की शर्तों के कारण सीमाशुल्क को थोड़ा कम करना आवश्यक है। मैं इसके विस्तृत ब्यौरों पर जाकर सदन का समय नहीं लेना चाहता।

सरकार कर संहिता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है जो चरणबद्ध तरीके से पेट्रोलियम उत्पादों की नियंत्रित मूल्य निर्धारण प्रणाली को समाप्त करने के अनुरूप है। वर्ष 2001 तक कच्चे तेल पर आयात शुल्क वर्तमान 27 प्रतिशत के स्तर के कम करके अधिकतम 5 प्रतिशत किया जाना है। 'फर्नेस आयल' 'एलएसएचएस' 'एचएसडी' मोटर स्प्रिट और 'एटीएफ' जैसे द्वितीयक उत्पादों पर भी आयात शुल्क घटाकर 10 से 15 प्रतिशत के स्तर तक लाया जाना है। इस प्रक्रिया में हम आयात शुल्क संरचना के उचित विभेदीकरण एवं मापन के द्वारा गौण उद्योग के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत का प्रभावकारी संरक्षण सुनिश्चित करेंगे।

मैंने नियंत्रित मूल्य निर्धारण प्रणाली को हटाने से संबंधित निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। मैं कच्चे तेल पर सीमा-शुल्क कुल 27 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके परिणामस्वरूप एक वर्ष में 965 करोड़ रुपए राजस्व हानि होने का अनुमान है। इस हानि को पूरा करने के लिए मैं मोटर स्प्रिट पर उत्पाद शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं समानान्तर विपणन के लिए आयातित मिट्टी तेल पर 2 प्रतिशत के एक विशेष शुल्क सहित 32 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव करता हूं।

अब मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर अपने प्रस्तावों का उल्लेख करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, देश की अर्थव्यवस्था में लघु क्षेत्रक के योगदान पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यह रोजगार उत्पन्न करने का अति महत्वपूर्ण त्वरित माध्यम है और इस प्रकार यह हजारों परिवारों को सहायता प्रदान करता है। पूर्ववर्ती सरकारें लघु क्षेत्रक के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रही हैं। परन्तु मुझे सन्देह है कि उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अधिक कार्य नहीं किया है जिससे उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग हो सके। अनेक वर्षों तक लघु क्षेत्रक को प्रदान किए गए राजकोषीय प्रोत्साहन अपेक्षतया कम रहे हैं।

मैंने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मैं उत्पाद शुल्क प्रयोजन के लिए छूट सीमा वर्तमान 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं जो लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि है। 50 लाख रुपए से 100 लाख रुपए के बीच की स्वीकृतियों के लिए एक समान 5 प्रतिशत की सामान्य दर लगायी जाएगी, इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप एक वर्ष में 300 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी। हमारी अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्रक को सुदृढ़ बनाने के लिए यह एक छोटी कीमत चुकानी होगी।

पिछले वर्षों में 'माडवेट क्रेडिट स्कीम' को काफी उदार बनाया गया है। परन्तु, प्राप्त किया गया माडवेट क्रेडिट हाल के वर्षों में अप्रत्याशित रूप से बड़ी तेजी से बढ़ा है जो दूरदराज के रेंजों में माडवेट योग्य बीजको की प्रति जांच के लिए व्यापक कम्प्यूटर नेटवर्क के अभाव में माडवेट क्रेडिट स्कीम के दुरूपयोग को प्रदर्शित करता है। जब तक ऐसा एक कम्प्यूटर नेटवर्क कार्य शुरू नहीं कर देता, मैं परिवर्तन के एक उपाय के रूप में उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में प्रयुक्त निविष्टयों के मामले में भुगतान किए गए शुल्क के 5 प्रतिशत तक 'माडवेट क्रेडिट' की उपलब्धता को सीमित करने का प्रस्ताव करता हूं। परन्तु पूंजीगत माल के संबंध में 'माडवेट क्रेडिट' पर कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है।

उत्पाद शुल्क में दूसरे परिवर्तनों के बारे में मेरे प्रस्ताव, दर संरचना को युक्तिसंगत बनाने की समग्र आवश्यकता द्वारा मार्गनिर्देशित हैं ताकि दरों की बहुलताओं को कम किया जा सके और यथामूल्य 18 प्रतिशत की औसत दर सुनिश्चित की जा सके। एक आदर्श कर संरचना वह होगी जहां औसर दर को छोड़कर छूट के योग्य मदों के लिए एक निम्न दर हो और छूट के अयोग्य माल के लिए एक उच्च दर हो। इससे दर में होने वाली घट-बढ़ और मध्यवर्ती दारों का दबाव कम होगा।

मैं औसत दर परिवर्तन की दिशा में पहले कदम के रूप में निम्नलिखित कुछ सामग्रियों पर 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं :

* पैकेट बन्द चाय
* ब्रांड युक्त मक्खन, पनीर और घी
* हस्तचालित मशीन से भिन्न सिलाई मशीनें
* ब्रांडयुक्त मसाले
* फेक्ट्रियों में उत्पादित ब्रांडयुक्त खाद्य उत्पाद
* ब्रांड नाम से बिकने वाले मांस और मछली उत्पादन
* मक्खन सहित दूध पाउडर जिसमें शिशुओं के लिए निर्मित दूध शामिल नहीं है।
* 1800 सीसी तक के ट्रैक्टर
* चश्में के शीशे और फ्रेम
* सरकवां कीलक (स्लाइड फास्नर्स)

मैं एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपए से अधिक की निकासी पर 5 प्रतिशत की एक समान दर से प्लास्टिक की छूट वाली वस्तुओं पर भी उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

इसी तरह, मैं चिकित्सा यंत्रों और उपकरणों तथा प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों पर उत्पाद शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

अनेक सामग्रियों पर 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। इनमें से कुछ पर अधिक उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। अतः मैं इन वस्तुओं पर 13 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

इसके परिणामस्वरूप, माल्ट, कुछ प्रकार के डिब्बों, चिकित्सा फर्नीचर, धूप के चश्मों और रिकार्ड न किए गए विडियो केसिटों पर आगे 13 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया जाएगा।

युक्तिकरण के उपाय के रूप में, मैं हथियार और गोलाबारूद पर शुल्क 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। परन्तु मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि सैन्य सेवाओं के लिए हथियारों और गोला बारूदों के मामले में उत्पाद शुल्क की छूट जारी रहेगी।

मैं बहु-प्रयोगीय वाहनों पर शुल्क 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत और ठोस अथवा कुशन टायर पर शुल्क 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं संगमरमर की टाइल्स पर शुल्क प्रतिवर्ग मीटर 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

मेरे प्रस्तावों में निम्नलिखित पर उत्पाद शुल्क में कटौती करना भी शामिल है :

* मल जल शोधन संयंत्रों पर 13 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत
* 10 अश्व शक्ति तक के डीजल इंजनों पर 13 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत
* शल्य तथा चिकित्सा जांच दस्तानों पर 18 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत
* पोटेशियम आयोडेट पर 18 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत
* इलेक्ट्रोनिक केलकुलेटर पर 18 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत
* पेजर पर 18 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत
* सेलोफोन पर 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत
* पीवीसी यौगिक पर 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत

मैं कृषि पर आधारित अपशिष्ट माल से बने काष्ठ रहित पार्टिकल बोर्ड और फाइबर बोर्ड पर 100 प्रतिशत उत्पाद शुल्क की छूट का प्रस्ताव करता हूं। आगे से सीमेंट बाधित पार्टिकल बोर्ड, जूट पार्टिकल बोर्ड, चावल की भूसी से बने बोर्ड, ग्लास फाइबर युक्त जिप्सम बोर्ड, शीशल फाइबर बोर्ड और खोई बोर्ड भी उत्पाद शुल्क से मुक्त रहेंगे। मैं 25 प्रतिशत से अधिक "फ्लाई एश" वाले ब्लॉक और ईंटों, तैयार मिश्रित कंकरीट, जूट के कम्बलों, जूट नमदा को भी उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। अब 'पलट्रेडेड' जूट की वस्तुओं को भी उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इससे मेरे पश्चिम बंगाल और बिहार के मित्रों को प्रसन्नता होगी।

मैं रिकार्ड किए गए आडियो केसेटों को उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं दूरदर्शन प्रसारण के लिए बने रिकार्ड किए गए वीडियो केसेटों को उत्पाद शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूं। सभी साफ्टवेयर को शामिल करने के लिए कम्प्यूटर साफ्टवेयर की छूट को अब व्यापक बनाया जाएगा।

घरेलू नाइलोन उद्योग कई कारणों से निष्क्रिय बना हुआ है। मैं नाइलोन फिलामेंट यार्न पर शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

करदाताओं द्वारा वित्त मंत्रियों की करों के बोझ में वृद्धि करने की बाध्यकारी आदत के लिए प्रायः आलोचना की जाती है। तथापि, ऐसी शिकायत का औचित्य बाध्यकारी धूम्रपान करने वालों द्वारा नहीं किया जा सकता। मैं सिगरेटों पर विशिष्ट दरों के 6 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न मात्रा में उत्पादशुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं।

मेरा धूम्रपान करने वालों के प्रति इस तरह कठोर व्यवहार करने का अभिप्राय नहीं है। तदनुसार मैं कुटीर उद्योग में विनिर्मित माचिसों पर उत्पादशुल्क प्रति सौ डिबिया 0.50 से आधा घटाकर 0.25 रुपए तक करने का प्रस्ताव करता हूं। अन्य क्षेत्रकों द्वारा विनिर्मित माचिस के संबंध में भी अल्प कमी की जा रही है।

शुल्कों की उच्च दरों से अपवंचन और बचने की भावना उत्पन्न होती है। मैं अल्कोहल आधारित प्रसाधन निर्मितियों पर उत्पाद शुल्क 100 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इससे अनुपालन में सुधार होगा और राज्यों को और अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

कतिपय उत्पादों के संबंध में पिछले वर्ष शुरू किए गए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) आधारित उत्पादशुल्क की प्रणाली का उद्योग द्वारा स्वागत किया गया है। यह स्कीम कराधान में सरलीकरण और निश्चितता की व्यवस्था करती है। मैं इस स्कीम को चाकलेट, माल्टयुक्त खाद्य निर्मितियों, काचित टाइल्स, रेजर ब्लेड, रेडियो सेट, घरेलू विद्युत उपकरणों और पान मसाला जैसी कुछ और वस्तुओं पर लागू करने का प्रस्ताव करता हूं।

पिछले बजट में कई सेवाओं को कर जाल में शामिल किया गया था। इनमें सड़क द्वारा माल की ढुलाई पर प्रदान की गई सेवा शामिल हैं। सदन इस बात से अवगत है कि इसका व्यापक प्रतिरोध एवं विरोध हुआ था। इसके परिणामस्वरूप इस सेवा कर को अंततः वापस ले लिया गया था और ऐसा करना उचित ही था। इसलिए ही मैंने सड़क द्वारा माल की ढुलाई पर सेवा कर समाप्त करने का निर्णय लिया है। मैंने बाह्य खान-पान प्रबंधकों और पंडाल के संविदाकारों द्वारा देय सेवा कर को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। तथापि, मैंने कुछ नई

सेवाओं पर सेवा कर का प्रस्ताव किया है। ये निम्नलिखित द्वारा प्रदान की गई सेवाएं हैं :

* वास्तुकार
* आंतरिक सज्जाकार
* प्रबंध परामर्शदाता
* चार्टर्ड लेखाकार
* लागत लेखाकार
* कंपनी सचिव
* निजी सुरक्षा सेवाएं
* स्थावर संपदा एजेंट और स्थावर संपदा परामर्शदाता
* बाजार अनुसंधान एजेंसियां
* साख निर्धारण एजेंसियां
* हामीदारी एजेंसियां
* बड़े पशुओं के लिए यंत्रीकृत साधनों का प्रयोग कर रहे बूचड़खाने

हम इस बात की जांच करेंगे कि सेवा कर योग्य कतिपय क्षेत्रों के संबंध में अनुपालन में सुधार करने के लिए कैसे भुगतान का तरीके और माध्यम का और सरलीकरण किया जा सकता है। इन नए सेवा करों से पूरे वर्ष के लिए 220 करोड़ रुपए की आय रहेगी।

सीमाशुल्क से संबंधित मेरे प्रस्तावों से एक वर्ष में 3,304 करोड़ रुपए का निवल अनुलाभ होना अनुमानित है। उत्पाद शुल्कों के मामले में, मेरे प्रस्तावों से 5,009 करोड़ रुपए का अनुलाभ होना अनुमानित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमें अपने स्वैच्छिक अनुपालन का स्तर बढ़ाना चाहिए और हमारी कर संबंधी कार्यविधियां सरल, स्पष्ट और बाधारहित होनी चाहिएं। हमारे कर कानूनों को अभी भी यह उद्देश्य प्राप्त करना है यद्यपि पहले काफी प्रयास किए जा चुके हैं।

हमारे कानून समय की आवश्यकता के अनुकूल नहीं हैं। यह अनिवार्य है कि उनका व्यापक आधार पर पुनर्निर्माण और उन्हें वास्तविक रूप से आधुनिक बनाने के लिए उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। मुझे इस बात की जानकारी है कि यह एक सरल कार्य नहीं है। परन्तु यह असंभव नहीं है। मैंने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून को पुनः तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित करने का निर्णय लिया है। आगामी बजट सत्र में संसद के समक्ष नया उत्पाद-शुल्क कानून लाना मेरी सरकार का प्रयास होगा।

सरकार ने सीमाशुल्क और उत्पादशुल्क से संबंधित विवादों की कतिपय श्रेणियों को निपटानें के लिए एक समझौता आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम का ब्यौरा वित्त विधेयक में निहित है। मैं विदेशी निवेशकों के लिए उनकी संभावित अप्रत्यक्ष कर देयता के लिए अग्रिम तौर पर आश्वस्त करने की आवश्यकता को देखते हुए उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क के लिए अग्रिम कर निर्णय के लिए एक प्राधिकरण गठित करने का भी प्रस्ताव करता हूं। इस आशय का एक विधेयक संसद में यथा-समय लाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, अपने साहस, दृढ़निश्चय और दृढ़विश्वास से हमने पचास वर्ष पूर्व स्वयं को ब्रिटिश राज से मुक्त कराया था। इस वर्ष राष्ट्र गर्व के साथ स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहा है। तथापि, हमारा व्यापार और उद्योग जगत अभी भी एक अन्य राज, इंसपेक्टर राज की जकड़न में बंधा हुआ है। हम जितनी जल्दी संभव हो सके, इसका खात्मा करने के लिए कृत संकल्प हैं। मेरा यह मानना है कि हमारा करदाताओं के प्रति यह दायित्व है कि हम उन्हें एक सक्षम, दक्ष, सुग्राही और सहानुभूतिपूर्ण कर प्रशासन प्रदान करें। वास्तव में ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था।

यह एक व्यापक धारणा है कि उत्पादशुल्क से संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन से करदाताओं का उत्पीड़न होता है। हम गम्भीरतापूर्वक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए क्रमबद्ध परिवर्तन लाने के इच्छुक हैं। कुछ अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावित उपाय इस प्रकार हैं :

* अधिकारियों और करदाताओं के बीच सम्पर्क बिन्दुओं को न्यूनतम करना
* ऐसे क्षेत्रों में कमी लाना जिनमें अनुमति या अनुमोदन की आवश्यकता हो
* आयुक्त (अपील) और न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों को प्रतिष्ठा प्रदान करना
* 'माडवेट' मामलों में द्वितीय अपील की प्रक्रिया को आसान बनाना
* स्टाफ द्वारा कारखानों के दौरों को सीमित करना।

मैं इस तथ्य से विदित हूं कि सेवा कर से संबंधित प्रक्रियाओं और कानूनी दायित्वों के प्रति जबरदस्त असन्तोष है। मैंने कानून में कई अप्रीतिकर और सख्त उपबन्ध हटा दिये हैं। मेरा बहुत शीघ्र कई अनावश्यक और समस्याजनक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों को समाप्त करने का भी प्रस्ताव है।

सीमाशुल्क के पक्ष में, मैंने 'फास्ट ट्रेक क्लीयरेंस सिस्टम' और आयात निकासी में स्वयम् निर्धारण प्रणालियों के रूप में पहले ही की जा चुकी पहलों को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागों दोनों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जाएगा ताकि करदाताओं और आयातकों तथा निर्यातकों से इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त की जा सके और इस प्रकार करदाताओं और विभाग के बीच सम्पर्क को कम किया जा सके।

मैं सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-बद्ध कार्रवाई की एक नई संस्कृति शुरू कर रहा हूं। नागरिकों के अधिकारों और सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों के दायित्वों का निर्धारण करने के लिए शीघ्र ही एक नागरिक अधिकार पत्र जारी किया जा रहा है।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

सीमाशुल्क और उत्पादशुल्कों में उपर्युक्त परिवर्तनों को कार्यरूप देने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियां यथा-समय सदन के पटल पर रखी जाएंगी।

अन्त में मुझे अपनी माननीय सहयोगी संचार मंत्री की तरफ से कुछ कहना है। डाक सेवा बड़े पैमाने पर रोजगार-परक है और वेतन और भत्ते डाक विभाग के प्रचालनात्मक खर्चों का एक मुख्य हिस्सा होते हैं। डाक सेवाओं के लिए शुल्क में संशोधन अपरिहार्य हो चुका है। तथापि, आम आदमी और लोकतन्त्र में प्रिंटमीडिया की भूमिका के हित में पोस्टकार्ड और पंजीकृत समाचारपत्रों के शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तथापि, प्रतियोगिता पोस्टकार्ड की दर 2 रु॰ से संशोधित करके 3 रु॰, अन्तर्देशीय पत्र 1 रु॰ से बढ़ाकर 1.50 रु॰, प्रत्येक 20 ग्राम अथवा उसके भाग के लिए पत्र की दर 2 रु॰ से बढ़ाकर 3 रु॰ और प्रत्येक 500 ग्राम अथवा उसके भाग के लिए पार्सलों की दर 8 रु॰ से बढ़ाकर 10 रु॰ की जा रही है। कुछ अन्य परिवर्तन भी किए गए हैं जिन्हें बजट दस्तावेजों के साथ परिचालित ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है। ये परिवर्तन वित्त विधेयक के पारित होने के बाद अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे। इन संशोधनों से एक पूरे वर्ष में लगभग 270 करोड़ रु॰ और 1998-99 में लगभग 180 करोड़ रु॰ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इस मामूली वृद्धि से भी, जो डाक विभाग की निरन्तरता के लिए आवश्यक है, डाक सेवाओं की लागत केवल आंशिक रूप से ही पूरी हो सकेगी और लगभग 695 करोड़ रु॰ का डाक संबंधी घाटा पूरा नहीं हो पायेगा।

मेरे कर प्रस्तावों और डाक शुल्क दरों में संशोधन के परिणामस्वरूप वर्ष 1998-99 के लिए केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय घटकर 2,67,927 करोड़ रुपए हो जाएगा जबकि निवल राजस्व प्राप्तियां और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां बढ़कर 1,76,902 करोड़ रुपए हो जाएगी। राजस्व घाटा 48,068 करोड़ रुपए आंका गया है जो सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा 91,025 करोड़ रुपए आंका गया है जो सकल घरेलू उत्पाद का 5.6 प्रतिशत है। अर्थ व्यवस्था की वर्तमान स्थिति और विकास को प्रोत्साहित करने वाले व्यय की आवश्यकता को देखते हुए मेरा विश्वास है कि इस वर्ष इसमें अधिक दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है।

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत विश्व-मंच पर अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा क्योंकि हम लोकतन्त्र और अमन-चैन के रास्ते पर चलने के लिए कटिबद्ध हैं। मैं माननीय सदस्यों का आह्वान करता हूं कि हमारे लोकतंत्र को मजबूत करें, मैं माननीय सदस्यों का आह्वान करता हूं कि प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के बेहतर भविष्य निर्माण में हमारे साथ कदम से कदम मिला कर चलें। यदि हम मेलजोल एवं अनुशासन के साथ आगे बढ़ें तो भविष्य निसन्देह हमारा है। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में :

सेनानी करो प्रयाण अभय,
भावी इतिहास तुम्हारा है;
ये नखत अमा के बुझते हैं,
सारा आकाश तुम्हारा है।

अध्यक्ष महोदय इन शब्दों के साथ मैं यह बजट इस महान सदन को प्रस्तुत करता हूं।

सायं 6.57 बजे

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1998*

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने हेतु विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव है :

"कि वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने हेतु विधयेक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक पुरः स्थापित हुआ।

अब सभा मंगलवार, 2 जून, 1998 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.58 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 2 जून, 1998/12 ज्येष्ठ, 1920 (शाक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 1.6.1998 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।